माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

नियम-संग्रह

1983-88

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के प्राधिकार
के अधीन प्रकाशित

इलाहाबाद
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
1991

अनुक्रम-तालिका

भाग एक (क)

धारायें		पृष्ठ संख्या
	इण्टरमीडिएट शिक्षा, अधिनियम, 1921 (1921 का प्रदेशीय अधिनियम सं0 2) ..	1
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ..	1
2	परिभाषायें ..	2-3
3	बोर्ड का संगठन ..	3-5
3-क	सदस्य का हटाया जाना ..	5
4	सदस्यों का पदावधि ..	5
5	पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों की पूर्ति ..	5
6	निरस्त ..	
7	बोर्ड के अधिकार ..	6-7
7-क	मान्यता के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन ..	7-9
7-ख	डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र का अनधिकृत रूप से प्रदान करने पर प्रतिषेध ..	8
7-ग	संस्था में प्रवेश पाने के लिये कोई दान आदि प्रभावित करने पर रोक ..	8
7-घ	धारा 7-ख अथवा 7-ग का उल्लंघन करने के लिये शास्ति ..	8
7-ङ	दान का उचित उपयोग ..	8-9
8	कतिपय विश्वविद्यालयों को इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्ति ..	9
9	राज्य सरकार के अधिकार ..	9
10	बोर्ड के पदाधिकारी ..	9
11	सभापति के अधिकार और कर्तव्य ..	10
12	सचिव को नियुक्ति, उसके अधिकार और कर्तव्य ..	10
13	समितियों की नियुक्ति और संगठन ..	10-11
14	बोर्ड द्वारा समितियों को प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग ..	11

धारायें		पृष्ठ संख्या
14–क	अन्तरीक्षक आदि का लोकसेवक होना ..	12
15	बोर्ड विनियम बनाने का अधिकार ..	12
16	बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों का पूर्व प्रकाशन और उनकी स्वीकृति ..	13
16–क	प्रशासन योजना ..	13–16
16–ख	प्रशासन योजना ..	13–16
16–ग	प्रशासन योजना ..	13–16
16–घ	मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण और दोष को दूर किया जाना ..	17–21
16–ङ	अध्यापकों की नियुक्ति ..	21–22
16–च	छटनी किये गये कर्मचारियों का आमेलन चयन समिति ..	22–25
16–चच	अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रति अपवाद ..	25
16–चचच	परीक्षा के दौरान सहायता के लिये उपबन्ध ..	25–26
16–छ	संस्थाओं के प्रधान अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें ..	26–28
16–छछ	तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति को विनियमित करना ..	28–29
16–ज	संस्थाओं को कतिपय धाराओं से मुक्ति ..	29
16–झ	शिक्षा निदेशक द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन ..	30
18	आकस्मिक रिक्तियाँ ..	30
19	कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण वैध न होगी ..	30
20	बोर्ड तथा समितियों का उपविधियाँ बनाने का अधिकार ..	30
21	सद्भावना से किये गये कार्य आदि के लिये संरक्षण ..	31
22	न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक ..	31
	प्रथम अनुसूची धारा 3 (1) के खण्ड (ग) के अधीन बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन ..	31–38
	द्वितीय अनुसूची संबंधियों की सूची ..	39
	तृतीय अनुसूची धारा 16 ग ग के संदर्भ में ..	40
	अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत आदेश तथा विज्ञप्तियाँ ..	41–83

धारायें | पृष्ठ संख्या

भाग दो (क)

परिषद् के विनियम—

1—अध्याय–एक (प्रशासन की योजना) .. 84

(क) प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य .. 84–85

(ख) आचार्य/प्रधानाध्यापक के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्य .. 85–86

(ग) प्रबंधसमिति के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्य .. 86

(घ) प्रशासन की योजना का अनुमोदन .. 87–88

2—अध्याय—दो (संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्तियां) .. 89–103

परिशिष्ट–क अध्यापकों की नियुक्ति के लिये .. 103–104

न्यूनतम योग्यतायें .. 105–135

परिशिष्ट—ख—रिक्ति का प्रपत्र .. 135–136

परिशिष्ट—ग—साक्षात्कार प्रपत्र .. 136–137

परिशिष्ट—घ—गुण विषयक अंक .. 137–145

परिशिष्ट—ङ—नियुक्ति पत्र .. 145

3—अध्याय—तीन (सेवा की शर्तें) .. 146

(क) नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण तथा पदोन्नति .. 146–149

(ख) सेवा की समाप्ति .. 149–150

(ग) दण्ड जांच तथा निलम्बन .. 150–154

(घ) वेतनमान तथा वेतनों का भुगतान .. 154–155

(ङ) स्थानान्तरण .. 155–157

(च) शिक्षण, अंशकालिक सेवा एवं अन्य लाभ .. 157

(छ) कार्य एवं सेवा का अभिलेख .. 157–158

(ज) निर्वाह निधि .. 158–159

(झ) अपील .. 159–161

(ञ) (परिशिष्ट ख) गृह शिक्षण हेतु आवेदन–पत्र .. 162

(ट) (परिशिष्ट ग) चरित्रपंजी का प्रपत्र .. 163–164

4—अध्याय–चार (अभिभावक–अध्यापक एसोसियेशन) .. 164–174

धारायें पृष्ठ संख्या

भाग दो (ख)

(1) अध्याय एक-परिभाषायें .. 175-176
(2) अध्याय दो-परिषद् .. 176
(3) अध्याय तीन--सचिव .. 176-177
(4) अध्याय चार-परिषद् की समितियां .. 178-180
(5) अध्याय पांच-पाठ्यक्रमों की समितियां .. 180-185
(6) अध्याय छः--परीक्षा समिति .. 185-187
(7) अध्याय छः-क--परीक्षाफल समिति .. 187-188
(7-ख) अध्याय छः-ख-अनुचित साधनों के मामलों के निस्तारण के लिये समितियां .. 189-190
(8) अध्याय सात-परिषद् द्वारा संस्थाओं को मान्यता .. 190-203
(9) अध्याय-आठ-वित्त समिति .. 204
(10) अध्याय नौ--पाठ्यचर्या समिति .. 204-205
(11) अध्याय दस-महिला शिक्षा समिति .. 265-206
(12) अध्याय ग्यारह--छात्रों का निवास .. 206
(13) अध्याय बारह-परीक्षायें (सामान्य विनियम) .. 206-231
(14) अध्याय तेरह-हाई स्कूल परीक्षा .. 231-236
(15) अध्याय-चौदह-इन्टरमीडिएट परीक्षा .. 237-254
(16) अध्याय-चौदह (क)-इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा .. 254
(17) अध्याय पन्द्रह-क-हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा .. 254-257
(18) अध्याय पन्द्रह-ख-इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा .. 258-159
(19) अध्याय सोलह-प्रकीर्ण .. 259-260

भाग--तीन

परिषद् की उपविधियां .. 260-265
परिशिष्ट 'क' एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन विधि .. 265-272

भाग--चार

(क) परिषद् के अधिकारी .. 272-273
(ख) परिषद् के सदस्य .. 273-282
(ग) समितियों के सदस्य .. 283-285
(घ) पाठ्यक्रम समितियों के सदस्य .. 285-334

धारायें पृष्ठ संख्या

भाग—पांच

परिषद् के नियम—

(1) सारणीयकों परितुलनकर्ताओं आदि की नियुक्ति के नियम .. 334—342

(2) अनिवार्य हिन्दी से छूट के नियम .. 342—345

(3) पूर्णांक तथा न्यूनतम अंक .. 345

भाग—छः

पारिश्रमिक तथा मानदेय .. 346—357

यात्रा—भत्ता के नियम .. 357—368

भाग—सात

विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिषद् की परीक्षाओं की मान्यता .. 369—374

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

भाग-एक

*इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921

(1921 का प्रदेशीय अधिनियम संख्या 2)

एक माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिए

अधिनियम

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रांत में हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट शिक्षा की पद्धति का विनियम और पर्यवेक्षण करने के सम्बन्ध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थान लेने के लिए तथा उसके लिए पाठ्यक्रम विहित करने के लिए एक परिषद् की स्थापना की जाय।

अतः एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :

संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

1—(1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक † से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निदेश दे।

---

*उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए गजट, 1921, भाग 7, पृष्ठ 18 देखिए। प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) की रिपोर्ट के लिए गजट, 1921, भाग 8, पृ० 577 देखिए। विचार-विमर्श के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद् दिनांक 2 अप्रैल, 1921, 4 अप्रैल, 1921, 25 जुलाई, 1921, 26 जुलाई, 1921 तथा 27 जुलाई, 1921 का क्रमशः खण्ड 2 में पृष्ठ 635 पर, खण्ड 2 में पृष्ठ 676-706 पर, खण्ड 3 में पृष्ठ 54 पर, खण्ड 3 में पृष्ठ 111-160 पर तथा खण्ड 3 में पृष्ठ 179-243 पर प्रकाशित कार्यवाही देखिए।

[1941 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या पांच, 1950 के अधिनियम संख्या 4, 1958 के अधिनियम संख्या 35 तथा 1959 के अधिनियम संख्या 6 तथा 1972 के अधिनियम संख्या 29 एवं 1975 के अधिनियम संख्या 26 तथा 1977 के अधिनियम संख्या 5 तथा 1978 के अधिनियम संख्या 12 एवं 1981 के अधिनियम संख्या 1 तथा 9 एवं 1982 के अधिनियम संख्या 5 एवं अधिनियम संख्या 18 सन 1989 द्वारा संशोधित।]

[भारत सरकार के 1937 के आदेश (एडप्टेशन आफ इंडियन लाज द्वारा अनुकूलित और आशोधित), राज्यपाल की अनुमति 30 सितम्बर, 1921 को तथा गवर्नर जनरल की अनुमति 10 दिसम्बर, 1921 को प्राप्त तथा भारत सरकार अधिनियम की धारा 81 के अन्तर्गत 7 जनवरी, 1922 को प्रकाशित।]

† यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1922 को प्रवृत्त हुआ।

परिभाषाएं

2—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस अधिनियम में तथा इसके अधीन बने समस्त विनियमों में—

(क) "बोर्ड" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् से है।

(कक) "केन्द्र" का तात्पर्य बोर्ड द्वारा अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नियत की गई संस्था या स्थान से है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त भू-गृहादि भी सम्मिलित हैं।

(ककक) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है* और धारा 3 के प्रयोजनों के सिवाय इसके अन्तर्गत अपर शिक्षा निदेशक भी है।

(ख) "संस्था" का तात्पर्य मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल या हाई स्कूल से है, और जहां संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, इसके अन्तर्गत संस्था का भाग भी है, और 'संस्था के प्रधान' का तात्पर्य ऐसी संस्था के, यथास्थिति, प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक से है,

**(खख) "निरीक्षक" का तात्पर्य, यथास्थिति, जिला विद्यालय निरीक्षक से, और बालिकाओं के लिए संस्था की स्थिति में, सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है, और प्रत्येक स्थिति में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है,

(खखख) "अन्तरीक्षक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करें।

***(ग) "विहित" का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है।

(घ) "मान्यता" का तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गई मान्यता से है।

† (घघ) "सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक" का तात्पर्य किसी संभाग के प्रभारी शिक्षा उप-निदेशक से है और इसमें सम्भागीय उपनिदेशक के समस्त कर्त्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित है।

---

* इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 2 की उपधारा (ककक) संशोधित हुई।

** टिप्पणी—विज्ञप्ति संख्या ए-एक—4785 / पन्द्रह—1677-59, दिनांक 13 अक्तूबर, 1959 द्वारा सहयुक्त विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल को अपने जिले में अधिनियम की धारा 16-क से 16-झ तक के सम्बन्ध में निरीक्षक के समस्त कर्त्तव्यों के पालन करने के लिए अधिकृत किया गया।

***माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा धारा (ग) बढ़ाई गई।

†टिप्पणी—विज्ञप्ति संख्या ए—एक 4785 / पन्द्रह—1677-59, दिनांक 13 अक्तूबर, 1959 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल को कुमायूं संभाग में अधि-

(ङ) "विनियम" का तात्पर्य बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गए विनियमों से है।

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(छ) "केन्द्र अधीक्षक" का तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति से है और उसमें अतिरिक्त अधीक्षक तथा सहयुक्त अधीक्षक भी सम्मिलित है।

बोर्ड का संगठन

† 3--(1) बोर्ड में एक सभापति (जिस पद को निदेशक पदेन धारण करेगा) और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्--

(क) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, दो प्रधान;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, दो अध्यापक;

* (ग) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचित राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के **बारह प्रधान और ऐसी संस्थाओं के **बारह अध्यापक :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन निर्वाचन के लिए कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक कि वह संस्था का स्थाई प्रधान या, यथास्थिति, ऐसा स्थाई अध्यापक न हो जो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुभव रखता हो--

*(घ) विलोपित--

(ङ) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित [कृषि या अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) विश्वविद्यालय से भिन्न] विश्वविद्यालयों या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय (कालेज) के, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, पांच अध्यापक;

(च) कृषि में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यापक;

नियम की धारा 16-ए से 16-आई तक के संभागीय शिक्षा उप-निदेशक के समस्त कर्तव्यों के पालन करने के लिए अधिकृत किया गया।

† माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा धारा-3 संशोधित हुई।

*उ0 प्र0 शिक्षा विधि अधिनियम, 1978 द्वारा धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) पुनः संशोधित हुई तथा खण्ड (घ) विलोपित हुआ।

**इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1981 द्वारा संशोधित।

(छ) अभियन्त्रण में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यापक;

(ज) मेडिकल कालेज का राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक आचार्य (प्रोफेसर);

(झ) राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित पांच सदस्य;

(ञ) राज्य विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित तीन सदस्य;

(ट) शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, पांच व्यक्ति,

(ठ) महिला शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, तीन महिला;

(ड) प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(ढ) उद्योग के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रतिनिधि;

(ण) प्राचार्य (प्रिंसिपल), महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद पदेन;

(त) निदेशक, राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन;

(थ) प्राचार्य, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद, पदेन;

(द) प्राचार्य, राजकीय शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन;

(ध) प्राचार्य, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ पदेन;

(न) निदेशक, मनोविज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पदेन;

(प) आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय-संगठन, नई दिल्ली, पदेन;

(फ) राज्य सरकार द्वारा, नाम निर्दिष्ट एक जिला विद्यालय निरीक्षक;

(ब) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका;

(भ) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, का उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(म) बोर्ड का सचिव, पदेन, जो बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा।

(2) राज्य सरकार अल्प संख्यकों (चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों का, जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से अन्यथा नहीं हुआ है, प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए पांच व्यक्तियों से अनधिक को बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकती है।

*(3) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन और नाम-निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि बोर्ड का सम्यकरूप से गठन कर दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के खण्ड (ञ) या खण्ड (ञा) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन पूरा होने के पूर्व भी इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है ।

सदस्य का हटाया जाना

3—(क) राज्य सरकार बोर्ड से किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है, जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरुपयोग किया हो कि जिससे बोर्ड के सदस्य के रूप में उसका बने रहना जनहित के लिए हानिकर हो :

प्रतिबन्ध है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी ।

सदस्यों की पदावधि

4—(1) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की पदावधि धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति के दिनांक से तीन वर्ष की होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे सदस्यों के पद की अवधि एक बार में †6 माह से अनधिक समय के लिये इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि कुल मिलाकर† एक वर्ष से अधिक न हो ।

(2) बोर्ड का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जायेगा ।

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों की पूर्ति

†5—राज्य सरकार धारा 4 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व बोर्ड के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगी ।

†6—[निकाली गयी] ।

---

*उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधन हुआ ।

**माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित ।

†उ० प्र० शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधन हुआ ।

बोर्ड के अधिकार

7—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड के निम्नलिखित अधिकार होंगे अर्थात्—

*(1) हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिये शिक्षा की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना;

(1-क) ऐसे पाठ्य-पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरों का पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करके या अन्यथा प्रकाशन या निर्माण ।

(2) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना—

(क) जिन्होंने ऐसी संस्था में किसी पाठ्य-क्रम का अध्ययन किया हो, जिसे बोर्ड द्वारा मान्यता के विशेषाधिकार प्रदान किये गये हों, या

(ख) जो अध्यापक हो, या

(ग) जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गयी शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्हीं शर्तों के अधीन बोर्ड की परीक्षायें उत्तीर्ण की हों ।

(3) हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना;

(4) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;

(5) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना;

(6) ऐसे शुल्क मांगना और प्राप्त करना, जो विनियमों में विहित किये जायं;

*(7) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना ।

(8) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना, जो बोर्ड अवधारित करे;

(9) मान्यताप्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिये आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट मांगना;

(10) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना, जिससे वह सम्बन्धित हो;

(11) बजट में सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना;

---

*माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा बढ़ाया गया ।

छूट

7-कख--उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की कोई बात धारा 7-कक के अधीन किसी संस्था में सेवायोजित अंशकालिक अध्यापकों और अंशकालिक अनुदेशकों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र को अप्राधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रतिषेध

*7-ख--कोई व्यक्ति किसी डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज की प्रदान, अनुदान या जारी नहीं करेगा या प्रदान, अनुदान या जारी करने के लिये हकदार होना अपने को प्रकट नहीं करेगा, जिसमें यह कथन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो कि उसके स्वामी, गृहीता या पाने वाले ने किसी संस्था में या व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम का अनुसरण किया है और हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, जिसके वर्णन में उसके हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट परीक्षा होने के प्रति विश्वास कराने की युक्ति-युक्त प्रकल्पना हो, उत्तीर्ण किया है।

संस्था में प्रवेश पाने के लिये कोई दान आदि प्रमाणित करने पर रोक

*7-ग--किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और संस्था का प्रधान या अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी ऐसे संस्था में प्रवेश देने या प्रवेश के उपरान्त पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा **देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये किसी आदेश में विनिर्दिष्ट दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नगद हो या वस्तु के रूप में न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

धारा 7-ख अथवा 7-ग का उल्लंघन करने के लिए शास्ति

*7-घ--धारा 7-ख अथवा 7-ग के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिये कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना भी जो एक हजार रुपये से कम न होगा दंडित किया जा सकेगा, और यदि ऐसे उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसे सोसाइटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, जो जानबूझकर और स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है, इसी प्रकार दंडित किया जा सकेगा।

दान का उचित उपयोग--

*7-ङ--जहाँ किसी संस्था द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद या वस्तु रूप में लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायगा जिसके लिये वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में...

---

*उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 सम्मिलित।

**उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन, 1977 द्वारा संशोधित।

अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायगा, जिसका संचालन, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा ।

कतिपय विश्वविद्यालयों को इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्ति

8—इस अधिनियम में दी गयी किसी बात का बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय *के संगठन, अधिकार या कृत्यों पर उस समय तक कोई प्रभाव न पड़ेगा जब तक लिखित रूप में उनकी सहमति अभिलिखित न की गई हो।

राज्य सरकार के अधिकार

9—(1) राज्य सरकार को बोर्ड द्वारा संचालित अथवा किये गये किसी भी कार्य के सम्बन्ध में बोर्ड को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसमें बोर्ड सम्बन्धित हो, बोर्ड को अपने विचार सूचित करने का अधिकार होगा ।

(2) बोर्ड राज्य सरकार को उनके पत्र पर की गयी अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगा ।

(3) यदि बोर्ड उचित समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा ।

**(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह बोर्ड के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश किये बिना इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसा अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे, और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है और तदनुसार बोर्ड को तत्काल सूचना देगी ।

**(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

बोर्ड के पदाधिकारी

10—बोर्ड के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :—

(1) सभापति,

(2) सचिव,

(3) ऐसे अन्य पदाधिकारी, जिन्हें विनियमों द्वारा बोर्ड के पदाधिकारी घोषित किया जाय ।

---

*उ० प्र० शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा इस धारा से शब्द "या लखनऊ विश्वविद्यालय" हटाया गया ।

**माध्यमिक शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा उपधारा (4) संशोधित हुई तथा उपधारा (5) बढ़ाई गई ।

सभापति के अधिकार और कर्तव्य

11--(1) सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है, और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे ।

*(2) सभापति को बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे अधियाचन पर जिस पर बोर्ड की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य का उल्लेख हो, बैठक बुलायेगा ।

(3) बोर्ड के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपातिक स्थिति में जिसमें सभापति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो, सभापति ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् बोर्ड को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना देगा ।

(4) सभापति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायं ।

सचिव की नियुक्ति, उसके अधिकार और कर्तव्य

12--*(1) सचिव को राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिये नियुक्त किया जायेगा जो राज्य सरकार उचित समझे ।

(2) बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सचिव बोर्ड का प्रशासनिक अधिकारी होगा । वह वार्षिक अनुमान और लेखा विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(3) वह यह देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिये व्यय की जाती हैं, जिसके लिये वे स्वीकृत या प्रदिष्ट की गयी हों ।

(4) वह बोर्ड का कार्यवृत्त रखने के लिये उत्तरदायी होगा ।

**(4-क) वह परीक्षाओं के संचालन के लिये ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हों ।

(5) वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा निहित किये जायं ।

समितियों की नियुक्ति और संगठन

**13--(1) बोर्ड निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगा और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये ऐसी भिन्न-भिन्न समितियां नियुक्त की जा सकती हैं, अर्थात्--

(क) पाठ्यक्रम समिति,

(ख) परीक्षा समिति,

---

*माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा धारा 11 की उपधारा (2) तथा 12 की उपधारा (1) संशोधित हुई ।

**माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा धारा 12 में उपधारा (4-क) बढ़ाई गई तथा उपधारा (6) निकाली गई तथा धारा 13 संशोधित की गई ।

(ग) परीक्षाफल समिति,

(घ) मान्यता समिति, और

(ङ) वित्त समिति ।

(2) ऐसी समितियों में केवल बोर्ड के सदस्य ही सम्मिलित होंगे और इन समितियों का गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासम्भव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक-एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सके :—

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ग) में उल्लिखित संस्थाओं के प्रधान ,

(ख) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा *(ग) में उल्लिखित अध्यापक;

(ग) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ), (च), (छ) तथा (ज) में उल्लिखित अध्यापक तथा आचार्य;

(घ) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) तथा (ञ) में उल्लिखित विधायक;

(ङ) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ट), (ठ) तथा (ढ) और धारा 3 उपधारा (2) में उल्लिखित व्यक्ति;

(च) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ड), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न), (प), (फ), (ब) तथा (भ) में उल्लिखित व्यक्ति :

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड का कोई सदस्य इन समितियों में एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नहीं होगा, और समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनकी बोर्ड की सदस्यता के साथ समाप्त होगा ।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त, बोर्ड अन्य समितियां, यदि कोई हो, जो विहित की जाय, नियुक्त करेगा और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये ऐसी भिन्न-भिन्न समितियां नियुक्त की जा सकती हैं ।

(4) इन अतिरिक्त समितियों का गठन ऐसी रीति से होगा जो विहित की जाय और इन समितियों के सदस्यों का कार्यकाल ऐसी अवधि के लिये होगा जो विहित किया जाय ।

बोर्ड द्वारा समितियों को प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग

14—इस अधिनियम द्वारा बोर्ड को प्रदान किये गये ऐसे अधिकारों के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त विषय जिन्हें बोर्ड ने विनियम द्वारा अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित किया हो, उक्त समिति को अभिविष्ट किये गये समझे जायेंगे और बोर्ड ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व सम्बन्धित विषय के बारे में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा ।

*उ० प्र० शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित ।

अन्तरीक्षक आदि का लोक सेवक होना

14 क—(1) बोर्ड द्वारा संचलित किसी परीक्षा या परीक्षाओं की अवधि में तथा ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के एक महीने पूर्व की अवधि में तथा उनके तुरन्त बाद दो महीने की अवधि तक किसी केन्द्र के अधीक्षक को तथा अंतरीक्षक को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अधीन लोक सेवक समझा जायेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि में किसी केन्द्र के अधीक्षक या किसी अन्तरीक्षक पर किया गया कोई हमला या उनके साथ किया गया कोई आपराधिक बल-प्रयोग किसी लोक सेवक द्वारा उसके लोक-कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में स्वेच्छा से डाली गयी बाधा समझी जायगी और वह प्रसंज्ञेय अपराध होगा।

बोर्ड का विनियम बनाने का अधिकार

15—(1) बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये विनियम बना सकता है।

(2) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड निम्नलिखित समस्त या किन्ही विषयों की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकता है—

(क) समितियों का संगठन, उनके अधिकार और कर्तव्य;

(ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों का प्रदान करना;

(ग) बोर्ड की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की शर्तें;

(घ) समस्त प्रमाण-पत्रों तथा डिप्लोमाओं के लिये निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्य-क्रम;

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी बोर्ड की परीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे और डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों के पाने के पात्र होंगे;

(च) बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश के लिये शुल्क;

(छ) परीक्षाओं का संचालन;

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति तथा बोर्ड की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्तव्य और अधिकार;

(झ) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) ** के अधीन बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन;

(ञ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिये संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना तथा मान्यता का वापस लेना;

(ट) ऐसे समस्त विषय जिनको इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके;

(ठ) वे शर्तें जिनके अधीन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायक अनुदान दिये जायेंगे;

*(ड) अभिभावक-अध्यापक एसोशियेशन की रचना।

---

*उ0 प्र0 शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

**उ0 प्र0 शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित।

बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों का पूर्व प्रकाशन और उनकी स्वीकृति

*16--(1) धारा 15 के अधीन विनियम केवल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बनाये जायगे और गजट में प्रकाशित किये जायेंगे;

(2) राज्य सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियम को परिष्कार रहित या ऐसे परिष्कार सहित, जिसे वह उचित समझे, स्वीकृत कर सकती है ।

प्रशासन योजना

16--क--(1) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश अथवा अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासन योजना होगी (जिसे एतत्पश्चात् प्रशासन योजना कहा गया है) चाहे उस संस्था को इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1958 के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गयी हो या उसके बाद में । प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ एक प्रबन्ध समिति (जिसे एतत्पश्चात् प्रबन्ध समिति कहा गया है) के संगठन की व्यवस्था की जायगी, जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध तथा

टिप्पणी--1--विज्ञप्ति संख्या सी-डी-2439/40-म 66-59-60, दिनांक 23 सितम्बर, 1959 तथा संख्या सा-1-60002-21 14-63 (11)-70-71 दिनांक 23 अगस्त, 1970 द्वारा शिक्षा निदेशक ने अधिनियम की धारा 16-म के अनुसार धारा 16-क (5), 16-ख व 16-म के अपने समस्त अधिकार निम्नवत् प्रतिनिधायित कर दिये हैं--

"संभागीय, शिक्षा उप निदेशक, आगरा, मेरठ,............अपने-अपने
नैनीताल, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, सम्भाग
गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद व झांसी में ।

शिक्षा उप निदेशक (अर्थ) मुख्यालय, इलाहाबाद....सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश"

किसी भी सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा निर्देशित स्थिति में इस प्रतिनिधायन में नैनीताल, शिक्षा निदेशक की विज्ञप्ति संख्या जो (1)-2197/चौदह-63 (553)-64-65, दिनांक 1 अक्तूबर, 1964 द्वारा एवं फैजाबाद तथा झांसी विज्ञप्ति संख्या सा--1--6002-51/14-63 (11)--70-71, दिनांक 23 अगस्त, 1970 द्वारा आया है तथा शिक्षा उप निदेशक (अर्थ) विज्ञप्ति संख्या जो (1)-1330/49-23-61-62, दिनांक 30 सितम्बर, 1961 द्वारा उप शिक्षा संचालक (विद्यालय प्रबन्ध) के स्थान पर हुआ है ।

टिप्पणी--2-अधिसूचना सं० सा०-2450/15-7-8 (4)-75, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार धारा 16-क की उपधारा (1), (2), (4), (5) और (6) के उपबन्ध किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यताप्राप्त संस्था पर लागू नहीं होंगे ।

---

*उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1075 द्वारा संशोधित ।

संचालन का प्राधिकार निहित होगा। संस्था के* प्रधान तथा उसके दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी–बारी से नियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(2) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

**(3) विनियमों के अधीन रहते हुए प्रशासन योजना में संस्था के यथास्थिति *प्रधान तथा प्रबन्ध समिति के अलग–अलग अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य भी बताये जायेंगे।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यताप्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिए उस समय तक अलग–अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक कि विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिये अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक की स्वीकृति के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा।

*प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबंधाधिकरण के अभ्यावेदन पर, यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि प्रशासन योजना में वैयक्तिक संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा।

(6) प्रत्येक मान्यताप्राप्त संस्था का प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) तक तथा धारा 16–ख और 16–ग के अधीन और उनके अनुसार बनायी गई प्रशासन योजना के अनुसार किया जायगा।

†(7) जब कभी किसी संस्था के प्रबंध के सम्बन्ध में कोई विवाद हो, तब ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनका सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा ऐसी जांच करने पर जिसे

---

*उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

**अधिसूचना संख्या मा/3082/15–7–8(4)–75, दिनांक 12 जुलाई, 1982 के अनुसार धारा 16–क की उपधारा (3) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में निम्नांकित रूप में लागू होगी—"किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं की स्थिति में, अवर सेवकों की नियुक्ति, पदोन्नति और दण्ड से संबंधित विषयों के सिवाय, सम्बद्ध संस्था के प्रधान और स्थानीय निकाय की ऐसी संस्थाओं के सम्बन्ध में अपनी–अपनी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, वही होंगे जो क्रमशः प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक और प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा विहित किये गये हों।"

†इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा अधिनियम की धारा 16 में उपधारा (7) जोड़ी गयी।

उचित समझा जाय, उसके कार्यकलापों पर वास्तविक नियंत्रण पाया जाय, गठित ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती है जब तक कि सक्षम अधिकारितायुक्त कोई न्यायालय अन्यथा निदेश न दे।

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व प्रतिद्वन्द्वी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण—इस प्रश्न का अवधारण करने में कि संस्था के कार्यकलापों पर किस व्यक्ति का वास्तविक नियंत्रण है, सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक संस्था की निधि पर और उसके प्रशासन पर नियंत्रण को उसकी सम्पत्तियों से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

*16-ख—†(1) किसी संस्था के इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1958 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व ही मान्यता प्राप्त होने की दशा में उपरोक्त प्रारम्भ के दिनांक से 6 महीने के भीतर तथा अन्य समस्त दशाओं में मान्यता प्राप्ति के लिए दिये गये आवेदन-पत्र के साथ प्रशासन योजना का एक प्रारूप तैयार किया जायेगा और उसे धारा 16-ग के अनुसार निदेशक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) यदि कोई संस्था, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1958 के पूर्व मान्यता प्राप्त कर चुकी हो, उपधारा (1) के उपबन्धों का तदर्थ नियत अवधि के भीतर पालन न करे तो निदेशक ऐसी संस्था को एक नोटिस भेजेगा, जिसमें उससे तीन महीने की और अवधि के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत करने को कहा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने के पूर्व संस्था द्वारा अभ्यावेदन किये जाने की दशा में निदेशक अपने विवेकानुसार अवधि तीन महीने के लिए और बढ़ा सकता है।

(3) यदि दिये हुए समय के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत न की जाय तो निदेशक धारा 16-घ की उपधारा (3)** के अनुसार कार्यवाही करेगा।

†16-ग—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निदेशक ऐसी समयावधि के भीतर जो विहित की जाय, या तो धारा 16-ख के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रशासन योजना प्रारूप को स्वीकृत करेगा या उसमें किसी परिवर्तन या परिष्कार का

---

*उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

†अधिसूचना संख्या मा-2450/पन्द्रह-7-8(4)-7, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार धारा 16-ख तथा 16-ग के उपबन्ध किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

**इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 16-घ की उपधारा (3) में से शब्द [के खंड (क) या (ख)] हटाये गये धारा 16-ग में उपधारा (1) में शब्द "प्रशासन योजना को स्वीकृति प्रदान करने के सिद्धान्तों को शासित करने वाले विनियमों के अधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" किये गये।

सुझाव देगा । यदि निदेशक प्रशासन योजना में किसी परिवर्तन या परिष्कार का इस प्रकार से सुझाव देगा तो वह उसके लिये अपने कारण बताते हुए संस्था को ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाय, एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए संस्था को उसकी एक प्रतिलिपि भेजेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासन योजना-प्रारूप में विनियमों द्वारा विहित की गयी समयावधि के भीतर किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव न दे तो प्रशासन योजना प्रारूप स्वीकृत समझा जायेगा ।

(2) निदेशक उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार किये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और वह प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उक्त उपधारा के अन्तर्गत सुझाये गये परिवर्तन या परिष्कार के अधीन रहते हुए या ऐसे किन्हीं अन्य परिवर्तनों सहित, जो उसे न्याय संगत और उचित प्रतीत हो, स्वीकृत कर सकता है ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासन योजना में कोई नया परिवर्तन या परिष्कार करने का प्रस्ताव करे तो वह संस्था को ऐसी समयावधि के भीतर जो विहित की जाय, अभ्यावेदन करने का अवसर देगा ।

*16-गग--किसी ऐसी संस्था, जिसे इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के/पूर्व या पश्चात मान्यता प्राप्त हो, के सम्बन्ध में प्रशासन योजना तृतीय अनुसूची में निर्धारित सिद्धान्तों से असंगत न होगी ।

*16-गगग(1) जहां किसी संस्था के सम्बन्ध में, प्रशासन योजना इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय धारा 16-क, या धारा 16-ख या धारा 16-ग के अधीन अनुमोदित हों या अनुमोदित समझी गई हों और ऐसी प्रशासन योजना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो, वहां निदेशक प्रशासन योजना में कोई परिवर्तन या उपान्तर का सुझाव देते हुए ऐसी संस्था को एक नोटिस ऐसे प्रारम्भ के तीन **मास की अवधि के भीतर भेजेगा और संस्था से नई प्रशासन योजना प्रस्तुत करने या वर्तमान योजना में संशोधन या परिवर्तन करने की अपेक्षा करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना में कोई सुझाव देते समय निदेशक उसके लिए अपने कारणों का उल्लेख करेगा और संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर भी देगा ;

(3) निदेशक उपधारा (2) के अनुसार दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उपधारा (1) के अधीन सुझाये गये किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुए या ऐसे किसी अन्य परिवर्तन के साथ जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो अनुमोदित कर सकता है ;

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निदेशक शासन योजना में किसी नये परिवर्तन या उपान्तर का प्रस्ताव करता है, वहां वह संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा ।

---

*इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 16-ग में उपधारा (गग) तथा (गगग) बढ़ाई गयी ।

**इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा संशोधित ।

मान्यताप्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण और दोषों का दूर किया जाना

*16-घ†(1) निदेशक किसी मान्यताप्राप्त संस्था का समय-समय पर निरीक्षण करा सकता है।

(2) निदेशक निरीक्षण करने पर या अन्यथा पायी गयी किसी त्रुटि या कमी को दूर करने के लिए प्रबन्धाधिकरण को निदेश दे सकता है।

(3) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा निदेशक को यह समाधान हो जाय कि:—

(एक) किसी संस्था की प्रबन्ध समिति किसी न्यायालय के निर्णय अथवा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में विफल रही है, या

(दो) समिति ऐसे अर्हता के जो संस्था में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है अध्यापक वर्ग को नियुक्त करने में विफल रही है या उसने इस अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक वर्ग अथवा शिक्षणेतर कर्मचारी-वर्ग को नियुक्त किया है या सेवा में बनाये रखा है, या

(तीन) भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध समिति के विधिपूर्ण पदधारी होने के अधिकार का दावा करने के सम्बन्ध में किसी विवाद से, सम्बद्ध संस्था के निर्बाध और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है, या

(चार) समिति संस्था के लिए ऐसा पर्याप्त और उचित स्थान, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, प्रयोगशाला उपस्कर या अन्य सुविधाओं की, जो ऐसी संस्था के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक है व्यवस्था करने में लगातार विफल रही है, या

(पांच) समिति ने संस्था के हितों के प्रतिकूल उसकी पर्याप्त सम्पति को अन्य कार्य में लगाया है, उसका दुरुपयोग या दुर्विनियोग किया है या किसी सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 के उपबन्ध का उल्लंघन करके अन्तरित किया है, या

(छः) प्रशासन योजना का प्रारूप धारा 16-ख के अधीन उसके लिये अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है या संस्था का प्रबन्ध

---

*इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा संशोधित।

†अधिसूचना संख्या मा-2450/15-7-8(4)-75, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यताप्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में—

(1) धारा 16-घ की उपधारा (2), (3), (4-क) तथा (4-ख) में जहां कहीं भी शब्द "प्रबंधाधिकरण" आया है उसके स्थान पर "सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था के प्रबन्ध के लिए सशक्त व्यक्ति कर दिये गए हैं।

(2) धारा 16-घ की उपधारा (4) (ग) (घ) और उपधारा (4) के तृतीय परन्तुक के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

(3) धारा 16(घ) की उपधारा (5) से (7) में जहां कहीं भी शब्द "प्राबन्धाधिकरण" आया है उसके स्थान पर 'सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था प्रबन्ध के लिए सशक्त व्यक्ति" कर दिये गये हैं।

प्रशासन योजना से भिन्न रूप में संचालित किया जा रहा है या संस्था के कार्यकलापों का अन्यथा कुप्रबन्ध किया जा रहा है, या

(सात) किसी संस्था की प्रशासन योजना, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व अनुमोदित की गयी हो, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है, और संस्था की प्रबन्ध समिति धारा 16-गगग के अधीन नोटिस दिये जाने के बावजूद समुचित समय के भीतर उसमें परिवर्तन या उपान्तर करने में असफल रही है,

तो वह मामले को ऐसी संस्था को मान्यता वापस लेने के लिये बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकता है या प्रबन्ध समिति को नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर यह कारण बताये कि क्यों न उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाय।

(4) जहां किसी संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा निदेशक समय-समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहे, या जहां प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, वहां वह उस संस्था के लिये प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त करने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है, और तदुपरान्त राज्य सरकार आदेश द्वारा, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियन्त्रक कहा गया है) दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी संस्था और उसकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय है कि संस्था और उसकी सम्पत्तियों के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित बनाये रखने के लिये ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर उक्त आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, इस प्रकार बढ़ा सकती है कि आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है किन्तु जिसमें उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट अवधि सम्मिलित न होगी, पांच वर्ष से अधिक न हो ;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्ण गठित कोई प्रबन्ध समिति अस्तित्व में न हो तो प्राधिकृत नियन्त्रक उस समय तक कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का समाधान न हो जाय कि प्रबन्ध समिति का विधिपूर्ण गठन हो गया है।

(5) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की राय हो कि किसी संस्था के सम्बन्ध में उपधारा (3) के खण्ड (तीन) या खण्ड (पांच) में उल्लिखित कारण विद्यमान है और संस्था के हित में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण को नोटिस जारी कर सकती है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कारण बतायें कि क्यों न ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय।

(6) जहां सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहती है या जहां प्रबन्ध-समिति द्वारा बताये गये

कारणों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) के खण्ड (तीन) या खण्ड (पांच) में उल्लिखित कोई कारण विद्यमान हो वहां वह आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (4) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किये जाने के दिनांक को या इससे पूर्व उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा जारी की गयी प्रत्येक नोटिस जो ऐसी तामील के दिनांक को अन्तिम रूप से निस्तारित न की जा चुकी हो उक्त दिनांक से स्थगित समझी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन जारी की गई नोटिस उन्मोचित हो जाय तो उपधारा की कोई बात निदेशक को उपधारा (3) के खण्ड (तीन) और (पांच) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों से कार्यवाही करने में बाधक नहीं समझी जायेगी।

(8) यदि राज्य सरकार की राय हो कि सम्बद्ध संस्था के हित में प्रबन्ध समिति को भी तुरन्त निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उपधारा (5) के अधीन नोटिस जारी करते समय, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे प्रबन्ध समिति को निलम्बित कर सकती है और संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिये, बाद में उपधारा (6) के अधीन होने वाले आदेश तक की अवधि के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन उस दिनांक से जब वह प्रभावी हो छः मास से अधिक के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण---(एक)---सन्देहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (4) या उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट समयावधि की गणना करने में उतनी अवधि को अपवर्जित किया जायेगा जिसके दौरान आदेश का प्रवर्तन उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, निलम्बित किया गया हो।

(स्पष्टीकरण) दो---उपधारा (4) या उपधारा (6) की कोई बात राज्य सरकार को उक्त किन्हीं उपबन्धों के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति के आदेश को प्रतिसंहृत करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(9) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रक को संस्था की किसी स्थावर सम्पत्ति का ((प्रबन्ध के सामान्य-क्रम में माह प्रति माह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने किसी लिखित (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में की शक्ति है।

(10) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियन्त्रण से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमित या किसी लिखित (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि संस्था की सम्पत्ति और उससे प्राप्त किसी आय का उपयोग किसी ऐसे लिखित में यथा उपबन्धित संस्था के प्रयोजनों के लिये किया जाता रहेगा।

(11) निदेशक प्राधिकृत नियन्त्रक को ऐसे निदेश दे सकता है, जैसे वह संस्था या उसकी सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझे, और प्राधिकृत नियन्त्रक उन निदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(12) उपधारा (3) के अधीन किये गये निदेश के अनुसरण में बोर्ड द्वारा मान्यता वापस लेने के किसी आदेश और निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी, और इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जायगा।

(13) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियन्त्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनका अल्पीकरण करेंगी।

(14) उपधारा (3) से (13) की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।

*16-घ-घ (1) जहां धारा 16-घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन कोई प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय, वहां--

(क) वह सम्बद्ध संस्था और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध, उसकी प्रबन्ध समिति को अपवर्जित करके, अपने अधिकार में ले लेगा और उसे ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार आरोपित करे, ऐसी समस्त शक्तियां और प्राधिकार होंगे, जैसे समिति को प्राप्त होते यदि संस्था और उसकी सम्पत्ति उक्त उपधाराओं के अधीन अधिकार में न ली गयी होती,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियन्त्रण में संस्था की कोई सम्पत्ति हो, तुरन्त ऐसी सम्पत्ति को प्राधिकृत नियन्त्रक को सौंप देगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियन्त्रण में धारा 16-घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) में निर्दिष्ट आदेश को दिनांक को संस्था या उसकी सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज हैं, प्राधिकृत नियन्त्रक को उक्त पुस्तक और अन्य दस्तावेज देने के लिए उत्तरदायी होगा, और उन्हें उसको या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे प्राधिकृत नियन्त्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(3) प्राधिकृत नियन्त्रक संस्था या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कब्जा और नियन्त्रण दिये जाने के लिये कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, और कलेक्टर प्राधिकृत नियन्त्रक को ऐसी संस्था या सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के लिये समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विशिष्ट रूप से ऐसे बल का प्रयोग कर सकता या करा सकता है जो आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण--इस धारा और धारा 16-घ में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी संस्था के सम्बन्ध में, "सम्पत्ति" के अन्तर्गत संस्था के स्वामित्वाधीन या उसके लाभ के लिए पूर्णतः या अंशतः विन्यासित ऐसी समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति है जिसमें भूमि, भवन (छात्रावास सहित), निर्माण-कार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण उपस्कर, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, स्टोर, आटोमोबाइल और अन्य गाड़ियां, यदि कोई हो,

*इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा बढ़ाया गया।

सम्मिलित है और संस्था से सम्बन्धित अन्य वस्तुएं, हस्तस्थ, नकदी, बैंक नकदी, फीस से आय, छात्र निधि और सरकारी अनुदान, विनियोग और बही ऋण, और ऐसी सम्पत्ति से जो संस्था के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियन्त्रण में हो, उत्पन्न होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित, और समस्त लेखा बही, रजिस्टर और उससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समस्त अन्य दस्तावेज भी है और इसके अन्तर्गत संस्था पर सभी प्रकार के समस्त उधार, दायित्व और बाध्यतायें भी समझी जायेंगी।

अध्यापकों की नियुक्ति

*16-ङ † (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) संस्था के प्रधान का और संस्था के अध्यापक का पद, सिवाय पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए विहित सीमा तक के निरीक्षक को रिक्त की सूचना देने और रिक्ति को कम से कम दो समाचार-पत्रों में जिनका राज्य में पर्याप्त परिचालन हो, विहित विवरण सहित विज्ञाप्ति करने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा भरे जावेंगे।

(3) कोई व्यक्ति संस्था का प्रधान या संस्था का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि विनियमों द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता उसके पास न हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि वह व्यक्ति भी जिसके पास ऐसी अर्हता न हो नियुक्त किया जा सकता है, यदि बोर्ड ने उसको शिक्षा, अनुभव और अन्य उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उसे अर्हता मुक्त कर दिया हो।

**(4) उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में संस्था के प्रधान या संस्था के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसी फीस सहित, जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय, निरीक्षक को दिया जायगा।

**(5) (एक) उपधारा (4) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निरीक्षक ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया और सिद्धान्तों के अनुसार गुणविशेषता अंक दिलायेगा, और तत्पश्चात् आवेदन-पत्र प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा।

*(दो) आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना और चयन समिति की बैठक विनियमों के अनुसार होगी ;

---

*माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

†अधिसूचना संख्या मा-2450-15-7-8 (4)-75, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में धारा 16-ङ में जहां कहीं भी शब्द "प्रबन्धाधिकरण" आया है उसके स्थान पर शब्द 'सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था के प्रबन्ध के लिये सशक्त व्यक्ति" कर दिये गये हैं।

**उ० प्र० शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधन।

(6) चयन समिति एक सूची तैयार करेगी जिसमें प्रत्येक पद के नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये यथासाध्य तीन अभ्यर्थियों के नाम अधिमान क्रम में होंगे और ऐसी सूची के साथ अपनी सिफारिश समिति को संसूचित करेगी।

(7) उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रबन्ध समिति उपधारा (6) के अधीन चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर सर्वप्रथम चयन समिति के प्रथम अधिमान्यता प्राप्त अभ्यर्थी को और उसके पद ग्रहण करने में विफल होने पर इस धारा के अधीन चयन समिति के द्वारा तैयार की गई सूची में उसके तुरन्त बाद वाले अभ्यर्थी को और ऐसे अभ्यर्थी को भी विफलता पर उस सूची में विनिर्दिष्ट अन्तिम अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करेगी।

(8) यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति की सिफारिश से सहमत न हो तो वह असहमति के कारणों सहित मामला, संस्था के प्रधान के पद पर नियुक्ति की स्थिति में संभागीय शिक्षा उप निदेशक को और संस्था के अध्यापक के पद पर नियुक्ति की स्थिति में निरीक्षक को निर्दिष्ट करेगी, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(9) यदि नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुमोदित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस धारा में निर्धारित रीति से फिर से चयन किया जायेगा।

(10) यदि संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, राज्य सरकार का, और संस्था के अध्यापक की नियुक्ति की स्थिति में, निदेशक का यह समाधान हो जाय कि यथास्थिति, संस्था के प्रधान या अध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गई है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या निदेशक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी नियुक्ति रद्द कर सकता है और ऐसे परिणामी आदेश दे सकता है, जो आवश्यक हो।

(11) पूर्ववर्ती उपधाराओं की किसी बात के होते हुए भी किसी पदासीन व्यक्ति को छः माह से अनधिक अवधि के लिए अवकाश के अनुदान से या किसी शिक्षा सत्र के दौरान किसी पदासीन व्यक्ति की मृत्यु या सेवा* समाप्ति या अन्य प्रकार *से उत्पन्न होने वाली अस्थायी रिक्ति की दशा में नियुक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा चयन समिति को निर्देश किये बिना ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन की जा सकेगी जो विहित की जाय।

**प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन की गई कोई नियुक्ति, किसी भी स्थिति में, उस शिक्षा सत्र के जिसमें ऐसी नियुक्ति की गई हो, समाप्ति के पश्चात् बाकी नहीं रहेगी।

छटनी किये गये कर्मचारियों का आमेलन--

†16-ङङ--(1) जहां किसी संस्था के किसी कर्मचारी की छटनी 1 जुलाई, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो, और ऐसा कर्मचारी मूल नियुक्ति के दिनांक को उसके लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, वहां सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक इस निमित्त आवेदन-पत्र दिये जाने पर निदेश देगा कि इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुये

*माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

**उ० प्र० शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित।

†इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 16-ङङ बढ़ाई गई।

ऐसे कर्मचारी को उसी संस्था में या उसकी अधिकारिता के भीतर किसी जिले में स्थित किसी अन्य संस्था में होने वाली किसी स्थायी रिक्ति में आमेलित किया जाय ;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् छटनी किये गये किसी कर्मचारी के मामले में सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक, सम्बद्ध कर्मचारी के आवेदन-पत्र के बिना इस धारा के अधीन निदेश देगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के भीतर दिया जायगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा कोई निदेश जारी किया जाय, वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे ; अर्थात्--

(एक) सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति प्रत्येक ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी और ऐसे कर्मचारी को, जिसके पक्ष में ऐसा निदेश दिया जाय, समिति द्वारा उसे जारी किये गये नियुक्ति आदेश के दिनांक से या उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध समिति पर निदेश तामील किये जाने के दिनांक से दो मास की अवधि की समाप्ति से, जो भी पहले हो, ऐसी संस्था का कर्मचारी समझा जायेगा ।

(दो) ऐसे कर्मचारी द्वारा अपनी छटनी के दिनांक के पूर्व किसी संस्था में की गई मौलिक सेवा की अवधि की गणना उसकी ज्येष्ठता और पेन्शन के प्रयोजनों के लिए की जायेगी ।

(तीन) जहां सम्बद्ध कर्मचारी पद का कार्यभार इस निमित्त दिये गये समय के भीतर ग्रहण करने में चूक करता है, वहां इस धारा का लाभ उसे उपलब्ध नहीं होगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिये गये निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश की तामील के दिनांक से एक मास के भीतर निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है, और उस पर निदेशक का आदेश अन्तिम होगा ।

(5) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनार्थ :--

(क) किसी संस्था के सम्बन्ध में 'कर्मचारी' का तात्पर्य उस संस्था के ऐसे अध्यापक, संस्था के प्रधान या अन्य कर्मचारी से है जो छटनी के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को, स्थायी पद पर हो ;

(ख) "संस्था" के अन्तर्गत राज्य सरकार या निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था भी है ;

(ग) किसी संस्था के किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में "छटनी" का तात्पर्य त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त या अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड स्वरूप हटाये जाने के कारण से भिन्न किसी कारण से उसकी सेवाओं की समाप्ति से है ।

(6) इस धारा की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी ।

चयन समिति

*16-च † (1) संस्था के प्रधान के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जिसे समिति प्रस्ताव द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट करें—जो सभापति होगा ;

(दो) प्रबन्ध समिति के द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट खण्ड (एक) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न उसका एक सदस्य ;

(तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गई नामिका में से सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ जो उस जिले के न हों, जिसमें वह संस्था स्थित है ।

(2) संस्था में अध्यापक की नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन के लिये एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो सभापति होगा ;

(दो) ऐसी संस्था का प्रधान ;

(तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गई नामिका में से निरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो उस जिले के न हों, जिसमें संस्था स्थित है ।

(3) किसी ऐसी संस्था के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया हो, उस संस्था के सम्बन्ध में यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (एक) और (दो) या उपधारा (2) के खण्ड (एक) में निर्दिष्ट व्यक्ति के स्थान पर प्राधिकृत नियंत्रक रखा गया समझा जायगा ।

(4) प्रत्येक सम्भाग के लिए विहित रीति से निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक नामिका तैयार की जायगी और प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षित की जायेगी ।

(5) चयन समिति का कार्य संचालन विहित रीति में किया जायगा ।

प्रतिबन्ध यह कि किसी चयन समिति की गणपूर्ति उस समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से होगी ;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा की गई कोई सिफारिश विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि यथास्थिति, उपधारा (1) खण्ड (तीन) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों में से दो विशेषज्ञ उससे सहमत न हों ।

---

*उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित ।

†अधिसूचना संख्या मा-4250/15-7-8 (4)-75, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में धारा 16-च में जहां कहीं भी शब्द 'प्रबन्धाधिकरण" आया है उसके स्थान पर शब्द "सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था के प्रबन्ध के लिये सशक्त व्यक्ति" कर दिये गये हैं ।

(6) चयन समिति की कोई कार्यवाही केवल उसके संगठन में कोई त्रुटि या उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

अल्प संख्यक संस्थाओं के प्रति अपवाद

*16-चच--(1) धारा 16-ङ की उपधारा (4) में और धारा 16-च में किसी बात के होते हुए भी, संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट (सभापति को सम्मिलित करते हुए) पांच सदस्य होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि चयन समिति के सदस्यों में से एक--

(क) संस्था के प्रधान की नियुक्ति के मामले में निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की तैयार की गयी नामिका में से प्रबन्ध समिति के द्वारा चुना गया विशेषज्ञ होगा;

(ख) अध्यापक की नियुक्ति के मामले में सम्बद्ध संस्था का प्रधान होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति के द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाय।

(3) इस धारा के अधीन चुने गये किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक--

(क) संस्था के प्रधान के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक ने नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो; और

(ख) अध्यापक के मामले में निरीक्षक ने ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो।

(4) सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक या निदेशक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चयन का अनुमोदन नहीं रोकेगा जबकि चुना गया व्यक्ति विहित न्यूनतम अर्हताओं से युक्त और अन्यथा पात्र हो।

(5) जहां सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक या निरीक्षक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चुने गये अभ्यर्थी का अनुमोदन नहीं करता है वहां प्रबन्ध समिति ऐसे अनुमोदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर संस्था के प्रधान के मामले में निदेशक को और अध्यापक के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है।

(6) उपधारा (5) के अधीन अभ्यावेदन पर निदेशक या सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

परीक्षा के दौरान सहायता के लिये उपबन्ध--

**16-चचच--(1) बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा में उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षाफल तैयार करने के लिये प्रबन्ध समिति, संस्था के

---

*उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

**उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

प्रधान, प्रत्येक अध्यापक और अन्य कर्मचारी किसी संस्था के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन अपेक्षित सौंपी गयी या अभ्यर्पित सहायता देगा, कर्तव्यों का पालन करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) यदि निदेशक का यह समाधान हो जाये कि कोई ऐसी समिति, संस्था के प्रधान, अध्यापक या कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन या उनका परीक्षाफल तैयार करने के लिये ऐसे उपाय (जिसके अन्तर्गत संस्था के भवन, फर्नीचर या किसी सम्पत्ति का अधियाचन करना और उसे कब्जे में लेना भी है) और ऐसी अवधि के लिये कर सकता है जो उसे उसके लिये आवश्यक प्रतीत हो।

संस्थाओं के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें--

**16-छ--*(1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय और प्रबन्धाधिकरण तथा ऐसे कर्मचारी के बीच किया गया कोई करार, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों से असंगत हो, शून्य होगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है:--

(क) परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्तें और पदोन्नति तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्तें, (जिसके अन्तर्गत जांच या अपेक्षित जांच होने तक या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिये किसी दण्डित मामले में अन्वेषण, जाँच या विचार किये जाने तक निलम्बन भी है) तथा निलम्बन की अवधि के लिये उपलब्धियां और नोटिस देकर सेवा समाप्त किया जाना सम्मिलित है,

(ख) वेतन-क्रम तथा वेतनों का भुगतान,

(ग) एक मान्यताप्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण,

(घ) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि तथा अन्य लाभ, और

(ङ) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना।

---

*उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित

**अधिसूचना संख्या मा-2450/15-7-8 (4)-75, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार किसी स्थानीय निकाय द्वारा, अनुरक्षित मान्यताप्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में धारा 16-छ में--

1--जहां कहीं भी शब्द "प्रबन्धाधिकरण" आया है उसके स्थान पर शब्द "सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था के प्रबन्ध के लिये सशक्त व्यक्ति" रख दिया गया है।

2--शीर्षक में शब्द "संस्थाओं के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें" के स्थान पर "संस्थाओं के प्रधान और अध्यापकों की सेवा शर्तें" कर दिया गया है।

3--उपधारा (1) में शब्द "प्रत्येक व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक अध्यापक और संस्था का प्रधान" कर दिया गया है।

(3) (क) कोई भी प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक निरीक्षक की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना न तो सेवोन्मुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा, न पंक्तिच्युत किया जा सकेगा और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा। निरीक्षक के निर्णय की सूचना उस अवधि के भीतर दी जायेगी, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय।

(ख) निरीक्षक प्रबन्धाधिकरण द्वारा प्रस्तावित दंड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या बढ़ा सकता है या सेवायें समाप्त करने की नोटिस को स्वीकृति या अस्वीकृत कर सकता है।

प्रतिबंध यह है कि दण्ड के मामलों में निरीक्षक आदेश जारी करने के पूर्व प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक पखवारे के भीतर कारण बतायें कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय।

(ग) कोई पक्ष खंड (ख) के अधीन किसी निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध चाहे वह इंटरमीडिएट एजुकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, आदेश की सूचना पाने के दिनांक से एक माह के भीतर संभागीय शिक्षा उप-निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और संभागीय उप-निदेशक ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है, जो कि अंतिम होगा। यदि वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, संभागीय उप-निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति ने ही निरीक्षक की हैसियत से दिया था तो निदेशक के आदेश से वह अपील किसी अन्य सम्भागीय उप-निदेशक को निर्णय के लिए संक्रमित हो जायेगी और इस खण्ड के उपबंध उस संभागीय उप-निदेशक के निर्णय के संबंध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानों वह अपील हुई थी।

(घ) खंड (ग) के अधीन, जैसा कि वह इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व था, प्रस्तुत की गयी सभी अपीलें जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व निर्णय के लिये विचाराधीन थीं, उक्त अधिनियम द्वारा यथा प्रतिस्थापित खंड (ग) के अनुसार संभागीय शिक्षा उप-निदेशक द्वारा निर्णीत की जायेंगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश या निर्णयों पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जायेगी और संबंधित पक्ष आदेश या निर्णय में दिये गये निदेशों को उस अवधि के भीतर, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, निष्पादित करने के लिये बाध्य होंगे।

*(5) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धाधिकरण द्वारा निलम्बित नहीं किया जायगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण की राय में--

(क) उसके विरुद्ध आरोप इतना गम्भीर न हो कि उससे उसको पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्तिच्युत करना, उचित समझा जाय; या

(ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

---

*उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा उपधारा 5 संशोधित हुई तथा उपधारा 6 से 9 तक बढ़ायी गयी।

(ग) उसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिये दण्ड विषयक मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक पतन संसहित है ।

(6) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तब उसकी सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रारम्भ के दिनांक से 30 दिन के भीतर, यदि निलम्बन आदेश ऐसे प्रारम्भ के पूर्व पारित किया गया था, और किसी अन्य मामले में निलम्बन के आदेश के दिनांक से सात दिन के भीतर निरीक्षक को दी जायेगी और ऐसे विवरण जो विहित किया जाय और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे ।

(7) निलम्बन का कोई आदेश, जब तक कि निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के दिनांक से या यथास्थिति, उस आदेश के दिनांक से साठ दिन से अनधिक अवधि के लिये प्रवृत्त न रहेगा और निरीक्षक का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी ।

(8) यदि, किसी समय, निरीक्षक का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना विलम्ब किया जा रहा है तो निरीक्षक प्रबन्धाधिकरण को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस धारा के अधीन दिये गये निलम्बन के आ प्रतिसंहृत कर सकता है ।

(9) इस उपधारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उप-शिक्षा निदेशक (महिला) के समक्ष विचाराधीन सभी अपीलें संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) को निस्तारण के लिये अन्तरित हो जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के प्रारम्भ होने के पूर्व उप-शिक्षा निदेशक (महिला) ने किसी ऐसी अपील की सुनवाई प्रारम्भ कर दी हो तो अपील का निस्तारण स्वयं उप-शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी बालिका संस्था के सम्बन्ध में पद "संभागीय शिक्षा उप-निदेशक" का तात्पर्य संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) से होगा ।

तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति को विनियमित करना--

*16-छछ (1) धारा 16-ङ, 16-च और 16-चच में किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था के अध्यापक को जो 18 अगस्त, 1975 और 30 सितम्बर, 1976 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं), के बीच स्पष्ट रिक्ति में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है और विहित अर्हताएं रखता है या जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गई है, इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से, मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायेगा, बशर्तें कि ऐसा अध्यापक अपनी नियुक्ति के दिनांक से इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य करता रहा हो ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, वह अवधि जिसमें अध्यापक की सेवा में उसकी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक और इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक के बीच कोई

---

*उ0 प्र0 शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1977) द्वारा बढ़ाया गया ।

व्यवधान किसी कारण से हुआ है जो उसके दुराचरण या स्वेच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि ऐसा अध्यापक अपनी सेवा में व्यवधान की किसी ऐसी अवधि के लिये किसी वेतन या भत्ते का हकदार है।

(2) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में, नियुक्त समझे गये प्रत्येक अध्यापक को इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा।

(3) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कोई अध्यापक--

(क) किसी पद पर मौलिक नियुक्ति का हकदार है, यदि इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक पर ऐसे पद पर पहले ही नियुक्ति कर दी गयी है या ऐसे पद के लिये इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार चयन किया जा चुका है, या

(ख) मौलिक नियुक्ति का हकदार है यदि ऐसा अध्यापक सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या प्राचार्य (प्रिन्सिपल) या प्रधानाध्यापक (हेड मास्टर) का सम्बन्धी है।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक दूसरे से सम्बन्धित समझा जायगा, यदि--

(क) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हों, या

(ख) वे पति और पत्नी हों या

(ग) *द्वितीय अनुसूची में इंगित रीति से एक-दूसरे से सम्बन्धित हों।

संस्थाओं के कतिपय वर्गों को कुछ धाराओं के प्रचलन से मुक्ति--

16-ज--(1) धारा 16-क, 16-ख, 16-ग, धारा 16-घ की उपधारा (2) से उपधारा **(13) तक के तथा धारा 16-ङ, 16-च तथा 16-छ के उपबन्ध राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित मान्यताप्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

(2) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यताप्राप्त संस्थाओं की दशा में राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि उन पर उपधारा (1) में उल्लिखित समस्त या कोई उपबन्ध लागू नहीं होंगे, या वे ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों या परिवर्धनों के साथ लागू होंगे, जो वह करे†† और इस प्रकार लागू किये गये उपबन्ध, यदि कोई हों तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

---

*उ0 प्र0 शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा बढ़ाया गया।

**इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा संशोधित किया गया।

††उ0 प्र0 शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 द्वारा संशोधित।

16-क—राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए निदेशक सरकारी गजट विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदान किये गये समस्त या किन्हीं अधिकारों को सिवाय उन अधिकारों के, जिनका प्रयोग वह बोर्ड के सभापति के रूप में करता है, शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को जो शिक्षा उप निदेशक से भिन्न श्रेणी के न हों, प्रतिनिहित कर सकता है ।

17—(निकाल दिया गया) ।

आकस्मिक रिक्तियां

†18- बोर्ड या बोर्ड द्वारा निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किसी समिति के सदस्यों में (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) होने वाली समस्त रिक्ति की पूर्ति यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायगी जिसने उस सदस्य को, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया हो, जिसका स्थान रिक्त हुआ हो और किसी आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति बोर्ड या समिति का उस शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा, जिसके लिये वह व्यक्ति सदस्य रहता, जिसके स्थान में उसकी नियुक्ति हुई हो ।

कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अवैध न होंगी

19—बोर्ड या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अवैध न होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थीं ।

बोर्ड तथा समितियों का उप विधियां बनाने का अधिकार

20—(1) बोर्ड तथा उसकी समितियां इस अधिनियम तथा विनियमों से संगत उपविधियां बना सकती हैं जिनमें—

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय, जो इस अधिनियम तथा विनियमों से संगत होते हुए उप विधियों द्वारा विहित किये जाने हैं ; और

(ग) केवल बोर्ड तथा उसकी समितियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय, जिनकी इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गयी हो ।

(2) बोर्ड और उसकी समितियां बोर्ड या समिति के सदस्यों को बैठकों के दिनांक और उनमें संपादित किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा बैठक की कार्यवाही का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिये उपविधियां बनायेंगी ।

(3) बोर्ड, समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निर्देश दे सकता है और समिति ऐसे किसी निर्देश को कार्यान्वित करेगी ।

---

†उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित ।

सद्भावना से किये गये कार्य आदि के लिये संरक्षण

21—राज्य सरकार, बोर्ड या उसकी किसी समिति अथवा बोर्ड या किसी समिति के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत हो।

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक

22—इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश अथवा निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

---

*प्रथम अनुसूची

धारा 3 (1) के खंड (ग) के अधीन बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन

1—धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :—

पदाधिकारी—

(क) बोर्ड का सचिव, मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी होगा;

(ख) सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक, शिक्षक निर्वाचन अधिकारी होगा ;

(ग) जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी होगा।

2—संस्थाओं के प्रधान और अध्यापक निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

मतदाताओं की अर्हतायें—

(एक) संस्थाओं के ऐसे प्रधान, जो निर्वाचन के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती 1 अगस्त को इस रूप में स्थायी हों, और

(दो) हाई स्कूलों और इंटरमीडिएट कालेजों के ऐसे अध्यापक, जो निर्वाचन के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती 1 अगस्त को इस रूप में स्थायी हों।

स्पष्टीकरण—(एक) संस्था के प्रधान या अध्यापकों के पदों के स्थायी पदधारी, जो छुट्टी पर हों, निर्वाचकगण में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे।

(दो) ऐसे हाई स्कूल की स्थिति में, जिसे निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 1 अगस्त के पश्चात् इंटरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता दी गयी हो, यदि ऐसे स्कूल का प्रधानाध्यापक स्थायी से भिन्न हैसियत से ऐसे कालेज के प्रिंसिपल या अध्यापक का पद धारण करता हो तो ऐसा व्यक्ति, यदि वह इस निमित्त अन्यथा अर्ह हो, निर्वाचकगण में सम्मिलित किये जाने के लिये हकदार होगा।

---

*उ० प्र० शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा सम्मिलित।

निर्वाचक होने के लिये अनर्हता—

3—कोई व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में धारा 16–छ की उपधारा 7 के अधीन निरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित कोई निलम्बनादेश पैरा 2 में निर्दिष्ट सुसंगत दिनांक को प्रवृत्त हो, निर्वाचकगण का सदस्य रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायगा।

निर्वाचित होने के लिये पात्रता—

4—(1) संस्था का कोई प्रधान निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को ऐसी संस्था के प्रधान के रूप में कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव न हो।

(2) कोई अध्यापक निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती तीस जून को अध्यापक के रूप में कुल मिला कर कम से कम दस वर्ष का अनुभव न हो।

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजनों के लिये उस अवधि की भी गणना की जायेगी जिसमें, यथास्थिति, ऐसी संस्था के प्रधान या अध्यापक ने अस्थायी हैसियत से पदधारण किया हो।

निर्वाचन क्षेत्र—

5—(1) निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्र शिक्षा सम्भाग होंगे।

(2) केवल एक संस्था प्रधान और एक अध्यापक प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजनार्थ, पदावलि "शिक्षा सम्भाग" का तात्पर्य उस शिक्षा सम्भाग से है जिसमें ऐसे जिले होंगे जिन्हें राज्य सरकार किसी शिक्षा उप निदेशक के प्रभार में रखे।

निर्वाचक नामावली—

6—(1) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली में उस निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट जिलों की निर्वाचक नामावलियां होंगी।

(2) प्रत्येक जिले की निर्वाचक नामावली सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी ऐसे रूप में तैयार करेगा जैसा मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी निदेश दे।

सूचना मांगने की सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी की शक्ति—

7—कोई निर्वाचक नामावली तैयार करने का निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में कोई बाधा या आपत्ति विनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति किसी संस्था का कोई रजिस्टर, अभिलेख या दस्तावेज देख सकेगा और प्रत्येक व्यक्ति का जिसका ऐसी संस्था के प्रशासन पर नियंत्रण है या जो उससे सम्बद्ध हो, यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त अधिकारी या व्यक्ति को ऐसी सूचना दे दें जिसकी वह अपेक्षा करे।

निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन—

8—जैसे ही निर्वाचक नामावली तैयार हो जाय, वैसे ही सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी नामावली के प्रारूप को प्रकाशित करेगा और उसे—

(एक) अपने कार्यालय में और,

(दो) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में,

(तीन) ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर जैसा मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी निदेश दें,

निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराया जायगा।

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में दावा और आपत्तियां--

9--(1) निर्वाचक नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिये प्रत्येक दावा और उसमें की गयी किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में प्रत्येक आपत्ति पैरा 8 के अधीन निर्वाचक नामावली के प्रारूप के प्रकाशन के दिनांक से दस दिन की अवधि के भीतर सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने के सम्बन्ध में या उसमें सम्मिलित किसी प्रविष्टि के किसी विवरण के सम्बन्ध में, आपत्ति केवल उस व्यक्ति द्वारा की जायगी जिसका नाम पहले से उस नामावली में सम्मिलित है।

(2) प्रत्येक ऐसा दावा या आपत्ति लिखित रूप में होगी और उस पर दावा या आपत्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

समय के भीतर न प्राप्त हुए दावा और आपत्तियों का अस्वीकार किया जाना--

10--कोई दावा या आपत्ति, जो पैरा 9 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न की जाय या उस व्यक्ति द्वारा की जाय जो ऐसा करने के लिये हकदार न हो, अस्वीकार कर दी जायेगी।

दावा आपत्तियों का निस्तारण--

11--(1) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक ऐसे दावा या आपत्ति के, जिसे पैरा 10 के अधीन अस्वीकार किया गया हो, निस्तारण के लिये कोई दिनांक निर्धारित करेगा और ऐसे दिनांक की नोटिस--

(क) किसी दावा की स्थिति में, दावा करने वाले व्यक्ति को देगा;

(ख) निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में किसी आपत्ति की स्थिति में आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को और उस व्यक्ति को भी देगा जिसके नाम के सम्बन्ध में ऐसी आपत्ति की गई हो;

(ग) निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि के विवरण के सम्बन्ध में किसी आपत्ति की स्थिति में, आपत्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को और ऐसी आपत्ति से प्रभावित व्यक्ति को देगा।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन निर्धारित दिनांक को सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक दावा या आपत्ति की सरसरी तौर से जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा।

(3) जांच के दौरान दावेदार या यथास्थिति आपत्तिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उप पैरा (1) के अधीन नोटिस दी गयी हो, उपस्थित होने और सुनवाई का हकदार होगा।

(4) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी स्वविवेक से--

(क) किसी ऐसे दावेदार, आपत्तिकर्ता या व्यक्ति से अपने समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) अपेक्षा कर सकता है कि किसी ऐसे दावेदार, आपत्तिकर्ता या व्यक्ति को दिया गया साक्ष्य शपथ पर दिया जाय और इसके लिये शपथ दिला सकता है।

(5) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी जांच पूरी हो जाने के पश्चात् उस उप पैरा (2) के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा। और उसे पैरा 8 के अधीन प्रकाशित निर्वाचक नामावली के प्रारूप में समाविष्ट करेगा।

(6) एतद्पूर्व दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक नामावली में किसी लिपिकीय, टंकण या मुद्रण सम्बन्धी भूल या अशुद्धि को ठीक कर सकता है।

सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन—

12-(1) पैरा 11 के उप पैरा (2) के अधीन सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के विनिश्चय से कोई व्यक्ति संसूचना के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर उसका आदेश अन्तिम होगा।

(2) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उप पैरा (1) के अधीन पारित आदेश को कार्यान्वित करेगा।

निर्वाचन के लिये अधिसूचना—

13-मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना द्वारा, निर्वाचकगण के सदस्यों से अधिनियम के उपबन्धों और इस अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनुसार संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों का निर्वाचन करने को कहेगा।

निर्वाचन के सम्बन्ध में दिनांक का निर्धारण—

14-पैरा 13 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने के पश्चात् यथाशीघ्र मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना द्वारा—

(क) नामांकन करने के लिये अन्तिम दिनांक नियत करेगा जो पैरा 13 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक के पन्द्रह दिन से कम न होगा;

(ख) नामांकनों की संवीक्षा करने के लिये दिनांक नियत करेगा जो नामांकन करने के लिये अन्तिम दिनांक के बाद पांचवें कार्य दिवस के पश्चात् का दिनांक न होगा;

(ग) उम्मीदवारी वापस लेने के लिये अन्तिम दिनांक नियत करेगा जो नामांकनों की संवीक्षा के दिनांक के बाद सातवें कार्य दिवस के पश्चात् का दिनांक न होगा;

(घ) ऐसा या ऐसे दिनांक नियत करेगा जब मतदान यदि आवश्यक हो, किया जायेगा जो दिनांक या जिसमें से प्रथम दिनांक उम्मीदवारी वापस लेने के लिये अन्तिम दिनांक से पन्द्रवें दिन के पहले का दिनांक नहीं होगा।

निर्वाचन के लिये उम्मीदवारों का नामांकन—

15-संस्था का, यथास्थिति, कोई प्रधान या अध्यापक अपने से भिन्न किसी व्यक्ति के नाम का सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये प्रस्ताव कर सकता है, बशर्ते

ऐसा व्यक्ति निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हो और उसके पास इस अधिनियम में निर्धारित अर्हतायें हों, और यह भी कि प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्तियों के नाम सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचक नामावली में आये हों।

नामांकन-पत्र का प्रस्तुत किया जाना और विधिमान्य नामांकन पत्रों के लिये अपेक्षाएं--

16--(1) पैरा 14 के खंड (क) के अधीन नियत दिनांक को या उसके पूर्व, प्रत्येक उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक या तो स्वयं या रजिस्ट्रीकृत, द्वारा विहित प्रपत्र में (जिसे शिक्षक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जायेगा) भरा गया और उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन-पत्र शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को उसके कार्यालय में 11 बजे पूर्वाह्न और 4 बजे अपराह्न के बीच मुहरबन्द लिफाफे में परिदत्त करेगा या करायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिये सम्यक् रूप से नामांकित नहीं समझा जायेगा जब तक कि वह--

(एक) ऐसे व्यक्ति की स्थिति में, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य हो, एक सौ रुपये की राशि;

(दो) किसी अन्य स्थिति में दो सौ रुपये की राशि; जमा न करे या करायें।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई उम्मीदवार एक ही हो निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए और एक से अधिक नामांकन-पत्रों द्वारा नामांकित किया गया हो, वहां उससे एक से अधिक राशि जमा करने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

(2) इन पैरों की कोई बात किसी उम्मीदवार को एक से अधिक नामांकन-पत्रों द्वारा नामांकित किये जाने से प्रतिसिद्ध नहीं करेगी।

(3) उप पैरा (1) के अधीन जमा की गई कोई धनराशि उस उम्मीदवार को प्रतिसंदाय की जा सकेगी जिसे एतद्द्वारा दिये गये उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित घोषित किया जाय।

नामांकन-पत्र पर पृष्ठांकन--

17--कोई नामांकन-पत्र प्राप्त होने पर, शिक्षक निर्वाचन अधिकारी ऐसे नामांकन पत्र पर प्राप्ति का दिनांक और समय और उस व्यक्ति का नाम, यदि कोई हो, जिसके द्वारा वह प्रस्तुत किया जाय, पृष्ठांकित करेगा और मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में और रीति से नामांकन-पत्रों की सूची प्रकाशित करेगा।

नामांकन-पत्रों की संवीक्षा--

18--(1) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी पैरा 16 में विहित रीति से नामांकन-पत्रों की संवीक्षा करेगा।

(2) पैरा 14 के अधीन नामांकन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित दिनांक को, उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक या उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, नामांकन-पत्रों की संवीक्षा के समय उपस्थित हो सकता है और शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उसे किसी नामांकन-पत्र की जांच करने के लिये समस्त युक्तियुक्त सुविधायें देगा।

(3) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी समस्त नामांकन-पत्रों की जांच करने के पश्चात् उन पर आपत्ति विनिश्चय अभिलिखित करेगा और उन समस्त आपत्तियों पर विनिश्चय

देगा जो किसी नामांकन के विरुद्ध की जाय और या तो ऐसी आपत्ति पर या स्वप्रस्ताव से ऐसी सरसरी तौर से जांच, यदि कोई हो, जिसे आवश्यक समझा जाये, करने के पश्चात् किसी नामांकन-पत्र को अस्वीकार कर सकता है।

(4) किसी उम्मीदवार का नामांकन किसी नामांकन-पत्र के सम्बन्ध में किसी अनियमितता के कारण अस्वीकार नहीं किया जायेगा, यदि उम्मीदवार किसी अन्य नामांकन-पत्र द्वारा जिसके सम्बन्ध में कोई अनियमितता न की गयी हो, सम्यक् रूप से नामांकित किया गया है।

(5) नामांकन-पत्रों की समीक्षा कर देने और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का विनिश्चय कर लेने के पश्चात् शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा जिनका नामांकन विधिमान्य पाया जाये और उसे अपने, शिक्षा उप निदेशक और सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं और निरीक्षक के कार्यालयों में सूचना-पट्टों पर चिपकवायेगा सूची की एक प्रति मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को भी भेजी जायेगी।

(6) नामांकन की विधिमान्यता या अविधिमान्यता के सम्बन्ध में शिक्षक निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

उम्मीदवारी वापस लेना--

19--(1) कोई उम्मीदवार विहित प्रपत्र में (जिसे शिक्षक निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जायेगा) लिखित नोटिस द्वारा, जिसे पैरा 14 के खंड (ग) के अधीन नियत अंतिम दिनांक तक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा, अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है।

किसी व्यक्ति को जिसने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिये उप पैरा (1) के अधीन नोटिस दी है, उम्मीदवारी वापसी की अपनी नोटिस को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

मतदान कराने की शर्तें--

20--(1) यदि उस अवधि को, जिसके भीतर पैरा 19 के अधीन उम्मीदवारों से नाम वापस लिया जा सकता है, समाप्ति के पश्चात्--

(क) ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जिनका नामांकन विधिपूर्वक किया गया हो और जिन्होंने इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से और समय के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अनधिक हो तो शिक्षक निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(ख) ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिनका नामांकन सम्यक् रूप से किया गया हो और जिन्होंने इस प्रकार अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अधिक हो तो शिक्षक निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र में एक सूची तैयार करेगा जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों का वर्णमाला क्रम में नाम, जैसा कि नामांकन-पत्र में दिया गया हो और उनका पद नाम होगा।

(2) संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों के लिये ऐसी सूची पृथक्-पृथक तैयार की जायेगी और उन्हें मतदान-पत्रों के मुद्रण के लिए मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पास तुरंत भेजी जायेगी।

(3) मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पा पर्याप्त संख्या में मतदान-पत्र और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूचं भेजेगा ।

मतों का अभिलिखित किया जाना--

31--(1) मतदान, सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित मतदा केन्द्रों पर 8 बजे प्रातःकाल और 5 बजे सायंकाल के बीच गुप्त रीति से किय जायेगा ।

(2) मत देने के लिये इच्छुक निर्वाचक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह इ निमित्त निर्धारित मतदान केन्द्रों पर स्वयं जाये और वहां अपना मत दे ।

(3) मतदान की समाप्ति के पश्चात् सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी मतपेटि को मुहरबन्द करेगा और उन्हें ऐसे निरापद स्थान में रखेगा जो मुख्य शिक्षक निर्वाच अधिकारी विनिश्चित करे । तत्पश्चात् मतों की गणना तुरन्त प्रारम्भ की जायगी ।

(4) सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी मतदान के समय मतदान केन्द्र पर औ मतगणना के समय मतगणना स्थल पर उम्मीदवार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता व उपस्थित होने की अनुज्ञा दे सकता है । उम्मीदवार, अभिकर्ता की नियुक्ति व अनुमोदन मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम एक घंटा पूर्व सहायक शिक्षक निर्वाच अधिकारी से लेगा ।

मतदान का स्थान--

22--(1) यदि किसी निर्वाचन में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान के लिये निर्धारित किसी स्थान पर मतदान कराना सम्भव न हो तो मतदान उस दिनांक तक के लिये स्थगित किया जा सकता है जिसे बाद में अधिसूचित किया जायेगा ।

(2) जहां उप पैरा (1) के अधीन मतदान स्थगित किया जाये, वहां परिस्थितियों की रिपोर्ट मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी और शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त की जायेगी ।

(3) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमोदन से, ऐसा दिनांक नियत करेगा जब मतदान पुनः प्रारम्भ होगा और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा स्थगित मतदान पूर्ण न हो जाये और ऐसे मतदान में दिये गये मतों की सम्यक् रूप से गणना न हो जाय ।

मतों की गणना--

23--(1) जिन पेटियों में मत-पत्र हों, उन्हें सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में खोला जायेगा तत्पश्चात् दिये गये मतों की गणना शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की सहायता से सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में की जायेगी । यदि मतदाता ने अपेक्षित संख्या से अधिक मत अभिलिखित किया है तो उसका मत-पत्र अविधिमान्य घोषित किया जायेगा । इस निमित्त सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) जैसे ही मतों की गणना समाप्त हो जाये वैसे ही सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी, शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के पास निम्नलिखित तुरन्त भेजेगा :

(1) मुहरबन्द आवरण में मतों की गणना का विवरण-पत्र;

(2) पृथक् मुहरबन्द आवरण में प्रयुक्त मूल मत-पत्र;

(3) पृथक् मुहरबन्द आवरण में, अप्रयुक्त मत-पत्र;

(4) पृथक् मुहरबन्द आवरण में चिह्नित निर्वाचक नामावली, और

(5) मुहरबन्द आवरण में, प्रयुक्त और अप्रयुक्त मत-पत्रों का विवरण-पत्र।

परिणाम की घोषणा--

24--(1) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी पैरा 23 के अधीन प्राप्त मतगणना के विवरण-पत्रों को समेकित करेगा और ऐसे उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा जिसको सबसे अधिक संख्या में मत मिला हो।

(2) दो या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर-बराबर संख्या में मत प्राप्त होने की दशा में शिक्षक निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों, या उनमें से ऐसे उम्मीदवारों, जो उपस्थित होना चाहे, की उपस्थिति में पर्ची डालकर उसका विनिश्चय करेगा और उस उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा जिसके पक्ष में पर्ची निकले।

परिणाम की सूचना--

25--(1) किसी निर्वाचन का परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, शिक्षक निर्वाचन अधिकारी, मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी, और राज्य सरकार को ऐसे प्रपत्र में, जिसे विहित किया जाये परिणाम की रिपोर्ट भेजेगा।

(2) शिक्षक निर्वाचन अधिकारी समस्त सफल उम्मीदवारों को भी ऐसे निर्वाचन के परिणाम के बारे में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अलग-अलग सूचना भेजेगा।

मतदान-पत्रों का परिरक्षण--

26--मतदान-पत्र और समस्त अन्य संबंधित दस्तावेज और सामग्री पैरा 24 के अधीन परिणाम की घोषणा किये जाने के दिनांक से एक वर्ष तक मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में परिरक्षित की जायेगी।

सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी की शक्ति--

27--मुख्य शिक्षक निर्वाचन अधिकारी के निदेशानुसार सहायक शिक्षक निर्वाचन अधिकारी को अपने जिले में निर्वाचन का संचालन करने के लिये आवश्यक कर्मचारीगण की नियुक्ति करने या उनमें कोई परिवर्तन करने या किसी व्यक्ति को हटाने की शक्ति होगी।

अव्यवस्थित विषयों के लिए सभापति की शक्ति--

28--निर्वाचन से सम्बन्धित कोई विषय जिसके लिये अधिनियम के अधीन कोई उपलब्ध न हो, सभापति के आदेश से विनियमित किया जायेगा जिसका उक्त विषय में विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।

*द्वितीय "अनुसूची"

(धारा 16 छछ के सन्दर्भ में)

सम्बन्धियों की सूची

1—पिता

2—माता (जिसमें सौतेली माता भी सम्मिलित है)

3—पुत्र (जिसमें सौतेला पुत्र भी सम्मिलित है)

4—पुत्र-वधू

5—पुत्री (जिसमें सौतेली पुत्री भी सम्मिलित है)

6—दादा

7—दादी

8—नानी

9—नाना

10—पौत्र

11—पौत्र-वधू

12—पौत्री

13—पौत्री का पति

14—दामाद

15—नाती

16—नाती की पत्नी

17—नातिन

18—नातिन का पति

19—भाई (जिसमें सौतेला भाई भी सम्मिलित है)

20—भाई की पत्नी

21—बहिन (जिसमें सौतेली बहन भी सम्मिलित है)

22—बहनोई

23—पत्नी (या पति) का भाई

24—ससुर

25—साली या ननद

5—भतीजा

27—भतीजी

---

*उ0 प्र0 शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम (उ0 प्र0 अधिनियम, संख्या 5), 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

**"तृतीय अनुसूची"

(धारा 16-ग के सन्दर्भ में)

सिद्धान्त जिन पर प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जायगा--

प्रत्येक प्रशासन योजना में--

(1) प्रबन्ध समिति के समुचित और प्रभावी कार्य करने की व्यवस्था होगी ;

(2) नियतकालिक निर्वाचनों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन करने की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी ;

(3) प्रबन्ध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की अर्हताओं और अनर्हताओं और उनकी पदावधि की व्यवस्था होगी ;

†प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रशासन योजना में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति, जाति, पंथ या परिवार विशेष के पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हों ।

(4) बैठक बुलाने और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी ;

(5) यह व्यवस्था होगी कि सभी विनिश्चय प्रबन्ध समिति द्वारा किये जायं और प्रत्यायोजन की शक्ति, यदि कोई हो सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होगी ;

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रबन्ध समिति और उसके पदधारियों की शक्तियां और कर्तव्य स्पष्टरूप से परिभाषित हों ;

(7) संस्था की संपत्ति के अनुरक्षण और उसकी सुरक्षा और उसकी निधि का उपयोग करने की भी और लेखों की नियमित जांच और लेखा परीक्षा की भी व्यवस्था होगी ।

**इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा बढ़ाया गया ।

†इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1981 द्वारा संशोधित ।

"अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत आदेश तथा विज्ञप्तियां"

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्या मा-4696/15-7-2(8)-75

लखनऊ, 18 अगस्त, 1975

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1975

चूंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1975) की धारा 14 के कतिपय उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हुई है ;

अतएव, अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देना आवश्यक समझते हैं :

1—(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1975 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2—(क) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 14 में किसी बात के होते हुये भी, चालू शिक्षा सत्र के दौरान किसी संस्था के प्रधान या संस्था के किसी अध्यापक के पद में कोई मौलिक या अवकाश रिक्ति या कोई वर्तमान या होने वाली रिक्ति प्रबन्ध समिति द्वारा आगे व्यवस्थित रीति से तदर्थ आधार पर उतनी अवधि तक के लिये भरी जा सकती है, जो किसी भी दशा में छः मास से अधिक न हो, जब तक कि उपर्युक्त धारा 4 के अनुसार यथाविधि चयन किया गया कोई व्यक्ति ऐसी रिक्ति पर नियुक्त न किया जाय।

(ख) संस्था के प्रधान की रिक्ति :—

(1) इन्टरमीडिएट कालेज की दशा में, प्राध्यापक की श्रेणी में संस्था के वरिष्ठतम अध्यापक द्वारा,

(2) चालू शिक्षा सत्र के दौरान इन्टरमीडिएट कालेज के स्तर तक बढ़ाये गये हाई स्कूल या हाई स्कूल के स्तर तक बढ़ाये गये जूनियर हाई स्कूल की दशा में, यथास्थिति, ऐसे हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा ;

भरी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति, ऐसे ज्येष्ठतम अध्यापक या प्रधानाध्यापक का सेवा अभिलेख अच्छा हो, और वह प्रशासनिक योग्यता रखता हो,

(ग) प्राध्यापक श्रेणी या एल0 टी0 श्रेणी या सी0 टी0 श्रेणी के किसी अध्यापक के पद में रिक्ति क्रमशः एल0 टी0 श्रेणी, सी0 टी0 श्रेणी और जे0 टी0 सी0/बी0 टी0 सी0 श्रेणी के ज्येष्ठतम द्वारा भरी जायगी।

(घ) जहाँ पूर्ववर्ती खंडों में निर्धारित रीति से कोई रिक्ति न भरी जा सकती हो, वहाँ रिक्ति को उतनी ही अधिकतम अवधि के लिये, जितनी कि खंड (क) में निर्धारित है, तीन सदस्यों की एक चयन समिति द्वारा, जिसे इस प्रयोजन के लिये प्रबन्ध समिति द्वारा तदर्थ आधार पर गठित किया जा सकता है, चयन के पश्चात् बाह्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति करके तदर्थ आधार पर भरा जा सकता है।

(ङ) खंड (ख), (ग) या (घ) के अधीन नियुक्त किये जाने का पात्र होने के लिये किसी व्यक्ति में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कलेन्डर के अध्याय दो के विनियम 1 में निर्दिष्ट परिशिष्ट "क" में विहित न्यूनतम अर्हतायें होनी चाहिये।

(च) जहां मतभेद या विवाद के कारण अथवा किसी अन्य कारणवश कोई ऐसी प्रबन्ध समिति न हो जिसका संस्था के कार्यकलापों के सम्बन्ध में वास्तविक नियन्त्रण हो या उसे उक्त रूप में निरीक्षक द्वारा मान्यता न दी गयी हो तथा ऐसी संस्था के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त न किया गया हो वहां पूर्ववर्ती खंडों में उल्लिखित प्रबन्ध समिति की शक्तियों का प्रयोग संस्था के प्रधान की नियुक्ति की दशा में, निरीक्षक द्वारा और किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में सम्बद्ध संस्था के प्रधान द्वारा किया जायगा।

(छ) पूर्ववर्ती खंडों के अधीन की गयी समस्त नियुक्तियों की सूचना, यथाशीघ्र निरीक्षक को दी जायगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में उसकी अर्हताओं तथा अनुभव के ब्योरे दिये जायेंगे और निरीक्षक को पूर्ववर्ती उपबन्धों के उल्लंघन में की गयी किसी नियुक्ति को अनुमोदित करने की शक्ति होगी जिस पर प्रश्नगत नियुक्ति समाप्त हो जायगी। इस सम्बन्ध में निरीक्षक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

आज्ञा से,
शशि भूषण शरण,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्या मा-687/पन्द्रह (7)-1976

लखनऊ, दिनांक 17 फरवरी, 1976

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1976

चूंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 26, 1975) के उपबन्धों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के

दिनांक पर विचाराधीन कतिपय कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कार्यान्वित करने में कठिनाई उत्पन्न हुयी है;

और चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 14 के कतिपय उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कठिनाई अभी भी विद्यमान है और यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1975 के अधीन की गयी तदर्थ नियुक्तियों की अवधि को बढ़ाया जाय;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं :

1--(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1976 कहा जायगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2--इस आदेश में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य यू० पी० इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 से है,

(ख) "संशोधित अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि, (संशोधन) अधिनियम, 1975 से है ;

(ग) "कठिनाइयों को दूर करना (प्रथम) आदेश" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना), आदेश, 1975 से है जो उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, दिनांक 18 अगस्त, 1975 में उसी दिनांक की अधिसूचना संख्या सा0-4696/15-7-2 (8)-75 के अधीन प्रकाशित किया गया है ।

3--अधिनियम के द्वारा या अधीन जैसा स्पष्टतया उपबन्धित है, उसके सिवाय--

(क) कोई प्रस्ताव, जो अधिनियम की धारा 16-च की उपधारा (2) के अधीन 7 जुलाई, 1975 के पूर्व प्राप्त हो गया था और जिस पर कोई निर्णय किसी वाद या कार्यवाही में दिये गये किसी आदेश के कारण नहीं दिया जा सका, उस वाद या कार्यवाही का अन्तिम रूप से निस्तारण किये जाने पर और उसमें किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी निदेश की अधीनता में निरीक्षक द्वारा अध्यापक की स्थिति में और सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक की स्थिति में धारा 16-च की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वह संशोधन अधिनियम किये जाने के पूर्व था, निर्णीत किया जायग;

(ख) कोई प्रत्यावेदन, जो अधिनियम की धारा 16-च की उपधारा (3) के अधीन प्रबन्धतन्त्र द्वारा किया गया था और जो संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक की स्थिति में और शिक्षा निदेशक द्वारा प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक की स्थिति में धारा 16-च की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार, जैसा कि वह संशोधन अधिनियम के अधिनियमित किये जाने के पूर्व था, निर्णीत किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि बालिका विद्यालय की स्थिति में, उप शिक्षा निदेशक (महिला) इस खंड के अधीन उन शक्तियों का प्रयोग और उन कर्तव्यों का पालन करेंगी जो सम्भागीय उप-शिक्षा निदेशक को प्रदत्त किये गये हों या सौंपे गये हों ।

4--कठिनाइयों को दूर करना (प्रथम) आदेश के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) में--

(1) शब्द "छः मास से अधिक" के स्थान पर शब्द "30 जून, 1976 के पश्चात्" रख दिये जायेंगे।

(2) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा :--

"प्रतिबन्ध यह है कि दीर्घविकाश वेतन (वेकेशन पे) ऐसे तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये संस्था के प्रधान या अध्यापक को ही अनुमन्य होगा जिसने ऐसी नियुक्ति के दिनांक से शिक्षा सत्र के अन्तिम कार्य दिवस तक कम से कम छः मास की अवधि के लिये अविच्छिन्न रूप में और संतोषजनक ढंग से कार्य किया हो।"

आज्ञा से,
शशि भूषण शरण,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्या मा0-2125/पन्द्रह (7)-76-2 (28)-1975

लखनऊ, दिनांक 28 जून, 1976

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1976

चूंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1975) की धारा 14 के कतिपय उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कठिनाई अभी भी विद्यमान है और यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1975 को संशोधित किया जाय।

अतएव, अब उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं :--

1--(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1976 कहा जायगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2--उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1976 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1975 के खण्ड 2 के उप खण्ड (क) में शब्द

"30 जून, 1976 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द "30 सितम्बर के पश्चात्" रख दिये जायं।

आज्ञा से,
शशि भूषण शरण,
आयुक्त एवं सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्या मा0-5131/पन्द्रह—7-76-2(28)-75

लखनऊ, दिनांक 24 दिसम्बर, 1976

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, 1976।

चूंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1975) की धारा 14 के कतिपय उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कठिनाई अभी भी विद्यमान है और यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1975 को संशोधित किया जाय।

अतएव, अब उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं :—

1—(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, 1976 कहा जायगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1976 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1975 से खंड 2 के उप खंड (क) में शब्द "30 सितम्बर, 1976 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द "15 नवम्बर, 1976 के पश्चात्" रख दिये जायें।

आज्ञा से,
शशि भूषण शरण,
आयुक्त एवं सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्या मा0-8170/पन्द्रह-7-76-2 (18)-1975

लखनऊ, दिनांक 27 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1975) के प्रवृत्त होने के पूर्व सेवायोजित अनेक अध्यापकों को अध्यापन के हित में पुनः नियुक्त किया गया था या सेवा में अस्थायी रूप से बने रहने की अनुज्ञा दी गई थी या उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन जारी किये गये कठिनाइयों को दूर करने के आदेशों के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, और उनकी सेवाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपबन्ध बनाना आवश्यक है ;

और चूंकि, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कुछ अन्य कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं ;

अतएव, अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्ति का और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं :--

1--(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1976 कहा जायेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2--जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस आदेश में :--

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 2, 1921) से है ।

(ख) "प्रबन्ध समिति" में प्राधिकृत नियंत्रक या कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संस्था का प्रबन्ध करने का प्राधिकार निहित हो ।

(ग) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त इन्टरमीडिएट कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल या हाई स्कूल के अध्यापक (जो संस्था का प्रधान न हो) से है, और इसमें बालिकाओं की किसी संस्था में नियुक्त पुरुष अध्यापक और बालकों की संस्था में नियुक्त अध्यापिका भी सम्मिलित है ।

3--जहां कोई व्यक्ति प्रबन्ध समिति द्वारा निरीक्षक के अनुमोदन या उसकी अनुज्ञा से 30 जून, 1975 को या उसके पूर्व अध्यापक के रूप में किसी अवधि के लिये अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और ऐसे व्यक्ति ने तत्पश्चात् 15 नवम्बर, 1976 तक कार्य किया है, वहां यह समझा जायगा कि वह व्यक्ति--

(क) यदि नियुक्ति प्रारम्भ में स्पष्ट रिक्ति में की गयी थी तो नियुक्ति के दिनांक से,

(ख) यदि नियुक्ति प्रारम्भ में किसी अवकाश रिक्ति या सत्र के किसी भाग के लिये होने वाली रिक्ति में या स्पष्ट रिक्ति से भिन्न रिक्त में की गयी थी तो उस दिनांक से, जब ऐसी रिक्ति ने स्पष्ट रिक्ति का स्वरूप ग्रहण कर लिया हो,

(ग) यदि नियुक्ति प्रारम्भ में ऐसे पद पर की गयी थी जिसके सृजन के सम्बन्ध में बाद में इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई थी, तो ऐसी स्वीकृति के दिनांक से,

(घ) यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय उसके पास निहित प्रशिक्षण अर्हताएं नहीं थीं, तो ऐसी प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने के दिनांक से,

मौलिक रूप में नियुक्त किया गया है ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपखंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट मामलों में ऐसा व्यक्ति विहित अर्हताएं रखता हो या उसे न्यूनतम अर्हता की अपेक्षाओं से छूट दी गयी हो और तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार उसका यथाविधि चयन किया गया हो तथा उसकी नियुक्ति की गयी हो ।

स्पष्टीकरण---ऐसी अवधि जो अध्यापक की नियुक्ति के दिनांक और 15 नवम्बर, 1975 के बीच की हो, जिसके दौरान ऐसा कोई अध्यापक किसी कारण से, जो उसके दुराचरण या उसके स्वयं के अनुरोध से न हो, काम से अलग हो गया हो इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये सेवा में व्यवधान नहीं होगी ।

4---खंड 3 के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त समझा गया कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा और अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्थायी कर दिया जायगा ।

5---इस आदेश की किसी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह कि वह किसी अध्यापक को किसी ऐसी अवधि के लिये जिसमें उसकी सेवाएं विच्छिन्न कर दी गयी थी, किसी वेतन या भत्ते का हकदार बनाती हैं ।

6---खंड 3 की कोई बात किसी अध्यापक को किसी पद पर मौलिक नियुक्ति का हकदार नहीं बनायेगी यदि इस आदेश के प्रकाशित होने के दिनांक को अधिनियम और तद्धीन बनाये गये विनियमों के अनुसार ऐसा पद पहले ही भर लिया गया हो या ऐसे पद के लिए चयन पहले ही कर लिया गया है ।

7---जहां प्रबन्ध समिति ने कोई पद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1975 के अधीन किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भर लिया है, वहां वह पद 31 दिसम्बर, 1976 या अधिनियम और तद्धीन बनाए गए विनियमों के अनुसार नियमित नियुक्ति किए जाने तक जो भी पहले हो,

(क) यदि ऐसा व्यक्ति उस पद पर 15 नवम्बर, 1976 को था, तो उसके द्वारा धारण किया जाएगा ।

(ख) यदि 15 नवम्बर, 1976 को ऐसा व्यक्ति उस पद पर नहीं था या ऐसा पद अन्यथा रिक्त था तो ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाएगा जिसे प्रबन्ध समिति अस्थाई रूप से नियुक्त करे ।

आज्ञा से,
शशि भूषण शरण,
आयुक्त एवं सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा अनुभाग—7

संख्या मा0/316/ पन्द्रह–7–2 (3)/1977

लखनऊ, दिनांक 21 जनवरी, 1977

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना)

(षष्टम्) आदेश, 1977

चूंकि, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1975) के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक है ।

अतएव, अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्ति का और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं :

1—यह आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (षष्टम्) आदेश, 1977 कहा जाएगा ।

2—इस आदेश में शब्द "अधिनियम", "प्रबन्ध समिति" तथा "अध्यापक" के वहीं अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (षष्टम) आदेश, 1976 में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं ।

3—जहां किसी पद पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1975 अथवा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1976 के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति 31 दिसम्बर, 1976 को आसीन था और ऐसे पद पर उक्त दिनांक के पश्चात् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की गई है, वहां ऐसे पद पर ऐसा व्यक्ति 20 मई, 1977 तक या अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन किसी व्यक्ति की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, आसीन रहेगा ।

आज्ञा से,
शशि भूषण शरण,
आयुक्त एवं सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग—7

संख्या या–3691/पन्द्रह–7–77–2 (18)—75

लखनऊ, दिनांक 16 अगस्त, 1977

अधिसूचना

चूंकि कतिपय अध्यापकों की सेवाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपबन्ध बनाना आवश्यक है;

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1975) के उपबन्धों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली कतिपय कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक है;

अतएव अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्ति का और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं :—

1—यह आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (सप्तम) आदेश, 1977 कहा जाएगा।

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (षष्टम्) आदेश, 1977 में, खण्ड 3 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड 4 बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

"4—जहाँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1976 के खण्ड 3 के उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट संस्था के ऐसे अध्यापक, को जिसने शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही सेवा कालीन अध्यापकों को प्रशिक्षण योजना के अधीन शिक्षा सत्र 1976–77 में प्रशिक्षण लिया हो, प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् सफल घोषित किया जाय, वहाँ पद पर मौलिक नियुक्ति के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ यह समझा जाएगा कि वह, पूर्ववर्ती खण्ड 3 में किसी बात के होते हुए भी, उस संस्था के अध्यापक के पद पर ऐसे प्रशिक्षण के परिणाम की घोषणा के दिनांक तक पूर्ववत् रहा और उसे ऐसे पद पर मौलिक रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा, बशर्ते कि इस बीच कोई अन्य व्यक्ति अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार उस पद पर नियुक्त न किया गया हो और ऐसी मौलिक नियुक्ति का दिनांक ऐसे प्रशिक्षण के परिणाम की घोषणा का दिनांक होगा।

स्पष्टीकरण—यहाँ दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि कोई अध्यापक ऐसी किसी अवधि के लिए, जब वह सेवा से अलग रहा हो, किसी वेतन या भत्ते का हकदार होगा।"

आज्ञा से,
जी0 पी0 मित्तल,
सचिव।

सं0 मा0/6783/15-7-2 (30)-78

प्रेषक,

श्री बी0 एल0 टण्डन,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

शिक्षा अनुभाग—7 लखनऊ, दिनांक 16 मार्च, 1979

विषय :—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1976 एवं इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 (छ छ) के अधीन अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवाओं के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री चन्द्रसेन अग्रवाल के अर्द्धशासकीय पत्रांक उ0 नि0 (मा0) मा0 (1)/अध्यादेश/15078, दिनांक 5-12-78 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियमों के अन्तर्गत उल्लिखित बिन्दुओं पर स्थिति निम्नवत् है :—

(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1976 के अन्तर्गत मौलिक रूप से नियुक्ति का लाभ केवल उन्हीं अध्यापकों को दिया जा सकता है, जिन्होंने 15-11-1976 तक प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त कर ली थी ।

(2) इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 (छ छ) का लाभ उन्हीं को दिया जा सकता है जो अन्य शर्तों के साथ-साथ यह शर्त भी पूरी करते हों कि वह अपनी तदर्थ नियुक्ति के समय निहित अर्हताएं रखते थे अथवा जिन्होंने अपनी नियुक्ति के समय ही विहित अर्हताओं के सम्बन्ध में कोई छूट प्राप्त कर ली थी । प्रशिक्षण विहित अर्हता का ही एक अंश है । अतः यदि कोई अध्यापक अपनी नियुक्ति के समय अप्रशिक्षित था और जिसे इस सम्बन्ध में कोई छूट नहीं दी गई थी तो ऐसे अध्यापकों की बावत यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अपनी नियुक्ति के समय कथित पद के लिए विहित अर्हता रखता था । अतः 2/3 वेतनमान में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को मौलिक रूप से नियुक्त नहीं माना जा सकता ।

भवदीय,

(ह0) बी0 एल टंडन,

उप सचिव ।

संख्या 8125/15-8-3086-74

प्रेषक,

श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

लखनऊ, दिनांक 20 नवम्बर, 1977 ।

शिक्षा अनुभाग--8

विषय--राजकीय एवं व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरणों तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के मानक ।

महोदय,

निदेशालय के उपयुक्त विषयक अर्द्धशासकीय पत्र संख्या डी0 ई0/179/76-77, दिनांक 10 अप्रैल, 1976 पर अवलम्बित पत्र व्यवहार के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विषय पर भली भांति विचार करने के पश्चात् राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि शिक्षा सत्र 1976-77 से राजकीय एवं व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरणों तथा स्थानीय निकायों के द्वारा संचालित सहायता प्राप्त अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के मानक निम्नवत् होंगे :--

[1] अध्यापकों के मानक--

(क) एक प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य ।

(ख) कक्षा 11 और 12 के लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त विषय पढ़ाने के लिए योग्य अध्यापक अनुमन्य होंगे। कक्षा 11-12 में अध्यापन कार्य करने के उपरान्त जितने कार्य व दिन (पीरिएड) इन अध्यापकों के शेष बचेंगे उनमें वे कक्षा 9-10 में अध्यापन कार्य करेंगे ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9-10 के लिए प्रत्येक मान्यताप्राप्त विषय के अध्यापन हेतु न्यूनतम आवश्यकतानुसार अध्यापक अनुमन्य होंगे। कक्षा 9-10 में अध्यापन कार्य करने के उपरान्त जितने कार्य दिन इन अध्यापकों के शेष बचेंगे उनमें वे कक्षा 6-8 में अध्यापन कार्य करेंगे ।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6-8 के लिए न्यूनतम आवश्यकतानुसार अध्यापक अनुमन्य होंगे ।

(ङ) उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालयों के साथ नियमानुसार सम्बद्ध प्राइमरी अनुभागों (कक्षा 1-5) के लिए एक अध्यापिका प्रति कक्षा अनुमन्य होगी ।

टिप्पणी––(1) उपर्युक्त (ख), (ग) और (घ) के अनुसार अनुमन्य अध्यापकों की संख्या सामान्यतः उस संख्या के बराबर होगी जो इन्टर कक्षाओं के प्रत्येक सेक्शन के लिए 2 अध्यापक तथा कक्षा 6–10 के प्रत्येक सेक्शन के लिए 1–1/2 अध्यापक की दर से आगणित करने पर आयेगी।

(2) उपर्युक्त (ख), (ग) और (घ) के अन्तर्गत सामान्य नियम के अनुसार अध्यापकों की संख्या निर्धारित करते समय अनुभागों की संख्या मान्यता प्राप्त विषयों की संख्या अध्यापकों का कार्यभार, एक से अधिक मान्यता प्राप्त विषयों के योग्यताधारी अध्यापकों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाय ताकि न्यूनतम आवश्यकता से अधिक अध्यापक न हो जायं। इसलिए ऐसे विषय वाले अध्यापक रखने चाहिए कि नियत संख्या के अन्तर्गत ही सभी विषयों के अध्यापक नियुक्त हो सके।

(3) अध्यापकों की अनुमन्य संख्या में से विज्ञान/कृषि प्रदर्शक, त्रिभाषा सूत्र अध्यापक, प्रसार एवं क्राफ्ट अध्यापक तथा अन्य अध्यापक, यदि कोई हों, सम्मिलित माने जायेंगे।

(च) विद्यालय की समय सारणी (टाइम टेबुल) शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 86 तथा 88 के अनुसार बनायी जाय। प्रत्येक स्तर के शिक्षकों का कार्यभार 48 वादन प्रति सप्ताह के टाइम टेबुल में निम्नवत् होगा :––

1––प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य	12 वादन प्रति सप्ताह
2––इन्टर कक्षाओं के अध्यापक	30 वादन प्रति सप्ताह
3––अन्य अध्यापक	36 वादन प्रति सप्ताह

(छ) हाई स्कूल तथा इन्टर परीक्षा में प्रति प्रश्न-पत्र पर तीन वादन प्रति सप्ताह की दर से विभिन्न विषयों को अध्यापन का समय दिया जाय। जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा होती हैं उनके लिए इन्टर कक्षाओं के 6 वादन प्रति सप्ताह सिद्धान्त तथा 4 वादन प्रयोगात्मक कार्य हेतु तथा हाई स्कूल कक्षाओं में 6 वादन प्रति सप्ताह सिद्धान्त तथा 2 वादन प्रयोगात्मक कार्य हेतु निर्धारित किये जायें।

[2] छात्र संख्या के आधार पर मान्य अनुभाग––

किसी विद्यालय के लिए अनुमन्य अध्यापकों की संख्या का आगणन उसकी प्रत्येक कक्षा के मान्य अनुभागों की संख्या के आधार पर किया जायेगा और इस प्रयोजन हेतु मान्य अनुभागों का कक्षावार आकार निम्नवत् होगा :––

(क) कक्षा 6 से 8 में––छात्रों तक पहला अनुभाग, 53 से 87 छात्रों तक दूसरा अनुभाग तथा तदुपरान्त प्रत्येक 35 अतिरिक्त छात्रों पर एक अतिरिक्त अनुभाग।

(ख) कक्षा 9 से 10 में––59 छात्रों तक पहला अनुभाग, 60 से 99 छात्रों तक दूसरा अनुभाग तथा तदुपरान्त प्रत्येक 40 अतिरिक्त छात्रों पर एक अतिरिक्त अनुभाग।

(ग) कक्षा 11–12 में––74 छात्रों तक पहला अनुभाग 75 से 124 छात्रों तक दूसरा अनुभाग तथा तदुपरान्त प्रत्येक 50 अतिरिक्त छात्रों पर एक अतिरिक्त अनुभाग।

टिप्पणी––इन्टर तथा हाई स्कूल कक्षाओं में विषयवार छात्रों की संख्या एक अनुभाग की [illegible] संख्या से अधिक होने पर छात्रों को उपर्युक्त (ख) व (ग) में दिये गये मानक के

नुसार ग्रुप में बांटा जाय और इस प्रकार बांटे गये ग्रुपों के लिए अपेक्षित वादन कार्य अधिक कार्यभार होने की दशा में सम्बन्धित विषय के अध्यापनार्थ अतिरिक्त अध्यापक या जायेगा।

3] लिपिक वर्ग के मानक—

(क) हाई स्कूलों के लिए—नैत्यिक लिपिक—एक

(ख) इन्टर कालेजों के लिए— उप-लेखक एवं प्रालेखक—एक
नैत्यिक लिपिक—दो
(कुल तीन)

टिप्पणी—जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 500 से अधिक है उनमें प्रत्येक अतिरिक्त 00 पूर्ण छात्र संख्या पर एक अतिरिक्त नैत्यिक लिपिक देय होगा।

4] चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के मानक—

(क) हाई स्कूलों के लिए—

1—चौकीदार—एक

2—फर्राश—एक

3—जमादार (भंगी)—एक

4—पानी वाला—एक

5—प्रधानाध्यापक अर्दली—एक

6—विज्ञान कक्ष चपरासी—एक

7—दफ्तरी—एक

8—पुस्तकालय चपरासी (जहां पृथक तथा नियमित पुस्तकालय हों)—एक

9—कार्यालय चपरासी—एक

10—माली (जहां उद्यान माडर्न कम्पाउन्ड उपलब्ध है)—एक

टिप्पणी—500 से अधिक छात्र संख्या होने पर केवल एक अतिरिक्त कार्यालय चपरासी अनुमन्य होगा।

(ख) इन्टर कालेज के लिए—

हाई स्कूल के उपर्युक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार निम्नलिखित पद अनुमन्य होंगे :—

1—भौतिक विज्ञान चपरासी—एक

2—रसायन विज्ञान चपरासी—एक

3—जीव विज्ञान चपरासी—एक

4—बुक बाइन्डर—एक

5—सिलाई कला चपरासी—एक

6—गृह विज्ञान चपरासी—एक

7—खेती की देखभाल करने वाला (यदि फार्म हो तो)—एक

टिप्पणी—किसी विद्यालय में नैत्यिक लिपिक तथा कार्यालय चपरासी के अतिरिक्त का सृजन अथवा पूर्ण सृजित पदों का उन्मूलन दो वर्षों तक निरन्तर छात्र संख्या म

क्रमशः वृद्धि अथवा ह्रास के आधार पर ही किया जायेगा परन्तु कक्षा 1 से 5 तक की छात्र संख्या गणना में नहीं मानी जायेगी ।

2--मुझे यह भी कहना है कि यदि पूर्व निर्धारित मानकों (यदि कोई हो तो) के आधार पर किसी विद्यालय के लिए सृजित पद इस राजाज्ञा में निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य संख्या से अधिक पाये जायं तो सम्बन्धित पदधारकों को यथासम्भव किसी अन्य संस्था में स्थानान्तरित करके उनके पदों को नियमानुसार समाप्त कर दिया जाय, परन्तु यदि उनका स्थानान्तरण सम्भव न हो तो उन्हें उसी विद्यालय की भावी रिक्तियों में समायोजित किया जाय । इसके विपरीत किसी विद्यालय में पूर्व सृजित पद किसी मानक (यदि कोई हो तो) के आधार पर नहीं थे अथवा तत्कालीन प्रवृत्त मानकों के अनुसार अधिक थे तो उन्हें नियमानुसार तत्काल समाप्त कर दिया जाय । इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को मानवी दृष्टिकोण से किसी अन्य विद्यालय में सेवा योजन दिलाये जाने का यथासम्भव प्रयास किया जाय ।

3--इस सम्बन्ध में मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि उक्त मानकों के आधार पर किसी विद्यालय में शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद स्वतः सृजित नहीं समझे जायेंगे । इन मानकों के अनुसार देय सभी पदों का औपचारिक सृजन पूर्ववत अनिवार्य होगा । राजकीय विद्यालयों के लिए इन मानकों के परिणामस्वरूप देय सभी अतिरिक्त पदों (जिनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद भी सम्मिलित हैं) का सृजन शासन द्वारा किया जायेगा । अन्य विद्यालयों में अतिरिक्त पदों का सृजन संबन्धित प्राधिकारी द्वारा ही किया जायेगा ।

4--राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि इस विषय पर पूर्व निर्गत समस्त आदेश पूर्वगामी अनुच्छेदों में उल्लिखित सीमा तक निरस्त समझे जायेंगे ।

5--यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-11/3524, दिनांक 20 नवम्बर 1976 में दी गयी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी
उपसचिव ।

संख्या 8125 (1)/पन्द्रह--8-3086-74

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2--परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3--समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

4--समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश ।

5--समस्त जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश ।

6--समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

7--समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

8--समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिकायें, उत्तर प्रदेश ।

9--अध्यक्ष, संबंधित नगरपालिकायें, उत्तर प्रदेश ।

10—अध्यक्ष, संबंधित टाउन एरिया कमेटी/नोटीफाइड एरिया कमेटी/कैन्टोमेन्ट बोर्ड, उत्तर प्रदेश ।

11—अध्यक्ष, संबंधित जिला परिषद, उत्तर प्रदेश ।

12—नगर पालिका (4), (5) अनुभाग ।

13—पंचायती राज (1), (2) अनुभाग।

14—वित्त (व्यय-नियंत्रण-11) अनुभाग ।

15—शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग ।

16—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,
सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी,
उप सचिव ।

महत्वपूर्ण

अर्द्धशासकीय पत्रांक अध्यादेश/4886-963/14-63/76-77 ।

हरि प्रसाद पान्डेय,

उप-शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश ।

दिनांक इलाहाबाद, 24 नवम्बर, 1976

प्रिय महोदय/महोदया,

निदेशालय के निम्नांकित पत्रों द्वारा आवश्यक निर्देश आपको भेजे जा चुके हैं । कतिपय क्षेत्राधिकारियों के अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानों एवं अध्यापकों के इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (संशोधित) के प्राविधानानुसार चयन एवं नियुक्ति से सम्बन्धित जिज्ञासायें प्राप्त हुई हैं । इस सम्बन्ध में संलग्न सूची में जिज्ञासायें एवं शासन के निर्देश अंकित करके आपके मार्ग दर्शन हेतु भेजे जा रहे हैं । कृपया इसको भली-भांति अध्ययन करके तदनुसार कार्यवाही कर ।

2—अन्य कतिपय जिज्ञासाओं का समाधान शासन के विचाराधीन है। निर्देश प्राप्त होते ही आपके मार्ग दर्शन हेतु भेज दिया जायगा ।

1—पृ० सं० अध्यादेश/शिविर/35076-9576/76-77, दिनांक 4-7-76 ।

2—अ० शा० पृ० सं० अध्यादेश/2211-319/76-77, दिनांक 6-8-76 ।

3—अध्यादेश/3092/192/76-77, दिनांक 19-9-76 ।

4—अध्यादेश/3574-3674/14-63 (148), दिनांक 30-9-76 ।

5—अध्यादेश/4093-4192/14-63, दिनांक 20 अक्तूबर ।

भवदीय,
हरि प्रसाद पाण्डेय।

1—मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश । (नाम से) ।

—जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश (नाम से) ।

पृष्ठांकन संख्या अध्यादेश/48886-963/14-63/76-77 उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश (नाम से) एवं जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश (नाम से) को सूचनार्थ प्रेषित ।

हरि प्रसाद पान्डेय,
उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश

अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान एवं अध्यापकों के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्राविधानानुसार चयन एवं नियुक्ति विषयक क्षेत्राधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान ।

जिज्ञासायें	समाधान
(1) जिन विद्यालयों में— (अ) प्रबन्ध समिति विवादग्रस्त है और मामला न्यायालय में नहीं है	विवाद उत्पन्न होने से पूर्व तक मान्य प्रबन्ध समिति के माध्यम से चयन कार्यवाही कराई जाय यदि न्यायालय का कोई आदेश हो, तो उसका पालन किया जाय ।
(ब) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के कारण प्रबन्ध समिति प्रभावी नहीं है	अन्तिम मान्य प्रबन्धाधिकरण के पदाधिकारियों के माध्यम से चयन कार्यवाही हो । प्रबन्धाधिकरण के अध्यक्ष, प्रबन्धक तथा उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से पारित प्रस्ताव को प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव माना जाय ।
2—जिन पदों पर कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक निदेशालय के पत्रांक शिविर/6591 – 11541–76–77, दिनांक 1–5–1976 के अन्तर्गत सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके पदों पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति होगी या नहीं ।	अधिकतम तदर्थ नियुक्ति की अवधि तक ऐसे अध्यापक कार्यरत रह सकते हैं । यदि इससे पूर्व ही नियमानुसार चयन किये गये अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण करते हैं तो उस तिथि को ही इनकी सेवा समाप्त हो जायगी, चाहे यह तिथि तदर्थ नियुक्ति की अवधि समाप्ति के पहले ही क्यों न हो । स्पष्ट है कि अप्रशिक्षित अध्यापक जिन पदों पर कार्यरत हैं उनको रिक्त मानते हुए नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी ।
3—राजाज्ञा संख्या 6062/पन्द्रह–(7)–ए–(62)/73, दिनांक 25–1–1974 के अनुसार स्वतः पदोन्नति (समोटो) का प्राविधान अब भी प्रभावी है अथवा नहीं ।	विनियम के प्राविधान के अनुसार अब यह अप्रभावी हो गया है ।

जिज्ञासायें	समाधान
4—विनियम 6 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रबन्ध समिति द्वारा चयन के उपरान्त निरीक्षक का अनुमोदन होगा या नहीं। यदि नहीं, तो अनुमोदित पदों की जांच किस प्रकार सम्भव होगी ?	7—7—76 के विनियमों के अध्यापक के विनियम 19 एवं वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के धारा 4 (1) के अधिकारों का यदि आवश्यक हो, उपयोग किया जा सकता है। जैसे ही पदोन्नति सम्बन्धी आवश्यक सूचना प्राप्त हो, गहराई से परीक्षण करके आवश्यक कार्यवाही की जाय।
5—यदि विनियम 10 (घ) के अन्तर्गत सात से कम अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया जाय अथवा नहीं।	अभ्यर्थियों की संख्या 7 से कम होने पर भी साक्षात्कार नियमानुसार किया जाना चाहिये।
6—गुण विषयक अंक अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू होंगे अथवा नहीं।	इस सम्बन्ध में कृपया विनियम 17 (ङ) देखें, जिसमें स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में विनियम 10 का खंड (ङ) और (च) लागू होगा, जब कि गुण माप विनियम 10 (छ) में अंकित है। अतः यह अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा।
7—यदि आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर नहीं हो तो उसे स्वीकार किया जाय अथवा नहीं	अस्वीकार किया जाय।
8—यदि प्रधानाचार्य के आवेदन-पत्र पर अध्यापक और अध्यापक के आवेदन-पत्र पर प्रधानाचार्य किसी विशेष परिस्थिति में आवेदन करे तो उसे स्वीकार किया जाय अथवा नहीं।	दोनों के आवेदन-पत्र एक ही हैं अतः विशेष परिस्थिति में इसे स्वीकार कर लिया जाय।
9—यदि सेवारत कर्मचारियों का आवेदन-पत्र सेवायोजक द्वारा प्राप्त न हुआ हो तो उसे रद्द किया जाय अथवा नहीं।	अग्रिम आवेदन-पत्र के आधार पर उसे साक्षात्कार तक की कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया जाय। नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सेवायोजक द्वारा आवेदन-पत्र अग्रसारित होकर प्राप्त हो जाना आवश्यक है। यदि नहीं प्राप्त होता है तो नियुक्ति नहीं प्रदान की जायगी।
10—आवेदन-पत्र हेतु निर्धारित शुल्क की रसीद प्राप्त न होने पर आवेदन-पत्र रद्द किया जाय अथवा नहीं।	अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जाय और शुल्क की द्वितीय प्रति प्राप्त कर ली जाय।

जिज्ञासायें	समाधान
11—यदि संस्था में अस्थायी प्रधानाचार्य भी नहीं हैं और वहां साधिकार नियंत्रक नियुक्त हैं तो वहां अध्यापक चयन की प्रक्रिया क्या होगी।	कार्यवाहक प्रधानाचार्य, जो भी हो, प्रधानाचार्य के स्थान पर कार्य करेंगे। साधिकार नियंत्रक प्रबन्ध समिति के सदस्य के स्थान पर कार्य करेंगे।
12—गुण माप का कार्य निर्धारण अपने निवास-स्थान पर भी कर सकते हैं या जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में ही किया जा सकता है।	गुण माप निर्धारण का कार्य बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण एवं गोपनीय है उसे जिला विद्यालय निरीक्षक अपने देख-रेख में अपने कार्यालय में किसी भी गोपनीय कक्ष में ही सम्पादित करायें।
13—रिक्तियों की बिना जांच कराये यदि विज्ञापन कर दिया गया है तो क्या कार्यवाही की जानी चाहिये।	निदेशालय के पत्रांक अध्यादेश/2211-319, दिनांक 6-8-76 में निर्दिष्ट वेतन वितरण अधिनियम की धारा 4 (1) का उल्लंघन मान कर कार्यवाही करें।
14—विनियम 9 (3) के अन्तर्गत छः माह से अनधिक अवधि पर प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्ति करने पर यदि अध्यापक द्वारा पुनः अवकाश काल बढ़ाया जाता है तो ऐसे रिक्तियों में नियुक्ति किस प्रकार होगी क्या यह नियुक्ति जारी रहेगी।	प्रथम अवकाश अवधि समाप्त होने पर प्रथम बार की नियुक्ति भी समाप्त हो जायेगी और यदि प्रबन्धाधिकरण आवश्यक समझे तो पुनः नियुक्ति करने की कार्यवाही करें।
15—यदि जनपद में विनियमों के अनुरूप गुण-माप अंक विशेषज्ञ न उपलब्ध हों तो क्या अन्य जनपदों से यह नियुक्ति की जा सकती है यदि हां, तो उन्हें यात्रा भत्ता देय होगा अथवा नहीं।	विनियमों के अनुसार लगभग प्रत्येक जनपद में गुण माप निर्धारक उपलब्ध हो जायेंगे। यदि कहीं गुण माप निर्धारक न उपलब्ध हो तो अन्य जनपदों से उन्हें नियुक्त करके कार्य कराया जा सकता है परन्तु इस हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
16—यदि 40 प्रतिशत पदोन्नति के कोटे की पूर्ति हेतु अर्ह अध्यापक संस्था में उपलब्ध नहीं है तो क्या 60 प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती की अनुमति दी जा सकती है या जिनको 5 वर्ष से कम शिक्षण अनुभव के आधार पर पदोन्नति नहीं दी जा पा रही है उन्हीं के लिये स्थान सुरक्षित छोड़ दिया जाय।	पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव आवश्यक है। इसके अभाव में किसी अध्यापक को पदोन्नति नहीं दी जा सकती। यदि निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक पदोन्नति से स्थान भरने हेतु संस्था में अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं तो इन पदों को भी सीधी भर्ती से भरा जा सकता है।

हरि प्रसाद पाण्डेय,
उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,

शिक्षा (अध्यादेश) विभाग, इलाहाबाद ।

सेवा में,

1—जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

2—मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक—अध्यादेश/5185–268/14–63 (148)/76-77, दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 ।

विषय—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1976 ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक रा० सं० मा०/8170/पन्द्रह–7–76–2 (18)/75, दिनांक 7 नवम्बर 1976 तथा निदेशालय के रजिस्टर्ड अ० शा० पत्रांक अध्यादेश/5091–177–14–63 (148)/76–77, दिनांक 30 नवम्बर, 1976 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निम्नांकित बिन्दुओं को पुनः आपके मार्ग दर्शन हेतु स्पष्ट किया जाता है ।

2—उक्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1976 के खण्ड 3 में 30 जून, 1975 को या उसके पूर्व नियुक्त किये गये जिन अध्यापकों की नियुक्तियों को मौलिक नियुक्ति माना गया है उनका उल्लेख उक्त आदेश में कर दिया गया है । यह आवश्यक है कि ऐसी नियुक्ति प्रबन्ध समिति द्वारा की गयी हो । खण्ड 2 में शब्द प्रबन्ध–समिति की परिभाषा दी हुई है जिसके अन्तर्गत साधिकार नियंत्रक व प्रशासन योजना के अन्तर्गत नियुक्ति प्रशासक अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन में संस्था का प्रबन्ध करने का अधिकार निहित है । खण्ड–3 में वे अध्यापक नहीं आते जिनकी नियुक्ति निरीक्षक या निरीक्षिका की स्वीकृति से संस्था के प्रधान द्वारा की गई हो । खण्ड 3 के अनुसार यह आवश्यक है कि अध्यापक की नियुक्ति 30 जून, 1975 को या इसके पूर्व हुई हो और वह उसके बाद भी कार्यरत हो और 15 नवम्बर, 1976 को भी सेवा में रहा हो । खण्ड 3 के उप खण्ड (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित अध्यापकों के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें रखता हो या उसे न्यूनतम अर्हताओं से छूट प्रदान की गयी हो तथा उसका विधिवत् चयन समिति द्वारा चयन किया गया हो और तदुपरान्त नियुक्ति की गयी हो । नियुक्ति के दिनांक और 15 नवम्बर, 1976 की बीच की अवधि की सेवा में व्यवधान नहीं माना जायेगा किन्तु यदि इस बीच अध्यापक ने स्वयं त्यागपत्र दे दिया हो या विभागीय कार्यवाही आदि के फलस्वरूप उसकी सेवा समाप्त हो गयी हो तो वह व्यवधान माना जायेगा और खण्ड 3 का लाभ ऐसे अध्यापक को नहीं प्राप्त होगा ।

3—इस आदेश का खण्ड 6 अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यदि इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक अर्थात् 27 नवम्बर, 1976 के पूर्व किसी पद को पहले ही इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (संशोधित) की धारा 16-डी, 16–च तथा 16–छ एवं उसके अन्तर्गत बने विनियमों के अनुसार सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा विधिवत् भर लिया गया हो या

उस हेतु चयन कर लिया गया हो या पद समाप्त कर दिया गया हो या अनावश्यक पद होने के कारण भरने की अनुमति न दी गयी हो तो ऐसे पद पर खण्ड–3 के अन्तर्गत कोई अन्य मौलिक नियुक्ति मान्य न होगी। कुछ मामलों में अधिनियम की असंशोधित धारा 16–एफ (2) के अन्तर्गत अनुमोदित (deemed approved) मान लिया गया है। ऐसे माने गये अनुमोदन (deemed approved) मामलों में भी खण्ड–3 के अन्तर्गत कोई अन्य मौलिक नियुक्ति मान्य न होगी, जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं उनमें भी यदि किसी अन्य व्यक्ति ने न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हों तो खण्ड–3 के अन्तर्गत मौलिक नियुक्ति नहीं मानी जायेगी। यदि पद किसी स्थायी या अनुमोदित अध्यापक के निलम्बन के कारण रिक्त चला आ रहा है तो भी रिक्त नहीं माना जायगा।

4—आदेश में खंड–4 में खंड–3 के अन्तर्गत मौलिक रूप से नियुक्त माने गये अध्यापकों को स्थायी करने की व्यवस्था है। स्थायी करने की कार्यवाही विनियमों के अध्याय–तीन के विनियम 7, 8, 9, 10, 13 व 14 के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए की जावेगी। इस आदेश के अन्तर्गत स्थायी किये जाने वाले अध्यापकों की ज्येष्ठता निर्धारण हेतु आवश्यक प्राविधान विनियमों से अलग से किये जा रहे हैं जिनके अनुसार बाद में उनकी ज्येष्ठता निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।

5—आप कृपया तत्काल समस्त सम्बन्धित संस्थाओं को निश्चित रूप से 10 दिसम्बर, 1976 तक निर्देश दे दें कि वे अधिकतम 20 दिसम्बर, 1976 तक निर्णय लेकर जिन–जिन अध्यापकों को इस आदेश के प्राविधानों के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त माना जायेगा उनकी सूचना पूर्ण विवरण सहित आपको वाहक द्वारा भेज दें। इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र 'अ' पर मंगा लें। यदि इसके अतिरिक्त अन्य किसी सूचना की आवश्यकता हो तो भी इसी के साथ मंगा लें। इन सूचनाओं के साथ नियुक्ति पत्र की प्रतियां, प्रबन्ध समिति के प्रस्तावों की प्रतियां, चयन समिति द्वारा चयन किये जाने का प्रमाण, निरीक्षक/निरीक्षिका द्वारा प्रदत्त अनुमोदन या स्वीकृति के पत्रों की प्रतियां, पद सृजन के आदेश की प्रतियां जहां पद नियुक्ति के बाद सृजित किये गये हों। व्यवधान होने का स्पष्ट कारण तथा व्यवधान की तिथियां वह तिथि जब से मौलिक रूप से नियुक्त माना गया है। कोई रिक्ति किस प्रकार से कब से स्पष्ट हुई है आदि सूचनायें मांगी जायं जिनसे आप सुनिश्चित कर लें कि संस्था अधिकारियों द्वारा किये गये निर्णय में कोई अवैधानिकता तो नहीं की गयी है।

6—जिस पद पर किसी अध्यापक की नियुक्ति मौलिक रूप में मान ली जाय उसके भरे जाने हेतु यदि कोई विज्ञापन निकाला गया हो तो उसे संस्था द्वारा निरस्त करवा दिया जाय।

7—इस आदेश के खण्ड–7 द्वारा अधिकतम 31 दिसम्बर, 1976 तक स्थायी रूप से कोई पद भरे जाने का भी प्राविधान किया गया है ताकि छात्र/छात्राओं की शिक्षा में कोई व्यवधान न पड़े। जो व्यक्ति 15 नवम्बर, 1976 को तदर्थ रूप से कार्यरत था उसे ही सेवा में जारी रखा जायेगा। यदि वह उपलब्ध न हो और वह पद अन्य किसी प्रकार से रिक्त हुआ हो तो अन्य व्यक्ति की नियुक्ति प्रबन्ध समिति अपने विवेकानुसार अस्थायी रूप से कर सकेगी।

विभाग को ऐसा ज्ञात हुआ है कि छात्रों के शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु कतिपय संस्थाओं ने 15 नवम्बर, 1976 से अध्यापकों को कार्यरत रखा है यद्यपि उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में नहीं कराये हैं। जिन व्यक्तियों ने वास्तव में कार्य किया है और इसे संस्था अधिकारी प्रमाणित करे तो उसे नियमित कराकर 15 नवम्बर, 1976 के बाद की अवधि का वेतन भी दे दिया जाय। साथ ही यह आवश्यक है कि जो पद उक्त, आदेशों के खण्ड 3 के अन्तर्गत मौलिक रूप से भरने योग्य न हो उन्हें धारा 16–ड.

...व तथा 16-चच तथा 7 जुलाई, 1976 के विनियमों के अनुसार अधिकतम 31 ...म्बर, 1976 तक भरे जाने की कार्यवाही भी प्राथमिकता के आधार पर करायी जाय ...कि खण्ड-7 के अन्तर्गत अस्थायी व्यवस्था समाप्त हो जाने पर भी छात्रों की शिक्षा में ...धान न पड़े। किन्तु इस सम्बन्ध में रेडियोग्राम दिनांक 23 नवम्बर, 1976 में निहित ...न प्रक्रिया को सम्प्रति रोके रहने के आदेश के प्रकाश में आपको यह सावधानी बरतनी ...कि नवीन नियुक्तियां तत्काल न की जायं और उसके लिये निदेशालय से अग्रिम आदेशों ...की प्रतीक्षा की जाय।

कृपया उपर्युक्त आदेशों के अनुसार तुरन्त कार्यवाही कर तथा यह सुनिश्चित कर ...कि 31 दिसम्बर, 1976 तक विधिवत् नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायं।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,
श्याम नारायण मेहरोत्रा,
शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या अस्थायी/5185-268। उसी तिथि को

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

(2) जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारीगण।

श्याम नारायण मेहरोत्रा,
शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र 'अ'

अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 30 जून, 1975 को या उसके पूर्व नियुक्त किये गये अध्यापकों का विवरण, जो निरन्तर या व्यवधान के साथ 15 नवम्बर, 1976 तक कार्यरत रहे, का विवरण :—

संस्था का नाम—

क्रम-सं०	अध्यापक का वेतन (वेतन क्रमवार)	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण योग्यता — विषय वर्ष व श्रेणी सहित	क्या अपने पद हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखते हैं	पद	नाम वेतनक्रम	नियुक्ति की तिथि, यदि नियुक्ति व्यवधान करके की गयी है तो 30 जून, 1975 तथा उसके बाद की समस्त नियुक्तियों की तिथियां अंकित की जायं
1	2	3	4	5	6	7

30 जून, 1975 तथा 15 नवम्बर, 1976 के बीच व्यवधान की तिथियां तथा कारण	रिक्त पद जिस पर नियुक्ति की गयी है उसका प्रकार अस्थायी या स्थायी या अवकाश रिक्त	यदि अवकाश रिक्त है तो अवकाश कब से स्पष्ट रिक्त हुआ	निरीक्षक/निरीक्षिका द्वारा नियुक्ति के अनुमोदन/स्वीकृति के पत्रांक व दिनांक	प्रबन्धतंत्र की संस्तुति/निर्णय	निरीक्षक/निरीक्षिका का निर्णय	निरीक्षक/निरीक्षिका का हस्ताक्षर दिनांक सहित
8	9	10	11	12	13	14

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,

अध्यादेश अनुभाग,

शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।

सेवा में,

1--समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

2--समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाएं, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक अध्यादेश 5667-5666/76-77, दिनांक 19 दिसम्बर, 1976

विषय --उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के अधीन निर्मित विनियमों इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (संशोधित) के अन्तर्गत बने विनियमों के अध्याय (2 व 3) में कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तित संशोधन एवं अतिरिक्त विनियमों की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

निदेशालय के *पार्श्वांकित संदर्भों, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के अधीन निर्मित विनियमों, उसके सम्बन्ध में विस्तृत निदेश एवं क्षेत्राधिकारियों की अन्य जिज्ञासाओं का उत्तर दिया गया था, के तारतम्य में निवेदन है कि राजाज्ञा संख्या मा0/8238/15-7-76-2 (18)/1975, दिनांक 9 दिसम्बर, 1976 द्वारा नियुक्ति सम्बन्धी विनियमों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन और परिवर्धन किये गये हैं । ये संशोधन 7 जुलाई, 1976 को प्रकाशित विनियमों के सम्बन्ध में क्षेत्र में अनुभव की गई कठिनाइयों के कारण शासन द्वारा किये गये हैं । जिसकी एक प्रति पंजीकृत डाक से निदेशालय के अ0 शा0 पत्रांक अध्यादेश 5371-454/14-63/76-77, दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 द्वारा आपके पास प्रेषित किया जा चुका है । आशा की जाती है कि आपने इसका सम्यक् अध्ययन कर लिया होगा और तदनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर चुके होंगे ।

2--विनियमों में इन संशोधनों और परिवर्धनों के परिणामस्वरूप क्षेत्राधिकारियों के मार्ग-दर्शन हेतु एक सामान्य निदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि आपको नियुक्ति सम्बन्धी विनियमों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई न हो । आपके मार्ग-दर्शन हेतु मुख्य बिन्दुओं पर निदेश निम्नवत् दिया जाता है :--

(1) राजाज्ञा संख्या मा0/8170/पन्द्रह-7-76--2 (18)/1976, दिनांक 27 नवम्बर, 1976 द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1976 प्रसारित किया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रबन्ध समिति द्वारा निरीक्षक के अनुमोदन या उसको

---

*1--पू0 सं0 अध्यादेश/शिविर-35076-9576/76-77, दिनांक 4 अगस्त, 1976 ।

2--अ0 शा0 पत्रांक 2211-319/76-77, दिनांक 6 अगस्त, 1976 ।

(आगामी पृष्ठ पर चालू)

अनुज्ञा से 30 जून, 1975 को या उसके पूर्व किसी अध्यापक के रूप में अस्थायी रूप से विधिवत् नियुक्त किया गया था और ऐसे व्यक्ति ने तत्पश्चात् 15 नवम्बर, 1976 तक कार्य किया है, तो वह इस कठिनाई निवारण आदेश के अनुच्छेद 3 (क, ख, ग) तथा अनुच्छेद 4 के अनुसार नियमित नियुक्त मानकर परीक्षण काल की अवधि समाप्त होने पर स्थायी कर दिया जायेगा तथा संशोधित विनियम 8 (क) के अनुसार इस प्रकार से सेवायें नियमित किये जाने वाले अध्यापकों का परीक्षण काल 27 नवम्बर, 1976 से प्रारम्भ होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत निदेश निदेशालय के पत्रांक अध्यादेश 5185—268/15—63 (148)/76—77, दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 द्वारा आपको भेजा जा चुका है। सर्वप्रथम आपको इन अध्यापकों को मौलिक रूप से नियुक्त करने की कार्यवाही पूर्ण कर लेनी है। उसके पश्चात् प्रत्यक विद्यालय की पूरी जांच करन के बाद रिक्तियों की स्थिति एवं आवश्यकता का निर्धारण करना है।

(2) कठिनाई निवारण आदेश (पंचम) के अनुच्छेद 3 (ख) का लाभ केवल उन अप्रशिक्षित अध्यापकों को ही देय होगा, जिन्हे राजाज्ञा संख्या क–2/12—39 (1) पन्द्रह, दिनांक 10 मार्च, 1971 के अनुसार प्रशिक्षित होने हेतु 5 वर्ष का समय प्रदान किया गया था।

(3) किसी विद्यालय में उपलब्ध रिक्तियों की गणना करने के बाद आपको विनियम 5 के अनुसार यह निर्धारित करना होगा कि रिक्तियों में कितने पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे और कितने पद सीधी भर्ती से। यदि प्रोन्नति द्वारा भरे गये पद कुल स्वीकृत पदों के 40 प्रतिशत से कम हों तो शेष रिक्तियों में से उतने ही पद प्रोन्नति द्वारा भरे जा सकेंगे, जिन्हें मिलाकर पदोन्नति की सीमा 40 प्रतिशत हो जाय। इसके पश्चात् अवशेष रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि कठिनाई निवारण आदेश 1975–76 के प्राविधानों एवं वित्तीय कठिनाईयों को ध्यान में रखकर विभिन्न श्रेणी के कतिपय निम्न पदों को स्वीकृत करके पद सृजित किये गये हैं परन्तु नवीन विनियमों के अनुसार कतिपय पद 40 प्रतिशत सीमा से अधिक हो रहे हैं या कतिपय पदों हेतु अर्ह अध्यापक (5 वर्ष निम्न श्रेणी का अनुभव) उपलब्ध नहीं है। ऐसे पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरने के निमित्त निदेशालय के पत्रांक अध्यादेश 2733–815/14–63/76–77, दिनांक 10 सितम्बर, 1976 द्वारा निदेश दिये जा चुके हैं। तदनुसार कार्यवाही करें।

(4) इस सम्बन्ध में शासन के अधिसूचना सं० मा0–8238/पन्द्रह–776-2 (18)–1975, दिनांक 9 दिसम्बर, 1976 के क्रमांक 4 के अनुसार विनियम 5 में कुछ परिवर्तन किया गया है जिसमें यह पूर्ण रूप से स्पष्ट

3—अध्यादेश 3092—192, दिनांक 19 सितम्बर, 1976।

4—अध्यादेश 3574—3674/14—63 (148), दिनांक 30 सितम्बर, 1976।

5—अध्यादेश 4093—4192/14—63, दिनांक 20 अक्तूबर, 1976।

6—अध्यादेश 4886—963/14—63, दिनांक 24 नवम्बर, 1976।

7—अध्यादेश 5455—538/14—63, दिनांक 10 दिसम्बर, 1976।

8—अध्यादेश 5185–263/14—63, दिनांक 4 दिसम्बर, 1976।

हो जाता है कि 40 प्रतिशत स्वीकृत पद केवल प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(5) पदोन्नति एवं सीधी भर्ती से नियुक्त करने वाले पदों की गणना के सम्बन्ध में इण्टरमीडिएट एजुकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1958 के प्रवृत्त होने से पूर्व सम्यक् रूप से नियुक्त अध्यापकों को सीधी भर्ती से नियुक्त समझा जायेगा और तदनुसार ही पदोन्नति की रिक्तियों की गणना जायेगी। अतः इससे सम्बन्धित मामलो में जहां आवश्यक हो, आप प्रबन्धक से संशोधित सूचना प्राप्त कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि संशोधित विनियमों के अनुसार प्रोन्नति के निर्धारित सीमा के अनुसार प्रोन्नति हेतु पदों पर ही नियुक्तियां की जायं।

(6) पदोन्नति के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्राविधान यह किया गया है कि अब विनियम 6 में खण्ड 6 के अधीन निरीक्षकों को पदोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने के 3 सप्ताह के भीतर अपनी सहमति / असहमति प्रबन्धक को सूचित करने का प्राविधान कर दिया गया है। अब अनुमोदन / अननु-मोदित शब्द का प्रयोग न करें। विनियम 6 के खण्ड 7 के अनुसार निरीक्षक के विनिश्चय से व्यथित प्रबन्ध समिति को सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को अभ्यावेदन करने की व्यवस्था की गयी है जिसमें सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक का निर्णय अंतिम होगा। अतः ऐसे मामले जो आपके पास पहले आ चुके हों और विचाराधीन हों उनमें निर्णय लेने के पूर्व संशोधित प्रस्ताव प्राप्त करना आवश्यक है। अतः आप कृपया दो-तीन दिन के अन्दर ही पदोन्नति के विचाराधीन मामलों में निर्णय ले लें क्योंकि पूर्व प्राप्त मामलों में निर्धारित अवधि की गणना 9 दिसम्बर, 1976 से की जायगी। अतः इस बिन्दु की ओर आपका विशेष ध्यान अपेक्षित है।

(7) विनियम 7 में जहां पर जे0 टी0 सी0/बी0 टी0 सी0 श्रेणी में कार्यरत पांच वर्ष की सेवा वाले अध्यापक की सी0 टी0 श्रेणी में पदोन्नति करने का प्राविधान है वहां यह व्यवस्था कर दी गई है कि ऐसी पदोन्नति की सूचना निरीक्षक को तुरन्त दी जायगी। आप तत्काल सूचना की प्राप्ति स्वीकार कर लें। इसी विनियम के खण्ड दो में यह प्राविधान बढ़ा दिया गया है कि यदि निरीक्षक को यह विश्वास करने का कारण हो कि प्रबन्ध समिति द्वारा कोई पदोन्नति उक्त अधिनियम और विनियमों के उल्लंघन में की गयी है तो वह मामले को निदेशक को संदर्भित कर सकते हैं जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।

(8) पदोन्नति के सम्बन्ध में निर्णय लेने के पूर्व विनियम 3 के अनुसार विद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची का बनना आवश्यक है। विनियम 3 के खण्ड एक में उपखण्ड (ख, ग) को बढ़ाकर यह व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि किसी श्रेणी में काम करने वाले दो या अधिक अध्यापकों को एक ही दिन अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नत किया जाय, तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी सेवा की अवधि की मौलिक नियुक्ति के दिनांक के आधार पर अवधारित की जायगी, जो उन्होंने उस श्रेणी में पूरी की हो जिससे उनकी पदोन्नति की जा रही हो यदि ऐसी सेवा की अवधि भी समान हो तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायगी।

(9) संशोधित विनियम 2 में यह प्राविधान करा दिया गया है कि जब कोई संस्था हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज में प्रोन्नत की

जायेगी तो वहां के क्रमोन्नत इन्टरमीडिएट कालेज के प्रिन्सिपल का पद उस हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक को पदोन्नति से भरा जायगा यदि उन्हें उस विधि के अनुसार मौलिक रूप से प्रधान अध्यापक के रूप में सम्यक्-रूप से नियुक्त किया गया है और वह नियुक्ति की अर्हता रखता हो और उसका सेवा अभिलेख अच्छा हो।

(10) ऐसे प्रधान अध्यापक की पदोन्नति का प्रस्ताव मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक को उनकी सहमति के लिए सम्बन्धित अभिलेखों के साथ भेजा जायेगा और मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक अपना विनिश्चय इसके प्राप्त होने की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर सूचित करेगा, ऐसा न करने पर समझा जायेगा कि मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक ने ऐसे प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के विनिश्चय से व्यथित प्रबन्ध समिति सूचना प्राप्त करने के दिनांक से 10 दिन के भीतर निदेशक को मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है जिसका विनिश्चय इस मामले में अन्तिम होगा।

(11) यदि किसी हाई स्कूल का प्रधान-अध्यापक क्रमोन्नत इन्टरमीडिएट कालेज के प्रिन्सिपल के रूप में पदोन्नति के योग्य नहीं पाया जाय या किसी जूनियर हाई स्कूल का प्रधान-अध्यापक क्रमोन्नत हाई स्कूल के प्रधान-अध्यापक के लिए सीधी भर्ती द्वारा चयनित न किया जाय तो उसे सहायक अध्यापक के ऐसे उच्चतम पद पर रखा जायेगा, जिसके लिए वह अर्ह हो और उसका वेतनमान घटाया नहीं जायेगा।

(12) विनियम 9 (1) में यह संशोधन कर दिया गया है कि 6 माह से अधिक अवधि तक छुट्टी प्रदान किए जाने अथवा किसी अध्यापक के निलम्बित होने के कारण 6 माह से अधिक की रिक्ति की सम्भावना होने पर इस रिक्ति को चयन समिति को निर्देश करने के पश्चात् इस विनियम के उपबन्ध के अनुसार यथास्थिति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा स्थायी रूप में भरी जा सकेगी।

(13) विनियम 9 (क) (संशोधन) के अनुसार यदि कोई स्थायी अध्यापक उच्चतर श्रेणी में पदोन्नत किया जाता है तो उसके स्थान पर विधिवत् नियुक्त अध्यापक उस तिथि से मौलिक रूप से नियुक्त किया समझा जायेगा, जिस तिथि से उच्चतर श्रेणी में अध्यापक का स्थायीकरण किया जाये, प्रतिबन्ध यह है कि उस अध्यापक की नियुक्ति के बाद परीक्षण काल की निर्धारित अवधि पूर्ण हो गई हो।

(14) विनियम 10 में, जहां विज्ञापन 2 समाचार-पत्रों में करने के निर्देश हैं, में यह संशोधन कर दिया गया है कि वह विज्ञापन इम्प्लाइमेन्ट न्यूज या रोजगार समाचार में और कम से कम एक हिन्दी या एक अंग्रेजी के ऐसे समाचार-पत्र में विज्ञापित किया जायेगा, जिसका मण्डल में पर्याप्त परिचलन हो।

(15) विनियम 10 में यह प्राविधान बढ़ा दिया गया है कि जहां प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त है, वहां प्रबन्ध समिति या उसके अध्यक्ष या सदस्य के स्थान पर वह साक्षात्कार में अंक देने के प्रयोजनार्थ चयन समिति के एकल सदस्य समझे जायेंगे।

(16) संशोधित विनियमों में विनियम 20 बढ़ा दिया गया है, जिसके अनुसार यदि प्रबन्ध समिति किसी स्वीकृत रिक्त पद को रिक्ति होने के दिनांक से 3 माह की अवधि के भीतर विज्ञापित नहीं करती तो ऐसा पद अभ्यर्पित कर दिया गया समझा जायेगा। इस पद पर नियुक्ति के लिए निदेशक से पुनः पद की स्वीकृति आवश्यक होगी।

यह व्यवस्था इस दृष्टि से की गई है कि प्रबन्ध समिति शीघ्रातिशीघ्र रिक्त पदों में नियुक्तियाँ करें ताकि उनको किसी शिथिलता के कारण छात्र/छात्राओं की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो। इस बिन्दु की ओर आपको तत्परता से कार्यवाही करनी आवश्यक होगी।

(17) अध्याय 2 के विनियम 1 (क) के अनुसार किसी भी बालिका विद्यालय में पुरुष और बालकों के विद्यालय में महिला संस्था के प्रधान/अध्यापक/अध्यापिका के रूप में बिना निदेशक की छूट की अनुमति प्राप्त किए हुए नहीं नियुक्त किए जायेंगे परन्तु नेत्रहीन संगीत विषय के अध्यापकों के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(18) इसके अतिरिक्त यदि उक्त प्राविधान में किसी विशिष्ट क्षेत्र या अध्ययन के विषय में या अन्य प्रकार से किसी संस्था को कठिनाई होती है तो वह संस्था निरीक्षक के माध्यम से अपनी सम्पूर्ण परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए इस प्राविधान से छूट के लिए निदेशक से प्रार्थना करेगी और उनकी अनुमति प्राप्त करने पर यह छूट प्रभावी मानी जायगी। यह एक नवीन व्यवस्था है। इसमें भी संस्तुति देते समय आपको संस्था की आवश्यकताओं के विषय में संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा।

(19) संशोधित विनियम 59 में स्थानान्तरण के विषय में प्राविधान अत्यन्त स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। कृपया उसका भी विस्तृत अध्ययन कर लें।

(20) संशोधित परिशिष्ट "घ" के अनुसार सीधी भर्ती के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों के लिए गुण विषयक अंक भी जहाँ आवश्यक हो, पुनः आप द्वारा आगणित करवाने पड़ेंगे। अतः आवश्यक है कि आप किए गए संशोधन का भलीभाँति अध्ययन कर लें और गुण मापक अंक निर्धारण करने वाले व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से बता दें ताकि अंकों के संशोधन में कोई त्रुटि न हो।

(21) आप सभी विशेषज्ञों तथा प्रबन्ध तन्त्र को कृपया स्पष्ट कर दें कि जो गुण अंक निरीक्षक/निरीक्षिका द्वारा प्रदान किया गया है, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। यदि कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो गुण अंक विशेषज्ञ या प्रबन्धक सम्बन्धित निरीक्षक/निरीक्षिका को इस त्रुटि का संकेत करते हुए उनसे निदेश प्राप्त कर सकते हैं।

(22) उपर्युक्त विनियम के फलस्वरूप अब ऐसी सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु विज्ञापित कुछ पद ऐसे भी हो सकते हैं, जिनका विज्ञापन निरस्त करना आवश्यक होगा। अतः इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रबन्ध तन्त्र को निर्देश दे दें कि उन विज्ञापनों को वे तुरन्त निरस्त करें। शेष पदों के सम्बन्ध में जो अर्हतायें संशोधित हो गई हैं, उनके अनुसार पदों का पुनः विज्ञापन कराने हेतु प्रबन्ध तंत्र को कहा जाय। विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से प्रकाशित करा दिया जाय कि इस पद हेतु जो व्यक्ति आवेदन-पत्र दे चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन-पत्र देने की आवश्कता नहीं होगी।

(23) संशोधित विनियम 1 में निर्दिष्ट परिशिष्ट 'क' में संस्था के प्रधान की अर्हता में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है।

(24) इसके अतिरिक्त सांख्यिकी अध्यापक, गृह विज्ञान अध्यापक, संगीत अध्यापक, वाणिज्य अध्यापक आदि की अर्हता में संशोधन एवं परिवर्तन किया गया है तथा कक्षा 6, 7, 8 तथा बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से नियमानुसार सम्बद्ध एवं अनुरक्षण अनुदान आगणन हेतु मान्य प्राइमरी कक्षाओं के कक्षा 1 से 5 तक के लिए भी अर्हता निर्धारित कर दी गई है। अतः इसको विशेष

ध्यान से पढ़ लें और कृपया देखें कि जब पद का विज्ञापन किया जाय तो इन अर्हताओं का उल्लेख किया जाय।

(25) यहां यह भी कहना समीचीन होगा कि कुछ विज्ञापनों में अनावश्यक रूप से प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं जो इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (संशोधित) के अन्तर्गत निर्मित विनियमों के अध्याय दो के विनियम 1 में निर्दिष्ट परिशिष्ट 'क' में अंकित अर्हताओं के अनुसार नहीं हैं, ऐसे विज्ञपन अनियमित हैं उन्हें तुरन्त निरस्त किया जाय। भविष्य में आप सतर्क रहें। यह महत्वपूर्ण बिन्दु है। इस सम्बन्ध में निदेशालय के पत्रांक अध्यादेश/3574-3614/14-63 (148)/76-77, दिनांक 30 सितम्बर, 1976 द्वारा आपको निर्देश दिया जा चुका है।

(26) इस सम्बन्ध में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जिन पदों के लिए नियमानुसार चयन हो चुके हैं, कठिनाई निवारण आदेश (पंचम) के अनुच्छेद (6) के अनुसार वे नियुक्तियां नवीन नियमों से प्रभावित नहीं होंगी। इस प्रकार जिन पदों के लिए नियमानुसार नियुक्तियां हो चुकी हैं, वे भी उपरोक्त प्राविधानों से प्रभावित नहीं होंगी।

(27) शिक्षा निदेशक के रेडियोग्राम दिनांक 23 नवम्बर, 1976 द्वारा चयन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। अब इस स्थगन को समाप्त किया जाता है, जैसा कि निदेशालय के पत्रांक अध्यादेश/5371-5541/14-63/76-77, दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 द्वारा आपको पहले ही सूचित किया जा चुका है। अतः आप प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही इस प्रकार संपादित करायें कि 31 दिसम्बर, 1976 तक नियमित नियुक्तियां कर दी जायं और सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लें। आपको ज्ञात है कि अस्थायी नियुक्तियां करने के लिए 31 दिसम्बर, 1976 तक ही प्रबन्धतन्त्र अधिकृत किया गया है।

3—अतः आपसे निवेदन है कि शीर्ष वरीयता प्रदान करते हुए नियमों को अत्यन्त सावधानी से अध्ययन कर लें तथा तत्पश्चात् तत्परता से कार्यवाही करायें ताकि नियुक्ति में अनावश्यक विलम्ब न हो।

इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना है कि नियुक्तियों की कार्यवाही का सफलता पूर्वक सम्पादन आपके कुशल निर्देशन एवं जागरूकता पर ही निर्भर है।

मुझे आशा है कि आप सारी कार्यवाहियां विधि सम्मत रूप एवं समय से पूर्ण कर लेंगे।

4—कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

श्याम नारायण मेहरोत्रा,

शिक्षा निदेशक,

उत्तर प्रदेश।

पृ0 सं0 अध्यादेश/5667–5766/76–77, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1--मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

2--जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

3--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद।

4--मुख्यालय एवं शिविर कार्यालय के समस्त अधिकारीगण।

5--निदेशालय के सम्बन्धित अनुभाग।

श्याम नारायण मेहरोत्रा

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

अर्द्धशासकीय पत्रांक अध्यादेश/8112–95/14–63 (148)/76–77

श्री हरि प्रसाद पाण्डेय,

उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक),

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

दिनांक इलाहाबाद, 19 मार्च, 1977।

प्रिय महोदय/महोदया,

शासन और निदेशालय की जानकारी में यह बात आई है कि कतिपय जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त प्रधानों को पंचम एवं षष्टम कठिनाई निवारण आदेश का लाभ इस आधार पर नहीं दिया जा रहा है कि यह आदेश केवल अध्यापकों के सम्बन्ध में लागू है और प्रधानों के सम्बन्ध में वह लागू नहीं है।

2--इस सम्बन्ध में शासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि पंचम कठिनाई निवारण आदेश के खण्ड 2 के उप खण्ड (ग) में दिए गए अध्यापक की परिभाषा केवल खण्ड 3 से 6 तक के प्राविधान के लिए सीमित है और खण्ड 7 के सम्बन्ध में लागू नहीं है। खण्ड 7 में कहीं भी शब्द 'अध्यापक' का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि शब्द 'व्यक्ति' का प्रयोग किया गया है जिसके अन्तर्गत अध्यापक और प्रधान दोनों आ जाते हैं। इसी प्रकार षष्टम कठिनाई निवारण आदेश के खण्ड 3 में शब्द 'व्यक्ति' का प्रयोग किया गया है, किन्तु इस आदेश के खण्ड 2 में 'अध्यापक' शब्द की ही परिभाषा दी गई है, जिसके कारण कुछ भ्रान्ति उत्पन्न हुई। यह भ्रान्ति निराधार है। पंचम कठिनाई निवारण आदेश के अनुच्छेद 7 तथा षष्टम कठिनाई निवारण आदेश के अनुच्छेद 3 के प्राविधान संस्था के प्रधान एवं अध्यापक दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। अर्थात् तदर्थ रूप से नियुक्ति की अवधि संस्था के अध्यापक तथा प्रधान दोनों के लिए 20 मई, 1977 तक या अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन किसी व्यक्ति की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, होगी।

3—अतः उपर्युक्त भ्रांति के निवारणार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि तदर्थ रूप से नियुक्त प्रधानों के वेतन का भुगतान यदि अब तक न किया गया हो तो इसे अविलम्ब कर दिया जाय, क्योंकि प्रधानों को भी तदर्थ रूप से नियुक्ति की अवधि षष्टम कठिनाई निवारण आदेश के अनुच्छेद 3 के अनुसार मान्य है।

4—कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,
हरि प्रसाद पाण्डेय

1—जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश (नाम से)।

2—मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश (नाम से)।

3—जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश (नाम से)।

पृष्ठांकन संख्या अध्यादेश 8112-95 उसी तिथि को

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त की प्रति आपके पास सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूं।

भवदीय,
हरि प्रसाद पाण्डेय

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश (नाम से)।

संख्या 6551/पन्द्रह-7-1 (134)/81

प्रेषक,

श्री राम लाल शर्मा,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 1984

विषय—पर्वतीय अंचलों के भौगोलिक तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से संकलन केन्द्रों की योजना सम्बन्धी राजाज्ञा में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अ0 शा0 पत्रांक सिस्टमसेल/संकलन/659, दिनांक 22 जनवरी, 1983 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है

कि पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये राज्यपाल महोदय ने राजाज्ञा संख्या 3433/15-7-1 (134)/81. दिनांक 7 सितम्बर, 1982 में आंशिक संशोधन करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वर्ष 1983-84 की परीक्षाओं से पर्वतीय क्षेत्रों में जनपद के नगर मुख्यालय के बाहर संकलन केन्द्र स्थापित करने तथा इन जनपदों में उप संकलन केन्द्र भी स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। किन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य नियंत्रक, जो जिला विद्यालय निरीक्षक पदेन होता है, को केवल संकलन अथवा उपसंकलन यानि एक ही केन्द्र से पारिश्रमिक मिल सकेगा।

2—ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 ई0-11-679/दस/84 दिनांक 14 मार्च, 1984 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

राम लाल शर्मा,

उप सचिव।

संख्या 6551 (1)/पन्द्रह-7-84 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2—शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4—अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/वाराणसी/बरेली।

5—समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

6—समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश।

7—समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

8—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9—वित्त (व्यय नियंत्रण)-11, वित्त (सामान्य)-1, 2, 3, 4 तथा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2।

10—शिक्षा सचिव, शाखा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

राम लाल शर्मा

उप सचिव।

पत्रांक 429/15-7-2 (20)/85

प्रेषक,

श्री राम लाल शर्मा,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक एवं सभापति,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ/इलाहाबाद ।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ, दिनांक 1 मार्च, 1986

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था से सम्बन्धित आपके अर्द्ध-शासकीय पत्रांक मा0 शि0 प0/नियोजन-दस/डी0 ई0/1931/1985-86 दिनांक 28 जनवरी, 1986 से विरामित पत्र-व्यवहार के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या मा/544/15-(7)/1 (2)/73, दिनांक 29 मार्च, 1974 के प्रस्तर 3 के उप-प्रस्तर (2) द्वारा प्रसारित आदेशों के आंशिक संशोधन में राज्यपाल महोदय ने मूल्यांकन केन्द्रों पर उक्त परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु नियुक्त बाह्य परीक्षकों को देय दैनिक भत्ता की दरों के निम्नांकित रूप में संशोधित किए जाने हेतु अपनी स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :--

विवरण	वर्तमान दर	संशोधित दर
1--वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 3 के नियम 23 (सी) (1) में यथा परिभाषित 'ए' श्रेणी के नगरों में नियुक्त बाह्य परीक्षक	रु0 8 प्रतिदिन रु0 80 की अधिकतम सीमा सहित	रु0 10 प्रतिदिन रु0 100 अधिकतम की सीमा सहित,
2--वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 3 के नियम 23 (सी) (1) में यथा परिभाषित 'बी' एवं 'सी' श्रेणी के नगरों में नियुक्त बाह्य परीक्षक	रु0 6 प्रतिदिन रु0 60 की अधिकतम सीमा सहित	रु0 8 प्रतिदिन रु0 80 की अधिकतम सीमा सहित

मुझे यह भी कहना है कि राज्यपाल महोदय मूल्यांकन केन्द्रों पर नियुक्त परीक्षकों को बैठने, पंखा व पेय जल आदि की व्यवस्थायें समुचित रूप में उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम 2 रु0 प्रति परीक्षक की दर से केन्द्र के मुख्य नियंत्रक द्वारा व्यय करने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार आगणित धनराशि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र के मुख्य नियंत्रक के निस्तारण पर पहले से ही रख दी जायगी। जिससे उपर्युक्त सुविधाओं की व्यवस्था समुचित रूप में और समय से सम्भव हो सके।

3—उपर्युक्त संशोधित दरें माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1986 में आयोजित परीक्षाओं से प्रभावी होंगी।

4—ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई–11/785/दस–86 दिनांक 28 फरवरी, 1986 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

राम लाल शर्मा

उप सचिव।

पृ0 सं0 429 (1)/15–7–86 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2—शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद।

3—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4—अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली/मेरठ वाराणसी।

5—समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

6—समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

7—समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

8—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9—वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11/वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/2/4 वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2।

10—शिक्षा अनुभाग–1/2/3।

आज्ञा से,

राम लाल शर्मा

उप सचिव।

संख्या : 4166/15-8-3065-85

प्रेषक,

श्री जगदीश चन्द्र पन्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1—शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/इलाहाबाद ।

2—शिक्षा निदेशक एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ ।

लखनऊ : दिनांक : 3 अगस्त, 1987

विषय :—इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1987) के अन्तर्गत मान्यता एवं अंशकालिक अध्यापकों/अनुदेशकों की व्यवस्था ।

शिक्षा (8) अनुभाग

महोदय,

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण के विभिन्न विषयों में यथा कला, व्यवसाय एवं अन्य विषयों में स्वैच्छिक आधार पर स्थानीय प्रतिभा एवं विशेषज्ञों की सेवा उपर्युक्त मानदेय पर सुलभ कराने, कार्यानुभव अथवा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं व्यावसायिक धारा में शिक्षण की लचीली व्यवस्था सुनिश्चित कराने और एतदर्थ स्थानीय समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने और उसे संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987, दिनांक 30 जुलाई, 1987 बनाया गया है ।

2—इस (संशोधन) अधिनियम की धारा 7–क (क) के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी संस्था को किसी नये विषय में या विषयों के वर्ग में या किसी उच्च कक्षा के लिए मान्यता दे सकती है और धारा 7–क (ख) के अन्तर्गत निरीक्षक किसी संस्था को किसी वर्तमान कक्षा में नया अनुभाग खोलने की अनुज्ञा दे सकता है । धारा 7–कक (1) के अन्तर्गत किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण (एक) अन्तरिम व्यवस्था के रूप में अंशकालिक अध्यापक को, धारा 7–क के अधीन जिस विषय या विषयों के वर्ग या उच्च कक्षा के लिए मान्यता दी गई है उसमें, या वर्तमान कक्षा के जिस अनुभाग के लिए अनुज्ञा दी गई है उसमें शिक्षा देने के लिए, (दो) अंशकालिक अनुदेशक को, नैतिक शिक्षा या सामाजिक दृष्टि से उपयोगी (समाजोपयोगी) उत्पादक कार्य के लिए किसी व्यापार या शिल्प या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेश देने के लिए अपने स्रोत से सेवायोजित कर सकता है ।

3--इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा अंशकालिक अध्यापकों को नियोजित करने विषयक यह अन्तरिम व्यवस्था है। अग्रेतर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस (संशोधन) अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में सम्प्रति साहित्यिक वर्ग, गणित, विज्ञान (जिसमें गृह विज्ञान सम्मिलित है), वाणिज्य (कामर्स) तथा कृषि से सम्बन्धित विषयों की ही मान्यता दिए जाने की व्यवस्था है।

4--अंशकालिक सेवायोजन प्रबन्धतन्त्र के निजी स्रोतों पर अवलम्बित है। इस हेतु औपचारिक पद सृजन की अपेक्षा नहीं है परन्तु ऐसा सेवायोजन भी अधिनियम की धारा 7--कक के प्राविधानों से नियंत्रित रहेगा।

5--धारा 7--कक (2) के अन्तर्गत धारा 7--क के अधीन किसी मान्यता और अनुज्ञा को नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में ऐसी प्रतिभूति से प्रतिबन्धित है जो शासन समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें। इस धारा के अधीन प्रतिभूति की देयता निम्नवत् है :--

(क) हाई स्कूल की नवीन मान्यता अर्थात् प्रथम बार हाई स्कूल की मान्यता दिए जाने पर जो सुरक्षित कोष, प्राभूत आदि की शर्तें माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता के मानकों के अन्तर्गत निर्धारित है, पर्याप्त मानी जायगी और इस अधिनियम की धारा 7-कक (2) के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त प्रतिभूति देय न होगी।

(ख) इंटरमीडिएट की नवीन मान्यता अर्थात् प्रथम बार हाई स्कूल से इंटर स्तर पर उच्चीकरण होने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित सुरक्षित कोष, प्राभूत आदि के अलावा धारा 7--कक (2) के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ग (साहित्यिक, वैज्ञानिक, गृह विज्ञान सहित कृषि एवं कामर्स) के लिए रु0 5,000 (रुपये पांच हजार) की प्रतिभूति अतिरिक्त देय होगी। इंटर स्तर पर अतिरिक्त वर्ग के लिए भी रु0 5,000 (रुपये पांच हजार) की प्रतिभूति देय होगी। हाई स्कूल स्तर पर अतिरिक्त वर्ग के लिए रु0 3,000 (रुपये तीन हजार) की प्रतिभूति देय होगी।

(ग) हाई स्कूल और इंटर स्तर पर प्रत्येक अतिरिक्त विषय (साहित्यक, विज्ञान, गृह विज्ञान सहित गणित, कृषि और कामर्स से सम्बन्धित) के लिए धारा 7--कक (2) के अन्तर्गत रु0 3,000 (रुपये तीन हजार) की प्रतिभूति देय होगी।

(घ) निरीक्षक द्वारा किसी वर्तमान कक्षा में अतिरिक्त अनुभाग खोले जाने की अनुमति देने पर सामान्यतया कोई प्रतिभूति देय न होगी परन्तु यदि अतिरिक्त अनुभाग खोले जाने के फलस्वरूप अंशकालिक अध्यापकों का सेवायोजन भी अभीष्ट हो तो रु0 3,000 (रुपये तीन हजार) की प्रतिभूति देय होगी।

6--इस (संशोधन) अधिनियम की धारा 7--कक (4) में यह प्राविधान है कि कोई अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक तब तक सेवायोजित नहीं किया जायगा जब तक कि वह ऐसी न्यूनतम अर्हतायें, जैसी विहित की जाय, न रखता हो। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अंशकालिक अध्यापकों के लिए भी वही न्यूनतम अर्हताएं लागू होंगी जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् के नियम संग्रह के अध्याय 2 के परिशिष्ट "क" में निर्धारित है। जहां तक अंशकालिक अनुदेशकों के लिए न्यूनतम अर्हता विहित करने का प्रश्न है यह स्पष्ट करना है कि इन अनुदेशकों का सेवायोजन केवल नैतिक शिक्षा या समाजोपयोगी उत्पादक कार्य/कार्यानुभव या व्यावसायिक पाठ्यक्रम या शिल्प में अनुदेश देने के लिए किया जायगा और इस हेतु प्रबन्धतन्त्र को यह छूट रहेगी कि वे सम्बन्धित शिल्प

आदि के योग्यता एवं पर्याप्त अनुभव रखने वाले स्थानीय विशेषज्ञ को अनुदेशक के रूप में स्वविवेक से सेवायोजित करें।

7—धारा 7-कक (5) में यह प्राविधान है कि किसी अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक को ऐसा मानदेय दिया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाय। इस सम्बन्ध में सम्प्रति स्थिति निम्नवत् है :—

(क) प्रत्येक अंशकालिक अध्यापक से यह अपेक्षा होगी कि वह सप्ताह में न्यूनतम 12 और अधिकतम 18 वादनों का अध्यापन कार्य करें।

(ख) अंशकालिक अध्यापकों को मानदेय दिए जाने की दर कक्षा 9 और 10 में प्रतिवादन रु0 6.50 और 11-12 में प्रतिवादन रु0 10.00 होगी। प्रत्येक वादन में किए जाने वाले अध्यापन कार्य में लिखित कार्य की जांच का कार्य भी सम्मिलित है। कार्यरत अध्यापक अथवा अन्य कार्मिक को अंशकालिक अध्यापन का कार्य दिये जाने की स्थिति में उन्हें मानदेय की धनराशि सामान्य से आधी होगी। कार्यरत अध्यापक अथवा अन्य कार्मिक का सेवायोजित करने के पूर्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य अथवा सेवायोजक द्वारा यह प्रमाण-पत्र दिया जाना आवश्यक होगा कि उसके द्वारा किए जाने वाले अंशकालीन अध्यापन से विद्यालय का उसका पूर्णकालिक अध्यापन कार्य अथवा सामान्य कार्य प्रभावित नहीं होगा। कार्यरत अध्यापक के सम्बन्ध में यह प्रमाण-पत्र उस संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा दिया जायगा जहां अध्यापक कार्यरत है। इसी प्रकार अन्य कार्मिक के सम्बन्ध में उस सेवायोजक द्वारा दिया जायगा जिसके अधीन कार्मिक कार्यरत है।

(ग) विभिन्न शिल्पों या समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों/कार्यानुभव या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या नैतिक शिक्षा में प्रति सप्ताह पढ़ाये जाने वाले न्यूनतम वादनों की संख्या और भी कम हो सकती है। अतः अंशकालिक अनुदेशकों के सम्बन्ध में प्रबन्धतन्त्र को यह छूट रहेगी कि वे पारस्परिक सहमति से मानदेय की उचित दर निर्धारित कर लें। परन्तु किसी एक अनुदेशक को प्रतिमाह देय मानदेय की धनराशि रु0 350.00 से अधिक नहीं होगी।

(घ) यदि कोई अंशकालिक अध्यापक 12 से कम वादनों का अध्यापन कार्य करता है तो उसे वास्तविक रूप में किये गये अध्यापन कार्य के वादनों का मानदेय देय होगा परन्तु 18 से अधिक वादनों का अध्यापन कार्य न तो कराया जायगा और न ही इस हेतु कोई अधिक धनराशि देय होगी।

(ङ) अंशकालीन अध्यापकों को प्रत्येक माह 15 तारीख तक उनके पिछले माह की देय धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

(च) अंशकालीन अध्यापकों के लिए अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा और सेवानिवृत्त व्यक्ति भी सेवायोजित किए जा सकेंगे।

8—अंशकालिक अध्यापकों का सेवायोजन कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, तथापि एक सीमित या अल्प अवधि के लिए भी उन्हें सेवायोजित करने के पूर्व यह आवश्यक है कि अंशकालिक अध्यापक के रूप में उपयुक्त और योग्य अभ्यर्थी मिल सके। अतः इस (संशोधन) अधिनियम की धारा 7-कक (3) के अन्तर्गत निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है—

1—अंशकालिक अध्यापकों को सेवायोजित करने हेतु सम्बन्धित विषय/विषयों में वांछित अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन कम से कम ऐसे दो समाचार-पत्रों में

करना आवश्यक होगा जिनका उस क्षेत्र में, जिसमें संस्था स्थित हो, सर्वाधिक परिचालन हो। विज्ञापन का प्रारूप (संलग्नक-1) में दिया गया है।]

2—समाचार-पत्रों में विज्ञापन के पश्चात् यह भी आवश्यक होगा कि उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन के लिये प्रत्येक विद्यालय में एक चयन समिति गठित की जाय। इस समिति का गठन निम्नवत् होगा :—

(1) प्रबन्धतंत्र द्वारा नामित एक प्रतिनिधि (जो समिति का अध्यक्ष होगा),

(2) विद्यालय का प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

(3) समीपवर्ती राजकीय या अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उस विषय का वरिष्ठतम शिक्षक (जिसका नामांकन उसी संस्था का प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या करेगा/करेगी)।

9—यह समिति विद्यालय की आवश्यकताओं के संदर्भ में किसी एक विषय/विषयों में अपेक्षित संख्या में अंशकालिक अध्यापकों को सेवायोजित करने हेतु अपनी संस्तुति प्रबन्धतंत्र को देगी और प्रबन्धतंत्र उसकी संस्तुति के अनुसार ही अंशकालिक अध्यापक/अध्यापकों को सेवायोजित करेगा। सेवायोजन का प्रारूप (संलग्नक-2) में दिया गया है।

10—अंशकालिक अध्यापकों/अनुदेशकों का एक पृथक उपस्थिति रजिस्टर रखा जायगा जिसमें प्रत्येक अंशकालिक अध्यापक/अनुदेशक द्वारा प्रत्येक दिन वास्तव में किये गये वादनवार अध्यापन कार्य हेतु उपस्थित का हस्ताक्षर किया जायगा और प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या प्रति हस्ताक्षरित करेंगे/करेंगी तो प्रत्येक अंशकालिक अध्यापक/अनुदेशक के लिये पृथक्-पृथक् पृष्ठ रखे जायेंगे।

11—चूंकि उक्त अंशकालीन व्यवस्था प्रबन्धतंत्र के निजी स्रोतों पर अवलम्बित है। अतः इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 (ङ) के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र इस हेतु दान स्वीकार कर सकेगा, जिसका लेखा-जोखा पृथक् से रखा जायगा परन्तु इस व्यय को वहन करने हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लिया जायगा।

12—इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की 10 प्रतियाँ संलग्न हैं।

भवदीय,

संलग्नक—उक्तवत्

जगदीश चन्द्र पन्त,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 4166 (1)/15-8-3065-85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार (प्रथम) एवं (द्वितीय), उ० प्र०, इलाहाबाद।

2—समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/मण्डलीय बालिका निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

3—समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बालिका विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

4—सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

5—अपर सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मेरठ, वाराणसी, बरेली तथा इलाहाबाद ।

6—अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)/(महिला), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

7—अपर शिक्षा निदेशक (पर्वतीय), शिविर कार्यालय, लखनऊ ।

8—शिक्षा (7), (9) तथा (16) अनुभाग ।

9—संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ)/(महिला), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,
शरविन्दु,
उप सचिव ।

संलग्नक-1

विज्ञापन

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज——————में हाई स्कूल/इण्टर कक्षाओं में विद्यार्थियों को——————विषय/विषयों पर अध्यापन कार्य करने हेतु अंशकालिक अध्यापक के रूप में प्रति वादन निर्धारित मानदेय पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र दिनांक——————तक आमंत्रित किये जाते हैं ।

2—अंशकालिक अध्यापक के रूप में चयनित अभ्यर्थी को कक्षा/कक्षाओं में विषय/विषयों पर अध्यापन कार्य करने हेतु आवश्यकतानुसार सेवायोजित किया जायगा और उस स्थिति में उन्हें 6.50 रु0 (साढ़े छः रुपये) (हाई स्कूल कक्षाओं हेतु) 10.00 (दस रुपये) (इण्टरमीडिएट कक्षाओं हेतु) प्रति वादन की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा । अध्यापन कार्य में अध्यापन के साथ जुड़े हुए लिखित कार्य की जांच का कार्य भी सम्मिलित है । सेवारत अध्यापकों अन्य कार्मिकों को अंशकालीन अध्यापक का कार्य करने पर देय मानदेय की दर उपरोक्त मानदेय की दर से आधी होगी । प्रत्येक अंशकालिक अध्यापक को सामान्य तौर से सप्ताह में कम से कम 12 तथा अधिक से अधिक 18 वादनों का अध्यापन कार्य करना होगा । उक्त दर से आगणित मानदेय की राशि का वास्तविक भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति पर अगले माह की 15 तारीख तक किया जायगा ।

3—निर्धारित अर्हता :—

नोट :—सम्बन्धित प्रबन्धक सम्बन्धित कक्षाओं में विषय विशेष के अध्यापकों के लिये निर्धारित अर्हता का उल्लेख आवश्यकतानुसार करेंगे।

4—आयु सीमा :—

अंशकालिक अध्यापकों के लिये अधिकतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा और सेवानिवृत्त व्यक्ति भी आवेदन-पत्र दे सकते हैं।

5—शुद्ध रूप से भरा गया आवेदन-पत्र जिसका प्रारूप नीचे दिया जा रहा है, आवश्यक प्रमाण-पत्रों की अभि-प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायगा।

प्रबन्धक

आवेदन-पत्र का प्रारूप

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज में अध्यापन कार्य करने हेतु अंशकालिक अध्यापन का आवेदन-पत्र

1—अध्यापन कार्य का विषय :—

2—अभ्यर्थी का नाम :—

3—पिता का नाम :—

4—स्थायी पता :—

5—पत्र-व्यवहार हेतु पता :—

6—जन्म तिथि :—

7—गृह जनपद :—

8—विवाहित/अविवाहित :—

9—दो ऐसे उत्तरदायी एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम व पते जो अभ्यर्थी को भलीभांति जानते हों।

10—शैक्षिक योग्यता का विवरण :—

क्रम-संख्या	परीक्षा का नाम	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक प्रतिशत	विषय	संस्था	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हाई स्कूल	..	..	..	..	..	..
2	इण्टर	..	..	..	..	..	..
3	बी0 ए0/बी0 एस-सी0/ बी0काम0/एल-एल0बी0/ बी0 एस-सी0 कृषि	..	..	..	..	..	..
4	एम0 ए0,एम0 एस-सी0/ एम0काम0/एम0एस-सी0 कृषि	..	..	..	..	..	..
5	एल0 टी0/बी0 एड0/बी0 टी0	..	..	..	..	..	..
6	शिल्प/व्यवसाय सम्बन्धी योग्यता	..	..	..	..	..	..
7	अन्य योग्यतायें	..	..	..	..	..	..

टिप्पणी :—प्रत्येक परीक्षा से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों तथा अंक-पत्रों (मार्कशीट) की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करें।

11—शोध कार्य सम्बन्धित विवरण, यदि कोई हो, साक्ष्य सहित—

12—शिक्षण कार्य का अनुभव, अवधि व संस्था का नाम—
(प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें)

दिनांक——————

आवेदक के हस्ताक्षर
पंजीकृत

संलग्नक-2

अंशकालिक अध्यापक को चयनोपरान्त आमन्त्रित किये जाने हेतु प्रारूप

कार्यालय प्रबन्धक——————उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज
——————

संख्या——————

दिनांक——————

आमन्त्रण-पत्र

डा0/श्री/श्रीमती/कु0/सुश्री——————को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज——————में हाई स्कूल/इण्टर कक्षाओं में विद्यार्थियों को——————विषय/विषयों में अध्यापक कार्य हेतु अंशकालिक अध्यापक के रूप में आमन्त्रित किया जाता है। डा0/श्री0/श्रीमती/कु0/सुश्री——————को अंशकालीन अध्यापन हेतु 6.50 रु0 (साढ़े छः रुपये) (हाई स्कूल कक्षाओं हेतु) 10.00 रु0 (दस रुपये) (इण्टरमीडिएट कक्षाओं हेतु) प्रतिवादन (सेवारत अध्यापक को तथा अन्य कार्मिकों को देय मानदेय की दर उक्त दर से आधी होगी), जिसमें वादन के अध्यापन कार्य के पश्चात विद्यार्थियों के लिखित कार्य की जांच का कार्य भी सम्मिलित है।

की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। मानदेय की राशि का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति पर अगले माह 15 तारीख तक किया जायेगा।

2—उन्हें यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंशकालिक अध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु जारी किये गये इस आमन्त्रण के आधार पर विद्यालय की नियमित रिक्ति पर नियुक्ति का उनका कोई अधिकार नहीं होगा। अंशकालीक अध्यापक की हैसियत से किये जा रहे अध्यापन कार्य को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

3—डा0/श्री/श्रीमती/कु0/सुश्री——————————से अपेक्षा की जाती है कि वे कृपया उक्त शर्तों के अधीन अंशकालिक अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य करने हेतु प्रधानचार्य से दिनांक——————तक अवश्य सम्पर्क करें अन्यथा उनको जारी किये गये इस आमन्त्रण को निरस्त समझा जायेगा।

——————

प्रबन्धक

डा0/श्री/श्रीमती/कु0/सुश्री——————

संख्या (1)/15-8-86 तद्दिनांक

प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक——————————/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका——————————मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक——————————को भी सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि शिक्षा निदेशक/अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)/अपर शिक्षा निदेशक (महिला), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित:

——————

प्रबन्धक

संख्या 271/15-7-2 (6)/1988

प्रेषक,

श्री रामलाल शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक 15 जनवरी, 1988

महोदय,

आपके अद्धशासकीय पत्रांक मा0 शि0 प0/नियोजन-दस/डी0 ई0/2991, दिनांक 13 जनवरी, 1988 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 1987 की बैठक में उत्तर पुस्तिकाओं के तुलनात्मक सन्निरीक्षा सम्बन्धी कार्य एवं उसके पारिश्रमिक की व्यवस्था

के सम्बन्ध में, जो निर्णय लिया गया है उसके क्रियान्वयन में शासन की सहमति आपके प्रस्ताव के अनुसार निम्नवत् प्रदान की जा रही है :—

(1) यह कि प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र पर उत्तर पुस्तिकाओं और प्राप्तांक सूचियों के परितुलन का कार्य समूहों में कराया जाय। प्रत्येक समूह में दो व्यक्तियों के एक से दो बेंचों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाय। परितुलन का कार्य एक अलग कक्ष में या कोठार कक्षा में कराया जाय तथा यथासम्भव 100 परीक्षकों पर एक बेंच की व्यवस्था की जाय। बेंच में प्रत्यक व्यक्ति न्यूनतम पारिश्रमिक 300 रु0 दिया जाय। इस के अतिरिक्त प्रत्येक त्रुटि पर एक रुपये की दर से पारिश्रमिक दिया जाय, त्रुटि हेतु निर्धारित अतिरिक्त पारिश्रमिक रुपये (एक रुपये) की धनराशि को दोनों परितुलनकर्ताओं में आधा-आधा बांट दिया जाय।

(2) और यह कि चूंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के संचालन का कार्य एक निर्धारित एवं समयबद्ध कार्य है और परीक्षार्थियों की संख्या में आशातीत वृद्धि होने के कारण परिषद् के कार्यों का विकेन्द्रीकरण आवश्यक हो गया है और चूंकि सभी जांची हुई उत्तर पुस्तकों का अंक सूचियों से तुलना का कार्य परिषद् के मुख्यालय से हटाकर मूल्यांकन केन्द्रों पर ही सम्पादित कराने के आदेश 1987 की परीक्षा से अर्द्ध शासकीय पत्रांक से0 यू0 सीलिंग-87/904, दिनांक 10 अप्रैल, 1987 द्वारा किये जा चुके हैं, अतः इस कार्य को उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कराने के उद्देश्य से जो उक्त निर्णय इसके अनुसार लिया गया है, तुलनात्मक सन्निरीक्षा कार्य के लिये वर्तमान में 12 रुपये प्रति 1000 उत्तर पुस्तकें पारिश्रमिक दर निर्धारित हैं। अर्थात्, एक बेंच के तुलनात्मक सन्निरीक्षा करने वाले दो व्यक्तियों को मिलाकर कम से कम 1000×250=2500 उत्तर पुस्तिकाओं की तुलना करनी होगी। तुलनात्मक कार्य उत्साह एवं जिम्मेदारी से करने के लिये अतिरिक्त एक त्रुटि पर एक रुपया पारिश्रमिक की व्यवस्था परीक्षक के पारिश्रमिक से कटौती करके की जाय, जिससे इसमें शासन स्तर पर अतिरिक्त व्यय भार न बढ़े। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
ह0 रामलाल शर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या : 700/15-7-2 (6)/1988

प्रेषक,

श्री राम लाल शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (7) अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 1988

महोदय,

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अपने अर्द्ध शासकीय पत्रांक : मा0 शि0 प0/नियोजन-दस/626, दिनांकित 16 फरवरी, 1988 द्वारा शास

का ध्यान राजाज्ञा संख्या 271/15-7-2 (6)/1988, दिनांक 15 जनवरी, 1988 की ओर आकृष्ट किया है, जो परिषद् की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की तुलनात्मक सन्निरीक्षा का कार्य मूल्यांकन केन्द्रों पर सम्पादित कराने एवं सन्निरीक्षकों के पारिश्रमिक की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में है और यह इंगित किया है कि संदर्भगत् राजाज्ञा के प्रस्तर (1) व (2) में निम्नवत् अंकित दो स्थलों में भ्रम का परिहार करने के निमित्त संशोधन कर दिया जाय और दो व्यक्तियों के किसी बेंच द्वारा 50,000 से कम उत्तर पुस्तिकाओं की सन्निरीक्षा करने की दशा में देय पारिश्रमिक की स्थिति स्पष्ट कर दी जाय।

अतः मुझे 2 स्थलों पर संशोधन करने और स्थिति को स्पष्ट करने का निम्नवत् निदेश हुआ है :—

प्रस्तर	स्थल का वर्तमान स्वरूप	प्रस्तर सहित स्थलों का संशोधित स्वरूप
(1)	"बेंच म प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम पारिश्रमिक 300 रु0 दिया जाय"	"(1) बेंच में प्रत्येक व्यक्ति को 25,000 उत्तर पुस्तक की सन्निरीक्षा करने पर न्यूनतम पारिश्रमिक 300 रु0 दिया जाय।"
(2)	"अर्थात् एक बेंच के तुलनात्मक सन्निरीक्षा करने वाले दो व्यक्तियों को मिलकर कम से कम 1000×25=25,000 उत्तर पुस्तिकाओं की तुलना करनी होगी"	"(2) अर्थात् एक बेंच तुलनात्मक सन्निरीक्षा करने वाले दो व्यक्तियों में से प्रत्येक को कम से कम 1000×25=25,000 उत्तर पुस्तिकाओं की तुलना करनी होगी।"

स्पष्टीकरण :—

यदि दो व्यक्तियों का कोई बेंच 50,000 से कम उत्तर पुस्तिकाओं की सन्निरीक्षा करता है तो उस बेंच के दोनों व्यक्तियों में से प्रत्येक को सन्निरीक्षित उत्तर पुस्तिकाओं पर 12 रु0 प्रति हजार की दर से आंकलित पारिश्रमिक की आधी-आधी धनराशि देय होगी।

कृपया एतद्नुसार मूल राजाज्ञा को उक्त सीमा तक संशोधित और परिवर्धित समझते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
राम लाल शर्मा,
संयुक्त सचिव।

पृ0 सं0 : 700 (1)/15-7-2 (6)/1988, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :—

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
राम लाल शर्मा
संयुक्त सचिव।

परिषद् के विनियम

भाग दो-क

टिप्पणी—परिषद् के निश्चयानुसार इन विनियमों में समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं। ऐसे समस्त संशोधनों की सूचना राजकीय गजट में दी जाती है।

अध्याय एक

प्रशासन की योजना

(धारायें 16-क, 16-ख और 16-ग)

प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य

1—किसी संस्था की प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे—

(1) प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य, जैसी स्थिति हो।

(2) एक वर्ष की अवधि के लिये दो अध्यापक जिनमें से प्रत्येक का बारी-बारी से ज्येष्ठता के आधार पर निम्नलिखित ढंग से चयन होगा—

2—ज्येष्ठता के आधार पर बारी-बारी से चयन किये जाने के लिए प्रबन्ध द्वारा संस्था के समस्त मौलिक सेवा वाले अध्यापकों की एक ज्येष्ठता सूची रखी जायेगी। यह सूची उस संस्था में उनकी स्थायी नियुक्ति की तिथि तथा इस प्रकार दो अथवा उससे अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में उनकी ज्येष्ठता, उनकी आयु की ज्येष्ठता पर निर्धारित की जायेगी।

3—प्रथमतः इस सूची में से दो ज्येष्ठतम अध्यापकों का प्रबन्ध समिति के पदेन के सदस्य के रूप में चयन किया जायेगा। निदेशक द्वारा प्रशासन की योजना स्वीकृत होने के पश्चात् प्रबन्ध समिति गठित होने की तिथि से उनकी अवधि प्रारम्भ होगी। उनकी अवधियां समाप्त होने पर अथवा उससे पूर्व एक अथवा दोनों अध्यापकों द्वारा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने अथवा संस्था की सेवा में न रहने पर हुए रिक्त स्थान या स्थानों की पूर्ति के लिए ज्येष्ठता सूची में आगे आने वाले अध्यापक / अध्यापकों का उसके/उनके स्थान पर पूरी अवधि के लिये चयन किया जायगा। एक अध्यापक की पदेन सदस्यता एक पद-क्रम अथवा वर्ग से दूसरे में पदोन्नत अथवा पदावनत होने पर अपनी अवधि के बीच समाप्त न होगी।

4—प्रबन्धक ज्येष्ठता-सूची तैयार करेगा और उसका लेखा रखेगा, जिसमें दिखाया जायेगा कि एक अध्यापक किस तिथि से अपने ज्येष्ठता की गणना करने का अधिकारी है। सूची को अन्तिम रूप देने से पूर्व वह उसकी एक प्रति संस्था के प्रत्येक अध्यापक को देगा और प्रति प्राप्त होने के एक मास के भीतर किसी अध्यापक द्वारा की गयी आपत्ति का प्रबन्ध समिति द्वारा निर्णय किया जायेगा।

5—समिति के निर्णय से असन्तुष्ट कोई भी अध्यापक उसे निर्णय की सूचना मिलने के पन्द्रह दिन के भीतर निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका के यहां, जैसी कि स्थिति हो, अपील करेगा, जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा।

6—अन्तिम रूप दिये जाने के बाद सूची की एक प्रति प्रत्येक अध्यापक को, संस्था के प्रधान को, निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका को निर्देश एवं अभिलेख हेतु दी जायगी। अध्यापकों की संख्या या एक वर्ग के अध्यापकों के पद-क्रम में हुए परिवर्तन सूची में यथाविधि कर दिये जायेंगे और समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को इसकी सत्वर सूचना दे दी जायेगी। परिवर्तन से असन्तुष्ट कोई भी अध्यापक सूचना मिलने के एक मास के भीतर प्रबन्ध समिति के समक्ष आपत्ति कर सकता है और उस आपत्ति पर विनियम 4 के अन्तर्गत की गई आपत्ति के समान विचार किया जायेगा।

7—समिति को, जिसके लिए उसका चयन हुआ है, पदेन सदस्यता अस्वीकार करने पर अथवा किसी भी कारणवश अपनी अवधि का उपयोग करने में असमर्थ होने पर एक अध्यापक सदस्यता का तब तक पुनः पात्र न हो सकेगा जब तक कि ज्येष्ठता-सूची का पूरा चक्र पूर्ण न हो जाय।

8—पदेन-सदस्य किसी चन्दा का देनदार न होगा।

आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्य

9—प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य एक प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के समस्त कर्तव्यों के अतिरिक्त उन सभी कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसके पद से सम्बन्धित होगा। प्रबन्ध समिति के प्रति संस्था के प्रबन्धक द्वारा इन समस्त कर्तव्यों का यथाविधि पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए उसे आवश्यक अधिकार प्राप्त होंगे।

10—प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य अपनी संस्था के आन्तरिक प्रबन्ध एवं अनुशासन जिसमें अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, के प्रति पूर्णरूपेण उत्तरदायी रहेगा और उसे उसके लिये आवश्यक अधिकार प्राप्त होंगे—

(1) छात्रों की भर्ती तथा विद्यालय छोड़ना और उन्हें दण्ड, जिसमें निष्कासन एवं निष्कासन के लिये संस्तुति भी सम्मिलित है, पाठ्य-पुस्तकों का चयन, पुस्तकालय, वाचनालय एवं पुरस्कारों के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का चयन, समय-सारिणी की व्यवस्था करना तथा अध्यापक-वर्ग के विद्यालय कार्यक्रम से सम्बन्धित कर्त्तव्यों का नियत करना, परीक्षायें एवं जांच कराना, छात्रों की पदोन्नति एवं निरोध, समस्त प्रपत्रों और विद्यालय पंजिकाओं तथा छात्रों की प्रगति आख्याओं का अनुरक्षण तथा उनके अभिभावकों को सूचित करना, विद्यालय के लिये आवश्यक उपस्कर (फर्नीचर), सज्जा एवं साधित्र के लिए तथा उसकी मरम्मत और बदलवाने के लिए अधियाचन तैयार करना, खेल-कूद एवं पाठ्यनुवर्ती कार्यकलापों का संगठन, छात्रों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए व्यवस्था करना, अध्यापक वर्ग की सेवाओं का विद्यालय परिसर के भीतर अथवा बाहर शैक्षिक कार्यक्रम के लिये उपभोग करना, निम्न कर्मचारियों की नियुक्ति,

पदोन्नति नियन्त्रण एवं दण्ड, जिसमें पृथक्करण एवं विसर्जन भी सम्मिलित है, अधीक्षक द्वारा छात्रावास का नियन्त्रण :

(2) अध्यापकों, लिपिकों, पुस्तकाध्यक्ष एवं निम्न कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें एवं चरित्र पंजियां रखना, उनकी चरित्र-पंजियों में प्रविष्टियां करना तथा सम्बन्धित व्यक्ति को प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचना देना, लिपिकों एवं पुस्तकाध्यक्ष का नियन्त्रण तथा देखभाल उनका निलम्बन तथा उनके स्थायीकरण, पदोन्नति तथा दक्षता-रोक पार करने की संस्तुति करना, संस्था के कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना, प्रबन्ध समिति को अध्यापकों, लिपिकों तथा पुस्तकाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करना, शैक्षिक परीक्षाओं में बैठने के प्रार्थना-पत्रों को आदेशार्थ समिति को संस्तुत करना, अध्यापकों को निजी-गृह शिक्षण की अनुमति देना। बालकों की समस्त निधियों की नियन्त्रण तथा प्रशासन, प्रधानाचार्य का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि जो निधि जिस कार्य के लिय स्वीकृत है, उसी मद में व्यय की जाय। यदि किसी मद में बचत हो तो उस निधि का शुल्क लेना बन्द करना। प्रबन्ध द्वारा स्वीकृत संस्था में निःशुल्कता तथा अर्द्ध निःशुल्कता प्रदान करना, वृत्तियों तथा छात्र-वृत्तियों की धनराशि का निकालना तथा वितरण।

11--वित्तीय एवं अन्य मामलों में, जिनके लिए वह पूर्णतः उत्तरदायी नहीं है, प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य प्रबन्धक के द्वारा निर्गत प्रबन्ध समिति के निर्देशों का पालन करेगा।

12--प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य संस्था के अध्यापक वर्ग तथा प्रबन्ध समिति के बीच पत्र-व्यवहार का माध्यम होगा।

प्रबन्ध समिति के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्य

13--प्रबन्ध समिति के अधिकार, कर्तव्य वं कार्य निम्नलिखित होंगे--

(1) अधिनियम तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रधानाध्यापक, आचार्य, अध्यापक, मेट्रन, लिपिक अथवा पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति, दक्षता-रोक पार करने की स्वीकृति, निलम्बन तथा दण्ड विधान (जिसमें पृथक्करण एवं नियुक्ति भी सम्मिलित है)।

(2) संस्था के प्रधान प्रबन्धक द्वारा कर्मचारियों की सेवा पंजियों में की गयी प्रविष्टियों के विरुद्ध अपीलों पर निर्णय देना।

(3) जहां प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य को अधिकार प्राप्त है, उनके अतिरिक्त संस्था के कर्मचारियों को ग्राह्य समस्त अवकाश स्वीकृत करना।

(4) बालकों की निधियों को छोड़ कर संस्था की समस्त धनराशियों, प्रतिभूतियों (जमानतों), सम्पत्ति तथा सन्दानों का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध एवं उनकी निरापद परिरक्षा, विनियोग, मरम्मत, अनुरक्षण और विधिक रक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

(5) शासन से प्राप्त अनुरक्षण और विकास अनुदानों तथा प्रतिपूर्तियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना।

(6) संस्था के लिये समस्त आय (छात्रवृत्तियों और बालकों की निधि यों को छोड़कर) चन्दा, दान, भेंट, लाभांश, ब्याज, अनुदान आदि प्राप्ति करना तथा उसके अधिकारों एवं कार्यों से उठने वाले वित्तीय दायित्वों को पूरा कराना।

प्रशासन की योजना का अनुमोदन

14--मुख्य सिद्धान्त जिस पर प्रशासन की योजना का अनुमोदन किया जायेगा यह होगा कि वह निम्नांकित नियमों के अनुसार हो--

(अ) प्रशासन की योजना प्रबन्ध समिति के उचित एवं प्रभावी कार्यान्वयन की व्यवस्था करें।

(आ) प्रबन्ध समिति गठित करने की विधि, उसके सदस्यों की योग्यतायें, एवं अयोग्यतायें, उनके कार्यकाल की अवधि, उसकी बैठके बुलाने और उनमें कार्य संचालित करने की विधि निर्धारित की जायेगी।

(इ) समस्त निर्णय प्रबन्ध समिति द्वारा किये जायेंगे और प्रतिनिधान के अधिकार, यदि कोई हुए तो सीमित होंगे तथा स्पष्ट रूप से कथित होंगे।

(ई) प्रबन्ध समिति एवं उसके सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से कथित होंगे।

(उ) अधिकारों का वितरण भली-भांति संतुलित रहेगा तथा व्यक्तिगत और वर्गीय हितों की प्रधानता का परिहार होगा।

(ऊ) आचार्य, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के चयन के लिये समिति का गठन एवं अधिनियम और विनियमों के अन्तर्गत उसके कार्यान्वयन का प्राविधान।

(ए) प्रशासन की योजना यह व्यवस्था करेगी कि संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और दशायें अधिनियम और विनियमों से अनुशासित होंगी।

(ऐ) प्रशासन की योजना संस्था की सम्पत्ति के अनुरक्षण एवं सुरक्षा और निधियों के विनियोग एवं उपयोग के साथ ही लेखा की नियमित जांच और संपरीक्षण की व्यवस्था करेंगे और उनके दुर्विनियोग, दुरुपयोग एवं क्षय के विरुद्ध उपाय निश्चित करेगी।

(ओ) योजना में मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक अथवा उप-शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा घोषित प्रबन्ध के अधिकार सम्बन्धी झगड़ों के तुरन्त निपटारे की तथा झगड़े की अवधि में संस्था के प्रबन्ध की व्यवस्था होगी।

(औ) योजना का कोई उपबन्ध शिक्षा संहिता के सम्बद्ध अनुच्छेदों के विपरीत न होगा जहां कि ये अनुच्छेद अधिनियम और विनियमों से असम्बद्ध नहीं हैं।

15--निदेशक को प्रशासन की योजना प्राप्त होने के मास की प्रथम तिथि से छः मास की अवधि दी जायेगी, जिसमें वे या तो उसे स्वीकार कर लेंगे अथवा उसको उपधारा 16-ग (1) के अन्तर्गत परिवर्तनों अथवा संशोधनों के सुझावों के साथ लौटा देंगे।

16--निदेशक द्वारा परिवर्तनों अथवा संशोधनों की सूचना प्राप्त होने की तिथि से संस्था को प्रत्यावेदन करने हेतु प्रत्येक बार 3 मास की अवधि उपधारा 16-ग (1) और 16-ग (2) के अंतर्गत मिलेगी

*(17) प्रत्येक अध्यापक अपनी संस्था के प्रधान द्वारा कक्षा शिक्षण, लिखित कार्य, सहपाठ्यक्रमीय कार्यकलाप, गृह परीक्षा एवं परिषदीय परीक्षाओं एवं अन्य विद्यालयी कार्यों के सम्बन्ध में प्रदत्त आदेशों का पालन करेगा।

*(18) प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना कोई अध्यापक/कर्मचारी विभाग के किसी अधिकारी/कार्यालय से किसी प्रकार का सम्पर्क स्थापित नहीं करेगा।

*(19) परिषदीय परीक्षाओं के अन्तरीक्षण, मूल्यांकन, सारणीयन आदि कार्यों के सम्बन्ध में परिषद् के नियमों के अधीन जिला विद्यालय निरीक्षक या परिषद् के द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के निर्देशों का पालन करेगा।

*(20) प्रत्येक अध्यापक अपने कर्तव्य-पालन में समय की नियमितता बरतेगा।

*(21) कोई भी अध्यापक बिना प्रधान की अनुमति के विद्यालय में उपस्थित होने पर विद्यालय समय के अन्तर्गत विद्यालय नहीं छोड़ेगा।

*(22) कोई भी अध्यापक किसी ऐसी प्रकार की पुस्तक जिन्हें कुंजियां/गाइड आदि कहा जाता है के प्रकाशन में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं देगा।

*(23) कोई भी अध्यापक निदेशक की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिये कोई चन्दा या दान नहीं वसूल करेगा।

*(24) कोई भी अध्यापक किसी छात्र को जातिवाद, क्षेत्रीयता या अस्पृश्यता की भावनाओं को भड़काने में प्रवृत्त नहीं करेगा।

*(25) कोई भी अध्यापक विद्यालय की सम्पत्ति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हानि पहुंचाने में न प्रवृत्त होगा और न प्रवृत्त करेगा।

*(26) विभाग द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत कोई अध्यापक विद्यालय में कोई बैठक न बुलाएगा और न ही किसी ऐसी बैठक में भाग लेगा जब तक कि ऐसी बैठक उसके प्रधान द्वारा अनुमोदित कार्यों के दायित्व निर्वहन के अन्तर्गत न हो।

**(27) परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में किसी असामान्य परिस्थिति के उत्पन्न होने की आशंका की स्थिति में, जिसमें किसी प्रकार से परिषदीय परीक्षाओं का बहिष्कार अथवा असहयोग सम्मिलित है, परीक्षाओं के संचालन के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक, अवकाश प्राप्त प्रधानों, अन्य अध्यापकों अथवा राज्य कर्मचारियों, अध्यापक-अभिभावक एसोसियेशन के सदस्यों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों आदि की एक सूची समय के भीतर तैयार करेगा तथा ऐसी किसी भी असामान्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर परीक्षाओं के संचालन में उनका सहयोग प्राप्त कर सकेगा।

---

*असाधारण गजट, दिनांक 14 मार्च, 1984 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 1548/15-7-12(49)-84, दिनांक 14 मार्च, 1984 द्वारा सम्मिलित।

**दिनांक 13 फरवरी, 1988 के राज-पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-9/949, दिनांक 9 फरवरी, 1988 द्वारा सम्मिलित।

अध्याय—दो

संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति

(धारा 16-ङ0, 16-च और 16-चच)

1—किसी मान्यताप्राप्त संस्था के प्रधान और अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये, चाहे वह सीधी भर्ती से हो या अन्यथा, न्यूनतम अर्हतायें "परिशिष्ट-क" में दी गयी हैं।

*1-क—विखंडित।

2—(1) संस्था के प्रधान का पद, यथास्थिति, धारा 16—च की उपधारा (1) के अधीन या धारा 16—चच की उपधारा (1) के अधीन गठित चयन समिति को निर्देश करने के पश्चात् खण्ड (2) में किए गए उपबन्धों के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी संस्था की दशा में जो धारा 16—चच में निर्दिष्ट संस्था न हो, संस्था के प्रधान के पद में ऐसी अस्थायी रिक्ति को जो किसी पदधारी को किसी शिक्षा सत्र के दौरान छः माह से अनधिक अवधि की छुट्टी प्रदान करने या किसी पदधारी की मृत्यु या सेवा-निवृत्ति या उसके निलम्बन के कारण हुई हो, संस्था में उच्चतम श्रेणी में ज्येष्ठतम अर्ह अध्यापक को, यदि कोई हो, पदोन्नति द्वारा भरा जायगा।

(2) (क) जहाँ कोई संस्था हाई स्कूल से इन्टरमीडिएट कालेज में क्रमोन्नति की जाय वहाँ ऐसे कालेज के प्रिंसिपल का पद ऐसे हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरा जायगा, यदि वह तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार मौलिक रूप से प्रधानाध्यापक के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो और उसका सेवा-अभिलेख अच्छा हो वह इस निमित्त विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो या उसे परिषद् द्वारा ऐसी अर्हता से छूट दी गयी हो।

(ख) ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति सम्बद्ध प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का प्रस्ताव सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत करेगी।

(ग) उपखंड (ख) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के साथ प्रबन्ध समिति के उस प्रस्ताव की एक प्रति जिसमें ऐसे प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का अनुमोदन किया गया हो, उसकी सेवा-पुस्तिका और चरित्र-पंजी संलग्न होगी और उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दिया होगा, अर्थात्—

(1) जन्म का दिनांक,

(2) उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षाएं जिसमें ऐसी परीक्षाओं के विषय-श्रेणी और उत्तीर्ण करने का वर्ष उल्लिखित होगा।

---

*अधिसूचना संख्या 788 15-7-2(15)-81, दिनांक 24 फरवरी, 1983 द्वारा निकाल दिया गया।

(घ) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ऐसे प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय उसकी प्राप्ति के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर संसूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ने ऐसे प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

(ङ) उपखंड (घ) के अधीन सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक का विनिश्चय प्रबन्ध समिति को और सम्बद्ध प्रधानाध्यापक को भी संसूचित किया जायगा।

(च) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति भी है, उपखण्ड (ङ) के अधीन आदेश के संसूचित किये जाने के दिनांक से दस दिन के भीतर उसके विरुद्ध निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।

(छ) किसी हाई स्कूल का कोई प्रधानाध्यापक जो क्रमोन्नत इन्टरमीडिएट कालेज के प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य न पाया जाय या किसी ऐसे जूनियर हाई स्कूल का कोई प्रधानाध्यापक जिसका उसके हाई स्कूल के रूप में क्रमोन्नत किये जाने पर चयन समिति द्वारा ऐसे क्रमोन्नत हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद के लिए चयन न किया गया हो, ऐसे उच्चतम पद पर, जिसके लिए वह अर्ह न हो, सहायक अध्यापक के रूप में रखा जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका वेतनमान घटाया नहीं जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड में दी गयी कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू न होगी जो ऐसे दिनांक को, जब संस्था को यथास्थिति, हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट कालेज के स्तर पर क्रमोन्नति किया गया था, स्थायी न रहा हो या विधि के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त न किया गया हो।

(3) जहां संस्था के प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिये हो, वहां उच्चतम श्रेणी में ज्येष्ठतम अध्यापक को संस्था के कार्यवाहक प्रधान के रूप में कार्य करने की अनुज्ञा दी जा सकती है, किन्तु वह उस श्रेणी से जिसमें वह अध्यापक के रूप में वेतन पा रहा हो, उच्चतर श्रेणी में वेतन का हकदार न होगा।

(4) ऐसे सभी मामलों में, जिनमें इस विनियम के अधीन पदोन्नति की जाय, प्रबन्ध समिति के संकल्प की प्रति परिशिष्ट 'ख' में विहित प्रारूप (प्रोफार्मा) में विवरण के साथ शीघ्र ही प्रबन्धक द्वारा निरीक्षक और सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को भेजी जायगी।

3—(1) प्रत्येक संस्था की प्रबन्ध समिति निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची तैयार करायेगी—

(क) प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों की, जो किसी मौलिक पद पर स्थायी या अस्थायी हों, ज्येष्ठता सूची पृथक्-पृथक् तैयार की जायगी।

(ख) किसी श्रेणी में अध्यापकों की ज्येष्ठता उस श्रेणी में उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर अवधारित की जायगी।

यदि एक ही दिनांक को दो या दो से अधिक अध्यापक इस प्रकार नियुक्त किये गये थे, तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायगी।

(ख) जहां किसी श्रेणी में काम करने वाले दो या अधिक अध्यापक एक ही दिनांक को अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति किये जायें तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जायेगी, जिसकी गणना उस श्रेणी में, जिससे उनकी पदोन्नति की जाय, उनका मौलिक नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सेवा की अवधि समान हो तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी ।

(ग) सेवा काल की अवधि चाहे कुछ भी हो उच्चतर श्रेणी के अध्यापक को निम्नतर श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा ।

(घ) यदि कोई अध्यापक जो निलम्बित किया गया हो अपने मूल पद पर बहाल कर दिया जाय तो श्रेणी में उसकी मूल ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ङ) अध्यापक की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में प्रत्येक विवाद प्रबन्ध समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारण देते हुए उसका विनिश्चय करेगा ।

(च) उपखंड (ङ) के अधीन प्रबन्ध समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय ऐसे अध्यापक को सूचित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर निरीक्षक को अपील कर सकता है और अपील पर निरीक्षक का विनिश्चय अन्तिम होगा और प्रबन्ध कमेटी द्वारा कार्यान्वित किया जायगा ।

(छ) यदि एक ग्रेड में कार्यरत दो या अधिक अध्यापक किसी एक ही तिथि पर पदोन्नत किये जायं तो उनकी ज्येष्ठता का आधार उस ग्रेड का सेवाकाल होगा जिसमें वे कार्यरत थे, परन्तु यदि सेवा-काल बराबर है तो पदोन्नति की दशा में आयु के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जावेगी ।

(2) ज्येष्ठता सूची प्रति वर्ष पुनरीक्षित की जायेगी और खण्ड (1) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे पुनरीक्षण पर लागू होंगे ।

*3-क(1) किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था की स्थिति में, विनियम 3 में यथा व्यवस्थित ज्येष्ठता सूची सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की जायेगी और उसका अनुरक्षण किया जायेगा ।

(2) जहां किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं की संख्या एक से अधिक हो वहां संस्थाओं के प्रधानों की एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची और अध्यापकों की एक अन्य संयुक्त ज्येष्ठता सूची रखी जायेगी, बालकों और बालिकाओं की संस्थाओं की स्थिति में ऐसी सूचियां पृथक-पृथक रखी जायेंगी ।

(3) उप विनियम (1) और (2) के अधीन ज्येष्ठता सूची तैयार करने के लिये विनियम 3 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे और उक्त विनियम में और अध्याय 2 के अधीन अन्य विनियमों में प्रबन्ध समिति के प्रति निर्देश को उप

---

*विनियम 3(क) (1) से (3) अधिसूचना सं० 2083/15-7-8(4)/75, दिनांक 7 मई, 1983 द्वारा सम्मिलित ।

विनियम (1) में निर्दिष्ट संस्थाओं की स्थिति में सम्बद्ध स्थानीय निकाय के प्रति निर्देश समझा जायगा।

4--जहां किसी जूनियर हाई स्कूल को धारा 7 के अधीन हाई स्कूल के रूप में मान्यता दी जाय वहां ऐसे स्कूल के ऐसे स्थायी या अस्थायी अध्यापक को, जो विनियम 1 के अधीन न्यूनतम अर्हता रखता हो, ऐसे हाई स्कूल का यथास्थिति स्थायी या अस्थायी अध्यापक समझा जायगा ; प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अस्थायी अध्यापक की सेवायें, जिसका अधिनियम और विनियम के अनुसार नियुक्ति के लिए चयन न किया गया हो, उसे उस निमित्त एक माह का नोटिस देने या नोटिस के बदले में एक माह का वेतन देने के पश्चात् समाप्त हो जायगी।

स्पष्टीकरण--इस विनियम में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि हाई स्कूल के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक भी है।

5--(1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था में अध्यापक के पद की प्रत्येक रिक्ति खंड (2) में किये गये अन्यथा उपबन्ध के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा भरी जायगी।

(2) (क) प्रवक्ता श्रेणी में या एल० टी० श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का चालिस प्रतिशत संस्था में क्रमशः एल० टी० और सी० टी० श्रेणी में कार्यरत अध्यापकों में से केवल पदोन्नति द्वारा भरा जायगा और पदोन्नति ऐसे अध्यापकों की पदोन्नति के लिए उपलब्धता तथा पात्रता के अधीन रहते हुए की जायगी।

(ख) यदि यथास्थिति प्रवक्ता (लेक्चरार) श्रेणी में या एल० टी० श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के चालीस प्रतिशत से अधिक पद पहले ही पदोन्नति द्वारा भर लिये गये हों तो पहले से पदोन्नत किये गये व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जायगा।

(ग) खंड (क) के अधीन चालीस प्रतिशत पदों की संगणना करने में आधा से कम भाग छोड़ दिया जायगा और आधा या आधा से अधिक भाग को एक समझा जायगा।

स्पष्टीकरण--(1) पद "स्वीकृत पद" का तात्पर्य किसी ऐसे पद से है जिसका सृजन किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रूप से न किया गया हो वरन् जो ऐसे पद का सृजन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा सृजित किया गया हो और उसके अन्तर्गत ऐसा पद भी है जिस पर नियुक्ति निरीक्षक के अनुमोदन से की गई हो।

(2) यह नहीं समझा जायगा कि कोई ऐसा पद पदोन्नति द्वारा भरा गया है जिस पर कोई ऐसा अध्यापक था, जो संस्था में निम्नतर श्रेणी में कार्य करते समय सीधी भर्ती द्वारा उस संस्था में उच्चतर श्रेणी द्वारा उस संस्था में उच्चतर श्रेणी में नियुक्त किया गया था।

(3) इस विनियम के प्रयोजनों के लिये इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1958) के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी रीति से, सम्यक् रूप से नियुक्त अध्यापक सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किये गये समझे जायेंगे।

6--(1) जहां विनियम 5 के अधीन यथा अवधारित प्रवक्ता श्रेणी में या एल० टी० श्रेणी में कोई रिक्त पदोन्नति द्वारा भरी जानी हो, वहां यथास्थिति एल० टी० या सी० टी० श्रेणी में कार्यरत ऐसे सभी अध्यापकों के सम्बन्ध में, जिनकी उक्त रिक्ति होने के दिनांक को न्यूनतम पांच वर्ष की लगातार मौलिक सेवा हो, प्रबन्ध समिति द्वारा

पदोन्नति के लिए उसके निमित्त उनके आवेदन किये बिना ही विचार किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि वे उस विषय में जिसमें प्रवक्ता श्रेणी में या एल० टी० श्रेणी में अध्यापक की आवश्यकता हो, अध्यापन के लिये विहित न्यूनतम अर्हता रखते हों।

टिप्पणी—इस खंड के प्रयोजनों के लिये किसी अध्यापक द्वारा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में एल० टी० श्रेणी या सी० टी० श्रेणी में की गई सेवा की गणना पात्रता के सम्बन्ध में की जायेगी यदि उसमें सेवा से हटाये जाने, पदच्युत होने या निम्नतर पद पर पदोन्नति होने से व्यवधान न हुआ हो।

(2) अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिये चयन सेवा काल, सेवा में उपलब्ध शैक्षिक अर्हता और सत्यनिष्ठा के आधार पर की जायेगी।

(3) खण्ड (2) के अधीन रहते हुए जहां किसी विषय में प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति के लिए एल० टी० श्रेणी में एक से अधिक अध्यापक पात्र हों वहां ऐसे अध्यापक को अधिमानता दी जायेगी जो उनमें से उस श्रेणी में सेवा म ज्येष्ठतम हो।

(4) (क) किसी ऐसे अध्यापक के दावे की जो पदोन्नति के लिए पात्र हो, केवल इस कारण उपेक्षा नहीं की जावेगी कि वह लम्बी छुट्टी पर चला गया है या उच्चतर श्रेणी मे किसी पद पर अस्थायी रूप से स्थानापन्न है या कार्य कर रहा है।

(ख) किसी एसे अध्यापक की दशा में जो निलम्बित हो, पदोन्नति के लिये दावे की उपेक्षा नहीं की जायेगी यदि वह पदोन्नति के चयन किये जाने के पूर्व बहाल कर दिया जाय।

(5) किसी ऐसे अध्यापक के सम्बन्ध में जिसका इन विनियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन किया गया है, संस्था का प्रबन्धक ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किये गये संकल्प के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर निरीक्षक की सहमति के लिये प्रस्ताव के साथ ऐसे संकल्प की एक प्रति और एक विवरण-पत्र भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे :

(1) उप श्रेणी में जिसमें पदोन्नति की जानी हो, स्वीकृत पदों की कुल संख्या ;

(2) ऐसे पदों की संख्या जो पदोन्नति के लिये आरक्षित रखे जायेंगे ;

(3) ऐसे पदों की संख्या जो पहले ही पदोन्नति द्वारा भर दिये गये हों और पदाधिकारियों के नाम ;

(4) ऐसी रिक्तियों की कुल संख्या जो हो गयी हो ;

(5) प्रबन्ध समिति द्वारा अवधारित रिक्तियों की संख्या जो—

(क) पदोन्नति ;

(ख) सीधी भर्ती ;

द्वारा भरी जायेगी।

(6) पदोन्नति के लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम, उनकी अर्हता और उस श्रेणी में, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से उनकी सेवा की अवधि, और

(7) पदोन्नति के लिए चयन किये गये व्यक्तियों के नाम।

(6) खंड (5) के अधीन प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर निरीक्षक उस पर अपना विनिश्चय प्रबन्धक को संसूचित करेगा ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि निरीक्षक ने प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किये गये संकल्प पर अपनी सहमति दे दी है।

(7) जहां प्रबन्ध समिति खण्ड (6) के अधीन निरीक्षक के विनिश्चय से व्यथित हो, वहां वह प्रबन्धक को ऐसे विनिश्चय की संसूचना दिये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर, उसके विरुद्ध सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।

7--(1) सी0 टी0 श्रेणी या जे0 टी0 सी0 बी0 टी0 श्रेणी में अध्यापकों के पद की प्रत्येक रिक्ति, खण्ड (2) में किये गये उपबन्ध के सिवाय, सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी।

(2) जहां किसी संस्था में जे0 टी0 सी0, बी0 टी0 सी0 श्रेणी में कार्यरत किसी अध्यापक ने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर की हो या वह प्रशिक्षित स्नातक हो और उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तो प्रबन्ध समिति द्वारा सी0 टी0 श्रेणी में पदोन्नति किया जायगा और ऐसी पदोन्नति की सूचना निरीक्षक को तुरन्त दी जायगी।

(3) यदि निरीक्षक को यह विश्वास करने का कारण हो कि खंड (2) के अधीन कोई पदोन्नति उक्त अधिनियम और विनियमों के उल्लंघन में की गई है तो इस निमित्त की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह मामले का निर्देश निदेशक को कर सकता है जिसका विनिश्चय इस विषय में अंतिम होगा।

8--यदि कोई अध्यापक विनियम 5, 6 या 7 के अधीन प्रबन्ध समिति के किसी विनिश्चय से व्यथित हो तो वह उसके विरुद्ध ऐसे विनिश्चय के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर निरीक्षक को अभ्यावेदन कर सकता है। निरीक्षक ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर उस पर ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे, जो प्रबन्ध समिति द्वारा शीघ्र कार्यान्वित किय जाएग।

9--(1) जहां अध्यापक के पद में कोई रिक्ति उसे छः माह से अधिक अवधि की छुट्टी प्रदान किये जाने के कारण हुई हो या जहां कोई अध्यापक निलम्बित हो जिसे निरीक्षक ने धारा 16-छः की उपधारा (7) के अधीन लिखित रूप में अनुमोदित कर दिया हो और ऐसे निलम्बन की अवधि ऐसे अनुमोदन के दिनांक से छः माह से अधिक हो जाने की सम्भावना हो तो रिक्ति इस विनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये यथास्थिति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा अस्थायी रूप से भरी जा सकती है।

(2) जहां कोई रिक्ति खंड (1) में निर्दिष्ट प्रकार की हो या विनियम 2 के अधीन पदोन्नति के परिणामस्वरूप हो और ऐसी रिक्ति की अवधि तीस दिन से अधिक किन्तु छः माह से अनधिक हो तो वह प्रबन्ध समिति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर निकटतम निम्नतर श्रेणी में संस्था के सम्यक् रूप से अर्ह स्थायी अध्यापक की पदोन्नति करके भरी जा सकती है।

(3) यदि खंड (2) के अधीन कोई रिक्ति निकटतम निम्नतर श्रेणी में संस्था के किसी ऐसे अध्यापक के जो उस पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, उपलब्ध न होने के कारण भरी न जा सके तो वह प्रबन्ध समिति द्वारा कुल मिला कर छः माह से अनधिक अवधि के लिये सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ आधार पर भरी जा सकती है।

(4) खंड (2) या खंड (3) के अधीन भरी गई सभी रिक्तियाँ उनके भरे जाने के एक सप्ताह के भीतर परिशिष्ट (ख) में विहित प्रारूप (प्रोफार्मा) में निरीक्षक को सूचित की जायेंगी।

9—(क) किसी स्थायी अध्यापक की निम्नस्तर श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के परिणामस्वरूप हुई किसी रिक्ति को भरने के लिये किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई अध्यापक उस पद पर ऐसे स्थायी अध्यापक के उच्चतर श्रेणी में स्थायीकरण के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

10—किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को सीधे भर्ती द्वारा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी :—

*(क) प्रबन्ध समिति द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित कर लिये जाने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों में जिनमें एक व्यापक प्रचलन का स्थानीय अथवा संस्था के निकटतम स्थान से प्रकाशित होने वाला कोई समाचार पत्र हो और दूसरा राज्य में व्यापक परिचालन वाला समाचार पत्र हो, पद विज्ञापित किये जायेंगे, प्रतिबन्ध यह है कि समाचार पत्रों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक अपने सम्भाग के सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक की स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित करेंगे और उनमें से ही दो समाचार पत्रों में जनपद के समस्त प्रबन्ध समितियों द्वारा विज्ञापन देना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में रिक्तियों के प्रकार (अर्थात् स्थायी हैं या अस्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण (अर्थात् प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या एल० टी०, सी० टी० या जे०टी०सी०, बी०टी०सी० श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसा या ऐसे विषय जिसमें या जिनमें प्रवक्ता या अध्यापक की आवश्यकता हो), वर्तमान और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता और न्यूनतम आयु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिये गए हों और अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिये) विहित किया जायेगा जिस तक अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्णतया भरे गये आवेदन-पत्र निम्नलिखित के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक, या

(2) बालिकाओं की संस्थाओं की दशा में सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका।

विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र किसी निरीक्षक के कार्यालय से 9 रुपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट से भुगतान करने पर या कोषागार के चालान से निरीक्षक द्वारा बताये गये शीर्षक के अधीन स्टेट बैंक आफ इंडिया में धनराशि जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी दशा में निरीक्षक के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नहीं किया जायगा। इसके साथ-साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को भेजी जायेगी और संस्था के

---

*अधिसूचना संख्या मा० –5468/15–7—12 (33)–77, दिनांक 13 अक्तूबर, 1979 द्वारा संशोधित।

प्रधान का पद विज्ञप्ति किये जाने की दशा में विज्ञापन की प्रति सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायगी।

टिप्पणी—(1) विज्ञापन देने के समय पर विद्यमान संस्था के अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के पद की सभी रिक्तियां विज्ञापित की जायेंगी।

(2) कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्ध समिति द्वारा उसके सृजन के लिये समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

(ख) आवेदन का प्रपत्र ऐसा होगा जैसा कि निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र को, जो संस्था में नियोजित हो और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिये आवेदन कर रहा हो, नियोजक द्वारा रोका नहीं जायेगा किन्तु शीघ्र ही सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षकों को और धारा 16-चच में निर्दिष्ट संस्था में किसी पद की दशा में, उसके प्रबन्धक को भेज दिया जायगा।

(घ) प्राप्त किये गये आवेदन-पत्र निरीक्षक के कार्यालय में निदेशक द्वारा अनुमोदित प्रपत्र रखे गये रजिस्टर में क्रमानुसार संख्यांकित और प्रविष्ट किये जायेंगे और अभ्यर्थियों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण-विषयक प्राप्तांकों के साथ समुचित स्तम्भों के अन्तर्गत दर्ज किए जायेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी का गुण-विषयक अंक परिशिष्ट 'घ' में अधिकथित मानदण्ड के अनुसार अधिमानतया निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये गये स्थानीय सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों या सेवानिवृत्त प्रिंसिपलों या उपाधि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अध्यापकों या संस्था के सेवानिवृत्त प्रधानों द्वारा दिये जायेंगे और इसकी जांच निरीक्षक या उसके द्वारा विभाग के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन आवेदन-पत्रों का विज्ञापन में आवेदन-पत्र प्राप्ति के लिये विज्ञापित अंतिम दिनांक से पांच दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्ध समिति द्वारा तीन दिन के भीतर निरीक्षक के कार्यालय से संस्था के प्रबन्धक के माध्यम से संग्रहीत किया जायेगा, ऐसा न करने पर, निरीक्षक आवेदन-पत्रों का सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक को भिजवा देगा। प्रबन्धाधिकरण भी इसी प्रकार का एक रजिस्टर रखेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा गुण-विषयक प्राप्तांकों के अनुसार किया जायेगा। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वालों की संख्या (यदि आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी; प्रतिबन्ध यह है कि यह संख्या ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के लिये बढ़ायी जा सकती है जो प्रथम सात स्थानों में समान गुण-विषयक अंक प्राप्त करें। निरीक्षक चयन करने के लिए ऐसे दिनांक, समय और स्थान को जैसा कि उसके द्वारा निर्धारित किया जाय, सूचना ऐसे दिनांक के कम से कम दो सप्ताह पूर्व प्रबन्ध समिति को उसके प्रबन्धक के माध्यम से भेजेगा। सूचना प्राप्त होने पर प्रबन्धक शीघ्र ही विशेषज्ञों से भिन्न चयन समिति के अन्य सदस्यों को सूचना भेजेगा और साक्षात्कार के लिये चयन किये गये सभी अभ्यर्थियों को ऐसे चयन के कम से कम दस दिन पूर्व रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा साक्षात्कार-पत्रक जारी करेगा जिसमें चयन किये जाने का दिनांक, समय व स्थान विनिर्दिष्ट किया जायेगा। चयन समिति तदनुसार चयन

करने के लिए अपनी बैठक करेगी। निरीक्षक यथास्थिति धारा 16-च की उपधारा (1) या (2) के खंड (3) के अधीन नाम-निर्दिष्ट विशेषज्ञों को संस्था के नाम के साथ-साथ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक, समय और स्थान की सूचना ऐसे दिनांक के पर्याप्त समय पूर्व भेजेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से कोई विशेषज्ञ चयन करने के लिय निर्धारित दिनांक को उपस्थित न हो सके तो निरीक्षक तुरन्त ही प्रतीक्षा सूची में से विशेषज्ञ का प्रबन्ध करेगा। दो विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायगी और उसके लिए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायगा।

(घघ) जहां खण्ड (क) के अधीन विज्ञापित पद किसी संस्था के प्रिंसिपल के पद के लिये हो, वहां ऐसी संस्था के प्रवक्ता श्रेणी के दो ज्येष्ठतम अध्यापक और जहां विज्ञापित पद किसी संस्था के प्रधानाध्यापक के पद के लिये हो वहां एसी संस्था के एल० टी० श्रेणी के दो ज्येष्ठतम अध्यापक, जो ऐसे पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हतायें रखते हों और जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में कम से कम दस वर्ष की लगातार सेवा, जिसके अन्तर्गत ऐसी अवधि यदि कोई हो, जिसके दौरान उन्होंने अस्थायी रूप से प्रिंसिपल/प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा की हो, भी है, उस पद के लिए साक्षात्कार के निमित्त बुलाये जाने के हकदार होंगे, भले ही वे खण्ड (घ) के अधीन प्रथम सात स्थानों में न आते हों।

(ङ) साक्षात्कार के लिये बुलाये गये प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित दरों पर साक्षात्कार फीस का भुगतान करना होगा :--

		रु0
(1) संस्था के प्रधान के पद के लिये--		
सामान्य अभ्यर्थी	..	20
अनुसूचित जाति/जन-जाति का अभ्यर्थी	..	5
(2) अध्यापक के पद के लिये--		
सामान्य अभ्यर्थी	..	13
अनुसूचित जाति/जन-जाति का अभ्यर्थी	..	3

साक्षात्कार फीस रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा या निरीक्षक द्वारा बताये गये शीर्षक के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इन्डिया में धनराशि जमा करके कोषागार चालान द्वारा देय होगी। किसी भी दशा में साक्षात्कार फीस नकद रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट और कोषागार चालान प्रबन्धक द्वारा चयन के पश्चात् शीघ्र ही निरीक्षक को भेजे जायेंगे,

(च) प्रबन्ध समिति द्वारा परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में एक विवरण पत्र (6 प्रतियों में) तैयार कराया जायगा जिसमें साक्षात्कार के लिये बुलाये गये प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम उसकी अर्हतायें और उसके सम्बन्ध में अन्य विवरण दिये जायेंगे और उन्हें साक्षात्कार के समय पर चयन समिति के प्रत्येक सदस्य के समक्ष रखा जायगा। सभी आवेदन-पत्र जिसके अन्तर्गत

ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र भी हैं जिन्हें साक्षात्कार के लिये न बुला गया हो, खंड (घ) में निर्दिष्ट संस्था द्वारा रखा गया रजिस्टर, चयन समि के सदस्यों को भेजे गये सभी पत्रों को और सभी साक्षात्कार पत्रकों कार्यालय प्रतियों को भी जिसमें उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे जाने डाकखाने की रसीद और प्राप्ति स्वीकृति, यदि कोई हो, सम्मिलित प्रबंधाधिकरण द्वारा संस्था के माध्यम से चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा

(छ) चयन समिति द्वारा चयन गुण-विषयक अंकों और साक्षात्कार दिये गये अंकों के योग के आधार पर किया जायगा। इस प्रयोजन के लि अंकों का योग गुण-विषयक अंकों जैसा कि खण्ड (घ) के अधीन अभ्यर्थी द्वा प्राप्त किये जायें और चयन समिति के सदस्यों द्वारा 50 में से दिये गये अं के औसत को जोड़कर लगाया जायगा। उदाहरणार्थ—ऐसे अभ्यर्थी को खण्ड (घ) के अधीन 90 गुण-विषयक अंक प्राप्त करें। साक्षात्कार निम्नलिखित अंक दिये जायें :—

सदस्य संख्या 1	35
सदस्य संख्या 2	30
सदस्य संख्या 3	40
सदस्य संख्या 4	45
सदस्य संख्या 5	25
योग ..	175

तो अंकों का योग 90+175/5=125 होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्ये विशेषज्ञ भी खंड (च) में निर्दिष्ट विवरण पत्र में यह अंकित करेगा कि व अभ्यर्थी के चयन से सहमत है या नहीं। असहमति की दशा में वह संक्षे में उसके कारण लिखेगा। किसी पद के लिये सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्का कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति या तो स्वयं या उस किसी अन्य सदस्य द्वारा किये गये चयन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी दो प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें चुने गए अभ्यर्थी के नाम के साथ उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार अवधारित योग्यता क्रम में तैयार की ग प्रतीक्षा-सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम और कम से कम दो ऐसे विशेषज्ञों के नाम भी दिये जायेंगे जो ऐसे अभ्यर्थियों के चयन से सहमत हों। इस प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति और अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे जिसमें उनका पूरा नाम, पदनाम और पता और दिनांक दिया जायगा। इस टिप्पणी की एक प्रति के साथ खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण-पत्र की एक प्रति सभापति द्वारा शीघ्र ही प्रबन्धक के माध्यम से प्रबन्धाधिकरण को भेजी जायगी और दूसरी प्रति सम्बन्धित निरीक्षक को भेजी जायगी।

स्पष्टीकरण—धारा 16-च की उपधारा (3) में निर्दिष्ट मामलों में, इस विनियम में प्रबन्ध समिति या उसके अध्यक्ष (प्रेसीडेन्ट) या सदस्य के प्रति कोई निर्देश प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति निर्देश समझा जायेगा जिसे खण्ड (ख)

के अधीन, साक्षात्कार में अंक देने के प्रयोजनार्थ चयन समिति का एकल सदस्य समझा जायेगा।

(ज) खंड (छ) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों को दिये गये अंकों का योग बराबर हो तो आयु में ज्येष्ठतम अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

11--(1) किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक के चयन में उपस्थित विशेषज्ञों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे चयन से सम्बन्धित सभी कागज-पत्रों की छान-बीन करें और विशेष रूप से यह परीक्षण करे कि साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों को अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार ठीक तौर से बुलाया गया है और यह कि किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के ऐसे अवसर से वंचित तो नहीं रखा गया जो उसे उचित रीति से मिलना चाहिए था। वे परिशिष्ट 'ग' में विवरण में यथा प्रस्तावित चयन की कार्यवाहियों में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देंगे। यदि वे यह अनुभव करे कि किसी अभ्यर्थी को किसी त्रुटि या चूक के फलस्वरूप साक्षात्कार के विधि संगत अवसर से वंचित रखा गया है तो वे मामले के पूरे ब्योरों के साथ निरीक्षक को सूचित करेंगे। यदि निरीक्षक का यह समाधान हो जाय कि इससे साक्षात्कार की कार्यवाहियां दूषित हो गयी है तो वह साक्षात्कार के कार्यवाहियों को अकृत और शून्य घोषित कर देगा और ऐसे मामलों में फिर से चयन करने के लिये आदेश देगा। इस सम्बन्ध में निरीक्षक के आदेश अन्तिम और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिये आबद्ध कर होंगे।

(2) चयन से सम्बन्धित सभी आवेदन-पत्र, कागज पत्र और रजिस्टर प्रबन्धाधिकरण द्वारा उतनी अवधि तक सुरक्षित रखे जायेंगे जैसी कि निदेशक द्वारा विहित की जाय और निरीक्षक, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक या निदेशक को जैसे ही और जब उन्हें मांगा जाय, प्रस्तुत किये जायेंगे।

12--संस्था का प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेगा कि चयन करने के पूर्व अधिनियम और विनियम के अधीन की जाने वाली सभी आवश्यक कार्यवाही जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति द्वारा चयन समिति के सभापति या सदस्य का नाम-निर्देशन भी है, यथासमय कर ली जाय और साक्षात्कार के लिये निर्धारित दिनांक पर चयन समिति की बैठक और साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों के बैठने का सभी प्रबन्ध कर दिया गया है।

13--निरीक्षक एक या अधिक संस्थाओं के एक या अधिक चयन ऐसे स्थान, समय और दिनांक पर निर्धारित कर सकता है, जो सुविधाजनक हो।

14--संस्था के प्रधान और अध्यापकों का चयन करने के लिये प्रत्येक सम्भाग के लिये धारा 16-च की उपधारा (4) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों की पृथक्-पृथक् नामिका (पैनेल) निदेशक द्वारा निम्नलिखित प्रवर्ग के व्यक्तियों में से जब उन्होंने विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिये अपनी लिखित सहमति दे दी हो, तैयार की जायगी :--

(क) <u>वे व्यक्ति जो संस्था के प्रधान का चयन करने के लिये विशेषज्ञ नियुक्त किये जा सकेंगे</u>--

(1) उपाधि महाविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय और पोलिटेक्निक जिसके अन्तर्गत सेन्ट्रल स्कूल भी है, के प्रिंसिपल;

(2) शिक्षा विभाग के प्रान्तीय शिक्षा सेवा के स्तर से अनिम्न प्रवर्ग के राजपत्रित अधिकारी चाहे वे सेवा में हो या सेवा निवृत्त हो गये हों;

(3) विश्वविद्यालयों और उपाधि महाविद्यालयों के आचार्य (प्रोफसर) और उपाचार्य (रीडर);

(4) विश्वविद्यालयों और उपाधि महाविद्यालयों के प्रवक्ता; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे इस रूप में कम से कम दस वर्ष तक कार्य कर चुके हों;

(5) कोई अन्य व्यक्ति जिसे निदेशक द्वारा उपयुक्त समझा जाय।

(ख) वे व्यक्ति जो अध्यापकों के चयन के लिये विशेषज्ञ नियुक्त किये जा सकेंगे :—

(1) किसी इन्टरमीडिएट कालेज, हाई स्कूल या राजकीय नार्मल स्कूल के प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक चाहे वे सेवा में हों या सेवानिवृत्त हो गये हों;

(2) शिक्षा विभाग के उप जिला विद्यालय निरीक्षक के पद से अनिम्न प्रवर्ग के राजपत्रित अधिकारी, चाहे वे सेवा में हों या सेवा–निवृत्त हो गये हों;

(3) उपाधि महाविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय या पोलीटेक्निक के प्रवक्ता और शिक्षा विभाग के कम से कम पांच वर्ष की अवस्थिति के राजपत्रित अधिकारी;

(4) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे निदेशक द्वारा उपयुक्त समझा जाय।

प्रत्येक सम्भागीय नामिका में विशेषज्ञों की संख्या उतनी होगी जितनी निदेशक द्वारा आवश्यक समझी जाय किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इन्टरमीडिएट कक्षाओं के चयन के लिये नियुक्त विशेषज्ञ अपने विषय में विशेषज्ञ होंगे (अर्थात् उनके पास सम्बद्ध विषय में इन्टरमीडिएट कक्षाओं के अध्यापक के लिये परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए)। सम्भागीय नामिका तीन वर्ष के लिये विधिमान्य रहेगी, किन्तु निदेशक उपर्युक्त अवधि के दौरान भी नामिका में किसी व्यक्ति को बढ़ा सकता है या उससे कोई व्यक्ति हटा सकता है। जहां आवश्यक हो एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक नामिकाओं में सम्मिलित किया जा सकता है।

15—जैसे ही शिक्षा विभाग के सम्भागीय उप निदेशक को किसी संस्था के प्रधान के लिये विज्ञापित किसी पद के सम्बन्ध में विज्ञापन की प्रति प्राप्त हो जाय, वह सम्बद्ध संस्था के लिये अपने द्वारा नाम–निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञों की एक सूची जिसके साथ एक और नाम भी प्रतीक्षा सूची में होगा निरीक्षक को चयन में भाग लेने के लिये आमंत्रित करने के लिये भेजेगा। उसी प्रकार निरीक्षक भी जैसे ही उसे विज्ञापन की प्रति प्राप्त हो ऐसी संस्था या संस्थाओं के लिये, जिसके लिये अध्यापक का चयन किया जाना हो, तीन विशेषज्ञ और एक अन्य जो प्रतीक्षा सूची में होगा को नाम–निर्दिष्ट करेगा, और उन्हें चयन में भाग लेने के लिये आमंत्रित करेगा।

16—चयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ और गुण विषयक अंक देने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा स्वीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों को ऐसी दर पर, जैसा राज्य सरकार स्वीकृत करे, यात्रा भत्ता दिया जायगा।

17—धारा 16–चच में निर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सीधी भर्ती द्वारा संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को भरने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :—

(क) प्रबन्धाधिकरण द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित किये जाने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम

एक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में जिसका राज्य में पर्याप्त परिचालन हो, पद विज्ञापित किये जायेंगे जिसमें रिक्तियों के प्रकार (अर्थात् अस्थायी हैं या स्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या पद का विवरण (अर्थात् प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या एल0 टी0, सी0 टी0, या जे0 टी0 सी0, बी0 टी0 सी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसे विषय जिसमें या जिनमें प्राध्यापक या अध्यापक की आवश्यकता हो), पद के लिए विहित वेतन-मान और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, न्यूनतम अर्हता और आयु यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में विवरण दिए जायेंगे और ऐसा दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए) जिस तक प्रबन्धक द्वारा आवेदन-पत्र लिए जायेंगे, विहित किया जायगा। साथ ही साथ विज्ञापन की एक प्रति सम्बद्ध निरीक्षक को भेजी जायेगी।

टिप्पणी--(1) अध्यापकों और संस्था के प्रधान के पदों की समस्त रिक्तियां जो विज्ञापन के समय विद्यमान हों, विज्ञापित की जावेंगी।

(2) कोई नया पद विज्ञापित नहीं किया जायगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण द्वारा उसके सृजन के लिये समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

(ख) सभी आवेदन-पत्र प्रबन्धाधिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में दिये जायेंगे और उसमें अर्हतायें, शिक्षण अनुभव और अन्य क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक विवरण होंगे और उसके साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों और प्रशंसा-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां होंगी। प्रबन्धाधिकरण आवेदन-पत्र के लिये प्रपत्र का मूल्य जो विनियम 10 के खंड (क) में निर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, ले सकता है।

(ग) किसी संस्था में नियोजित और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति का आवेदन-पत्र उसके नियोजक द्वारा रोका नहीं जायेगा बल्कि उसे सम्बद्ध प्राधिकारी को तुरन्त अग्रसारित किया जायगा।

(घ) अभ्यर्थियों से प्राप्त समस्त आवेदन-पत्र क्रमानुसार संख्यांकित और रजिस्टर में दर्ज किए जायेंगे और अभ्यर्थियों के विवरण समुचित स्तम्भों में अंकित किये जायेंगे, प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यदि (आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी। प्रबन्धक, चयन समिति के समस्त सदस्यों तथा समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जायं, चयन करने के कम-से-कम दस दिन पूर्व चयन का दिनांक, समय और स्थान की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा देगा। चयन समिति तदनुसार चयन करेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश धारा 16-च च की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा चयन किया गया विशेषज्ञ निर्धारित दिनांक को चयन में उपस्थित न हो सके तो चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायगी।

(ङ) विनियम 10 के खण्ड (ङ) और (च) के और विनियम 11, 12 तथा 16 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित, इस विनियम के अधीन किये गये चयन पर लागू होंगे।

(च) प्रत्येक सम्भाग के लिये निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक-एक नामिका जिसमें विनियम 14 में निर्दिष्ट प्रवर्ग (क) से चुने गये पन्द्रह या अधिक

व्यक्ति होंगे, तैयार की जायगी और उसमे सम्बन्द्ध सम्भागीय उप शिक्षा निदेशकों के पास भेज दिया जायेगा, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक प्रबन्धाधिकरण से विशेषज्ञों के नाम भेजने का अनुरोध प्राप्त होते ही उक्त नामिका में से तीन विशेषज्ञों के नाम मुहरबन्द आवरण में प्रबन्धाधिकरण को उसके प्रबन्धक के माध्यम से संसूचित करेगा। विशेषज्ञों की सम्भागीय नामिका तब तक विधिमान्य रहेगी जब तक कि उसके स्थान पर कोई नयी नामिका न रखी जाय।

*(छ) किसी पद के लिये समस्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति किये गये चयन की कार्यवाहियों पर दो प्रतियों में एक टिप्पणी तैयार करायेगा जिसमें चुने गए अभ्यर्थियों के नाम तथा प्रतीक्षा सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम उल्लिखित किये जायेंगे। इस प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति तथा अन्य सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और अपना-अपना पूर्ण नाम पदनाम और पता तथा दिनांक उल्लिखित करें। सभापति इस टिप्पणी की एक प्रति तथा विनियम 10 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण की एक प्रति धारा 16-चच के अधीन यथा अपेक्षित अनुमोदन के लिये, यथास्थिति, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक या निरीक्षक को तुरन्त अग्रसारित करेगा। सम्बन्धित अभिलेखों के प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर, यथास्थिति, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक, या निरीक्षक, उन पर अपना निर्णय दे देंगे और ऐसा न करने पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया समझा जायेगा।

18—(1) धारा 16-च की उपधारा (1) या (2) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश और धारा 16-चच में निदिष्ट किसी संस्था की स्थिति में उसमें विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ङ' में दिये गये प्रपत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा जिसमें अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर कार्य-भार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायगी, कार्यभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकेगी।

(2) पदोन्नतियों और तदर्थ नियुक्तियों की स्थिति में भी, पदोन्नति या नियुक्ति का औपचारिक आदेश खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रपत्र के यथा-सम्भव निकटतम प्रपत्र में प्रबन्धक के हस्ताक्षर से सम्बद्ध व्यक्ति को जारी किया जायेगा।

(3) खण्ड (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक आदेश की एक प्रति निरीक्षक को और किसी संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, उसकी एक प्रति सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायेगी।

19—जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के उपबन्धों का उल्लंघन करके या किसी स्वीकृत पद से भिन्न किसी पद पर संस्था का प्रधान या अध्यापक नियुक्त किया जाय या संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी पद पर कोई पदोन्नति की जाय तो निरीक्षक जहां संस्था उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत आती हो, ऐसे व्यक्ति को वेतन और अन्य भत्ते, यदि कोई हों देने से इनकार करेगा

---

*राजाज्ञा संख्या-मा 3723--15-7-12 (7)-74, दिनांक 26 जून, 1980 द्वारा संशोधित।

और अन्य मामलों में ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में वेतन और भत्ते के लिये कोई अनुदान देने से इनकार करेगा।

20--जहां प्रबन्ध समिति इस अध्याय में दिये गये विनियमों के अनुसार किसी ऐसे स्वीकृत पद को जो, रिक्त हो गया हो, ऐसे रिक्त होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर विज्ञापित नहीं करती है तो ऐसा पद अभ्यर्पित कर दिया गया समझा जायेगा और तब तक नहीं भरा जायेगा जब तक कि निदेशक द्वारा उसका सृजन फिर से स्वीकृत न कर दिया जाय।

परिशिष्ट--क

(अध्याय-दो, विनियम 1 के सन्दर्भ में)

अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधान एवं अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें।

*किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित या निर्गमित किसी विश्वविद्यालय की या किसी ऐसी संस्था की, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय समझी जाती हो या संसद के किसी अधिनियम द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी ऐसी संस्था की सम्बद्ध विषय में उपाधि और डिप्लोमा इसके अधीन विहित न्यूनतम अर्हताओं के प्रयोजनार्थ मान्य होंगे।

*इसके अधीन विहित अर्हताओं के सम्बन्ध में शब्द 'प्रशिक्षित' से तात्पर्य स्नातकोत्तर प्रशिक्षण अर्हता जैसे पूर्ववर्ती पैरा में यथानिर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या संस्था की, एल0 टी0, बी0 टी0, बी0 एड0, बी0 एड0 एस-सी0 या एम0 एड0 या किसी समकक्ष अर्हता (उपाधि या डिप्लोमा) से है। इसके अन्तर्गत विभागीय ए0 टी0 सी0 और कम से कम पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव वाला सी0 टी0 भी होगा। जे0 टी0 सी0/बी0 टी0 सी0 वाला अध्यापक भी सी0 टी0 समझा जायेगा यदि उसने सी0 टी0 श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष कार्य किया हो।

अनिवार्य अर्हतायें

क्रम संख्या	पद नाम	शैक्षिक	प्रशिक्षण	अनुभव	आयु	वरीयमान अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
1	*संस्था का प्रधान (1) प्रशिक्षित एम0 ए0 या एम0 एस-सी0 या एम0 काम0 या एम0 एस-सी0 (कृषि) या इसके समकक्ष कोई स्नातकोत्तर या अन्य उपाधि जो, उपर्युक्त प्रथम पैरा में निर्दिष्ट निकाय द्वारा प्रदान की गई हो और विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण संस्था में या उपर्युक्त प्रथम पैरा में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से सम्बद्ध किसी उपाधि महाविद्यालय में, या परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से सम्बद्ध किसी संस्था				न्यूनतम 30 वर्ष	

*अधिसूचना सं0 18238--पन्द्रह-7-76-2 (18) 75, दिनांक 9 दिसम्बर, जो, उसी तिथि के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई, द्वारा संशोधित।

1	2	3	4	5	6	7

की या इसी प्रकार की संस्थओं की, जिनको परीक्षा एं परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम चार वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो, प्रतिबन्ध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु का/की न हो।

या

**(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इन्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ-साथ प्रथम या द्वितीयश्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या पन्द्रह वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि।

या

(3) विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी; प्रतिबन्ध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो।

टिप्पणी--(1) कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि तथा मान्यता प्राप्त संस्था की इन्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का विशिष्ट शिक्षण अनुभव होने पर सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षण योग्यताओं से छूट दी जा सकती है (अधिनियम में निहित प्रविधान के अनुसार)।

(2) शिक्षण अनुभव में प्रशिक्षण पूर्व अथवा पश्चात् का शिक्षण अथवा दोनों मिलाकर सम्मिलित हैं।

(3) उच्चतर कक्षाओं का तात्पर्य कक्षा 9 से 12 तक का है और इन कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य पद के लिये मान्य है।

अध्यापक

राजाज्ञा संख्या 1559/15-8-3031-1973, दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के अनुसार इस राजाज्ञा की निर्गमन की तिथि को अथवा उसके पश्चात् मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किये जाने वाले समस्त भाषाओं के अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही होंगी जो समय-समय पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित की गई हों या की जायेगी। परन्तु जिन भाषाओं के अध्यापन की व्यवस्था राजकीय विद्यालयों में नहीं है और अशासकीय विद्यालयों में उनका अध्यापन किया जाता है, अशासकीय विद्यालयों में उन भाषाओं के अध्यापकों की न्यूनतम अर्हतायें वही होंगी जो परिषद् द्वारा निर्धारित है। ऐसे भाषा अध्यापकों के लिए बाद में राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति हेतु जो अर्हताय निर्धारित की

**अधिसूचना संख्या मा0-1540--15-7-12 (149) 1976, दिनांक 23 फरवरी, 1979 द्वारा संशोधित।

आयेगी वही अर्हतायें सहायता प्राप्त विद्यालयों के ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए लागू होंगी--

क्रम सं0	पद नाम	शैक्षिक	प्रशिक्षण	अनुभव	आयु	वरीयमान अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
2	हिन्दी अध्यापक इण्टर-मीडिएट (कक्षा 11 12) के लिए	1--हिन्दी में एम0 ए0 तथा संस्कृत के साथ बी0 ए0 अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अब सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी *2--प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान (राजाज्ञा संख्या मा/4428/15-72 (13)--76, दिनांक 16 मार्च, 1979 के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए, यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यतायें रखते हों, इंटरमीडिएट कक्षाओं के हिन्दी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बी0 ए0 उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा।				प्रशिक्षित
	हाई स्कूल (कक्षा 9 10) के लिये	(1) बी0 ए0 हिन्दी एवं संस्कृत विषय के साथ एवं एल0 टी0 या बी0 टी0 या बी0 एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा अथवा (2) साहित्य रत्न 2 वर्षीय कोर्स हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग जिसमें संस्कृत विषय प्राचीन भाषा के रूप में लिया गया हो तथा रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग				
3	गणित अध्यापक इंटर-मीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	(1) एम0 ए0 अथवा एम0 एस-सी0 गणित				प्रशिक्षित

*शासनादेश संख्या मा0 दो-53/15--7-2(13) 1976, दिनांक 9 जनवरी, 1981 द्वारा संशोधित।

1	2	3	4	5	6	7
			अथवा			
			(2) गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी0 ए0 (आनर्स) अथवा बी0 एस-सी0 (आनर्स)			प्रशिक्षित
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए		बी0 ए0 अथवा बी0 एस-सी0 गणित			प्रशिक्षित
*3	(क) सांख्यिकी अध्यापक इंटरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए		सांख्यिकी में एम0 ए0 या एम0-एस-सी0			
			या			
			बी0 ए0 या बी0 एस-सी0 में पूर्ण विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ गणित में एम0 ए0 या एम0 एस-सी0			
			या			
			गणित में प्रशिक्षित एम0 ए0 या एम0 एस-सी0 और किसी विश्वविद्यालय का सांख्यिकी में में एक वर्ष का डिप्लोमा			
4	गृह विज्ञान अध्यापक इंटरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये		(1) गृह-विज्ञान में एम0 एस-सी0 या गृह अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या गृह कला (होम आर्ट) में एम0 ए0			
			या			
			(2) गृह-विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइन्स) या गृह कला (होम आर्ट) में प्रशिक्षित स्नातक			
			या			
			राजकीय गृह-विज्ञान महा विद्यालय, इलाहाबाद का वर्ष 1950-54 के बीच का तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम			

*दिनांक 9 दिसम्बर, 1976 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या मा/8238/पन्द्रह--7-76-2(18)--1975, दिनांक 9 दिसम्बर, 1976 द्वारा सम्मिलित ।

1	2	3	4	5	6	7
	हाई स्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(1) गृह–विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइन्स) या गृह कला (होम आर्ट) में प्रशिक्षित स्नातक या (2) गृह–विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद का टी0 सी0 या (3) राजकीय गृह–विज्ञान महा–विद्यालय, इलाहाबाद का वर्ष 1950–54 के बीच का तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम या (4) लेडी इरविन कालेज, दिल्ली का डिप्लोमा				
5	अरबी अध्यापक (कक्षा 11–12) के लिए	एम0 ए0 अरबी				प्रशिक्षित
	हाई स्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(1) अरबी के साथ बी0 ए0				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(2) इण्टरमीडिएट तथा निम्न–लिखित में से एक योग्यता (क) फाजिल, इलाहाबाद अथवा (ख) फाजिल, लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा (ग) मौलवी फाजिल, पंजाब विश्वविद्यालय				प्रशिक्षित
6	अर्थशास्त्र अध्यापक (कक्षा 11–12) के लिए	(1) एम0 ए0 (अर्थशास्त्र)				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(2) एम0 काम0 तथा अर्थशास्त्र सहित बी0 काम0				प्रशिक्षित

1	2	3	4	5	6	7
		अथवा				
		(3) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बी० ए० (आनर्स)				प्रशिक्षित
	हाई स्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(1) अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय सहित बी० एस-सी० (कृषि)				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(2) बी० काम				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(3) अर्थशास्त्र सहित बी० ए०				प्रशिक्षित
7	इतिहास अध्यापक इण्टर मीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	(1) इतिहास में एम० ए०				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(2) प्राचीन भारतीय इतिहास में एम० ए०				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(3) इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी० ए० (आनर्स)				प्रशिक्षित
		*टिप्पणी—मध्यकालीन और आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता पद हेतु अर्ह माने जायेंगे				
	हाई स्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(1) इतिहास विषय के साथ बी० ए०				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(2) प्राचीन भारतीय इतिहास में बी० ए० (आनर्स)				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(3) इतिहास में बी० ए० सहित राजनीति (इलाहाबाद विश्वविद्यालय) में एम० ए० 1951 के पश्चात् की उपाधि				प्रशिक्षित

*दिनांक 22-4-1989 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या/परिषद/9/5, दिनांक 5-4-1989 द्वारा सम्मिलित ।

1	2	3	4	5	6	7
उर्दू अध्यापक इन्टर-मीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए		*एम0 ए0 (उर्दू) प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान				
हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए		बी0 ए0 उर्दू विषय से तथा एल0 टी0 या बी0 टी0 या बी0 एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा				
अंग्रेजी अध्यापक इण्टर-मीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए		नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री)। किसी ट्रेनिंग कालेज से एल0 टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथ-मिकता दी जायेगी				
हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए		(1) बी0 ए0 (अंग्रेजी साहित्य) सहित			प्रशिक्षित	
चित्रकला तथा व्याव-सायिक कला अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए		(1) इन्टरमीडिए परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट (जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट कहलाता था) अथवा (2) प्राविधिक कला के साथ इन्टरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा-- (क) ड्राइंग अथवा पेन्टिंग के साथ बी0 ए0			प्रशिक्षित	

*शासनादेश संख्या मा--दो--53 / 15-7-2 (13)-1976, दिनांक 9 जनवरी, 81 द्वारा संशोधित।

1	2	3	4	5	6	7
			अथवा			
			(ख) कला भवन, शान्ति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा			
			अथवा			
			(ग) कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा			
			अथवा			
			(घ) लाहौर के मेयो स्कूल आफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टीफिकेट परीक्षा			
			टिप्पणी—उपर्युक्त (2) के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सब के लिए आवश्यक है, परन्तु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिये जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी।			
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिये		(क) राजकीय कला और शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट (जो पहले ड्राइंग टीचर्स सर्टीफिकेट कहलाता था)			
			अथवा			
			(2) प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इन्टरमीडिएट परीक्षा			

1	2	3	4	5	6	7
			अथवा (3) प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता-- (क) ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बी0 ए0 अथवा (ख) कला भवन, शान्ति-निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा अथवा (ग) राजकीय ड्राइंग और हेन्डीक्रैफ्ट सेन्टर, इलाहाबाद का सर्टीफिकेट अथवा (घ) कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचर्सशिप परीक्षा अथवा (ङ) लाहौर के मेयो स्कूल आफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टीफिकेट परीक्षा अथवा (च) बम्बई की इन्टरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा अथवा (छ) बम्बई की थर्ड ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा टिप्पणी--(1) उपर्युक्त (2) के अन्तर्गत इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिये			

1	2	3	4	5	6	7
			आवश्यक है परन्तु यदि उसे परीक्षा में प्राविधिक कला लिये जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है			
			बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी			
			(2) उपर्युक्त (3) के अन्तर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सब के लिए आवश्यक है ; परन्तु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है			
			बालिकाओं को संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी			
11	तर्कशास्त्र अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए		दर्शन शास्त्र में एम0 ए0 अथवा बी0 ए0 (आनर्स) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र सहित, साथ में इन्टरमीडिएट अथवा बी0 ए0 अथवा एम0 ए0 में तर्कशास्त्र एक ऐच्छिक विषय रहा हो			प्रशिक्षित
12	नागरिक शास्त्र अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए		(1) एम0 ए0 (राजनीति)			प्रशिक्षित
			अथवा			
			(2) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बी0 ए0 (आनर्स)			प्रशिक्षित

1	2	3	4	5	6	7
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	बी0 ए0 राजनीति शास्त्र सहित				प्रशिक्षित
13	नेपाली अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	संस्कृत अथवा हिन्दी अथवा बंगाली में एम0 ए0 तथा नेपाली के साथ बी0 ए0				प्रशिक्षित
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	नेपाली के साथ बी0 ए0				
14	पाली अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	(1) पाली में एम0 ए0				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(2) कलकत्ता का पालीतीर्थ पूर्ण इन्टरमीडिएट सहित				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(3) पूर्ण इन्टरमीडिएट सहित लंका का त्रिपिटकाचार्य				प्रशिक्षित
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	(1) पाली के साथ प्रशिक्षित बी0 ए0				
		अथवा				
		(2) लंका का प्रशिक्षित पंडित, पूर्ण इण्टरमीडिएट सहित				
15	पंजाबी अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	पंजाबी में एम0 ए0				प्रशिक्षित
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	(1) पंजाबी के साथ बी0 ए0				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(2) पंजाबी विश्वविद्यालय का ज्ञानी (पंजाबी में ज्ञानोपाधि) पूर्ण इन्टरमीडिएट के साथ				प्रशिक्षित
16	फारसी अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	*एम0 ए0 फारसी (प्रशिक्षण वरीयता)				प्रशिक्षित
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	(1) बी0 ए0 फारसी सहित तथा एल0 टी0 या बी0 टी0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा				
		अथवा				
		(2) कामिल (इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय) रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण सहित				

*शासनादेश संख्या मा0-2-53/15-7-2 (13)-1976, दिनांक 9 जनवरी, 1981 द्वारा संशोधित।

1	2	3	4	5	6	7
17	बंगाली अध्यापक इन्टर-मीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	यथासंभव बंगाली में एम0 ए0 न मिलने पर बंगाली विषय सहित बी0 ए0				प्रशिक्षित
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	बंगाली विषय के साथ बी0 ए0				
18	भूगोल अध्यापक इन्टर-मीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	(1) भूगोल में एम0 ए0 अथवा एम0 एस-सी0				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(2) भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी0 ए0 (आनर्स)				प्रशिक्षित
		अथवा				
		बी0 एस-सी0 (आनर्स)				
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	भूगोल के साथ बी0 ए0 अथवा बी0 एस-सी0				प्रशिक्षित
19	मनोविज्ञान अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	(1) एम0 ए0 (मनोविज्ञान)				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(2) एम0 एड0				
20	मराठी अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	एम0 ए0 (मराठी)				
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	बी0 ए0 मराठी सहित				प्रशिक्षित
*21	शिक्षा शास्त्र अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	(1) शिक्षा-शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0 ए0)				
		अथवा				
		(2) एम0 एड0 के साथ बी0 ए0 अथवा बी0 एस-सी0				

*अधिसूचना सं0 4674/15-7-2(5)/83, दिनांक 8 फरवरी, 1984 द्वारा संशोधित।

1	2	3	4	5	6	7
		(3) एल0 टी0 अथवा बी0 टी0 अथवा बी0 एड0 के साथ मनोविज्ञान में एम0 ए0				
22	समाज शास्त्र अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	(1) एम0 ए0 (समाजशास्त्र)				प्रशिक्षित
		अथवा				
		(2) समाज शास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0 ए0 (आनर्स)				प्रशिक्षित
23	सिन्धी अध्यापक इन्टर-मीडिएट (कक्षा (11-12) के लिये	इन्टरमीडिएट परीक्षा में सिन्धी अथवा फारसी सहित बी0 ए0	एल0 टी0 अथवा सी0 टी0 अथवा आर0 एस0 टी0 सी0			
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिये	इन्टरमीडिएट परीक्षा में सिन्धी अथवा फारसी सहित इन्टर-मीडिएट	सी0 टी0 अथवा एस0 टी0 सी0			
24	सैन्य विज्ञान अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	(1) डिग्री परीक्षा में सैन्य विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक जिसने एक वर्ष के लिये कमीशन प्राप्त किया हो				
		अथवा				
		(2) कम से कम 3 वर्ष की सेवा का भारतीय सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी जिसने कम से कम इन्टरमीडिएट अथवा परिषद् से मान्यताप्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो				
		अथवा				
		(3) कोई यू0 ओ0 टी0 सी0 अथवा ए0 एफ0 (1) अथवा एन0 सी0 सी0 अधिकारी				
		अथवा				
		(4) हाई स्कूल स्तर तक ज्ञान रखने वाला वायसराय कमीशन रखने वाला				

1	2	3	4	5	6	7
		अथवा (5) हाई स्कूल स्तर तक का अंग्रेजी ज्ञान सहित आई0 एन0 ए0 का आफिसर ट्रेनिंग सर्टीफिकेट रखने वाला या (6) सैन्य विज्ञान या प्रतिरक्षा अध्ययन एम0 एस–सी0 या सैन्य शिक्षा में एम0 ए0 टिप्पणी––मद 6 के अधीन अर्हता नये व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वर्तमान अध्यापक को जो सम्बन्धित विषय में स्नातक हो या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो और जिसे कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, उपर्युक्त मद (6) में दी गयी अर्हता से छूट होगी				
25	संगीत अध्यापक इन्टर–मीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये	*(क) संगीत में एम0 ए0 या *(ख) मातखंडे विद्यापीठ, लखनऊ की निपुण परीक्षा, या *(ग) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की प्रवीण परीक्षा, या माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा तथा निम्न–लिखित में से कोई एक परीक्षा–– (1) मातखंडे संगीत विद्या–पीठ, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा				

*दिनांक 9 दिसम्बर, 1976 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या मा0 18238/पन्द्रह–7–76–2(18)–1975, दिनांक 9 सितम्बर, 1976 द्वारा सम्मिलित ।

1	2	3	4	5	6	7
		अथवा				
		(2) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा				
		अथवा				
		(3) गन्धर्व महाविद्यालय, बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा				
		अथवा				
		(4) माधो संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा (संगीत रत्न)				
		अथवा				
		(5) शंकर गन्धर्व विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा				
		अथवा				
		(6) इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा				
		अथवा				
		(ङ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का संगीत विषय के साथ बी0 ए0				
		अथवा				
		(च) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद का बी0 टी0 डिप्लोमा				
		अथवा				
		(छ) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ का एम0 टी0 एम0 डिप्लोमा				

1	2	3	4	5	6	7
	हाई स्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा— (1) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा अथवा (2) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा अथवा (3) गंधर्व महाविद्यालय, बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा अथवा (4) माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा (संगीत रत्न) अथवा (5) शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा अथवा (6) इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा (ख) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद का बी० टी० डिप्लोमा अथवा (ग) भातखंड संगीत विद्यापीठ, लखनऊ का एल० टी० एम० डिप्लोमा				

1	2	3	4	5	6	7
		बालिका विद्यालयों में 31 मार्च 1957 से पूर्व कार्य करने वाले पुरुष संगीत अध्यापक किसी भी संस्था में संगीत अध्यापक के पद के पात्र समझे जायं, इस प्रतिबन्ध के साथ कि अपनी नियुक्ति के समय वे परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करते हैं तथा उन्होंने 31 मार्च, 1957 से पूर्व 3 वर्ष की अविरल सेवा की है। 31 मार्च, 1957 के पश्चात् निर्धारित नवीन न्यूनतम योग्यतायें उनके लिए लागू न होंगी।				
		अथवा				
		(घ) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश का भारतीय संगीत डिप्लोमा, उपर्युक्त डिप्लोमा सम्पन्न तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पहले से पढ़ाने वाले और जून, 1960 से पूर्व नियुक्त अध्यापक संगीत अध्यापक के पात्र समझे जायेंगे				
*26	संस्कृत अध्यापक, इन्टरमीडिएट (कक्षा (11-12) के लिए	1--संस्कृत में एम० ए० प्रशिक्षित।				
		अथवा				
		राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी (अब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी) अथवा हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी का सम्पूर्ण आचार्य				
		(2) प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान				

*आदेश संख्या मा--बो--53--15-7-2 (13)--1976, दिनांक 9 जनवरी, 1981 द्वारा संशोधित।

1	2	3	4	5	6	7
	हाई स्कूल (कक्षा 9–10) के लिये	1—बी० ए० संस्कृत सहित तथा एल-टी० या बी० टी० या बी० एड० या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा। अथवा 2—वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एल० टी० या बी० टी० या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा				
17—	औद्योगिक रसायन अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	1—बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एम० एस-सी० (प्राविधिक) अथवा 2—एम० एस-सी० (रसायन शास्त्र) तथा राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ से औद्योगिक रसायन में एल० टी० अथवा 3—एफ० एच० बी० टी० आई० के साथ बी० एस-सी० अथवा ए० एच० बी० टी० आई०, कानपुर के साथ बी० एस-सी० अथवा 4—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल० टी० के साथ बी० एस-सी० (औद्योगिक रसायन)	प्रशिक्षित।			

1	2	3	4	5	6	7
		अथवा				
		5--राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0 डिप्लोमा के साथ बी0 एस-सी0 (प्राविधिक)				
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिये	1--बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में बी0 एस0-सी0 (औद्योगिक रसायन)				
		अथवा				
		2--राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से औद्योगिक रसायन से एल0 टी0 के साथ बी0 एस0-सी (रसायन शास्त्र)				
		अथवा				
		3--एफ0 एच0 बी0 टी0 आई0 के साथ बी0 एस0-सी0 अथवा ए0 एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर के साथ बी0 एस-सी0				
8	कुलाल विज्ञान अध्यापक, हाई स्कूल तथा इण्टर-मीडिएट (कक्षा 9-12) के लिए	कुलाल विज्ञान के साथ बी0 एस-सी0, एल0 टी0 (रचनात्मक) अथवा कुलाल विज्ञान के साथ बी0 एस-सी0 (प्राविधिक)	प्रशिक्षित ।			
29	जीव विज्ञान अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	1--वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान में एम0 एस-सी0	प्रशिक्षित ।			
		अथवा				
		2--कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एम0 एस-सी0, बी0 एस-सी0 में जन्तु विज्ञान	प्रशिक्षित ।			
		अथवा				
		3--कृषि विषयक जन्तु विज्ञान के साथ एम0 एस-सी0, बी0 एस-सी0 में वनस्पति विज्ञान	प्रशिक्षित ।			

1	2	3	4	5	6	7
		अथवा				
		4—किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0 एस-सी0				
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान) के साथ बी0 एस-सी0				
30	भू-विज्ञान अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	एम0 एस-सी0 (भूगर्भ शास्त्र)		प्रशिक्षित ।		
31	भौतिक विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	1—एम0 एस-सी0, (भौतिक विज्ञान)		प्रशिक्षित ।		
		अथवा				
		2—किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0 एस-सी0				
32	रसायन विज्ञान अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	1—रसायन विज्ञान में एम0 एस-सी0		प्रशिक्षित ।		
		अथवा				
		2—रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0 एस-सी0 (आनर्स)		प्रशिक्षित ।		
		अथवा				
		3—किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0 एस-सी0				

1	2	3	4	5	6	7
33	विज्ञान अध्यापक हाई स्कूल (कक्षा 9 और 10) के लिए	भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बी0 एस-सी0		प्रशिक्षित।		
34	विज्ञान के प्रदर्शक	बी0 एस-सी0			प्रशिक्षित।	
35	आशुलेखन-टंकण अध्यापक— (क) अंग्रेजी में	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का आशुलेखन टंकण के साथ इण्टरमीडिएट वाणिज्य-ब-वाणिज्य द्वितीय वर्ग को वरीयता—				
	(ख) हिन्दी में	इण्टरमीडिएट तथा निम्नलिखित में से एक योग्यता (1) नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी का शीघ्र लिपि में हिन्दी संकेत लिपि विशारद अथवा (2) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद का शीघ्र लिपि विशारद अथवा आशु टंकण (हिन्दी) के साथ इण्टरमीडिएट वाणिज्य, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के ब-वाणिज्य-दो वर्ग को वरीयता देते हुए.				
36	वाणिज्य अध्यापक— इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	एम0 काम0				
	वाणिज्य अध्यापक— हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	प्रशिक्षित बी0 काम0				
37	कताई और बुनाई अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11 और 12) के लिए	क—कताई और बुनाई में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0				

1	2	3	4	5	6	7
		अथवा				
		ख—इन्टरमीडिएट तथा				
		(1) राजकीय केन्द्रीय वयन संस्थान, वाराणसी से वयन प्रौद्योग में डिप्लोमा तथा हाई स्कूल कक्षाओं में विषय में 3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव				
		(2) राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर का डिप्लोमा				
		अथवा				
		(3) उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कताई और बुनाई में एडवान्स्ड क्लास परीक्षा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)				
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिये	(क) कताई और बुनाई में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0 अथवा टी0 सी0				
		अथवा				
		(ख) 1—कताई और बुनाई के साथ इन्टरमीडिएट				
		अथवा				
		2—राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर से इन्टरमीडिएट प्राविधिक,				
		अथवा				
		3—हाई स्कूल तथा राजकीय केन्द्रीय वयन संस्थान, वाराणसी से वयन उद्योग में डिप्लोमा,				

टिप्पणी—हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं के लिये (ख) के अन्तर्गत योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण सामान्यतः पूर्ण करना चाहिये । सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है ।

1	2	3	4	5	6	7
		अथवा				
		4--हाई स्कूल तथा उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कताई और बुनाई में एडवान्स्ड क्लास परीक्षा। (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)				
38	काष्ठ कला अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	(क) काष्ठ में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0,				
		अथवा				
		(ख) इन्टरमीडिएट, और				
		(1) राजकीय केन्द्रीय काष्ठ कला संस्थान, बरेली में एडवान्स केबिनेट मेकिंग डिप्लोमा,				
		अथवा				
		(2) राजकीय कारपेन्टरी स्कूल, इलाहाबाद (अब राजकीय वुड वर्किंग इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद) से एडवान्स वुड वर्किंग डिप्लोमा,				
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	(क) काष्ठ कला में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0 अथवा टी0 सी0				
		अथवा				
		(ख) (1) काष्ठ कला के साथ इन्टरमीडिएट,				
		अथवा				
		(2) हाई स्कूल तथा राजकीय केन्द्रीय काष्ठ कला संस्थान, बरेली की एलीमेन्टरी केबिनेट मेकिंग सर्टीफिकेशन,				

टिप्पणी—हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं के लिये (ख) के अन्तर्गत मान्यतायें रखने वाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्यतः पूर्ण करना चाहिये। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

1	2	3	4	5	6	7
		अथवा				
		(3) हाई स्कूल तथा राजकीय कारपेन्टरी स्कूल, इलाहाबाद (अब राजकीय वुड वर्किंग इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद) से जनरल वुड वर्किंग सर्टीफिकेट ।				
36	ग्रन्थ शिल्प अध्यापक, इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिये	ग्रन्थ शिल्प में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0				
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिये	(1) ग्रन्थ शिल्प में विशेषयोग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0 अथवा टी0 सी0				
		अथवा				
		(2) ग्रन्थ शिल्प के साथ इन्टरमीडिएट सी0 टी0				
40	चर्मकला अध्यापक, इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	चर्मकला सहित इन्टरमीडिएट तथा लेदर वर्किंग इन्स्टीट्यूट, कानपुर, आगरा अथवा मेरठ से एडवान्स्ड कोर्स				
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	हाई स्कूल तथ उद्योग विभाग द्वारा संचालित लेदर वर्किंग इन्स्टीट्यूट, कानपुर, आगरा अथवा मेरठ का डिप्लोमा				
41	धातुकला अध्यापक, इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	क—धातु कला में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय से एल0 टी0				
		अथवा				
		ख—(1) धातु कला के साथ इन्टरमीडिएट तथा राजकीय आकुपेशनल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद में जनरल मैकेनिक्स का 'ए' पाठ्यक्रम ।				

टिप्पणी—चर्मकला की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को सामान्यतः स्थायीकरण से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए । सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है ।

1	2	3	4	5	6	7
		अथवा (2) इन्टरमीडिएट तथा सरकार से मान्यता प्राप्त प्राविधिक संस्थान से धातु कला में डिप्लोमा ।				
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	(क) धातु कला में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय से एल0 टी0 अथवा सी0 टी0 अथवा (ख) हाई स्कूल तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के पश्चात सरकार से मान्यताप्राप्त संस्था से दिया जाने वाला डिप्लोमा				

टिप्पणी—'ख' अन्तर्गत योग्यता रखने वाले अध्यापकों को सामान्यतः स्थायीकरण से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए । सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है ।

1	2	3	4	5	6	7
42	धुलाई, रफू और बखिया तथा रंगाई शिक्षक हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल, इन्स्टीट्यूट, कानपुर से वस्त्र रसायन में डिप्लोमा अथवा बालकों की संस्थाओं के लिए उद्योग विभाग द्वारा मान्य समकक्ष योग्यता अथवा पोलीटेक्निक, रामपुर और बापू इन्डस्ट्रियल स्कूल, देहरादून अथवा उसके समकक्ष बालिकाओं की संस्थाओं के लिए प्रमाण-पत्र				
43	रंगाई तथा छपाई अध्यापक हाई स्कूल (कक्षा 9 और 10) के लिए	राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल इन्स्टीट्यूट कानपुर से वस्त्र रसायन में डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष				

टिप्पणी—ऊपर की योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को सामान्यतः स्थायीकरण से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए । सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है ।

1	2	3	4	5	6	7
44	सिलाई अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	(क) सिलाई के साथ इन्टरमीडिएट (ख) इन्टरमीडिएट तथा (1) प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन से डिप्लोमा अथवा (2) आर्य समाज टेलरिंग इन्स्टीट्यूट, लखनऊ से डिप्लोमा तथा हाई स्कूल कक्षाओं में विषय के 3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव, अथवा (3) सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से दो वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात् दिया जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा।	सी0 टी0 सिलाई में विशेष योग्यता			
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	(क) (1) इन्टरमीडिएट सी0 टी0 (इन्टरमीडिएट में सिलाई सहित अथवा सी0 टी0 में सिलाई में विशेष योग्यता) (ख) हाई स्कूल तथा (1) प्रेम महाविद्यालय वृन्दावन से डिप्लोमा अथवा (2) आर्य समाज टेलरिंग इन्स्टीट्यूट, आर्य समाज रोड, लखनऊ से डिप्लोमा अथवा (3) सरकार से मान्यताप्राप्त किसी भी संस्था से दो वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात दिया जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा				

टिप्पणी---(ख) के अन्तर्गत योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण सामान्यतः पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

1	2	3	4	5	6	7
45	नृत्य अध्यापक इंटरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता सहित— (1) भातखंड संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की नृत्य विशारद् परीक्षा (2) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की नृत्य प्रभाकर परीक्षा (3) माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा नृत्य विशारद्, (4) अखिल भारतीय गन्धर्व महाविद्यालय मंडल, बम्बई के 1961 के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नृत्य में संगीत विशारद् ।				
	हाई स्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा, निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता सहित— (1) भातखंड संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की नृत्य विशारद् परीक्षा, (2) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की नृत्य प्रभाकर परीक्षा, (3) माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा नृत्य विशारद्, (4) अखिल भारतीय गन्धर्व महाविद्यालय मंडल, बम्बई के 1961 के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नृत्य में संगीत विशारद् (ख) नृत्य के साथ बी0 ए0 ।				
46	मूर्ति कला अध्यापक इंटरमीडिएट कक्षा (11–12) के लिए	हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यताप्राप्त किसी कला विद्यालय से मूर्तिकला विषय सहित ललित कला में डिप्लोमा ।				

1	2	3	4	5	6	7
	हाई स्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यताप्राप्त किसी कला विद्यालय, जैसे मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई और शान्ति निकेतन से मूर्तिकला में प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा।				
47	रंजन कला अध्यापक इंटरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यताप्राप्त किसी कला विद्यालय से चित्र लेखन सहित ललित कला में डिप्लोमा।				
	हाई स्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय से चित्र लेखन सहित विद्यालय (जैसे मद्रास, कलकत्ता लखनऊ, बम्बई और शान्ति निकेतन) से रंजन कला सहित ललित कला अथवा व्यावसायिक कला में डिप्लोमा।				
48	कृषि अध्यापक इंटरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए—					
	(1) कृषि	एम0 एस–सी0 (कृषि)				प्रशिक्षित
	(2) कृषि अभियंत्रण	बी0 एस–सी0 (कृषि अभियंत्रण)				प्रशिक्षित
	(3) गणित	गणित अथवा स्टेटिस्टिक्स में एम0 ए0 अथवा एम0 एस–सी0				प्रशिक्षित
	(4) हिन्दी, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, (जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के लिए)	इन विषयों में वही न्यूनतम अर्हताएं लागू होंगी जो मुख्य विषयों के लिए इसी सूची में दी गई है।				
	(5) प्रदर्शक कृषि	कृषि में बी0 एस–सी0				
	हाई स्कूल (कक्षा 9–10) के लिए	बी0 एस–सी0 (कृषि)				प्रशिक्षित।
49	कृषि गोपालन अध्यापक इंटरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए	एम0 एस–सी0 (कृषि)			एल0 टी0 (वैकल्पिक)	

1	2	3	4	5	6	7
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	बी0 एस-सी0 (कृषि)	प्रशिक्षित		एल0 टी0 (बेसिक)	
50	बागवानी अध्यापक इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल (कक्षा 9 से 12) के लिए	बी0 एस-सी0 (कृषि)	प्रशिक्षित			
51	वस्त्र उद्योग अध्यापक इंटरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	स्नातक तथा कताई-बुनाई सहित इंटरमीडिएट परीक्षा, साथ में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, बंबई के क्षेत्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग विद्यालय का डिप्लोमा।	प्रशिक्षित			
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	कताई-बुनाई के साथ हाई स्कूल परीक्षा	रचनात्मक अथवा एल0 टी0 (बेसिक)			
52	सामान्य वस्त्रोद्योग अध्यापक	उपर्युक्त 51 के समान				
53	गुजराती अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	एम0 ए0, गुजराती				
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	बी0 ए0, गुजराती				प्रशिक्षि
54	शारीरिक शिक्षा अध्यापक इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए	1--स्नातक तथा 2--राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा किसी अध्यापक प्रशिक्षण (एल0 टी0) महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में उपाधि/डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता।				

*दिनांक 28 मई, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद्-9/1977, दिनांक 4 मई, 1988 द्वारा संशोधित धारा 9 (4) के अन्तर्गत।

1	2	3	4	5	6	7
	हाई स्कूल (कक्षा 9-10) के लिए	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इन्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सी0 पी0 एड0 प्रमाण-पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता ।				
*55	सामाजिक विज्ञान (हाई स्कूल) (कक्षा 9-10) के लिये	निम्नलिखित किन्हीं प्रशिक्षित दो विषयों के साथ बी0 ए0 (1) इतिहास (2) राजनीतिशास्त्र (3) भूगोल (4) अर्थशास्त्र				

प्राविधिक विषयों के अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यतायें

1	2	3	4	5	6	7
	(1) सामान्य अभियंत्रण लेक्चरार हाई स्कूल के लिए	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त संस्था के अभियंत्रण की किसी शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाई स्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का)				
	(2) वास्तु अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण, विद्युत् अभियंत्रण (इन्टरमीडिएट कक्षाओं) के लिए लेक्चरार (3) नक्शानवीस में लेक्चरार	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त संस्था के अभियंत्रण की सम्बन्धित शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाई स्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का) वास्तु परिकल्पन में डिप्लोमा				

*दिनांक 8 अक्तूबर, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद्-9/446, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 द्वारा सम्मिलित ।

2	3	4	5	6	7
	अथवा				
	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त संस्था से नक्शानवीसी अथवा अभियंत्रण की किसी शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाई स्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का)				
(4) रेखांकन शिक्षक	हाई स्कूल परीक्षा के बाद नक्शानवीसी अथवा अभियंत्रण म डिप्लोमा				
(5) मिस्त्री	लोहारी, सांचे का काम, खराद का काम, सज्जीकरण आदि में से एक या व्यवसायों में कम से कम दो वर्ष के कार्य का अनुभव, मान्यताप्राप्त संस्था से व्यवसाय या व्यवसायों में प्रमाण-पत्र रखने वालों को वरीयता दी जायेगी				
(6) मुद्रण कार्य के अध्यापक (कक्षा 9 से 12)	1—स्नातक विज्ञान में वरीयमान जिन्होंने राजकीय रचानात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0 में ग्रन्थ शिल्प तथ मुद्रण में अपना-अपना विशेष विषय लिया होऔर जिन्हें कम से कम 6 मास का क्रियात्मक प्रशिक्षण किसी मुद्रण संस्थान में हो, 2—एक उच्चतर स्तर के मुद्रण संस्थान में कम्पोजिंग, मुद्रण और जिल्दसाजी के कम से कम पांच वर्ष के क्रियात्मक प्रशिक्षण के साथ हाई स्कूल। अथवा 3—मुद्रण प्रयोग के किसी मंडलीय विद्यालय का डिप्लोमा रखने वाले।				

1	2	3	4	5	6	7
	(1) हाई स्कूल प्राविधिक के लिये अध्यापक					
	(1) काष्ठ कला में	एक मान्यताप्राप्त संस्था से (हाई स्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का) विशेष विषय में डिप्लोमा ।				
	(2) बुनाई में	उपर्युक्त				
	(3) चर्म कला	1- उपर्युक्त अथवा 2—हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित फुटवियर टेक्नोलाजी (लेदर गुड्स मैनूफैक्चर सहित) का दो वर्ष का डिप्लोमा ।				
	(4) विद्युत्कार के लिए विद्युत् वायरिंग (5) हल्के यांत्रिक (6) बढ़ईगीरी (7) धातु फलक कर्म (8) वेल्डिंग और सोल्डरिंग	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त संस्था से यांत्रिक अथवा विद्युत् अभियंत्रण में (तीन वर्ष का) डिग्री अथवा डिप्लोमा ।				
	(2) इन्टरमीडिएट प्राविधिक के लिये लेक्चरार					
	(1) वस्त्र निर्माण (2) वस्त्रों का रासायनिक प्रोद्योग	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त संस्था से वस्त्र उद्योग में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाई स्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का)				
	(3) प्रारम्भिक इलेक्ट्रानिक्स	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त संस्था से विद्युत् अभियंत्रण अथवा दूरसंचार अथवा इलेक्ट्रानिक्स में डिग्री अथवा डिप्लोमा ।				

2	3	4	5	6	7
(4) प्राथमिक मोटरयान अभियंत्रण	एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता-प्राप्त संस्था से यांत्रिक अभियंत्रण में डिग्री अथवा डिप्लोमा।				

टिप्पणी—(क) लैटिन और फ्रान्सीसी के अध्यापकों के लिये न्यूनतम योग्यतायें नहीं निर्धारित की गयी हैं।

(ख) आनर्स स्नातक (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) कक्षा 11 और 12 को उन विषयों के पढ़ाने के पात्र समझे जायेंगे जिनमें उन्होंने आनर्स किया है।

अन्य अध्यापक

(1) अध्यापक जूनियर कक्षाओं (कक्षा 6, 7 और 8) के लिये	इन्टरमीडिएट परीक्षा तथा सी0 टी0, बी0 टी0 सी0 या जे0 टी0 सी0 या इसके समकक्ष कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता।
(2) अध्यापक प्राइमरी कक्षाओं (कक्षा 1 से 5 तक) के लिये, यदि कोई बालिकाओं की संस्था से सम्बद्ध हो।	हाई स्कूल परीक्षा तथा जे0 टी0 सी0 या बी0 टी0 सी0 या एच0 टी0 सी0 या इसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता।

परिशिष्ट—ख

[अध्याय दो के विनियम 2 (4) के सम्बन्ध में]

क—ऐसे व्यक्ति का विवरण जो पद पर अन्तिम बार था :—

(1) पदनाम।

(2) वेतनमान।

(3) रिक्त होने का दिनांक और उसका कारण।

(4) रिक्ति का प्रकार—छुट्टी, अस्थायी या मौलिक।

(5) पद के लिये विहित अर्हतायें।

(6) पिछले पदधारी का नाम तथा वेतन।

(7) अभ्युक्ति।

ख—नियुक्त किये गये व्यक्ति का विवरण :—

(1) नाम।

(2) जन्म दिनांक।

(3) अर्हतायें—परीक्षायें, उन्हें उत्तीर्ण करने के दिनांक के साथ-साथ विषय, श्रेणी सहित।

(4) उस वेतन-क्रम में जिससे पदोन्नति की गयी हो, ज्येष्ठता के अनुसा
स्थिति ।

(5) ऐसी अवधि दिनांक सहित जिसके लिये नियुक्ति की गयी हो ।

(6) अनुज्ञात वेतन और वेतन-मान ।

(7) अभ्युक्ति ।

परिशिष्ट—ग

[अध्याय दो के विनियम 10 (च) तथा 11 (1) के सन्दर्भ में]

संस्था का नाम————————साक्षात्कार का स्थान————————
का विवरण जिसके लिये साक्षात्कार लिया गया

साक्षात्कार का दिनांक————————

क्रम-संख्या	अभ्यर्थी का नाम पते सहित	क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है	जन्म दिनांक
1	2	3	4

उत्तीर्ण	परीक्षा	विषय	वर्ष	श्रेणी धृत पद	पूर्व अनुभव वेतनमान	संस्था का नाम	अवधि ———से ———तक
5	6	7	8	9	10	11	12

अन्य कार्यकलाप	दिये गये गुण विषयक अंक	चयन समिति के सदस्यों का पर्यवेक्षण	साक्षात्कार अंक
13	14	15	16

गुण विषयक और साक्षात्कार के अंकों का योग	क्या सदस्य चयन से सहमत हैं (हैं या नहीं) यदि नहीं तो संक्षेप में कारण बताइये	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
17	18	19

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने चयन से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को जांच कर ली है और विशेष रूप से परीक्षा कर ली है कि कोई भी अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के आधार पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने के विधिसम्मत दावे से वंचित नहीं रखा गया है।

हस्ताक्षर——————

पूरा नाम——————

पदनाम——————

पता——————

परिशिष्ट—घ

[अध्याय दो के विनियम 10 (घ) के सन्दर्भ में]

किसी संस्था के प्रधान और अध्यापक के लिये गुण विषयक माप मान संस्था के प्रधान के लिये गुण विषयक अंक

साक्षात्कार में बुलाने के लिये अधिकतम गुण विषयक अंक	..	..	150
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक	..	..	50

	1	2	3
हाई स्कूल	10	7	4
इन्टरमीडिएट	20	15	8
स्नातक परीक्षा	30	23	12
स्नातकोत्तर उपाधि	40	30	16
	सिद्धांत	व्यवहार	अंक
प्रशिक्षण उपाधि डिप्लोमा	1	1	20
	1	2	18
	2	1	16
	2	2	12
	2	3	10
	3	2	10
अन्य	अन्य	..	8

शिक्षण अनुभव—प्रत्येक वर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक।

प्रशासनिक अनुभव—प्रति वर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक

इन्टरमीडिएट के अध्यापकों के लिये गुणविषयक अंक—

साक्षात्कार में बुलाने के लिये अधिकतम गुण विषयक अंक	..	..	150
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिये अधिकतम अंक	..	..	50
	1	2	3
हाई स्कूल	10	7	4
इन्टरमीडिएट	20	15	8
स्नातक परीक्षा	30	23	12
स्नातकोत्तर उपाधि	50	38	20
	सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
प्रशिक्षण	1	1	10
	1	2	9
	2	1	8
	2	2	6
	2	3	5
	3	2	5
	अन्य	..	4

शिक्षण अनुभव—प्रत्येक वर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक।

सह-पाठ्यचर्या कार्य कलाप	..	..	15

हाई स्कूल के अध्यापकों के लिये गुण विषयक अंक

साक्षात्कार के लिये बुलाने के लिये अधिकतम गुण विषयक अंक	..	..	150
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिये अधिकतम अंक	..	..	50
	1	2	3
हाई स्कूल	15	12	6
इन्टरमीडिएट	25	18	10
स्नातक उपाधि	40	30	16
स्नातकोत्तर उपाधि	20	15	12

	सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
प्रशिक्षण	1	1	20
	1	2	18
	2	1	16
	2	2	12
	2 3	3 2	10
	अन्य	..	8
शिक्षण अनुभव--प्रति वर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक।			
सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप	.	8	5

सी0 टी0 ग्रेड अध्यापकों और अन्य के लिए

गुण विषयक अंक

साक्षात्कार में बुलाने के लिये गुण विषयक अंक	..	..	150
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक	..	..	50

	1	2	3
हाई स्कूल	40	31	16
इन्टरमीडिएट	60	45	24

	सिद्धान्त	व्यवहार	अंक
प्रशिक्षण	1	1	20
	1	2	18
	2	1	16
	2	2	12
	2 3	3 2	10
	अन्य	..	..
शिक्षण अनुभव--प्रत्येक वर्ष के लिये 2 अंक अधिकतम 15 अंक।			
सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप	..	..	15

सभी मामलों में सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप के लिए दिये गये गुण विषयक अंकों के ब्यौरे निम्न प्रकार है :

III सह-पाठ्यचर्या कार्यकलाप	सक्रिय रूप से भाग लिया	
(क) खेल / खलकूद	विद्यालय एकादश	1
	कालेज एकादश	2
	विश्वविद्यालय एकादश	3
	राज्य एकादश	5
(ख) स्काउटिंग	द्वितीय श्रेणी	1
और	प्रथम श्रेणी	3
	राष्ट्रपति	5
राष्ट्रीय कडेट कोर या पी0 एस0 डी0	कारपोरल	1
	सारजेंट	2
	कम्पनी सार्जेंट मेजर	3
	बटालियन सार्जेंट मेजर	4
	अन्डर आफीसर	5
(ग) अन्य दक्षता अर्थात्	विद्यालय स्तर	1
वाद-विवाद, नाट्यकला	कालेज स्तर	2
यूनियन पालियामेन्ट	विश्वविद्यालय स्तर	3
	राज्य स्तर	5

अवधेय (1) गुण विषयक अंकों की गणना करने के लिये इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा को हाई स्कूल के समकक्ष और पी0 यू0 सी0 को इन्टरमीडिएट के समकक्ष समझा जायेगा।

(2) जिन अभ्यर्थियों ने कोई परीक्षा पूरक परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो उन्हें यदि सम्बन्धित परीक्षा में कोई श्रेणी न दी गई हो तो उनके गुण अंक "तृतीय श्रेणी" के अन्तर्गत और यदि कोई श्रेणी दी गई हो तो गुण अंक उस श्रेणी के अन्तर्गत प्रदान किये जावेंगे।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी ने दो या अधिक विषयों म मास्टर्स डिग्री प्राप्त की हो तो :--

(क) यदि वह प्रवक्ता पद का अभ्यर्थी हो तो जिस विषय को पढ़ाने हेतु वह अभ्यर्थी है केवल उस विषय की मास्टर्स डिग्री के आधार पर उसे गुण अंक प्रदान किये जावेंगे

(ख) यदि वह एल0 टी0 ग्रेड के पद का अभ्यर्थी हो तो जिस मास्टर्स डिग्री की श्रेणी अच्छी हो उसके आधार पर उसे गुण अंक प्रदान किये जावेंगे।

(4) एम0 एड0 अथवा पी0 एच0 डी0 डिग्री धारी अभ्यर्थियों को निम्नवत् अतिरिक्त गुण अंक केवल उस दशा में प्रदान किये जावेंगे जब कि वे संस्था के प्रधान अथवा प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी हों, किन्तु अतिरिक्त अंक इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किये जावेंगे कि अतिरिक्त अंक मिलाकर किसी अभ्यर्थी के गुण अंक 150 से अधिक न हों :—

(क) मास्टर्स डिग्री के साथ एम0 एड0 होने पर 5 अतिरिक्त अंक,

(ख) मास्टर्स डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र (Education) या मनोविज्ञान (Psychology) में पी-एच0 डी0 या डी0 फिल0 होने पर 10 अतिरिक्त अंक,

(ग) मास्टर्स डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान में पी0 एच0 डी0 या डी0 फिल0 के अतिरिक्त यदि एम0 एड0 हो तो 15 अतिरिक्त अंक,

(घ) यदि प्रवक्ता पद हेतु कोई अभ्यर्थी मास्टर्स डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान से भिन्न ऐसे विषय में पी0 एच0 डी0 या डी0 फिल0 हो जिस विषय को पढ़ाने हेतु वह अभ्यर्थी हो तो 10 अतिरिक्त अंक,

(5) यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्नातक डिग्री के अतिरिक्त एम0 एड0 डिग्री भी हो तो एम0 एड0 हेतु उसे 5 अतिरिक्त गुण अंक प्रदान किये जावेंगे। (उसे स्नातक डिग्री व बी0 एड0 डिग्री के गुण अंक मिलेंगे ही)। यह अतिरिक्त अंक भी इस प्रतिबन्ध के साथ दिये जावेंगे कि कुल गुण अंक 150 से अधिक न हों।

(6) सी0 टी0 ग्रेड पद के अभ्यर्थी जो स्नातक भी हों को निम्नवत् अतिरिक्त गुण अंक इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किये जावेंगे कि कुल गुण अंक 150 से अधिक न हों :—

	1	2	3
स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि जो भी श्रेष्ठ हो	15	10	5

(7) प्रशिक्षण उपाधि/डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी जिन्हें 1–3 या 3–1 श्रेणियां मिली हो को 11 गुण अंक प्रदान किये जावेंगे।

(8) जिन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण योग्यता से छूट दी गई हो, उन्हें "अन्य" की श्रेणी के अन्तर्गत 8 गुण अंक प्रदान किये जावेंगे।

(9) जिन अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से छूट दी गयी हो उन्हें सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित न्यूनतम गुण अंक अर्थात् तृतीय श्रेणी हेतु निर्धारित गुण अंक प्रदान किये जावेंगे।

(10) जो अभ्यर्थी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (P. G. D.) प्राप्त हों उन्हें सम्बन्धित विषय की स्नातकोत्तर डिग्री के तृतीय श्रेणी हेतु निर्धारित गुण अंक के आधे अंक प्रदान किये जावेंगे। किन्तु यह सुविधा केवल प्रवक्ता और एल0 टी0 ग्रेड के पदों के अभ्यर्थियों को ही प्रदान की जावेगी।

(11) यदि किसी अभ्यर्थी के पास आचार्य, साहित्यरत्न, विशारद, मध्यमा, विद्याविनोदिनी आदि की योग्यता हो तो इसे उस योग्यता के समकक्ष मान्य स्नातकोत्तर या स्नातक डिग्री अथवा इंटर या हाई स्कूल हेतु निर्धारित गुण अंक प्रदान किये जावेंगे।

(12) ऐसे अभ्यर्थी जो जे० टी० सी० / बी० टी० सी० ग्रेड से सी० टी० ग्रेड में पदोन्नत हुये हों और उन्होंने सी० टी० ग्रेड अध्यापक के रूप में पांच वर्ष की सेवा कर ली हो उन्हें भी परिशिष्ट 'क' के द्वितीय पैरा में उल्लिखित शब्द "प्रशिक्षित" के अन्तर्गत माना जावेगा ।

(13) जहां किसी पद के लिये आवेदक, यथास्थिति, कोई नेत्रहीन व्यक्ति या कोई विधवा हो तो उसे 5 अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे ।

(14) जहां आवेदक ने कोई परीक्षा कम्पार्टमेन्टल अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो और उसे कोई श्रेणी प्रदान न की गयी हो या केवल "उत्तीर्ण" घोषित किया गया हो, तो उस गुण-विषयक अंक इस प्रकार प्रदान किये जायेंगे मानो वह परीक्षा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण की गयी थी ।

(15) जहां किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान पद के लिये आवेदन किया हो तो उसे उपखंड (5) के अधीन रहते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे :—

(1) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त एम० एड० उपाधि रखता हो तो एम० एड० के लिये 5 अतिरिक्त अंक ।

(2) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त किसी विषय में पी-एच० डी० या डी० फिल० हो तो पी०-एच० डी० या डी० फिल० के लिए 10 अतिरिक्त अंक ।

(3) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि और पी० एच० डी०/डी० फिल० के अतिरिक्त एम० एड० की उपाधि रखता हो तो पी-एच० डी०/डी० फिल० के लिए 10 अतिरिक्त अंक और एम० एड० के लिये 5 अतिरिक्त अंक ।

(16) जहां किसी व्यक्ति ने प्रवक्ता पद के लिये आवेदन किया हो तो उसे निम्नलिखित अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे :—

(1) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त एम० एड० की उपाधि रखता हो तो एम० एड० के लिए 5 अतिरिक्त अंक ।

(2) यदि स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त वह शिक्षा या मनोविज्ञान या उस विषय में जिसमें उसने प्रवक्ता पद के लिए आवेदन किया हो, पी-एच० डी० या डी० फिल० हो तो, पी०-एच० डी०/डी० फिल० के लिये 10 अतिरिक्त अंक ।

(3) यदि वह उपर्युक्त उपखंड (2) में निर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और पी-एच० डी०/डी० फिल० के अतिरिक्त एम० एड० उपाधि रखता हो तो पी-एच० डी०/डी० फिल० के लिए 10 अतिरिक्त अंक और एम० एड० के लिए 5 अतिरिक्त अंक ।

(17) जहां किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान के पद के लिए आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तो गुण विषय के अंक उस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे जिनमें अन्य विषय या विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि एम० एड० की उपाधि अन्य स्नातकोत्तर उपाधि की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी में हो तो आवेदक उपखंड (3) के अधीन किसी अतिरिक्त अंक का हकदार न होगा ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि आवेदक केवल एम0 एड0 हो और उसके पास कोई स्नातकोत्तर उपाधि न हो तो एम0 एड0 के लिये स्नातकोत्तर उपाधि के रूप में गुण विषयक अंक प्रदान किये जायेंगे ।

(18) जहां किसी व्यक्ति ने प्रवक्ता के लिये आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0 एड0 से भिन्न) रखता हो तो गुण विषयक अंक उस विषय में जिसमें उसने प्रवक्ता के पद के लिये आवेदन किया हो, स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किये जायेगा ।

(19) जहां किसी व्यक्ति ने एल0 टी0 श्रेणी में किसी पद के लिये आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तो गुण विषयक अंक उस विषय में जिसमें अन्य विषय या विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो, स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किया जायेंगे ।

(20) जहां किसी अध्यापक के पद के लिये आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति किसी विषय के लिये निहित एक से अधिक वैकल्पिक अर्हतायें रखता हो तो उसे उन वैकल्पिक अर्हताओं के सम्बन्ध में केवल एक ऐसी उपाधि, प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा के लिये जिसमें अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो गुण-विषयक अंक प्रदान किये जायेंगे ।

(21) जहां किसी व्यक्ति के पास आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न, विशारद् मध्यमा या विद्या विनोदिनी की अर्हता हो वहां उसे स्नातकोत्तर या स्नातक उपाधि के लिये या इन्टरमीडिएट या हाई स्कूल अर्हता के लिय जिनके समतुल्य प्रथम उल्लिखित अर्हताओं को परिषद् द्वारा मान्यता दी गयी है, गुण विषयक अंक प्रदान कर दिये जायेंगे ।

(22) जहां किसी व्यक्ति ने सी0 टी0 ग्रेड में किसी पद के लिये आवेदन किया हो, वह उसे उसकी स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि जो भी प्रथम श्रेणी में हो, के सम्बन्ध में अथवा यदि स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में हो तो किसी एक उपाधि के सम्बन्ध में 15 अतिरिक्त गुण अंक दिये जायेंगे, द्वितीय अथवा तृतीय में उपरोक्त उपाधियां होने की दशा में कोई अतिरिक्त गुण अंक नहीं दिया जायेगा ।

(23) जहां किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान के पद के लिये या एल0 टी0 या सी0 टी0 श्रेणी में किसी पद के लिये या सी0 टी0 श्रेणी से निम्न स्तर श्रेणी के लिये आवेदन किया हो, और अपने प्रशिक्षण उपाधि डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में सिद्धान्त और व्यवहार में क्रमशः प्रथम और तृतीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो, वहां उसे 11 गुण विषयक अंक दिये जायेंगे ।

(24) जहां किसी व्यक्ति ने प्रवक्ता के पद के लिए आवेदन किया हो और अपने प्रशिक्षण उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में सिद्धान्त और व्यवहार में क्रमशः प्रथम और द्वितीय श्रेणी या तृतीय और प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो वहां उसे 5 1/2 गुण विषयक अंक दिये जायेंगे ।

(25) जहां प्रशिक्षण अर्हता के सम्बन्ध में किसी उपाधि प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा में केवल प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी उल्लिखित हो, वहां आवेदक (सिद्धान्त और व्यवहार के लिये) क्रमशः I--I, II--II, या III--III के बराबर गुण विषयक अंक का हकदार होगा ।

(26) जहां किसी पद के लिए किसी आवेदक को अपेक्षित प्रशिक्षण अर्हता की छूट दी गयी हो या उसने अपने प्रशिक्षण उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में सिद्धान्त और व्यवहार में तृतीय श्रेणी प्राप्त की हो, या वह परिशिष्ट-क की क्रम

संस्था-1 के खंड (2) में संस्था के प्रधान के लिये निहित अर्हतायें रखता हो, वहां से इस परिशिष्ट में दी गयी गुण विषयक सारणी में शीर्षक "प्रशिक्षण" के सामने शीर्षक "अन्य" के अधीन गुण विषयक अंक दिये जायेंगे।

(27) जहां किसी आवेदक को किसी पद के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की छूट दी गयी हो, वहां ऐसी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में उसे निम्नतम गुण विषयक अंक दिया जायेगा अर्थात् जो अंक तृतीय श्रेणी के लिये विहित हो।

(28) जहां प्रवक्ता पद के लिये या एल0 टी0 श्रेणी में किसी पद के लिये किसी आवेदक के पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में" स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो, वहां उसे ऐसे डिप्लोमा के लिये, ऊपर उल्लिखित किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के सम्बन्ध में तृतीय श्रेणी के लिये विहित गुण विषयक अंक के आगे गुण विषयक अंक दिये जायेंगे।

(29) कोई आवेदक केवल एक प्रशिक्षण अर्हता अर्थात् प्रशिक्षण उपाधि, प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा, इसमें जो भी उच्चतम प्रशिक्षण अर्हता होने के लिये गुण विषयक अंक पाने का हकदार होगा। उदाहरणार्थ यदि आवेदक सी0 टी0 या और बाद में वह बी0 एड0 उपाधि या एल0 टी0 प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले तो वह केवल उच्चतम प्रशिक्षण अर्हता के लिये गुण विषयक अंक का हकदार होगा।

टिप्पणी--इस उपखंड के प्रयोजनार्थ, एम0 एड0 को प्रशिक्षण अर्हता नहीं समझा जायेगा।

(30) खंड (1), (3), (4) या (10) के अधीन अतिरिक्त गुण विषयक अंक इस शर्त पर दिये जायेंगे कि समस्त गुण विषयक अंकों का योग 150 से अधिक न हो।

(31) संस्था के प्रधान-पद के लिये प्रशासनिक अनुभव में प्रयोजनार्थ केवल निम्नलिखित अनुभव का विचार किया जायेगा--

(1) जहां आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक की या किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या इन्टरमीडिएट कालेज के प्रिंसिपल की हैसियत से कार्य किया हो।

(2) जहां आवेदक शिक्षा विभाग में किसी राजपत्रित पद पर रहा हो।

(3) जहां आवेदक कम से कम तीन वर्ष तक एन0 सी0 सी0 में कमीशन अधिकारी के रूप में किसी पद पर रहा हो। वहां समस्त उपर्युक्त अनुभव।

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (3) में निर्दिष्ट प्रशासनिक अनुभव की स्थिति में गुण विषयक अंक देने के लिए प्रथम तीन वर्ष के अनुभव को एक वर्ष माना जायेगा और प्रत्येक अनुवर्ती एक वर्ष को एक वर्ष समझा जायेगा।

(32) किसी पद के लिये शिक्षण अनुभव के प्रयोजनार्थ, केवल ऐसे समस्त अनुभव पर विचार किया जायेगा जिसे आवेदक किसी मान्यता प्राप्त संस्था में, जिसमें प्राथमिक विद्यालय भी हो, अध्यापक की हैसियत से कार्य करके अर्जित किया हो। किसी मान्यता प्राप्त एवं प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में अर्जित अनुभव का विचार केवल बी0 टी0 सी0/बी0 टी0 सी0 श्रेणी में अध्यापक पद के लिये किया जायेगा। यदि

आवेदक ने संस्था के प्रधान के पद से भिन्न पद के लिये आवेदक किया हो तो "शिक्षण अनुभव" के लिये किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के उसके अनुभव का भी विचार किया जायेगा।

(33) उपर्युक्त उपखंड (19) और (20) के प्रयोजनार्थ—

(क) छः मास से कम का अनुभव कोई गुण विषयक अंक देने के लिये अर्ह नहीं बनायेगा, किन्तु छः मास या अधिक, किन्तु एक वर्ष से कम का अनुभव एक वर्ष के लिये गुण विषयक अंक देने के लिये अर्ह बनायेगा।

(ख) किसी संस्था के निर्देश में पद "मान्यता प्राप्त" का तात्पर्य शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा या विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या सृजित किसी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त से है जिसके अन्तर्गत सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली, कौंसिल आफ इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जमिनेशन, दिल्ली, विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई उपाधि महाविद्यालय भी है।

परिशिष्ट—"ङ"

[अध्याय दो के विनियम 18(1) के संदर्भ में]

रजिस्ट्रीकृत आवरण में

संख्या....... दिनांक.....

संस्था का नाम.....

स्थान.........

जिला......

विषय—संस्था के अध्यापक/प्रधान की नियुक्ति।

महोदय/महोदया,

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि चयन समिति द्वारा आपका चयन——————————के पद के लिये किया गया है। संस्था की प्रबन्ध समिति ने अपने संकल्प संख्या——————————दिनांक——————————द्वारा आपको——————————रुपये के मानक्रम में——————————रुपये के प्रारम्भिक वेतन तथा नियमावली के अधीन यथा-अनुमन्य महंगाई भत्ते पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर——————————तक अस्थायी रूप से——————————के रूप में नियुक्त कर लिया है।

आप की इस पत्र के प्राप्ति के दिनांक से दस दिन के भीतर संस्था के प्रधान/प्रबन्धक के समय उपस्थित होने और कार्यभार ग्रहण करने क अपेक्षा की जाती है। यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो इस नियुक्ति को रद्द किया जा सकेगा।

भवदीय,

प्रबन्धक।

प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक/सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका——————————सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक——————————को सूचनार्थ अग्रसारित।

अध्याय तीन

सेवा की शर्तें*

(धारा 16-छ)

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण तथा पदोन्नति

1--प्रधानाध्यापक, आचार्य तथा अध्यापक--प्रबन्ध समिति द्वारा स्कूल, वर्ष आरम्भ होने से पूर्व होने वाले किसी प्रधानाध्यापक, आचार्य अथवा अध्यापक के स्पष्ट रिक्त स्थान की मौलिक रूप से पूर्ति आने वाले 31 जुलाई तक कर दी जानी चाहिये। 7 अगस्त तक सम्भावित रिक्त स्थान की पूर्ति इसी प्रकार आने वाले 31 अगस्त तक होनी चाहिए।

2--(1) किसी संस्था में नियुक्ति हेतु लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वही होगी जो राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के समकक्षीय कर्मचारियों के लिये समय-समय पर निर्धारित की गई हो।

(2) प्रधान लिपिक एवं लिपिक श्रेणी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत संस्था में कार्यरत लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा यदि कर्मचारी पद हेतु निर्धारित अर्हता रखता हो तथा वह आगे पद पर 5 वर्ष को अविरल मौलिक सेवा कर चुके हों तथा उनका सेवा अभिलेख अच्छा हो पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़ कर ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

इस सम्बन्ध में यदि कोई कर्मचारी प्रबन्ध समिति के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित हो तो वह उसके विरुद्ध, ऐसे निर्णय या आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर निरीक्षक को अभ्यावेदन कर सकता है निरीक्षक ऐसे अभ्यावेदन पर ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे। निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा और प्रबन्धाधिकरण द्वारा शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा।

टिप्पणी--पचास प्रतिशत पदों की संगणना करने में आधे से कम भाग को छोड़ दिया जायगा और आधे या आधे से अधिक भाग को एक समझा जायेगा।

3--शासन के अधीन सेवा से अथवा एक मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था की सेवा से विमुक्त, प्रधानाध्यापक, आचार्य अथवा अध्यापक, अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नियुक्त नहीं किया जायेगा।

4--कोई भी अध्यापक, जो प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य अथवा प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य का सम्बन्धी है, संस्था में अस्थायी अथवा स्पष्ट रिक्त स्थान पर नहीं नियुक्त किया जायगा और न संस्था में किसी को प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य नियुक्त किया जायगा जो प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य का सम्बन्धी हो।

इस विनियम के प्रयोजन के लिये "सम्बन्धी" में निम्नलिखित का तात्पर्य है :

पिता, बाबा, ससुर, चाचा या मामा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, पुत्री, पौत्री, पत्नी, दादी, भतीजा, चचेरा या ममेरा भाई, साला, बहनोई, पति, देवर, ज्येष्ठ, नन्द, साली, पुत्र-वधू, बहिन, भावज, चचेरा भाई की पत्नी, माँ, सास, चाची या मौसी।

5—अध्यापक वर्ग में से कोई अथवा प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य किसी मान्यता-प्त संस्था की प्रबन्ध-समिति के पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

6—नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति से समस्त नियुक्तियां औपचारिक आदेशों था नियुक्ति-पत्रों के अन्तर्गत की जायेंगी।

7—स्पष्ट रिक्त स्थान में मौलिक नियुक्ति हेतु चुना हुआ व्यक्ति कार्यभार ग्रहण रने की तिथि से परिवीक्षाधीन रखा जायगा।

8—(1) संस्था के प्रधान या अध्यापक के लिये चाहे वह सीधी भर्ती से नियुक्त या गया हो अथवा पदोन्नति द्वारा परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष होगी।

(2) उक्त अवधि—

(क) ऐसे अध्यापक के सम्बन्ध में जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1976 के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त किया गया समझा जाय, 27 नवम्बर, 1976 से।

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में, मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से प्रारम्भ होगी।

9—संस्था का कोई भी अध्यापक अथवा प्रधान अपनी नियुक्ति में स्थायी नहीं या जायगा जब तक कि वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा अनिवार्य न्दी को अपने एक विषय के रूप में लेकर अथवा एक हिन्दी क्षेत्रीय भाषा वाले राज्य स्थित परीक्षा निकाय की हिन्दी (नियमित, प्रारम्भिक नहीं) के साथ समकक्ष परीक्षा थवा निम्नांकित परीक्षाओं में से कोई एक उत्तीर्ण न हो :—

(अ) गुरूकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन द्वारा संचालित अधिकारी अथवा शिरोमणि परीक्षा।

(आ) गुरूकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचलित विद्याधिकारी अथवा अलंकार परीक्षा।

(इ) राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अथवा वाराणसेय संस्कृत विश्व-विद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा।

(ई) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित हिन्दी साहित्य के साथ विशारद परीक्षा अथवा हिन्दी साहित्य के साथ साहित्यरत्न परीक्षा।

(उ) उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कोविद अथवा (हिन्दी के साथ) विशेष योग्यता परीक्षा।

(ऊ) पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब की प्रभाकर परीक्षा।

(ए) हिन्दी (प्रथम भाषा के रूप में) के साथ इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, कैम्ब्रिज स्कूल, सर्टीफिकेट परीक्षा।

(ऐ) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित भूतपूर्व हिन्दी में डिपार्ट-मेन्टल, स्पेशल वर्नाक्यूलर परीक्षा।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद निदेशक की आख्या पर विचार करने के पश्चात् परिस्थितियों में पर्याप्त कारणों पर छूट दे सकती है।

10—परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी किया जायगा यदि वह ऊपर के विनियम की शर्तों को पूरा करता है, उसने परिश्रम से कार्य किया है, उसने स्वयं को नियुक्त हु पद के योग्य सिद्ध किया है तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

11—यदि परिवीक्षाकाल की समाप्ति से पूर्व किसी प्रधानाध्यापक, आचार्य अथव अध्यापक की सेवा समाप्त नहीं कर दी जाती है अथवा प्रधानाध्यापक या आचार्य क परिवीक्षा-काल नीचे के विनियम 12 के अन्तर्गत बढ़ाया नहीं जाता है, तो उसे अपने पद एवं पदक्रम में परिवीक्षा-काल की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा।

12—प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य का परिवीक्षा-काल अधिकतम 12 मास लिये बढ़ाया जा सकता है।

13—जिस तिथि को एक अध्यापक का स्थायीकरण नियत है, उससे कम से क छः सप्ताह पूर्व प्रधानाध्यापक या आचार्य उसके स्थायीकरण की कागज-पत्र तैयार करेग और उन्हें अपनी अभियुक्तयों, अध्यापक की शील पंजी की प्रतियों तथा नियुक्तिक्र के साथ प्रबन्धक के पास भेजेगा जो उन्हें प्रबन्ध समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा इसी प्रकार आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के स्थायीकरण के कागज-पत्र प्रबन्धक द्वार तैयार किये जायेंगे तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रबन्ध-समिति क निर्णय प्रत्येक मामले में प्रस्ताव के रूप में अभिलिखित किया जायेगा।

14—किसी व्यक्ति को स्थायी किये जाने के प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव की एक प्रति उसे दी जायगी तथा एक अन्य प्रति अध्यापक के सम्बन्ध में निरीक्षक अथवा मण्डली निरीक्षिका को तथा प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के सम्बन्ध में मण्डलीय उप शिक्ष निदेशक अथवा उप शिक्षा निदेशक (महिला) को प्रेषित की जायगी। सम्बन्धित व्यक्ति की सेवा-पुस्तिका में इस आशय की प्रविष्टि भी की जायेगी।

15—किसी आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक के परिवीक्षाकाल में एक संस्थ से दूसरी संस्था में स्थानान्तरण होने पर उसकी परिवीक्षा भंग न होगी और उस स्थायीकरण की कार्यवाही उस संस्था द्वारा की जायगी, जिसमें वह स्थानान्तरित हुआ है।

(16 से 20 हटाया गया)

*21—आचार्य, प्रधानाध्यापक, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों का अधिवर्ष वय 6 होगा। यदि किसी आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक का उपर्युक्त अधिवर्ष वय जुलाई और 30 जून के मध्य में किसी तिथि को पड़ता है तो उसे, उस दशा को छो कर जबकि वह स्वयं सेवा विस्तरण न लेने हेतु लिखित सूचना अपने अधिवर्ष वय क तिथि से 2 माह पूर्व दे दें, 30 जून तक सेवा विस्तरण स्वयंमेव प्रदान किया गय समझा जायेगा ताकि ग्रीष्मावकाश के उपरान्त जुलाई में प्रतिस्थानी की व्यवस्था हो सके इसके अतिरिक्त सेवा विस्तरण केवल उन्हीं विशिष्ट दशाओं में प्रदान किया जा सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

यदि किसी लिपिक अथवा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के अधिवर्ष वय की तिथि कि माह के मध्य किसी तिथि को पड़ती है तो उसका सेवा विस्तरण उस मास की अन्ति तिथि तक प्रदान किया गया समझा जायगा। किन्तु यदि किसी कर्मचारी की सेवा-निवृ की तिथि किसी माह की पहली तारीख को पड़े तो उसे पूर्ववर्ती माह की अन्तिम ति को सेवा-निवृत्त कर दिया जायेगा।

---

*दिनांक 8 अगस्त, 1987 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद्-9/21 दिनांक 26 जून, 1987 द्वारा संशोधित।

(22 निकाला गया)

23—शासन के अधीन सेवा से अथवा एक शैक्षिक संस्था की सेवा से विमुक्त लिपिक, पुस्तकाध्यक्ष अथवा निम्न कर्मचारी को अन्य मान्यता-प्राप्त संस्था में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, जहां नियुक्ति खोजी जा रही है अथवा उप शिक्षा निदेशक (महिला) जो भी स्थिति हो, की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं नियुक्त किया जायेगा।

सेवा की समाप्ति

24—अस्थायी रूप से एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्त अथवा अवकाश-रिक्त में अथवा सत्र के एक भाग के लिये होने वाली रिक्ति में नियुक्त कर्मचारी की सेवा, यदि नियमानुसार उसका विस्तार न हुआ हो तो उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिये उसकी नियुक्ति हुई थी अथवा जब रिक्ति समाप्त हो, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायगी और इस प्रकार की समाप्ति के लिये किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

25—अस्थायी कर्मचारी (परिवीक्षाधीन के अतिरिक्त) अथवा अपनी परिवीक्षा की अवधि में परिवीक्षाधीन की सेवा किसी भी समय उसे एक मास की नोटिस अथवा उसके बदले में एक मास का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

26—(1) स्थायी कर्मचारी की सेवा उसे तीन मास की नोटिस अथवा उसके बदले में तीन मास का वेतन देकर, जिस पद पर कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसका अन्त करने के आधार पर समाप्त की जा सकती है, पद का अन्त निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है:—

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण निश्चित छटनी।

(ख) एक विषय का हटाया जाना।

(ग) श्रेणी अथवा कक्षा की समाप्ति।

(2) खण्ड (1) में उल्लिखित नोटिस की अवधि संगणित करने के लिये अथवा उसके बदले में दी जाने वाली धनराशि निर्धारित करने में ग्रीष्मावकाश का समय छोड़ दिया जायगा।

27—सामान्यत: एक स्थायी प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य की सेवा की समाप्ति का नोटिस दिसम्बर के प्रथम दिवस तथा आने वाले वर्ष की फरवरी के अन्तिम दिवस के बीच अथवा स्थायी अध्यापक का किसी वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस तथा मार्च के अन्तिम दिवस के बीच नहीं दिया जायगा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि दीर्घ शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च के स्थान पर क्रमश: अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, और नवम्बर पढ़ा जाय।

28—समिति स्थायी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति निरीक्षक को उस समय तक नहीं प्रस्तावित करेगी जब तक कि इस उद्देश्य से विशेषरूप से संयोजित बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव नहीं पारित हो जाता है।

29—कोई कर्मचारी नोटिस देकर अथवा उसके बदले में वेतन देकर, जिसके लिये वह प्रबन्ध द्वारा उसकी सेवायें समाप्त किये जाने की स्थिति में अधिकारी होता, त्याग-पत्र दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि--

(1) कोई कर्मचारी जनवरी, फरवरी तथा मार्च के मास में समाप्त होने वाला नोटिस नहीं देगा ।

(2) ग्रीष्मावकाश नोटिस की अवधि में सम्मिलित कर लिया जायगा ।

(3) राजकीय सेवा अथवा किसी स्थानीय निकाय की सेवा की नियुक्ति हेतु चुने गए कर्मचारी को आवश्यक नोटिस देने की आवश्यकता न होगी और उसे नई नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय से अपनी सेवा से त्याग-पत्र देना होगा यदि पद के लिए उचित सरणि से प्रार्थना-पत्र दिया गया है ।

उपरोक्त प्राविधान लिपिक, जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष भी सम्मिलित है, पर लागू होंगे किन्तु चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक खंड के प्राविधान लागू नहीं होंगे ।

(4) प्रबन्ध समिति को यह अधिकार होगा कि नोटिस के दावे में छूट दे दें ।

30--किसी कर्मचारी को त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं मिलेगी यदि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां अनिर्णित हैं जब तक कि उसे प्रबन्ध-समिति द्वारा ऐसा करने को विशेष अनुमति नहीं प्राप्त हो जाती है ।

दण्ड जांच तथा विलम्बन

31--कर्मचारियों को प्राप्य दण्ड, जिसके लिए निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, निम्नलिखित में से किसी एक रूप में हो सकती है :--

(क) वियुक्ति ।

(ख) पृथक्करण अथवा प्रमुक्ति ।

(ग) श्रेणी में अवनति ।

(घ) परिलब्धियों में कमी ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपरोक्त कोई दण्ड देने हेतु प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक सक्षम होगा । सक्षम अधिकारी द्वारा दण्ड दिये जाने की दशा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध समिति को अपील की जा सकेगी । यह अपील दण्ड सूचित किये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रस्तुत हो जानी चाहिये और उस पर प्रबन्ध समिति द्वारा निर्णय कर अपील की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर दे दिया जावेगा । समस्त आवश्यक अभिलेखों पर विचार करने एवं कर्मचारी को, यदि वह प्रबन्ध समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना चाहे, सुनवाई के पश्चात् प्रबन्ध समिति अपील पर निर्णय देगी ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को यह भी अधिकार होगा कि उसकी अपील पर किये गये प्रबन्ध समिति के निर्णय के विरुद्ध वह जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को, निर्णय सूचित किये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर अभ्यावेदन कर सकेगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि प्रबन्ध समिति उपर्युक्त निर्धारित छः सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय उपरोक्त अपील पर न दे तो सम्बन्धित कर्मचारी अपना अभ्यावेदन सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को उपरोक्त छः सप्ताह की अवधि बीत जाने पर दे सकता है।

जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा उपरोक्त अभ्यावेदन पर अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीन माह के भीतर निर्णय दे दिया जायेगा और यह निर्णय अन्तिम होगा।

अभ्यावेदन के प्रस्तुतीकरण विचार एवं निर्णय के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन के साथ इस अध्याय के विनियम 86 से 98 लागू होंगे।

32--(1) कर्मचारी को सेवा से घोर अनधीनता, जानबूझ कर अथवा गम्भीर कर्तव्य की उपेक्षा, घोर दुराचरण अथवा दण्डनीय कार्य के लिये बेईमानी, भ्रष्टाचार, निधियों का दुर्विनियोग, यौन-प्रतिकूलता अथवा नैतिक अधमता जैसे कार्यों के आधार पर सेवा से वियुक्त किया जा सकता है।

(2) कर्मचारी को ऊपर उल्लिखित आधारों पर तथा प्रशासन अथवा शैक्षणिक कार्य की अदक्षता अथवा अनधिकृत शिक्षण अथवा सेवा पर नौकरी से पृथक् किया जा सकता है।

(3) कर्मचारी को प्रशासन में न्यूनता, असंतोषजनक कार्य अथवा आचरण, पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलाप की अभिरुचि अथवा परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों के पालन में कमी अथवा संदेहपूर्ण सत्यनिष्ठा जैसे आधारों पर श्रेणी में अवनत किया जा सकता है अथवा उसकी परिलब्धियों में कमी की जा सकती है। यह कमी एक निम्नतर पद अथवा वेतन के कालमान अथवा वेतन के कालमान के निम्नतर सोपान में हो सकती है।

33--(1) कर्मचारी को एक वेतन कालमान में किसी अवधि के लिये अस्थायी अथवा स्थायी रूप से वेतन-वृद्धि रोक कर भी दण्डित किया जा सकता है।

(2) ऐसा आदेश कर्मचारी को प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका को अपील की जा सकती है और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

34--दण्ड दिये जाने का निश्चय करने में अपराध को कम करने वाली बातें, यदि कोई हों तथा कर्मचारी की सेवा के विगत अभिलेख को ध्यान में रखा जा सकता है।

35--शिकायत अथवा गम्भीर प्रकृति के आरोपों की प्रतिकूल आख्या प्राप्त होने पर समिति, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के विषय में प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य अथवा प्रबन्धक को जांच अधिकारी नियुक्त करेगी, (अथवा प्रबन्धक स्वयं जांच करेगा यदि समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत उसे यह अधिकार प्रतिनिहित हो गये हैं) और प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के विषय में एक छोटी उपसमिति होगी जिसे आख्या यथाशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश होंगे।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सम्बन्ध में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा किसी वरिष्ठ अध्यापक को जांच अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

36--(1) वे आधार, जिन पर कार्यवाही करना प्रस्तावित है, एक निश्चित आरोप अथवा आरोपों के रूप में करके दोषी कर्मचारी को प्रेषित किये जायेंगे और जो इतने स्पष्ट और सही होंगे कि दोषी कर्मचारी को उसके विरुद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों

का पर्याप्त संकेत कर देंगे। आरोप-पत्र प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर उसे अपने प्रतिवाद का लिखित वक्तव्य देना होगा और यह बताना होगा कि क्या वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता है। यदि वह अथवा जांच अधिकारी चाहता है तो उन आरोपों के सम्बन्ध में, जो स्वीकार नहीं किये गये हैं, मौखिक जांच की जायगी। उस जांच में ऐसे मौखिक साक्ष्य सुन जायेंगे जिन्हें जांच अधिकारी आवश्यक समझता है। दोषी व्यक्ति साक्षी से जिरह करने का, स्वयं साक्ष्य देने का और ऐसे साक्षियों को बुलाने का, जिन्हें वह चाहे, अधिकारी होगा, प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी पर्याप्त कारणों से, जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है। कार्यवाहियों में साक्ष्य का पर्याप्त अभिलेख और जांच का विवरण तथा उसके आधार होंगे। जांच करने वाला जांच अधिकारी इन कार्यवाहियों से पृथक् कर्मचारी को दिए जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति भी कर सकता है।

(2) खण्ड (1) वहां लागू नहीं होगा जहां सम्बन्धित व्यक्ति फरार हो गया है अथवा जहां अन्य कारणों से उससे पत्र-व्यवहार करना अव्यवहारिक है।

(3) खण्ड (1) के किसी अथवा समस्त प्रतिबन्धों से पर्याप्त कारणों सहित जिनका लिखित रूप से अभिलेख होना चाहिये, छूट दी जा सकती है जहां उसकी आवश्यकताओं का ठीक-ठीक पालन करने में कठिनाई हो और उन आवश्यकताओं को जांच अधिकारी के मत से दोषी व्यक्ति के प्रति बिना अन्याय हुए, छोड़ा जा सकता है।

37--जांच-अधिकारी से कार्यवाही की आख्या तथा संस्तुति प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही कर्मचारी को नोटिस देने के बाद प्रबन्ध समिति की बैठक कार्यवाही की आख्या तथा संस्तुति पर विचार करने के लिए होगी और उस मामले पर निर्णय लेगी। कर्मचारी को, यदि वह चाहता है, समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होने की आज्ञा दी जायगी जिससे वह अपना अभियोग प्रस्तुत कर सके और बैठक में उपस्थित किसी सदस्य द्वारा पूछे गये किसी प्रश्न का उत्तर दे सके। तब समिति पूर्ण आख्या, समस्त सम्बन्धित कागज-पत्र सहित निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका को उसके द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही को स्वीकृत हेतु प्रेषित करेगी।

किन्तु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में निरीक्षक/निरीक्षिका को स्वीकृति हेतु कोई आख्या नहीं भेजी जायगी। इनके सम्बन्ध में उपरोक्त सारी कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायगी।

38--यदि किसी स्थिति में यह अनुभव किया जाता है कि मामले में नोटिस सेवा नियुक्ति द्वारा अधिक भली प्रकार से कार्यवाही की जा सकती है, तो यह निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका की स्वीकृति से किया जा सकता है।

39--(1) संस्था के प्रधान या अध्यापक के निलम्बन से सम्बन्धित रिपोर्ट में जो धारा 16-छ की उपधारा (6) के अधीन निरीक्षक को प्रस्तुत की जायगी, निम्नलिखित विवरण दिये जायेंगे और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे :--

(क) निलम्बित किये गये व्यक्ति के नाम के साथ-साथ निलम्बन के समय तक उसकी मूल नियुक्ति के दिनांक से उसके द्वारा धृत पदों (श्रेणी सहित) का विवरण जिसके अन्तर्गत निलम्बन के समय पर धृत पदावधि के प्रकार अर्थात् अस्थायी, स्थायी या स्थानापन्न से सम्बन्धित विवरण भी है ;

(ख) ऐसी रिपोर्ट की एक प्रमाणित प्रति जिसके आधार पर ऐसे व्यक्ति को अन्ततः स्थायी किया गया था या दक्षतारोक पार करने की अनुज्ञा दी गई थी, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती हो ;

(ग) ऐसे सभी आरोपों के ब्योरे जिनके आधार पर ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था ;

(घ) ऐसी शिकायतों रिपोर्टों और जांच अधिकारी की जांच-रिपोर्ट, यदि कोई हो, की प्रमाणित प्रतियां जिनके आधार पर ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था ;

(ङ) प्रबन्ध समिति के उस संकल्प की प्रमाणित प्रति जिससे ऐसा व्यक्ति निलम्बित किया गया था ;

(च) ऐसे व्यक्ति को जारी किये गये निलम्बन के आदेश की प्रमाणित प्रति ;

(छ) यदि ऐसा व्यक्ति पहले भी निलम्बित किया गया था तो जिन आरोपों के आधार पर और जितनी अवधि के लिये वह पिछले अवसरों पर निलम्बित रहा, उनके ब्योरे के साथ-साथ ऐसे आदेशों की प्रमाणित प्रतियां जिनके आधार पर वह बहाल किया गया था ।

(2) संस्था के प्रधान या अध्यापक से भिन्न किसी अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति अधिकारी द्वारा धारा 16-छ की उपधारा (5) के खण्ड (क) से (ग) तक में विनिर्दिष्ट कारणों में निलम्बित किया जा सकता है ।

40--(क) कर्मचारी का आरोप अथवा आरोपों को उसके विरुद्ध औपचारिक कार्यवाहियां आरम्भ करने का निर्णय लेने की तिथि से सामान्तया 15 दिनों के भीतर दे देना चाहिये ।

(ख) कर्मचारी को सामान्यतः अपने प्रतिवाद का लिखित वक्तव्य तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दे देना चाहिये और किसी भी दशा में इस कार्य के लिये एक मास से अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिये ।

(ग) लिखित वक्तव्य देने के एक मास के भीतर सामान्यतः साक्षी की जांच [illegible] परीक्षा सहित पूर्ण हो जानी चाहिये ।

(घ) जांच करने वाली एजेन्सी की आख्या, जहां वह स्वयं दंड प्राधिकारी नहीं यथा सम्भव शीघ्रता के साथ और सामान्यतः जांच समाप्त होने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत होनी चाहिये ।

(ङ) दण्ड प्राधिकारी को अनावश्यक बिलम्ब के बिना निर्णय ले लेना चाहिये ।

41--निलम्बित कर्मचारी को अपने वेतन का आधा निर्वाह-भत्ता दिया जायगा ।

42--निलम्बित कर्मचारी को बहाल होने पर अपने वेतन तथा प्राप्त निर्वाह-भत्ते का अन्तर दिया जायेगा ।

43--निलम्बित कर्मचारी, दंड प्राधिकारी की स्वमति से निलम्बन की अथवा किसी बाद की तिथि से दण्डित किया जा सकता है ।

44--निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका द्वारा अधिनियम की धारा 16-छ की उपधारा (3) (ए) में उल्लिखित कार्यवाही के लिये अथवा किसी लिपिक वर्ग के कर्मचारी के विरुद्ध किये गये दण्ड प्रस्ताव पर निर्णय करने हेतु पूर्ण रूप में प्राप्त प्रस्ताव की प्राप्ति छः सप्ताह के भीतर प्रबन्धाधिकरण को अपने निर्णय की सूचना प्रेषित कर दी जायगी

यदि प्रबन्धाधिकरण ने अपूर्ण कागज पत्र प्राप्त होते हैं तो स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी प्रस्ताव को पूर्णरूप में पुनः प्रस्तुत करने को कहेगा और इस विनियम में प्रस्तावित छः सप्ताह की अवधि स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी के पास पूर्ण कागज-पत्र पुनः प्राप्त होने की तिथि से संगणित की जायेगी । ये कागज-पत्र या तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा या विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे ।

44-क--(1) लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता/सकती है या उसे घटा या बढ़ा सकता/सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड के मामलों में निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका, आदेश जारी करने के पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी को इस बात का एक अवसर देंगे कि वह नोटिस प्राप्त के दिनांक के 15 दिन के भीतर कारण बताये कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय ;

(2) कोई भी पक्ष खंड (1) के अधीन निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका के आदेश के विरुद्ध आदेश की सूचना पाने के दिनांक से एक माह के भीतर संभागीय उप-शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और सम्भागीय उप-शिक्षा निदेशक ऐसी अतिरिक्त जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है, जो अन्तिम होगा । सम्भागीय उप-शिक्षा निदेशक द्वारा किसी कर्मचारी के अपील पर निर्णय 3 माह की अवधि के भीतर दे दिया जायेगा ।

45--समिति निरीक्षक अथवा मण्डलीय निरीक्षिका के निर्णय की सूचना प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर लागू करेगी, प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय उप-शिक्षा निदेशक/ शिक्षा उपनिदेशक (महिला) प्रबन्ध द्वारा प्रत्यावेदन किये जाने पर, अपील पर विचार किये जाने तक, कर्मचारी के निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन के शेष अंश को रोक सकता है ।

वेतनमान तथा वेतनों का भुगतान

46--कर्मचारियों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान प्रदान किये जायेंगे ।

47--कर्मचारी का वेतन संस्था में प्रथमतः सेवाभार ग्रहण करने पर उसके पद से संलग्न काल-मान का आरम्भिक सोपान निर्धारित किया जायगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसने इससे पूर्व अन्य संस्था में कार्य किया है तथा वेतन-वृद्धियाँ अर्जित की हैं, तो उसे इन वेतन-वृद्धियों का लाभ शासन अथवा विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार दिया जा सकता है ।

यह भी प्रतिबन्ध है कि अग्रिम वेतन-वृद्धियां विशेष दशाओं में शासन की पूर्व स्वीकृति से ही दी जायेगी ।

48--एक उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर कर्मचारी का आरम्भिक वेतन नये वेतन-मान के निम्नतम पर निर्धारित किया जायगा, यदि उसका वेतन इस न्यूनतम से कम है, अन्यथा नये काल मान के उसके वेतन से अगले सोपान पर ।

49--समिति कर्मचारी के एक मास के वेतन का भुगतान अगले मास की 20वीं तिथि तक कर देगी ।

50—वेतन का भुगतान नकद या चैक द्वारा किया जायगा। यदि कोई कर्मचारी नकद के स्थान पर बैंक द्वारा नियमित भुगतान चाहता है तो बैंक की सुविधायें स्थानीय रूप से उपलब्ध होने पर समिति द्वारा इसका आवश्यक प्रबन्ध किया जायगा। अथवा वेतन चैक द्वारा अथवा नकद प्राप्त करके कर्मचारी इस भुगतान के प्रतीकस्वरूप यथाविधि टिकट लगे हुये, यदि आवश्यक हो, वेतन पंजी पर हस्ताक्षर करेगा।

51—संस्था में स्थानापन्न अथवा मौलिक रूप से की गई अविरल सेवा, वेतन के काल-मान में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये, संगणित की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि कर्मचारी को ग्राह्य से अधिक बिना वेतन के अवकाश की अवधि, अथवा चिकित्सा-आधार अथवा निजी कार्य पर लिये गये अवकाश की अवधि के लिये वेतन-वृद्धि देय नहीं होगी। किसी विशेष वर्ष में अवकाश की अवधि में पड़ने वाली वेतन-वृद्धि की तिथि उस तिथि तक स्थगित कर दी जायगी, जिसको कर्मचारी अवकाश की समाप्ति पर कार्यभार ग्रहण करता है।

52—कर्मचारी को वेतन के काल-मान में वार्षिक वेतन-वृद्धियां ग्राह्य होंगी जब तक कि उसकी वेतन-वृद्धियां रोकने का दण्ड नहीं दिया जाता है अथवा वह दक्षता रोक पर निरुद्ध नहीं किया जाता है।

53—किसी आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक को दक्षता-रोक पार करने की आज्ञा नहीं दी जायगी जब तक कि वह अपने को छात्रों एवं अध्यापकों के लिए योग्य पथप्रदर्शक तथा दक्ष-पर्यवेक्षक नहीं सिद्ध कर लेता, संस्था में उचित वातावरण का निर्माण नहीं कर लेता, सन्तोषजनक शैक्षिक मानदण्ड उपलब्ध नहीं कर लेता, पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रमों का संतोषजनक संगठन नहीं कर लेता, अपने को प्रगतिशील शैक्षिक विचार और विकास की धारा के साथ नहीं रखता तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं होती।

54—किसी अध्यापक को दक्षता रोक पार करने की आज्ञा नहीं दी जायगी जब तक कि वह अपने को एक सुयोग्य अध्यापक नहीं सिद्ध कर लेता, छात्रों पर स्वस्थ प्रभाव नहीं रखता, अनुशासन बनाये रखने में तथा पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रमों में सहयोग नहीं देता, संस्था के प्रति स्वामिभक्त नहीं होता तथा उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं होती।

54-क—यदि किसी प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक को विनियम 53 या 54 के अधीन दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा नहीं दी गई है तो वह आदेश सूचित किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर निरीक्षक को अभ्यावेदन कर सकता है। निरीक्षक ऐसी जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। इस विषय पर निरीक्षक का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसे प्रबन्ध समिति द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।

एक संस्था से दूसरी में स्थानान्तरण

55—संस्था का एक स्थायी कर्मचारी, जो अन्य संबद्ध घोषित संस्था का कर्मचारी न हो अन्य संस्था में स्थानान्तरण चाहता है, संस्था के प्रधान तथा प्रबन्धक द्वारा विद्यालय निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका को, जैसी स्थिति हो, इस उद्देश्य का आवेदन-पत्र दे सकता है। आवेदक के अन्य विवरणों के अतिरिक्त आवेदन-पत्र में संस्थाओं के नाम, स्थानों एवं जिलों के नाम होंगे जहां स्थानान्तरण प्रार्थित है। यदि आवेदन-पत्र प्रबन्धक द्वारा अग्रसारित किया जाता है तो उसके साथ सेवा-पुस्तिका तथा चरित्र-पंजी की प्रतियां भेजी जानी चाहियें।

आवेदन-पत्र अग्रसारित होने के पश्चात् कर्मचारी द्वारा प्रति वर्ष 1 अप्रैल से पूर्व प्रधानाध्यापक/आचार्य और प्रबन्धक द्वारा निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका को यह सूचित करना चाहिये कि स्थानान्तरण की प्रार्थना अभी बनी है। ऐसी सूचना न प्राप्त होने पर यह समझा जायगा कि प्रार्थना समाप्त हो गई है।

56—विनियम 55 के अन्तर्गत निरीक्षक अथवा मंडलीय निरीक्षिका द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्र उस निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका को अग्रसारित किये जायेंगे, जिसके अधिक्षेत्र में स्थानान्तरण का इच्छित स्थान हो अथवा उस संस्था के प्रबन्धक को, यदि वह स्थान उसी के अधिक्षेत्र में हैं।

57—निरीक्षक तथा मंडलीय निरीक्षिका विनियम 55 और 56 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों की एक पंजिका रखेंगे।

58—हटाया गया।

59—किसी मान्यताप्राप्त संस्था में सेवायोजित कोई व्यक्ति उस संस्था से किसी अन्य संस्था को तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा जब तक कि—

(क) ऐसी प्रत्येक संस्था की प्रबन्ध समिति इस निमित्त सम्यक्रूप से पारित किसी संकल्प के माध्यम से, ऐसे स्थानान्तरण में सहमति न दे,

(ख) ऐसे स्थानान्तरण को कार्यान्वित करने के पूर्व निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा प्राप्त न कर ली जाय।

59 (क)—विनियम 59 के अधीन किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण करने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्—

(क) ऐसा व्यक्ति उस संस्था का जहां वह स्थानान्तरित किया जाय कर्मचारी हो जायगा और उसी अवधि पर्यन्त उसी पारिश्रमिक और अन्य उन्हीं शर्तों पर पद धारण करेगा जिन पर वह पद धारण करता रहता यदि स्थानान्तरण न किया गया होता, और पद पर इसी प्रकार बना रहेगा जब तक कि उक्त पदावधि, पारिश्रमिक और अन्य निबन्धन और शर्तों में सम्यक्रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय।

(ख) उक्त संस्था में उसी संवर्ग और श्रेणी में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों की ज्येष्ठता विधि के अनुसार पुनर्निर्धारण के अधीन रहेगी।

(ग) उक्त संस्था से जहां से वह स्थानान्तरित किया जाय, ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थानान्तरण के दिनांक के पूर्व की गयी कोई सेवा, इस विनियम के प्रयोजनार्थ ऐसी संस्था के अधीन, जहां वह स्थानान्तरित किया जाय, की गयी सेवा समझी जायगी।

60—अन्य संस्था से नयी संस्था में स्थानान्तरित कर्मचारी के नियुक्तिआदेश में अन्य निर्धारित विवरणों के अतिरिक्त, उसके स्थानान्तरण तथा जिस संस्था से स्थानान्तरण हुआ हो, उसके नाम का भी उल्लेख रहेगा।

61—कर्मचारी के एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरित होने के एक मास के भीतर पहली संस्था का प्रबन्धक सम्बन्धित निरीक्षकों अथवा मंडलीय निरीक्षिकाओं को सूचना देते हुये दूसरी संस्था के प्रबन्धक को कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका, चरित्र-पंजी, अवकाश-लेखा, निर्वाह-निधि लेखा तथा अन्य आवश्यक कागज-पत्रों को अद्यावधिक यथोचित रीति से उनमें प्रविष्टि करके प्रेषित करेगा।

62—स्थानान्तरण होने पर कर्मचारी यात्रा-भत्ता का पात्र न होगा। उसे प्रति 100 मील पर एक दिन के हिसाब से अधिकतम तीन दिनों का यात्रा-समय मिलेगा। यात्रा-समय का वेतन, यदि इसके विपरीत कोई अनुबन्ध-पत्र न हो, तो

[उ]स संस्था द्वारा दिया जायगा जहाँ कर्मचारी स्थानान्तरित होकर कार्यभार ग्रहण [क]रता है।

शिक्षण, अंशकालीन सेवा एवं अन्य लाभ

63--गृह शिक्षण स्वीकार करने से पूर्व मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों [को] प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य से निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 'ख') पर अनुमति अवश्य [प्रा]प्त करनी चाहिये। अध्यापक द्वारा शिक्षा दिये जाने वाले छात्र के गृह-शिक्षण की [अ]नुमति बहुत ही कम और विशेष कारणों से ही दी जानी चाहिये जो अभिलिखित [कि]ये जायें।

64--(1) प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य किसी अध्यापक को दो गृह-शिक्षण तक [की] अनुमति दे सकता है, विशेष परिस्थितियों में (जिनका अभिलेख हो) प्रबन्धक के [प]रामर्श से वह एक अध्यापक को तीन गृह-शिक्षण तक की अनुमति दे सकता है, [प्र]तिबन्ध यह है कि वह इससे आश्वस्त रहे कि संस्था में शिक्षण की दक्षता को कोई [हा]नि नहीं पहुंचती।

(2) गृह-शिक्षण में अध्यापक द्वारा दिये जाने वाले घंटों की संख्या प्रतिदिन 2 तथा सप्ताह में 12 से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(3) एक समय पर तीन बालकों/बालिकाओं से अधिक के गृह-शिक्षण की अनुमति नहीं दी जायगी।

65--प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य को गृह-शिक्षण की अनुमति नहीं दी जायगी।

66--कर्मचारी, परिषद्, शिक्षा विभाग अथवा मान्यताप्राप्त परीक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित पारिश्रमिकयुक्त कार्य स्वीकार कर सकता है अथवा साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार के कार्य से उसके सामान्य कर्त्तव्यों में व्यवधान न पड़े।

67--कर्मचारी को शिक्षा निदेशक के आदेशों के अनुसार, यदि कोई हो, शैक्षिक, प्रशिक्षण सम्बन्धी अथवा व्यावसायिक परीक्षाओं की जो शिक्षण अथवा प्रशासन में उसकी [द]क्षता सुधारने में सहायक हो, तैयारी करने तथा उनमें बैठने की अनुमति प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा दी जा सकती है।

कार्य एवं सेवा का अभिलेख रखना

68--प्रत्येक कर्मचारी के लिये एक चरित्र-पंजी तथा एक सेवा-पुस्तिका रखी जायगी। चरित्र-पंजी का प्रपत्र परिशिष्ट 'ग' में दिये हुये के अनुसार होगा। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा-पंजी एवं चरित्र-पंजी उसी प्रपत्र में रखी जायगी जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के समकक्षीय कर्मचारियों के लिये निर्धारित है।

69--अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में उसकी चरित्र-पंजी में वार्षिक प्रविष्टियां संस्था के प्रधान द्वारा की जायेंगी जब कि संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में ये प्रविष्टियां प्रबन्धक द्वारा की जायगी। उनके द्वारा आकस्मिक प्रविष्टियां किसी भी समय पर की जा सकती है।

70—सम्बन्धित व्यक्ति के कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में वार्षिक प्रविष्टि साथ निम्नलिखित प्रपत्र में एक सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र दिया जायगा—

> "मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आयी है जिससे श्री.......... की सत्यनिष्ठा पर आंच आये । ईमानदारी के लिये उनकी सामान्य प्रसिद्धि अच्छी है और मैं उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करता हूं ।"

71—प्रमाण-पत्र देने वाले प्राधिकारी को इन प्रमाण-पत्रों के देने अथवा रोक लेने में अत्यधिक ध्यान देना चाहिये और इसे एक गम्भीर और अत्यन्त आवश्यक मामला समझना चाहिये । सत्यनिष्ठा के प्रमाण-पत्र को रोकने से पूर्व प्रमाण-पत्र देने वाले प्राधिकारी की जानकारी में आने वाले प्रत्येक शिकायत अथवा आरोप की भली-भांति जांच होनी चाहिये और यदि वह स्थापित हो जाय अथवा उसकी पुष्टि हो जाय तो सम्बन्धित व्यक्तियों के सामने स्पष्टीकरण हेतु रखी जानी चाहिये । यदि व्यक्ति का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न हो और उनकी सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हो गया हो तो उसकी सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र रोका जा सकता है ।

72—जहां एक वर्ष-विशेष में किसी व्यक्ति की चरित्र-पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाती है, उस पूरे वर्ष की प्रतिकूल तथा अनुकूल दोनों प्रविष्टियां प्रविष्ट किये जाने के 30 दिन के भीतर सूचित की जायेंगी और उसकी प्राप्ति की स्वीकृति ली जायेगी । इसी प्रकार सत्यनिष्ठा के प्रमाण-पत्र रोके जाने की सूचना भी दी जायेगी ।

73—चरित्र-पंजी की प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रबन्ध समिति को किया जा सकता है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

74—राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये निर्धारित प्रपत्र पर एक सेवा-पुस्तिका संस्था के कर्मचारी को उसके अपने मूल्य पर प्रथम नियुक्ति पर दी जायगी और चरित्र-पंजी के साथ अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में संस्था के प्रधान की तथा संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में प्रबन्धक की परिरक्षा में रखी जायगी ।

75—संस्था के कर्मचारी को किसी भी समय अपनी सेवा-पुस्तिका की जांच करने की अनुमति दी जायगी, यदि वह इस बात के लिये संतुष्ट होना चाहे कि उसकी सेवा-पुस्तिका भली-भांति रखी जा रही है । वह अपनी सेवा-पुस्तिका की वार्षिक वेतन-वृद्धि, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रत्येक प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा और सेवा में कोई भी व्यवधान (जैसे अवकाश) उसकी अवधि के पूर्ण विवरण सहित अभिलिखित होगा । अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के विषय में संस्था के प्रधान द्वारा तथा संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा सेवा-पुस्तिका की समस्त प्रविष्टियां प्रमाणित की जायेंगी ।

76—संस्था के कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका उसके अवकाश-ग्रहण अथवा सेवा समाप्ति के समय उसमें इस विषय की प्रविष्टि करने के बाद उसे दे दी जायेगी ।

निर्वाह-निधि

77—इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन जैसा कि शिक्षा संहिता (1958 संस्करण) के परिशिष्ट-आठ में है, पेंशन-रहित सेवा के स्कूल/कालेज अध्यापकों के लिये, निर्वाह-निधि योजना यथासम्भव समस्त कर्मचारियों के लिये लागू होगी ।

78—प्रतिमास कर्मचारी के वेतन के भुगतान के समय प्रबन्ध का अंशदान कर्मचारी के अंशदान के साथ उसके खाते में जमा किया जायगा ।

79—प्रबन्धक प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 31 दिसम्बर तक कर्मचारी को उसके निर्वाह-निधि खाते के पास बुक दिखाने की व्यवस्था करेगा और उसके परिशीलन के प्रतीकस्वरूप उसके हस्ताक्षर नियमित रूप से करा लेगा।

80—कर्मचारी का खाता, जो निर्वाह-निधि योजना के अधीन अंशदायिक है, एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरित होने पर दूसरी संस्था में स्थानान्तरित कर दिया जायगा और वह निर्वाह-निधि स्थानान्तरित होकर पहुंचने वाली संस्था में अंशदान करता रहेगा।

81—(क) कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति होने, त्यागपत्र देने, स्थानान्तरित होने अथवा सेवा-विमुक्त होने पर उसके निर्वाह-निधि खाते की पासबुक उसके अवमुक्त होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर प्रबन्धक द्वारा निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका के लिये अग्रसारित कर दी जायगी।

(ख) जिला निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका द्वारा खाते की जांच करने तथा उसका आवश्यक अभिलेख रखने के पश्चात् कर्मचारी को उसके निर्वाह निधि खाते की पासबुक प्रबन्धक से प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर भेज दी जायगी।

82—(क) कर्मचारी को शासन के अंशदान का भुगतान करने के लिये प्रबन्धक यथाविधि तैयार करके बिल को निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका के पास कर्मचारी के अवमुक्त होने के तिथि से दो मास के भीतर भेज देगा।

(ख) निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका द्वारा आवश्यक संनिरीक्षा के पश्चात् बिल 5 दिन के भीतर महालेखाकार को अग्रसारित कर दिया जायगा।

अपील

83 से 85—निरस्त।

86—अपील ज्ञापिका में संक्षेप में अपील के आधार तथा वांछित अनुतोष का उल्लेख किया जायेगा जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है उसकी तथा लेख-पत्रों की प्रतियां, यदि कोई हों, के साथ अपीलकर्ता द्वारा अपील-ज्ञापिका दो प्रतियों में सम्बन्धित सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक, शिक्षा उप निदेशक (महिला), जिसे आगे इन विनियमों में 'अपील अधिकारी' कहा जायेगा, को प्रस्तुत की जायेगी।

87—अपील-ज्ञापिका की प्रतिलिपि सहित, अपील की नोटिस अपील अधिकारी द्वारा उत्तरवादी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी और उससे नोटिस में दी हुई तिथि तक उत्तर देने को कहा जायगा।

88—उत्तरवादी लेखपत्रों की प्रतियों सहित, यदि कोई हों, उत्तर की दो प्रतियां अपील अधिकारी को नोटिस में निर्धारित तिथि तक अथवा अपील अधिकारी द्वारा स्वीकृत किसी अन्य तिथि तक देगा।

उत्तर की एक प्रतिलिपि अपीली को उसके प्रार्थना पर दी जायगी।

89—अपील अधिकारी निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका से समस्त आवश्यक कागज-पत्र मंगा लेगा और सुनिश्चित कर लेगा कि वे सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व प्राप्त हो गये हैं।

90—अपील अधिकारी अपील सुनने की तिथियां नियत करेगा औ वह समय-समय पर तिथियों में परिवर्तन करेगा अथवा सुनवाई स्थगित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जब भी किसी पक्ष की अनुपस्थिति में तिथि नियत की जाती है तो उस पक्ष को कम से कम एक सप्ताह की नोटि अवश्य दी जायगी जब तक कि इसके विपरीत दोनों पक्षों में सहमति हो जाय।

यह भी प्रतिबन्ध है कि एक पक्ष को इस प्रकार के किसी नोटिस आवश्यकता न होगी जब एक सुनवाई की तिथि पर तिथि नियत की जाती और वह पक्ष उस तिथि के नोटिस के होते हुए भी अनुपस्थित है।

91—किसी भी पक्ष को, अधिकार के रूप में, अपील अधिकारी के समक्ष किस साक्ष्य को प्रस्तुत करने का अधिकार न होगा जो निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका के सम न प्रस्तुत हुआ हो, परन्तु अपील अधिकारी किसी ऐसे साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है जिसे वह अभियोग के उचित निर्णय तक पहुंचने में सहायक समझे।

92—अपील अधिकारी अपील के अनिर्णीत रहने के दौरान में किसी समय किस भी पक्ष से किसी ऐसे उद्धरण, सूचना, आख्या, स्पष्टीकरण, मामले से सम्बन्धित अभिले प्रस्तुत करने को कह सकती है, जो उस पक्ष के पास अथवा उसके अधिकार में है औ उस पक्ष को अधियाचन का पालन अपील अधिकारी द्वारा नियत उचित अवधि करना पड़ेगा।

93—अपील अधिकारी के समक्ष किसी पक्ष का वकील के द्वारा प्रतिनिधित्व नह किया जायगा।

94—अपील अधिकारी किसी अपील को एक पक्षीय सुन और निर्णीत क सकती है यदि कोई पक्ष नोटिस दिये जाने पर भी सुनवाई की नियत तिथि पर नह उपस्थित होगा।

95—अपील अधिकारी का निर्णय लिखित रूप में होगा। उसमें संक्षेप में निर्ण के विषय, निर्णय और अंतिम आदेश उल्लिखित होंगे।

96—निरस्त।

97—निर्णय की प्रतियां यथासंभव शीघ्रता के साथ सम्बन्धित पक्षों औ निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका को भेजी जायेंगी।

98—(1) सूचना प्राप्त होने के दो मास के भीतर प्रबंध, अपील अधिकारी निर्णय को लागू करेगा। ऐसा न होने पर निरीक्षक/मंडलीय निरीक्षिका उसके लि अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा कर्मचारी के लिये खुले किसी मार्ग पर बिना प्रतिक प्रभाव डाले हुए उसे वहां तक लागू करेगा जहां तक कि उस संस्था को प्राप्य सहाय अनुदान से उसका भुगतान हो सकता है।

(2) उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रबंध द्वारा अपील अधिकारी के निर्णय को ला न किया जाना इन्टरमीडिएट एजुकेशन ऐक्ट की धारा 16-घ की उपधारा (2) के प्र के अधीन एक दोष माना जायगा।

*99—(1) आचार्य, प्रधानाध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के आकस्मिक अवका अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश, असाधारण कार्य अवकाश त

*अधिसूचना संख्या 1863/15-7-2 (13)-79, दिनांक 23 मार्च, 19 द्वारा संशोधित।

असाधारण अवकाश उतनी अवधि के लिये तथा उन प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जा सकता है जो राज्य सरकार समय-समय पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के इन्हीं श्रेणी के कर्मचारियों के लिये निश्चित करें या अपने किसी विशिष्ट आदेशों द्वारा किन्हीं अपवादों सहित, जो किसी विशेष परिस्थितिवश अपेक्षित हों, निर्धारित करे। आकस्मिक अवकाश आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक के मामले में प्रबन्धक द्वारा तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अन्य अवकाश प्रबन्धक द्वारा (आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत/अग्रसारित किये जाने पर) स्वीकृत किये जायेंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के सम्बन्ध में अन्य अवकाश भी आचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

परन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार ऐसा अवकाश और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, स्वीकृत कर भी सकती है।

(2) अवकाश अधिकार स्वरूप नहीं मांगा जा सकता परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए संमोदन प्राधिकारी किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है और पहले स्वीकृत किये गये अवकाश को भी रद्द कर सकता है।

टिप्पणी :—

यदि कोई आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक, राज्य विधान मंडल या संसद का सदस्य हो तो उसे विधान मंडल, संसद अथवा उनकी समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु उसके द्वारा ऐसी बैठक तथा उसमें भाग लेने हेतु जाने के अपने इरादे की सूचना दिये जाने पर, उसे संस्था से अवमुक्त कर दिया जायेगा और संस्था से उनकी ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में उसे ऐसे अवकाश पर समझा जायेगा जैसा उसे देय हो तथा जिसके लिये वह आवेदन करें। यदि उसे कोई अवकाश देय न हो तो ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में बिना वेतन के अवकाश पर समझा जायेगा।

100—लिपिक, जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में आचार्य/प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्राधिकारी होगा। लिपिकों, जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति, परिवीक्षा (जिसकी अवधि एक वर्ष होगी) स्थायीकरण एवं सेवा नियम आदि के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित ऊपर के विनियम 1, 4 से 8, 10, 11, 15, 24 से 26, 30, 32 से 34, 36 से 38, 40 से 43, 45 से 52, 54, 66, 67, 70 से 73 तथा 76 से 82 लागू होंगे, किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में विनियम 77 से 82 के प्राविधान तभी लागू होंगे जब इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे। इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में विनियम 9, 12, 13, 14, 16 से 20, 27, 28, 54, 55 से 65 तथा 97 के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

परिशिष्ट 'ख'

(अध्याय तीन, विनियम 63 के अन्तर्गत)

गृह-शिक्षण हेतु आवेदन-पत्र

आवेदक का नाम, योग्यता तथा पदनाम	उसका वेतन	आवेदक द्वारा पढ़ाए जाने वाली कक्षाएं तथा विषय	गृह-शिक्षण के विवरण: छात्र, कक्षा तथा विद्यालय का नाम, यदि हो, जिसमें वह पढ़ता है	गृह-शिक्षण के विवरण: पढ़ाए जाने वाले प्रस्तावित विषय	गृह-शिक्षण के विवरण: तिथियों सहित अवधि जिसमें गृह-शिक्षण किया जाना है	प्रतिदिन गृह-शिक्षण में दिया जाने वाला प्रस्तावित समय	मासिक पारिश्रमिक की धनराशि	विद्यालय वर्ष में पहले से स्वीकृत यदि कोई हों, गृह-शिक्षण का विवरण	प्रधानाध्यापक/आचार्य का आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

आवेदक का हस्ताक्षर

परिशिष्ट 'ग'

(अध्याय तीन के विनियम 63 के अन्तर्गत)

चरित्र-पंजी का प्रपत्र

(क) आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा (मेट्रन सहित) अध्यापक

गोपनीय—उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकगण के कार्य एवं आचरण पर वार्षिक आख्या :

(1) संस्था का नाम

(2) कर्मचारी का पूरा नाम

(3) पिता का नाम

(4) उत्तीर्ण परीक्षायें, विश्वविद्यालय, परिषद्, संस्था इत्यादि के नाम सहित, वर्ष एवं श्रेणी (यह अद्यावधिक रखा जाना चाहिए)

(5) शासन, शिक्षा विभाग अथवा सार्वजनिक संस्था द्वारा प्रदत्त किसी कार्य अथवा योग्यता प्रमाण-पत्र का अभिलेख

(6) विशेष योग्यता, यदि कोई हो, जैसे स्काउटिंग, फर्स्टएड, रेडक्रास इत्यादि

*(7) जन्म-तिथि तथा स्थान

(8) स्थायी निवास, तथा पता

(9) वर्तमान संस्था में सेवा प्रारम्भ करने की तिथि

(10) वर्तमान पद में स्थायी नियुक्ति की तिथि

(11) पूर्व सेवा का स्थानों तथा तिथि सहित विवरण

(12) (क) प्रथम मान्यताप्राप्त संस्था में निर्वाह-निधि योजना में सम्मिलित होने की तिथि

(ख) वर्तमान संस्था में निर्वाह-निधि लेखा के स्थानान्तरण की तिथि

(13) वर्तमान पद

(14) 31 मार्च, 19 को वेतन-क्रम तथा वेतन

संस्था के प्रधान/प्रबन्धक के हस्ताक्षर

---

*जन्म-तिथि सामान्यतः हाई स्कूल प्रमाण-पत्र अथवा शासन के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त किसी अन्य प्रमाण-पत्र में लिखित तिथि होना चाहिए।

टिप्पणी—इस प्रपत्र पर प्रधानाध्यापक अथवा आचार्य के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा तथा अध्यापक / मेट्रन के सम्बन्ध में आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिये।

तिथि 19

(आ) 20 जून, 19 को समाप्त होने वाले स्कूल वर्ष के लिए कर्मचारी के कार्य एवं आचरण पर आख्या ।

अध्यापक का नाम ....

उसके कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में अभ्युक्तियां तथा हित की अन्य अभ्युक्तियां भी :—

वर्ष	संस्था के प्रधान की अभ्युक्तियां अध्यापक के सम्बन्ध में	प्रबन्धक की अभ्युक्तियां संस्था के प्रधान के सम्बन्ध में	प्रतिकूल अभ्युक्तियां, यदि कोई हो अथवा चेतावनी देने की, यदि कोई हो, तिथि
1	2	3	4

अभ्युक्तियों में, पद में, कार्यक्षमता, परीक्षाफल, पाठ्यानुवर्ती कार्यकलाप में भाग, सहयोगियों एवं जनता से सम्बन्ध तथा संस्था की भावना एवं अनुशासन पर प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिये ।

सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र ....

प्रधानाध्यापक / आचार्य अथवा प्रबन्धक
के हस्ताक्षर

दिनांक 19

भाग-दो-क

अध्याय-चार

अभिभावक-अध्यापक एसोसिएशन विनियमावली, 1986

अध्याय-एक--प्रारम्भिक

1--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--(1) यह विनियमावली अभिभावक-अध्यापक एसोसिएशन (संशोधन) विनियमावली, 1988 कहलायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2--जब तक कि विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में--

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 से है

---

* राजकीय गजट दिनांक 4 अक्तूबर, 1986 में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद्-9/450, दिनांक 27 जुलाई, 1986 द्वारा सम्मिलित तथा दिनांक 30 अप्रैल, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद्-9/34, दिनांक 21 अप्रैल, 1988 द्वारा संशोधित ।

(2) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी संस्था के अध्यापक से है और इसमें प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष और तकनीकी सहायक भी सम्मिलित है।

(3) "अभिभावक" का तात्पर्य किसी संस्था में अध्ययनरत छात्र के स्थानीय अभिभावक से है।

(4) "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष", "उप मंत्री" या "कोषाध्यक्ष" का तात्पर्य इस विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार चुने गये एसोसिएशन की कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप मंत्री या कोषाध्यक्ष से है।

(5) "एसोसियेशन" का तात्पर्य प्रत्येक संस्था में गठित अभिभावक-अध्यापक एसोसिएशन से है, जिसके सदस्य अभिभावकगण और अध्यापकगण होंगे।

(6) "संस्था" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-2 के खंड (ख) में परिभाषित किसी इंटरमीडिएट कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल या हाई स्कूल से है।

(7) "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य किसी संस्था की प्रबन्ध समिति से है। जिन संस्थाओं में प्रबन्ध समिति नहीं है उनमें प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में इस विनियमावली में किये गये उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

3—एसोसियेशन के उद्देश्य—एसोसियेशन के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

(1) संस्था और स्थानीय समाज के पारस्परिक सम्बन्ध को बढ़ाना।

(2) संस्था की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना और स्थानीय समाज के भौतिक, आर्थिक और नैतिक सहयोग से उनके निराकरण के लिए प्रयास करना।

(3) संस्था में नई शैक्षिक योजनाओं के संचालन और क्रियान्वयन के लिए स्थानीय समाज का सहयोग प्राप्त करना।

(4) स्थानीय समाज की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पहचान कर उनके अनुकूल नवीन विषयों का पाठ्य विषयों में समावेश करने की संस्तुति करना।

(5) "विद्यालय यथार्थ में स्थानीय समाज का आलोक स्तम्भ है।" इस भावना को सम्पुष्ट करना।

(6) संस्था में अध्ययनरत छात्रों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक उन्नयन के लिए योजनायें एवं कार्यक्रम बनाने में मार्गदर्शन एवं सहयोग देना, और

(7) प्रबन्ध समिति एवं प्रधानाचार्य को संस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिये परामर्श एवं सहयोग देना, जिसमें संस्था के, प्रबन्धकीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना सम्मिलित नहीं है।

अध्याय-दो

कार्यकारिणी का गठन

4—कार्यकारिणी और उसके पदाधिकारी और सदस्य—एसोसियशन के उद्देश्य की पूर्ति और उसके कार्य के सम्पादन के लिये एसोसियेशन की एक कार्यकारिणी होगी जिसके पदाधिकारी और सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

1—संरक्षक-संस्था का प्रधानाचार्य-पदेन।

2—अध्यक्ष।

3—उपाध्यक्ष ।

4—मंत्री—संरक्षक द्वारा विद्यालय के अध्यापकों में से नामित (संयोजक) ।

5—उप मन्त्री (सह संयोजक) ।

6—कोषाध्यक्ष ।

7—पांच सदस्य जिनमें दो अध्यापक, दो अभिभावक और एक प्रबन्ध समिति का प्रतिनिधि होगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि संस्था की प्रशासन योजना में एसोसियेशन के दो अभिभावक प्रतिनिधियों को प्रबन्ध समिति का सदस्य बनाये जाने की जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक प्रबन्ध समिति का प्रतिनिधि कार्यकारिणी में इस शर्त के साथ लिया जायेगा कि प्रबन्ध समिति एसोसिएशन के दो अभिभावक प्रतिनिधि, जिन्हें इस विनियमावली में दी गयी चुनाव प्रक्रिया के अनुसार आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में चुना जायेगा, को प्रबन्ध समिति में सहयोजित किये जाने के लिए तैयार होंगे। प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि विद्यालय का प्रधानाचार्य ऐसा करना कार्यहित में उचित समझे, वह अध्यापकों में से मंत्री नामित न करके या नामित मंत्री को हटा कर स्वयं इस पद को धारण कर सकता है और इस स्थिति में प्रधानाचार्य स्वयं संयोजक का कार्य करेगा ।

5—कार्यकारिणी के चुनाव में भाग लेने के लिए अर्हता :—कार्यकारिणी के चुनाव में केवल वह व्यक्ति भाग ले सकेगा जो—

(क) सम्बन्धित संस्था की सक्रिय सेवा में अध्यापक हो,

(ख) सम्बन्धित संस्था में अध्ययनरत किसी छात्र का स्थानीय अभिभावक हो,

प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित संस्था में अध्ययनरत किसी छात्र के एक से अधिक स्थानीय अभिभावक हों, तो चुनाव में केवल एक ही अभिभावक भाग ले सकेगा ।

6—कार्यकारिणी के चुनाव में भाग लेने के लिए अनर्हता :—कार्यकारिणी के चुनाव में वह व्यक्ति भाग नहीं ले सकेगा, जो—

(1) विद्यालय की सक्रिय सेवा में अध्यापक न रह गया हो अर्थात् जो अध्यापक सेवा-निवृत्त हो गया हो या निलम्बित हो या अन्य किसी प्रकार से संस्था की सक्रिय सेवा में न हो,

(2) ऐसा छात्र जो सम्बन्धित संस्था में अध्ययनरत न हो का अभिभावक था,

(3) एसोसिएशन का सदस्य अन्य किसी कारणों से न रह गया हो ।

7—एसोसिएशन के सदस्यों की सूची एवं वोटर सूची—एसोसियेशन के सदस्यों का नाम एक रजिस्टर में लिखा जायेगा जिसमें अभिभावक का नाम, पता और छात्र का नाम एवं कक्षा जिसका वह छात्र है, पहले लिखा जायेगा और बाद में अध्यापक का नाम लिखा जायेगा । यह रजिस्टर प्रत्येक शिक्षा वर्ष का अलग-अलग होगा और कार्यकारिणी के चुनाव के लिए इसे वोटर सूची समझा जायेगा ।

7-क—(1) शैक्षिक सत्र के आरम्भ में 15 जुलाई के पूर्व प्रत्येक छात्र अपने अभिभावक का विवरण एक निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में विद्यालय के प्रधानाचार्य

को देगा । छात्र के कक्षा–अध्यापक इस प्रपत्र को प्रथम प्रति विद्यालय के अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेंगे तथा द्वितीय प्रति अपने हस्ताक्षर करके छात्र को लौटा देंगे । एसोसिएशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में वही अभिभावक भाग ले सकेंगे जिनका नाम उस प्रपत्र पर अंकित होगा और जो वह प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे ।

(2) संस्था के प्रधानाचार्य को यदि यह समाधान हो जाता है कि एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में अभिभावकों की संख्या इतनी अधिक है कि आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का संचालन सुचारु रूप से करना सम्भव न होगा तो प्रधानाचार्य जुलाई माह के अन्तिम शनिवार को कक्षा 6, 7 व 8 के छात्रों के अभिभावकों की और जुलाई माह के अन्तिम रविवार को कक्षा 9, 10 व उससे ऊंची कक्षा के छात्रों के अभिभावकों की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन करेंगे । इन सभाओं अथवा आम प्रतिनिधि सभाओं में प्रत्येक कक्षा के मान्य अनुभाग से उसी कक्षा के छात्रों के अभिभावकों में से 20 प्रतिनिधि अभिभावकों का चुनाव सर्वसम्मति से अनुभाग के अभिभावकों द्वारा कराया जायेगा । यह प्रतिनिधि अभिभावक एसोसियेशन की आम प्रतिनिधि सभा व कक्षावार सम्मेलन में भाग लेगें ।

(3) यदि किन्हीं कारणों से जुलाई माह के अन्तिम शनिवार या रविवार को अभिभावकों की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन सम्भव न हो तो किसी अन्य तिथि को अभिभावकों की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया जायेगा किन्तु ऐसे आयोजन के लिये संरक्षक द्वारा विलम्ब का कारण बताते हुये 21 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी । 21 दिन की गणना सूचना जारी किये जाने के दिनांक से की जायेगी । इसी आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में संरक्षक द्वारा यह घोषित कर दिया जायेगा कि एसोसियेशन की आम प्रतिनिधि सभा की बैठक किस दिन होगी जिसमें कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्यों का चुनाव किया जायेगा ।

8—<u>कार्यकारिणी के चुनाव की तिथि</u>—(1) प्रत्येक वर्ष अगस्त मास के प्रथम रविवार को एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव किया जायेगा । यदि किसी कारणवश अगस्त मास के प्रथम रविवार को बैठक का आयोजन करना संभव न हो तो संरक्षक द्वारा उसकी लिखित सूचना जुलाई के तीसरे सप्ताह तक जिला विद्यालय निरीक्षक को विलम्ब का कारण बताते हुये देनी होगी ।

(2) संरक्षक के लिखित अनुरोध पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित व्यक्ति पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगें ।

(3) यदि किन्हीं कारणों से अगस्त मास के प्रथम रविवार को एसोसियेशन की आम सभा अथवा, आम प्रतिनिधि सभा का अयोजन संभव नहीं हो सकेगा तो किसी अन्य तिथि को रविवार के दिन उसका आयोजन किया जा सकेगा किन्तु ऐसे आयोजन के लिये संरक्षक द्वारा एसोसियेशन के सभी सदस्यों को जुलाई के तीसरे सप्ताह तक विलम्ब का कारण बताते हुये 21 दिन की पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी, 21 दिन की गणना सूचना जारी किये जाने के दिनांक से की जायेगी ।

स्पष्टीकरण : विनियम 7–ए के उप विनियम (3) व इस उपविनियम के अन्तर्गत अभिभावकों को सूचना छात्रों के माध्यम से संरक्षक द्वारा सार्वजनिक रूप से दी जायगी और सूचना की एक प्रति सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जायेगी ।

9—चुनाव की प्रक्रिया—उपाध्यक्ष, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष, दो अभिभावक सदस्यों तथा दो अध्यापक सदस्यों का चुनाव एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा, जिसकी अध्यक्षता संरक्षक द्वारा की जायेगी, में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वानुमति से किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : "सर्वानुमति" से तात्पर्य यह है कि यदि कोई नाम किसी पद के लिये प्रस्तावित किया जाता है और उपस्थित सदस्यों में से एक चौथाई या उससे कम सदस्यों द्वारा ही विरोध किया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसका नाम प्रस्तावित किया गया है सर्वानुमति से चुना गया माना जायगा।

(2) सर्वप्रथम अध्यक्ष पद के लिये नाम संरक्षक द्वारा पिछली कार्यकारिणी के परामर्श से प्रस्तावित किया जायेगा और उस पर सर्वानुमति प्राप्त की जायगी। यदि पहले प्रस्तावित नाम पर सर्वानुमति नहीं प्राप्त होती है तो दूसरा और तीसरा आदि नाम प्रस्तावित किया जायेगा, जब तक कि सर्वानुमति प्राप्त न हो जाय।

(3) अध्यक्ष का चुनाव हो जाने पर नये चुने गये अध्यक्ष द्वारा संरक्षक के माध्यम से उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और उपमंत्री के चुनाव के लिये क्रम से नाम प्रस्तावित किये जायेगें और सर्वानुमति प्राप्त की जायेगी।

(4) दो अभिभावक सदस्यों का नाम सभा में उपस्थित अभिभावक द्वारा संरक्षक के माध्यम से प्रस्तावित किया जायेगा और उस पर सर्वानुमति प्राप्त की जायेगी।

(5) दो अध्यापक सदस्यों में से एक का नाम सभा में उपस्थित अध्यापकों द्वारा संरक्षक के माध्यम से प्रस्तावित किया जायेगा और उस पर सर्वानुमति प्राप्त की जायेगी। दूसरे अध्यापक सदस्य का नाम संरक्षक द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा और उस पर सर्वानुमति प्राप्त की जायेगी।

(6) दो अभिभावक सदस्य जो प्रबन्ध समिति के सदस्य होगें उनमें से एक का नाम सभा में उपस्थित अभिभावकों द्वारा संरक्षक के माध्यम से तथा दूसरे का नाम संरक्षक द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा और उस पर सर्वानुमति प्राप्त की जायेगी।

10—परिणाम की घोषणा—चुनाव हो जाने पर कार्यकारिणी के चुने गये पदाधिकारी और सदस्यों की घोषणा संरक्षक लिखित सूचना द्वारा करेगा। सूचना की एक प्रतिलिपि विद्यालय निरीक्षक को, एक प्रति संस्था के प्रबन्धक को दी जायगी और एक प्रति संरक्षक के सूचना पट पर चिपका दी जायेगी। इस सूचना द्वारा की गयी घोषणा के फलस्वरूप कार्यकारिणी का गठन हो जायेगा।

11—कार्यकारिणी की आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना—यदि किन्हीं कारणों से कार्यकारिणी के पदाधिकारियों या सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसे कार्यकारिणी द्वारा एसोसियेशन के सदस्यों में से आमेलित करके भरा जायगा। यह आमेलन कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से किया जायेगा।

12—कार्यकारिणी का कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य संरक्षक को लिखित आवेदन पत्र द्वारा त्याग पत्र दे सकता है।

परन्तु त्याग–पत्र तब तक प्रभावी नहीं माना जायेगा जब तक उसे स्वीकार न कर लिया जायेगा।

13—त्याग–पत्र के स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया—किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य का त्याग पत्र प्राप्त होने पर संरक्षक उसे कार्यकारिणी के विचार के लिए भेजेगा। कार्यकारिणी का विचार प्राप्त हो जाने के पश्चात् संरक्षक त्याग पत्र को स्वीकार करेगा।

14—आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक—एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार होगा, जो सामान्यतः अगस्त मास के प्रथम रविवार और जनवरी मास के प्रथम रविवार को होगा। आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की कार्य सूची (एजेण्डा) परिशिष्ट–1 में दिये गये विवरणानुसार होगी।

15—आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता—एसोसियेशन की प्रथम (अगस्त माह की) आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता संरक्षक करेंगे और उसके बाद की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संरक्षक द्वारा प्रस्तावित कार्यकारणी के पदाधिकारी–अभिभावक सदस्य द्वारा की जायेगी।

अध्याय—तीन

कार्यकारिणी के कृत्य, कर्तव्य एवं अधिकार

16—कार्यकारिणी के कर्तव्य—कार्यकारिणी के प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) अध्यापकों और अभिभावकों का कक्षावार सम्मेलन आयोजित करना। कक्षावार सम्मेलन का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार किया जायेगा, जो सामान्यतः जनवरी और अगस्त मास के प्रथम रविवार को होगा। कक्षावार सम्मेलन की कार्य–सूची परिशिष्ट–2 में दिये गये विवरणानुसार होगी।

(2) संस्था की समस्याओं का आकलन करके उनका समाधान ढूढ़ना।

(3) संस्था के लिए भौतिक एवं आर्थिक संसाधन जुटाना।

(4) कार्यानुभव (वर्क एसक्पीरियन्स) नैतिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्थानीय औद्योगिक इकाइयों, निकायों, न्यासों आदि से सम्पर्क करके छात्रों के लिए सुविधा उपलब्ध कराना।

(5) संस्था के कार्यक्रमों से अभिभावकों को अवगत कराना और उनके कार्यक्रम में समाज का सहयोग प्राप्त करना।

(6) संस्था के पाठ्येतर क्रियाकलापों जैसे राष्ट्रीय और महापुरुषों के जन्मदिन, धार्मिक त्योहार, सामुदायिक कार्य आदि के आयोजन में समाज का योगदान प्राप्त करना।

(7) संस्था की सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान करना।

(8) संस्था के शैक्षिक उन्नयन हेतु कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग देना तथा श्रेष्ठ छात्रों, श्रेष्ठ अध्यापकों तथा श्रेष्ठ अभिभावकों को सम्मानित करना।

(9) संस्था के संचालन में जिसमें संस्था के प्रबन्धकीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना सम्मिलित नहीं है, प्रबन्ध समिति और प्रधानाचार्य को परामर्श और अपेक्षित सहयोग देना।

17—कार्यकारिणी की बैठक (1) कार्यकारिणी को बैठक प्रत्येक मास के प्रथम रविवार को विद्यालय परिसर में होगी। इसके अतिरिक्त सात दिन की पूर्व सूचना, जो अध्यक्ष और संरक्षक की सहमति से उपमंत्री (सहसंयोजक) द्वारा दी जायेगी, पर किसी भी समय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकेगी। कार्यकारिणी की बैठक की कार्य सूची परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार होगी।

(2) कार्यकारिणी, मासिक बैठक में अगले मास कार्य क्रम तैयार करेगी और पिछले महीने के निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति को देखेगी।

(3) कार्यकारिणी का निर्णय सर्व-सम्मति से लिया जायगा और सर्वसम्मति निर्णय न हो सकने की दशा में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जायेगा। ऐसी स्थिति में आवश्यकतानुसार अध्यक्ष को अपने मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत दे सकने के अधिकार होगा।

18—एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा और कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवृत्त संरक्षक द्वारा नामित कार्यकारिणी के अध्यापक सदस्य द्वारा अलग-अलग रजिस्टरों में लिखा जायगा तथा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। दोनों कार्यवृत्त रजिस्टर संरक्षक के संरक्षण में रखे जायेंगे।

19—बैठक में भाग लेने के लिए हकदार व्यक्ति-जिला विद्यालय निरीक्षक और उससे उच्च अधिकारी या कार्यकारिणी के आमंत्रण पर बुलाये गये व्यक्ति कार्यकारिणी की बैठक अथवा एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में किसी भी समय भाग ले सकते हैं और कार्यकारिणी अथवा एसोसियेशन के निवेदन पर राय दे सकते हैं।

20—विशेष बैठक बुलाया जाना—कार्यकारिणी की विशेष बैठक या आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की विशेष बैठक कार्यकारिणी अथवा एसोसियेशन के एक चौथाई सदस्यों की प्रार्थना पर संरक्षक द्वारा बुलाई जा सकती है।

21—कार्यकारिणी एवं एसोसियेशन का कारबार—एसोसियेशन तथा कार्यकारिणी का समस्त कारबार हिन्दी में सम्पादित किया जायेगा।

22—छात्रों की समस्यायें और उनका समाधान—(1) कार्यकारिणी प्रत्येक मास कक्षा 9 और कक्षा-11 में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपनी बैठक में आमंत्रित कर छात्र समस्याओं की जानकारी प्राप्त करेगी और उनका समाधान करेगी।

(2) कार्यकारिणी खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्य-क्रमों आदि में विशिष्ट रुचि रखने वाले छात्रों को समय-समय पर अपनी बैठक में आमंत्रित करेगी और उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उनका समाधान करेगी।

23—शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी विषयों पर कक्षा अध्यापकों को आमंत्रित करना—शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिए कार्यकारिणी प्रत्येक कक्षा अध्यापक (class teacher) को समय-समय पर आमंत्रित करेगी और विषय समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में प्रयास करेगी।

24—आमंत्रित करने का अधिकार—कार्यकारिणी समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, खेलकूद निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, सामुदायिक विकास विभाग या विकास कार्यों से सम्बन्धित अन्य एजेन्सीज के प्रतिनिधि को अपनी बैठक में विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित कर सकती है।

25—कार्यकारिणी का कार्यकाल—(1) कार्यकारिणी का कार्यकाल सामान्यतया एक वर्ष होगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में सामान्य सभा के अनुमोदन पर उसका कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(2) संरक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक वर्ष जुलाई मास में कार्यकारिणी के निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारी कर ले और अगस्त के प्रथम रविवार को कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव करये।

अध्याय—चार

एसोसियेशन के वित्तीय संसाधन और लेखा परीक्षा

26—संस्था के लिए भौतिक एवं आर्थिक संसाधन—कार्यकारिणी संस्था के लिए समाज के उदार और सम्पन्न व्यक्तियों से स्वैच्छिक दान लेने के लिए अधिकृत होगी।

(1) दान प्राप्त करने के लिए संस्था के एसोसियेशन के नाम पर छपी हुई रसीद दी जायेगी। इस रसीद पर कार्यकारिणी के संरक्षक और अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

(2) एसोसियेशन कोष के नाम–पर अनुसूचित बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खाता खोला जायेगा जिसमें प्राप्त धनराशि को जमा किया जायेगा। खाते का रख–रखाव संरक्षक द्वारा किया जायेगा। पाँच सौ से अनधिक धनराशि का आहरण कोषाध्यक्ष और संरक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। इससे अधिक धनराशि संरक्षक और अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(3) एसोसियेशन कोष में जमा धनराशि का उपयोग कार्यकारिणी द्वारा संस्था की समस्याओं का निराकरण, आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास कार्य में किया जायेगा।

(4) एसोसियेशन कोष में जमा धनराशि तथा उसमें से किये गये व्यय का लेखा संरक्षक के पर्यवेक्षण में एक रोकड़ बही में रखा जायेगा। यह रोकड़ बही मांगे जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को संरक्षक के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।

27—लेखा परीक्षक—प्रत्येक वर्ष लेखों का संप्रेक्षण करने के लिए कार्यकारिणी द्वारा किसी जानकार अभिभावक को नियुक्त किया जायेगा जो कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होगा। यह नियुक्ति प्रत्येक वर्ष सितम्बर मास तक की जायेगी और प्रत्येक मास लेखों का संप्रेक्षण साथ–साथ कराया जायेगा। सामान्य सभा में उक्त लेखा एवं संप्रेक्षण आख्या का विवरण एसोसियेशन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय—पाँच

विविध

28—संस्था की प्रबन्ध समिति में कार्य कारिणी के सदस्यों का आमंत्रण—(1) एसोसियेशन के दो अभिभावक प्रतिनिधि जिन्हें इस विनियमावली में दी गई चुनाव प्रक्रिया के अनुसार आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में चुना जायेगा, संस्था की प्रबन्ध समिति की बैठक में विशेष आमंत्री अथवा सदस्य के रूप में भाग लेंगे।

(2) संस्था की प्रबन्ध समिति का यह दायित्व होगा कि प्रबन्ध समिति की शासन योजना में दो अभिभावक सदस्यों की सदस्यता के लिए प्रावधान कराये और जब तक ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक इस विनियमावली में दी गई चुनाव प्रक्रिया के अनुसार आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में चुने गये दो अभिभावक सदस्यों को समिति में विशेष आमंत्री के रूप में बुलाये।

29—संस्था के विभिन्न कार्यकलापों में अभिभावक सदस्यों का प्रतिनिधित्व—संस्था में गठित की जाने वाली विभिन्न विषय समितियों, खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्य से सम्बन्धित समितियों में प्रत्येक विषय में से एक-एक सदस्य को सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार अभिभावक अथवा पाठ्येतर कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले अभिभावकों के नामांकन के प्रस्ताव संरक्षक द्वारा कार्यकारिणी में प्रस्तुत किये जायेंगे और उसका अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

30—अभिभावकों को सम्मानित किया जाना—एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में अथवा कार्यकारिणी की बैठक में अधिकतम उपस्थित अभिभावक सदस्य तथा संस्था के लिए अधिकतम सहयोग देने वाले अभिभावकों का संस्था द्वारा समय-समय पर सम्मानित किया जायेगा। कार्यकारिणी के पद धारक एवं सदस्यों के चुनाव में ऐसे ही अभिभावकों को उनके नाम प्रस्तावित कर वरीयता दी जायेगी।

31—छात्रों की प्रगति—(1) प्रत्येक वर्ष मास अगस्त के प्रथम रविवार को आयोजित एसोसियेशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा कार्यकारिणी के चुनाव एवं अन्य कार्यवाही के उपरान्त कक्षावार अभिभावक अध्यापक सम्मेलनों में विभक्त हो जायेगी और प्रत्येक कक्षा के छात्रों को आगामी सत्र की पढ़ाई के सम्बन्ध में योजना बनायेगी जिसका कार्यान्वयन संस्था का प्रबन्ध समिति एवं अभिभावक अध्यापक एसोसियेशन की कार्यकारिणी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यदि एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित किसी योजना अथवा कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति सहमत न हो अथवा अन्य किसी बात पर एसोसिएशन और प्रबन्ध समिति में मतभेद हो तो संस्था के संरक्षक दोनों के विचारों का विवरण देते हुए अपनी आख्या के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजेंगे और इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

परन्तु यह प्रावधान संस्था की प्रबन्धकीय प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्धित मामले में लागू नहीं होगा।

(3) उन संस्थाओं में जहाँ प्रबन्ध समिति नहीं है वहाँ यदि एसोसियेशन द्वारा प्रस्तावित किसी योजना के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य सहमत न हो अथवा अन्य किसी बात पर एसोसियेशन और प्रधानाचार्य में मतभेद हो तो विवाद जिला विद्यालय निरीक्षक को संदर्भित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

परन्तु यह प्रावधान संस्था की प्रबन्धकीय प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्धित मामलों में लागू नहीं होगा।

32—संशोधन—इस विनियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन शासन की पूर्वानुमति से बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

अभिभावक-अध्यापक एसोसियेशन की अगस्त माह के प्रथम रविवार तथा जनवरी माह के प्रथम रविवार को आयोजित आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक का एजेन्डा।

1—गत आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा के कार्यवृत्त का पढ़ा जाना व उसकी पुष्टि।

2—प्रधानाचार्य द्वारा पिछली बैठक के बाद से सम्पन्न कार्य-कलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

3—अभिभावक-अध्यापक एसोसिएशन के उद्देश्यों का पढ़ा जाना एवं यह विचार किया जाना कि किस हद तक इसकी पूर्ति हो रही है।

4—वार्षिक विद्यालय पंचांग की घोषणा एवं उपस्थित व्यक्तियों को उसकी विशेषताओं से अवगत किया जाना (अगस्त की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा) तथा वार्षिक विद्यालय पंचांग के अनुपालन की स्थिति जनवरी की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा)।

5—गृह तथा परिषदीय परीक्षाओं के परीक्षाफलों की चर्चा एवं उनमें सुधार लाने पर विचार।

6—कोषाध्यक्ष द्वारा वार्षिक लेखा की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

7—सम्प्रेक्षक द्वारा वार्षिक लेखा की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

8—कार्यकारिणी का चुनाव (केवल अगस्त माह की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में)।

(क) पिछली कार्यकारिणी के परामर्श से प्रधानाचार्य के द्वारा उपस्थित अभिभावकों में से वर्ष के लिए अभिभावक-अध्यापक एसोशियेसन अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित किया जाना।

(ख) आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा द्वारा अध्यक्ष का सर्वानुमति से चुनाव।

(ग) निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा क्रम से अभिभावकों में से उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपमंत्री के लिए प्रधानाचार्य के माध्यम से नाम प्रस्तावित किया जाना तथा उनका आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा द्वारा सर्वानुमति से चुनाव।

(घ) उपस्थित अध्यापकों में से किसी अध्यापक द्वारा प्रधानाचार्य के माध्यम से दूसरे अध्यापक प्रतिनिधि का नाम प्रस्तावित किया जाना तथा आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा द्वारा उसका सर्वानुमति से चुनाव।

(च) एक अध्यापक प्रतिनिधि के लिए प्रधानाचार्य द्वारा नाम प्रस्तावित किया जाना तथा आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा द्वारा उसका सर्वानुमति से चुनाव।

(छ) उपस्थित अभिभावकों में से किसी अभिभावक द्वारा प्रधानाचार्य के माध्यम से पहिले एक अभिभावक सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जाना एवं आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा द्वारा उसका सर्वानुमति से चुनाव तथा फिर दूसरे उपस्थित अभिभावक द्वारा दूसरे अभिभावक सदस्य का नाम उपरोक्त विधि से प्रस्तावित किया जाना एवं आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा द्वारा उसका सर्वानुमति से चुनाव।

(ज) प्रबन्ध समिति के लिए दो अभिभावक सदस्यों का विधिवत् सर्वानुमति से चुनाव।

9—अगली आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की तिथि की घोषणा।

परिशिष्ट-2

कक्षावार अभिभावक-अध्यापक सम्मेलन हेतु प्रस्तावित एजेंडा।

1—शिक्षण स्तर में सुधार के लिये अपनाये गए कार्यक्रमों की जानकारी एवं समीक्षा।

2—कक्षा के परीक्षाफल की समीक्षा।

3—पाठ्यक्रम का समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किए जाने की योजना एवं समीक्षा।

4—सत्रवार अध्यापन हेतु पाठांश का निर्धारण एवं उसकी घोषणा।

5—कमजोर छात्रों के लिए निदानात्मक व्यवस्था पर चर्चा।

6—कक्षा के समस्याग्रस्त छात्रों के अध्यापकों से विद्यालय में सम्पर्क एवं अनुसरण के कार्यक्रम।

7—कक्षा के समस्यात्मक बिन्दुओं में सुधार के सुझावों पर विचार।

8—उत्कृष्ट छात्रों की पहचान एवं उनके विकास की योजनाओं पर विचार।

9—प्रतिभावान छात्रों द्वारा पढ़ाई में कमजोर छात्रों की सहायता देने की योजना बनाना व उस पर विचार तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, नैतिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की योजना बनाना व उनके अभ्यास की व्यवस्था पर विचार।

परिशिष्ट-3

कार्यकारिणी की बैठकों के लिए प्रस्तावित एजेण्डा

1—गत बैठक के कार्य वृत्त की पुष्टि।

2—पिछली बैठक/बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।

3—अगले माह के लिए शैक्षिक उन्नयन की योजनाओं पर विचार तथा कार्यकारिणी के उद्देश्यों के अनुरूप अन्य बिन्दुओं पर, योजनाओं पर, विचार व निर्णय लिया जाना।

4—विद्यालय के लिए अपनाये गए शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन।

5—वित्तीय आवश्यकताओं की पहचान और स्वैच्छिक संसाधन उपलब्ध कराये जाने पर विचार।

6—कक्षा 9 व कक्षा 11 के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र, छात्राओं एवं खेल एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेषता प्राप्त छात्रों/छात्राओं को आमंत्रित कर छात्र समस्याओं पर विचार व उनका समाधान।

7—उत्तम शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम।

8—उत्कृष्ट छात्रों व उनके अभिभावकों को सम्मानित एवं अलंकृत करने के कार्यक्रमों का निर्धारण।

9—समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, नैतिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की कक्षावार योजना पर विचार व उनके अभ्यास की व्यवस्था किया जाना।

10—कार्यकारिणी की अगली बैठक की तिथि तय करना।

अध्याय–एक

भाग दो–ख

अध्याय–एक

परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि कोई बात, विषय अथवा संदर्भ में प्रतिकूल न हो, निम्नलिखित शब्दों का निम्नांकित अर्थ होगा :—

(1) 'सभापति' का अर्थ सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश है।

(2) 'कालेज' का अर्थ परिषद् की इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाली तथा इस कार्य के लिए परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था है।

(3) 'विभाग' का अर्थ उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग है।

(4) विलोपित।

(5) 'अभिभावक' का अर्थ प्राकृतिक अथवा विधिक अभिभावक अथवा इन विनियमों के लिए सम्बन्धित संस्था के प्रधान द्वारा एक छात्र के अभिभावक के रूप में अनुमोदित व्यक्ति है।

(6) 'प्रधानाध्यापक' का अर्थ परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त हाई स्कूल का प्रधान है।

(7) 'हाई स्कूल' का अर्थ परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाली तथा इस कार्य के लिए परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था है।

(8) विलोपित।

(9) 'आचार्य' का अर्थ कालेज का प्रधान है।

(10) 'व्यक्तिगत परीक्षार्थी' का अर्थ उस व्यक्ति से है, जो बिना अपेक्षित उपस्थिति के एक परीक्षा में बैठना चाहता है, जिसके लिए मान्यता प्राप्त संस्था में नियमित उपस्थिति निर्धारित है।

(11) 'नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम' का अर्थ परिषद् द्वारा निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम है।

(12) 'छात्र पंजी' का अर्थ छात्र की प्रगति का अभिलेख रखने वाली पंजी है, जो उस संस्था द्वारा, जिसका कि वह है, निर्धारित प्रपत्र पर रखी जाती है।

(निर्धारित प्रपत्र उ० प्र० शिक्षा संहिता में दिया हुआ है।)

(13) 'सचिव' का अर्थ सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश है।

(14) 'सत्र' का अर्थ नयी कक्षायें बनाने से आरम्भ होने वाली 12 मास की अवधि है, जिसमें एक संस्था अध्यापन हेतु खुली रहती है।

(15) 'शैक्षिक वर्ष' का अर्थ 1 जुलाई से उसके पश्चात् आने वाली 30 जून तक की अवधि है।

(16) 'उम्मीदवार' का अर्थ परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में बैठने की इच्छा रखने वाला अथवा उसमें प्रविष्टि प्राप्त करने वाला व्यक्ति है।

*(17) 'क्षेत्रीय सचिव' का तात्पर्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालयों के सर्वोच्च पद को धारण करने वाले अधिकारी से है और इसमें क्षेत्रीय सचिव के समस्त या किन्हीं भी कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

अध्याय-दो

परिषद्

1—परिषद् की बैठक साधारणतः नवम्बर और फरवरी मासों में होगी।

2—नवम्बर मास में हुई परिषद् की बैठक परिषद् की वार्षिक बैठक समझी जाएगी।

अध्याय-तीन

सचिव

1—परिषद् की समस्त बैठकें सचिव द्वारा बुलाई जाएगी।

2—सचिव, सभापति के प्राधिकार से परिषद् के सरकारी पत्र-व्यवहार का संचालन करेगा।

3—परिषद् के लिए देय समस्त शुल्क एवं पावना तथा सचिव के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां अविलम्ब सरकारी कोषागार में जमा कर दी जायगी।

4—सचिव अनुवर्ती अध्यायों के विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् की परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रों और मूल्यांकन केन्द्रों का नियन्त्रण भी है और परीक्षाफल का प्रकाशन, उसकी घोषणा करने या उन्हें रोकने के लिए प्रबन्ध करेगा, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसके लिए आवश्यक हों।

5—सचिव परिषद् की परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करेगा और परिषद् या परीक्षा-समिति के निदेशों या अनुदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, उन पर कार्यवाही करेगा।

---

*दिनांक 8 फरवरी, 1986 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद-9/690, दिनांक 15 जनवरी, 1986 द्वारा सम्मिलित।

6—सचिव को परीक्षाफल समिति द्वारा पारित ऐसे परीक्षाफल में मिली किसी गलती या लोप या भिन्नता को युक्ति युक्त समय के भीतर जो साधारणतया परिषद् की मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के प्रकाशित होने के दिनांक से छः मास से अनधिक होगा, दूर करने की शक्ति होगी।

*7—सचिव, परिषद की ओर से सफल उम्मीदवारों को परिषद् की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में देगा और बाद में उसकी प्रविष्टियों में कोई शुद्धि करेगा, बशर्ते कि प्रमाण-पत्र में किसी ऐसी गलत प्रविष्टि, किसी अविचारित लिपिकीय भूल या लोप के कारण या किसी ऐसी लिपिकीय भूल के कारण की गई हो जो असावधानी से परिषद् के स्तर के या उस संस्था के, जहां से अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की हो, स्तर पर अभिलेख में हो गई हो। यह शुद्धि सचिव द्वारा उसी स्थिति में की जा सकेगी जबकि अभ्यर्थी ने सम्बन्धित परीक्षा के प्रमाण-पत्र को परिषद द्वारा निर्गमन करने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही लिपिकीय त्रुटि की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सम्बन्धित प्रधानाचार्य / केन्द्र व्यवस्थापक को त्रुटि के संशोधन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया हो और उसकी प्रति पंजीकृत डाक से सचिव, परिषद् को भी प्रेषित की हो।

8—यदि सचिव को यह समाधान हो जाय कि किसी उम्मीदवार का मूल प्रमाण-पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है या अनुपयोगी हो गया है तो वह परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विहित शुल्क लेकर उसकी द्वितीय प्रति दे सकता है। वह विहित शुल्क लेकर परिषद् की परीक्षा के अंक-पत्र की द्वितीय प्रति भी दे सकता है।

9—परिषद् का पुस्तकालय, सचिव की देख-रेख में होगा और वह समय-समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पाठ्य-पुस्तकों इत्यादि के लिए विचारार्थ प्राप्त पुस्तकों को सम्बन्धित समितियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

10—सचिव, प्रतिवर्ष 31 मई, तक विभाग को परिषद् की परीक्षाओं के लिए मान्यता-प्राप्त स्कूलों और कालेजों की सूची वैकल्पिक विषय अथवा विषयों को निर्दिष्ट करते हुए जिनमें मान्यता प्राप्त हुई है, देगा।

11—सचिव, ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे परिषद् द्वारा सौंपे जाय अथवा उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

12—सचिव को परिषद की किसी समिति और उसकी उप-समिति की किसी बैठक में पदेन सदस्य सचिव के रूप में उपस्थित होने, भाग लेने और बोलने का हक होगा :

> प्रतिबन्ध यह है कि विभिन्न विषयों की पाठ्यक्रम समितियों, अनुचित साधनों के मामले के निस्तारण के लिए समितियों और स्त्री शिक्षा समिति की स्थिति में यह अपनी ओर से उनकी किसी बैठक में भाग लेने और बोलने के लिये अपर सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है।

13—सचिव को अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, परिषद् की किसी समिति या उसकी किसी उप समिति की बैठक बुलाने की शक्ति होगी जब कभी उसकी राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है।

---

*दिनांक 14 मई, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद्-9 / 104 दिनांक 4 मई, 1983 द्वारा संशोधित।

अध्याय—चार

परिषद् की समितियां

1—इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समितियों के अतिरिक्त, परिषद निम्नलिखित अन्य समितियां नियुक्त करेगी :—

(एक) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम समिति;

(दो) परिषद् की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग, सामूहिक नकल किए जाने और प्रतिरूपण के संदिग्ध मामलों और अन्य तत्सदृश या सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिए समितियां ;

(तीन) परिषद् को स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित प्रश्नों पर सलाह देने के लिए एक समिति ।

2—परिषद् द्वारा किसी पाठ्यक्रम समिति में नियुक्त सदस्यों की संख्या, जैसा परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाय तीन से कम और सात से अधिक न होगी, सिवाय निम्नलिखित विषयों के पाठ्यक्रम समितियों की स्थिति में जिनमें सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या वही होगी जो प्रत्येक के सामने उल्लिखित है :—

	न्यूनतम	अधिकतम
(क) कृषि	7	9
(ख) प्राविधिक विषय	9	11
(ग) रचनात्मक विषय	11	11

3—किसी विषय के पाठ्यक्रम समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :—

(क) परिषद् के ऐसे सदस्य, जो किसी विषय के विशेषज्ञ हों, सम्बद्ध विषय के पाठ्यक्रम समिति में निर्वाचित किए जायेंगे ।

(ख) यदि परिषद् के ऐसे सदस्य, जो सम्बद्ध विषय के विशेषज्ञ हों, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो बाहर से सम्बद्ध विषय के विशेषज्ञ, जिनके नाम का प्रस्ताव परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाय, नियुक्त किए जायेंगे, परन्तु ऐसे विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश में निवास करते हों और सम्बद्ध समिति की सदस्यता स्वीकार करे ।

(ग) रचनात्मक विषय के पाठ्यक्रम समिति की स्थिति में, सदस्य ऐसी रीति से नियुक्त किए जायेंगे कि रचनात्मक वर्ग के प्रत्येक विषय का प्रतिनिधित्व कम से कम तद्विषयक एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाय ।

(घ) जहां खंड (ख) के अधीन परिषद् के सदस्यों द्वारा किसी विशिष्ट विषय या विषयों के विशेषज्ञों के नाम पर्याप्त संख्या में प्रस्तावित न किये जायं, वहां अध्यक्ष को उस विषय या उन विषयों के विशेषज्ञ को अपेक्षित सीमा तक नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

(ङ) परिषद् का कोई सदस्य या बाहरी विशेषज्ञ दो से अधिक पाठ्यक्रम समितियों में कार्य नहीं करेगा।

*(च) सभापति को किसी पाठ्यक्रम समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति को निरसित करने का अधिकार होगा यदि यह ज्ञात हो जाय कि सदस्य पाठ्यक्रम समिति के उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है जिसमें वह नियुक्त किया गया था, परन्तु ऐसी किसी नियुक्ति को निरसित नहीं किया जायेगा जब तक कि सम्बद्ध सदस्य को यह बताने का अवसर न दे दिया जाय कि वह सम्बद्ध विषय का विशेषज्ञ है।

स्पष्टीकरण—इस विनियम के प्रयोजनार्थ, किसी विषय के विशेषज्ञ का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन्टरमीडिएट कक्षाओं में उस विषय को पढ़ाने के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो।

4—यदि परिषद् के ऐसे सदस्यों की संख्या जो किसी विषय के विशेषज्ञ हों, या परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किसी विषय के बाहरी विशेषज्ञों की संख्या ऐसे विषय के पाठ्यक्रम समिति के गठन के लिये अपेक्षित सदस्य संख्या से अधिक हो तो परिषद् द्वारा समिति के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

*5—इस अध्याय के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट समितियों के सदस्यों की समयावधि नहीं बढ़ायी जायगी और वह वही होगी जो इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 3 के अधीन परिषद् के सदस्यों की है परन्तु कोई भी सदस्य अथवा संयोजक अपने पद से सभापति के नाम त्याग-पत्र देकर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है। वह त्याग-पत्र सभापति को प्राप्त होने की तिथि से लागू होगा। समिति का कोई सदस्य या संयोजक जो परिषद् का सदस्य न रहे तत्काल से सम्बद्ध समिति का सदस्य या संयोजक नहीं रह जायेगा। इसके फलस्वरूप हुई रिक्ति की पूर्ति हेतु नियुक्ति अधिनियम एवं विनियम की अर्हता के सदस्य उपलब्ध अथवा अवशेष नहीं रहने की स्थिति में परिषद् के अवशेष सदस्यों में से ही की जायेगी।

6—परिषद् की प्रत्येक समिति का एक संयोजक होगा जो परिषद् द्वारा जब तक कि अन्यथा विहित न हो, सम्बद्ध समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा, परन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक समिति में संयोजक का कार्य नहीं करेगा। किसी समिति के संयोजक के पद पर न रहने की स्थिति में, परिषद् का अध्यक्ष का कार्य चलाने के लिए सम्बद्ध समिति के सदस्यों में से एक प्रतिस्थानी नाम निर्दिष्ट करेगा जब तक कि परिषद् द्वारा किसी अन्य संयोजक का निर्वाचन न कर दिया जाय या परिषद् अध्यक्ष द्वारा प्रतिस्थानी के रूप में नाम निर्दिष्ट संयोजक का अनुमोदन न कर दें।

7—जहां अन्यथा विहित हो उसके सिवाय समस्त समितियों का निर्वाचन गुप्त-मत-पत्र द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा

---

*दिनांक 14 मई, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद्–9/104, दिनांक 4 मई, 1983 द्वारा संशोधित।

दिया जायगा "एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन की रीति को नियंत्रित करने वाली अनुसूची परिषद् की उपविधियों की उपविधि 4 परिशिष्ट 'क' में दी गई है।"

*8—जब कभी निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल धारा 4 (1) के अन्तर्गत समाप्त होने के कारण ऐसे सदस्यों के स्थान रिक्त हो गये हों और बोर्ड का पुनर्गठन किसी कारणवश न हो सका हो और धारा 13 में उल्लिखित किसी समिति का पुनर्गठन करना आवश्यक हो तो इन विनियमों में अन्यथा किसी बात के होते हुए भी ऐसी समितियों का पुनर्गठन विनियमों में निर्धारित संख्या से कम सदस्यों से भी किया जा सकता है।

अध्याय पांच

पाठ्यक्रमों की समितियां

1—परिषद् निम्नलिखित विषयों में पाठ्यक्रमों की समितियां नियुक्त करेगी, जिनका वर्गीकरण उस रूप में तथा उन परिवर्द्धनों एवं परिवर्तनों के साथ किया जायगा जो परिषद् समय-समय पर निश्चित करे—

1—हिन्दी
2—गणित
3—गृह विज्ञान
4—अरबी और फारसी
5—उर्दू
6—इतिहास
7—नागरिक शास्त्र
8—भूगोल
9—मराठी और गुजराती
10—लैटिन और फ्रांसीसी
11—अंग्रेजी
12—भौतिक विज्ञान
13—रसायन विज्ञान
14—जीव विज्ञान
15—कृषि (जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त कृषि के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा के समस्त विषय सम्मिलित हैं)
16—चित्रकला, रंजन तथा मूर्तिकला
17—वाणिज्य (जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त वाणिज्य के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा के समस्त विषय सम्मिलित हैं)
18—अर्थशास्त्र
19—संस्कृत
20—सैन्य विज्ञान

*दिनांक 9 फरवरी, 1985 के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं0 मा/2/15 7-1 (99)-84, दिनांक 29 जनवरी, 1985 द्वारा सम्मिलित।

21—भू-गर्भ शास्त्र

22—प्राविधिक विषय (हिन्दी के अतिरिक्त सब विषय)

23—समाज शास्त्र

24—रचनात्मक विषय (रचनात्मक वर्ग के अन्तर्गत समस्त विषय)

25—बंगला, उड़िया और आसामी

26—शिक्षा, तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान

27—संगीत तथा नृत्य

28—नेपाली और पाली

29—कश्मीरी, पंजाबी और सिंधी

30—कन्नड़ और तेलगू

31—मलयालम और तमिल

32—जर्मन और रूसी

33—चीनी और तिब्बती

34—वैसिक विषय (जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त वैसिक वर्ग के अन्तर्गत समस्त विषय सम्मिलित हैं)

*35—शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा (इस समिति में सदस्य इस भांति नियुक्त होंगे जैसा परिषद् निर्णय करे)

*36—सांख्यिकी

**37—सामाजिक विज्ञान।

2—अध्ययन के ऐसे अन्य विषयों के लिए पाठ्यक्रमों की समितियों का गठन होगा जो समय-समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

3—प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति परिषद् के विचारार्थ सम्बन्धित विषय का पाठ्य विवरण प्रस्तावित करेगी तथा पाठ्य विवरण के अनुरूप परिषद् द्वारा संस्तुति अथवा नियत किये जाने हेतु उचित पुस्तकों की इतनी संख्या भी प्रस्तावित करेगी जितनी समिति ठीक समझे।

4—पाठ्यक्रमों की समितियों की बैठकें प्रतिवर्ष साधारणतः सितम्बर और दिसम्बर मास के बीच होंगी और अगले वर्ष में परिषद् द्वारा जारी किये जाने वाले प्रारम्भ पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकों के प्रस्ताव तैयार करेंगी। समितियों द्वारा किये गये प्रस्तावों को पहले पाठ्यचर्या-समिति के पास यथाशीघ्र भेजा जायगा। पाठ्यचर्या समिति इन प्रस्तावों पर विचार करेगी और उनके सम्बन्ध में अपने संवीक्षण प्रस्तुत करेगी। पाठ्यक्रम समितियों के प्रस्ताव, पाठ्यचर्या समिति के संवीक्षणों सहित परिषद् के समक्ष उनकी आगामी बैठक में निर्णय हेतु रखे जायेंगे।

---

*दिनांक 14 मई, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद्-9। 194, दिनांक 4 मई, 1983 द्वारा सम्मिलित।

**राजाज्ञा सं० म० शा० पत्रांक 22/15-7-2 (15)/82, दिनांक 15 फरवरी, 1984 द्वारा सम्मिलित।

5--परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित और स्वीकृत पाठ्यक्रम विवरण-पत्रिका में प्रकाशित किये जायेंगे जिसे सचिव द्वारा उस परीक्षा को जिसके लिये वे पाठ्यक्रम विहित किये गये हैं, तिथि से लगभग दो वर्ष पूर्व जारी किया जायेगा :--

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् हाई स्कूल परीक्षा और इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिये पृथक्-पृथक् या दोनों परीक्षा के लिये संयुक्त विवरण-पत्रिका प्रकाशित कर सकती है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् किसी परीक्षा के समस्त विषयों के सम्बन्ध में विवरण-पत्रिका प्रकाशित करने के बजाय केवल एक या अधिक विषयों के लिये विवरण-पत्रिका प्रकाशित कर सकती है ।

6--(1) परिषद् अपने द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित और स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार, ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जिन्हें वह आवश्यक समझे, पाठ्य-पुस्तकें और अन्य सम्बन्धित सामग्री, यदि कोई हो, तैयार करा सकती है और क्रमशः सम्बद्ध पाठ्यक्रम समिति और अध्यक्ष द्वारा उनका अनुमोदन किये जाने के पश्चात् परिषद् राज्य सरकार के प्राधिकार से उन्हें प्रकाशित करायेगी । तदुपरान्त परिषद् उन्हें पाठ्य-पुस्तक के रूप में विहित करेगी ।

(2) खंड (1) के अधीन किसी विषय की प्रत्येक पुस्तक को जिसके अन्तर्गत मौलिक रचनायें और संकलन भी हैं, तैयार करने के लिये निम्नलिखित बोर्ड गठित किये जायेंगे, अर्थात्--

(एक) सम्पादक/लेखक मंडल और,

(दो) परामर्शदाता मंडल ।

(3) (क) उप खंड (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पादक/लेखक मंडल में निम्नलिखित होंगे :--

1--एक अध्यापक जो वास्तव में हाई स्कूल कक्षाओं को सम्बद्ध विषय पढ़ाता हो;

2--एक अध्यापक जो वास्तव में इन्टरमीडिएट कक्षाओं को सम्बद्ध विषय पढ़ाता हो;

3--स्नातकोत्तर डिग्री कालेज या विश्वविद्यालय का सम्बद्ध विषय का एक अध्यापक;

4--किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय का एक प्राध्यापक;

5--दो शैक्षिक विशेषज्ञ/विषय-विज्ञ ।

(ख) हाई स्कूल कक्षाओं के लिये पुस्तक तैयार करने के लिये गठित सम्पादक/लेखक मंडल में इन्टरमीडिएट कक्षा के किसी अध्यापक को जो सम्बद्ध विषय को पढ़ाता हो; सम्मिलित करना अनिवार्य होगा, किन्तु इन्टरमीडिएट कक्षा के लिये पुस्तक तैयार करने के लिये गठित सम्पादक/लेखक मंडल में सम्बद्ध विषय का हाई स्कूल का कोई अध्यापक सम्मिलित नहीं किया जायगा ।

(ग) अध्यक्ष उप खंड (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक सम्पादक/लेखक मंडल में एक सदस्य और, यदि वह आवश्यक समझे, नाम निर्दिष्ट करने

की शक्ति होगी। उसे सम्पादक/लेखक मंडल में किसी रिक्ति को स्वविवेक से, जब कभी वह हो, भरने की भी शक्ति होगी।

(4) परामर्शदाता मंडल में तीन सदस्य होंगे जो सम्बद्ध विषय के उत्कृष्ट विद्वानों में से नियुक्त किये जायेंगे।

(5) खंड (2) से निर्दिष्ट मंडलों के गठन के लिये सम्बद्ध पाठ्यक्रम समिति अपेक्षित संख्या के पांच गुने नाम का प्रस्ताव करेगी। अध्यक्ष उक्त नामिका में से प्रत्येक वर्ग के लिये अपेक्षित सदस्यों को नियुक्त करेगा। परन्तु यदि उसकी राय में लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों और विषय विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करना आवश्यक हो तो वह नामिका के बाहर से व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

(6) यदि सम्बद्ध पाठ्यक्रम समिति पुस्तक को अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व यह आवश्यक समझे तो वह पाण्डुलिपि को तैयार करते समय सम्पादक/लेखक मंडल को अपना सुझाव दे सकती है।

(7) किसी पुस्तक की पाण्डुलिपि अन्तिम रूप से अनुमोदित हो जाने के पश्चात्, उसे क्रमशः सम्बद्ध पाठ्यक्रम समिति और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायगा और तत्पश्चात् परिषद् उसे राज्य सरकार के प्राधिकार से प्रकाशित करायेगी।

(8) परिषद् द्वारा तैयार की गयी किसी पुस्तक को उसके प्रचलन के अनन्तर चार परीक्षायें हो जाने के पश्चात्, पाठ्यक्रम समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, बदला जा सकता है परन्तु उनमें छोटे-मोटे परिवर्तन परिषद् द्वारा जब तथा जैसा आवश्यक हो किये जा सकते हैं।

7—विनियम 6 में किसी बात के होते हुये भी जब भी परिषद् आवश्यक समझे वह राज्य सरकार की स्वीकृति से तथा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, अपने द्वारा संचालित परीक्षा की एक वर्ष के लिये किसी विषय में पुस्तकों का आमंत्रण कर सकती है। परिषद् यदि आवश्यक समझे तो ऊपर के विनियम 4 के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों की सम्बन्धित समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने के लिये समीक्षा भी करा सकती है। ऐसे मामलों में समीक्षकों की नियुक्ति तथा विचारार्थ पुस्तकें प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों द्वारा शुल्क का भुगतान अग्रलिखित विधि से नियन्त्रित होगा :

(1) पाठ्यक्रम समिति अभीष्ट समीक्षकों से कम से कम तिगुने की नामिका तैयार करेगी और उसे सचिव द्वारा सभापति को प्रस्तुत करेगी। जिन समीक्षकों का नाम नामिका में सम्मिलित किया जायगा वे उस विषय में भली-भांति योग्यता प्राप्त होने चाहिये, जिसमें उन्हें पुस्तक की समीक्षा करनी है। समीक्षकों की नियुक्ति नामिका में से सभापति द्वारा की जायेगी।

(2) पाठ्यक्रम समिति का कोई भी सदस्य उस समिति में विचारार्थ प्रस्तुत पुस्तक का समीक्षक नहीं होगा।

(3) जहां एक व्यक्ति परिषद् अथवा पाठ्यचर्या समिति अथवा एक विशेष विषय में पाठ्यक्रम समिति का सदस्य है, परिषद् के उस विषय में पुस्तक आमंत्रित करने के निर्णय के एक मास पश्चात् किसी समय तथा परिषद् द्वारा ऐसी पुस्तक को स्वीकृत अथवा नियत किये जाने से पूर्व, उसकी ऐसी कोई पुस्तक जिसका कि वह लेखक अथवा प्रकाशक है अथवा परिषद् के मत में जिनमें उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वार्थ है, उस विषय में परिषद् को किसी भी परीक्षा के लिये विचार किये जाने योग्य न होगी।

(4) कोई व्यक्ति जिसने विचारार्थ पुस्तक प्रस्तुत की है उस समय तक समीक्षक नहीं होगा, जब तक कि उसकी पुस्तक विचाराधीन है।

(5) समीक्षकों/प्रकाशकों तथा लेखकों के नामों के सम्बन्ध में अत्यधिक गोपनीय रखी जायेगी।

(6) प्रत्येक समीक्षक पुस्तक से गुण और दोष विस्तार से बतायेगा और यदि कोई पुस्तक अस्वीकृत की जाती है तो अपना स्पष्ट मत लिखित रूप से व्यक्त करेगा।

(7) प्रत्येक समीक्षक उपयुक्त पुस्तकों को गुणागुण के क्रम में लगायेगा।]

(8) एक समीक्षक को समीक्षा के लिये हाई स्कूल की 10 तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं की 8 से अधिक पुस्तकें नहीं दी जायेंगी। हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं को प्रत्येक पुस्तक की समीक्षा करने का पारिश्रमिक निम्नलिखित के अनुसार होगा :

हाई स्कूल

30 रुपये यदि पुस्तक में 100 पृष्ठ तक है।

45 रुपये, यदि पुस्तक में 101 से 200 पृष्ठ तक है।

60 रुपये, यदि पुस्तक में 200 पृष्ठ से अधिक है।

इन्टरमीडिएट

40 रुपये, यदि पुस्तक 100 पृष्ठ तक है।

55 रुपये, यदि पुस्तक में 101 से 200 पृष्ठ तक है।

75 रुपये, यदि पुस्तक में 200 पृष्ठ से अधिक है।

(9) प्रत्येक पुस्तक की तीन समीक्षकों की नामिका द्वारा समीक्षा की जायेगी।

(10) विचारार्थ प्रस्तुत पुस्तकों के लिये लेखकों तथा प्रकाशकों द्वारा निम्नलिखित शुल्क, समीक्षा-शुल्क के रूप में दिया जायेगा :

हाई स्कूल

भाषा विषयों की प्रत्येक पाठ्य-पुस्तक के लिये 300 रुपये।

भाषा विषयों की प्रत्येक अनुपूरक पुस्तक के लिये 200 रुपये।

अभाषा विषयों की प्रत्येक पुस्तक के लिये 200 रुपये।

इन्टरमीडिएट

भाषा विषयों की प्रत्येक पाठ्य-पुस्तक के लिये 350 रुपये।

भाषा विषयों की प्रत्येक अनुपूरक पुस्तक के लिये 250 रुपये।

अभाषा विषयों की प्रत्येक पुस्तक के लिये 250 रुपये।]

(ii) निम्नलिखित दशाओं के अतिरिक्त जहां 20 रुपये की कटौती के पश्चात् शुल्क की वापसी हो सकती है, प्रकाशकों तथा लेखकों द्वारा एक बार पुस्तकों की समीक्षा के लिये दिया हुआ शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(क) जहां ऐसे विषयों के पुस्तकों के सम्बन्ध में समीक्षा-शुल्क जमा कर दिया गया है जिसमें समीक्षा-शुल्क नहीं लगाया जाता है ;

(ख) जहां प्रकाशकों तथा लेखकों ने निर्धारित समीक्षा-शुल्क से कम जमा किया है जिसके कारण उनके द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों पर परिषद् द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है ;

(ग) जहां ऐसी पुस्तकों के सम्बन्ध मे समीक्षा-शुल्क दे दिया गया है, जो आमंत्रित नहीं की गई थी ;

(घ) जहां समीक्षा शुल्क जमा कर दिया गया है परन्तु पुस्तकें परिषद् को नहीं प्रस्तुत की जा सकी ;

प्रतिबंध यह है कि जहां निर्धारित समीक्षा-शुल्क से अधिक दे दिया गया है, अधिक धनराशि साधारणतः 20 रुपये की कटौती के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

8—इस अध्याय के विनियमों के अन्तर्गत किसी बात के होते हुये भी परिषद् को किसी वर्ष की परीक्षा के लिये कोई पुस्तक अथवा पुस्तकें नियत अथवा स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

9—एक समिति संबंधित विषय अथवा विषयों के संबंध में परीक्षाओं अथवा पाठ्य-क्रमों से सम्बद्ध किसी मामले की ओर परिषद् का ध्यान आकृष्ट कर सकती है।

10—परिषद् की प्रार्थना पर किन्हीं दो अथवा अधिक पाठ्यक्रम समितियों की बठक हो सकती है और किसी मामले पर, जिससे पृथकतः तथा संयुक्त रूप से संबंधित है, संयुक्त आख्या दे सकती है।

अध्याय—छः

परीक्षा—समिति

1—परीक्षा समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायगा :

(क) परिषद् के छः सदस्यों जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायेगा कि इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छः श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी का कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाये।

(ख) परिषद् का सचिव समिति का पदेन संयोजक होगा।

2—परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुये, परीक्षा समिति का निम्नलिखित कर्तव्य—

(क) परिषद् की परीक्षाओं का आयोजन करने के लिये तिथियों की संस्तुति करना ;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति या घटना की स्थिति में, अध्यक्ष को परीक्षा की किसी तिथि में परिवर्तन करने या किसी विषय या प्रश्न-पत्र में परीक्षा को निरसित करने का आदेश देने या उस विषय या प्रश्न-पत्र में फिर से परीक्षा का आयोजन करने की शक्ति होगी ;

(ख) परीक्षकों और परिमार्जक बोर्ड की नियुक्ति के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम समिति की संस्तुतियों पर विचार करना और परिषद् के अनुमोदन के लिये परीक्षाओं की और परिमार्जकों की सूची तैयार करना ;

(ग) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये सारणीयक (टेबुलेटर) और परितुलनकर्ता (कोलेटरों) के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के नाम की संस्तुति करना ;

(घ) ऐसे उम्मीदवारों की, जिन पर परिषद् की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का संदेह या रिपोर्ट हो, उत्तर पुस्तकों के मार्जन के लिये मार्जक के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के नाम की संस्तुति करना ;

(ङ) परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति के लिये आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन-पत्रों का प्रपत्र विहित करना ;

(च) परिषद् की परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों को दिये जाने वाले प्रमाण-पत्रों का प्रपत्र विहित करना ;

(छ) मौखिक और क्रियात्मक परीक्षाओं के, यदि कोई हों, लिये जाने का ढंग निर्धारित करना ;

*(ज) परीक्षा केन्द्रों मूल्यांकन केन्द्रों, और संकलन केन्द्रों को स्थापित करने और तोड़ने के लिये अपनायी जाने वाली नीति के सम्बन्ध में संस्तुति करना ।

प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षा समिति द्वारा संस्तुत नीति के अनुसार क्षेत्रीय सचिव परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों और संकलन केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक से प्रस्ताव मंगाकर परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों और संकलन केन्द्रों को स्थापित करेंगे :

प्रतिबन्ध यह भी है कि सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों तथा संकलन केन्द्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव, अपने द्वारा निम्नांकित रूप में, अपनी अध्यक्षता में गठित उप समिति के माध्यम से तैयार करेंगे:—

(1) सम्बन्धित जनपद जिला विद्यालय निरीक्षक ।

(2) सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य ।

(3) मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका ।

---

*दिनांक 8 फरवरी, 1986 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद्–9–600, दिनांक 15 जनवरी, 1986 द्वारा संशोधित ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा गठित उपर्युक्त उप समिति द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अपने द्वारा निम्नांकित रूप में गठित उप समिति की सहायता से निर्मित करेंगे :

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक	अध्यक्ष
(2) जिले के दो वरिष्ठतम प्रधानाचार्य	सदस्य

(प्रधानाचार्य की नियुक्ति चक्रानुक्रम से की जायेगी)

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि सचिव को यह शक्ति होगी कि वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा एवं परीक्षा कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु किसी परीक्षा केन्द्र, मूल्यांकन केन्द्र, तथा संकलन केन्द्र अथवा किन्हीं परीक्षा केन्द्रों मूल्यांकन केन्द्रों तथा संकलन केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे/उन्हें तोड़ अथवा नवीन रूप में स्थापित कर सकता है।

(झ) अनुग्रहांक देने के लिए नियम बनाना ;

(ञ) उम्मीदवारों को श्रुतलेखक देने के लिए नियम बनाना ;

(ट) परिषद् की परीक्षाओं के परीक्षाफल को प्रकाशित करने के लिये प्रबन्ध करना ;

(ठ) किसी दुराचरण या उपेक्षा के लिये दोषी पाये गये परीक्षकों, परिमार्जकों सारणीयकों, परितुलनकर्ताओं और मार्जकों को दिये जाने वाले दन्ड के सम्बन्ध में संस्तुति करना;

(ड) परीक्षा संचालन से सम्बन्धित अन्य मामलों पर विचार करना और उन पर संस्तुति देना, जो परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायें।

3—परीक्षा-समिति, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परिषद् की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति के प्रार्थना-पत्र की छान-बीन के लिये एक उप-समिति नियुक्त करेगी।

अध्याय छ:—क

परीक्षाफल समिति

1—परीक्षाफल-समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :—

(क) परिषद् का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) परिषद् के छः सदस्य जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायगा कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छः श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी का कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाय ;

(ग) परिषद् का सचिव पदेन सदस्य-सचिव होगा।

2—परिषद् की स्वीकृति एवं नियंत्रण के अधीन, परीक्षाफल-समिति का कर्तव्य होगा कि—

(1) अपने को आश्वस्त करने के पश्चात् कि परीक्षाफल सब मिलाकर तथा विभिन्न विषयों में सामान्य मापदण्डों के अनुरूप है, परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के परीक्षाफलों को संनिरीक्षा एवं उन्हें पारित करना तथा जहां आवश्यकता हो वहां विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक कम करना।

(2) प्रश्न-पत्रों के विरुद्ध आरोपों की संनिरीक्षा करना जहां तक कि उनसे परीक्षाफल पर प्रभाव पड़ता है ।

(3) उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय करना जो क्रियात्मक अथवा लिखित परीक्षा में एक अथवा दो प्रश्न-पत्रों में अथवा एक पूरे विषय में नहीं बैठ सके ।

(4) उन परीक्षार्थियों के मामले में निर्णय करना जिन्होंने गलत प्रश्न-पत्रों के उत्तर दिये हों ।

(5) उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय करना जिन्हें केन्द्र अधीक्षकों द्वारा परीक्षा आरम्भ होने के आधा घंटा पश्चात् प्रविष्टि की अनुमति दी गयी है ।

(6) किसी विशिष्ट परीक्षार्थी की परीक्षा के लिये की गयी विशेष व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय करना ।

(7) उन मामलों में निर्णय करना जहां कुछ पर्याप्त कारणोंवश परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया था ।

(8) उन मामलों में निर्णय करना जहां प्रश्न-पत्र निर्धारित समय से पूर्व खोले गये थे ।

(9) उन उम्मीदवारों के सम्बन्ध में निर्णय करना जिनकी उत्तर पुस्तकें खो गई हों या जो सम्बद्ध परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किये जाने की तिथि से दो मास की अवधि के पश्चात् भी न मिल रही हों ।

*(10) उन मामलों में परीक्षाफल को रोकना, जिनमें परीक्षार्थियों ने किसी तथ्य को छिपाया हो या अपने आवेदन-पत्र में मिथ्या कथन किया हो या परीक्षा में अनुचित रूप से प्रवेश पाने के उद्देश्य से नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया हो या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या परीक्षा के दौरान कपट या प्रतिरूपण किया हो या जो नैतिक पतन समन्वित अपराध या अनुशासनहीनता के दोषी पाये गये हों, जो परीक्षा केन्द्र पर घातक अस्त्र या चाकू लाये हों, या जिन्होंने परीक्षा संचालन के सम्बन्ध में नियुक्त किसी व्यक्ति पर, परीक्षा-कक्ष/विद्यालय परिसर के अन्दर अथवा बाहर, हमला किया हो, या हमला करने की धमकी दी हो या जिन्होंने अपभाषा का प्रयोग किया हो या जिन्होंने दोषपूर्ण या मिथ्या आधारों पर नियमों के उल्लंघन में श्रुत लेखक की सुविधा प्राप्त की हो और ऐसी ही अन्य आकस्मिकताओं में जहां ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, और

(11) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जिन्हें परिषद् समय-समय पर उसे प्रतिनिहित करें ।

---

*दिनांक 13 मार्च, 1982 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद्-9/870/पांच-8 (बोर्ड दिसम्बर, 8) दिनांक 4 फरवरी, 1982 द्वारा संशोधित ।

अध्याय–छ:–ख

अनुचित साधनों के मामलों के निस्तारण के लिए समितियां

*(1) परिषद् की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में निस्तारण लिए समितियां होंगी, ऐसी समितियों का गठन नीचे उल्लिखित प्रकार से अध्यक्ष द्वारा या जायगा, समितियों की संख्या अनुचित साधन प्रयोग के मामलों की संख्या के आधार अवधारित होगी :—

(एक) परिषद् का एक सदस्य जो समिति का संयोजक होगा ।

(दो) पाठ्यक्रम समितियों का एक विषय विशेषज्ञ जो समिति का सदस्य होगा ।

(तीन) परिषद् के सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट परिषद् का सहायक सचिव से अनिम्न पद का कोई पदधारी ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक समिति द्वारा निस्तारित किये जाने वाले कार्य आवंटन यथा–समय सचिव द्वारा किया जायेगा ।

2—परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, विनियम 1 में निर्दिष्ट मिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :—

**(1) ऐसे मामलों पर जिनमें परीक्षार्थियों ने किसी तथ्य को छिपाया हो या अपने आवेदन–पत्र में मिथ्या कथन किया हो या किसी परीक्षा में अनुचित रूप से प्रवेश पाने के निमित्त नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया हो, या, अनुदानित परीक्षा–केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित होने के बजाय अनधिकृत ढंग से अथवा जालसाजी से केन्द्र परिवर्तन कराकर किसी अन्य परीक्षा–केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या संस्थागत छात्र के रूप में आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् प्राविधानों के प्रतिकूल विद्यालय परिवर्तन किया हो, अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या जिनके द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किए जाने का संदेह हो या परीक्षा के दौरान कपट या प्रतिरूपण किया हो या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध या अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया हो या जो परीक्षा केन्द्र पर घातक शस्त्र या चाकू लाये हों या जिन्होंने परीक्षा संचालन के सम्बन्ध में नियुक्त किसी व्यक्ति पर परीक्षा कक्ष/विद्यालय परिसर के अन्दर अथवा बाहर हमला किया हो या हमला करने की धमकी दी हो या अपभाषा का प्रयोग किया हो या दोषपूर्ण अथवा मिथ्या आधारों पर नियमों का उल्लंघन कर किसी श्रुतलेखक की सहायता से परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, या उत्तर–पुस्तिका नष्ट कर दी हो, विचार करना और शास्ति देना जो निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक हो सकता है :—

(क) परीक्षार्थी की सम्बन्धित परीक्षा को निरसित करना ।

(ख) सम्बन्धित परीक्षा उत्तरवर्ती परीक्षा से जिनमें परिषद् की उच्चतर परीक्षा भी सम्मिलित है, परीक्षार्थी को अपवर्जित करना ।

---

*दिनांक 8 अक्तूबर, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद्–9/446, क 29 सितम्बर, 1988 द्वारा संशोधित ।

**दिनांक 13 मार्च, 1982 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद्–9/870/ 8(बोर्ड दिसम्बर, 80), दिनांक 4 फरवरी, 1982 द्वारा संशोधित ।

(क) परिषद्, की परीक्षाओं का आयोजन करने के लिये तिथियों की संस्तुति करना ;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति या घटना की स्थिति में, अध्यक्ष को परीक्षा की किसी तिथि में परिवर्तन करने या किसी विषय या प्रश्न-पत्र में परीक्षा को निरसित करने का आदेश देने या उस विषय या प्रश्न-पत्र में फिर से परीक्षा का आयोजन करने की शक्ति होगी ;

(ख) परीक्षकों और परिमार्जक बोर्ड की नियुक्ति के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम समिति की संस्तुतियों पर विचार करना और परिषद् के अनुमोदन के लिये परीक्षाओं की और परिमार्जकों की सूची तैयार करना ;

(ग) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये सारणीयक (टेबुलेटर) और परितुलनकर्ता (कोलेटरों) के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के नाम की संस्तुति करना ;

(घ) ऐसे उम्मीदवारों की, जिन पर परिषद् की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का संदेह या रिपोर्ट हो, उत्तर पुस्तकों के मार्जन के लिये मार्जक के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के नाम की संस्तुति करना ;

(ङ) परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति के लिये आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन-पत्रों का प्रपत्र विहित करना ;

(च) परिषद् की परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों को दिये जाने वाले प्रमाण-पत्रों का प्रपत्र विहित करना ;

(छ) मौखिक और क्रियात्मक परीक्षाओं के, यदि कोई हों, लिये जाने का ढंग निर्धारित करना ;

*(ज) परीक्षा केन्द्रों मूल्यांकन केन्द्रों, और संकलन केन्द्रों को स्थापित करने और तोड़ने के लिये अपनायी जाने वाली नीति के सम्बन्ध में संस्तुति करना ।

प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षा समिति द्वारा संस्तुत नीति के अनुसार क्षेत्रीय सचिव परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों और संकलन केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक से प्रस्ताव मंगाकर परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों और संकलन केन्द्रों को स्थापित करेंगे :

प्रतिबन्ध यह भी है कि सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों तथा संकलन केन्द्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव, अपने द्वारा निम्नांकित रूप में, अपनी अध्यक्षता में गठित उप समिति के माध्यम से तैयार करेंगे:--

(1) सम्बन्धित जनपद जिला विद्यालय निरीक्षक ।

(2) सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य ।

(3) मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका ।

---

*दिनांक 8 फरवरी, 1986 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद्-9-600 दिनांक 15 जनवरी, 1986 द्वारा संशोधित ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा गठित उपर्युक्त उप समिति द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अपने द्वारा निम्नांकित रूप में गठित उप समिति की सहायता से निर्मित करेंगे :

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक — अध्यक्ष

(2) जिले के दो वरिष्ठतम प्रधानाचार्य — सदस्य

(प्रधानाचार्य की नियुक्ति चक्रानुक्रम से की जायेगी)

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि सचिव को यह शक्ति होगी कि वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा एवं परीक्षा कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु किसी परीक्षा केन्द्र, मूल्यांकन केन्द्र, तथा संकलन केन्द्र अथवा किन्हीं परीक्षा केन्द्रों मूल्यांकन केन्द्रों तथा संकलन केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे/उन्हें तोड़ अथवा नवीन रूप में स्थापित कर सकता है ।

(झ) अनुग्रहांक देने के लिए नियम बनाना ;

(ञ) उम्मीदवारों को श्रुतलेखक देने के लिए नियम बनाना ;

(ट) परिषद् की परीक्षाओं के परीक्षाफल को प्रकाशित करने के लिये प्रबन्ध करना ;

(ठ) किसी दुराचरण या उपेक्षा के लिये दोषी पाये गये परीक्षकों, परिमार्जकों सारणीयकों, परितुलनकर्ताओं और मार्जकों को दिये जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में संस्तुति करना;

(ड) परीक्षा संचालन से सम्बन्धित अन्य मामलों पर विचार करना और उन पर संस्तुति देना, जो परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायें ।

3—परीक्षा-समिति, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परिषद् की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति के प्रार्थना-पत्र की छान-बीन के लिये एक उप-समिति नियुक्त करेगी ।

अध्याय छ:—क

परीक्षाफल समिति

1—परीक्षाफल-समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :—

(क) परिषद् का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) परिषद् के छः सदस्य जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जायगा कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छः श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी का कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाय ;

(ग) परिषद् का सचिव पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

2—परिषद् की स्वीकृति एवं नियंत्रण के अधीन, परीक्षाफल-समिति का कर्तव्य होगा कि—

(1) अपने को आश्वस्त करने के पश्चात् कि परीक्षाफल सब मिलाकर तथा विभिन्न विषयों में सामान्य मापदण्डों के अनुरूप है, परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के परीक्षाफलों को संनिरीक्षा एवं उन्हें पारित करना तथा जहां आवश्यकता हो वहां विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक कम करना ।

(2) प्रश्न-पत्रों के विरुद्ध आरोपों की संनिरीक्षा करना जहां तक कि उनसे परीक्षाफल पर प्रभाव पड़ता है।

(3) उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय करना जो क्रियात्मक अथवा लिखित परीक्षा में एक अथवा दो प्रश्न-पत्रों में अथवा एक पूरे विषय में नहीं बैठ सके।

(4) उन परीक्षार्थियों के मामले में निर्णय करना जिन्होंने गलत प्रश्न-पत्रों के उत्तर दिये हों।

(5) उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय करना जिन्हें केन्द्र अधीक्षकों द्वारा परीक्षा आरम्भ होने के आधा घंटा पश्चात् प्रविष्टि की अनुमति दी गयी है।

(6) किसी विशिष्ट परीक्षार्थी की परीक्षा के लिये की गयी विशेष व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय करना।

(7) उन मामलों में निर्णय करना जहां कुछ पर्याप्त कारणोंवश परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया था।

(8) उन मामलों में निर्णय करना जहां प्रश्न-पत्र निर्धारित समय से पूर्व खोले गये थे।

(9) उन उम्मीदवारों के सम्बन्ध में निर्णय करना जिनकी उत्तर पुस्तकें खो गई हों या जो सम्बद्ध परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किये जाने की तिथि से दो मास की अवधि के पश्चात् भी न मिल रही हों।

*(10) उन मामलों में परीक्षाफल को रोकना, जिनमें परीक्षार्थियों ने किसी तथ्य को छिपाया हो या अपने आवेदन-पत्र में मिथ्या कथन किया हो या परीक्षा में अनुचित रूप से प्रवेश पाने के उद्देश्य से नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया हो या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या परीक्षा के दौरान कपट या प्रतिरूपण किया हो या जो नैतिक पतन समन्वित अपराध या अनुशासनहीनता के दोषी पाये गये हों, जो परीक्षा केन्द्र पर घातक अस्त्र या चाकू लाये हों, या जिन्होंने परीक्षा संचालन के सम्बन्ध में नियुक्त किसी व्यक्ति पर, परीक्षा-कक्ष/विद्यालय परिसर के अन्दर अथवा बाहर, हमला किया हो, या हमला करने की धमकी दी हो या जिन्होंने अपभाषा का प्रयोग किया हो या जिन्होंने दोषपूर्ण या मिथ्या आधारों पर नियमों के उल्लंघन में श्रुत लेखक की सुविधा प्राप्त की हो और ऐसी ही अन्य आकस्मिकताओं में जहां ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, और

(11) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जिन्हें परिषद् समय-समय पर उसे प्रतिनिहित करें।

---

*दिनांक 13 मार्च, 1982 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद्-9/870/ पांच-8 (बोर्ड दिसम्बर, 8) दिनांक 4 फरवरी, 1982 द्वारा संशोधित।

अध्याय–छ:–ख

अनुचित साधनों के मामलों के निस्तारण के लिए समितियां

*(1) परिषद् की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में निस्तारण लिए समितियां होंगी, ऐसी समितियों का गठन नीचे उल्लिखित प्रकार से अध्यक्ष द्वारा ा जायगा, समितियों की संख्या अनुचित साधन प्रयोग के मामलों की संख्या के आधार अवधारित होगी :—

(एक) परिषद् का एक सदस्य जो समिति का संयोजक होगा।

(दो) पाठ्यक्रम समितियों का एक विषय विशेषज्ञ जो समिति का सदस्य होगा।

(तीन) परिषद् के सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट परिषद् का सहायक सचिव से अनिम्न पद का कोई पदधारी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक समिति द्वारा निस्तारित किये जाने वाले कार्य आवंटन यथा-समय सचिव द्वारा किया जायेगा।

2—परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, विनिमय 1 में निर्दिष्ट ति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :—

**(1) ऐसे मामलों पर जिनमें परीक्षार्थियों ने किसी तथ्य को छिपाया हो या अपने आवेदन-पत्र में मिथ्या कथन किया हो या किसी परीक्षा में अनुचित रूप से प्रवेश पाने के निमित्त नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया हो, या, अनुदानित परीक्षा-केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित होने के बजाय अनधिकृत ढंग से अथवा जालसाजी से केन्द्र परिवर्तन कराकर किसी अन्य परीक्षा-केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या संस्थागत छात्र के रूप में आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् प्राविधानों के प्रतिकूल विद्यालय परिवर्तन किया हो, अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या जिनके द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किए जाने का संदेह हो या परीक्षा के दौरान कपट या प्रतिरूपण किया हो या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध या अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया हो या जो परीक्षा केन्द्र पर घातक शस्त्र या चाकू लाये हों या जिन्होंने परीक्षा संचालन के सम्बन्ध में नियुक्त किसी व्यक्ति पर परीक्षा कक्ष/विद्यालय परिसर के अन्दर अथवा बाहर हमला किया हो या हमला करने की धमकी दी हो या अपभाषा का प्रयोग किया हो या दोषपूर्ण अथवा मिथ्या आधारों पर नियमों का उल्लंघन कर किसी श्रुतलेखक की सहायता से परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, या उत्तर-पुस्तिका नष्ट कर दी हो, विचार करना और शास्ति देना जो निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक हो सकता है :—

(क) परीक्षार्थी की सम्बन्धित परीक्षा को निरसित करना।

(ख) सम्बन्धित परीक्षा उत्तरवर्ती परीक्षा से जिनमें परिषद् की उच्चतर परीक्षा भी सम्मिलित है, परीक्षार्थी को अपवर्जित करना।

---

*दिनांक 8 अक्तूबर, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद्–9/446, 29 सितम्बर, 1988 द्वारा संशोधित।

**दिनांक 13 मार्च, 1982 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद्–9/870/ (बोर्ड दिसम्बर, 80), दिनांक 4 फरवरी, 1982 द्वारा संशोधित।

(ग) परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र परीक्षार्थी वापस लेना ।

(2) केन्द्र अधीक्षक, संस्था के प्रधान, अन्तरीक्षक, अध्यापक या अन्य कर्म के विरुद्ध परिषद् की परीक्षा में की गई उनकी किसी चूक, उपेक्षा या अनि मितता पर विचार करना और उनमें से किसी को दिये जाने वाले दण सम्बन्ध में संस्तुति करना ;

(3) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो पूर्ववर्ती खंडों में विनिर्दि नहीं है, किन्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे सम्बन्धित हैं ; और

(4) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जिन्हें परिषद् समय-समय उसे प्रतिनिहित करें ।

3--विनियम 2 में निर्दिष्ट मामलों में व्यवहार की जाने वाली प्रक्रिया वसी जैसी परिषद् विहित करे किन्तु किसी परीक्षार्थी या व्यक्ति को शास्ति या दण्ड किये के पूर्व, जब तक कि उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, परीक्षार्थी या स व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित करना असाध्य न हो, उसे अभिकथित आरोप के सम्बन्ध अपने आचरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायगा ।

*4--विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् की मुख्य परीक्ष सम्बन्धित विनियम-2 के खंड (एक) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी मामले का, जो परीक्षा के अनुवर्ती दिसम्बर की समाप्ति तक समिति द्वारा अनिस्तारित रह गया निस्तारण परीक्षा-समिति द्वारा किया जायगा ।

5--जहां सरकार के शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी या राज्य सरकार अनुरक्षित किसी संस्था के किसी कर्मचारी या किसी डिग्री कालेज या विश्वविद्याल किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना अपेक्षित हो, वहां परिषद् सम्बद्ध कर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उस मामले को शिक्षा विभाग के अध्यक्ष या संस्थ डिग्री कालेज के प्रधान या सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुल सचिव को निर्दिष्ट करेगा ।

अध्याय-सात

परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता

**1--मान्यता समिति या समितियों का गठन निम्नवत् होगा :--

(1) परिषद् के छः सदस्य जिनका निर्वाचन परिषद् द्वारा ऐसी री किया जायगा कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छः वर्गों में से प्रत्यक वर्ग के कम से कम सदस्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय ;

---

*दिनांक 8 अक्तूबर, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद 446, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 द्वारा संशोधित ।

**दिनांक 8 फरवरी, 1986 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद 600, दिनांक 15 नवम्बर, 1986 द्वारा संशोधित ।

(2) परिषद् के सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट क्षेत्रीय सचिव, पदेन समिति के सदस्य-सचिव होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव यदि वे (2) के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट न भी हों, और सम्बन्धित सम्भाग के शिक्षा उप निदेशक पवाद रूप से समितियों की बैठक में सम्मिलित होंगे, जब उनकी अधिकारिता के क्षेत्र सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जाय ।

टिप्पणी--परिषद् की मान्यता समिति की बैठक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् हाबाद स्थित कार्यालय में अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालय पर होगी ।

2--परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुये मान्यता समिति के नलिखित कर्त्तव्य होंगे :--

(1) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मान-दण्ड और नियम विहित करना;

प्रतिबन्ध यह है कि यह मान-दण्ड और नियम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् ही प्रभावी होंगे;

(2) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्रों पर विचार करना और उनके सम्बन्ध में संस्तुति करना;

(3) संस्थाओं के प्रधान और अध्यापकों के पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हताओं से छूट देने के आवेदन-पत्रों पर परिषद् द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विचार करना और उनके सम्बन्ध में संस्तुति करना; और

(4) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो उसे परिषद् द्वारा प्रतिनिहित किये जायं ।

स्पष्टीकरण--पद "मान्यता प्रदान करना" का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए प्रथम बार संस्था को मान्यता प्रदान करने या तत्पश्चात् ऐसी परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग या विषय में मान्यता प्रदान करने से है ।

3--(क) किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र [redacted]ा जायगा जो सम्यक् रूप से भरा गया और सम्बद्ध अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ा और उस वर्ष के जिसमें कक्षाओं को खोलने का प्रस्ताव हो, पूर्ववर्ती वर्ष की अगस्त तक परिषद् के सचिव के पास अवश्य पहुंच जाना चाहिए । आवेदन-पत्र की प्रतियां सम्बद्ध संस्था द्वारा बालकों की संस्थाओं की स्थिति में जिला विद्यालय निरीक्षक और बालिकाओं की संस्थाओं की स्थिति में सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका सीधे भेजी जानी चाहिए ।

(ख) मान्यता प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन-पत्र परिषद् के सचिव द्वारा ण नहीं किया जायगा जब तक कि उसके साथ सरकारी कोषागार में आवेदन-शुल्क जो नलिखित होगा, जमा किए जाने के साक्ष्य स्वरूप कोषागार चालान न लगा हो--

(एक) प्रथम बार हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट परीक्षा-- के लिए मान्यता के निमित्त 200 रु०

(दो) हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट परीक्षा के किसी-- अतिरिक्त वर्ग में मान्यता के निमित्त 200 रु०

(तीन) हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए किसी अतिरिक्त विषय में मान्यता के निमित्त—	न्यूनतम 100 र के अधीन रख हुए 50 र प्रति विषय

(ग) 31 अगस्त के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों को केवल प्रत्येक कलेंडर मा या उसके भाग के लिए 100 रु० का विलम्ब शुल्क का भुगतान करने पर ही ग्रहण कि जायगा, किन्तु 30 नवम्बर के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों को किसी भी स्थिति में ग्रह नहीं किया जायगा।

(घ) अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं को आवेदन-शुल्क या विलम्ब शुल् से छूट रहेगी।

(च) किसी जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान करने कोई आवेदन-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि उसे जूनियर हाई स्कूल रूप में स्थायी रूप से मान्यता प्राप्त न हुई हो और प्रस्तावित हाई स्कूल के लिए उसक प्रशासन योजना, परिषद् के सचिव को मान्यता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन-प प्रस्तुत करने के पूर्व निदेशक को, सम्यक् रूप से प्रस्तुत न कर दी गई हो।

(छ) किसी जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल के रूप से मान्यता प्रदान ना की जायेगी, यदि प्रस्तावित हाई स्कूल के प्रशासन योजना निदेशक द्वारा अनुमोदि न हुई हो।

4—विनियम 3 के खंड (क) के अधीन मान्यता के लिए आवेदन-पत्र की व प्रतियां प्राप्त होने पर, यथास्थिति, निरीक्षक या निरीक्षिका ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझें, आवेदन-पत्र की एक प्रति पर मान्यता के लिए संस्था की उपयुक्तत के सम्बन्ध में आख्या देगा/देगी और संस्तुति करेगी/करेगा और उसे परिषद् के सचिव पास भेजेगा/भजेगी, और आवेदन-पत्र की अन्य प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के लि रखेगा/रखेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि मान्यता समिति के समक्ष मान्यता प्रदान करने के लिए कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व निदेशक या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति भी, जो शिक्ष उपनिदेशक से अनिम्न पद का न होगा, जहां आवश्यक हो मान्यता प्रदान करने के लि संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपनी आख्या दे सकता है और संस्तुति कर सकता है

5—मान्यता के लिए आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विवरण विस्तार से रहेंगे, जि पर निरीक्षण प्राधिकारी अपनी आख्या एवं संस्तुति देंगे—

(क) क्या उस स्थान में संस्था के लिए वास्तविक आवश्यकता है ;

(ख) प्रबन्ध निकाय का संविधान, यदि कोई हो;

(ग) प्रबन्धक-मंत्री अथवा पत्र-व्यवहार करने वाले का नाम, जैसी स्थिति हो;

(घ) अध्यापकों की योग्यतायें तथा उनके वेतन की दरें;

(ङ) परीक्षा अथवा परीक्षायें जिसके लिए मान्यता अपेक्षित है;

(च) शिक्षण के विषय अथवा विषयों के नाम, संस्था जिनकी व्यवस्था करना चाहती है;

(छ) कक्षाओं तथा छात्रालयों में स्थान की व्यवस्था;

(ज) छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरंजन और अनुशासन तथा क्रीड़ा-क्षेत्र की व्यवस्था;

(झ) संस्था की वित्तीय स्थिति तथा आय के स्रोत एवं धनराशि;

(ञ) लिए जाने वाले शुल्क की दर तथा निर्धन छात्रों के प्रवेश के लिए प्राविधान यदि कोई हो;

(ट) प्रत्येक कक्षा अथवा कक्षा में खंड में छात्रों की संख्या;

(ठ) साज-सज्जा तथा उपस्कर का विवरण;

(ड) पर्याप्त पुस्तकालय का प्राविधान;

(ढ) विगत दो वर्षों का हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट परीक्षा का वर्षवार परीक्षाफल जिसमें सम्मिलित और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या और परीक्षाफल में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत, जहां संस्था ने उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार भेजे हों, दिया जायगा।

6--कोई अन्य सूचना जो परिषद् आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में मांगे, संस्था निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करेगी।

7--निरीक्षण प्राधिकारी अपनी आख्या प्रेषित करते समय यह उल्लेख करेगा कि उसके विचार से मान्यता दी जाय अथवा नहीं तथा किन विषयों में और किन शर्तों पर दी जाय।

8--प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगी--

(क) वह हाई स्कूल के सम्बन्ध में विभाग के निरीक्षक अधिकारियों द्वारा तथा इन्टरमीडिएट कालेज के सम्बन्ध में विभाग के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा जिनके साथ निदेशक औपचारिक निरीक्षण के लिए विनियम चार में उल्लिखित सूची में से एक अथवा अधिक व्यक्तियों को सहयुक्त कर सकता है निरीक्षण कराने को तैयार रहेगी।

(ख) समस्त सूचना तथा परिलेख, जो विभाग अथवा परिषद् द्वारा मांगे जायेंगे यथाविधि प्रस्तुत किये जायेंगे।

(ग) वह शिक्षा संहिता के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होते है तथा अधिनियम और विनियमों से असम्बद्ध नहीं है तथा विभाग द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार कार्य करेगी।

(घ) एक संस्था का संदान (एन्डाउमेन्ट) निम्न रूपों में हो सकता है:

(1) नकद (फिक्सड डिपाजिट) अथवा दसवर्षीय सुरक्षा जमा प्रमाण-पत्र अथवा दसवर्षीय ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण-पत्र अथवा इसी प्रकार के अन्य रूपों में जिनमें ब्याज वास्तव में प्रतिवर्ष दिया जाता है कई वर्षों के लिए एकत्र नहीं होने दिया जाता है। अथवा (2) अचर सम्पत्ति के रूप में जिसमें पर्याप्त आय होती हो। संदान की वार्षिक आय व

उपार्जित ब्याज संस्था का पोषण-कोष में प्रबन्ध द्वारा नियमित रूप से जमा किया जायगा। संदान संस्था के नाम में और समस्त भारों से मुक्त होना चाहिये। यदि नकद अथवा ऊपर के (1) में वर्णित रूपों में हो तो संदान सम्बन्धित निरीक्षक/निरीक्षिका के पद के नाम से प्रतिश्रुत (प्लेज्ड) किया जाना चाहिए। अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रबन्धक अथवा अन्य प्राधिकारी को, जो संस्था की ओर से सम्पत्ति को बेचने में सक्षम हो, सम्पत्ति का इकरार नामा निरीक्षक/निरीक्षिका के पक्ष में यह प्रण करते हुए करना होगा कि कथित सम्पत्ति प्राधिकारी की बिना लिखित आज्ञा के स्थानान्तरित अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रतिबन्धित नहीं की जायगी और इसी आशय का शपथ-पत्र भी लेना होगा।

टिप्पणी--इन संस्थाओं को जिनका संदान जमींदारी उन्मूलन बांडों के रूप में है, इस संशोधित विनियम के प्रारम्भ होने से पांच-पांच वर्ष का समय दिया जायगा, जिससे अब स्वीकृत रूपों में से किसी में धर्मस्व को पूरा कर दे।

(ङ) संस्था का आरक्षित कोष नकद अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में रहेगा तथा निरीक्षक अथवा निरीक्षिका के पद नाम से प्रतिश्रुति कर दिया जायगा।

*(च) जब तक कि शासन द्वारा किसी मामले विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा आदेश न दिये जायं, वह किसी प्रतिद्वन्दी परीक्षा (हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडिएट) के लिए परीक्षार्थियों को तैयार नहीं करेगी और न उनमें बैठने देगी, जबकि उसी प्रकार की तथा समान स्तर की परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित की जाती हो: यह शर्त मान्यता प्राप्त आंग्ल भारतीय विद्यालयों के सम्बन्ध में इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा पर लागू नहीं होगी।

(छ) वह छात्रालय-वासियों के स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं देख-भाल की तथा अपने परिसर की सफाई की सामान्यतः उचित व्यवस्था करेगी।

(ज) वह परिषद् की परीक्षाओं के संचालन के लिये परिषद्/विभाग द्वारा मांगे जाने पर अपने शिक्षक वर्ग, भवन एवं उपस्कर आदि को परिषद् के अधीन प्रस्तुत कर देगी।

(झ) बालिकायें, बालकों की संस्थाओं में निरीक्षक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना नहीं प्रविष्ट की जायेगी।

(ञ) वह बिना निरीक्षक/निरीक्षिका की अनुमति के कक्षायें विद्यालय सीमा के बाहर नहीं लगायेगी।

---

*राजाज्ञा संख्या मा/4670/पन्द्रह-7 (6)-1980, दिनांक 28 अगस्त, 1980 द्वारा संशोधित।

(ट) वह किसी वर्ग अथवा विषय में कक्षा नहीं खोलेगी जब तक कि षद से मान्यता न प्राप्त हो जाय।

यदि परिषद संतुष्ट हो कि एक संस्था मान्यता की सुपात्र है तो वह सचिव को आदेश देगी कि उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की उसके द्वारा रखी जाने वाली सूची में प्रविष्ट कर लें तथा सचिव संस्था और सम्बन्धित निरीक्षक/निरीक्षिका को सूचित करेगा कि किन-किन विषयों में किन शर्तों पर तथा किस परीक्षा के लिए उसे *मान्यता प्राप्त हुई है।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद साधारणतः उस संस्था को अपनी परीक्षाओं के लिए मान्यता देने से मना कर देगी जहां निदेशक ने अपनी संस्तुतियां रोक दी हों।

**10—कोई संस्था, जिसे परिषद द्वारा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परिषद की पूर्वानुज्ञा के बिना और तब तक बन्द नहीं किया जायगा, जब तक कि बन्द किए जाने के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व लिखित नोटिस, जिसमें संस्था को बन्द करने का कारण उल्लिखित किया जायगा, परिषद के सचिव को और उसकी एक प्रति निदेशक को रजिस्ट्री डाक से न भेज दी जाय। परिषद संस्था को ऐसी शर्तों पर बन्द किए जाने और संस्था के अभिलेख को किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, अन्तरित किए जाने की अनुज्ञा दे सकती है।

11—(क) जब निदेशक अधिनियम की धारा 16-छ के खंड की उपधारा (3) के अन्तर्गत किसी संस्था का मामला परिषद को उसकी मान्यता के प्रत्याहरण के लिए विचारार्थ भेजता है, तो परिषद, विभाग के द्वारा प्रबन्ध को कारण बताने को कहेगी कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाय।

(ख) विनियम 11 (क) के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रबन्ध के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात परिषद या तो उस संस्था का नाम मान्यता प्राप्त संस्था की सूची में से काट देगी अथवा सचिव को निदेशक के द्वारा उस संस्था के प्रबन्धक को चेतावनी देने का आदेश देगी कि जब तक परिषद द्वारा नियत अवधि के भीतर संस्था दोष अथवा दोषों को दूर नहीं करती है, उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में से काट दिया जायगा अथवा एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में मान्यता प्रत्याहृत कर ली जाएगी।

(ग) यदि ऊपर के विनियम 11 (ख) के अनुसार परिषद द्वारा नियत अवधि के भीतर अथवा इतने अतिरिक्त समय के भीतर जो उसके द्वारा दिया जाय, संस्था विभाग के द्वारा अनुपालन की आख्या देने में तथा परिषद् को यह आश्वस्त करने में कि वह यथावांछित हो रही है, असमर्थ होती है, तो परिषद् उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची से काट देगी अथवा एक अथवा अन्य वैकल्पिक विषयों म उसकी मान्यता का प्रत्याहरण कर लेगी।

12—परिषद्, निदेशक की संस्तुति पर, किसी अनुवर्ती तिथि पर किसी संस्था को मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में पुनः रख सकती है अथवा यदि मान्यता एक

---

*पाद टिप्पणी—मान्यता उसी तिथि से दी हुई समझी जाएगी जिस तिथि से जिला विद्यालय निरीक्षक लिखित रूप में कक्षा खोलने की अनुमति देते हैं।

**राजकीय असाधारण गजट में दिनांक 21 फरवरी, 1978 को प्रकाशित अधिसूचना सं० मा-8014/15-7-77-2 (31)-75, दिनांक 21 फरवरी, 1978 द्वारा सम्मिलित।

(ए) नवीन इंटरमीडिएट--

1--प्रभूत, सुरक्षित कोष तथा प्रशासन योजना के प्रतिबन्धों की पूर्ति [मान्यता के विषय पर विचार करने से पूर्व ही हो जाय।

2--इण्टरमीडिएट के आवेदन-पत्रों पर तब विचार किया जायगा जब हाई स्कूल में आवेदित वर्ग में कम से कम दो उप विभाग हो अथवा विद्यालय में कम से कम 400 छात्र (पहाड़ी क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 250 छात्र/छात्रायें तथा अविकसित क्षेत्र के विद्यालयों में 300 छात्र/छात्रायें मान्य होंगे) अथवा पिछले परीक्षाफल से यह निष्कर्ष निकलता हो कि कक्षा 11 में उसी विद्यालय से कम से कम 40 छात्र उपलब्ध हो जावेंगे (पहाड़ी क्षेत्र और अविकसित क्षेत्रों के विद्यालयों हेतु यह संख्या 25 से कम नहीं होगी)।

3--गत दो वर्षों का हाई स्कूल का आवेदित वर्ग का औसत परीक्षाफल 45 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम न हो तथा विद्यालय का सभी वर्गों को मिलाकर कुल औसत परीक्षाफल 45 प्रतिशत से (सभी प्रविष्टि और उनमें से उत्तीर्ण सभी छात्रों को आधार मान कर) कम न हो।

4--पिछले सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति हो चुकी हो।

5--सज्जा हेतु 5,000 रु0 निरीक्षक के पद में प्लेज किया जाय अथवा कम से कम 80 नई सिंगिल सीटेड डेस्क व कुर्सियां हों।

6--2,000 रु0 की शिक्षण सामग्री हो अथवा इसके लिये 2,000 रु0 निरीक्षक के पद में प्लेज हो।

7--पुस्तकालय के लिये (हाई स्कूल के अतिरिक्त) 5,000 रु0 निरीक्षक के पद में प्लेज किया जाय अथवा इतने ही मूल्य की सम्बन्धित विषयों की उच्च स्तरीय पुस्तकें हों। इसके अतिरिक्त इन्टरमीडिएट कक्षाओं के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिये 750 रु0 की पुस्तकों का प्राविधान किया जाना चाहिये।

8--यदि कोई विषय ऐसे मांगे गए हैं, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य आवश्यक हो तो उसके हेतु साज-सज्जा या धन की समुचित व्यवस्था हो।

(ए) इन्टरमीडिएट वैज्ञानिक वर्ग--

1--हाई स्कूल की प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त प्रयोगात्मक विषयों में अलग-अलग प्रयोगशालाओं एवं संलग्न कक्षों की पूर्ण व्यवस्था हो।

2--हाई स्कूल के लिये यंत्रादि के अतिरिक्त इंटरमीडिएट के लिये निर्धारित यंत्रादि क्रय किए जा चुके हों अथवा परिषद् द्वारा निर्धारित धनराशि निरीक्षक के पद में प्लेज हो।

(ओ) इन्टरमीडिएट (रचनात्मक वर्ग)--

1--हाई स्कूल की व्यवस्था के अतिरिक्त प्रत्येक शिल्प के लिये एक प्रयोगशाला तथा न्यूनतम शिक्षण सामग्री की सूची के अनुसार निर्धारित शिक्षण सामग्री की व्यवस्था अथवा उसके लिये परिषद् द्वारा निर्धारित धन निरीक्षक के पद में प्लेज हो।

(औ) इन्टरमीडिएट गृह विज्ञान--

1--एक प्रयोगशाला 54 वर्ग मीटर या 9 मी0 $\times$ 6 मी0 की।

2--एक प्रयोगशाला 48 वर्ग मीटर या 8 मी0 $\times$ 6 मी0 की।

3--दो स्टोर रूम प्रत्येक 4 मी0 $\times$ 3 मी0 माप के या 12 वर्ग मीटर।

हाई स्कूल अतिरिक्त विषय/विषयों की मान्यता हेतु उस वर्ग का जिसमें कि मान्यता आवेदित हो, विगत दो वर्षों का औसत परीक्षाफल 45 प्रतिशत तथा विद्यालय का सभी वर्गों का मिलाकर कुल औसत परीक्षाफल 45 प्रतिशत से कम न हो। इन्टरमीडिएट में अतिरिक्त वर्ग की मान्यता हेतु उस वर्ग के हाई स्कूल का औसत परीक्षाफल 45 प्रतिशत तथा विद्यालय का सभी वर्गों का मिलाकर कुल औसत परीक्षाफल 45 प्रतिशत से कम न होगा और इन्टरमीडिएट अतिरिक्त विषय/विषयों की मान्यता हेतु इन्टरमीडिएट के उस वर्ग का जिसमें मान्यता आवेदित हो, परीक्षाफल 45 प्रतिशत हो तथा विद्यालय का सभी वर्गों का मिलाकर कुल औसत परीक्षाफल 45 प्रतिशत से कम न होगा। परीक्षाफल विगत दो वर्षों का केवल मुख्य परीक्षा का देखा जायेगा न कि पूरक परीक्षा का।

5––जिन परीक्षा केन्द्रों में 5 प्रतिशत या 25 (जो भी अधिक हो) से अधिक परीक्षार्थी सामूहिक नकल प्रयोग के कारण दण्डित हुए हैं, उनको नकल होने के वर्ष से आगे के दो वर्षों तक कोई मान्यता नहीं दी जायेगी।

6––देहाती क्षेत्र में 5 किलोमीटर की दूरी में तब तक किसी विद्यालय को हाई स्कूल तथा इन्टर के किसी वर्ग में मान्यता नहीं दी जायेगी जब तक उस क्षेत्र के पूर्व मान्यताप्राप्त विद्यालय/विद्यालयों में हाई स्कूल तथा इन्टर में उस वर्ष में दो उप विभाग न हो जाय।

7––उन विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जायेगा जहां शासकीय अनुदान का दुरुपयोग किया जा रहा हो अनुशासनहीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो। प्राधिकार नियंत्रक या प्रशासक नियुक्त हो जाने के बाद अगले सत्र में ऐसी संस्थाओं को आगामी मान्यता देने पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

8––ऐसी संस्थाओं को मान्यता दिये जाने के आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा जिनमें अनधिकृत अथवा अमान्य कक्षायें चल रही हों या जिन्होंने परिषद की लिखित और विधिवत् आज्ञा के पूर्व ही कक्षा संचालन प्रारम्भ कर दिया हो।

9––हाई स्कूल की नवीन मान्यता सर्वप्रथम 8 विषयों में दी जावेगी। 8 विषयों के बाद 9वीं तथा 10वीं कक्षा में पृथक–पृथक 50 छात्रों के ऊपर प्रति 10 छात्र पर एक विषय के अनुपात से अतिरिक्त विषयों की मान्यता दी जा सकती है। इन्टरमीडिएट को नवीन मान्यता सर्वप्रथम केवल 6 विषयों में प्रदान की जावेगी किन्तु कोई विद्यालय हाई स्कूल में (उस वर्ग में जिसमें इन्टरमीडिएट की नवीन मान्यता आवेदित हो) 8 या 8 से अधिक विषयों में मान्यता–प्राप्त हो और उस विद्यालय की उस वर्ग की कक्षा 9 तथा 10 की छात्र संख्या पृथक–पृथक 40 से कम न हो तो उस विद्यालय को 8 विषयों में इन्टरमीडिएट की नवीन मान्यता प्रदान की जा सकती है। 6 विषयों के बाद 11वीं तथा 12वीं कक्षा में पृथक–पृथक 40 छात्रों के ऊपर प्रति 10 छात्र पर एक विषय के अनुपात से अतिरिक्त विषयों की मान्यता दी जा सकती है किन्तु भाषा से सम्बन्धित विषयों एवं गृह–विज्ञान तथा संगीत विषयों में छात्र संख्या के इस प्रतिबन्ध को कुछ सीमा तक शिथिलीकृत किया जा सकता है। इन्टरमीडिएट की मान्यता उन्हीं विषयों में प्रदान की जावेगी जो विषय उस विद्यालय में हाई स्कूल स्तर पर मान्यताप्राप्त हैं अथवा सीधे इन्टरमीडिएट स्तर पर संचालित होते हैं।

10––विद्यालयों को एक बार में केवल एक ही वर्ग में मान्यता दी जायेगी।

11––उपरोक्त के अतिरिक्त परिषद् के नियम संग्रह (कैलेन्डर) के अध्याय सा के विनिय[redacted]र्धारित सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति आवश्यक होगी। ये नियम प[redacted]

द्वारा पूर्व निर्धारित अन्य शर्तों के यदि वे इन नियमों के प्रतिकूल न हो अतिरिक्त होंगे ।

12—जिस वर्ष कक्षा खोलने हेतु मान्यता आवेदित हो उस वर्ष की 31 जनवरी के बाद उपरोक्त किन्हीं भी प्रतिबन्धों की पूर्ति की दिशा में की गई प्रगति पर मान्यता देते समय विचार नहीं किया जायेगा । प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक मान्यता के समस्त प्रकरणों पर निस्तारण प्रत्येक दशा में कर लिया जायेगा । 30 जून के पश्चात् मान्यता के किसी प्रकरण पर विचार नहीं किया जावेगा ।

13—पूर्व प्रदत्त किसी वर्ग/विषय की मान्यता जिसमें कक्षा संचालित न की गई हो । अथवा कुछ समय तक कक्षा संचालित करने के बाद बन्द कर दी गई हो तो कक्षा संचालित न करने की दशा में मान्यता पत्र निर्गत होने के दो वर्ष तक और यदि कक्षा संचालित करने के बाद बन्द कर दी गई हो तो कक्षायें बन्द होने के दो वर्ष तक ही प्रभावी रहेगी । इस अवधि में यदि नियमानुसार निरीक्षण अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर कक्षायें संचालित नहीं की जाती तो प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझा जावेगी ।

14—छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी वर्ग में प्रदत्त मान्यता के वैकल्पिक विषयों में जिसमें शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री, साज-सज्जा आदि की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं हो, एक या एक से अधिक वैकल्पिक विषयों का उसी वर्ग के अन्तर्गत समान वैकल्पिक विषय/विषयों में परिवर्तन सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जा सकता है । किन्तु ऐसे विषय परिवर्तन की अनुमति मान्यता-पत्र निर्गत होने के एक वर्ष तक ही प्रदान की जा सकती है ।

टिप्पणी—उपर्युक्त मानकों में उल्लिखित "पर्वतीय तथा अविकसित क्षेत्र" के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र माने जावेंगे :—

1—पर्वतीय क्षेत्र—अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी-गढ़वाल तथा पौड़ी-गढ़वाल जनपदों का सम्पूर्ण क्षेत्र नैनीताल जनपद में तराई क्षेत्र को छोड़कर शेष भाग तथा देहरादून जनपद की केवल चकराता तहसील ।

2—अविकसित क्षेत्र—

(क) बुन्देलखण्ड ।

(ख) इलाहाबाद, इटावा, आगरा तथा मथुरा जनपदों के ग्रामीण अंचल का ट्रांस यमुना क्षेत्र ।

(ग) मिर्जापुर जनपद का वह क्षेत्र जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है ।

(घ) मिर्जापुर जनपद में राबर्ट्सगंज का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में है ।

(ङ) मिर्जापुर जिले में तहसील सदर के टप्पा-उपरोध और टप्पा-चौरासी बालाय पहाड़ ।

(च) मिर्जापुर जनपद के परगना सक्तगढ़ और चुनार के परगना अहरौरा और भागवत की पहाड़ी पट्टियों के ग्राम ।

अध्याय-आठ

वित्त-समिति

1--वित्त समिति परिषद् के वित्त सम्बन्धी समस्त मामलों में परामर्शदात्री निका के रूप में कार्य करेगी।

2--उसमे निम्नलिखित होंगे--

(क) परिषद् का एक सदस्य जो राज्य विधान सभा का सदस्य हो-संयोजक।

(ख) परिषद् के छः सदस्यों जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाये कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधा (2) में विनिर्दिष्ट छः श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम ए सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाय।

(ग) परिषद् का सचिव उसका पदेन सदस्य-सचिव होगा।

3--वित्त समिति, परिषद् के विचारार्थ, विभिन्न परीक्षाओं और परीक्षाओं सम्बन्धित अन्य बातों के लिए वसूल किये जाने वाले शुल्क के लिए संस्तुति करेगी।

4--वित्त समिति, परिषद् के विचारार्थ, परिषद् के विभिन्न लाभकारी कार्यों लिये पारिश्रमिक दर की भी संस्तुति करेगी।

5--वित्त समिति परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये परिषद् सम्बन्धी कि अन्य वित्तीय मामले के सम्बन्ध में विचार करेगी और अपनी संस्तुति देगी।

अध्याय-नौ

पाठ्य र्या-समिति

1--पाठ्यचर्या समिति में निम्नलिखित होंगे :--

(1) परिषद् के छः सदस्य जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाय कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की, उपधारा में विनिर्दिष्ट छः श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम एक सदस्य प्रतिनिधित्व हो जाय।

(2) विभाग के विशेषज्ञीय संस्थाओं के निदेशक/प्रधानाचार्य और राष्ट्री शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रतिनिधि जो परिषद् सदस्य हो।

*(3) उन विषयों से भिन्न जिनमें निर्वाचन के पूर्ववर्ती वर्ष में रजिस्ट्रीय उम्मीदवारों की संख्या में पचास हजार से कम हो, विभिन्न पाठ्यक्रम समिति के संयोजक, परन्तु वे परिषद् के सदस्य हों।

---

*दिनांक 14 मई, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् 9 104, दिनांक 4 मई, 1983 द्वारा संशोधित।

(4) परिषद् का सचिव पदेन सदस्य–सचिव के रूप में।

2—परिषद् की स्वीकृति और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, पाठ्यचर्या समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :—

(क) परिषद् की प्रत्येक परीक्षा के लिए अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों की कुल संख्या पर विचार करना।

(ख) हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट सोपानों के पाठ्यक्रमों के स्तर को सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना।

(ग) इण्टरमीडिएटपरीक्षा के लिये ऐसी पाठ्यचर्या की संस्तुति करना जिससे कि विश्वविद्यालय और व्यावसायिक दोनों का मार्ग प्रदर्शन हो सके।

(घ) नये विषयों को सम्मिलित करने और विद्यमान विषयों को निकालने के प्रस्तावों पर विचार करना।

(ङ) विषयों का वर्ग बनाने और एक वर्ग को दूसरे से परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार करना।

(च) सम्बद्ध पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक विषय में बनाये जाने वाले प्रश्न पत्रों की संख्या निश्चित करना और प्रत्येक प्रश्न–पत्र के लिये समयावधि निश्चित करना।

(छ) सम्बद्ध पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक विषय और किसी विषय के प्रत्येक भाग के लिये अधिकतम और न्यूनतम अंक प्रस्तावित करना।

(ज) सम्बद्ध पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् विभिन्न विषयों में लिखित परीक्षा के विस्तार की सीमा की संस्तुति करना।

(झ) शिक्षा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम समितियों की संस्तुति पर विचार करना; और

(ञ) संस्था के अध्यापकों, संस्था के प्रधानों और अन्य कर्मचारियों के लिये न्यूनतम अर्हतायें विहित करना।

अध्याय–दस

महिला शिक्षा समिति

*1—महिला शिक्षा समिति में परिषद् की समस्त महिला सदस्य होंगी तथा विनियम की धारा 3 की उपधारा (ब) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट विभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका समिति की संयोजिका होगी। इसकी बैठकों में युक्त शिक्षा निदेशिका (महिला), उ० प्र० विशेष रूप से आमन्त्रित होगी।

---

*दिनांक 14 मई, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्/9—04, दिनांक 4 मई, 1983 द्वारा संशोधित।

2—महिला शिक्षा समिति, महिलाओं की शिक्षा से सम्बन्धित विषयों या ऐसे मामलों में परिषद् को परामर्श देगी, जो उसे परिषद् या उसकी किसी समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायें।

अध्याय—ग्यारह

छात्रों का निवास

1—जहां आवास उपलब्ध है, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था का प्रत्येक छात्र उसके द्वारा व्यवस्थित छात्रावास में अथवा संस्था के प्रधान द्वारा मान्यता प्राप्त छात्रावास में अथवा माता-पिता अथवा अभिभावक के साथ निवास करेगा।

2—जहां किसी मान्यता प्राप्त छात्रावास में आवास उपलब्ध नहीं है, संस्था का प्रधान किसी छात्र अथवा छात्रों को वासगृहों में, जो उनके व्यवस्थापकों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छात्रों के लिये आरक्षित हों, निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निवास करने की अनुमति दे सकता है :—

(क) कि वासगृहों का सम्बन्धित संस्था के प्रधान अथवा उस कार्य के लिये नियुक्त किसी अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है, तथा

(ख) कि व्यवस्थापक छात्रों की देखभाल के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्था अथवा संस्थाओं के प्रधान अथवा प्रधानों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुकूल चलने को तैयार हैं।

अध्याय—बारह

परीक्षाओं सम्बन्धी सामान्य विनियम

1—परिषद् निम्नलिखित परीक्षाएं संचालित करेगी—

(क) हाई स्कूल परीक्षा,

(ख) इण्टरमीडिएट परीक्षा,

(ग) हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा, तथा

(घ) इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा।

2—परिषद् की परीक्षाएं ऐसे केन्द्रों पर तथा उन तिथियों पर तथा ऐसे समय पर होंगी जो परिषद् समय-समय पर निश्चित करेगी।

3—परिषद् की परीक्षाओं के परीक्षण अंशतः मौखिक तथा अंशतः क्रियात्मक तथा अंशतः लिखित होंगे। मौखिक तथा क्रियात्मक परीक्षण परीक्षा-समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित ढंग से परिषद् द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा संचालित किये जायेंगे। लिखित परीक्षण प्रश्न-पत्रों द्वारा होंगे तथा प्रश्न-पत्र केन्द्र पर, जहां परीक्षा हो रही हो, एक साथ दिये जायेंगे।

(चार) सचिव संस्थागत परीक्षार्थियों के उपयोग हेतु आवेदन-पत्र उपलब्ध करा की व्यवस्था करेगा तथा सामान्य प्रक्रिया से विलम्ब होने की स्थिति में वह ऐसी कार्यवा करेगा जो तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुये उचित समझे ।

(पांच) संस्था का प्रधान आवेदन-पत्रों एवं सचिव द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्रों साथ सचिव को यह देखते हुय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र भेजेगा :

(क) कि संस्था में बालक/बालिका का प्रवेश शिक्षा संस्था के नियमों त परिषद् के विनियमों के अनुसार है।

(ख) कि उसमें एक मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन का एक नियमि पाठ्यक्रम पूर्ण किया है ।

(ग) कि उसने पाठ्य विवरण में निर्धारित प्रयोग वास्तविक रूप किये हैं ।

(छः) एसे छात्रों को जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संस्था परीक्षार्थियों के रूप में दो बार अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, पुनः किसी संस्था में प्रवेश अनुमति नहीं दी जायेगी ।

उपस्थिति

*5--(एक) मान्यता प्राप्त संस्था प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 220 का दिवसों में खुली रहेंगी, जिनमें परीक्षाओं तथा पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलाप के दिवस सम्मिलित हैं, प्रतिबन्ध यह है कि "पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना" अन्तर्गत पंजीकृत छात्र के सम्बन्ध में कार्य दिवसों को उपर्युक्त संख्या 75 कार्य दि होगी तथा इसके साथ सम्बन्धित छात्र को पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा प्रेषित पा सामग्री को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन करना होगा ।

(दो) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा कोई छात्र हाई स्कूल परीक्षा लिये प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जब तक यह दो शैक्षिक वर्षों के दरम्यान प्रत्येक विषय जिसमें उसे परीक्षा में सम्मिलित होना है वादनों की निर्धारित/आवंटित कुल संख्या जिसमें क्रियात्मक कार्य के वादन भी सम्मिलित होंगे कम से कम 75 प्रतिशत वादनों उपस्थित न रहा हो ।

पुनश्च--आंग्ल भारतीय विद्यालयों से आने वाले छात्रों के सम्बन्ध में 75 प्रति उपस्थिति परीक्षा से पूर्व के वर्ष की प्रथम जनवरी से परिगणित की जायेगी ।

(तीन) मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा कोई भी छात्र इण्टरमीडिएट परीक्षा के लि प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दो शैक्षिक वर्षों में प्रत्येक विषय में जि

---

*दिनांक 11 अक्तुबर, 1986 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परि 9/231, दिनांक 24 जुलाई, 1986 द्वारा संशोधित ।

उसकी परीक्षा होनी है, दिये जाने वाले व्याख्यानों में से (जिसमें क्रियात्मक कार्य, यदि कोई हो, के घंटे भी सम्मिलित हैं) कम से कम 75 प्रतिशत में सम्मिलित न हुआ हो।

कृषि वर्ग के साथ इन्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में उपस्थिति का प्रतिशत भाग-एक तथा दो के लिये अलग-अलग परिगणित किया जायेगा।

टिप्पणी--काउन्सिल फार दी इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित इन्डियन सर्टिफिकेट आफ सेकेन्डरी एजूकेशन परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों की उपस्थिति की गणना परीक्षा के पूर्व के वर्ष की पहली जनवरी से परिगणित की जायेगी। [राजाज्ञा संख्या मा0/5190/15-7-12 (249) 76, दिनांक 28 अक्तूबर, 1977।]

(चार) परिगणन के लिये एक घंटे के व्याख्यान को एक व्याख्यान, दो घंटे के व्याख्यान को दो व्याख्यान और इसी प्रकार परिगणित किया जायेगा। क्रियात्मक कार्य में लगा एक घंटा एक व्याख्यान के रूप में परिगणित होगा। घंटे का तात्पर्य स्कूल अथवा कालेज के समय चक्र में शिक्षण के घंटे से है।

(पांच) ऊपर के खण्ड (दो) और (तीन) में संदर्भित दो शैक्षिक वर्षों का क्रमिक होना आवश्यक नहीं है। यह संस्थाओं के प्रधानों के विवेकाधिकार पर छोड़ा जाता है कि वे उन छात्रों की उपस्थिति, जिन्होंने कक्षा 9 अथवा 11 में एक से अधिक वर्ष पढ़ा है, कक्षा 10 अथवा 12 की उपस्थिति के साथ किसी एक वर्ष की उपस्थिति को परिगणित कर लें। उन छात्रों को, जिन्हें एन0 सी0 सी0, पी0 एस0 डी0 अथवा प्रादेशिक सेना के शिविर अथवा क्रीड़ा दल, बालचर रैलियाँ अथवा सेन्ट जान एम्बुलेन्स शिविर और प्रतियोगितायें अथवा ग्रामों में कृषि विस्तार सेवा अथवा शैक्षिक परिभ्रमण, में जाने की अनुमति दी जाती है, कक्षा में उपस्थिति के लिये वांछित लाभ दिया जायेगा।

पुनश्च--(1) इस विनियम के अन्तर्गत कक्षा के उपस्थिति का समस्त लाभ उपस्थिति अथवा व्याख्यान पंजिका में इस संबंध की टिप्पणी सहित दिखाना चाहिये। इस प्रकार के लाभ के समस्त लेखे भली-भांति रखे जाने चाहिये।

(2) चुने हुये छात्रों के वर्ग के लिये तथा पूरी कक्षा के लिये नहीं लगाई गई विशेष कक्षा की उपस्थिति के लाभ की अनुमति न होगी।

(छः) परिषद् की हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा निरुद्ध छात्रों के संबंध में केवल एक शैक्षिक वर्ष का प्रतिशत परिगणित किया जायेगा उस शैक्षिक वर्ष की उपस्थिति जिसके अन्त में छात्र परीक्षा में बैठना चाहता है, परिगणित की जायेगी।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन छात्रों की दशा में जिन्होंने परिषद् की हाई स्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन न किया हो, परन्तु जिनके नाम संस्था की उपस्थिति पंजी में हो अथवा प्रार्थना-पत्रों के प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् भी परिषद् की परीक्षा में सम्मिलित न हुये हों, दो शैक्षिक वर्षों का प्रतिशत परिगणित किया जायेगा।

'निरुद्ध' का तात्पर्य किसी भी कारण से हाई स्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में रोके जाने से है।

(सात) छात्र द्वारा इस परिषद् के अधिक्षेत्र से बाहर किसी संस्था में परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा की तैयारी में अर्जित उपस्थिति हाई

स्कूल परीक्षा के लिये उपस्थिति के प्रतिशत की गणना में परिगणित कर ली जायेगी।

(आठ) हाई स्कूल परीक्षा में अंकों की संनिरीक्षा के फलस्वरूप सफल घोषित छात्र के सम्बन्ध में प्रथम शैक्षिक वर्ष संनिरीक्षा का परिणाम सूचित किये जाने के दस दिन पश्चात् प्रारम्भ हुआ समझा जायेगा।

*(नौ) (क) (ख) विखण्डित।

टिप्पणी--इस परिषद् अथवा अन्य किसी समकक्ष परीक्षा निकाय के रुके हुये परीक्षाफल के घोषित होने के बाद किसी मान्यताप्राप्त संस्था के कक्षा ग्यारह में प्रवेश पाने वाले छात्र की उपस्थिति की गणना भी परीक्षाफल घोषित होने के दसवें दिन से होगी।

(दस) कोई छात्र, जो विनियम 4, अध्याय चौदह में उल्लिखित किसी संस्था द्वारा मान्यताप्राप्त अथवा संबद्ध कालेज से सत्र के किसी भाग में रहा है, परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कालेज म प्रविष्ट हो सकता है और उन कालेज में उसकी उपस्थिति के व्याख्यान इन्टरमीडिएट परीक्षा में वांछित उपस्थिति के प्रतिशत के लिये परिगणित कर लिये जायेंगे।

(ग्यारह) मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्रधानों को नितान्त असन्तोषजनक कार्य करने वालों को छोड़ कर परीक्षार्थियों को रोकने की अनुमति नहीं है, जिन्होंने परिषद की किसी परीक्षा में प्रवेश की शर्तों को पूरा कर लिया है।

> प्रतिबन्ध यह है कि इस विनियम के अन्तर्गत कक्षा की पूरी संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक छात्र नहीं रोके जायेंगे। मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्रधान छात्रों को रोकने के अधिकार का प्रयोग लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने से तीन सप्ताह पूर्व तक कर सकते हैं और उनके इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी। मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्रधान, [सचिव] को एक बार स्थिति की सूचना देने के पश्चात् अपने निर्णय को संशोधित नहीं करेंगे।

(बारह) ऊपर के खंड (ग्यारह) के सम्मिलित शर्तों के होते हुये भी मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्रधान ऐसे छात्रों को परिषद् की होने वाली परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं, जो शरीर शिक्षा, एन० सी० सी० अथवा पी० एस० डी० के लिये दिये हुये समस्त सामान तथा वर्दियां नहीं लौटाते हैं अथवा उनके खो जाने पर परिषद् की परीक्षा से पूर्व 15 फरवरी तक उनका मूल्य नहीं दे देते हैं।

(तेरह) न्यूनतम उपस्थिति के नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा, किसी मान्यताप्राप्त संस्था का प्रधान उपस्थिति की कमी का मर्षण अधिकतम--

> (क) हाई स्कूल परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिये 10 दिन का और
>
> (ख) इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिये प्रत्येक विषय में दिये गये 10 व्याख्यान (क्रियात्मक कार्य के घंटों सहित, यदि हो) कर सकता है, ऐसे समस्त मामलों की सूचना, जिनमें इस विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को परिषद् के सभापति के रूप में दी जायेगी।

---

*राजकीय गजट भाग-चार दिनांक 21 जुलाई, 1984 में विज्ञप्ति सं० परिषद्-9 221, दिनांक 16 जुलाई, 1984 द्वारा संशोधित।

तथापि उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में, जिनकी केवल एक वर्ष की उपस्थिति की परिगणित होनी है, मर्षण की यह सीमा केवल आधी, अर्थात् पांच दिन अथवा पांच व्याख्यान जैसी स्थिति हो, रह जायगी।

पुनश्च---(क) 75 प्रतिशत दिन अथवा व्याख्यान, जिनमें एक परीक्षार्थी को उपस्थित रहना है अथवा (ख) उसकी उपस्थिति में कमी परिगणित करने में एक दिन अथवा व्याख्यान को भिन्न पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये।

विषय-परिवर्तन

6---मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान कक्ष 9 अथवा 11 में एक ही वर्ग में अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विषय परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं। हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडिएट का पाठ्यक्रम प्रत्येक विषय में दो वर्ष का होने के कारण कक्षा 10 अथवा 12 में एक ही वर्ग में विषय अथवा विषयों के अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग के परिवर्तन की साधारणतया अनुमति नहीं दी जाती है, परन्तु विशेष स्थितियों में, मुख्य रूप से अनुत्तीर्ण अथवा रोके गये परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परिवर्तन की आज्ञा दी जा सकती है और इस प्रकार ऐसे मामलों की सूचना परिषद् को कारणों सहित दी जानी चाहिए। एक से अधिक विषय परिवर्तित करने की आज्ञा बहुत ही कम दी जानी चाहिए। परीक्षार्थी के एक विषय की उपस्थिति, जिसे वह बाद में संस्था के प्रधान की अनुमति से परिवर्तित करता है नए विषय की उपस्थिति के साथ नए विषय में उसकी उपस्थिति का प्रतिशत परिगणित करने के लिए परिगणित की जायेगी। परीक्षा में बैठने का आवेदन-पत्र सचिव के पास अग्रसारित कर देने के पश्चात् विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

छात्रों का प्रवेश एवं प्रोन्नति

7---कोई छात्र जिसने, कभी किसी मान्यताप्राप्त संस्था में शिक्षा नहीं पाई है अथवा जिसने कक्षा 10 में प्रोन्नत होने से पूर्व मान्यताप्राप्त संस्था को छोड़ दिया, परन्तु जिसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में हाई स्कूल परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हो गई है और उसमें बैठ नहीं सका, कक्षा 10 में प्रवेश का पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार कोई छात्र जिसने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् मान्यताप्राप्त संस्था में अध्ययन नहीं किया अथवा कक्षा 12 में प्रोन्नत होने से पूर्व जिसने मान्यताप्राप्त संस्था को छोड़ दिया, परन्तु जिसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में इन्टरमीडिएट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हो गई और उसमें बैठ नहीं सका, कक्षा 12 में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

*7-क---मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान का छात्रों को कक्षा 9 से 10 तथा/अथवा कक्षा 11 से 12 में प्रोन्नत करने का निर्णय प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के अन्त तक अन्तिम रूप से हो जायेगा।

---

*दिनांक 11 अप्रैल, 1987 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद् 9/927, दिनांक 16 फरवरी, 1987 द्वारा सम्मिलित तथा राजाज्ञा संख्या 1799/15-7/79-15(1)/89, दिनांक 10 अप्रैल, 1989 द्वारा पुनः निम्नवत् संशोधित :

7(क) मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान का छात्र को कक्षा 9 से 10 में अथवा 11 से 12 में प्रोन्नति करने का निर्णय प्रत्येक वर्ष के जून के अन्त तक अंतिम रूप से हो जायेगा।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी प्रवेश के नियम

8--व्यक्तिगत परीक्षार्थी अर्थात् परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था में निर्धारित और अपेक्षित उपस्थिति के बिना परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों पर परिषद् की परीक्षा मे बैठने के पात्र होंगे--

(एक) कोई व्यक्ति जो व्यक्तिगत, परीक्षार्थी के रूप में बैठना चाहता है, आगामी परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व 14 अगस्त तक एक आवेदन-पत्र परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क सहित उस संस्था के प्रधान द्वारा, जो परीक्षा का पंजीकरण केन्द्र है, सचिव के पास प्रेषित करेगा । आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र परीक्षार्थी द्वारा विधिवत् भरा जाना चाहिए, जिसमें उसके द्वारा लिये जाए वाले विषयों का स्पष्ट उल्लेख हो । आवेदन-पत्र निम्नलिखित के साथ सचिव को उनके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रेषित किया जायेगा :

(क) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए विनियम-1 अध्याय चौदह में वर्णित अथवा हाई स्कूल परीक्षा के लिए विनियम 10(1) (अ) (एक) अध्याय बारह में वर्णित किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र की यथार्थ प्रतिलिपि।

(ख) परीक्षार्थी की अन्तिम संस्था, यदि कोई हो, द्वारा ली गई छात्र पंजी की मूल प्रति ।

*(ग) जिस श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए शिक्षा विभागीय पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित हो उनको पत्राचार पाठ्यक्रम के अनुसरण के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र की यथार्थ प्रतिलिपि जो परीक्षा की तिथि पर वैध और मान्य हो ।

उन संस्थाओं के प्रधान जो परिषद् की परीक्षाओं के पंजीकरण केन्द्र हैं, ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र जो पात्र हैं, जांच करके तथा सचिव द्वारा विहित प्रपत्रों को पूर्ति करके उनके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से अग्रसारित करेंगे । अपूर्ण अथवा अशुद्ध अथवा अनर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों को अग्रसारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा, तथा इसकी सूचना परिषद् को दी जायेगी, अग्रसारण अधिकारी परीक्षा में बैठने वाले पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र इस प्रकार अग्रसारित करेंगे कि परीक्षाओं की तिथि से पूर्व प्रत्येक दशा में अधिक से अधिक 14 सितम्बर तक पहुंच जाय । इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा । अपूर्ण एवं अशुद्ध तथा विलम्ब से आवेदन-पत्र तथा अन्य निर्दिष्ट पत्रजात प्रेषित करने वाले, अग्रसारण अधिकारियों के विरुद्ध परिषद् को जैसा कि वह निर्णय करें कार्यवाही (जिसमें अग्रसारण पारिश्रमिक में कटौती भी सम्मिलित है) करने का अधिकार होगा, अभिप्रेत व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो कहीं सेवा में हैं, अग्रसारित कराने से पूर्व अपने अधिकारियों से उन्हें प्रमाणित करायेंगे । तथ्यों को छिपाना अपराध होगा और इससे परीक्षाफल निरस्त किया जा सकता है ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करने की विधि :

(दो) व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए परिषद् की किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति हेतु निर्धारित आवेदन पत्रों की प्रतियां नियत मूल्य देकर सीधे

---

*दिनांक 8 अक्तूबर, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-9/446, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 द्वारा संशोधित ।

उत्तर प्रदेश के उस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करनी चाहिए-जिसमें परीक्षार्थी परीक्षा में बैठना चाहता है ।

(तीन) विशेष दशाओं में अग्रसारण अधिकारी 25 रुपया विलम्ब शुल्क के रूप में लेकर 31 अगस्त तक आवेदन-पत्र ले सकते हैं परन्तु उनके द्वारा यथाविधि परीक्षित तथा हस्ताक्षरित हो कर आवेदन-पत्र सचिव के पास अधिक से अधिक 14 सितम्बर तक अवश्य पहुंच जाने चाहिये ।

(चार) व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी भी दशा में आवेदन-पत्र सचिव को सीधे नहीं भेजेंगे । सचिव द्वारा सीधे प्राप्त समस्त आवेदन-पत्र रद्द समझे जायेंगे ।

अग्रसारण अधिकारियों का पारिश्रमिक--

*9--ऐसी संस्था के प्रधान जो परिषद् की परीक्षा का पंजीकरण केन्द्र हैं, अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति को इस प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किये जायें, इस अध्याय के विनियम-8 में विहित विधि से आवेदन-पत्र को समय से प्राप्ति, विहित अर्हताओं तथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र आदि की जांच तथा समय से प्रेषणा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे । इस हेतु उन्हें चार रुपये प्रति परीक्षार्थी की दर से पारिश्रमिक देय होगा । जिसमें से वे 1 रुपये 50 पैसे प्रति परीक्षार्थी की दर से उपर्युक्त कार्य में अपनी सहायता करने वाले व्यक्ति को देंगे ।

अग्रसारण अधिकारी आवेदन-पत्र सचिव को भेजने के पश्चात् पारिश्रमिक पावना पत्र सचिव को भेजेंगे । उपर निर्दिष्ट कार्य में अशुद्धता अथवा विलम्ब आदि के लिये अग्रसारण अधिकारी के पारिश्रमिक में कटौती अथवा उनके विरुद्ध अन्य दण्डात्मक कार्यवाही परिषद् द्वारा की जा सकेगी ।

अग्रसारण अधिकारी परीक्षार्थी से किसी प्रकार का अग्रसारण शुल्क नगद नहीं लेंगे । परीक्षार्थियों से परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क चन्दा अथवा दान नहीं लिया जायेगा ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की पात्रता

10--(1) (क) हाई स्कूल परीक्षा में केवल निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग के व्यक्तिगत परीक्षार्थी ही बैठ सकेंगे :

(एक) वे परीक्षार्थी, जिन्होंने निम्नलिखित में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो इस प्रतिबन्ध के साथ कि कथित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो शैक्षिक वर्ष बीत चुके हैं :--

(क) जूनियर हाई स्कूल परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश में संचालित वह परीक्षा जो पहले हिन्दुस्तानी मिडिल परीक्षा कहलाती थी अथवा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अथवा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा ।

(ख) परिषद् अथवा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यताप्राप्त उच्चतर विद्यालय की कक्षा 8 की परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश या उसके बाहर स्थित

*दिनांक 14 मई, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद्-9/104, दिनांक 4 मई, 1983 द्वारा संशोधित ।

समान्य विद्यालय का अनुरूप परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह स्कूल किसी ऐसी परीक्षा निकाय से सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त हैं, जिसकी परीक्षायें परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हैं।

यह अनुरूपता छात्र द्वारा उस राज्य की बी0 ए0 परीक्षा के लिए आवश्यक बाद के अध्ययन की वर्षों की संख्या में अवधारित होगी।

(ग) रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित बालकों के लिये हिन्दुस्तानी फाइनल परीक्षा।

(घ) रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित बालिकाओं के लिये अपर मिडिल परीक्षायें।

(ङ) प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद द्वारा दिसम्बर, 1969 तक संचालित बिना उच्च अंग्रेजी के विद्याविनोदिनी परीक्षा।

पुनश्च--प्रयाग महिला विद्यापीठ के 559, दारागंज, इलाहाबाद तथा 106 हीवेट रोड, इलाहाबाद स्थित कार्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

(च) राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अथवा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की प्रथमा अथवा उच्चत्तर परीक्षा।

(छ) उत्तर प्रदेश में आंग्ल-भारतीय विद्यालय की 1956 और उसके बाद की स्तर आठ की परीक्षा अथवा उसके पहले के वर्ष की स्तर सात की परीक्षा अथवा किसी अन्य राज्य के एक आंग्ल भारतीय विद्यालय की कोई समकक्ष परीक्षा।

(ज) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अरबी में मौलवी/आलिम और फाजिल तथा फारसी में मुंशी और कामिल परीक्षा।

(झ) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा संचालित अरबी, फारसी और संस्कृत में डिप्लोमा परीक्षा।

(ञ) गुरुकुल कांगड़ी, वृन्दावन द्वारा संचालित संस्कृत में अधिकारी परीक्षा।

(ट) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित मध्यमा परीक्षा।

(ठ) भारतीय सेना की फर्स्ट क्लास आफ एजूकेशन परीक्षा।

(दो) वे परीक्षार्थी, जिन्होंने कक्षा 9 अथवा उत्तर प्रदेश अथवा बाहर की मान्यता-प्राप्त संस्था की समकक्ष परीक्षा उत्तरीण की हो, इस प्रतिबन्ध के साथ कि उनके द्वारा कथित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् एक शैक्षिक वर्ष बीत गया हो।

(तीन) वे परीक्षार्थी, जो परिषद् द्वारा संचालित 1955 की अथवा उसके पूर्व की हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हों तथा इस सम्बन्ध का प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म-तिथि लिखी हो, उस संस्था के प्रधान को देते हैं, जिसमें उनकी परीक्षा का केन्द्र था।

इस वर्ग में एक समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी सम्मिलित नहीं हैं।

(चार) वे परीक्षार्थी जिन्होंने दिसम्बर में होने वाली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद की प्रथमा अथवा कोई उच्चत्तर परीक्षा अथवा पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ अथवा 1948 से पूर्व लाहौर में उसी विश्वविद्यालय की प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो (ऐसे परीक्षार्थियों को उस शैक्षिक वर्ष के बाद की वर्ष में हाई स्कूल परीक्षा में प्रवेश मिलेगा जिसमें वे पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं)।

*(पांच) हाई स्कूल परीक्षा में प्रवेश हेतु जूनियर हाई स्कूल या कक्षा 8 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना उन व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक नहीं होगा, जिनकी आयु परीक्षा वर्ष की प्रथम जुलाई को बालकों के सम्बन्ध में बीस वर्ष तथा बालिकाओं के सम्बन्ध में अट्ठारह वर्ष या अधिक हो। यह सुविधा बालक एवं बालिका दोनों श्रेणी के परीक्षार्थियों को देय होगी।

आयु के प्रमाण हेतु पूर्व संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र यदि उसने पहले किसी संस्था में अध्ययन किया हो, या नगरपालिका आदि का जन्म प्रमाण-पत्र या शपथ-पत्र जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, स्वीकार किये जायेंगे। गत वर्षों में जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, किन्तु अनुत्तीर्ण हो गये हों, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित केन्द्र-व्यवस्थापक के द्वारा दिया गया आयु प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।

(ब) कोई विद्यार्थी, जिसने किसी मान्यताप्राप्त संस्था में अध्ययन किया है (प्राथमिक पाठशाला को छोड़कर) हाई स्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश न पा सकेगा जब तक कि उसके विद्यालय छोड़ने और हाई स्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत रूप में प्रवेश का मध्यावकाश कम से कम उस समय के बराबर नहीं है जो उस संस्था में रहते हुए परीक्षा में प्रवेश का पात्र होने में लगता। यह प्रतिबन्ध ऊपर के विनियमन 10(1) (अ) में लागू प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होगा।

(2) (अ) कोई परीक्षार्थी जिस वर्ष की परीक्षा में प्रवेश चाहता है यदि उससे पूर्व के अंग्रेजी वर्ष की 31 जुलाई के पश्चात् उसने परिषद् की मान्यताप्राप्त संस्था में अथवा एक परीक्षा निकाय से मान्यताप्राप्त सम्बद्ध संस्था में (आंग्ल-भारतीय विद्यालयों को छोड़कर) जिसकी परीक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त है, अध्ययन किया हो, तो वह व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

(ब) ऊपर के खंड (2) (अ) की शर्तों के होते हुए भी परिषद् निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट कर सकता है—

(क) कोई परीक्षार्थी, जो उस राज्य में अपने अभिभावक के स्थानान्तरण के कारण प्रव्रजित हो आया है।

(ख) कोई परीक्षार्थी, जो संस्थागत छात्र के रूप में अपनी लम्बी बीमारी अथवा अभिभावक की मृत्यु अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियोंवश अपना अध्ययन आगे नहीं चला सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर वर्णित दोनों वर्गों में छात्र का नाम संस्था की नामावली से अन्तिम रूप से कटने तक उसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत अथवा उससे ऊपर होना चाहिये। यह प्रतिबन्ध उन परीक्षार्थियों के लिये नहीं लागू होगा जिनकी उपस्थिति केवल एक वर्ष की परिगणित होगी।

(ग) व्यक्तिगत परीक्षार्थी विशेष विषय अथवा विषयों के अध्ययन के लिये किसी मान्यताप्राप्त संस्था में प्रवेश ले सकते हैं और उसमें अंशकालिक रूप से अध्ययन कर सकते हैं।

---

*राजाज्ञा संख्या मा0/5633/पन्द्रह—7-1(35)-1980, दिनांक 29 सितम्बर, 1980 द्वारा संशोधित।

(3) आगामी होने वाली हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट होने की अनुमति उन परीक्षार्थियों को नहीं दी जायगी, जिन्हें कक्षा 10 अथवा 12 के लिये प्रोन्नति प्राप्त होने में सफलता नहीं मिली है अथवा जिन्होंने 31 दिसम्बर से आगे कक्षा 9 अथवा 11 में अध्ययन किया है।

(4) विखंडित।

आंग्ल भारतीय विद्यालय

11—किसी आंग्ल-भारतीय विद्यालय को छोड़ने वाला परीक्षार्थी हाई स्कूल परीक्षा में उस शैक्षिक वर्ष के पूर्व तक प्रविष्ट न हो सकेगा, जिसमें कि वह कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में प्रवेश का पात्र होता, यदि वह आंग्ल-भारतीय विद्यालय में अध्ययन करता रहता। आंग्ल भारतीय विद्यालय में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययन करने वाले अथवा किसी ऐसे छात्र का आवेदन-पत्र जिसका अन्तिम विद्यालय आंग्ल भारतीय विद्यालय था, आंग्ल-भारतीय विद्यालयों के निरीक्षक द्वारा उस संस्था के आचार्य के लिये अग्रसारित होना चाहिये, जिसे परीक्षार्थी अपने केन्द्र के रूप में चुनता है।

राज्य से बाहर के परीक्षार्थी

12—ऊपर के विनियम 10, अध्याय बारह के अधीन परिषद् के प्रादेशिक अधिक्षेत्रों के बाहर रहने वाले परीक्षार्थियों को परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जा सकती है, प्रतिबन्ध यह है कि वे अब भी उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों तथा कुछ पर्याप्त कारणों से अन्य राज्यों में अस्थायी रूप से प्रव्रजित हो गये हों। ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र उन सम्बन्धित राज्यों के मंडलीय विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अग्रसारित होने चाहिये, जिन्हें परीक्षार्थियों के उत्तर प्रदेश में वास्तविक निवास को प्रमाणित करना चाहिये। पचास पैसे के निबन्धन शुल्क के साथ आवेदन-पत्र तथा परीक्षा का निर्धारित शुल्क 1 सितम्बर तक सीधे सचिव के पास न भेजकर उस संस्था के प्रधान को अग्रसारित होना चाहिये जिसे परीक्षार्थी अपने केन्द्र के रूप में चुनता है।

केन्द्र परिवर्तन और विषय परिवर्तन

13—साधारणतः व्यक्तिगत परीक्षार्थी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विषय अथवा केन्द्र परिवर्तित करने की आज्ञा न दी जायगी।

किसी समकक्ष परीक्षा में एक साथ बैठना

14—किसी परीक्षार्थी को जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परिषद् की किसी परीक्षा तथा अन्य निकाय द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा में बैठना चाहता है, परिषद् की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा क्रियात्मक कार्य पूरा करने का प्रमाण-पत्र

15—इन विनियमों की शर्तों के होते हुए भी कोई व्यक्तिगत परीक्षार्थी परिषद् की किसी परीक्षा के लिये क्रियात्मक कार्य अथवा क्रियात्मक परीक्षा वाले विषय को ले सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि यदि चुना हुआ विषय भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान अथवा जीव विज्ञान अथवा औद्योगिक रसायन अथवा कुलाल विज्ञान अथवा कृषि

विज्ञान अथवा चित्रकला और मूर्तिकला और संन्य विज्ञान अथवा भूगर्भ विज्ञान है तो उसे परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त एक संस्था में परीक्षा के लिये उस विषय में निर्धारित समस्त क्रियात्मक एवं लिखित कार्य उसी सत्र में, जिसमें वह परीक्षा में बैठना चाहता है, पूरा करना चाहिये और इस सम्बन्ध में संस्था के प्रधान का एक प्रमाण-पत्र परीक्षा की तिथि से पूर्व की जनवरी के अन्त तक प्रस्तुत करना चाहिये। किसी परीक्षार्थी को, जो एक बार परीक्षा में बैठ चुका है तथा अनुत्तीर्ण हो चुका है, उस विषय के क्रियात्मक कार्य अथवा क्रियात्मक परीक्षा के सम्बन्ध में, जिसमें वह पहले ही परीक्षा दे चुका है, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी समिति

16--अभिप्रेत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र जो अग्रसारण अधिकारियों से यथाविधि परीक्षित तथा हस्ताक्षरित होकर प्राप्त हुए हों, विनियम 3, के अध्याय छ: के अधीन नियुक्त उप समिति के पास संनिरीक्षा के लिये भेजे जायेंगे। संनिरीक्षा के पश्चात् उप-समिति द्वारा ये आवेदन-पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत किये जायेंगे।

अतिरिक्त विषयों में प्रवेश की पात्रता

17--इन विनियमों की शर्तों के होते हुए भी निम्नलिखित श्रेणी के परीक्षार्थी भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकते हैं--

(1) कोई परीक्षार्थी, जिसने हाई स्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, बाद की हाई स्कूल परीक्षा में एक अथवा अधिक विषयों में प्रविष्ट हो सकता है और ऐसे परीक्षार्थी यदि सफल हो जाय तो वह अतिरिक्त लिये गये विषय अथवा विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र पाने का अधिकारी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि विषय अथवा विषयों का चुनाव केवल एक ही वर्ग तक सीमित हो।

यह भी प्रतिबन्ध है कि वह उस वर्ष में पूर्ण अथवा आंशिक इंटरमीडिएट परीक्षा में नहीं प्रविष्ट हो रहा है।

यह भी प्रतिबन्ध है कि परीक्षार्थी उस विषय अथवा विषयों को नहीं लेगा जो उसके द्वारा पूर्व की हाई स्कूल परीक्षा में लिये गये थे, जिसमें वह उत्तीर्ण हुआ था।

(2) ऊपर के खंड (1) की शर्तों के होते हुए भी, कोई परीक्षार्थी जिसने हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, बाद की हाई स्कूल परीक्षा के वाणिज्य के प्रश्न-पत्र तीन (केवल आशुलिपि तथा टंकण) में इस प्रतिबन्ध के साथ प्रविष्ट हो सकता है कि उसने यह विषय पूर्व हाई स्कूल परीक्षा में जिसमें वह उत्तीर्ण हुआ था, नहीं लिया था। ऐसा परीक्षार्थी सफल हो जाने पर केवल आशुलिपि तथा टंकण में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र पाने का अधिकारी होगा।

(3) कोई परीक्षार्थी जिसने इन्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है बाद की इन्टरमीडिएट परीक्षा में एक अथवा अधिक विषयों में (कृषि विषयों को छोड़कर) बैठ सकता है और यह परीक्षार्थी यदि सफल हो जाय तो उसके द्वारा लिये गये विषय अथवा विषयों में उत्तीर्ण होने का

प्रमाण-पत्र पाने का अधिकारी होगा (इस प्रतिबन्ध के साथ कि विषय अथवा विषयों का चुनाव केवल एक वर्ग तक ही सीमित हो) ।

यह भी प्रतिबन्ध है कि परीक्षार्थी उस विषय अथवा विषयों को नहीं लेगा जो उसके द्वारा पूर्व इन्टरमीडिएट परीक्षा में, जिसमें वह उत्तीर्ण हुआ था, लिये गये थे ।

(4) कोई परीक्षार्थी जिसने इन्टरमीडिएट परीक्षा एक विशेष वर्ग में उत्तीर्ण की है, बाद की इन्टरमीडिएट परीक्षा में (कृषि वर्ग छोड़कर) किसी एक अन्य वर्ग में बैठ सकता है । ऐसे परीक्षार्थियों को उन विषयों में पुनः प्रविष्ट होने की आवश्यकता न होगी, जो दोनों वर्गों में समान है, और जिनका समान पाठ्य विवरण है, श्रेणी नहीं दी जायगी ।

निम्नलिखित परीक्षाओं को परिषद् की इन्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता-प्राप्त है—

(क) विश्वविद्यालयों तथा भारत में विधिवत् स्थापित शिक्षा परिषदों की इन्टरमीडिएट परीक्षा ।

*(ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा अथवा पुरानी खंड मध्यमा (पूरा चार वर्षीय पाठ्क्रम) अथवा सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा और अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा (जो पहले वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित थी ।)

(ग) एम0 एस0 विश्वविद्यालय, बड़ौदा द्वारा संचालित एफ0 आई0 बी0 ए0, एफ0 आई0 बी0 काम0 तथा एफ0 आई0 बी0 एस-सी0 परीक्षाएं ।

(घ) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला द्वारा संचालित एक अतिरिक्त विषय के साथ उत्तीर्ण प्री-इंजीनियरिंग/प्री-मेडिकल परीक्षा ।

(ङ) काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नयी दिल्ली द्वारा संचालित इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षा ।

**(च) भारत में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालयों की प्रथम डिग्री से पूर्व की सार्वजनिक अथवा अनुरूप परीक्षा । यह अनुरूपता छात्र द्वारा उस विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा के लिये आवश्यक बाद के अध्ययन के वर्षों की संख्या से अवधारित होगी ।

**(छ) केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम की प्री-डिग्री साहित्यिक तथा वैज्ञानिक वर्ग की परीक्षा ।

**(ज) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र हरियाणा की परीक्षाओं को उनके समक्ष अंकित विवरण के अनुसार :—

(1) प्री-मेडिकल परीक्षा—विज्ञान समूह जीव विज्ञान के साथ ।
(2) प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा विज्ञान एवं गणित समूह के साथ ।
(3) बी0 ए0, बी0 एस-सी0, बी0 काम0, भाग-1 ।

---

* राजाज्ञा संख्या मा0/601/पन्द्रह-7-81, दिनांक 30 जनवरी, 1981 द्वारा संशोधित ।

** दिनांक 14 मई, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् 9/104, दिनांक 4 मई, 1983 द्वारा सम्मिलित ।

परीक्षा क्रमशः साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग के समकक्ष

(ञ) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ।

(ट) बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, मणिपुर, इम्फाल द्वारा संचालित स्पेशल हायर सेकेण्डरी (बारह वर्षीय) पाठ्यक्रम परीक्षा ।

(ठ) त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, अगरतला द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी (बारह वर्षीय) परीक्षा ।

श्रेणियां

18--इन विनियमों में जहां इसके प्रतिकूल प्राविधान हो, उसे छोड़कर परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों के नाम तीन श्रेणियों में रखे जायेंगे । कोई परीक्षार्थी जो सम्पूर्ण योगांक के 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंकों से उत्तीर्ण होता है, सम्मान सहित उत्तीर्ण हुआ भी दिखाया जायगा ।

19--जो परीक्षार्थी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, बाद की एक अथवा अधिक परीक्षाओं में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकता है, इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसे प्रत्येक अवसर पर सचिव को आश्वस्त करना होगा कि उसने परिषद् की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर दी है ।

*20---परिषद् की एक परीक्षा में प्रविष्ट परीक्षार्थी यदि केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण रहे और उस विषय में उसे पच्चीस प्रतिशत या अधिक अंक मिले हों तथा उसके सम्पूर्ण विषयों का प्राप्तांक योग चालीस प्रतिशत हो तो उसे अनुत्तीर्ण हुए विषय में तैंतीस प्रतिशत तक अंक पाने के लिए आवश्यक अंक कृपांक के रूप में देकर उत्तीर्ण घोषित किया जायगा और उसे श्रेणी दी जायेगी ।

संनिरीक्षा–उसकी कार्यविधि

21---उन परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिकायें, जो मुख्य परीक्षा में केवल एक विषय में [illegible] विषय के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत अंकों से अधिक से अनुत्तीर्ण नहीं हैं, बिना शुल्क अथवा आवेदन-पत्र के संनिरीक्षित की जायगी । अन्य परीक्षार्थी जो अपनी उत्तर-पुस्तकें

---

*राजकीय गजट भाग 4, दिनांक 21 जुलाई, 1994 में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् 9/221, दिनांक 16 जुलाई, 1984 द्वारा संशोधित (वर्ष 1985 से प्रभावित) तथा दिनांक 8 अक्टूबर, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् 9/446, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 द्वारा निम्नवत् पुनः संशोधित ।

20---परिषद् की एक परीक्षा में प्रविष्ट परीक्षार्थी यदि केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण रहे और उस विषय में उसे पच्चीस प्रतिशत या अधिक अंक मिले हों, तो उसे अनुत्तीर्ण हुए विषय में तैंतीस प्रतिशत तक अंक पाने के लिए उसके सम्पूर्ण योग के आधार पर परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक अंक अनुग्रहांक के रूप में देकर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा और उसे श्रेणी दी जायेगी ।

संनिरीक्षित कराना चाहते हैं, निम्नलिखित नियमों के अनुसार क[illegible] सकते हैं :–

*(क) कोई परीक्षार्थी, जो परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में प्रवि[illegible] हुआ है, विषयों के अपने अंकों की संनिरीक्षा द्वारा पुनः जांच कराने के लि[illegible] आवेदन-पत्र दे सकता है ।

*(ख) ऐसे समस्त आवेदन-पत्रों के साथ कोष चलाने की एक प्रतिलि[illegible] यह दिखाते हुए कि 20 रुपया प्रति विषय की दर से निर्धारित शुल्क दे दिय[illegible] गया है, अवश्य होनी चाहिए । उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थान से आवेदन-प[illegible] भेजने वाले परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में यह शुल्क सचिव के कार्यालय में रेजि[illegible] पोस्टल आर्डर अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया की इलाहाबाद शाखा पर रेजि[illegible] बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए ।

*(ग) ऐसे समस्त आवेदन-पत्र परीक्षाफल घोषणा की तिथि से तीस दिन की अवधि के अन्दर अवश्य दिये जाने चाहिए ।

**(घ) विखण्डित ।

(ङ) संनिरीक्षा के परीक्षार्थी द्वारा आवेदित समस्त मामलों का तथा स्वत संनिरीक्षा के समस्त मामलों का परीक्षाफल, जहां उसका प्रभाव परीक्षाफल प[illegible] पड़ता है (अंक अथवा श्रेणी अथवा अनुत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण), संनिरीक्षा [illegible] समाप्ति पर परीक्षार्थी को तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित कर दिय[illegible] जायगा । अन्य मामलों में कोई सूचना नहीं दी जायगी और कोई पत्र-व्यवहा[illegible] नहीं किया जायगा । यह भी प्रतिबन्ध है कि संनिरीक्षा का परीक्षाफल ज[illegible] परीक्षार्थी द्वारा शुल्क दिया गया है, प्रत्येक दशा में सूचित किया जायगा [illegible] ही कोई परिवर्तन न हो ।

(च) संनिरीक्षा के कार्य में साधारणतया परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्त[illegible] की पुनः जांच सम्मिलित नहीं है । उसमें यह देखा जाता है कि क्या अलग अलग प्रश्नों में दिये गये अंकों का योग करने, उन्हें अग्रेनीत करने अथवा कि[illegible] प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि तो नहीं हुई है ।

शुल्क

22—परिषद् द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित शु[illegible] लिये जायेंगे—

*1—हाई स्कूल परीक्षा

(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था के प्रत्ये[illegible] परीक्षार्थी से 40 रुपये ।

(ख) प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 60 रु[illegible]

*2—विखण्डित

---

*राजाज्ञा संख्या मा–683/15–7–2(9)–79, दिनांक 25 अप्रैल, 19[illegible] द्वारा संशोधित ।

*दिनांक 3 जून, 1989 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् 9/9[illegible] दिनांक 23 मई, 1989 द्वारा संनिरीक्षा शुल्क 10 रु0 से 20 रु0 प्रति विषय कि[illegible] गया । यह वर्ष 1989 की परीक्षा से प्रभावी है ।

**दिनांक 13 मार्च, 1982 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्–870/पांच-8 (बोर्ड दिसम्बर, 1980), दिनांक 4 फरवरी, 1982 द्वारा विखंडित ।

3—इण्टरमीडिएट परीक्षा	(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 50 रु0 । (ख) प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 75 रुपये ।
4—(क) इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा	किसी मान्यताप्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 50 रुपये ।
(ख) इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से (अनुत्तीर्ण) 75 रुपये ।
(ग) इण्टरमीडिएट कृषि (भाग-1) परीक्षा	किसी मान्यताप्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 40 रुपये ।
(घ) इण्टरमीडिएट कृषि (भाग-1) परीक्षा	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 75 रुपये ।
(ङ) इण्टरमीडिएट कृषि (भाग-2) परीक्षा	किसी मान्यताप्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 40 रुपये ।
(च) इण्टरमीडिएट कृषि (भाग-2) परीक्षा	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 75 रुपये ।
(छ) विनियम 9 (क), अध्याय चौदह के अन्तर्गत	केवल अंग्रेजी में इंटरमीडिएट परीक्षा 10 रुपये ।
*(ज) विनियम 9 (क), अध्याय चौदह के अन्तर्गत	शेष विषयों में इंटरमीडिएट परीक्षा 75 रुपये ।
**5—विखण्डित	
**6—विखण्डित	
7—मार्च/अप्रैल की मुख्य परीक्षा में एक अथवा अधिक विषयों की परीक्षा	15 रुपये प्रति विषय (परीक्षार्थी, जो दो विषयों के समकक्ष एक विषय में प्रविष्ट होगा उसे 30 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा) ।
—परीक्षार्थियों के परीक्षाफल की संनिरीक्षा का शुल्क	20 रुपये प्रति विषय ।
9—(क) किसी संस्थागत परीक्षार्थी द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त ब्योरेवार अंकों के प्रेषण का अनिवार्य शुल्क	1 रुपये (इस शुल्क का आधा संबंधित संस्था के प्रधान द्वारा रख लिया जायगा, जो परिषद् से सुसंगत सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक परीक्षार्थी को उसके ब्योरेवार अंक ठीक ढंग से मुद्रित प्रपत्र में प्रेषित करेंगे । संस्था प्रधान द्वारा रखे गए शुल्क का विवरण निम्नवत् होगा :

*दिनांक 4 जनवरी, 1986 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद्-9/535, दिनांक 16 दिसम्बर, 1985 द्वारा संशोधित (वर्ष 1987 की परीक्षा से प्रभावी) ।

**दिनांक 21 जुलाई, 1984 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् 9/221, दिनांक 16 जुलाई, 1984 द्वारा विखण्डित ।

†दिनांक 3 जून, 1989 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् 9/99, दिनांक 23 मई, 1989 द्वारा संशोधित (वर्ष 1989 की परीक्षा में प्रभावी) ।

(क) नामावली बनाने हेतु 12 1/2 प्रतिशत

(ख) संख्या सूचक चक्र के निर्माण हेतु 12 1/2 प्रतिशत ।

(ग) प्राप्तांक पत्रों को तैयार करने तथा उनकी जांच हेतु 50 प्रतिशत ।

(घ) प्राप्तांक प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक टिकट तथा लेखन-सामग्री इत्यादि की मदों में व्यय हेतु 25 प्रतिशत ।

यंत्रीकरण वाले संस्थाओं की स्थिति में शुल्क की केवल 25 प्रतिशत धनराशि संस्था के प्रधान अथवा केन्द्र के अधीक्षक द्वारा जैसी स्थिति हो रोक ली जायेगी जिसका प्रयोग प्राप्तांक प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक-व्यय तथा लेखन-सामग्री आदि की मदों में व्यय हेतु किया जायगा ।

(ख) किसी संस्थागत परीक्षार्थी के अंक-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	10 रुपये
10—(क) किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त ब्योरेवार अंकों के प्रेषण का अनिवार्य शुल्क	2 रुपये । इस शुल्क का आधा संबन्धित केन्द्र के अधीक्षक द्वारा रख लिया जायगा जो परिषद् के सचिव से सुसंगत सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी को उसके ब्योरेवार अंक ठीक ढंग से मुद्रित पत्र में प्रेषित करेंगे । किसी अधीक्षक द्वारा रखे गए शुल्क की धनराशि का वितरण निम्नवत् होगा—

(क) नामावली बनाने हेतु 12 1/2 प्रतिशत

(ख) संख्या सूचक चक्र के निर्माण हेतु 12 1/2 प्रतिशत

(ग) प्राप्तांक पत्रों को तैयार करने तथा उसकी जांच हेतु 50 प्रतिशत ।

(घ) प्राप्तांक प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक टिकट तथा लेखन-सामग्री आदि की मदों में व्यय हेतु 25 प्रतिशत । यंत्रीकरण वाले संस्थानों की स्थिति में शुल्क की केवल 25 प्रतिशत धनराशि

संस्था के प्रधान अथवा केन्द्र के अधीक्षक द्वारा जैसी स्थिति हो रोक ली जायेगी जिसका प्रयोग प्राप्तांक प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक व्यय तथा लेखन-सामग्री आदि की मदों में व्यय हेतु किया जायेगा।

(ख) किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के अंक-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क — 10 रुपये

(अंक-पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपि सचिव के कार्यालय से प्रेषित की जायगी जिसके लिए आवेदन-पत्र दिया जाना चाहिए)

*(ग) विखंडित

(अंक शुल्क के लिए कृषि भाग 1 तथा 2 परीक्षाएं पृथक् परीक्षाएं समझी जायेंगी)।

11—विलम्ब शुल्क — 25 रुपये (किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी द्वारा देय जो परिषद् की किसी परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति का अपना आवेदन-पत्र विनियमों में निर्धारित तिथि के पश्चात् परन्तु अधिकतम 31 अगस्त, तक देता है)।

12—प्रवेश-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क — 2 रुपये।

13—परिषद् द्वारा एक परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को निर्गत प्रमाण-पत्र में नाम परिवर्तन कराने का शुल्क — 10 रुपये।

टिप्पणियां—(क) आवेदन-पत्र उचित सारिणी द्वारा दिया जायगा तथा जिस वर्ष में परीक्षा हुई थी, उसकी 31 मार्च से तीन वर्ष के भीतर परिषद् के सचिव के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। आवेदक को एक टिकट लगे हुए कागज पर शपथ-पत्र देना होगा जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा यथाविधि प्रमाणित होना चाहिए जिसमें नाम मे परिवर्तन के वैध कारण दिए होंगे तथा जो एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा यथाविधि प्रमाणित होगा, और परीक्षार्थी, जहां वह निवास करता है, वहां के स्थानीय दैनिक-पत्र की तीन विभिन्न तिथियों के संस्करणों में अपने नाम के परिवर्तन को विज्ञापित करेगा, इससे पूर्व कि उसे परिवर्तित नाम का नया प्रमाण-पत्र प्राप्त हो।

*राजकीय गजट, दिनांक 21 जुलाई, 1984 में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद्-9/121 दिनांक 16 जुलाई, 1984 द्वारा विखण्डित।

(ख) उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों को नाम परिवर्तन के आवेदन-पत्र सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास भेजा जाना चाहिये।

(ग) भारतीय संघ के राज्य (उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त) के सरकारी कर्मचारियों के नाम में परिवर्तन आवेदन-पत्र पर किया जायगा, यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया गया है और उसकी सूचना परिषद को सम्बन्धित विभाग के राज्य सचिव अथवा विभाग के अध्यक्ष द्वारा दी जाती है।

(घ) केन्द्रीय शासन के कर्मचारी के आवेदन-पत्र देने पर नाम में परिवर्तन कर दिया जायेगा यदि इसी प्रकार का परिवर्तन केन्द्रीय शासन द्वारा कर दिया गया है और उसकी सूचना परिषद को सम्बन्धित मन्त्रालय के राज्य सचिव अथवा गृह विभाग के मन्त्रालय द्वारा दे दी जाती है।

(ङ) यदि किसी परीक्षा के लिए नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है तो अन्य परीक्षाओं के प्रमाण-पत्र में जो परीक्षार्थी को पहले अथवा बाद में निर्गत हुए हों, बिना नये शपथ-पत्र के परन्तु प्रति प्रमाण-पत्र के लिए 2 रुपये शुल्क लेने पर नाम परिवर्तित कर दिया जायगा।

(च) शपथ-पत्र तथा नाम में परिवर्तन का प्रार्थना-पत्र परीक्षार्थी के पिता अथवा यदि उनकी मृत्यु हो गई हो, अभिभावक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

14—इस अध्याय के विनियम 11 के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	20 रुपये प्रत्येक परीक्षा के लिए
15—जिस वर्ष में परीक्षा हुई थी उसकी 31 मार्च से 3 वर्ष के अन्दर न लिए गए प्रमाण-पत्र का शुल्क	20 रुपये।
16—किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के प्रवजन प्रमाण-पत्र निर्गत का शुल्क	10 रुपये।
17—परीक्षा के प्रधानों को परीक्षाफल (पत्रों) की द्वितीय प्रतिलिपियाँ प्रेषित करने का शुल्क	10 रुपये प्रथम 100 परीक्षार्थियों अथवा उसके अंश के लिए और बाद के 100 परीक्षार्थियों अथवा उसके अंश के लिए 5 रुपये।
18—व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र अग्रसारण हेतु शुल्क	4 रुपये।

शुल्क की वापसी

23--किसी परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति के लिए एक बार दिया हुआ शुल्क निम्नलिखित दशाओं को छोड़कर वापस न होगा--

क--दशाएं, जिनमें पूरे शुल्क की वापसी हो जायगी--

(एक) परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी की मृत्यु।

(दो) कोई परीक्षार्थी जो आगे होने वाली परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क देने के पश्चात् संनिरीक्षा के फलस्वरूप अथवा अपने रोके गए परीक्षाफल के मुक्त होने पर सफल घोषित कर दिया जाता है।

(तीन) कोई परीक्षार्थी जो पूर्व परीक्षा के लिए दिए गए शुल्क जिसमें वह अस्वस्थता के कारण प्रविष्ट न हो सका, के रोके जाने की समय से सूचना प्राप्त न होने के कारण नया शुल्क जमा कर देता है।

ख--दशाएं जिनमें एक रुपया कम करके शुल्क की वापसी होगी :--

(एक) जब कोई परीक्षार्थी भूल से शुल्क को, 0202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, 01 सामान्य शिक्षा, 202 माध्यमिक शिक्षा, 02 बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क शीर्षक में जमा कर दें यद्यपि वह किसी अन्य निकाय द्वारा संचालित परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है/चाहती है।

(दो) ऐसे परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जिनका आवेदन-पत्र परिषद् अथवा अग्रसारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो;

(तीन) जब कोई परीक्षार्थी परिषद् की किसी परीक्षा के लिए विहित शुल्क से अधिक जमा कर दे।

(चार) जब परिषद् को किसी परीक्षा के लिए परीक्षार्थी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलती से शुल्क जमा कर दिया जाय।

पुनश्च--(क) 'शुल्क' का तात्पर्य केवल परीक्षा-शुल्क है और उसमें अंक-शुल्क या विलम्ब-शुल्क सम्मिलित नहीं है।

(ख) शुल्क की वापसी का आवेदन-पत्र शुल्क को कोषागार में जमा करने के दो वर्ष के भीतर ही प्रस्तुत हो सकेगा।

(ग) शुल्क की वापसी के लिए उस अभ्यर्थी के संबंध में किसी आवेदन-पत्र की आवश्यकता नहीं है, जिसका आवेदन-पत्र परिषद् द्वारा रद्द कर दिया गया है।

शुल्क स्थगन

24--आवेदन-पत्र देने पर परिषद् किसी परीक्षार्थी को, जो किसी परीक्षा में प्रविष्ट होने से असमर्थ रहा, आगामी होने वाली परीक्षा में प्रवेश की अनुमति उसके शुल्क को स्थगित रखकर निम्नलिखित दशाओं में दे सकता है :--

*(1) विखण्डित।

*(2) विखण्डित।

*राजकीय गजट, भाग 4, दिनांक 13 मार्च, 1982 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-9/870/पांच-8 (बोर्ड, दिसम्बर 1980), दिनांक 4 फरवरी, 1982 द्वारा संशोधित।

(3) परीक्षार्थी परीक्षा के समय भयंकर रूप से रुग्ण था और उसकी समर्थ चिकित्सा प्राधिकारी ने यथाविधि प्रमाणित किया है। परीक्षार्थियों के परीक्षा-शुल्क स्थगित रखने के आवेदन-पत्र संस्था के प्रधान अथवा संबंधित केन्द्र अधीक्षक द्वारा परिषद् के सचिव के कार्यालय में परीक्षा वर्ष की एक मई तक पहुँच जाने चाहिए।

पुनश्च--(क) एक बार स्थगित किया गया शुल्क पुनः स्थगित नहीं हो सकेगा।

(ख) मुख्य परीक्षा के तुरन्त बाद में होने वाली पूरक परीक्षा का शुल्क स्थगित करने का आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 15 सितम्बर होगी। अधिक जमा किये गये शुल्क की वापसी न होगी।

प्रवेश-पत्र तथा उन्हें प्राप्त करने की विधि

25--सचिव अपने को आश्वस्त करने के उपरान्त कि परीक्षार्थी ने परिषद् की परीक्षा में प्रवेश हेतु समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है, उसे प्रवेश-पत्र देगा जिसे परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक को प्रस्तुत करके परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने प्रवेश-पत्र परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों से लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के प्रथम दिवस से 48 घंटे पूर्व प्राप्त कर लेंगे, ऐसा न करने पर उन्हें प्रतिदिन अथवा उसके अंश पर एक रुपये अर्थदण्ड देना होगा।

यदि सचिव आश्वस्त हों कि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश-पत्र खो गया या नष्ट हो गया है तो निर्धारित शुल्क दिये जाने पर उसकी द्वितीय प्रतिलिपि दे सकते हैं।

बहिष्करण एवं निष्कासन

26--इन विनियमों की शर्तों के होते हुये भी--

(एक) किसी परीक्षार्थी का जो एक शैक्षिक वर्ष के भीतर किसी समय बहिष्कृत कर दिया गया है, उस शैक्षिक वर्ष में होने वाली परीक्षा में प्रवेश नहीं हो सकेगा।

(दो) किसी ऐसे परीक्षार्थी को, जिसकी परिषद् की किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये उसका प्रार्थना-पत्र भेज दिये जाने के पश्चात् संस्था से निष्कासित कर दिया गया है और जिसका किसी मान्यताप्राप्त संस्था में प्रवेश नहीं हुआ है, परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

ज्ञातव्य--(क) यदि उपर्युक्त दण्ड उसे परीक्षाकाल में अथवा उसके पश्चात् परन्तु उस शैक्षिक वर्ष की समाप्ति से पूर्व दिया जाता है, जिसमें परीक्षा होती है, तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायगी।

(ख) किसी परीक्षार्थी को, जो परिषद् द्वारा मान्य किसी परीक्षा निकाय से वंचित है, किसी परीक्षा में उस अवधि की समाप्ति से पूर्व जिसके लिये वह दण्डित है, प्रवेश नहीं मिल सकेगा।

27--विखंडित।

प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति

28--परिषद् आवेदन-पत्र देने पर तथा इस अध्याय के विनियम 22 (14) के अनुसार निर्धारित शुल्क देने पर किसी परीक्षार्थी को प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति निम्न-लिखित दशाओं में दे सकती है :--

(एक) प्रमाण-पत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में;

(दो) प्रमाण-पत्र के खराब होने, विरूपित होने अथवा कट-फट जाने की दशा में, जो परिषद् को अवरुद्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है

(तीन) प्रमाण-पत्र की प्रविष्टियां धूमिल हो जाने की दशा में, जो अन्य प्रकार से मजबूत है और परिषद् को निरस्त किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाता है :

प्रतिबन्ध यह है कि वर्ग (एक) और (दो) में परीक्षार्थी अपने आवेदन-पत्रों के साथ उचित शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। यदि परीक्षार्थी की आयु 20 वर्ष या इससे कम है तो शपथ-पत्र उसके पिता (यदि वह जीवित है) के द्वारा अथवा उसके अभिभावक द्वारा (यदि पिता जीवित नहीं है) निष्पादित किया जायेगा। दोनों ही दशाओं में परीक्षार्थी को शपथ-पत्र की यथाविधि अभिपुष्टि करनी होगी।

यह भी प्रतिबन्ध है कि वर्ग (एक) के सम्बन्ध में परीक्षार्थियों के इस तथ्य को इस राज्य के एक दैनिक समाचार-पत्र के एक संस्करण में विज्ञापित कराना होगा और इस समाचार-पत्र के संस्करण की प्रति जिसमें विज्ञप्ति निकाली है, परिषद् के कार्यालय को पूर्व प्रतिबन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र के साथ प्रेषित करनी होगी।

प्रव्रजन प्रमाण-पत्र

29--उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को निर्धारित शुल्क देने पर निम्नलिखित प्रपत्र में सचिव द्वारा प्रव्रजन प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे--

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

<u>प्रव्रजन प्रमाण-पत्र</u>

व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परिषद् की परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों के लिये--

वह प्रमाणित किया जाता है कि............पुत्र/पुत्री................ अनुक्रमांक............ने 19........में हुई हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा ....केन्द्र से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की।

परिषद को उसके उत्तर प्रदेश से बाहर किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्था में प्रविष्ट होने में कोई आपत्ति नहीं है।

इलाहाबाद.........

सचिव।

ज्ञातव्य--संस्थागत परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिये प्रव्रजन प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है। जिस संस्था में परीक्षार्थियों ने अध्ययन किया उसका जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रति-हस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्रव्रजन प्रमाण-पत्र का कार्य करता है।

30--इस अध्याय के विनियम 28 के होते हुये भी परीक्षार्थी द्वारा प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये जमा किया हुआ शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का वितरण

*31--प्रमाण-पत्रों का वितरण--परिषद् की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रमाण-पत्र आचार्य अथवा केन्द्र जैसी स्थिति हो को भेजा जायगा, जो परीक्षार्थी को देंगे। जो परीक्षार्थी डाक से अपना प्रमाण-पत्र चाहते हैं वे आचार्य/केन्द्र अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक टिकट तथा लिफाफा भेज कर अथवा निर्धारित प्राविधानानुसार प्राप्त कर सकेंगे।

32--आवेदन-पत्र तथा इस अध्याय के विनियम 22 (15) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क देने पर परिषद् किसी परीक्षार्थी को, जिसने उस वर्ष की 31 मार्च से, जिसमें की परीक्षा हुई थी, तीन वर्ष के भीतर न लिये मूल प्रमाण-पत्र को निर्गत कर सकती है। इसके लिये आवेदन सचिव के यहां से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र पर संस्थागत परीक्षार्थी के सम्बन्ध में संस्था के प्रधान द्वारा तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के सम्बन्ध में केन्द्र के अधीक्षक द्वारा एक शपथ-पत्र सहित, जिनमें यह उल्लेख हो, कि उसने प्रमाण-पत्र की मूल अथवा दूसरी प्रतिलिपि नहीं प्राप्त की है, दिया जाना चाहिये। यदि परीक्षार्थी 20 वर्ष अथवा उसके कम आयु का है, तो शपथ-पत्र उसके पिता (यदि जीवित हों) के द्वारा अथवा उसके अभिभावक द्वारा (यदि पिता जीवित न हों), निष्पादित किया जायगा। दोनों दशाओं में परीक्षार्थी को शपथ-पत्र की यथाविधि अभिपुष्टि करनी होगी।

न्यूनतम आयु

*33--यदि किसी परीक्षार्थी की आयु उस वर्ष की प्रथम जुलाई को जिसमें वह परीक्षा में सम्मिलित होना चाहे, 14 वर्ष अथवा उससे अधिक नहीं हो, तो वह 1971 तथा उसके आगे की हाई स्कूल परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

34--निरस्त।

पत्राचार

**35--विभाग द्वारा स्थापित पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा माध्यमिक शिक्षा के स्तर के अध्ययन और परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से प्रवेश चाहने वाले

---

*दिनांक 14 मई, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद्-9/104, दिनांक 4 मई, 1982 द्वारा संशोधित।

**राजाज्ञा संख्या मा० 830/15-(7)-1608 (7)-72, दिनांक 29 दिसम्बर 1972 द्वारा अन्य आदेश जारी होने तक निलम्बित है।

व्यक्तियों को अध्ययन में सुविधा देने के लिये पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी।

पत्राचार शिक्षा संस्था का प्रमुख दायित्व पत्राचार शिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के पंजीकरण की व्यवस्था करना, पाठ लेखन, परिमार्जन, मुद्रण एवं आवश्यकतानुसार आवृत्तियों में मुद्रित पाठों के प्रेषण की व्यवस्था करना, अभ्यर्थियों को निर्देशन प्रदान करने की व्यवस्था करना, पत्राचार पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आवश्यक उपयुक्तता प्रमाण-पत्र देना तथा समय-समय पर निदेशक/शासन द्वारा अधिसूचित अन्य कार्यों का सम्पादन करना होगा।

**36--(1) परिषद् परीक्षाओं की जिस परीक्षा की जिस वर्ग के जिस श्रेणी के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये जिन विषयों में पत्राचार शिक्षा व्यवस्था किये जाने की अधिसूचना शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा की जाय उस परीक्षा के उस वर्ग के, उस श्रेणी के ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये जो विनियम 37 के अन्तर्गत नहीं आते हैं पत्राचार शिक्षा हेतु अपना पंजीकरण कराकर पत्राचार शिक्षा के अन्तर्गत किये गये पाठों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा।

(2) उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये संस्थान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु पंजीकरण की व्यवस्था की जायेगी। पत्राचार पाठ्यक्रम के अनुसरण की अवधि सामान्यतः दो शैक्षिक सत्र होगी। अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा) आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं।

**37--पत्राचार शिक्षण की अनिवार्यता से निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तिगत परीक्षार्थी मुक्त रहेंगे :--

क--हाई स्कूल परीक्षा के सम्बन्ध में :--

(1) विगत वर्षों की हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।

(2) विनियम 17 तथा विनियम 20 अध्याय बारह के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय/विषयों के परीक्षार्थी अथवा आंशिक परीक्षार्थी।

(3) अध्याय बारह के विनियम 10--(1) (अ) (चार) के अन्तर्गत आने वाले परीक्षार्थी।

(4) ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 9 तथा 10 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया हो किन्तु परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आवेदन न किये हों। किन्तु संस्था की उपस्थिति पंजी में नाम हो अथवा आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् भी परीक्षा में न सम्मिलित हुये हों।

**विनियम 35, 36, 37 तथा 38, दिनांक 20 नवम्बर, 1982 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या पत्राचार 2041/155-2 (1)-82-83, दिनांक 3 नवम्बर, 1982 द्वारा धारा 9(4) के अन्तर्गत सम्मिलित।

(5) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 9 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

(6) हिन्दी से भिन्न किसी अन्य माध्यम से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी ।

(7) नेत्रहीन (अन्धे) तथा चलने फिरने में शारीरिक रूप से अक्षम परीक्षार्थी ।

(8) भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत परीक्षार्थी ।

ख--इन्टरमीडिएट परीक्षा के सम्बन्ध में :--

(1) विगत वर्षों की इन्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

(2) विनियम 17 तथा विनियम 20 अध्याय बारह के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय/विषयों के परीक्षार्थी अथवा आंशिक परीक्षार्थी ।

(3) अध्याय चौदह के विनियम 3 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड तथा विनियम 3(ख) के अन्तर्गत आने वाले परीक्षार्थी ।

(4) ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 11 तथा कक्षा 12 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया हो किन्तु परिषद् की इन्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आवेदन न किये हों (किन्तु संस्था की उपस्थिति पंजी में नाम हो) अथवा आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् भी परीक्षा म सम्मिलित न हुये हों ।

(5) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 11 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

(6) हिन्दी से भिन्न किसी अन्य माध्यम से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी ।

(7) नेत्रहीन (अन्धे) तथा चलने फिरने में शारीरिक रूप से अक्षम परीक्षार्थी ।

(8) भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत परीक्षार्थी ।

प्रतिबन्ध यह है कि पत्राचार शिक्षण व्यवस्था को अनिवार्यता से मुक्ति प्राप्त उपर्युक्त (क) और (ख) के अभ्यर्थी यदि चाहें तो निर्दिष्ट विधि से निर्धारित शुल्क जमा करके पत्राचार के अन्तर्गत लिये गये विषयों में पाठ प्राप्त कर सकते हैं ।

38--(1) पत्राचार शिक्षण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर पंजीकरण पत्राचार शिक्षण तथा अन्य शुल्क वसूल किया जायेगा ।

(2) पत्राचार शिक्षण संस्थान के विभिन्न पारिश्रमिक कार्यों के लिये मानदेय तथा पारिश्रमिक का भुगतान शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर किया जायगा ।

*39—पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना के अन्तर्गत राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत छात्रों को नियमित संस्थागत छात्र के रूप में माना जायेगा ।

अध्याय तेरह

हाई स्कूल परीक्षा

प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षा (9–10)

1—हाई स्कूल परीक्षा के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी के नीचे दिये हुये अनुसार सात विषयों में परीक्षा ली जायगी :—

(क) अनिवार्य विषय

1—हिन्दी

2—एक आधुनिक भारतीय भाषा (उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तामिल, तेलगू, अथवा मलयालम) ।

अथवा

एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, फ्रान्सीसी, जर्मन, रूसी, नेपाली, तिब्बती अथवा चीनी) ।

अथवा

एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत, पालि, अरबी, फारसी अथवा लैटिन) ।

(टिप्पणी—जब तक कश्मीरी के पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं हो जाते, परीक्षार्थी इन्हें उपहृत नहीं कर सकेंगे ।)

3—गणित—1 अथवा गणित—2 अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये) ।

**टिप्पणी—(क) वह परीक्षार्थी, जो किसी विकलांगता, पूर्ण नेत्रहीनता अथवा विकलांग हाथ से पीड़ित हों, जिससे व अनिवार्य विषयों गणित में ज्यामितीय आकृतियाँ न खींच पाते हों अथवा विज्ञान/गृह विज्ञान में निर्धारित क्रियात्मक-कार्य न कर पाते हों, इन विषयों के स्थान पर साहित्यिक वर्ग में निर्धारित कोई अन्य विषय ले सकते हैं, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वे अपनी विकलांगता के समर्थन में मुख्य चिकित्साधिकारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं तथा साथ ही यदि अप्रसारण अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऐसी विकलांगता से पूर्णतः सन्तुष्ट हों ।

---

*दिनांक 11 अक्तूबर, 1986 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद्–9/23[illegible], दिनांक जुलाई, 1986 द्वारा सम्मिलित । (1988 की परीक्षा से प्रभावी)

**(क) तथा (ख) परीक्षा समिति के प्रस्ताव सं0 26, दिनांक 6 अगस्त, 1985 द्वारा तथा (ग) परीक्षा समिति के प्रस्ताव सं0 51, दिनांक 12 मार्च, 1987 द्वारा सम्मिलित ।

(ख) नेत्रहीन परीक्षार्थियों के लिये प्रत्येक प्रश्न-पत्र तीन घण्टे के स्थान पर साढ़े तीन घन्टे का होगा।

(ग) सहशिक्षा वाले विद्यालयों की बालिकाओं के लिये कक्षा 9 में गृह विज्ञान के शिक्षण का प्राविधान करना चाहिये। यदि ऐसा प्राविधान करना शीघ्र सम्भव न हो तो ऐसी बालिकाओं को यह विषय घर पर व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करने की आज्ञा केवल 1992 की हाई स्कूल परीक्षा तक ही दी जा सकती है।

4—विज्ञान—1 अथवा विज्ञान—2।

5—सामाजिक विज्ञान

6—नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य।

टीप—क्रमांक 6 के विषय में विद्यालय स्तर पर आन्तरिक मूल्यांकन होगा। इसकी बाह्य परीक्षा नहीं होगी।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को "नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी, उत्पादक एवं समाजसेवा कार्य" विषय का नैतिक शिक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र, आवेदन-पत्र अग्रसारित कराते समय फार्म के साथ संलग्न करना अथवा प्रवेश-पत्र प्राप्त करते समय सम्बन्धित पंजीकरण केन्द्र पर जमा करना आवश्यक नहीं होगा।

(ख) वैकल्पिक विषय :

निम्नलिखित वर्गों में से कोई एक विषय :—

*प्रतिबन्ध यह है कि अनिवार्य विषयों में विज्ञान-2 लेने वाले परीक्षार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में निम्नलिखित में से कोई एक विषय उद्धृत कर सकेंगे :—

(1) जीव विज्ञान (2) सामान्य अभियन्त्रण के तत्व (3) चित्रकला (4) संस्कृत (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया गया हो)	केवल वर्ष 1990 की परीक्षा के लिए
†(5) अरबी †(6) फारसी †(7) उर्दू	यदि उसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया गया है।

[क] साहित्यिक वर्ग :

1—इतिहास

2—भूगोल

3—वाणिज्य भूगोल

4—नागरिक शास्त्र

5—एक शास्त्रीय भाषा (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया गया है)

*दिनांक 18 मार्च, 1989 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद्-9/812, दिनांक 7 मार्च, 1989 द्वारा संशोधित।

†दिनांक 25 नवम्बर, 1989 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद् 9/419, दिनांक 23 अक्तूबर, 1989 द्वारा सम्मिलित तथा वर्ष 1991 की परीक्षा से प्रभावी।

(संस्कृत, पालि, अरबी, फारसी तथा लैटिन)

6--एक आधुनिक भारतीय भाषा (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया गया है)

(उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगला, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू, मलयालम)

7--एक आधुनिक विदेशी भाषा (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया गया है)

(अंग्रेजी, फ्रान्सीसी, जर्मन, रूसी, नेपाली, तिब्बती, चीनी)

टिप्पणी--(1) परीक्षार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में एक से अधिक भाषा नहीं ले सकेंगे।

(2) जब तक कश्मीरी के पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होते तब तक परीक्षार्थी इन्हें उपहृत नहीं कर सकेंगे।

8--चित्रकला

9--अर्थशास्त्र

10--संगीत गायन अथवा वादन

11--गृह कला (बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिये जिन्होंने अनिवार्य विषय के रूप में गृह विज्ञान नहीं लिया है)।

[ख] वैज्ञानिक वर्ग :

1--औद्योगिक रसायन

2--कुलाल विज्ञान

3--जीव विज्ञान

[ग] वाणिज्य वर्ग :

1--वाणिज्य

[घ] रचनात्मक वर्ग :

1--काष्ठ शिल्प

2--ग्रन्थ शिल्प

3--सिलाई शिल्प

4--कताई-बुनाई

5--चमड़े का कार्य

6--घुलाई, रफू, बखिया तथा रंगाई

7--रंगाई और छपाई

8--धातु शिल्प

[च] ललित कला वर्ग

1—संगीत गायन

2—संगीत वादन

3—रंजन कला

4—व्यवसायिक कला

5—मूर्ति कला

6—चित्र कला

7—नृत्य कला

[छ] कृषि वर्ग :

1—कृषि

[ज] उत्तर वैसिक वर्ग :

1—कृषि गोपालन

2—गृह शिल्प (यदि अनिवार्य विषय में गृह विज्ञान नहीं लिया है)

3—वस्त्रोद्योग

4—धातु शिल्प

5—बढ़ईगीरी

6—हाथ से बने कागज का निर्माण

7—मत्स्य पालन

8—चर्म कार्य

9—शाक तथा फल संरक्षण

10—मुर्गी पालन

11—सिलाई

12—उद्यान कर्म बागवानी

13—धुलाई, रंगाई और छपाई ।

(झ) प्राविधिक वर्ग ।

1—सामान्य अभियन्त्रण के तत्व ।

*प्रतिबन्ध यह है कि जिन विद्यालयों में हाई स्कूल परीक्षा के लिये वैज्ञानिक वर्ग को मान्यता नहीं है, वहाँ के छात्र विज्ञान-1 अथवा विज्ञान-2 के स्थान पर द्वितीय

---

*दिनांक 24 अक्तूबर, 1987 के राजकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद्-9/547, दिनांक 15 अक्तूबर, 1987 द्वारा संशोधित ।

वैकल्पिक विषय उपहृत करेंगे जो साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत दिये गये वैकल्पिक विषयों की सूची में से होगा। यह सुविधा परिषद् की 1992 की परीक्षा तक उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा हाई स्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये भी 1992 की परीक्षा तक उपलब्ध रहेगी।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी परीक्षार्थी तीन से अधिक भाषाओं को उपहृत नहीं कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि 1983 अथवा उसके पूर्व वर्षों की हाई स्कूल परीक्षा अथवा हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को यह सुविधा रहेगी कि वह केवल 1984 की हाई स्कूल परीक्षा में, यदि वह चाहे उसी वर्ग और विषयों में सम्मिलित हो सकेगा, जिनमें वह हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ था।

2—समस्त अध्यापकों द्वारा जो हाई स्कूल परीक्षा के लिए तैयार कराने वाली कक्षाओं के शिक्षण में नियुक्त हैं, डायरियां रखी जायेंगी जिनमें उनके द्वारा पढ़ाये गये प्रत्येक विषय में हुआ कार्य दिखाया जायेगा और इन डायरियों का मौखिक अथवा क्रियात्मक परीक्षकों अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा जो परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्त किये जायें, निरीक्षण किया जायेगा।

3—उप सत्रिक परीक्षाओं के लिये बनाये गये प्रश्न-पत्रों तथा समस्त परीक्षार्थियों की लिखित उत्तर-पुस्तकों का भी परीक्षण इस ढंग से तथा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकता है जैसा कि परिषद् निर्देश दे।

4—संस्था का प्रधान मौखिक अथवा क्रियात्मक परीक्षक को अथवा ऐसे प्राधिकारी को, जिसे परिषद् नियुक्त करे, विषय अथवा विषयों में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की सूची देगा, जिससे वह सम्बन्धित है और प्रत्येक नाम के आगे परीक्षार्थी की प्रवीणता के सम्बन्ध में जो परीक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के दौरान उसके अभिलेख से निर्णीत होगी, प्रविष्ट करेगा।

5—समस्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा। हाई स्कूल परीक्षा के समस्त परीक्षार्थी भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देंगे, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परिषद् के सभापति तथा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे, स्वमति से उन परीक्षार्थियों को, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, अंग्रेजी अथवा उर्दू में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दे सकते हैं। भाषाओं को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी में बनाये जायेंगे।

परिषद्, फिर भी, परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त तथा उत्तर प्रदेश के आंग्ल भारतीय विद्यालयों के नियम संहिता द्वारा अनुशासित संस्थाओं को शिक्षण में अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति दे सकती है। आवेदन-पत्र देते समय संस्थाओं के प्रधानों द्वारा सचिव से प्रार्थना करने पर ऐसे परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न-पत्रों के अंग्रेजी रूपान्तर की व्यवस्था की जा सकती है।

टिप्पणी—

(1) भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर भाषाओं तथा तत्सम्बन्धी लिपि में देंगे, जिससे प्रश्न-पत्र का सम्बन्ध है, जब तक कि प्रश्न-पत्र में ही उसके प्रतिकूल उल्लेख न हो।

(2) परिषद् के सभापति ने विनियम 5 अध्याय तेरह के अनुसरण में संस्थाओं के प्रधानों तथा केन्द्र अधीक्षकों को निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में अंग्रेजी में प्रश्न-पत्रों का उत्तर देने की अनुमति देने का अधिकार दे दिया है--

(एक) परीक्षार्थी, जिनकी मातृभाषा हिन्दी न होकर एक अन्य भाषा है।

(दो) परीक्षार्थी, जिन्होंने वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषय (गणित सहित) लिये हैं।

(तीन) आंग्ल-भारतीय संस्थाओं से आने वाले परीक्षार्थी।

(चार) परीक्षार्थी, जिन्हें परिषद् के विनियमों के विनियम 6, अध्याय तेरह के अन्तर्गत परिषद् की परीक्षाओं में अनिवार्य हिन्दी लेने से छूट मिल गई है।

(3) परिषद् के सभापति ने ऊपर के नियम के अधीन जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को ऐसे परीक्षार्थियों को, जिनकी मातृभाषा उर्दू है, परिषद् की परीक्षाओं में उर्दू माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति देने का अधिकार प्रतिनिहित कर दिया है।

(4) ऐसे समस्त मामले, जिनमें संस्थाओं के प्रधानों अथवा केन्द्र अधीक्षकों अथवा जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अनुमति दी जाती है, परिषद् को सूचित किये जाने चाहिये।

6--इन विनियमों की शर्तों के होते हुए भी हाई स्कूल परीक्षा में निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को परिषद् द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनिवार्य हिन्दी से छूट दी जा सकती है :--

(1) विदेशी राष्ट्रिकों, तथा

(2) भारतीय राष्ट्रिक को जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे, जिससे कि वे हाई स्कूल परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को ले सकें :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परीक्षार्थियों को जो हिन्दी का निम्नस्तरीय पाठ्यक्रम प्रारम्भिक हिन्दी अथवा अन्य वैकल्पिक विषय, जो नियमानुकूल हो, अनिवार्य हिन्दी के स्थान पर लेना चाहिये।

ज्ञातव्य--

(1) इस विनियम में उल्लिखित छूट परिषद् के सभापति द्वारा अथवा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है जिसे वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे।

(2) हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं के लिये प्रारम्भिक हिन्दी का पाठ्यक्रम एक ही है।

अध्याय चौदह

इन्टरमीडिएट परीक्षा

1—इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश के लिये या परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्व प्रत्येक परीक्षार्थी को परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा अथवा हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा अथवा विनियम द्वारा उसके (हाई स्कूल परीक्षा) समकक्ष घोषित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

2—निम्नलिखित परीक्षाएं इन्टरमीडिएट परीक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये परीक्षार्थियों को प्रवेश का पात्र बनाने के उद्देश्य से परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष घोषित की जाती हैं—

(1) भारत में विधिवत् स्थापित किसी विश्वविद्यालय की मेंट्रीक्यूलेशन परीक्षा, जो परिषद् द्वारा इस उद्देश्य से मान्य है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की मेंट्रीक्यूलेशन परीक्षाएं परिषद् द्वारा मान्य हैं—

इलाहाबाद, पंजाब, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, बनारस और अलीगढ़ :

प्रतिबन्ध यह है कि बम्बई विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंकों से अथवा प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए।

ज्ञातव्य—बनारस हिन्दू तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों की मेंट्रीक्यूलेशन परीक्षा का तात्पर्य प्रथम की प्रवेश परीक्षा तथा द्वितीय की हाई स्कूल परीक्षा से है।

(2) उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य राज्य की हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा उस राज्य में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा मेंट्रीक्यूलेशन के समकक्ष स्वीकार की जाती है;

(3) कैम्ब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट (जो पहले सीनियर लोकल कहलाती थी) परीक्षायें;

(4) चीफ कालेजों का डिप्लोमा;

(5) मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में यूरोपियन स्कूलों की हाई स्कूल परीक्षा;

(6) मध्य प्रदेश की हाई स्कूल शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा;

(7) हाई स्कूल फाइनल तथा मेंट्रीक्यूलेशन परीक्षा परिषद्, बर्मा द्वारा संचालित हाई स्कूल फाइनल तथा मेंट्रीक्यूलेशन परीक्षा, जो पले बर्मा ऐंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल तथा इंगलिश हाई स्कूल परीक्षा कहलाती थी;

ज्ञातव्य—उन भारतीय विद्यार्थियों के सम्बन्ध में, जो बर्मा से निष्क्रान्त हैं, रंगून विश्वविद्यालय की मेंट्रीक्यूलेशन परीक्षा में बर्मी के अतिरिक्त अन्य विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों, जिन्होंने अलग-अलग विषयों में न्यूनतम अंक तथा बर्मी के अतिरिक्त समस्त विषयों में योगांक प्राप्त किए हैं—इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश के पात्र समझे जाते हैं।

(8) लन्दन विश्वविद्यालय की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा;

(9) ट्रावनकोर राज्य की इंगलिश स्कूल लीविंग परीक्षा;

(10) हैदराबाद (दक्षिन) की हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी म उत्तीर्ण हुआ है;

(11) मैसूर का सेकेन्डरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र घोषित हुआ है;

(12) राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज, देहरादून (जो पहले सैनिक स्कूल, देहरादून तथा मौलिक रूप से रायल इंडियन मिलिटरी कालेज कहलाता था) की डिप्लोमा परीक्षा;

(13) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली की हाई स्कूल परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी ने परीक्षा ऐसे पांच विषयों में उत्तीर्ण की है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के लिए स्वीकृत है ;

टिप्पणी—दिल्ली परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा के निम्नलिखित विषय उत्तर प्रदेश की समान परीक्षा के लिए स्वीकृत विषय समझे जाने चाहिये—

(क) शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान;

(ख) दो स्वीकृत विषयों के संघटित अंगों से युक्त विषय जैसे प्रारम्भिक नागरिकशास्त्र तथा प्रारम्भिक अर्थशास्त्र, प्रारम्भिक अर्थशास्त्र तथा भारतीय इतिहास इत्यादि ;

(उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने 1937 ई० तक दिल्ली परिषद की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है, पांच स्वीकृत विषयों की गणना उस समय लागू नियमों के आधार पर की जानी चाहिए ।)

(14) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन, अजमेर [जो पहले बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, राजपूताना (जिसमें अजमेर, मारवाड़ भी सम्मिलित थे), मध्य भारत और ग्वालियर, अजमेर कहलाता था तथा बाद में जिसका नाम बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडिएट एजुकेशन, अजमेर भोपाल और विन्ध्य प्रदेश, अजमेर रखा गया] की हाई स्कूल परीक्षा;

(15) भारतीय नौ सेना का हायर एजुकेशनल टेस्ट, जो पहले इंडियन मर्केन्टाइल मेरीन ट्रेनिंग शिप "डफरिन" का डफरिन फाइनल पासिंग आउट इक्जामिनेशन अधिशासी अथवा अभियंत्रण कैडेटों के लिए कहलाता था ;

(16) कोचिन राज्य की सेकेन्डरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि सर्टीफिकेट प्राप्तकर्त्ता मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र घोषित हुआ है ;

(17) नेशनल यूनिवर्सिटी, आयरलैन्ड की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा ;

(18) उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (दक्षिन) की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है;

(19) बोर्ड आफ इन्टरमीडिएट ऐन्ड सेकेन्डरी एजूकेशन, ढाका की हाई स्कूल परीक्षा;

(20) नेपाल शासन द्वारा संचालित स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा;

(21) मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स, शेफील्ड तथा बर्मिंघम विश्वविद्यालय के संयुक्त बोर्ड की स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी ने परीक्षा अंग्रेजी, गणित, इतिहास अथवा भूगोल तथा दो अन्य विषयों में उत्तीर्ण की है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल परीक्षा के लिए स्वीकृत हैं ;

(22) संयुक्त मैट्रीक्यूलेशन बोर्ड, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(23) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, हैदराबाद की हायर सेकेन्डरी सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी एक प्रयत्न में उत्तीर्ण हुआ है और उसने परीक्षा में सम्पूर्ण योगांक के कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं तथा वह उस्मानिया विश्वविद्यालय की पूर्व विश्वविद्यालय कक्षा में प्रवेश का पात्र है ;

(24) उत्कल विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(25) प्रमुख एअर क्रैफ्ट्समैन के लिये पुनर्वर्गीकरण हेतु आई0ए0एफ0 एजूकेशनल टेस्ट ;

(26) भारतीय सेना का स्पेशल सर्टीफिकेट आफ एजूकेशन ;

(27) सन् 1946 ई0 से मई, 1964 ई0 तक की प्रयाग महिला विद्यापीठ द्वारा संचालित विद्याविनोदिनी (मैट्रीक्यूलेशन) परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह एकमात्र अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण की गई हो तथा पूर्ण परीक्षा एक साथ अथवा एक दूसरे से दो वर्षों के बीच (दो से अधिक खंडों में नहीं) उत्तीर्ण की गई हो ;

पुनश्च—प्रयाग महिला विद्यापीठ के 556, दारागंज, इलाहाबाद तथा 106, ठीवेट रोड, इलाहाबाद स्थित कार्यालयों से प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जायेंगे ।

(28) लंका की सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, जिसका बाद में नाम जनरल सार्टीफिकेट आफ एजूकेशन (आर्डिनरी लेविल) परीक्षा, लंका रखा गया है ;

(29) बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेन्डरी परीक्षा (एक वर्षीय अथवा तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) ;

(30) गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन द्वारा संचालित अंग्रेजी के साथ अधिकारी परीक्षा, जो एक से अधिक वर्ष में खंडों में उत्तीर्ण न की गई हो ;

टिप्पणी—इस विनियम में प्रयुक्त शब्द खंडों से तात्पर्य 'पूरक परीक्षा' से है ।

(31) सन् 1946 से मई, 1964 तक की प्रयाग महिला विद्यापीठ द्वारा संचालित विद्याविनोदिनी (मैट्रिक्यूलेशन) परीक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के विनियमों के अध्याय तेरह के पुराने विनियम 7 के अन्तर्गत केवल अंग्रेजी में हाई स्कूल परीक्षा (जैसा कि 1955 की विवरण पत्रिका में दिया है) ;

पुनश्च--प्रयाग महिला विद्यापीठ के 556, दारागंज, इलाहाबाद तथा 106, हीवेट रोड, इलाहाबाद स्थित कार्यालयों से प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जायेंगे ।

(32) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान, अजमेर द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा (जो पहले हाई स्कूल परीक्षा कहलाती थी और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा संचालित होती थी) ;

(33) गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह खंडों में नहीं उत्तीर्ण की गई है ;

टिप्पणी--इस विनियम में प्रयुक्त शब्द (खण्डों) से तात्पर्य पूरक परीक्षा से है ।

(34) जामिया-मिलिया इस्लामिया, दिल्ली द्वारा संचालित जामिया उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (जो पहले जूनियर परीक्षा कहलाती थी) इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह खंडों में नहीं उत्तीर्ण की गई है ;

(35) पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(36) गोहाटी विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(37) पूना, महाराष्ट्र राज्य के सेकेन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, बोर्ड द्वारा संचालित (जो पहले बम्बई के सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित होती थी) सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(38) बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेन्डरी प्राविधिक परीक्षा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) ;

(39) जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(40) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, मध्य भारत (ग्वालियर द्वारा संचालित हाई स्कूल परीक्षा) ;

(41) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उन परीक्षार्थियों के लिये, जिन्होंने मैट्रीक्यूलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, एडमीशन अथवा क्वालीफाइंग परीक्षा ;

(42) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित (पहले वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित) पूर्व मध्यमा परीक्षा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा ;

(43) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, पश्चिमी बंगाल द्वारा संचालित स्कूल फाइनल परीक्षा ;

(44) आन्ध्र विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(45) बिहार स्कूल इक्जामिनेशन बोर्ड, पटना द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा ;

(46) विश्वभारती विश्वविद्यालय, पश्चिमी बंगाल द्वारा संचालित मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ;

(47) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, उड़ीसा द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा ;

(48) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित (पहले वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित) पुरानी खण्ड मध्यमा (प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम) तथा अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा;

(49) मध्य प्रदेश, जबलपुर के महाकोशल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा ;

(50) विदर्भ नागपुर के बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा ;

(51) समाज सेवा विनियम के अन्तर्गत पंजाब विश्वविद्यालय, सोलन द्वारा निर्गत मैट्रीक्यूलेशन सर्टिफिकेट ;

(52) पांडिचेरी शासन की निम्नलिखित फ्रेंच परीक्षायें--

(क) ब्रेवेट एलिमेटर (फ्रेन्च) ।

(ख) ब्रेवेड दि एट यूड्स डलर साइकिल (फ्रेन्च) ।

(ग) ब्रेवेट डि एन्साइनमेन्ट प्राइमरी सुपीरियर दि लंग्वे इंडियने (तामिल)।

(घ) डि ब्रेवेट डि लंग्वेइडियने (तेलगू मलयालम) ।

(53) केरल राज्य, त्रिवेन्द्रम के बोर्ड आफ पब्लिक इक्जामिनेशन द्वारा संचालित एस0 एस0 एल0 सी0 परीक्षा ;

(54) बंगलादेश सेकेन्डरी एजूकेशन बोर्ड, ढाका (बंगलादेश) की मैट्रीकुलेशन परीक्षा ;

(55) बड़ौदा के गुजरात सेकेन्डरी स्कूल, सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित सेकेन्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ;

(56) सेन्ट्रल बोर्ड आफ एजूकेशन, अजमेर, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा ;

(57) काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा संचालित विशारद परीक्षा ;

(58) सिन्ध विश्वविद्यालय, पाकिस्तान की मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा ;

(59) भारत में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हायर सेकेन्डरी प्रथम भाग अथवा अन्य अनुरूप परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसकी परीक्षायें परिषद् द्वारा मान्य हैं तथा परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र दिया जाता है;

यह अनुरूपता छात्र द्वारा उस राज्य की बी0 ए0 परीक्षा के लिये आवश्यक बाद के अध्ययन की वर्ष की संख्या से अवधारित होगी ;

(60) प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित सेकेन्डरी टेक्निकल परीक्षा ।

(61) काउन्सिल फार दी इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित पांच विषयों के साथ एक बार में उत्तीर्ण इंडियन सर्टीफिकेट आफ सेकेन्डरी एजूकेशन एक्जामिनेशन (स्टैन्डर्ड टेन्थ एग्जामिनेशन) ।

(62) पंजाब स्कूल एजूकेशनल बोर्ड, चण्डीगढ़ की मैट्रीकुलेशन परीक्षा ।

(63) बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, नागालैण्ड की हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा।

(64) बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, हरियाणा, चन्डीगढ़ की मैट्रीकुलेशन, हायर सेकेन्डरी, भाग-एक तथा दो परीक्षा।

*(65) हिमांचल प्रदेश बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन (शिमला) द्वारा संचालित मैट्रिक्यूलेशन, हायर सेकेन्डरी, भाग-एक तथा भाग-दो परीक्षा।

**(66) गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, सहारनपुर की "विद्यारत्न परीक्षा"।

†(67) पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड, चण्डीगढ़ द्वारा संचालित हायर सेकेन्डरी परीक्षा कक्षा-11।

†(68) बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, मणिपुर, इम्फाल द्वारा संचालित हाई स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा।

†(69) त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, अगरतला की क्रमशः माध्यमिक स्कूल फाइनल परीक्षा तथा हायर सेकेन्डरी परीक्षा (कक्षा-11)।

2-क--नीचे लिखी हुई शर्तें उन व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित संस्थाओं पर लागू होंगी, जो किसी अधिनियम अथवा चार्टर के अन्तर्गत अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं चल रही हैं। ये शर्तें उनके द्वारा संचालित, परीक्षाओं को परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष विनियम 2, अध्याय चौदह के अन्तर्गत मान्यता देने के उद्देश्य से लागू होंगी:—

(1) परिषद् का एक प्रतिनिधि उस प्राधिकार में होगा, जो परीक्षा के लिये अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करता है;

(2) वह संस्था अपने परीक्षा-केन्द्रों को परिषद् के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षित किये जाने की अनुमति देगी;

(3) वह संस्था परिषद् के प्रतिनिधियों को परिषद् के नियमों के अनुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता देगी।

ये शर्तें उन समस्त संस्थाओं पर लागू होंगी, जो परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र देती हैं तथा उन निकायों के लिये भी, जिनकी परीक्षाएं इस अध्याय के विनियम 2 (30) तथा (33) के अन्तर्गत परिषद् द्वारा उसकी हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं।

3---कोई परीक्षार्थी उस समय तक इन्टरमीडिएट परीक्षा में नहीं प्रविष्ट हो सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा हाई स्कूल अथवा एक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए दो शैक्षिक वर्ष न बीत गये हों:

प्रतिबन्ध यह है कि जिन परीक्षार्थियों ने कैम्ब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट (जो पहले सीनियर लोकल कहलाती थी), परीक्षा अथवा इन्डियन स्कूल

---

*राजाज्ञा संख्या मा-683/-15-7-2 (9)--79, दिनांक 25 अप्रैल, 1980 द्वारा संशोधित।

**राजकीय गजट, भाग 4, दिनांक 13 मार्च, 1982 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-9/870/पांच--8 (बोर्ड दिसम्बर, 1980), दिनांक 4 फरवरी, 1982 द्वारा संशोधित।

†दिनांक 14 मई के राजकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति सं० परिषद्--9/104, दिनांक 4 मई 1983 द्वारा सम्मिलित।

सर्टीफिकेट परीक्षा, नई दिल्ली की काउन्सिल द्वारा संचालित इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (केवल दिसम्बर, 1974 तक) अथवा हायर सेकेन्डरी परीक्षा (एक वर्षीय अथवा त्रिवर्षीय पाठ्क्रम) अथवा बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेन्डरी स्कूल टेक्निकल सर्टीफिकेट परीक्षा (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, अजमेर, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा डिमांस्ट्रेशन मल्टीपरपज हायर सेकेन्डरी परीक्षा अथवा भारत में विधिवत स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा प्रवेश अथवा अर्हता अथवा पूर्व विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिसके तुरन्त बाद में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम होता है, इन्टरमीडिएट परीक्षा में पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करने के अगले शैक्षिक वर्ष में प्रविष्ट हो सकते हैं ।

व्याख्या--इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में भी प्रविष्ट होने के पात्र हैं, यदि वे वांछित शर्तें पूरी करें ।

3-क—विखंडित ।

3-ख--इन विनियमों की शर्तों के होते हुए भी कोई परीक्षार्थी, जिसने परिषद् की इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा अथवा एक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वैज्ञानिक वर्ग के साथ इन्टरमीडिएट परीक्षा में, उस शैक्षिक वर्ष के बाद के वर्ष में बैठ सकता है जिसमें वह पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करता है ।

ऐसे परीक्षार्थी को हिन्दी में पुनः बैठने की आवश्यकता न होगी और इन विषयों में उसके द्वारा पहले प्राप्त अंकों को सम्मिलित कर लिया जायगा ।

4--किसी छात्र को, जो एक शैक्षिक वर्ष भारत में विधिवत् स्थापित ऐसे विश्वविद्यालय अथवा भारत में ऐसे माध्यमिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध विद्यालय में रहा है, जिसका मैट्रीक्यूलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा परिषद् द्वारा मान्य है अथवा जिसने हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की उत्तर मध्यमा कक्षा जो पहले राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी द्वारा संचालित होती थी, में उत्तर मध्यमा परीक्षा (अंग्रेजी के साथ) की तैयारी में प्रवेश किया है, एक वर्ष की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें वह इस प्रकार रहा है, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह समुचित प्राधिकारी से यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि तत्सम्बन्धी वर्ष का लेखा उस विश्वविद्यालय अथवा निकाय में लागू विनियमों के अनुसार जहां उसने प्रव्रजन किया है, विधिवत् रखा गया है तथा कथित आचार्य को उसके स्थानान्तरण में कोई आपत्ति नहीं है ।

टिप्पणी—कोई छात्र जो ऊपर के प्रस्ताव में उल्लिखित किसी निकाय में सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में सत्र के किसी भाग में रहा है, परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रविष्ट हो सकता है और उस विद्यालय के व्याख्यानों को उपस्थिति की गणना उत्तर प्रदेश के विद्यालय की उपस्थिति के साथ पाठ्यक्रम के नियमित अध्ययन के उद्देश्य से की जायेगी, इस प्रतिबन्ध के साथ कि ऊपर के विनियम में निर्धारित शर्तें पूरी की जाती हैं ।

उपर्युक्त विनियम के उद्देश्य से गौहाटी तथा राजस्थान विश्वविद्यालयों की इन्टरमीडिएट परीक्षायें भी मान्य हैं ।

*5—कृषि वर्ग तथा वाणिज्य (तृतीय) (व्यवसायिक शिक्षा) वर्ग के परीक्षार्थियों को छोड़कर इन्टरमीडिएट परीक्षा के प्रत्येक परीक्षार्थी को निम्नलिखित के अनुसार पांच विषयों में परीक्षा ली जायेगी।

इन विषयों के अतिरिक्त शारीरिक, व्यायाम तथा नैतिक शिक्षा का शिक्षण सभी छात्रों के लिये अनिवार्य होगा—

(1) एक अनिवार्य विषय कृषि वर्ग तथा वाणिज्य (तृतीय) (व्यावसायिक शिक्षा) के परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य समस्त वर्गों के लिये—

साहित्यिक हिन्दी–(साहित्यिक, रचनात्मक, ललित कला तथा उत्तर बेसिक वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए)।

अथवा

सामान्य हिन्दी–[वैज्ञानिक वाणिज्य (प्रथम) तथा वाणिज्य (द्वितीय) तथा प्राविधिक वर्ग के परीक्षार्थियों के लिये]।

क–साहित्यिक वर्ग

(2—5) निम्नलिखित में से कोई चार—

(एक) भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दी हुई भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू अथवा मलयालम);

(दो) एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नेपाली, तिब्बती अथवा चीनी);

(तीन) एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी अथवा लैटिन);

ज्ञातव्य :—(1) परीक्षार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में दो से अधिक भाषायें न ले सकेंगे।

(2) कश्मीरी तथा चीनी के पाठ्यक्रम पारित होने तक परीक्षार्थी इन्हें उपहृत नहीं कर सकेंगे।

(3) संस्कृत इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह उपयुक्त क्रमांक एक में वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं ली गयी है।

(चार) इतिहास अथवा भूगोल अथवा वाणिज्य भूगोल;

(पांच) नागरिक शास्त्र;

†(छः) गणित अथवा सैन्य विज्ञान अथवा मनोविज्ञान अथवा शिक्षाशास्त्र;

(सात) अर्थशास्त्र;

(आठ) तर्कशास्त्र अथवा संगीत (गायन) अथवा संगीत (वादन);

(नौ) चित्रकला;

(दस) समाज शास्त्र;

(ग्यारह) सांख्यिकी।

---

*दिनांक 9 मई, 1987 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् /9/1 दिनांक 9 अप्रैल, 1987 द्वारा संशोधित।

†दिनांक 22 जनवरी, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् 9/958 दिनांक 14 जनवरी, 1983 द्वारा संशोधित। (1984 की परीक्षा से प्रभावी)

(बारह) गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये)

*(तेरह) खाद्य संरक्षण (Food Preservation) केवल बालिकाओं के लिये ।

*(चौदह) धुलाई तथा रंगाई (Laundry and Dyeing) केवल बालिकाओं के लिये ।

*(पन्द्रह) पाक शास्त्र (Cookery) केवल बालिकाओं के लिये ।

*(सोलह) परिधान रचना एवं सज्जा (Dress Making and Decoration) केवल बालिकाओं के लिये ।

टिप्पणी––

(एक) क्रम बारह के विषय लेने वाली छात्राओं को क्रम तेरह, चौदह, पन्द्रह तथा सोलह में से कोई एक विषय (ट्रेड) उपहृत करना अनिवार्य होगा । परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वर्ष 1988 की परीक्षा में जिन छात्राओं ने गृह विज्ञान के साथ निर्धारित ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड का चयन नहीं किया है, उन्हें उक्त ट्रेड के स्थान पर एक अन्य वैकल्पिक विषय साहित्यिक वर्ग से लेने की सुविधा केवल वर्ष 1988 की परीक्षा के लिये रहेगी ।

(दो) क्रम बारह से सोलह तक के विषय में केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही प्रवेश पात्र होंगे परन्तु इन विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होंगे ।

(ख) वैज्ञानिक वर्ग (प्रथम)

(क) (2––4) निम्नलिखित में से कोई तीन :––

(एक) भौतिक विज्ञान;

(दो) रसायन विज्ञान;

(तीन) जीव विज्ञान;

†(चार) गणित अथवा सैन्य विज्ञान अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये) ।

(पांच) भू–विज्ञान;

(छः) कुलाल विज्ञान (केवल संस्थागत परीक्षार्थियों के लिये) अथवा औद्योगिक रसायन ।

(सात) सांख्यिकी ।

(ख) (5) उपर्युक्त वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई एक जिसे उपहृत न किया गया हो ।

[टिप्पणी––क्रमांक (चार) के विषय दुबारा नहीं लिये जा सकेंगे ।]

---

*दिनांक 9 मई, 1987 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद्/91 ––दिनांक 9 अप्रैल, 1987 द्वारा सम्मिलित तथा वर्ष 1988 की परीक्षा से प्रभावी।

†दिनांक 10 दिसम्बर, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् 654, दिनांक 1 दिसम्बर, 1988 द्वारा संशोधित ।

अथवा

साहित्यिक वर्ग के क्रम एक, दो, चार, सात तथा नौ में निर्धारित वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई एक विषय ।

ख—वैज्ञानिक वर्ग (द्वितीय)

(आयुर्वेदिक तथा यूनानी वर्ग)

(2) संस्कृत अथवा अरबी अथवा फारसी;

(3) भौतिक विज्ञान;

(4) रसायन विज्ञान,

(5) जीव विज्ञान ।

ग—वाणिज्य वर्ग (प्रथम)

(2) बहीखाता तथा लेखा शास्त्र,

*(3) व्यावारिक संगठन एवं पत्र-व्यवहार ।

(4-5)—निम्नलिखित में से कोई दो विषय :—

(एक) अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल,

(दो) अधिकोषण तत्व,

(तीन) औद्योगिक संगठन,

(चार) गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी,

(पांच) टंकण हिन्दी तथा अंग्रेजी ।

अथवा

आशुलिपि तथा टंकण अंग्रेजी

अथवा

आशुलिपि तथा टंकण हिन्दी,

(छः) संविधान की आठवीं अनुसूची में दी हुई भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू अथवा मलयालम) ।

अथवा

कोई एक विदेशी भाषा (अंग्रेजी फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नेपाली, तिब्बती अथवा चीनी) ।

†(सात) बीमा-सिद्धान्त एवं व्यवहार ।

---

†दिनांक 28 जुलाई, 1984 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्/9/224 दिनांक 17 जुलाई, 1984 द्वारा सम्मिलित ।

*दिनांक 1 अक्तूबर, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या/परिषद्/9/421 दिनांक 26 सितम्बर, 1988 द्वारा संशोधित तथा वर्ष 1991 की परीक्षा से प्रभावी ।

ग—वाणिज्य वर्ग (द्वितीय)

(2) बहीखाता तथा वाणिज्य प्रणाली,

(3-4) उच्च आशुलिपि तथा टंकण हिन्दी अथवा अंग्रेजी (दो विषयों के बराबर),

(5) संविधान की आठवीं अनुसूची में दी हुई भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू अथवा मलयालम)।

अथवा

कोई एक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नैपाली, तिब्बती अथवा चीनी)।

*ग—वाणिज्य वर्ग (तृतीय) (व्यावसायिक शिक्षा)

वाणिज्य (तृतीय) (व्यावसायिक शिक्षा) को लेने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी को नीचे दिये गये विषयों में परीक्षा ली जायेगी—

1—भाषा—

(अ) व्यावसायिक हिन्दी

(ब) व्यावसायिक अंग्रेजी

2—सामान्य आधारिक विषय—

3—(क) वाणिज्य विषय सैद्धान्तिक निम्नलिखित आठ धाराओं में से कोई एक धारा—

(एक) एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण

(दो) बैंकिंग

(तीन) आशुलिपि एवं टंकण

(चार) विपणन तथा विक्रय कला

(पांच) सचिवीय पद्धति

(छ) बीमा

(सात) सहकारिता

(आठ) टंकण हिन्दी तथा अंग्रेजी

---

*दिनांक 23 नवम्बर, 1985 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्/9/413, दिनांक 15 नवम्बर, 1985 द्वारा सम्मिलित तथा वर्ष 1987 की परीक्षा से प्रभावी।

(ख) रोजगार परक प्रशिक्षण (वाणिज्य विषय की सम्बन्धित धारा में दि
गये प्रायोगिक कार्य के अनुसार)।

टिप्पणी--(1) रोजगार परक प्रशिक्षण प्रयोगशाला तथा कार्य स्थल पर होगा।

(2) केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही इसमें प्रवेश के पात्र होंगे परन्तु वाणिज्य (तृतीय) (व्यावसायिक शिक्षा) के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप प्रविष्ट हो सकेंगे।

(3) वाणिज्य (तृतीय) (व्यावसायिक शिक्षा) के परीक्षार्थियों को हिन्दी छूट नहीं प्रदान की जायेगी।

घ--रचनात्मक वर्ग

(2-3) निम्नलिखित में से कोई एक (दो विषयों के समकक्ष)--

(एक) काष्ठशिल्प

(दो) ग्रन्थ शिल्प

(तीन) सिलाई

(चार) धातु शिल्प

(पांच) कताई और बुनाई

(छ) चमड़े का काम

(4-5) साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत दिये वैकल्पिक विषयों की सूची में से क्र आठ में दिये विषयों को छोड़कर कोई दो विषय।

च--ललित कला वर्ग

(2-3) निम्नलिखित में से कोई दो--

(1) संगीत (गायन);

(2) संगीत (वादन) अथवा रंजनकला;

(3) मूर्ति कला अथवा व्यावसायिक कला;

(4) चित्रकला अथवा नृत्य कला।

(4-5) साहित्यिक वर्ग के वैकल्पिक विषयों की सूची में सम्मिलित विषयों से क्रम आठ में दिये विषयों के अलावा कोई दो विषय।

ज्ञातव्य--(1) मूर्ति कला अथवा व्यावसायिक कला लेने वाले परीक्षार्थी उ सूची के क्रम-संख्या छः में दिये विषय भी न ले सकेंगे।

(2) संगीत (गायन अथवा वादन) तथा चित्रकला विषयों को, यदि इस व के अन्तर्गत लिया गया है, तो उन्हें साहित्यिक वर्ग के इन वैकल्पिक विषयों के रूप नहीं लिया जा सकेगा।

छ--कृषि वर्ग

कृषि वर्ग लेने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी को नीचे दिये विषय में परीक्षा ली जायेगी--

भाग एक--(प्रथम वर्ष) परीक्षा

विषय	अधिकतम अंक सिद्धांत में	न्यूनतम उत्तीर्णांक सिद्धांत में	अधिकतम अंक क्रियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक क्रियात्मक में	न्यूनतम उत्तीर्णांक योग में
1	2	3	4	5	6
-हिन्दी--(प्रत्येक 50 अंकों के दो प्रश्न-पत्र)	100	33	..	..	..
-कृषि--					
(क) प्रथम प्रश्न-पत्र--शस्य विज्ञान (सामान्य कृषि क्षेत्र की फसलें, भूमि एवं खाद तथा क्रियात्मक)	50	13	50	13	33
(ख) द्वितीय प्रश्न-पत्र--वनस्पति विज्ञान तथा क्रियात्मक	50	13	50	13	33
(ग) तृतीय प्रश्न-पत्र--भौतिक विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान तथा क्रियात्मक	50	13	50	13	33
(घ) चतुर्थ प्रश्न-पत्र--कृषि अभियंत्रण तथा क्रियात्मक	50	13	50	13	33
(ङ) पंचम प्रश्न-पत्र--गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी	50	17	..	..	..
योग ..	350	..	200	..	..

***भाग दो—(द्वितीय वर्ष) परीक्षा**

विषय	अधिकतम अंक सिद्धांत	न्यूनतम उत्तीर्णांक सिद्धांत	अधिकतम अंक क्रियात्मक	न्यूनतम उत्तीर्णांक क्रियात्मक	न्यूनतम उत्तीर्णांक योग
1	2	3	4	5	
1—कृषि—					
(क) षष्ठम् प्रश्न-पत्र—शस्य विज्ञान (सिंचाई, जल निकास तथा वनस्पति उत्पादन) तथा क्रियात्मक	50	13	50	13	3
(ख) सप्तम् प्रश्न-पत्र—अर्थशास्त्र	50	17	..	..	
(ग) अष्टम् प्रश्न-पत्र—जन्तु विज्ञान तथा क्रियात्मक	50	13	50	13	1
(घ) नवम प्रश्न-पत्र—पशुपालन तथा पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा क्रियात्मक	50	13	50	13	
(ङ) दशम् प्रश्न-पत्र—रसायन विज्ञान तथा क्रियात्मक	50	13	50	13	
(च) एकादश प्रश्न-पत्र	40	12	60	18	
निम्नलिखित में से कोई एक व्यावसाय (ट्रेड्स)—					
(1) मधुमक्खी पालन					
(2) डेरी प्रौद्योगिकी					
(3) रेशम कीट पालन					
(4) फलसंरक्षण प्रौद्योगिकी					
(5) बिजोत्पादन प्रौद्योगिकी					
(6) फसल सुरक्षा सेवा					
(7) पौधशाला व्यवसाय					
(8) भूमि संरक्षण एवं भूमि सुधार					
योग ..	290	..	260	..	

*27 अगस्त, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्/9/21 दिनांक 16 अगस्त, 1988 द्वारा संशोधित तथा वर्ष 1989 की परीक्षा से प्रभावी।

(1) कोई परीक्षार्थी कृषि इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रमाण-पत्र का अधिकारी परीक्षा के दोनों भागों को उत्तीर्ण करने के पश्चात् होगा। परीक्षा के द्वितीय भाग (द्वितीय वर्ष) के अन्त में सफल परीक्षार्थी की श्रेणी का निर्धारण परीक्षा के प्रथम तथा द्वितीय भागों के संयुक्त अंकों के आधार पर होगा।

(2) परीक्षार्थियों को समस्त विषयों में तथा सिद्धान्त के प्रत्येक प्रश्न-पत्र और परीक्षा के भाग 1 के विषय संख्या 2 की क्रियात्मक परीक्षा में भी पृथकतः उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। कोई परीक्षार्थी जब तक कि वह परीक्षा का प्रथम भाग उत्तीर्ण न कर लें तब तक वह परीक्षा के भाग 2 में प्रविष्ट न हो सकेगा।

(3) परीक्षा के भाग 1 में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के नाम भी गजट के भाग 4 में प्रकाशित किये जायेंगे। कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी।

(4) परीक्षा के भाग 2 में परीक्षार्थी को न्यूनतम उत्तीर्णांक पृथकतः सिद्धान्त के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में तथा परीक्षा के लिए निर्धारित प्रत्येक क्रियात्मक परीक्षा में प्राप्त करने होंगे।

(5) परीक्षा के भाग 2 में निर्धारित एकादश प्रश्न-पत्र—व्यवसाय (ट्रेड्स) अनिवार्य रूप से 1989 की परीक्षा से चयनित विद्यालयों में लागू होगा। जिन विद्यालयों को व्यवसाय (ट्रेड्स) के लिए चयनित नहीं किया गया उनमें एकादश प्रश्न-पत्र लागू नहीं होगा।

(6) एकादश प्रश्न-पत्र—व्यवसाय (ट्रेड्स) में केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे परन्तु विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकेंगे।

ज—उत्तर बेसिक वर्ग

प्रवेश—केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही इसमें प्रवेश के पात्र होंगे। परन्तु इस अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकेंगे।

2—साहित्यिक वर्ग के क्रम (एक), (दो), (चार) तथा (नौ) के अन्तर्गत दिये वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई एक विषय।

3—सामुदायिक रहन-सहन तथा सम्बन्धित विज्ञान।

4-5—निम्नलिखित तालिका के (क), (ख), (ग) और (घ) में से कोई एक मुख्य शिल्प तथा उस मुख्य शिल्प के सम्मुख अंकित गौण शिल्पों में से कोई एक।

मुख्य शिल्प	गौण शिल्प
(क) कृषि गोपालन	(1) सामान्य वस्त्रोद्योग
	(2) मधुमक्खी पालन

मुख्य शिल्प	गौण शिल्प
	(3) शाक तथा फल संरक्षण
	(4) कुक्कुट पालन
	(5) मत्स्य पालन
	(6) दुग्ध व्यवसाय
अथवा	
(ख) गृह शिल्प	(1) सिलाई
	(2) शाक तथा फल संरक्षण
	(3) तेल तथा अंगराग
	(4) कुक्कुट पालन
	(5) उद्यान कर्म-बागवानी
	(6) धुलाई, रंगाई और छपाई
	(7) दुग्ध व्यवसाय
अथवा	
(ग) वस्त्रोद्योग	(1) सिलाई
	(2) धुलाई, रंगाई और छपाई
	(3) रासायनिक प्रौद्योग
	(4) उद्यान कर्म-बागवानी
	(5) बढ़ईगीरी
	(6) धातु शिल्प
अथवा	
(घ) निम्नलिखित में से कोई एक व्यवसाय—	(1) धातु शिल्प
(1) यांत्रिक शिक्षा	(2) बढ़ईगीरी
अथवा	(3) हाथ से कागज का निर्माण
(2) टंकण तथा आशुलिपि	(4) मत्स्य पालन
अथवा	(5) तेल तथा अंगराग
(3) ग्रन्थ शिल्प तथा छपाई प्रौद्योग	(6) चर्म कार्य

टिप्पणी--जब तक पाठ्यक्रम नहीं नि[illegible]त हो जाते हैं, परीक्षार्थी गौड़ शिल्पों अन्तर्गत रासायनिक प्रौद्योग, मधुमक्खी पालन, दुग्ध व्यवसाय, तेल तथा अंगराग और शिल्पों के अन्तर्गत यांत्रिक शिक्षा, टंकण तथा आशुलिपि और ग्रन्थ शिल्प तथा छ[illegible] प्रौद्योग नहीं ले सकेंगे।

(6) समस्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषय[illegible] शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा। इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थी भाषाओं के अति[illegible]

समस्त विषयों में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी के माध्यम से देंगे। इस प्रतिबन्ध के साथ कि परिषद् के सभापति तथा ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें वे इस सम्बन्ध में अधिकार दे दें, स्वविवेक से उन परीक्षार्थियों को जिनकी मातृभाषा हिन्दी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा है और जिन्होंने हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा तक हिन्दी का अध्ययन नहीं किया है या जिन्होंने वैज्ञानिक या प्राविधिक विषय लिए हैं, अंग्रेजी द्वारा प्रश्नों का उत्तर देने की आज्ञा दे सकते हैं। भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रश्न-पत्र हिन्दी में बनाये जायेंगे।

तथापि परिषद्, परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त तथा उत्तर प्रदेश के आंग्ल भारतीय विद्यालयों की विनियम संहिता से शासित संस्थाओं को शिक्षण में अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति दे सकती है। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय संस्थाओं के प्रधानों द्वारा सचिव को प्रार्थना-पत्र देने पर ऐसे परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न-पत्रों के अंग्रेजी रूपान्तर की व्यवस्था की जा सकती है।

टिप्पणी—(1) भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर भाषाओं तथा तत्सम्बन्धी लिपि में देंगे, यदि प्रश्न-पत्र में ही उसके विपरीत उल्लेख न हो।

(2) परिषद् के सभापति ने अध्याय चौदह के विनियम 6 के अनुसरण में संस्थाओं के प्रधानों तथा केन्द्रों के अधीक्षकों को यह अधिकार दे दिया है कि वे पूर्वोक्त वर्गों के परीक्षार्थियों को तथा आंग्ल भारतीय संस्थाओं से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में भाषाओं को छोड़कर अन्य विषयों में अंग्रेजी में प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति दे दें।

(3) उपर्युक्त विनियम के अन्तर्गत सभापति ने उत्तर प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी अपने अधिकार, ऐसे परीक्षार्थियों को जिनकी मातृभाषा उर्दू है, परन्तु जिन्होंने हिन्दी (प्रारम्भिक पाठ्यक्रम) पढ़ी है, परिषद् की परीक्षा में उर्दू माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में प्रतिनिहित कर दिया है।

(7) अध्याय चौदह के विनियम के होते हुए भी वे परीक्षार्थी जो 1953 ई० या उससे पूर्व के वर्ष की इण्टरमीडिएट परीक्षा में "विशेष युद्ध विनियमों" "शरणार्थी परीक्षार्थियों" के लिए "विशेष संक्रमणकालीन विनियमों" (जैसे कि 1951 ई० की विवरण-पत्रिका में दिये हैं तथा राजनीतिक पीड़ितों के लिए विशेष संक्रमणकालीन विनियमों" के अन्तर्गत बैठे तथा अनुत्तीर्ण हुए, बाद के किसी वर्ष की इण्टरमीडिएट परीक्षा में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में, उस वर्ष के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बैठ सकते हैं, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वे परिषद् की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए विनियमों में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा कराते हैं।

8- इन विनियमों की शर्तों के होते हुये भी इण्टरमीडिएट परीक्षा में निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को अनिवार्य हिन्दी [विनियम 5 (1) में उल्लिखित विषय अथवा कृषि वर्ग की हिन्दी] से छूट परिषद् द्वारा निर्धारित नियमानुसार दी जा सकती है।

(1) विदेशी राष्ट्रकों, तथा

(2) भारतीय राष्ट्रिक जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ न हो सके, जिससे कि वे इण्टरमीडिएट परीक्षा, में अनिवार्य हिन्दी को एक विषय के रूप में ले सके।

प्रतिबन्ध यह है कि (1) कृषि के अतिरिक्त अन्य विषयों के वर्गों को लेने वाले परीक्षार्थियों को अनिवार्य हिन्दी के स्थान पर हिन्दी के निम्न स्तरीय पाठ्यक्रम प्रारम्भिक हिन्दी अथवा एक अन्य वैकल्पिक विषय लेना चाहिये ।

(2) कृषि वर्ग के लेने वाले परीक्षार्थियों को हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी विषय लेने वाले परीक्षार्थियों के लिये निर्धारित अंग्रेजी केवल प्रश्न-पत्र लेना चाहिये । कृषि वर्ग के ऐसे परीक्षार्थियों के लिए यह प्रश्न-पत्र 100 अंकों का होगा ।

व्याख्या—(1) इस विनियम में उल्लिखित छूट, सभापति द्वारा अथवा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है, जिसे वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे दें ।

(2) हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं के लिये प्रारम्भिक हिन्दी का एक ही पाठ्यक्रम होगा ।

9—निरस्त ।

9—(क)—कोई परीक्षार्थी जिसने अध्याय चौदह के प्राचीन विनियम 9 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा केवल अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण कर ली है, शेष विषयों सहित इन्टरमीडिएट की आगामी परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है और वह परीक्षार्थी परीक्षा में सफल होने पर अवशिष्ट विषयों में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र पाने का अधिकारी होगा ।

ऐसे परीक्षार्थियों को सम्पूर्ण इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण माना जायेगा । उन्हें कोई श्रेणी नहीं दी जायेगी ।

अध्याय पन्द्रह (क)

हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा

*विखंडित

**अध्याय चौदह (क)

इन्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा

(अन्तिम दो वर्षीय कक्षा 11-12 के पाठ्यक्रम)

(1) इन्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित विषयों तथा ट्रेड में परीक्षा ली जायेगी :

(एक) सामान्य हिन्दी (जो इन्टरमीडिएट वैज्ञानिक, वाणिज्य आदि वर्गों के परीक्षार्थियों के लिये निर्धारित है ।)

---

* दिनांक 14 नवम्बर, 1981 में राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् 9/527, दिनांक 29 अक्तूबर, 1981 द्वारा विखंडित ।

** दिनांक 1-10-88 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद्-9/405, दिनांक 21 सितम्बर, 1988 द्वारा सम्मिलित । तथा दि0 26-5-90 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-9/74, दिनांक 5-5-90 द्वारा संशोधित एवं वर्ष 1991 की परीक्षा से प्रभावी ।

(दो) निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों में से कोई एक विषय (100 अंक अध्याय-चौदह में निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रश्न-पत्रों के अनुसार)

1--अरबी
2--अर्थशास्त्र
3--आसामी
4--इतिहास
5--उर्दू
6--उड़िया
7--अंग्रेजी
8--कन्नड़
9--गणित
10--गृह विज्ञान
11--गुजराती
12--चित्रकला
13--जर्मन
14--तर्क शास्त्र
15--तमिल
16--तेलगू
17--नागरिकशास्त्र
18--नेपाली
19--पाली
20--पंजाबी (गुरमुखी)
21--फारसी
22--फ्रांसीसी
23--बंगला
24--भूगोल
25--मनोविज्ञान
26--मराठी
27--मलयालम
28--रूसी
29--लैटिन
30--वाणिज्य भूगोल
31--समाज शास्त्र
32--संगीत वादन

33—संगीत गायन

34—सांख्यिकी

35—संस्कृत

36—सिन्धी

37—सैन्य विज्ञान

38—शिक्षा शास्त्र

39—जीव विज्ञान

40—भू-विज्ञान

41—भौतिक विज्ञान

42—रसायन विज्ञान

43—औद्योगिक रसायन

44—व्यापारिक संगठन एवं पत्र-व्यवहार

45—औद्योगिक संगठन

46—अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल

47—गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी

48—शस्य विज्ञान

(तीन) सामान्य आधारिक विषय (50-50 अंकों के दो प्रश्न-पत्र)

(चार)—निम्नलिखित व्यावसायिक धाराओं ट्रेड्स) में से कोई एक —

(क) सैद्धान्तिक (5×60) पांच प्रश्न-पत्र प्रत्येक 60 अंक कुल 300 अंक।

(ख) प्रयोगात्मक :

आन्तरिक—200 अंक }
बाह्य—200 अंक } 400 अंक

1—खाद्य संरक्षण

2—पाक शास्त्र

3—परिधान रचना एवं सज्जा

4—धुलाई तथा रंगाई

5—बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी

6—टेक्सटाइल डिजाइन

7—बुनाई तकनीक

8—नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध

9—पुस्तकालय विज्ञान

10—बुनियादी स्वास्थ्य कर्मिक (पुरुष)

11—फोटोग्राफी

12—रेडियो एवं टेलीवीजन तकनीक

13—आटोमोबाइल्स

14—मुद्रण

15—कुलाल विज्ञान

16—मधुमक्खी पालन

17—डेरी प्रौद्योगिकी

18—रेशम कीट पालन

19—फल संरक्षण प्रौद्योगिकी

20—बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी

21—फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी

22—पौधशाला

23—भूमि संरक्षण

24—एकाउन्टेंसी एवं अंकेक्षण

25—बैंकिंग

26—आशुलिपि एवं टंकण

27—विपणन तथा विक्रय कला

28—सचिवीय पद्धति

29—बीमा

30—सहकारिता

31—टंकण हिन्दी तथा अंग्रेजी

(2) व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेड्स में रोजगारपरक परीक्षण कराया जायेगा सम्बन्धित ट्रेड में दिये गये प्रौद्योगिक कार्य के अनुसार होगा। रोजगारपरक क्षण प्रयोगशाला तथा कार्य-स्थल दोनों स्थानों पर होगा।

(3) इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा में केवल संस्थागत परीक्षार्थी प्रवेश के पात्र होंगे परन्तु व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत ार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकेंगे।

(4) इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा के परीक्षार्थियों को हिन्दी से नहीं प्रदान की जायेगी।

(5) इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी को ाद की हाई स्कूल अथवा कोई परीक्षा, जो विनियमों द्वारा उसके समकक्ष घोषित ाई है, उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(6) शिक्षण एवं प्रश्न-पत्रों का उत्तर देने का माध्यम हिन्दी होगा, यदि कोई ार्थी प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में देना चाहता है तो उसे उसकी अनुमति होगी।

(7) अध्याय बारह के विनियम लागू होंगे जहाँ तक कि वे इस अध्याय के विनियमों प्रतिकूल नहीं हैं।

(8) व्यावसायिक शिक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा अन्तिम वर्ष में होगी।

अध्याय–पन्द्रह (ख)

इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा

[अन्तिम दो वर्षीय पाठ्यक्रम (कक्षा 11–12)]

*1—निम्नलिखित के अनुसार इंटरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा के लिए परी[illegible] को पांच विषयों में परीक्षा ली जायगी :—

इन विषयों के अतिरिक्त शारीरिक व्यायाम तथा नैतिक शिक्षा में शिक्षण [illegible] होगा :—

1—सामान्य हिन्दी ।

2—गणित ।

3—भौतिक विज्ञान ।

4—रसायन विज्ञान ।

5—वैद्युत अभियन्त्रण के तत्व अथवा यांत्रिक अभियन्त्रण के तत्व ।

उपर्युक्त पांच विषयों के साथ यदि परीक्षार्थी चाहे तो अतिरिक्त वैकल्पिक के रूप में अंग्रेजी उपहृत कर सकता है । उत्तीर्ण होने पर इसका उल्लेख प्रमाण–प[illegible] किया जायेगा । इससे इसके परीक्षाफल में या श्रेणी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2—प्रवेश—केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्ष[illegible] प्रवेश के पात्र हैं ।

2–क—इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी परिषद् की हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा (यथोचित पाठ्यक्रम सहित) अथवा कोई प[illegible] जो विनियम द्वारा उसके समकक्ष घोषित की गई है, इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा [illegible] लिए निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा ।

परीक्षार्थियों को इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा के लिए निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित परीक्षा परिषद् की [illegible] स्कूल प्राविधिक परीक्षा के समकक्ष घोषित की जाती है—

सेकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड, उड़ीसा, कटक द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टी[illegible] परीक्षा (प्राविधिक) ।

3—शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम—शिक्षण एवं प्रश्न–पत्रों के उत्तर[illegible] का माध्यम पारिभाषिक शब्दावली को छोड़कर, जो अंग्रेजी में दी [illegible] चाहिए, हिन्दी होगा । यदि कोई विद्यार्थी अंग्रेजी में प्रश्न–पत्रों का [illegible] देना चाहता है तो उसे ऐसा करने की आज्ञा दी जा सकती है ।

4—दिन–प्रति दिन के क्रियात्मक कार्य का निर्धारण—पूर्णांकों के [illegible] प्रतिशत अंक दिन–प्रति दिन के क्रियात्मक कार्य के लिये नियत रहें[illegible]

*दिनांक 22 जनवरी, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिष[illegible] 9/958, दिनांक 14 जनवरी, 1983 द्वारा संशोधित [1985 की परी[illegible] से प्रभावी ।]

परीक्षा संचालित करते समय वाह्य क्रियात्मक परीक्षक दिन-प्रति दिन के कार्य पर अंक प्रदान करेंगे ।

5—अध्याय बारह के विनियम लागू होंगे, जहां तक कि वे इस अध्याय के विनियमों के प्रतिकूल नहीं हैं ।

6—ऊपर के विनियम 2 की शर्तों के होते हुए भी किसी परीक्षार्थी को, जो इंटरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है और जो परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होना चाहता है परन्तु एक व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा से पूर्व की जनवरी के अन्त तक उस मान्यताप्राप्त प्राविधिक संस्था के प्रधान से, जहां वह व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट होना चाहता है, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये कि उसने उसकी प्राविधिक संस्था में उसके द्वारा लिये हुए मुख्य प्राविधिक विषय में तीन मास का प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

*7—इन विनियमों की शर्तों के होते हुए भी इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा में निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को परिषद् द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनिवार्य हिन्दी से छूट दी जा सकती है—

(1) विदेशी राष्ट्रिकों; तथा

(2) भारतीय राष्ट्रिक, जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ न हो सके जिससे कि वे इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को ले सकें ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परीक्षार्थियों को सामान्य हिन्दी के स्थान पर हिन्दी निम्नस्तरीय पाठ्यक्रम प्रारम्भिक अथवा एक अन्य वैकल्पिक विषय लेना चाहिए ।

ज्ञातव्य—(1) इस विनियम में उल्लिखित छूट, परिषद् के सभापति द्वारा अथवा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है, जिसे वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे दें ।

(2) विखण्डित ।

अध्याय—सोलह

प्रकीर्ण

1—परिषद् की परीक्षाओं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना परीक्षाओं की विवरण-पत्रिका में दी जायेगी जो प्रति वर्ष परिषद् के सचिव, द्वारा निर्गत होता है और जो निदेशक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से नियत मूल्य देकर प्राप्त हो सकती है ।

---

*दिनांक 22 जनवरी, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-9/958, दिनांक 14 जनवरी, 1983 द्वारा संशोधित [1984 की परीक्षा से प्रभावी ।]

2—उत्तर प्रदेश की शिक्षा संहिता के नियम परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त समस्त शिक्षा संस्थाओं पर लागू होंगे, जहां तक कि वे इन विनियमों के प्रतिकूल नहीं हैं।

3—परिषद् समय-समय पर ऐसे प्रपत्र एवं पंजी तैयार करेगी जैसा कि आवश्यक समझे जायेंगे। इस प्रकार तैयार किये गये प्रपत्र इन विनियमों से संलग्न कर दिए जायेंगे और ऐसे परिवर्तनों के साथ जैसे कि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हों, उनमें उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों से व्यवहृत होंगे।

भाग—तीन

(इण्टरमीडिएट एजूकेशन अधिनियम, 1921 की धारा 20 के अन्तर्गत बनाई गई परिषद् की उपविधियां)।

*1—परिषद् की समस्त बैठकों में सभापति सहित परिषद का कोरम उसके कुल सदस्यों का एक-तिहाई होगा।

2—यदि कोरम उपस्थित नहीं है तो बैठक के लिये विज्ञापित समय से 30 मिनट पश्चात् कोई बैठक न होगी।

यह बात परिषद् की समितियों तथा परिषद् द्वारा नियुक्त उपसमितियों अथवा उसकी विभिन्न समितियों के सम्बन्ध में भी लागू होगी।

3—यदि किसी बैठक के दौरान, कोई सदस्य कोरम की अनुपस्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करता है तो सभापति बैठक को भंग कर देगा।

4—प्रत्येक प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णीत होगा और मतों के एक समान विभाजित होने की दशा में, सभापति का एक द्वितीय मत होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 3 (3) के अन्तर्गत परिषद् के सदस्यों के आमेलन, धारा 15 (1) के अन्तर्गत परिषद् के सदस्यों के उसकी समितियों में निर्वाचन तथा अधिनियम की धारा 13 (3) के अन्तर्गत व्यक्तियों के समितियों में आमेलन के लिये, निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। निर्वाचन के ढंग को एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुशासित करने वाली अनुसूची परिशिष्ट 'क' में दी है।

5—यदि कोई सदस्य परिषद् की किसी बैठक में सभापति के आदेश अथवा व्यवस्था का निरन्तर अवहेलना करता है अथवा उसको चुनौती देता है तो सभापति बैठक का मत ले सकता है कि क्यों ऐसे सदस्यों को उस दिन के लिये निलम्बित नहीं कर दिया जाय। यदि उपस्थित सदस्य निलम्बन का निर्णय करते हैं तो सभापति अपराधी सदस्य को निलम्बित घोषित कर देगा और ऐसे सदस्य को अविलम्ब प्रत्याहरण के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

6—कोई प्रस्ताव जो परिषद् द्वारा अमान्य कर दिया गया है, अमान्य किये जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर सभापति की अनुमति के सिवाय पुनः प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

---

*परिषद् निर्णय सं० 3, दिनांक 6-7 अगस्त, 1981 द्वारा संशोधित।

7—परिषद् की समस्त बैठकों का सभापतित्व परिषद् के पदेन सभापत [द्वा]रा किया जायगा। सभापति की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य सभापति का [का]र्यपालन करेंगे।

8—परिषद् उसकी समितियों तथा उप-समितियों की बैठकें, जब तक कि विशेष [का]रणों से सभापति इसके प्रतिकूल आदेश न दे, इलाहाबाद में ही होंगी।

*9—विखण्डित।

**10—परिषद् की बैठकों की लिखित सूचना, बैठक की कार्य-सूची-पत्र [के] साथ परिषद् के समस्त सदस्यों को बैठक से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व [दी] जायगी।

**10 (क) अधियाचित बैठकों की लिखित सूचना कार्य सूची-पत्र के साथ [प]रिषद् के समस्त सदस्यों को अधियाचना प्राप्ति की तिथि से तीन सप्ताह के अन्दर [प्रे]षित की जायगी।

**10 (ख) जिन सदस्यों ने अधियाचना की है उनमें से यदि इतने सदस्य अधि[या]चना को वापस करने की लिखकर देते हैं जिससे अधियाचना में अन्य सदस्यों की संख्या [प]रिषद् के 1 1/4 सदस्यों से कम हो जाती है तो अधियाचना रद्द हो जायगी। [प्र]तिबन्ध यह है कि अधियाचना को वापस लेने का पत्र सचिव को अधियाचना के एक [स]प्ताह के अन्दर भेज दिया जाय।

11—सभापति की सहमति के बिना, कार्य-सूची-पत्र में दी हुई कार्यवाही के [अ]तिरिक्त किसी बैठक में कोई अन्य कार्यवाही न होगी।

12—परिषद् की बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव का नोटिस सचिव के पास [बै]ठक से कम से कम दस दिन पूर्व अवश्य पहुँच जाना चाहिए।

13—प्रस्ताव के लिए उचित नोटिस दिया गया है, इस विषय के समस्त प्रश्नों [का] निर्णय सभापति द्वारा किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

14—(क) निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव जिसका यथाविधि नोटिस नहीं [दि]या गया है, परिषद् की बैठक में नहीं रखा जायेगा—

(1) किसी वाद-विवाद को स्थगित करने का,

(2) किसी बैठक को स्थगित करने का,

(3) किसी बैठक को भंग करने का,

(4) कार्यवाही के क्रम को परिवर्तित करने का,

(5) किसी मामले को विभाग अथवा विश्वविद्यालय अथवा शासन के किसी प्राधिकारी को विचारार्थ भेजने का,

(6) विचार के आगामी विषय पर बढ़ने का,

(7) कोई समिति नियुक्त करने का,

---

*परिषद् की बैठक दिनांक 21 मार्च, 1980 के प्रस्ताव संख्या बारह द्वारा [वि]खण्डित।

**परिषद् की बैठक दिनांक 1 फरवरी, 1981 के प्रस्ताव संख्या उन्तीस द्वारा [स]म्मिलित।

(8) बैठक को एक समिति में विघटित करने का,

(9) यह प्रस्तावित करना कि प्रश्न अब प्रस्तुत किया जाय।

(ख) ऊपर के (1), (2), (6) अथवा (9) के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव पर बहस के बिना मत लिया जायगा।

(ग) (1), (2), (3), (4), (6), (8) और (9) के अन्तर्गत प्रस्ताव केवल अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से ही रखे जा सकेंगे।

15—प्रत्येक प्रस्ताव स्वीकारात्मक रूप में होगा और "कि" शब्द से आरम्भ होगा।

16—प्रत्येक प्रस्ताव का अनुमोदन होना चाहिए अन्यथा वह गिर जायगा। प्रस्ताव का अनुमोदन, सभापति की अनुमति से अपने भाषण को आरक्षित रख सकता है।

17—जब कोई प्रस्ताव, जो ठीक रूप में है, अनुमोदित हो जाता है, बहस किये जाने से पूर्व सभापति द्वारा कथित होगा।

18—यदि सभापति द्वारा प्रस्ताव के कथित होने के उपरान्त कोई सदस्य प्रस्ताव पर बोलने को नहीं खड़ा होता है, तो सभापति उस पर मत लेने की अग्रिम कार्यवाही करेगा।

19—एक प्रस्ताव और उसके एक संशोधन से अधिक बैठक के सामने एक ही समय पर नहीं प्रस्तुत किये जायेंगे।

20—एक बार निबटाया हुआ प्रस्ताव पुनः उसी बैठक अथवा उसकी स्थगित बैठक में नहीं रखा जायेगा।

21—कोई ऐसा संशोधन नहीं प्रस्तावित किया जायेगा जो मूल प्रस्ताव को प्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक करें।

22—प्रत्येक संशोधन उस प्रस्ताव से सम्बद्ध होना चाहिए जिस पर वह प्रस्तावित किया गया है।

23—कोई संशोधन नहीं प्रस्तावित किया जायेगा जो मौलिक रूप से बैठक द्वारा पहले निबटाया हुआ प्रश्न उठाता है अथवा जो उसके पहले से स्वीकृत किसी निश्चय से असम्बद्ध हो।

24—जो संशोधन ठीक रूप में हों, उन्हें किस क्रम से लिया जायगा वह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होगा।

25—किसी संशोधन का अनुमोदन प्रस्ताव को मति होना चाहिए अन्यथा वह गिर जायेगा। संशोधन का अनुमोदन सभापति की अनुमति से अपने भाषण को आरक्षित रख सकता है।

26—एक संशोधन, जो ठीक रूप में है, जब प्रस्तावित तथा अनुमोदित हो जाता है अध्यक्ष द्वारा कथित होगा।

27—भंग करने अथवा स्थगन के प्रस्तावक को उत्तर का अधिकार नहीं है।

28—जब सभापति यह जान लेगा कि बैठक को संशोधित करने का अधिकारी कोई अन्य सदस्य नहीं बोलना चाहता है, तो मूल प्रस्ताव का प्रस्तावक पूरे वाद-विवाद का उत्तर देगा।

29—प्रस्तावक द्वारा उत्तर आरम्भ करने के पश्चात् कोई सदस्य प्रश्न पर नहीं बोलेगा।

30—जब बहस समाप्त हो जाती है, तो सभापति उसका सार प्रकट करने के उपरान्त, यदि चाहे, तो इस प्रकार प्रश्न पर मत ले सकता है—

(1) यदि कोई संशोधन है तो सभापति प्रस्ताव और संशोधन को पढ़े और बैठक का मत लेगा।

(2) यदि संशोधन अस्वीकृत हो जाता है, तो मूल प्रस्ताव सभापति द्वारा पुनः रखा जायेगा और पहले की उपविधियों के अधीन कोई दूसरा संशोधन जो ठीक है, उसके पश्चात् प्रस्तावित किया जायेगा।

(3) यदि कोई संशोधन स्वीकृत हो जाता है तो संशोधित प्रस्ताव सभापति द्वारा रखा जायगा और तब उस पर मौलिक प्रश्न के रूप में बहस होगी, जिस पर मूल प्रस्ताव के कोई और संशोधन, जो ठीक रूप में हो, जहाँ तक कि वे लागू हो सकेंगे, पहले के उपविधियों के अधीन प्रस्तावित किये जा सकते हैं। जब इस प्रकार समस्त संशोधनों पर कार्यवाही हो जायेगी, तब सभापति संशोधित प्रस्ताव पर मौलिक प्रस्ताव के रूप में मत लेगा।

31—भंग करने अथवा स्थगन का प्रस्ताव किसी भी समय एक स्पष्ट प्रश्न के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है, परन्तु एक संशोधन के रूप में नहीं और न किसी भाषण में रुकावट डालने के लिए ही।

32—यदि भंग करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो बैठक के विचाराधीन कार्यवाही समाप्त हो जायगी।

33—यदि स्थगन का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो बैठक स्थगित हो जायेगी और कार्यवाही स्थगित बैठक में पुनः प्रारम्भ की जायेगी।

34—बहस को किसी निर्दिष्ट तिथि तथा समय के लिए स्थगन का प्रस्ताव भी इसी प्रकार प्रस्तावित किया जा सकता है और यदि स्वीकृत हो जाय तो विचाराधीन प्रश्न पर बहस निर्दिष्ट तिथि एवं समय तक स्थगित हो जायेगी और कार्य-सूची-पत्र के अन्य विषयों को लिया जायेगा। यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है, तो बहस पुनः आरम्भ होगी।

35—कोई बैठक अथवा बहस, जो किसी स्थगन के बाद फिर आरम्भ होती है चलती रहती है स्थगन से पूर्व की समझी जायेगी।

36—कार्यवाही के अगले विषय के लिये बढ़ने का प्रस्ताव किसी समय उसी ढंग से तथा उन्हीं नियमों के अन्तर्गत, जो स्थगन के लिये है, किया जा सकता है। यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो विचाराधीन प्रस्ताव तथा उसका संशोधन यदि कोई हो, छूट जायगा।

37—प्रस्ताव अथवा संशोधन रखे जाने के बाद किसी समय कोई सदस्य सभापति से प्रश्न करने की प्रार्थना कर सकता है और यदि सभापति को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव पर पर्याप्त बहस हो चुकी है तो प्रस्तावक से उसका उत्तर मांगते हुते बहस समाप्त कर सकता है और प्रश्न पर मत ले सकता है।

38—कोई भी सदस्य प्रस्ताव अथवा संशोधन रखते समय 15 मिनट से अधिक तथा अनुमोदन करते समय अथवा किसी प्रस्ताव या संशोधन पर बोलते समय अथवा उत्तर देते समय 10 मिनट से अधिक नहीं बोलेगा।

39—सभापति कार्यवाही में किसी समय स्वविवेक से अथवा किसी सदस्य की प्रार्थना पर प्रस्ताव अथवा संशोधन का, जो बैठक के सामने है, क्षेत्र और प्रभाव समझा सकता है। यदि वह चाहे तो वाद-विवाद की समाप्ति पर वाद-विवाद का सार भी प्रकट कर सकता है।

40—कोई सदस्य, जब कोई दूसरा बोल रहा है, अपने द्वारा प्रयुक्त किसी वाक्य का स्पष्टीकरण करने के लिये, जो वक्ता द्वारा गलत समझा गया हो, सभापति अनुमति से खड़ा हो सकता है, परन्तु वह अपने को केवल ऐसे स्पष्टीकरण तक सीमित रखेगा।

41—कोई सदस्य सभापति का ध्यान किसी वैधानिक प्रश्न पर उस समय भी दि सकता है जिस समय अन्य सदस्य बैठक को सम्बोधित कर रहा हो, परन्तु ऐसे वैधानि प्रश्न पर कोई भाषण नहीं दिया जायेगा।

42—सभापति किसी भी वैधानिक प्रश्न का एक मात्र निर्णायक होगा और किसी भी सदस्य को व्यवस्था बनाये रखने का आदेश दे सकता है और यदि आवश्यक तो बैठक को भंग अथवा उसी दिन कुछ घंटे या अगले दिन के लिए स्थगित सकता है।

43—सभापति की अनुमति से किसी सदस्य द्वारा जिसने किसी प्रस्ताव अथ संशोधन का नोटिस दिया है, प्रस्ताव अथवा संशोधन वापस लिया जा सकता है।

44—एक सदस्य के नाम का कोई प्रस्ताव अथवा संशोधन, जो बैठक में अनुपस्थि हो, किसी अन्य सदस्य द्वारा लाया जा सकता है।

45—किसी प्रश्न पर मत लेने पर सभापति परिषद् के मत का संकेत स्वीकारात्म अथवा नकारात्मक रूप में जानने को हाथ उठवायेगा और अपने मत के अनुसार उस परिणाम घोषित करेगा।

46—किसी विवादग्रस्त मामले पर समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव किसी स द्वारा किसी समय और बिना पूर्व नोटिस के रखा जा सकता है।

46—(क) परिषद् अथवा उसकी समिति की बैठक में उप-समिति नियुक्त क का प्रस्ताव निम्नलिखित को छोड़कर नहीं रखा जायगा—

(1) परिषद् की परीक्षाओं में काफी बड़े पैमाने पर अनुचित साधनों प्रयोग के मामलों में उसी स्थान पर जांच करने के लिए किसी केन्द्र के ए आध मामलों में अथवा थोड़े से मामलों में जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा ज की जायगी।

(2) उन मामलों के विस्तार से जांच, जिनकी सावधानी से संनिरीक्षा जानी है तथा जो परिषद् अथवा उसकी समितियों की बैठक में नहीं निपट जा सकते हैं।

46—(ख) ऐसी उप समिति में परिषद् के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, कोई हों, जिन्हें परिषद् तथा उसकी समितियां प्रत्येक दशा में ठीक समझें, इस प्रतिबन्ध साथ कि सदस्यता साधारणतया तीन से अधिक न होगी।

टिप्पणी—उपविधि 46—क तथा 46—ख परिषद् द्वारा तदर्थ समिति की नियुक्ति लागू न होगी।

47—किसी समिति के नियुक्ति के प्रस्ताव में उस उद्देश्य का कथन, जिसके लि समिति को कार्य करना है तथा उसके सदस्यों की संख्या होनी चाहिये। संख्या बढ़ाने अ घटाने के संशोधन बिना पूर्व नोटिस के रखे जा सकते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो तो प्रस्ताव रखने वाला सदस्य उन व्यक्तियों के नाम बतायेगा, जिन्हें वह समिति में र चाहता है। तब यदि आवश्यक हुआ, तो मत लिया जायगा और वांछित संख्या में स को नियुक्ति उन व्यक्तियों में से होगी जो अधिकतम मत प्राप्त करते हैं।

48—किसी समिति का संयोजक समिति की नियुक्ति के समय नियुक्त किया जा

49—परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के निश्चय एक आख्या में समाविष्ट किये जायेंगे। आख्या परिषद् को उसकी आगामी बैठक में यथाविधि नोटिस देकर प्रस्तुत की जायगी।

50—परिषद् के सचिव द्वारा संयोजकों के परामर्श से समितियों तथा उप-समितियों की बैठकों की तिथियाँ नियत की जायेंगी।

समिति की बैठकों की लिखित सूचना समस्त सदस्यों को बैठक के कार्य-सूची पत्र के साथ बैठक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रेषित की जायेगी। इसी प्रकार उप-समितियों की बैठकों की लिखित सूचना समस्त सदस्यों को बैठक से कम से कम तीन दिन पूर्व प्रेषित की जायेगी।

51—परिषद् की समस्त साधारण समितियों की बैठकें यथासंभव परिषद् की बैठकों से पूर्व तुरन्त होंगी।

52—समिति अथवा उप-समिति का संयोजक समिति की प्रत्येक बैठक की आख्या की एक प्रति सचिव को उपस्थित सदस्यों की सूची सहित प्रेषित करेगा।

53—किसी समिति अथवा उप-समिति का कोरम उसके सदस्यों के एक-तिहाई से कम न होगा।

54—यदि किसी समिति अथवा उप-समिति की बैठक कोरम की कमी के कारण नहीं होती है, बैठक किसी अन्य तिथि के लिये स्थगित कर दी जायेगी जब कि उपस्थित सदस्य कोरम की अनुपस्थिति में भी मूल बैठक में विज्ञापित कार्यवाही करेंगे। किसी बैठक की कार्यवाही, जो कोरम की कमी के कारण नहीं हो पाती है, पत्र-व्यवहार द्वारा भी हो सकती है।

55—पाठ्यक्रम समितियाँ अपनी कार्यवाही अंशतः बैठक द्वारा तथा अंशतः पत्र-व्यवहार द्वारा पूरी कर सकती हैं।

56—परिषद् की समितियों अथवा उप-समितियों की बैठकों में प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा। मतों के समान विभाजन की दशा में सभापतित्व करने वाले व्यक्तियों का एक द्वितीय मत होगा।

56—(क)
56—(ख) } विखंडित
56—(ग)

56—(घ) जब तक कि कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय की पाठ्यक्रम समिति का सदस्य है, उस समय तक कोई पुस्तक, जिसका वह लेखक अथवा प्रकाशक है अथवा जिसमें उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वार्थ है, उस विषय में परिषद् की किसी भी परीक्षा में स्वीकृति अथवा संस्तुत न होगी।

57—परिषद् की बैठक के बाद यथासम्भव शीघ्रता से बैठक के कार्य वृत्त का आलेख सचिव द्वारा सभापति को प्रस्तुत किया जायेगा और उसके द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। तब कार्यवृत्त मुद्रित कराया जायेगा और समस्त सदस्यों में परिचलित कराया जायेगा। उपस्थित सदस्य कार्यवृत्त निर्गत होने के 15 दिन के भीतर सचिव को उसकी शुद्धता सम्बन्धी आपत्तियों की सूचना देंगे। कार्यवृत्त तथा आपत्तियाँ, यदि कोई हों, परिषद् की आगामी बैठक में रखी जायेंगी और तब कार्यवृत्त की अन्तिम रूप में पुष्टि की जायेगी।

58—किसी मामले में, जब कि इन उप-विधियों में व्यवस्था न हो, सभापति को कार्यविधि के सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था देने का अधिकार होगा।

परिशिष्ट 'क'

(अध्याय चार के विनियम-7 तथा उपविधि 4 के सन्दर्भ में)

अनुसूची

एकलसंक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन विधि के सम्बन्ध में उपबन्ध

1—निम्नलिखित अनुच्छेदों में—

(अ) "उम्मीदवार" का अर्थ बैठक में यथाविधि योग्यता प्राप्त नामित व्यक्ति है।

(आ) "सभापति" का अर्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का सभापति है।

(इ) "अविरामी उम्मीदवार" का अर्थ निर्वाचित न हुए अथवा किसी नियत समय पर मतदान के लिए न छोड़े गये सदस्य से है।

(ई) "निश्शेषित पत्र" का अर्थ वह मत-पत्र है, जिस पर अविरामी उम्मीदवा के लिए और वरीयता का अभिलेख न हो, इस प्रतिबन्ध के साथ कि पत्र उस दशा में भी निश्शेषित समझा जायेगा ; यदि

(1) दो अथवा अधिक उम्मीदवारों, चाहे वे अविरामी हों या नहीं, के नामों के आगे वही संख्या अंकित है और वरीयता के क्रम में वे अगले ही स्थान पर हैं।

(2) वरीयता के क्रम में अगले उम्मीदवार का नाम, चाहे वह अविरामी हो अथवा नहीं, अंकित है—

(क) एक ऐसी संख्या द्वारा जो मत-पत्र की किन्हीं संख्याओं के बाद क्रम से न हो, अथवा

(ख) दो अथवा दो से अधिक संख्याओं द्वारा।

(उ) "प्रथम वरीयता" का अर्थ उस उम्मीदवार से है जिसके नाम के आगे मत-पत्र पर संख्या 1 अंकित हो, "द्वितीय वरीयता" का अर्थ उस उम्मीदवार से है, जिसके नाम के आगे संख्या 2 तथा "तृतीय वरीयता" का अर्थ उस उम्मीदवार से है, जिसके नाम के आगे संख्या 3 हो और इसी प्रकार।

(ऊ) "मूलमत" का अर्थ किसी भी उम्मीदवार के सम्बन्ध में किसी मत-पत्र से प्राप्त मत से है जिस पर ऐसे उम्मीदवार के लिए प्रथम वरीयता का अभिलेख हो।

(ए) "सचिव" का अर्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के सचिव से है और उसमें अपर सचिव भी सम्मिलित है।

(ऐ) "कोटा" का अर्थ मतों के निम्नतम-मूल्य से है जो उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए पर्याप्त हो।

(ओ) "अतिरिक्त" का अर्थ उस संख्या से है, जो किसी उम्मीदवार के मूल तथा स्थानान्तरित मतों के कोटे से अधिक होता है।

(ओ) "स्थानान्तरित मत" का किसी उम्मीदवार के सम्बन्ध में अर्थ ऐसे मत से है जो मत-पत्र पर दिया गया है, जिस पर द्वितीय अथवा बाद के वरीयता के मत का अभिलेख ऐसे उम्मीदवार के लिए है और ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका मूल्य अथवा मूल्य का अंश प्राप्त होना है।

(अं) "अनिदर्शोषित पत्र" का अर्थ है वह मत-पत्र जिस पर एक अविरामी उम्मीदवार के लिए और वरीयता का अभिलेख हो।

2—परिषद् अथवा सम्बन्धित समितियों के सदस्य जो यथाविधि संयोजित बैठकों उपस्थित होंगे, निर्वाचन में भाग लेंगे। निर्वाचन के लिये नाम मौखिक रूप से ाचित किये जायेंगे और उम्मीदवारी की वापसी बैठक में उसी रूप से होगी.

3—यदि प्राप्त नामों की संख्या अथवा वापस लिये गये नामों को यदि कोई हों, कर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के समान हो, तो अध्यक्ष इस प्रकार मत उम्मीदवारों को विधिवत् निर्वाचित घोषित करेगा।

4—यदि उपर्युक्त के अनुसार यथाविधि नामित सदस्यों की संख्या वापस लिये गये ें को घटा कर, यदि कोई हो, भरी जाने वाली रिक्तियों से अधिक है तो निर्वाचन और मत-पत्रों की संनिरीक्षा तथा गणना सचिव द्वारा ऐसे अन्य व्यक्तियों की यता से की जायेगी जो सभापति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

5—सचिव निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और इन अनुछेदों के अन्तर्गत ाचन के संचालन के लिए समस्त आवश्यक कार्य करेगा।

6—निर्वाचन अधिकारी सभापति को एक परिलेख प्रस्तुत करेगा जिसमें यथाविधि ाचित सदस्यों के नाम दिखाये जायेंगे।

7—सचिव नामन एवं मत-पत्रों को एक मुहरबन्द पैकेट में रखेगा जो छः मास अवधि तक संरक्षित रखा जायगा।

8—मतदान मत-पत्र द्वारा होगा। प्रत्येक मत-पत्र में निर्वाचन के लिये यथाविधि मत समस्त सदस्यों के नाम मुद्रित होंगे।

9—यदि कोई सदस्य असावधानता से कोई मत-पत्र खराब कर देता है तो वह निर्वाचन अधिकारी को लौटा देगा, जो ऐसी असावधानता से अस्पष्ट होने पर उसे मत-पत्र दे देगा और खराब हुए पत्र को अपने पास रख लेगा और यह खराब पत्र तुरन्त ही रद्द कर दिया जायगा।

10—प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होगा। अपना मत देने में प्रत्येक

(क) अपने मत-पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने संख्या 1 लिखेगा जिसे वह मत देता है।

(ख) इसके साथ अपनी पसन्द अथवा वरीयता का क्रम जितने उम्मीदवारों के लिए वह चाहे, उनके विभिन्न नामों के सामने 2, 3, 4 आदि संख्या क्रमानुसार लिख कर प्रकट करेगा।

11—मत-पत्र अवैध हो जायगा—

(क) जिस पर सदस्य अपने हस्ताक्षर करता है अथवा कोई शब्द लिखता है है अथवा कोई ऐसा चिन्ह बनाता है जिससे वह पहचानने योग्य हो जाय, अथवा

(ख) जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये प्रपत्र पर नहीं है, अथवा

(ग) जिस पर संख्या 1 नहीं अंकित है अथवा

(घ) जिस पर संख्या 1, एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने अंकित की गई है, अथवा

(ङ) जिस पर संख्या 1 तथा कुछ अन्य संख्याएं एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित की गयी है, अथवा

(च) जो अचिन्हित है अथवा अनिश्चय के कारण रद्द है

12—निर्वाचन अधिकारी इन अनुच्छेदों के प्रतिबन्धों को पूरा करने में—

(क) समस्त अपूर्णकों की अवहेलना करेगा।

(ख) पहले से निर्वाचित अथवा मतदान से निकाले गये उम्मीदवारों के लिए अभिलिखित वरीयता की ओर ध्यान न देगा।

13—मतदान के लिए नियत समय के यथाशीघ्र बाद में, निर्वाचन अधिकारी मत-पत्रों की जांच करेगा और उनमें से अवैध पाये जाने वाले मत-पत्र अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होने के पश्चात् अलग रख दिये जायगे। शेष पत्रों को वह प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्राप्त प्रथम वरीयता के अनुसार बंडलों में विभाजित करेगा। तब वह प्रत्येक बंडल के मत-पत्रों की संख्या की गणना करेगा।

14—इन नियमों द्वारा नियत कार्यविधि की सुविधा के लिए प्रत्येक मत-पत्र सौ रुपये के मूल्य का समझा जायगा।

15—तब निर्वाचन अधिकारी समस्त बंडलों के पत्रों का मूल्य जोड़ेगा और योग में, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में एक जोड़ कर भाग देगा और भाग्यफल में एक जोड़ देगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए पर्याप्त संख्या होगी जो इसके पश्चात् "कोटा" कहलायेगी।

16—यदि इन अनुच्छेदों के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किसी समय निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान कुछ उम्मीदवारों ने कोटा प्राप्त कर लिया तो ऐसे उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जायगा तथा और आगे कोई कार्यवाही न की जायगी।

17—(1) प्रत्येक उम्मीदवार जिसके बंडल का मूल्य, प्रथम वरीयता की गणना करने पर कोटा के समान अथवा उससे अधिक होगा, निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(2) यदि ऐसे किसी बंडल में पत्रों का मूल्य कोटा के समान है, तो पत्रों पर अन्तिम रूप से हुई कार्यवाही मान कर उन्हें अलग रख दिया जायेगा

(3) यदि ऐसे किसी बंडल में पत्रों का मूल्य कोटा से अधिक है तो अतिरिक्त को अविराम उम्मीदवारों के लिए, जो मतदाता के वरीयताक्रम में मत-पत्रों में अगले स्थान पर है, नीचे लिखे अनुच्छेदों में निर्दिष्ट रूप में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

18—(1) यदि और जब भी इन अनुच्छेदों में नियत किसी कार्य के फलस्वरूप किसी उम्मीदवार के कुछ अतिरिक्त मत आते हैं तो ये अतिरिक्त मत अनुवर्ती उप अनुच्छेदों में नियत ढंग से स्थानान्तरित किये जायेंगे।

(2) यदि एक से अधिक उम्मीदवार के अतिरिक्त मत हैं तो पहले सर्वाधिक रिक्त पर और अन्य पर अधिकता के क्रम में विचार होगा इस प्रतिबन्ध के साथ तों के प्रथम गणना में आये प्रत्येक अतिरिक्त मत पर द्वितीय गणना में आये पहले विचार होगा और इसी प्रकार क्रम चलेगा ।

(3) जहां दो अथवा ज्यादा अतिरिक्त मत बराबर हैं, निर्वाचन अधिकारी द 23 के अनुसार निर्णय देगा कि पहले किस पर विचार किया जाय ।

(4) (क) यदि किसी उम्मीदवार के स्थानान्तरित किए जाने वाले अतिरिक्त केवल मूल मतों से ही हैं तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार के बंडल के पत्रों की जांच करेगा, जिसके अतिरिक्त मत स्थानान्तरित होने हैं और शेषित-पत्रों को उप-बंडलों में उन पर अभिलिखित अगली वरीयता के अनुसार जित करेगा । वह निश्शेषित-पत्रों के लिए एक अलग उप-बंडल भी बनाएगा ।

(ख) वह ऐसे उप-बन्डल में पत्रों का तथा समस्त अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य त करेगा ।

(ग) यदि अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य अतिरिक्त मतों के समान अथवा उनसे तो वह समस्त अनिश्शेषित पत्रों को उस मूल्य पर जिस पर वे उन उम्मीदवारों प्राप्त हुए थे, जिनके मतों का स्थानान्तरण हो रहा है, स्थानान्तरित कर देगा ।

(घ) यदि अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य अतिरिक्त मत से अधिक है तो वह षित पत्रों के उप-बंडलों को स्थानान्तरित कर देगा और वह मूल्य जिस पर मत स्थानान्तरित किया जायेगा, अतिरिक्त मतों को अनिश्शेषित पत्रों की पूर्ण से विभाजित करके निर्धारित करेगा ।

(5) यदि किसी उम्मीदवार के स्थानान्तरित किये जाने वाले अतिरिक्त मत रित किये जाने वाले तथा मूल मतों से उत्पन्न होते हैं, तो निर्वाचन अधिकारी र को अन्तिम बार स्थानान्तरित उप-बंडल के सभी पत्रों की पुनः जांच करेगा निश्शेषित पत्रों के उप-बंडलों में उन पर अभिलिखित अगामी वरीयता के विभाजित करेगा । तब वह उप-बंडलों पर उसी प्रकार की कार्यवाही करेगा अन्तिम पूर्व अनुच्छेद के उप-बंडलों के सम्बन्ध में प्रावधानित हैं ।

(6) प्रत्येक उम्मीवार को, स्थानान्तरित पत्र ऐसे उम्मीदवार को पहले से प्राप्त साथ एक उप-बंडल के रूप में जोड़ दिए जायेंगे ।

(7) किसी निर्वाचित उम्मीदवार के बंडल अथवा उप-बंडलों के समस्त पत्र, अनुच्छेद के अन्तर्गत स्थानान्तरित नहीं हुए हैं, अन्तिम रूप से विचार किए रूप में अलग रख दिए जायेंगे ।

19—(1) यदि, यथापूर्व निर्देशानुसार, समस्त अतिरिक्त मतों के स्थानान्तरित बाद वांछित संख्या से कम सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो निर्वाचन अधिकारी में सबसे नीचे के उम्मीदवारों को हटा देगा और उसके अनिश्शेषित पत्रों रामी उम्मीदवारों में उन पर अभिलिखित अगली वरीयता के अनुसार बांट कोई भी निश्शेषित पत्र अन्तिम रूप से विचार किए हुए के रूप में अलग रख गे ।

(2) किसी हटाये हुए उम्मीदवार के पत्र जिनमें उसके मूल मत होंगे, पहले रित होंगे, प्रत्येक पत्र का स्थानान्तरित मूल्य एक सौ रुपया होगा ।

परिशिष्ट 'क'

(अध्याय चार के विनियम-7 तथा उपविधि 4 के सन्दर्भ में)

अनुसूची

एकलसंक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन विधि के सम्बन्ध में उपबन्ध

1—निम्नलिखित अनुच्छेदों में—

(अ) "उम्मीदवार" का अर्थ बैठक में यथाविधि योग्यता प्राप्त नामित व्यक्ति है।

(आ) "सभापति" का अर्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का सभापति है।

(इ) "अवरामी उम्मीदवार" का अर्थ निर्वाचित न हुए अथवा किसी नियत समय पर मतदान के लिए न छोड़े गये सदस्य से है।

(ई) "निश्शेषित पत्र" का अर्थ वह मत-पत्र है, जिस पर अविरामी उम्मीदवा के लिए और वरीयता का अभिलेख न हो, इस प्रतिबन्ध के साथ कि पत्र उस दशा में भी निश्शषित समझा जायेगा ; यदि

(1) दो अथवा अधिक उम्मीदवारों, चाहे वे अविरामी हों या नहीं, के नामों के आगे वही संख्या अंकित है और वरीयता के क्रम में वे अगले ही स्थान पर हैं।

(2) वरीयता के क्रम में अगले उम्मीदवार का नाम, चाहे वह अविरामी हो अथवा नहीं, अंकित है—

(क) एक ऐसी संख्या द्वारा जो मत-पत्र की किन्हीं संख्याओं के बाद क्रम से न हो, अथवा

(ख) दो अथवा दो से अधिक संख्याओं द्वारा।

(उ) "प्रथम वरीयता" का अर्थ उस उम्मीदवार से है जिसके नाम के आगे मत-पत्र पर संख्या 1 अंकित हो, "द्वितीय वरीयता" का अर्थ उस उम्मीदवार से है, जिसके नाम के आगे संख्या 2 तथा "तृतीय वरीयता" का अर्थ उस उम्मीदवार से है, जिसके नाम के आगे संख्या 3 हो और इसी प्रकार।

(ऊ) "मूलमत" का अर्थ किसी भी उम्मीदवार के सम्बन्ध में किसी मत-पत्र से प्राप्त मत से है जिस पर ऐसे उम्मीदवार के लिए प्रथम वरीयता का अभिलेख हो।

(ए) "सचिव" का अर्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के सचिव से है और उसमें अपर सचिव भी सम्मिलित है।

(ऐ) "कोटा" का अर्थ मतों के निम्नतम-मूल्य से है जो उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए पर्याप्त हो।

(ओ) "अतिरिक्त" का अर्थ उस संख्या से है, जो किसी उम्मीदवार के मूल तथा स्थानान्तरित मतों के कोटे से अधिक होता है।

(ओ) "स्थानान्तरित मत" का किसी उम्मीदवार के सम्बन्ध में अर्थ ऐसे मत से है जो मत-पत्र पर दिया गया है, जिस पर द्वितीय अथवा बाद के वरीयता के मत का अभिलेख ऐसे उम्मीदवार के लिए है और ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका मूल्य अथवा मूल्य का अंश प्राप्त होना है।

(अं) "अनिदशोषित पत्र" का अर्थ है वह मत-पत्र जिस पर एक अविरामी उम्मीदवार के लिए और वरीयता का अभिलेख हो।

2—परिषद् अथवा सम्बन्धित समितियों के सदस्य जो यथाविधि संयोजित बैठकों उपस्थित होंगे, निर्वाचन में भाग लेंगे। निर्वाचन के लिये नाम मौखिक रूप से चित किये जायेंगे और उम्मीदवारी की वापसी बैठक में उसी रूप से होगी :

3—यदि प्राप्त नामों की संख्या अथवा वापस लिये गये नामों को यदि कोई हों, कर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के समान हो, तो अध्यक्ष इस प्रकार मत उम्मीदवारों को विधिवत् निर्वाचित घोषित करेगा।

4—यदि उपर्युक्त के अनुसार यथाविधि नामित सदस्यों की संख्या वापस लिये गये ों को घटा कर, यदि कोई हो, भरी जाने वाली रिक्तियों से अधिक है तो निर्वाचन और मत-पत्रों की संनिरीक्षा तथा गणना सचिव द्वारा ऐसे अन्य व्यक्तियों की यता से की जायेगी जो सभापति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

5—सचिव निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत चिन के संचालन के लिए समस्त आवश्यक कार्य करेगा।

6—निर्वाचन अधिकारी सभापति को एक परिलेख प्रस्तुत करेगा जिसमें यथाविधि चित सदस्यों के नाम दिखाये जायेंगे।

7—सचिव नामन एवं मत-पत्रों को एक मुहरबन्द पैकेट में रखेगा जो छः मास अवधि तक संरक्षित रखा जायगा।

8—मतदान मत-पत्र द्वारा होगा। प्रत्येक मत-पत्र में निर्वाचन के लिये यथाविधि मित समस्त सदस्यों के नाम मुद्रित होंगे।

9—यदि कोई सदस्य असावधानता से कोई मत-पत्र खराब कर देता है तो वह निर्वाचन अधिकारी को लौटा देगा, जो ऐसी असावधानता से अस्पष्ट होने पर उसे मत-पत्र दे देगा और खराब हुए पत्र को अपने पास रख लेगा और यह खराब पत्र तुरन्त ही रद्द कर दिया जायगा।

10—प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होगा। अपना मत देने में प्रत्येक स्य—

(क) अपने मत-पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने संख्या 1 लिखेगा जिसे वह मत देता है।

(ख) इसके साथ अपनी पसन्द अथवा वरीयता का क्रम जितने उम्मीदवारों के लिए वह चाहे, उनके विभिन्न नामों के सामने 2, 3, 4 आदि संख्या क्रमानुसार लिख कर प्रकट करेगा।

11—मत-पत्र अवैध हो जायगा—

(क) जिस पर सदस्य अपने हस्ताक्षर करता है अथवा कोई शब्द लिखता है है अथवा कोई ऐसा चिन्ह बनाता है जिससे वह पहचानने योग्य हो जाय, अथवा

(ख) जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये प्रपत्र पर नहीं है, अथवा

(ग) जिस पर संख्या 1 नहीं अंकित है अथवा

(घ) जिस पर संख्या 1, एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने अंकित की गई है, अथवा

(ङ) जिस पर संख्या 1 तथा कुछ अन्य संख्याएं एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित की गयी है, अथवा

(च) जो अचिन्हित है अथवा अनिश्चय के कारण रद्द है

12—निर्वाचन अधिकारी इन अनुच्छेदों के प्रतिबन्धों को पूरा करने में—

(क) समस्त अपूर्णांकों की अवहेलना करेगा।

(ख) पहले से निर्वाचित अथवा मतदान से निकाले गये उम्मीदवारों के लिए अभिलिखित वरीयता की ओर ध्यान न देगा।

13—मतदान के लिए नियत समय के यथाशीघ्र बाद में, निर्वाचन अधिकारी मत-पत्रों की जांच करेगा और उनमें से अवैध पाये जाने वाले मत-पत्र अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होने के पश्चात् अलग रख दिये जायगे। शेष पत्रों को वह प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्राप्त प्रथम वरीयता के अनुसार बंडलों में विभाजित करेगा। तब वह प्रत्येक बंडल के मत-पत्रों की संख्या की गणना करेगा।

14—इन नियमों द्वारा नियत कार्यविधि की सुविधा के लिए प्रत्येक मत-पत्र सौ रुपये के मूल्य का समझा जायगा।

15—तब निर्वाचन अधिकारी समस्त बंडलों के पत्रों का मूल्य जोड़ेगा और योग में, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में एक जोड़ कर भाग देगा और भाग्यफल में एक जोड़ देगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए पर्याप्त संख्या होगी जो इसके पश्चात् "कोटा" कहलायेगी।

16—यदि इन अनुच्छेदों के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किसी समय निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान कुछ उम्मीदवारों ने कोटा प्राप्त कर लिया तो ऐसे उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जायगा तथा और आगे कोई कार्यवाही न की जायगी।

17—(1) प्रत्येक उम्मीदवार जिसके बंडल का मूल्य, प्रथम वरीयता की गणना करने पर कोटा के समान अथवा उससे अधिक होगा, निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(2) यदि ऐसे किसी बंडल में पत्रों का मूल्य कोटा के समान है, तो पत्रों पर अन्तिम रूप से हुई कार्यवाही मान कर उन्हें अलग रख दिया जायेगा।

(3) यदि ऐसे किसी बंडल में पत्रों का मूल्य कोटा से अधिक है तो अतिरिक्त को अविराम उम्मीदवारों के लिए, जो मतदाता के वरीयताक्रम में मत-पत्रों में अगले स्थान पर हैं, नीचे लिखे अनुच्छेदों में निर्दिष्ट रूप में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

18—(1) यदि और जब भी इन अनुच्छेदों में नियत किसी कार्य के फलस्वरूप किसी उम्मीदवार के कुछ अतिरिक्त मत आते हैं तो वे अतिरिक्त मत अनवर्ती उप अनुच्छेदों में नियत ढंग से स्थानान्तरित किये जायेंगे।

(2) यदि एक से अधिक उम्मीदवार के अतिरिक्त मत हैं तो पहले सर्वाधिक क्त पर और अन्य पर अधिकता के क्रम में विचार होगा इस प्रतिबन्ध के साथ तों के प्रथम गणना में आये प्रत्येक अतिरिक्त मत पर द्वितीय गणना में आये पहले विचार होगा और इसी प्रकार क्रम चलेगा।

(3) जहाँ दो अथवा ज्यादा अतिरिक्त मत बराबर हैं, निर्वाचन अधिकारी द 23 के अनुसार निर्णय देगा कि पहले किस पर विचार किया जाय।

(4) (क) यदि किसी उम्मीदवार के स्थानान्तरित किए जाने वाले अतिरिक्त वल मूल मतों से ही हैं तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार के बंडल के पत्रों की जाँच करेगा, जिसके अतिरिक्त मत स्थानान्तरित होने हैं और शेषित-पत्रों को उप-बंडलों में उन पर अभिलिखित अगली वरीयता के अनुसार जित करेगा। वह निश्शेषित-पत्रों के लिए एक अलग उप-बंडल भी बनाएगा।

(ख) वह ऐसे उप-बन्डल में पत्रों का तथा समस्त अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य त करेगा।

(ग) यदि अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य अतिरिक्त मतों के समान अथवा उनसे तो वह समस्त अनिश्शेषित पत्रों को उस मूल्य पर जिस पर वे उन उम्मीदवारों प्त हुए थे, जिनके मतों का स्थानान्तरण हो रहा है, स्थानान्तरित कर देगा।

(घ) यदि अनिश्शेषित पत्रों का मूल्य अतिरिक्त मत से अधिक है तो वह षित पत्रों के उप-बंडलों को स्थानान्तरित कर देगा और वह मूल्य जिस पर मत स्थानान्तरित किया जायेगा, अतिरिक्त मतों को अनिश्शेषित पत्रों की पूर्ण से विभाजित करके निर्धारित करेगा।

(5) यदि किसी उम्मीदवार के स्थानान्तरित किये जाने वाले अतिरिक्त मत तरित किये जाने वाले तथा मूल मतों से उत्पन्न होते हैं, तो निर्वाचन अधिकारी र को अन्तिम बार स्थानान्तरित उप-बंडल के सभी पत्रों की पुनः जाँच करेगा निश्शेषित पत्रों के उप-बंडलों में उन पर अभिलिखित आगामी वरीयता के विभाजित करेगा। तब वह उप-बंडलों पर उसी प्रकार की कार्यवाही करेगा अन्तिम पूर्व अनुच्छेद के उप-बंडलों के सम्बन्ध में प्रावधानित है।

(6) प्रत्येक उम्मीवार को, स्थानान्तरित पत्र ऐसे उम्मीदवार को पहले से प्राप्त साथ एक उप-बंडल के रूप में जोड़ दिए जायेंगे।

(7) किसी निर्वाचित उम्मीदवार के बंडल अथवा उप-बंडलों के समस्त पत्र, अनुच्छेद के अन्तर्गत स्थानान्तरित नहीं हुए हैं, अन्तिम रूप से विचार किए रूप में अलग रख दिए जायेंगे।

19—(1) यदि, यथापूर्व निर्देशानुसार, समस्त अतिरिक्त मतों के स्थानान्तरित बाद वांछित संख्या से कम सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो निर्वाचन अधिकारी में सबसे नीचे के उम्मीदवारों को हटा देगा और उसके अनिश्शेषित पत्रों रामी उम्मीदवारों में उन पर अभिलिखित अगली वरीयता के अनुसार बाँट कोई भी निश्शेषित पत्र अन्तिम रूप से विचार किए हुए के रूप में अलग रख गे।

(2) किसी हटाये हुए उम्मीदवार के पत्र जिनमें उसके मूल मत होंगे, पहले रित होंगे, प्रत्येक पत्र का स्थानान्तरित मूल्य एक सौ रुपया होगा।

(3) तब एक हटाये गये उम्मीदवार के पत्र जिनमें उसके स्थानान्तरित मत होंगे, स्थानान्तरण के उस क्रम में स्थानान्तरित होंगे जिसमें और जिस मूल्य पर उसने उ प्राप्त किया था ।

(4) ऐसा प्रत्येक स्थानान्तरण एक पृथक स्थानान्तरण समझा जायगा ।

(5) इस अनुच्छेद द्वारा निर्देशित विधि सबसे कम मत पाने वाले एक के बा एक उम्मीदवार के हटाये जाने में उस समय तक दुहराई जायगी जब तक कि अन्ति रिक्ति की पूर्ति या तो किसी उम्मीदवार के कोटा से निर्वाचन द्वारा अथवा जैस बाद में प्राविधानित है, उसके अनुसार नहीं हो जाती है ।

20—यदि इन नियमों के अन्तर्गत पत्रों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप किस उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का मूल्य कोटा के समान अथवा उससे अधिक होता तो उस समय चलने वाला स्थानान्तरण पूरा किया जायगा, परन्तु उसके आगे अन्य प उसे स्थानान्तरित नहीं किए जायेंगे ।

21—(1) यदि इन नियमों के अन्तर्गत पत्रों के स्थानान्तरण के फलस्वरू किसी उम्मीदवार के मतों का मूल्य कोटा के समान अथवा उससे अधिक होगा तो व निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा ।

(2) यदि किसी उम्मीदवार के मतों का मूल्य कोटा के समान होगा, तो समस्त पत्र जिन पर इन मतों का अभिलेख होगा, अन्तिम रूप से विचार किए ग रूप में अलग रख दिए जायेंगे ।

(3) यदि किसी ऐसे उम्मीदवार के मतों का मूल्य कोटा से अधिक होगा त उसके अधिक मतों को किसी अन्य उम्मीदवार के हटाये जाने से पूर्व प्राविधानित क में बांट दिया जायगा ।

22—(1) जब अविरामी उम्मीदवारों की संख्या, बिना भरी हुई रिक्तियों क संख्या के बराबर रह जाय, तो अविरामी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित क दिया जायगा ।

(2) जब केवल एक रिक्त स्थान बिना भरा रह जाय और किसी अविराम उम्मीदवार के मतों का मूल्य अन्य अविरामी उम्मीदवारों के समस्त मतों के कु मूल्य से, न स्थानान्तरित हुए अतिरिक्त मतों सहित, अधिक हो जाता है, तो व उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा ।

(3) जब केवल रिक्त स्थान बिना भरा रह जाय और केवल दो अविराम सदस्य रहें और उन दोनों उम्मीदवारों में से प्रत्येक के मतों का मूल्य एक समान और कोई अतिरिक्त मत स्थानान्तरित कराने योग्य न बचे तो एक उम्मीदवार आगाम अनुवर्ती अनुच्छेद के अन्तर्गत हटाया हुआ घोषित किया जायगा और दूसरा निर्वाचि हुआ घोषित किया जायगा ।

23—यदि जब एक से अधिक अतिरिक्त मत बांटने को रहे, दो या अधि अतिरिक्त मत समान हों अथवा जब किसी समय किसी उम्मीदवार को हटाना आवश्य हो जाय और दो या दो से अधिक उम्मीदवार के मतों का मूल्य एक ही हो औ उन्हें सबसे कम मत प्राप्त हों, तो प्रत्येक उम्मीदवारों के मूलमतों का ध्यान रख जायगा और उस उम्मीदवार के जिसे सबसे कम मूल मत प्राप्त हुए हैं, अधिक अतिरिक्त मत सबसे पहले बांटे जायेंगे, अथवा वह सबसे पहले हटाया जायगा, जैसी भी स्थिति हो । यदि उनके मूल मतों का मूल्य समान है तो निर्वाचन अधिकारी चिट्ठों द्वा

र निर्णय करेगा कि किस उम्मीदवार के अतिरिक्त मत बांटे जायेंगे अथवा किसे हटाया यगा।

24—(1) निर्वाचन को समितियों में ले जाने से पूर्व, परिषद् इन समितियों लिए निर्वाचन का क्रम नियत करेगी, जिसका जहाँ तक कार्यान्वित करने योग्य होगा, लन किया जायगा।

(2) जब कोई व्यक्ति, अध्याय चार, विनियम 6 में निर्दिष्ट किन्हीं दो वर्गों की धिकतम संख्या की समितियों में जिसकी अनुमति है, निर्वाचित हो जाता है, तो वह वर्ग की शेष समितियों में निर्वाचन का उम्मीदवार होने का पात्र न रहेगा।

(3) परिषद् यह निर्दिष्ट करेगी कि किसी पाठ्यक्रम समिति में नामित उसके न से सदस्य उस विषय के विशेषज्ञ हैं। परिषद् यह भी निर्णय करेगी यदि ऐसी मिति का कोई सदस्य, परिषद् के सदस्य के अतिरिक्त, उस विषय का विशेषज्ञ नहीं और ऐसे उम्मीदवार का नामन अवैध हो जायगा।

25—यदि किसी पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए परिषद् का वल एक सदस्य ही नामित होता है, तो वह तुरन्त निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा र शेष रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन चलता रहेगा।

26—यदि पाठ्यक्रम समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिए परिषद् के दो था अधिक ऐसे सदस्य उम्मीदवार हैं जो विशेषज्ञ नहीं हैं, तो प्रारम्भिक निर्वाचन सदस्यों में से जो विशेषज्ञ नहीं हैं, एक को छोड़कर अन्य सब को हटाने के लिए यां जायगा। तब निर्वाचन सामान्य रूप से चलेगा।

27—जब एक पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों के निर्वाचन में केवल एक रिक्त न की पूर्ति होनी रह जाय और कोई भी परिषद् का सदस्य निर्वाचित न हो तो षद् का अधिकतम मत प्राप्त करने वाला सदस्य अंतिम निर्वाचित सदस्य के अधिक ों का स्थानान्तरण करके निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा, इस प्रतिबन्ध के साथ यदि इस समय तक परिषद् के समस्त सदस्य हटाये जा चुके हैं, अंतिम हटाया वाला सदस्य निर्वाचित घोषित किया जायगा।

28—रचनात्मक विषयों की पाठ्यक्रम समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए पाठ्यक्रम समितियों के निर्वाचन के लिए निर्धारित कार्यविधि नीचे लिखी सीमा आशोधित की जायेगी :—

(1) दस रिक्तियां रचनात्मक वर्ग के प्रत्येक दस विषयों के लिए पृथक निर्वाचन द्वारा भरी जायेंगी।

(2) तब ग्यारहवीं रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, मूल नामित में से, जो पहले चुने जा चुके हैं उन्हें छोड़कर होगा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि ऊपर के (1) के अन्तर्गत परिषद् का कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ है, तो यह निर्वाचन केवल उन्हीं उम्मीदवारों तक सीमित रहेगा जो परिषद् के सदस्य हैं।

29—पाठ्यचर्या—समिति के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में, इन नियमों में दृष्ट कार्यविधि इस प्रकार और विनियमित की जायगी :—

(1) सामान्य रूप से प्रारम्भ में नामन आमन्त्रित किए जायेंगे। परिषद् का सदस्य किसी उम्मीदवार को नामित करते समय, जो एक से अधिक

पाठ्यक्रम-समितियों का सदस्य है, उस पाठ्यक्रम समिति का नाम करेगा जिसके कि चुनाव के लिए उसका नामित व्यक्ति सदस्य समझा उसी उम्मीदवार के अनेक नामन, उसकी इच्छा के अनुरूप, यदि वह का उपस्थित रहने वाला सदस्य है और अन्यथा अध्यक्ष द्वारा, एक नाम परिवर्तित कर दिए जायंगे ।

(2) यदि उसी पाठ्यक्रम-समिति के दो से अधिक सदस्य उम्मीदवार तो प्रारम्भिक निर्वाचन उनमें से केवल एक ही उम्मीदवार को निर्वाचित के लिए होगा ।

(3) पाठ्यक्रम-समितियों के उम्मीदवारों की संख्या, नामनों में प्राप्त पाठ्यक्रम-समितियों की संख्या के समान हो जाने के पश्चात् इन उम्मीदवारों में से 12 सदस्य निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन होगा

(4) शेष तीन रिक्तियों की पूर्ति के लिए तब चुनाव मूल नामनों पहले ही निर्वाचित घोषित 12 सदस्यों को छोड़कर किया जायगा ।

30—नियम 26, 28 और 29 में उल्लिखित समस्त चुनाव अथवा निरसन संक्रमणीय मत द्वारा होंगे ।

31—निर्वाचन अधिकारी अपने उपक्रम में अथवा अन्यथा एक अथवा अनेक मतों की पुनर्गणना करेगा यदि वह पूर्व गणना की शुद्धता से संतुष्ट न हो ।

प्रतिबन्ध यह है कि यहां समाविष्ट कुछ भी निर्वाचन अधिकारी के लिए मतों की एक से अधिक बार गणना करने के लिए बाध्य कर रही है ।

32—इन नियमों की व्याख्या से उठने वाला कोई भी प्रश्न अध्यक्ष द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

33—इन नियमों में न आने वाले मामले सभापति के विचारार्थ प्रस्तुत जायेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा ।

भाग चार

(क) परिषद् के अधिकारी

सभापति

श्री प्रभाकान्त शुक्ल, शिक्षा निदेशक, उ० प्र० (पदेन

(अप्रैल, 1983 से जुलाई, 1984 तक)

डा० गुरु मौज प्रकाश, शिक्षा निदेशक, उ० प्र० (पदेन)

(अगस्त, 1984 से 31 अगस्त, 1984 तक)

श्री आत्म प्रकाश, शिक्षा निदेशक, उ० प्र० (पदेन)

(सितम्बर, 1984 से नवम्बर 1986 तक)

श्री बी0 पी0 खण्डेलवाल, शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 (पदेन)
(1986 से)

सचिव

श्री चन्द्र सेन अग्रवाल	(नवम्बर, 1981 से 23 जून, 1983 तक)
श्री रुद्रनारायण शर्मा	(24 जून, 1983 से 25 जुलाई, 1984 तक)
श्री राम चन्द्र माहेश्वरी	(27 जुलाई, 1984 से 3 नवम्बर, 1985 तक)
श्री महानन्द मिश्र	(4 नवम्बर, 1985 से 8 सितम्बर, 1989 तक)
श्री पवनेश कुमार	(9 सितम्बर, 1989 से)

(ख) परिषद् के सदस्य*

[कार्यकाल 3 जुलाई, 1981 से 2 जुलाई, 1984]

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	नाम-निर्दिष्ट, निर्वाचित अथवा पदेन
1	2	3
1	श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद शर्मा, (4 अगस्त, 1981 से) प्रधानाचार्य, पी0 एन0 राजकीय इण्टर कालेज, रामनगर, वाराणसी।	धारा 3 (1) (क) के अधीन नाम-निर्दिष्ट।
2	(श्रीमती) ओ0 बी0 शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय कन्या इ0 का0, अल्मोड़ा। हरीश भवन, रानीधारा, अल्मोड़ा।	धारा 3 (1) (क) के अधीन नाम-निर्दिष्ट।

*उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या मा0-4361/पन्द्रह-7-1 1)-80, दिनांक 3 जुलाई, 1981 द्वारा प्रकाशित तथा संख्या मा0-5022/ द्रह-7-1 (80)-81, दिनांक 4 अगस्त, 1981, संख्या मा0-वो-2487/ द्रह-7 (1) (80)-81, दिनांक 14 जनवरी, 1982, संख्या मा0-1718/ द्रह-7-1 (1)-80, दिनांक 28 अप्रल, 1982 एवं संख्या मा0-1408/ द्रह-7-1 (11)-80, दिनांक 7 अप्रैल, 1983 द्वारा संशोधित।

1	2	3
3	श्री बीर सिंह रावत, प्रवक्ता इतिहास, जहरीखाल, पौड़ी-गढ़वाल ।	धारा 3 (1) (ख) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।
4	श्री महेश चन्द्र शुक्ल, प्रवक्ता, जीव विज्ञान, राजकीय इ0 का0, 3 पी0 डब्लू0 डी0 क्वार्टर्स, अलोपीबाग, इलाहाबाद ।	यथोक्त
5	श्री गुलाब चन्द्र मिश्र, प्रधानाचार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, हा0 से0 स्कूल, सराय अकिल, इलाहाबाद ।	धारा 3 (1) (ग) के अधीन निर्वाचित ।
6	श्री राम हेत सिंह, प्रधानाचार्य, एम0 एल0 एम0 एल0 इ0 का0 क्षेत्रीय बोर्डिंग हाउस, फैजाबाद ।	यथोक्त
7	श्री नन्दन सिंह फर्त्याल, प्रधानाचार्य, नेशनल इन्टर कालेज, रानीखेत अल्मोड़ा ।	धारा 3 (1) (ग) के अधीन निर्वाचित ।
8	श्री जगत सिंह रावत, प्रधानाचार्य, इण्टरमीडिएट कालेज, सतपुली, पौड़ी-गढ़वाल ।	यथोक्त
9	श्री कृष्ण दत्त मिश्र, प्रधानाचार्य, बाबा गयादास, इन्टर कालेज, बरहज, देवरिया ।	यथोक्त
10	श्री ईश्वर दयाल सक्सेना, प्रधानाचार्य, मनोहर भूषण इ0 का0, बरेली । 292/ एच राजभवन कोहाडापीर, बरेली ।	यथोक्त

1	2	3
11	श्री जंगी सिंह, प्रधानाचार्य, केदार नारायण कृषक इण्टर कालेज, उचौरी, गाजीपुर ।	यथोक्त
12	श्री बृज लाल वर्मा, प्रधानाचार्य, भारतीय उ0 मा0 विद्यालय, तिलपता, गाजियाबाद । इण्टर कालेज, दादरी, गाजियाबाद ।	यथोक्त
13	श्री लाखन सिंह कुशवाहा, प्रधानाचार्य, बुन्देलखण्ड इण्टर कालेज, वीरनगर, माधोगढ़, जालौन ।	यथोक्त
14	श्री सत्य नारायण त्रिपाठी, प्रधानाचार्य गांधी वि0 हा0 से0 स्कूल, आलमबाग, लखनऊ ।	धारा 3 (1) (ग) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।
15	श्री जगबीर किशोर जैन, प्रधानाचार्य, बाबू लाल जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अलीगढ़ ।	यथोक्त
16	श्री कौशल किशोर चतुर्वेदी, जगदीश्वर दयाल जनता इण्टर कालेज, छिबरामऊ, फर्रुखाबाद ।	यथोक्त
17	श्री शारदा प्रसाद पाण्डेय, अध्यापक, इन्टर कालेज, रानीगंज, प्रतापगढ़ । सुखपाल नगर, प्रतापगढ़ ।	यथोक्त
18	श्री सन्तोष कुमार महरोत्रा, अध्यापक, एम0 पी0 इ0 का0, रानीखेत रोड, रामनगर, नैनीताल ।	यथोक्त
19	डा0 मनसा राम शर्मा, अध्यापक, भरत मंदिर, इण्टर कालेज, 6 अद्वैतानन्द मार्ग, ऋषिकेश, देहरादून ।	यथोक्त

1	2	3
20	श्री लालता प्रसाद चतुर्वेदी, अध्यापक, शिव पति इ0 का0, बानगंगा रोड, शोहरतगढ़, बस्ती।	यथोक्त
21	श्री केशव कुमार शर्मा, अध्यापक, आर0 एन0 इ0 का0 मुरादाबाद। 146-ए नई बस्ती, पचपेड़ा, मुरादाबाद।	धारा 3 (1) (ग) के अधीन निर्वाचित।
22	श्री मदन किशोर मालवीय, अध्यापक, सनातन धर्म इन्टर कालेज, वाराणसी।	तदेव
23	श्री किशोरी लाल शर्मा, अध्यापक, डी0 एन0 इ0 का0, गुलावटी, सरायगुसाई, बुलन्दशहर।	तदेव
24	श्री राम कृष्ण वर्मा, अध्यापक, डी0 वी0 इन्टर कालेज, मोठ, झांसी।	तदेव
25	श्री कमलेश नाथ अवस्थी, अध्यापक, अटल बिहारी इ0 का0, 528/ए कल्याणी मार्ग, उन्नाव।	तदेव
26	श्री चन्द्र पाल शर्मा, अध्यापक, रतनमुनि जैन इ0 का0, आगरा। 3 शिक्षक नगर, जयपुर हाउस, लोहा मण्डी, आगरा।	तदेव
27	डा0 शिव शेखर मिश्र, प्रो0 संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। कुमार सदन, बाबूगंज, लखनऊ।	धारा 3(1) (ङ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट।

1	2		3
28	डा0 बी0 एस0 अवस्थी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, क्राइस्ट चर्च डिग्री कालेज, कानपुर 37/17 माल रोड, कानपुर ।		धारा 3 (1) (ङ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।
29	श्री जे0 एन0 कौल, मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ	(28 अप्रैल, 1982 तक)	तदेव
	डा0 राधा कान्त वर्मा, रीडर, प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।	(28 अप्रैल, 1982 से)	
30	प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा, सदस्य विधान सभा, अतर्रा डिग्री कालेज, सौनकिया भवन, बम्योटा रोड, बांदा ।		तदेव
31	डा0 जे0 एस0 सिंह, रीडर, वनस्पति, शास्त्र विभाग, डी0 एस0 बी0 घटक, महाविद्यालय, कुमायू विश्व- विद्यालय, नैनीताल ।		तदेव
32	डा0 एस0 एस0 सिंह, प्रो0 एग्रीकल्चरल एक्सटेन्सन, गोविन्द बल्लभ पन्त, कृषि प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, नैनीताल ।		धारा 3 (1) (च) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।
33	डा0 एस0 एन0 सिन्हा, प्रधानाचार्य, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद ।		धारा 3 (1) (छ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।
34	डा0 के0 एन0 सिंह, प्रो0 शरीर विज्ञान, मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद । दूसरा पता एम0 एल0 बी0 मेडिकल कालेज, झांसी ।		धारा 3 (1) (ज) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।

1	2	3
35	श्री प्रवीन कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा, मु0 मानक चौक पोस्ट अनूपशहर, बुलन्दशहर। दूसरा पता— श्री प्रवीन कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा, रायल होटल, लखनऊ।	धारा 3(1) (झ) के अधीन राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने मध्य से निर्वाचित
36	श्री पंचानन राय, सदस्य, विधान सभा, 95, मुकेरीगंज, आजमगढ़। दूसरा पता- श्री पंचानन राय, सदस्य, विधान सभा, 54, रायल होटल, लखनऊ।	तदेव
37	श्री राम सिंह, सदस्य, विधान सभा, 766 पश्चिमी अम्बर तालाब, रुड़की, सहारनपुर। दूसरा पता— श्री राम सिंह, सदस्य, विधान सभा, 100-बी ब्लाक, दारुल सफा, लखनऊ।	धारा 3 (1) (झ) के अधीन राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने मध्य से निर्वाचित
38	श्री रुद्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा, विसेन भवन, भीखमपुर रोड, देवरिया।	धारा 3 (1) (झ) के अधीन राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने मध्य से निर्वाचित
39	श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, सदस्य, विधान सभा, 46, पुराना विधायक निवास, लखनऊ। दूसरा पता— श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, 351/सिविल लाइन्स, झांसी	तदेव

1	2	3
40	श्री ओम प्रकाश शर्मा, (दिनांक 5 मई, 1982 तक) सदस्य, विधान परिषद्, 11, सुभाष बाजार, मेरठ	धारा 3 (1) (ञ) के अधीन राज्य विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने मध्य से निर्वाचित ।
	कु0 सत्यासूद, (7 अप्रैल, 1983 से) सदस्य, विधान परिषद्, 117, बी ब्लाक, दारुल सफा, लखनऊ दूसरा पता-- 17/1, राजपुर रोड, देहरादून	
41	श्री टी0 पी0 मिश्र, (दिनांक 5 मई, 1982 तक) सदस्य, विधान परिषद्, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, वी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, सुभाष बाजार, मेरठ	धारा 3 (1) (ञ) के अधीन राज्य विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने मध्य से निर्वाचित
	श्री सुनील कुमार मुखोपाध्याय, (7 अप्रैल, 1983 से) सदस्य, विधान परिषद्, 126, विधायक निवास, दारुल सफा, नयी बिल्डिंग, लखनऊ दूसरा पता-- डी 257, गंगा महल, वाराणसी	
42	डा0 हरि कृष्ण अवस्थी, सदस्य, विधान परिषद्, 4, बादशाह बाग, लखनऊ	धारा 3 (1) (ञ) के अधीन राज्य विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने मध्य से निर्वाचित ।
43	श्री भगवान बख्श सिंह, अध्यापक, मार्डन वोकेशनल इन्टर कालेज, 563/12, चित्रगुप्त नगर, आलम बाग, लखनऊ	धारा 3 (1) (ट) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।
44	श्री देवेन्द्र मिश्र, अध्यापक, जय नारायण इन्टर कालेज, 10, विजय नगर, लखनऊ	तदेव

1	2	3
45	श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, प्रवक्ता, रानी शंकर सहाय इण्टर कालेज, 45, बावगंज, उन्नाव	धारा 3 (1) (ट) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।
46	चौधरी नौनिहाल सिंह, सदस्य, विधान सभा, रायल होटल, विधायक निवास, लखनऊ दूसरा पता— चौधरी नौनिहाल सिंह, सदस्य विधान सभा, कोठी चौधरी साहब, मालवीयनगर, इलाहाबाद	यथोक्त
47	डा0 आर0 के0 बाउन्ड्रा, विद्या निवास, 18–बी0 सेक्टर "ए" महानगर, लखनऊ	यथोक्त
48	(श्रीमती) विद्या बाजपेयी, प्रधानाचार्या, आर्य कन्या इण्टर कालेज, 65, न्यू हैदराबाद, लखनऊ	धारा 3(1) (ठ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।
49	(श्रीमती) कमला साहनी, विधायिका, ग्राम व पोस्ट जोगिया (उदयपुर), नवगढ़, जिला–बस्ती 99, बी दारुल सफा, लखनऊ	यथोक्त
50	(श्रीमती) ख्वाजा रजिया बेगम सिद्दीकी, प्रधानाचार्या, मुस्लिम जुबली गर्ल्स इण्टर कालेज, कानपुर	धारा 3(1) (ठ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।
51	श्री जी0 ए0 शर्मा, निदेशक, प्राविधिक, शिक्षा, उ0 प्र0, कानपुर	धारा 3(1) (ड) के अधीन पदेन ।
52	श्री बी0 के0 राठो, डी0–2 मुरली नगर, लखनऊ–22600	धारा 3(1) (ड) के अधीन नाम-निर्दिष्ट

1	2	3
53	श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, 111/78, अशोक नगर, कानपुर	धारा 3(1) (ढ) के अधीन नाम निर्दिष्ट ।
54	श्री रामरघुवीर प्रसाद अग्रवाल राय साहब राम दयाल अग्रवाल; भवन, 206, कटरा रोड, इलाहाबाद	यथोक्त
55	डा0 (कु0) शकुन्तला सरीन, प्राचार्या, महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	धारा 3(1) (ण) के अधीन पदेन ।
56	निदेशक, राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान, 49/93 महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद	धारा 3(1) (त) के अधीन पदेन ।
57	श्री प्रयाग दत्त दीक्षित, प्राचार्य, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद	धारा 3(1) (थ) के अधीन पदेन ।
58	श्री एस0 एन0 चौलाखण्ड, प्राचार्य राजकीय शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	धारा 3(1) (द) के अधीन पदेन ।
59	डा0 उमाशंकर मिश्र, प्राचार्य, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ	धारा 3(1) (ध) के अधीन पदेन ।
60	डा0 बी0 के0 गुप्ता, निदेशक, मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	धारा 3(1) (न) के अधीन पदेन ।
[illegible]	श्री एच0 एच0 पवार, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	धारा 3(1) (प) के अधीन पदेन ।
62	श्री हर प्रसाद चतुर्वेदी, जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा	धारा 3(1) (फ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।
63	श्रीमती शारदा अरोरा, मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, सिविल लाइन्स, बरेली	धारा 3(1) (ब) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।
64	श्री टी0 एन0 दर, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली—110016	धारा 3(1) (म) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।

1	2	3
65—	श्री रुद्र नारायण शर्मा, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।	धारा 3(1) (म) के अधीन पदेन सदस्य-सचिव ।
66—	(श्रीमती) प्रिया दुलारी, सदस्य, विधान परिषद्, 2, हेलम बिल्डिंग, लाल बाग, लखनऊ ।	धारा 3(2) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।
67—	श्री फादर एस0 डिसूजा, कैथोलिक चर्च, गाजीपुर- 2330011 दूसरा पता— 1—श्री फादर एस0 डिसूजा, 1 नाजरेथ मैन्शन, प्लाट नं0 189, रोड 10-ए, वडाला, बम्बई 400031 2—सेन्ट जोजेफ स्कूल, मेरठ, कैन्ट ।	यथोक्त
68—	श्री खान गुफरान जाहिदी सदस्य, विधान सभा, 105/184, चमन गंज, कानपुर दूसरा पता— श्री खान गुफरान जाहिदी, सदस्य, विधान सभा, 89, रायल होटल, लखनऊ	यथोक्त यथोक्त
69—	श्री ए0 सी0 प्राइस, सदस्य, विधान सभा, फैमिली सूट रायल होटल, लखनऊ दूसरा पता— श्री ए0 सी0 प्राइस, एम0 एल0 ए0, 85-ए, कन्टोनमेन्ट्स, कानपुर	यथोक्त
70—	डा0 चरण सिंह, (14 जनवरी, 82 तक) श्रृंगार नगर, आलम बाग, लखनऊ	धारा 3(2) के अधीन नाम-निर्दिष्ट ।
71—	श्री दीवान सिंह रंधावा, एडवोकेट, (15 जनवरी, 82 से) गुरुद्वारा रोड, लखनऊ	

1—परीक्षा समिति

(इलाहाबाद तथा झाँसी शिक्षा सम्भागों हेतु)

1—श्री लाखन सिंह कुशवाहा	परिषद् सदस्य
2—श्री राम कृष्ण वर्मा	,,
3—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा	,,
4—श्री राम सिंह	,,
5—श्रीमती ख्वाजा रजिया बेगम सिद्दीकी	,,
6—श्री प्रयाग दत्त दीक्षित	,,
7—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	(संयोजक)

2—परीक्षा समिति

(वाराणसी, गोरखपुर तथा फैजाबाद शिक्षा सम्भागों हेतु)

1—श्री रामहेत सिंह	परिषद् सदस्य
2—श्री ललिता प्रसाद चतुर्वेदी	,,
3—श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद शर्मा	,,
4—श्री पंचानन राय	,,
5—श्री भगवान बक्स सिंह	,,
6—श्री हरप्रसाद चतुर्वेदी	,,
7—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	(संयोजक)

3—परीक्षा समिति

(बरेली, नैनीताल तथा लखनऊ शिक्षा सम्भागों हेतु)

1—श्री नन्दन सिंह फर्त्याल	परिषद् सदस्य
2—श्री केशव कुमार शर्मा	,,
3—डा0 एस0 एस0 मिश्रा	,,
4—श्री प्रवीन कुमार शर्मा	,,
5—श्री एस0 एन0 घोलाखण्डी	,,
6—श्री राज बहादुर सिंह चन्देल	,,
7—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	(संयोजक)

4—परीक्षा समिति

(मेरठ, आगरा तथा पौड़ी-गढ़वाल शिक्षा सम्भागों हेतु)

1—श्री जगवीर किशोर जैन	परिषद् सदस्य
2—श्री रुद्र प्रताप सिंह	,,
3—श्री किशोरी लाल शर्मा	,,

4--डा0 के0 एन0 सिंह	परिषद् सदस्य
5--श्री देवेन्द्र मिश्र	"
6--श्री मदन किशोर मालवीय	"
7--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	(संयोजक)

5--मान्यता समिति

(इलाहाबाद तथा झांसी शिक्षा सम्भागों हेतु)

1--श्री खान गुफरान जाहिदी (संयोजक)	परिषद् सदस्य
2--श्री गुलाब चन्द्र मिश्र	"
3--श्री कौशल किशोर चतुर्वेदी	"
4--श्री जो0 एस0 शर्मा	"
5--चौ0 नौनिहाल सिंह	"
6--श्रीमती सिया दुलारी	"
7--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	(पदेन सदस्य)

6--मान्यता समिति

(वाराणसी, फैजाबाद तथा गोरखपुर शिक्षा सम्भागों हेतु)

1--श्री कृष्ण दत्त मिश्र (संयोजक)	परिषद् सदस्य
2--श्री शारदा प्रसाद पाण्डेय	"
3--श्रीमती कमला साहनी	"
4--डा0 बी0 के0 गुप्त	"
5--श्री जंगी सिंह	"
6--कु0 सत्यासूद	"
7--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	(पदेन सदस्य)

7--मान्यता समिति

(बरेली, नैनीताल तथा लखनऊ शिक्षा सम्भागों हेतु)

1--श्रीमती विद्या बाजपेई (संयोजक)	परिषद् सदस्य
2--श्री ईश्वर दयाल सक्सेना	"
3--श्री सन्तोष कुमार महरोत्रा	"
4--श्री दीवान सिंह रन्धावा	"
5--श्री सत्य नारायण त्रिपाठी	"
6--श्रीमती ओ0 बी0 मार्च	"
7--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	(पदेन सदस्य)

8—मान्यता समिति

(मेरठ, आगरा तथा पौड़ी-गढ़वाल शिक्षा सम्भागों हेतु)

1—श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	(संयोजक)	परिषद् सदस्य
2—श्री बृजलाल वर्मा		"
3—श्री चन्द्र पाल शर्मा		"
4—श्री वीर सिंह रावत		"
5—डा० मनसाराम शर्मा		"
6—श्रीमती शारदा अरोरा		"
7—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद		(पदेन सदस्य)

9—पाठ्यचर्या समिति

(सम्पूर्ण प्रदेश के लिए)

1—डा० आर० के० बाउन्ट्रा	(संयोजक)	परिषद् सदस्य
2—डा० हरिकृष्ण अवस्थी		"
3—डा० उमाशंकर मिश्र		"
4—श्री महेश चन्द्र शुक्ला		"
5—फादर एस० डिसूजा		"
6—निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, (नाम से)		"
7—डा० टी० एन० दर		"
8—श्री सुनील कुमार मुखोपाध्याय		"
9—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद		(पदेन सदस्य)

10—परीक्षाफल समिति

1—शिक्षा निदेशक एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश	(अध्यक्ष)
2—श्री कमलेश नाथ अवस्थी	परिषद् सदस्य
3—श्री बी० के० राठी	"
4—डा० डी० एस० अवस्थी	"
5—श्री एच० एच० पवार	"
6—डा० एस० एस० सिंह	"
7—श्री राधाकान्त वर्मा	"
8—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	(पदेन सदस्य)

11—वित्त समिति

1—श्री ए० सी० ग्राइस	(संयोजक)	परिषद् सदस्य
2—श्री जगत सिंह रावत		"
3—श्री जे० एस० सिंह		"

4--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री — परिषद् सदस्य
5--श्री राम रघुवीर प्रसाद अग्रवाल — ,,
6--डा0 (कु0) शकुन्तला सरीन — ,,
7--डा0 एस0 एन0 सिन्हा — ,,
8--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद — (पदेन सदस्य)

पाठ्यक्रम समितियां

1--हिन्दी पाठ्यक्रम समिति

1--श्री जगवीर किशोर जैन (संयोजक) — परिषद सदस्य
2--श्री गुलाब चन्द्र मिश्र — ,,
3--श्री जंगो सिंह — ,,
4--डा0 मनसा राम शर्मा — ,,
5--श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी — ,,
6--श्री चन्द्र पाल शर्मा — ,,
7--श्री जगत सिंह रावत — ,,

2--गणित पाठ्यक्रम समिति--

1--श्री राम कुमार वर्मा (संयोजक)
मोदी कालेज आफ साइन्स एवं कामर्स,
12 टीचर्स कालोनी, मोदी नगर, मेरठ ।

2--श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा,
प्रधानाचार्य,
डी0 ए0 वी0 इंटर कालेज,
मेरठ ।
60 कृष्णपारा, मेरठ ।

3--श्री जे0 पी0 गुप्ता,
प्रधानाचार्य,
डी0 ए0 वी0 इंटर कालेज,
180 दुर्गा कालोनी, पूर्वी अम्बर तालाब,
रुड़की, सहारनपुर ।

4--श्री मुहम्मद नसीम किदवई,
प्रधानाचार्य,
ओ0 के0 एम0 इंटर कालेज,
देवरिया ।

5--श्री जवाहर लाल त्रिपाठी, प्रवक्ता,
जनता इंटर कालेज, आलमबाग,
लखनऊ ।

6—श्री राम वृक्ष राम,
स्मिथ इंटर कालेज, अजमतगढ़, आजमगढ़ ।

7—श्री अनन्त राम अग्रवाल,
उप सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0,
इलाहाबाद ।

3—गृह विज्ञान पाठ्यक्रम समिति—

1—श्रीमती सुशील कुमारी रस्तोगी, (संयोजक)
इस्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कालेज,
पुरानी तहसील, मेरठ ।

2—कु0 सुशील अग्रवाल,
उप प्रधानाचार्य, 67 बी0 टी0 गंज, रुड़की,
सहारनपुर ।

3—श्रीमती कुसुम शर्मा,
प्रवक्ता,
आर्य कन्या पाठशाला इंटर कालेज,
प्रोफेसर लाज, रेलवे रोड,
हापुड़, गाजियाबाद ।

4—श्रीमती माधवी शुक्ला,
प्रवक्ता,
नवयुग कन्या इंटर कालेज, राजेन्द्र नगर,
लखनऊ ।

5—(कु0) सावित्री सिंघल,
प्रताप सिंह गर्ल्स इंटर कालेज,
मुरादाबाद ।

6—रिक्त—

7—श्रीमती राम प्यारी राय,
प्रवक्ता,
अग्रसेन कन्या इंटर कालेज,
आजमगढ़ ।

4—अरबी और फारसी पाठ्यक्रम समिति—

1—श्रीमती शब्बीर फातमा, (संयोजिका)
प्रवक्ता फारसी,
5-ए, बेली रोड, इलाहाबाद ।

2—श्री उबैदुर रहमान,
मियां साहब जार्ज इस्लामिया इंटर कालेज,
गोरखपुर ।

3—श्री लियाकत अली सिद्दीकी,
जनता इंटर कालेज, मउआइमा,
इलाहाबाद ।

4—श्री मो0 तकी अमीनी,
दीनियात (सुन्नी) विभाग,
अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।

5—डा0 रिजवान अहमद,
अध्यक्ष, अरबी विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, 60 मौलवीगंज, लखनऊ ।

6—डा0 एम0 एम0 जलाली,
अध्यक्ष, फारसी विभाग,
बरेली कालेज,
स्टाफ क्वार्टर्स नं0 1,
बरेली ।

7—श्री सुहेल अहमद,
शिबली नेशनल इंटर कालेज,
आजमगढ़ ।

5—उर्दू पाठ्यक्रम समिति—

1—श्री नूर अहमद, (संयोजक)
प्रवक्ता,
फैज-ए-आम इंटर कालेज,
394/2, सिद्दीकी नगर, मेरठ ।

2—श्री बदरुल हसन,
अमर शहीद भगत सिंह इंटर कालेज,
रसड़ा, बलिया ।

3—श्रीमती राना शर्मा,
एच0 के0 पी0 इंटर कालेज,
2, शिव बाजार, जेल रोड,
सीतापुर ।

4—डा0 हुकुम चन्द्र नैय्यर,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी ।

5—श्रीमती रईसा हसन,
डी0 जी0 डिग्री कालेज, सिविल लाइन्स,
कानपुर ।

घर का पता :—
6/19, फाहिमाबाद ह्वाइट कालोनी,
चमनगंज, कानपुर ।

6--श्री मलिक सिराजुद्दीन,
पारकर इंटर कालेज, मु0 पीरजादा,
मुरादाबाद ।

7--श्री लियाकत अली सिद्दीकी,
जनता इंटर कालेज, मऊआइमा,
इलाहाबाद ।

6--इतिहास पाठ्यक्रम समिति--

1--श्री देवेन्द्र मिश्र (संयोजक) परिषद् सदस्य
2--श्री लाखन सिंह कुशवाहा ,,
3--श्री सत्य नारायण त्रिपाठी ,,
4--श्री किशोरी लाल शर्मा ,,
5--श्रीमती सियादुलारी ,,
6--श्री वीर सिंह रावत ,,
7--श्रीमती ख्वाजा रजिया बेगम सिद्दीकी ,,

7--नागरिकशास्त्र पाठ्यक्रम समिति--

1--श्री किशोरी लाल शर्मा (संयोजक) परिषद् सदस्य
2--श्री कौशल किशोर चतुर्वेदी ,,
3--श्री लालता प्रसाद चतुर्वेदी ,,
4--श्री केशव कुमार शर्मा ,,
5--श्री राम कृष्ण वर्मा ,,

6--श्री रघुनाथ सिंह तोमर,
प्रधानाचार्य,
श्री सुन्दर सिंह इंटर कालेज,
रामगढ़, हरचन्दपुर, इटावा ।

7--श्री प्रेम नारायण दुबे,
आदर्श इंटर कालेज, अछल्दा,
इटावा ।

8--भूगोल पाठ्यक्रम समिति--

1--श्री नन्दन सिंह फर्त्याल (संयोजक) परिषद् सदस्य
2--श्रीमती शारदा अरोरा ,,

3--श्री गयाचरण शुक्ला,
हीरा लाल खन्ना इंटर कालेज,
कानपुर ।

4--श्री प्रेम सिंह रावत,
राजकीय इंटर कालेज, 2/23 अपर बाजार,
श्रीनगर, गढ़वाल ।

5—श्री विक्रमादित्य सिंह,
बाल्मीकी इंटर कालेज,
विक्रमजोत, शंकरपुर, बस्ती ।

6—श्री देवदत्त त्यागी,
प्रधानाचार्य,
जनता इंटर कालेज, खरखौदा,
मेरठ ।

7—श्री गुप्तार सिंह,
शिवनारायण सिंह विद्या मन्दिर इंटर कालेज,
गौरा, रायबरेली ।

9—मराठी तथा गुजराती तदर्थ पाठ्यक्रम समिति—

1—श्री वी0 एम0 खानवलकर, (संयोजक)
द्वारा श्रीकृपा शंकर श्रीवास्तव,
1278-ए/2 मालवीयनगर,
इलाहाबाद ।

2—श्री आनन्दी लाल नागर,
अवकाशप्राप्त प्रधानाचार्य,
190-बी अलोपीबाग,
इलाहाबाद ।

3—डा0 डब्लू0 के0 लेले, रीडर,
भारतीय भाषा विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी ।

4—श्री माधव लाल याज्ञिक,
अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य,
फिरोजाबाद, आगरा ।

5—श्रीमती सरोजनी लेले,
द्वारा श्री ए0 सी0 लेले,
38 लाटूश रोड, लखनऊ ।

6—श्री एस0 पी0 भुगुवार,
प्रवक्ता मराठी, भारतीय भाषा विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी ।

7—रिक्त ।

10—लैटिन और फ्रान्सीसी पाठ्यक्रम समिति

1—श्री सुनील कुमार गुप्ता, (संयोजक)
श्री सनातन धर्म इंटर कालेज,
के0 सी0 97 कविनगर, गाजियाबाद ।

2--डा0 प्रभाकर झा,
रीडर फ्रेन्च,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
डी 20/15, मुंशीघाट, वाराणसी।

3--डा0 कृष्ण चन्द्र गौड़,
कुल भास्कर आश्रम डिग्री कालेज,
40, तुलाराम बाग,
इलाहाबाद।

4--श्री जोसेफ विश्वास,
प्रयाग विश्वविद्यालय, 609, ममफोर्डगंज,
इलाहाबाद।

5--डा0 गयाचरण त्रिपाठी,
36, जवाहर लाल नेहरू रोड, टैगोर टाउन,
इलाहाबाद।

6--डा0 बी0 बी0 जैन, प्रवक्ता फ्रान्सीसी,
अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

7--डा0 सुरेन्द्र कुमार सिन्हा,
अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य,
फिरोज गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कालेज,
लोहिया की कोठी,
रायबरेली।

1--अंग्रेजी, पाठ्यक्रम समिति

1--श्री राम सिंह (संयोजक) परिषद् सदस्य

2--श्रीमती ओ0 बी0 मार्च ,,

3--श्री प्रवीन कुमार शर्मा ,,

4--श्री दीवान सिंह रन्धावा ,,

5--श्री के0 एस0 सेंगर,
प्रधानाचार्य, सुभाष इंटर कालेज,
बांगर मऊ, उन्नाव।

6--रिक्त

7--श्री बृजलाल वर्मा (परिषद्-सदस्य)

12--भौतिक विज्ञान, पाठ्यक्रम समिति

1--श्री पंचानन राय (संयोजक) परिषद् सदस्य

2—श्री भगवान बक्श सिंह — परिषद् सदस्य

3—श्री राजेन्द्र प्रताप द्विवेदी, — ,,
119/96, बम्बा रोड, दर्शनपुरवा,
कानपुर ।

4—श्री एस0 एल0 द्विवेदी,
10, ओल्ड हास्टल,
हिन्दू इंटर कालेज, अतर्रा,
बांदा ।

5—श्री बृज कृष्ण खन्ना,
सहायक शिक्षा निदेशक (सेवायें)
शिविर कार्यालय,
18, पार्क रोड, लखनऊ ।

6—श्री श्याम कृष्ण जैन,
डी0 जैन इंटर कालेज, पट्टी बाल्,
मु0 गुसाइयान, बड़ौत,
मेरठ।

7—श्री कन्हैया लाल,
श्री सुभाष इंटर कालेज, करखिया,
आजमगढ़ ।

13—रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम समिति

1—श्री राजबहादुर सिंह चन्देल — (संयोजक) — परिषद् सदस्य

2—श्री सन्तोष कुमार महरोत्रा

3—रिक्त

4—डा0 चन्द्र विजय चतुर्वेदी,
रसायन विभाग,
के0 एन0 डिग्री कालेज, ज्ञानपुर,
वाराणसी ।

5—श्री ओ0 एस0 बाजपेयी,
बक्सी का तालाब इंटर कालेज,
86/205, मकबूलगंज निकट रिशालदार पार्क,
लखनऊ ।

6—श्री कटार सिंह राणा,
जनता वैदिक इंटर कालेज, बड़ौत,
मेरठ।

7—श्री प्रभाकर मिश्र,
नेशनल इंटर कालेज,
78, पुरोहिताना, मैनपुरी।

14—जीव विज्ञान पाठ्यक्रम समिति

1—श्री एस० एन० धौलाखंडी	परिषद् सदस्य (संयोजक)
2—श्री महेश चन्द्र शुक्ला	"
3—श्री राम आसरे सिंह, एस० के० पी० इंटर कालेज, आजमगढ़।	
4—श्री खालिद इनाम, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, उत्तर प्रदेश, 206, नुरुल्ला रोड, इलाहाबाद।	
5—डा० जे० एस० सिंह	परिषद् सदस्य
6—श्री सुरेशमणि त्रिपाठी, एस० एस० बी० एस० इंटर कालेज, देवरिया।	
7—डा० आर० सी० शर्मा, मेरठ कालेज, ए-1, आदर्शनगर, मेरठ।	

15—कृषि पाठ्यक्रम समिति

1—श्री भगवान बक्श सिंह (संयोजक)	परिषद् सदस्य
2—डा० एस० एस० सिंह	"
3—श्री कमलेश नाथ अवस्थी	"
4—डा० आर० के० बाउन्ड्रा	"
5—डा० जे० एस० सिंह	"
6—श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद शर्मा	"
7—डा० आर० बी० सिंह, नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।	

8—श्री एस0 के0 वर्मा,
जीव विज्ञान विभाग,
के0 पी0 इण्टर कालेज, इलाहाबाद ।

9—श्री नरेन्द्र सिंह,
कृषक इण्टर कालेज, महोली, सीतापुर ।

16—चित्र कला, रंजन कला, मूर्ति निर्माण कला पाठ्यक्रम समिति

1—श्री प्रबोध नाथ राय, (संयोजक)
एन0 एस0 इण्टर कालेज,
विजयनगर, मेरठ ।

2—श्री सत्य नारायण सिंह,
551, सीताकुण्ड घाट,
सिविल लाइन्स, सुल्तानपुर ।

3—श्री ओम प्रकाश शर्मा,
आर0 एन0 पी0
इण्टर कालेज, सीतापुर ।

4—श्री उमा शंकर दुबे,
एस0 आर0 एम0 इण्टर कालेज,
बीसलपुर, पीलीभीत ।

5—श्री श्याम बहादुर श्रीवास्तव,
प्रवक्ता, सआदत इण्टर कालेज,
नानपारा, बहराइच ।

6—श्री मदन सिंह,
श्री गांधी स्मारक इण्टर कालेज, ढबथुआ,
मेरठ ।

7—श्री एम0 एच0 शर्मा,
अग्रसेन इण्टर कालेज,
757, चौधरी बाड़ा, सिकन्दराबाद,
बुलन्दशहर ।

17—वाणिज्य पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 डी0 एस0 अवस्थी (संयोजक) परिषद सदस्य

2—श्री राम अंजोर पाण्डेय,
प्रधानाचार्य,
एम0 पी0 इण्टर कालेज,
45, नेहरुनगर, लखनऊ ।

3—डा0 जगदीश प्रकाश,
प्रयाग विश्वविद्यालय,
573 ममफोर्डगंज, इलाहाबाद ।

4—श्री कृष्णचन्द्र अड़जरिया,
रानीपुर, झांसी ।

5—श्री जे0 पी0 उपाध्याय,
एस0 एन0 एम0 इण्टर कालेज,
मु0 पृथ्वी दरथला, पो0-कायमगंज,
फर्रुखाबाद ।

6—श्री जगदीश पाण्डेय,
दयानन्द इण्टर कालिज,
गोरखपुर ।

7—श्री रामानुज शाही,
डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज,
शाही सोंध, एलवल, आजमगढ़ ।

18—अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम समिति

1—श्री रामहेत सिंह	(संयोजक)	परिषद् सदस्य
2—श्री राम सिंह		"
3—श्री खान गुफरान जाहिदी		"
4—श्री कृष्णदत्त मिश्र		"
5—श्री ईश्वर दयाल सक्सेना		"
6—श्री कमलेश नाथ अवस्थी		"
7—श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद शर्मा		"

19—संस्कृत पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 एस0 एस0 मिश्रा (संयोजक) परिषद् सदस्य

2—श्री ओमकार नाथ द्विवेदी,
अवकाश प्राप्त प्रवक्ता,
117 नजिराबाद रोड, पनार मुद्रक,
लखनऊ ।

3—श्री शिवनाथ मिश्र,
रवीन्द्र इण्टर कालेज, 'उदयाचल',
बालाकदर रोड, लखनऊ ।

4—डा0 राम किशोर शर्मा,
एन0 ए0 एस0 इण्टर कालेज,
जादूगिरकाबाग पुरानी गढ़ चुंगी,
कृष्णबोध मण्डी आश्रम, मेरठ ।

5--श्री हरि भजन मणि त्रिपाठी,
प्रधानाचार्य,
श्री गौरीशंकर स्मारक संस्कृत
महाविद्यालय, श्रृंगवेरपुर, प्रयाग।
ग्राम व पोस्ट--जहानाबाद, प्रतापगढ़।

6--श्री सुखदेव शर्मा,
प्रधानाचार्य,
एम0 एम0 इण्टर कालेज,
मुजफ्फरनगर।

7--श्री राम प्रसाद शुक्ल,
सरयूप्रसाद इण्टर कालेज, कुण्डा,
प्रतापगढ़।

20--सैन्य विज्ञान पाठ्यक्रम समिति

1--मेजर के0 बत्रा, (संयोजक)
राजपूत रेजीमेन्ट इण्टर कालेज,
कृष्णगंज, पिलखुआ, गाजियाबाद।

2--ले0 हरिओम गोविल, आचार्य,
श्री कृष्ण इण्टर कालेज, जगदम्बा सदन,
टिकिटगंज, बदायूं।

3--कैप्टन श्रीनाथ शुक्ला,
हनुमत इण्टर कालेज, धम्मौर,
सुल्तानपुर।

4--कैप्टन हरबीर सिंह, प्रधानाचार्य,
किसान हा0 से0 स्कूल, दौराला,
457, आर0 ए0 बाजार,
मेरठ कैण्ट।

5--श्री जयपाल सिंह, प्रधानाचार्य,
सी0 बी0 एस0 बी0 इण्टर कालेज,
जसपुर, नैनीताल।

6--श्री के0 के0 द्विवेदी,
के0 एन0 पी0 एन0 इण्टर कालेज,
मौरावां, उन्नाव।

7--श्री रमेश दत्त शर्मा,
7 आर बटलर रोड, डालीबाग,
लखनऊ।

21--भू-गर्भ शास्त्र पाठ्यक्रम समिति

1--डा0 सारंगधर शुक्ला, (संयोजक)
अध्यक्ष भू-गर्भ विभाग,
गुरुराम राय डिग्री कालेज, त्रिषवगा,
40 अलकापुरी, देहरादून।

2—रिक्त

3—श्री हौसिला प्रसाद तिवारी,
एस0 एस0 बी0 एल0 इण्टर कालेज,
देवरिया ।

4—श्री राम सिंह नेगी,
प्रवक्ता,
डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज, कर्णपुर,
देहरादून, कानपुर

5—श्री रविन्द्र कुमार सिंह चौहान,
प्रवक्ता,
बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल डिग्री कालेज,
266/188 भदेवा, लखनऊ ।

6—प्रो0 एम0 एन0 मेहरोत्रा,
भू-गर्भ विज्ञान विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
5 प्रिंसिपल कालोनी, वाराणसी ।

7—श्री एम0 पी0 सिंह,
प्रवक्ता भू-विज्ञान,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

22—प्राविधिक विषय पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 एस0 एन0 सिन्हा (संयोजक) परिषद सदस्य

2—श्री जी0 एस0 शर्मा

3—श्री ए0 सी0 ग्राइस

4—श्री यू0 सी0 दूबे,
प्रधानाचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इटावा ।

5—श्री आर0 के0 वैश्य,
राजकीय इण्टर कालेज,
8-4-75 झारखन्डी, फैजाबाद ।

6—श्री सुरेश नारायण राय,
प्रवक्ता,
राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर ।

7—श्री कृष्णदत्त मिश्र,
राजकीय इण्टर कालेज, फैजाबाद ।

8—श्री जे0 बी0 गुप्ता,
द्वारा सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

9--डा0 डी0 एन0 पालीवाल,
मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज,
डब्ल्यू-4 स्टाफ कालोनी, इलाहाबाद ।

10--डा0 टी0 पी0 श्रीवास्तव,
इलाहाबाद पालीटेक्निक, इलाहाबाद ।

11--श्री एम0 डी0 शर्मा,
प्रवक्ता,
डी0 एन0 पालीटेक्निक,
अक्षयवट, निकट शर्मा स्मारक,
मेरठ ।

23--समाजशास्त्र पाठ्यक्रम समिति

1--श्री एच0 पी0 चतुर्वेदी (संयोजक) परिषद् सदस्य

2--श्री मदन किशोर मालवीय ,,

3--श्री कैलाश नारायण तिवारी,
म0 नं0 3 स्टेट बैंक के पास,
मु0 खेखाना, पो0 रुदौली, बाराबंकी ।

4--श्री देवी प्रसाद,
ग्राम व पत्रालय-महासौड,
गोरखपुर ।

5--श्री राम जनम सिंह,
95 मुकेरीगंज, आजमगढ़ ।

6--श्री डी0 एस0 डांगुर,
डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज,
पौड़ी गढ़वाल ।

7--श्री अनार सिंह यादव,
27 रेलवे रोड, एटा ।

24--रचनात्मक विषय पाठ्यक्रम समिति

1--श्री अनिरुद्ध उपाध्याय, (संयोजक)
अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य,
112 रामप्रिया रोड, इलाहाबाद ।

2--श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त,
राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण
महाविद्यालय, लखनऊ ।

3--श्री आनन्द नारायण मिश्र,
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

4--श्री विश्वनाथ पांडेय,
चर्मकला प्रशिक्षक, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,
डाभासेमर, फैजाबाद ।

5—श्री देवी दयाल मिश्र,
राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
लखनऊ ।

6—श्री सीताराम अग्रवाल, प्रवक्ता,
डा0 घोष मार्डन इण्टर कालेज, इलाहाबाद ।

7—श्री प्रेमनारायण,
अवकाश प्राप्त अध्यापक,
कुलभाष्कर टीचर्स कालोनी, लाउदर रोड,
इलाहाबाद ।

8—श्री राम किशोर आर्य,
राजकीय इंटर कालेज, मेरठ ।

9—श्री चन्द्र मौलि पाण्डेय,
गणेश विद्यालय इण्टर कालेज, रुहार, रायबरेली ।

10—श्री बाबूराम त्रिपाठी,
जनता इण्टर कालेज, अजीतमल, इटावा ।

11—श्रीमती कामनी टण्डन,
आर्य कन्या इंटर कालेज, इलाहाबाद ।

25—बंगला, उड़िया तथा आसामी पाठ्यक्रम समिति

1—श्रीमती विद्या बाजपेई (संयोजक) परिषद् सदस्य

2—श्री त्रिनाथ शर्मा,
उत्कल भवन, बी–27/62,
ए–2 दुर्गाकुण्ड, वाराणसी–5 ।

3—श्री अमरनाथ गांगुली,
बी 5/120 अवध गर्वी, वाराणसी ।

4—डा0 सुखदेव सिन्हा,
आर–32 हैदराबाद कालोनी,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

5—श्री कोमलेन्दु गुप्त,
अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य,
19/170 पटकापुर, कानपुर ।

6—श्री अहिभूषण भट्टाचार्य,
127 गणेश महाल, वाराणसी ।

7—कु0 सुलेखा मुन्शी,
राजकीय इंटर कालेज, बी–6/105 केदारघाट,
वाराणसी ।

26—शिक्षा, तर्क तथा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम समिति—

1—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा	(संयोजक)	परिषद् सदस्य
2— ,, मदन किशोर मालवीय		,,
3—डा0 टी0 एन0 दर		,,
4—डा0 आर0 के0 बाजन्टा		,,
5—डा0 बी0 के0 गुप्ता		,,
6—फादर एस0 डिसूजा		,,
7—रिक्त		,,

27—संगीत तथा नृत्य पाठ्यक्रम समिति—

1—श्रीमती रोमा चटर्जी, (संयोजक)
द्वारा श्री पी0 के0 चटर्जी,
12-बी, डिफेन्स कालोनी, आजनक, कानपुर-10।

2—कुमारी प्रभा शर्मा,
रघुनाथ गर्ल्स इंटर कालेज, मेरठ।

3—श्री मोहन चन्द्र जोशी,
119 कुंजपुर, अल्मोड़ा।

4—श्रीमती सुशीला मिश्रा,
सोनी थापा खंडेलवाल इंटर कालेज,
सागर छात्रावास, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़।

5—कु0 अमिता दत्ता,
प्रवक्ता,
आर्य कन्या इंटर कालेज, मिर्जापुर।

6—श्रीमती ऊषा श्रीवास्तव,
नवयुग कन्या इंटर कालेज, लखनऊ।

7—श्रीमती मुक्ति व्यास,
इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद।

28—नेपाली और पालि पाठ्यक्रम समिति—

1—डा0 मनसाराम शर्मा (संयोजक) परिषद् सदस्य

2—श्री मनीराम मिश्र, प्राचार्य,
गोविन्द वल्लभपन्त डिग्री कालेज, कछला, बदायूं।

3—श्री राम शंकर त्रिपाठी, अध्यक्ष बौद्ध
दर्शन विभाग, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

4—डा० जगन्नाथ पाठक रीडर पालि,
246 सोहबतिया बाग, इलाहाबाद ।

5—डा० महेन्द्र सागर प्रचण्डिया,
श्री वार्ष्णेय कालेज, पीलीकोठी,
आगरा रोड, अलीगढ़ ।

6—श्री हरिशंकर त्रिवेदी,
ओबरा इंटर कालेज,
4-जी5/1, ओबरा कालोनी, मिरजापुर ।

7—श्री जगन्नाथ शर्मा कुण्डेल,
आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी ।

—कश्मीरी, पंजाबी और सिन्धी पाठ्यक्रम समिति

1—श्री सुजान सिंह ज्ञानी, (संयोजक)
प्राचार्य,
गुरुनानक पब्लिक इंटर कालेज,
26 सिद्दुश रोड,
देहरादून ।

2—श्री कुलदीप पाराशर,
पब्लिक इंटर कालेज, सम्पूर्णानगर,
लखीमपुर खीरी ।

3—श्रीमती यशोदा मलकानी,
प्रधानाचार्या,
महिला शिल्प विद्यालय, डेम्पियरनगर,
मथुरा ।

4—श्री सरदार प्रेम सिंह,
द्वारा डा० सुन्दर सिंह, 52 राजा गार्डेन,
नई दिल्ली-25 ।

5—श्री टी० टी० वाधवानी, 4 भोपाल हाउस,
सेकेण्ड फ्लोर, लालबाग,
लखनऊ ।

6—श्रीमती के० के० कालरा,
7-बी, भगत सिंह कालोनी,
सहारनपुर ।

7—कुमारी खुशबीर कौर गम्भीर,
गुरुनानक महिला इण्टर कालेज, कंकड़खेड़ा,
10 टंकी मोहल्ला, सदर बाजार,
मेरठ ।

30—कन्नड़ और तेलुगू पाठ्यक्रम समिति—

1—श्री टी0 एल0 वेंकटेश, (संयोजक)
8-ए बैंक रोड,
इलाहाबाद।

2—डा0 गोपराजू रामा, प्रवक्ता, तेलगू,
गंगानाथ झा शोध संस्थान, अल्फ्रेड पार्क,
इलाहाबाद।

3—डा0 नीलकण्ठ शर्मा, 'हीरमेठ'
प्रधानाचार्य,
आदर्श संस्कृत ब्रह्मविद्या महाविद्यालय, बाड़देव,
डी0 43/65 सदानन्द बाजार,
वाराणसी।

4—रिक्त

5—रिक्त

6—श्री रामकृष्ण नावड़ा,
अवकाश प्राप्त उप-निदेशक,
एफ-189 कमलानगर, आगरा।

7—श्री शान्तिस्वरूप अग्रवाल,
अनु सचिव,
विधान परिषद् उत्तर प्रदेश, 97 नजरबाग,
लखनऊ।

31—मलयालम और तमिल पाठ्यक्रम समिति—

1—डा0 वी0 आर0 बालासुब्रह्मण्यम, (संयोजक)
आचार्य दक्षिण भारतीय भाषा विद्यालय,
मोतीलाल मेमोरियल सोसायटी,
जो 3/4 पेपर मिल कालोनी, लखनऊ।

2—श्री बी0 एम0 रंगनाथन,
प्रवक्ता, तमिल,
प्रयाग विश्वविद्यालय, त्रिदण्डी मठ,
दारागंज, इलाहाबाद।

3—डा0 के0 ए0 कोशी, मलयालम प्रवक्ता,
अलीगढ़ विश्वविद्यालय,
4/634 सर सैयद नगर, दोधपुर,
अलीगढ़।

4—श्रीमती कृष्णा मेहरोत्रा, तमिल अध्यापक,
राजकीय कन्या इन्टर कालेज,
591 ममफोर्डगंज,
इलाहाबाद।

5—श्री डी0 श्रीनिवास वर्द्धन,
प्रवक्ता तमिल,
अलीगढ़ विश्वविद्यालय,
398 लेखराज नगर, अलीगढ़ ।

6—श्रीमती सरस्वती रानी सिंघल,
प्रवक्ता,
इस्लामिया गर्ल्स इण्टर कालेज, आलम गिरीगंज,
बरेली ।

7—श्रीमती विमल कुमारी,
प्रवक्ता,
डी0 के0 इन्टर कालेज,
188-बी, कानूनगोयान, भूड़े, बरेली ।

32—जर्मन और रूसी पाठ्यक्रम समिति—

1—श्री सुरेश चन्द्र मिश्र, (संयोजक)
प्रधानाचार्य,
स्वतंत्र हा0 स्कूल, स्नेह नगर,
आलमबाग, लखनऊ ।

2—डा0 एस0 के0 मदान,
अध्यक्ष, रूसी विभाग,
मेरठ विश्वविद्यालय, 49 स्टेट बैंक कालोनी,
विजयद्वार के सामने, हापुड़ रोड, मेरठ ।

3—डा0 गयाचरण त्रिपाठी, प्राचार्य,
गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्थान,
36 जवाहरलाल नेहरू रोड,
टैगोरटाउन, इलाहाबाद ।

4—श्रीमती मिथिलेश कुमारी,
प्रवक्ता, जर्मन,
प्रयाग विश्वविद्यालय,
1-ए बन्द रोड, एलनगंज, इलाहाबाद ।

5—श्री राजेन्द्र कुमार,
निदेशक,
रूसी भाषा संस्थान,
डी0 ए0 वी0 कालेज,
मुजफ्फरनगर ।

6—डा0 कुमारी शबरा हबीब,
प्रवक्ता रूसी,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
फ्लैट ए/2 युनिवर्सिटी फ्लैट्स,
गोरखनाथ रोड, लखनऊ ।

7—डा0 सुरेन्द्र बहादुर,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
28 सरायमालीखान, लखनऊ ।

13—चीनी और तिब्बती पाठ्यक्रम समिति—

1—श्री राजेन्द्र मिश्र, (संयोजक)
प्रधानाचार्य,
श्री लक्ष्मणजी इण्टर कालेज, महरौली,
बघेल बाबा भाटपार रानी,
देवरिया।

2—श्री लामा चोरब राल्डो,
अध्यापक, तिब्बती भाषा संस्कृत विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, 4 न्यू टीचर्स फ्लैट्स,
लखनऊ।

3—श्री आर0 के0 जेटली, चीनी विभाग,
प्राच्य भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद।

4—रिक्त

5—रिक्त

6—रिक्त

14—बेसिक पाठ्यक्रम समिति—

1—डा0 एस0 एस0 सिंह (संयोजक) परिषद् सदस्य

2—श्री चन्द्रभूषण, आचार्य,
सेवा भारती उच्चतर बुनियादी
विद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी।

3—रिक्त

4—डा0 हरिओम शुक्ला,
आदर्श बजरंग इन्टर कालेज,
बांदा।

5—श्री ओंकारनाथ त्रिवेदी,
प्रवक्ता, उद्यान विज्ञान, जनता महाविद्यालय,
बकेवर, इटावा।

6—श्री टी0 पी0 शुक्ला,
17 राजेन्द्र नगर बलुवाघाट, इलाहाबाद।

7—डा0 रामपाल सिंह,
एफ0 जे0 एस0 हा0 से0 स्कूल,
बरनावली, मेरठ।

35—सांख्यिकी पाठ्यक्रम समिति—

1—श्री महेन्द्र प्रताप कुलश्रेष्ठ, (संयोजक)
अध्यक्ष, सांख्यिकी,
जनता वैदिक कालेज,
सुल्तान सिंह क्वार्टर्स,
पट्टी चौधरान, बड़ौत,
मेरठ।

2—डा० एम० के० सिंह, सांख्यिकी विभाग,
डी० ए० वी० इन्टर कालेज,
104/430 पी रोड, कानपुर।

3—श्री जी० डी० शर्मा, अध्यक्ष,
सांख्यिकी विभाग, एम० ए० एस० कालेज,
मेरठ।

4—श्री वी० पी० शर्मा, अध्यक्ष,
सांख्यिकी विभाग,
डी० ए० वी० पोस्ट ग्रेजुएट कालेज,
14, नयागांव, डालनवाला,
देहरादून।

5—श्री राम नाथ सिंह त्यागी,
अध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग,
डी० ए० वी० डिग्री कालेज, मेरठ

6—श्री अनिल कुमार,
डी० ए० वी० पोस्ट ग्रेजुएट कालेज,
देहरादून।

7—श्री जी० एस० पाण्डेय, प्रवक्ता,
सांख्यिकी, गणित एवं सांख्यिकी विभाग,
प्रयाग विश्वविद्यालय,
प्रयाग।

36—कुलाल विज्ञान पाठ्यक्रम समिति—

1—डा० विपिन चन्द्र जोशी, (संयोजक)
रीडर, कुलाल अभियंत्रण विभाग,
आर/2, हैदराबाद कालोनी,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

2—श्री राम नरेश सिंह,
18 गोमती सदन,
रिवर बैंक कालोनी,
लखनऊ।

3—श्री नृपेन्द्र नाथ गंगोली,
सहायक अध्यापक,
राजकीय इंटर कालेज,
64-ए, नया बैरहना, इलाहाबाद ।

4—डा० बी० एन० अग्रवाल,
कुलाल अभियंत्रण विभाग, आई० टी०,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

5—रिक्त ।

6—रिक्त ।

7—रिक्त ।

37—औद्योगिक रसायन पाठ्यक्रम समिति—

1—श्री संतोष कुमार महरोत्रा (संयोजक) परिषद् सदस्य

2—श्री विजय शंकर गुप्ता,
एम० पी० इंटर कालेज, रामनगर,
नैनीताल ।

3—रिक्त ।

4—श्री ए० के० अग्रवाल, केमिकल इंजीनियरिंग
विभाग, इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी ।

5—डा० शैलेन्द्र कृष्ण राय,
रीडर, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
डी-5/293-बी अवधगर्वी,
वाराणसी ।

6—श्री गौरी दत्त शर्मा,
प्रधानाचार्य,
राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज,
आगरा ।

7—श्री शरण शंकर लाल श्रीवास्तव,
प्रधानाचार्य,
राजकीय दीक्षा विद्यालय, ज्ञानपुर,
वाराणसी ।

38—शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति—

1—श्री लालता प्रसाद चतुर्वेदी (संयोजक) परिषद् सदस्य

2—श्री केशव कुमार शर्मा

3—रिक्त ।

4—फादर एस0 डिसूजा, परिषद् सदस्य

5—श्री हरिपाल शर्मा, भूतपूर्व प्रधानाचार्य,
राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
द्वारा श्री रवि कृपाल शर्मा,
राम लक्ष्मण शुगर मिल,
मुहीउद्दीनपुर, मेरठ ।

6—श्री आनन्द शंकर राय,
नीना बापा इंटर कालेज, गोरखपुर ।

7—श्री जयपाल सिंह राठी, व्यायाम शिक्षक,
ग्राम व पो0 टीकरी,
मु0 धिमाना, मेरठ ।

39—सामाजिक विज्ञान तदर्थ पाठ्‌क्रम समिति—

1—श्री रामहेत सिंह, संयोजक (परिषद् सदस्य)

2—श्री किशोरी लाल शर्मा परिषद् सदस्य

3—श्री नम्बन सिंह फरत्याल ,,

4—श्री देवेन्द्र मिश्र ,,

5—श्री एच0 पी0 चतुर्वेदी ,,

5—श्री प्रभाकर सिंह,
574, ममफोर्डगंज,
इलाहाबाद ।

7—प्रो0 अब्दुल वहाब, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन
विज्ञान संस्थान,
333, रूस्तम मण्डी, पुराना कटरा,
इलाहाबाद ।

8—डा0 मोती लाल भार्गव,
अवकाश प्राप्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
34/9, ईस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली-1100081 ।

9—श्री अरोरा, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0,
नई दिल्ली ।

महिला शिक्षा समिति

1—श्रीमती शारदा अरोरा (संयोजक) परिषद् सदस्य

2—श्रीमती कमला साहनी परिषद् सदस्य

3—श्रीमती सियादुलारी

4—श्रीमती ख्वाजा रजिया बेगम सिद्दीकी ,

5—श्रीमती विद्या बाजपेयी ,

6—श्रीमती ओ0 बी0 मार्च

7—श्रीमती शकुन्तला सरीन — परिषद्-सदस्य

8—कु0 सुषमा सूद — ,,

9—संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) — पदेन विशेष आमंत्रित

परिषद् के विनियमों के अध्याय चौदह के विनियम 2-ख के अंतर्गत परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य—

गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन

1—श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी — परिषद् सदस्य

2—डा0 मनसाराम शर्मा — ,,

गुरुकुल विश्वविद्यालय, काँगड़ी (हरिद्वार)

1—श्री राम सिंह — परिषद् सदस्य

2—श्री भगवान बक्श सिंह — ,,

गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर (सहारनपुर)

1—श्री राम सिंह — परिषद् सदस्य

2—डा0 मनसाराम शर्मा — ,,

(क) परिषद् के अधिकारी

<u>सभापति</u>

श्री वी0 पी0 खंडेलवाल (वर्ष 1986 से) — पदेन
शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0,

<u>सचिव</u>

श्री महानन्द मिश्र (4 नवम्बर, 1985 से 8 सितम्बर, 1989 तक)

श्री पवनेश कुमार (9 सितम्बर, 1989 से)

(ख) परिषद् के सदस्य (अक्तूबर 1984 से)

1—निदेशक (नाम से) — पदेन
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ0 प्र0,
इलाहाबाद।

2—प्राचार्य (नाम से), — पदेन
राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

3—निदेशक (नाम से), — पदेन
मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

4—प्राचार्य (नाम से) — पदेन
राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
लखनऊ।

5—प्राचार्य (नाम से) पदेन
राजकीय केन्द्रीय अध्ययन विज्ञान संस्थान,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

6—निदेशक, (नाम से) पदेन
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
कानपुर ।

7—प्रधानाचार्या (नाम से) पदेन
राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय,
इलाहाबाद ।

8—आयुक्त (नाम से) पदेन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
नई दिल्ली ।

1—परीक्षा समिति—

1—सचिव मा0 शि0 प0 संयोजक
उ0 प्र0, इलाहाबाद (पदेन)।

2—प्राचार्य, सदस्य
राजकीय केन्द्रीय अध्यापक
विज्ञान संस्थान, उ0 प्र0,
इलाहाबाद (पदेन)

3—प्राचार्य सदस्य
राज्य शिक्षा संस्थान,
उ0 प्र0, इलाहाबाद (पदेन)

2—परीक्षाफल समिति—

1—शिक्षा निदेशक अध्यक्ष
एवं सभापति, मा0 शि0 प0,
उ0 प्र0,

2—आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय सदस्य
संगठन, नई दिल्ली (पदेन)

3—सचिव, माध्यमिक शिक्षा सदस्य-सचिव
परिषद्, उ0 प्र0, इलाहाबाद (पदेन)

3—पाठ्यचर्या समिति—

1—प्राचार्य, राजकीय रचनात्मक सदस्य
प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0 प्र0,
लखनऊ (पदेन)

2—निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, संयोजक
उ0 प्र0, इलाहाबाद (पदेन)

3—सचिव, मा0 शि0 प0 (पदेन) सदस्य-सचिव

4—वित्त समिति—

1—प्रधानाचार्या राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद (पदेन)	संयोजक
(2) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0, कानपुर (पदेन)	सदस्य
(3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् (पदेन)	सदस्य-सचिव

5—मान्यता समिति—

(1) निदेशक, मनोविज्ञान शाखा, उ0 प्र0, इलाहाबाद (पदेन)	संयोजक
(2) सचिव, मा0 शि0 प0 या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट क्षेत्रीय सचिव (पदेन)	सदस्य-सचिव के रूप में

6—महिला शिक्षा समिति—

1—प्रधानाचार्या, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद (पदेन)	संयोजक
2—संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला)	पदेन विशेष आमंत्रित

विषय समितियां

1—हिन्दी पाठ्यक्रम समिति—

1—डा0 सूरजपाल शर्मा, एन0
ए0 एस0 डिग्री कालेज, मेरठ

2—श्रीयुत श्री नाथ शुक्ल,
प्रधानाचार्य,
टाउन इण्टर कालेज,
मोहम्मदाबाद गोहना,
आजमगढ़।

3—डा0 (श्रीमती) विनोद लता मिश्र,
प्रवक्ता हिन्दी,
भगवती प्रसाद कन्या इण्टर कालेज,
गोरखपुर। (26 अक्तूबर, 1989 तक)

श्रीमती विमल गुप्त, प्राचार्या, द्रोपदी
कन्या इण्टर कालेज, बरेली (27 अक्तूबर, 1989

4—(श्रीमती) उर्मिला किशोर,
सदस्य, उत्तर प्रदेश माध्यमिक
शिक्षा सेवा आयोग, एलनगंज,
इलाहाबाद

5—डा० बलराम मालवीय,
प्रधानाचार्य,
बी० पी० एम० जी० इण्टर कालेज,
मन्धना, कानपुर ।

6—श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, (संयोजक)
अवकाश प्राप्त उप शिक्षा निदेशक,
ए-46, आलोक नगर, जयपुर
हाउस के पास, आगरा

7—श्री महेश कुमार शर्मा,
सचिव, उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा
सेवा आयोग, इलाहाबाद

गणित पाठ्यक्रम समिति—

1—श्री चन्द्र प्रकाश निगम, (संयोजक)
अवकाश प्राप्त निदेशक,
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान,
द्वारा श्री अवधेश निगम,
सांख्यिकी सहायक,
राज्य योजना आयोग—
विधान भवन, लखनऊ

2—श्री आदित्य नारायण तिवारी,
अवकाश प्राप्त उप शिक्षा
निदेशक, 119 नई बस्ती,
कीडगंज, इलाहाबाद

3—श्री सुमत कुमार जैन,
प्रवक्ता, के० एल० जैन इण्टर कालेज,
सासनी, अलीगढ़

4—श्री मोहम्मद नसीम किदवई,
प्रधानाचार्य,
ओ० के० एम० इण्टर कालेज, लार,
देवरिया

5—श्री अनन्त राम अग्रवाल,
अ० प्र० जि० वि० नि०,
प्रेमनगर, लाइनपार,
मुरादाबाद

6—श्री श्याम किशोर श्रीवास्तव,
प्रवक्ता,
एम० पी० पी० इण्टर कालेज,
तुलसी पार्क, बलरामपुर, गोण्डा

7—श्री शिव कुमार शुक्ल,
अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य,
लोक सेवा प्रेस, लोहापट्टी,
बलिया

3—गृह विज्ञान पाठ्यक्रम समिति—

1—(श्रीमती) महाविद्या श्रीवास्तव, (संयोजक)
अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्या,
प्रयाग संगीत समिति, कमला नेहरु रोड,
इलाहाबाद

2—(श्रीमती) सावित्री सिंघल,
म0 नं0 53/बी0 3/डब्लू,
मो0 कटरा पूरन घाट, मुरादाबाद

3—(श्रीमती) माधवी शुक्ला,
प्रवक्ता, नवयुग कन्या इण्टर कालेज,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ

4—(श्रीमती) प्रतिभा श्रीवास्तव,
33-ए, म्योर रोड, राजापुर,
इलाहाबाद

5—(श्रीमती) शीला उपाध्याय,
प्रोफेसर, राज्य शिक्षा संस्थान,
50-ए, मधवापुर, इलाहाबाद

6—(श्रीमती) गायत्री गुप्ता,
161 साकेत, मेरठ

7—(श्रीमती) प्रेमवती सिंह,
आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज,
शाहजहांपुर

4—अरबी तथा फारसी पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 मोहम्मद रफीक, (संयोजक)
2-ए, मालवीय मार्ग, जार्जटाउन,
इलाहाबाद।

2—श्री मोहम्मद नसीम कुरैशी,
प्रवक्ता, अमीरुद्दौला इण्टर कालेज,
134/252, वजीरतगंज, लखनऊ

3—डा0 अनवारुल हसन,
विभागाध्यक्ष, ओरियन्टल विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

4—डा0 एम0 एम0 जलाली,
अध्यक्ष, फारसी विभाग, बरेली कालेज,
बरेली

5—श्री लियाकत अली सिद्दीकी,
जनता इण्टर कालेज, मेंऊआइमा,
इलाहाबाद

6—डा0 एजाज अहमद,
रीडर-अरबी विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

7--श्री एम0 ए0 मानी,
क्षेत्रीय सचिव, क्षेत्रीय
कार्यालय, बरेली

5--उर्दू पाठ्यक्रम समिति

1--डा0 हुकुम चन्द्र नैयर (संयोजक)
अध्यक्ष, उर्दू विभाग, काशी हिन्दू
विश्वविद्यालय, वाराणसी।

2--श्री सैयद जियाउल हसन,
प्रवक्ता, इस्लामिया इंटर कालेज,
लखनऊ।

3--(श्रीमती) रईसा हसन,
अध्यक्ष, उर्दू विभाग, डी0 जी0 डिग्री कालेज,
6/19 फाहिमाबाद, व्हाइट हाउस कालोनी,
चमनगंज, कानपुर (वर्ष 1989 तक)

श्री लियाकत अली सिद्दीकी
जनता इन्टर कालेज, मऊआइमा इलाहाबाद
(1989 से)

4--श्री एम0 एस0 बेग,
प्रधानाचार्य, एस0 बी0 नेपाल हायर
सेकेण्डरी स्कूल, बसखरी, फैजाबाद।

5--(श्रीमती) सुरय्या रिजवी, (वर्ष 1989 तक
अध्यक्ष, उर्दू विभाग,
इस्माइल गर्ल्स डिग्री कालेज, मेरठ।

श्री फरीद बेग चुगताई,
अ0 प्रा0 प्रधानाचार्य बी 1167, करैली स्कीम,
इलाहाबाद (1989 से)

6--श्री मुहम्मद मुस्लिम,
शिबली नशनल इंटर कालेज,
आजमगढ़।

7--(श्रीमती) चन्दा बेगम,
पी0 पी0 एन0 गर्ल्स इंटर कालेज,
कानपुर।

6--इतिहास पाठ्यक्रम समिति

1--श्री श्रीकान्त मिश्र, (वर्ष 1989 तक) (संयोजक)
अवकाश प्राप्त सहायक शिक्षा निदेशक,
143/34 पुराना बजाजा,
अमीनाबाद, लखनऊ।

[रिक्त]

2--डा0 सुजान सिंह,
प्रधानाचार्य,
509/209, रामाधीन सिंह रोड,
कुतुबपुर, लखनऊ।

3—श्री राम नगीना सिंह,
प्रवक्ता, समर सिंह इंटर कालेज,
रामपुरा, जालौन ।

4—श्री आर0 एस माथुर,
प्रवक्ता,
530 नेहरू नगर, मीरापुर,
इलाहाबाद ।

5—श्री राजपति पाण्डेय,
राजकीय सी0 पी0 आई0
इलाहाबाद ।

6—श्री बजराज सिंह,
प्रधानाचार्य,
श्री हनुमत इंटर कालेज, धम्मौर,
सुल्तानपुर ।

7—श्री संजय मोहन,
सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक,
लखनऊ ।

7—नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम समिति

1—श्री नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी, (संयोजक)
अवकाश प्राप्त रजिस्ट्रार,
विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, MG 1V,
478 महात्मा गांधी मार्ग,
इलाहाबाद ।

2—प्रो0 रघुवीर सिंह (वर्ष 1989 तक)
अध्यक्ष, राजनीति शास्त्र,
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ।

श्री शिवराम सिंह,
अवकाशप्राप्त उ0 शि0 नि0,
573, निरालानगर, राय बरेली,
(वर्ष 1989 से)

3—श्री हरि नारायण सिंह,
प्रधानाचार्य,
श्री शंकर जी इंटर कालेज, कटघा गढ़
आजमगढ़ ।

4—श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी,
प्रधानाचार्य,
जमुनापार हायर सेकेन्डरी स्कूल,
अमरेहा, जसरा, इलाहाबाद ।

5—श्री कौशल किशोर त्रिपाठी,
प्रवक्ता, कर्नलगंज इ0 का0,
64 बाबा जी का बाग,
इलाहाबाद ।

6—श्री रघुनाथ सिंह तोमर,
प्रधानाचार्य,
श्री सुन्दर सिंह इंटर कालेज,
रामगढ़ हरचन्दपुर, इटावा ।

7—(कु0) इन्दिरा खन्ना,
प्रधानाचार्या,
राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय,
इलाहाबाद ।

8—भूगोल पाठ्यक्रम समिति

1—श्री रघुनन्दन सिंह (संयोजक)
अवकाश प्राप्त शिक्षा निदेशक,
48, महात्मा गांधी मार्ग,
इलाहाबाद ।

2—डा0 हर्ष देव सिंह,
प्राचार्य,
सकलडीहा डिग्री कालेज,
सकलडीहा, वाराणसी ।

3—श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी,
अध्यापक,
अग्रसेन इंटर कालेज, इलाहाबाद ।

4—श्री एस0 पी0 गर्ग,
प्रधानाचार्य,
चम्पा अग्रवाल इंटर कालेज,
1395, गुरुनानक नगर, मथुरा ।

5—श्री शिवराज सिंह कठायत,
राजकीय इंटर कालेज, गोपेश्वर,
चमोली ।

6—श्री प्रभाकर सिंह,
574, ई0मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद ।

7—श्री लल्लू राम कनौजिया,
राजकीय जे0 बी0 टी0 सी0, लखनऊ

9—मराठी एवं गुजराती तदर्थ पाठ्यक्रम समिति

1—श्री बी0 एम0 खानवलकर (संयोजक)
द्वारा श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव,
1268–ए/2, मालवीय नगर,
इलाहाबाद ।

2—(श्रीमती) सरोजनी लेले,
द्वारा श्री एस0 सी0 लेले,
38 लाटूश रोड, लखनऊ ।

3—(मालती) मालती गोरे,
242–बी, तुलाराम बाग, इलाहाबाद ।

4—श्री अनन्दी लाल नागर,
190-बी, अलोपी बाग, इलाहाबाद ।

5—(श्रीमती) सरला जोशी (वर्ष 1989 तक),
प्रधानाचार्या,
कमला बालिका इंटर कालेज,
खागा, फतेहपुर ।

डा0 श्रीमती सुनन्दा दास,
रीडर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी (वर्ष 1989 से)

6—श्री विष्णु विनायक महादाणे,
अवकाश प्राप्त, अनुसचिव,
लोकायुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश,
223 राजेन्द्रनगर, लखनऊ ।

7—श्री माधव लाल याज्ञिक,
मोहल्ला—श्रीनगर,
जलेसर रोड, आगरा ।

10—लैटिन और फान्सीसी पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 कृष्ण चन्द्र गौड़, (संयोजक)
40 तुलाराम बाग, इलाहाबाद ।

2—श्री गंगा शरण सिंह,
प्रधानाचार्य,
डी0 ए0 वी0 डिग्री कालेज, लखनऊ ।

3—श्री जोसेफ विश्वास,
560 ममफोर्डगंज, इलाहाबाद ।

4—डा0 प्रभाकर झा,
रीडर-फ्रेन्च,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
डी0 20/15, मुंशी घाट, वाराणसी ।

5—श्री सुनील कुमार गुप्ता,
के0 सी0 97, कविनगर, गाजियाबाद ।

6—डा0 सुरेन्द्र कुमार सिन्हा,
राम कुटीर, जेल गार्डन रोड, रायबरेली ।

7—डा0 बी0 वी0 जैन,
प्रवक्ता-फान्सीसी, अंग्रेजी विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

11—अंग्रेजी पाठ्यक्रम समिति

1—श्री हरि प्रसाद पाण्डेय,
शिक्षा निदेशक (एस0 सी0 ई0 आर0 टी0),
6 माल एवन्यू लखनऊ ।

2—श्री पवनेश कुमार,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3—श्री परशुराम मणि त्रिपाठी,
डी0 ए0 वी0 नारंग इंटर कालेज, घुघली,
गोरखपुर ।

4— श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव,
सचिव बेसिक,
शिक्षा परिषद्,
इलाहाबाद ।

5—श्री राम सिंह,
766 पश्चिमी अम्बर तालाब,
रुड़की, सहारनपुर ।

6—श्री आत्मानन्द दीक्षित
अवकाश प्राप्त क्षेत्रीय सचिव,
141 डी/2जे, राजरूपपुर,
इलाहाबाद ।

7—श्री वी0 एम0 कालानी,
सी-54 गुरु तेग बहादुर नगर,
करेली, इलाहाबाद ।

12—भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम समिति

1—श्री कुंवर मूल राज सिंह, (संयोजक)
अवकाश प्राप्त, संयुक्त शिक्षा निदेशक,
बी 163, आवास विकास कालोनी (पुरानी)
विवेक नगर, दिल्ली मार्ग,
सहारनपुर-247001 ।

2—श्री सूर्यदत्त उपाध्याय,
अवकाश प्राप्त उप शिक्षा निदेशक,
ग्राम—बगहा, चुनार,
मिर्जापुर ।

3—श्री बी0 के0 खन्ना,
अवकाश प्राप्त क्षेत्रीय सचिव,
58, जगत नारायण रोड,
सिल्वर जुबिली हेल्थ स्कूल के सामने,
लखनऊ ।

4—डा0 सुजान सिंह,
प्रधानाचार्य,
500/209 रामाधीन सिंह रोड,
कुतुबपुर, लखनऊ ।

5—श्री के0 बी0 सक्सेना,
अ0प्रा0 क्षेत्रीय सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मेरठ ।

6—श्री जमील अहमद सिद्दीकी,
प्रवक्ता, इस्लामिया इंटर कालिज,
फिरोजाबाद, आगरा ।

7—श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला,
प्रवक्ता,
एस0 ए0 वी0 इंटर कालेज, भरथना, इटावा ।

13—रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 आर0 के0 चाउन्दा, (संयोजक)
18-बी0 सेक्टर—ए, विद्या निवास,
महानगर, लखनऊ ।

2—श्री के0 सी0 गुप्ता,
एम—68, गोविन्दपुर कालोनी, इलाहाबाद ।

3—श्री के0 एन0 धवन,
उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी),
शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।

4—श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, (वर्ष 1989 तक)
प्रवक्ता, के0 पी0 इंटर कालेज, इलाहाबाद
श्री महेन्द्र कुमार मित्तल, प्रवक्ता,
एन0ए0एस0 डिग्री कालेज, मेरठ (1989 से) ।

5—डा0 कृष्ण बहादुर,
प्रोफेसर, रसायन विज्ञान,
प्रयाग विश्वविद्यालय, 68 दिलकुशा,
न्यू कटरा, इलाहाबाद ।

6—डा0 राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
प्रोफेसर, रसायन विज्ञान,
609, सुभाषनगर, प्रयाग

7—डा0 के0 एस0 तिवारी,
अवकाशप्राप्त अध्यक्ष रसायन विज्ञान,
128/48 बाई—1 किदवई नगर,
कानपुर ।

14—जीव विज्ञान पाठ्यक्रम समिति

1—श्री ईश्वर शरण गौड़, (संयोजक)
अवकाश प्राप्त शिक्षा निदेशक,
7, बटलर रोड, डालीबाग,
लखनऊ ।

2—डा0 शुभनारायण, (वर्ष 1989 से)
प्रवक्ता, जन्तु विज्ञान विभाग,
जनता डिग्री कालेज बकेवर, इटावा ।

3—डा0 प्रमोद कुमार गंगवार (वर्ष 1989 से)
अध्यक्ष, जीव विज्ञान विभाग,
कालिवन ताल्लुकेदार इंटर कालेज,
लखनऊ ।

4—डा0 अशोक कुमार निगम,
प्रवक्ता,
ब्वायज एँग्लो बंगाली इंटर कालेज,
सुन्दरबाग, लखनऊ ।

5—श्री एस0 एम0 घोलाखंडी,
73–ए कवि कालिदास मार्ग
डोभालवाला, देहरादून 248001 ।

6—श्री वीरेन्द्र कुमार,
प्रवक्ता,
जन्तु विज्ञान,
राजकीय रजा स्नातक महाविद्यालय,
रामपुर ।

7—श्री प्यारे मोहन श्रीवास्तव,
वनस्पति विज्ञान विभाग,
डी0 ए0 वी0 महाविद्यालय,
लखनऊ ।

15—कृषि पाठ्यक्रम समिति

1—श्री प्रभाकर द्विवेदी, (संयोजक)
कुलभास्कर आश्रम डिग्री कालेज,
इलाहाबाद ।

2—डा0 आर0 के0 बाउन्ड्रा,
विद्या निवास, 18–बी सेक्टर ए,
महानगर, लखनऊ ।

3—श्री टी0 पी0 शुक्ला,
17, राजेन्द्र नगर,
बलुआघाट, इलाहाबाद ।

4—डा0 एन एच0 सागर,
एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद ।

5—श्री ए0 आर0 सिंह,
विभागाध्यक्ष, टी0 डी0 कालेज, जौनपुर ।

6—श्री केशव प्रसाद श्रीवास्तव,
सी0 एस0 आजाद कृषि विश्वविद्यालय,
कानपुर ।

7—श्री कृष्ण कान्त कोठारी,
जैन इंटर कालेज, सासनी, अलीगढ़ ।

8—डा0 राजेन्द्र कुमार पाण्डेय,
पशुपालन विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

9—डा0 एल0 एन0 त्रिपाठी,
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ।

16—चित्रकला, रंजनकला, मूर्ति निर्माण कला पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 श्याम बिहारी अग्रवाल, (संयोजक)
12, चक (जीरो रोड), इलाहाबाद ।

2—(श्रीमती) शकुन्तला श्रीवास्तव,
राजकीय बालिका विद्यालय, फैजाबाद ।

3—(कु0) अंशु चौधरी,
चमन स्कूल आफ आर्ट्स,
892, बेगमपुल, मेरठ ।

4—श्री जयन्ती प्रसाद संगल,
प्रधानाचार्य,
जे0 एस0 आर0 किसान इंटर कालेज,
झिझाना, मुजफ्फनगर ।

5—(श्रीमती) मधुशीला शुक्ला,
राजकीय बालिका विद्यालय
हायर सेकेण्डरी स्कूल, सीतापुर ।

6—श्री अजिराज सिंह, (वर्ष 1990 तक)
प्रवक्ता (अवकाशप्राप्त),
ग्राम एवं पोस्ट पीपरगांव, फर्रुखाबाद ।

डा0 रामेश्वर वर्मा,
प्रवक्ता, राजकीय इ0 का0,
कानपुर । (वर्ष 1990 से)

7—श्री राधे मोहन शर्मा,
सर्वोदय इंटर कालेज, पिलखुआ, मेरठ ।

17—वाणिज्य पाठ्यक्रम समिति

1—श्री आनन्द स्वरूप वैश्य, (संयोजक)
प्रधानाचार्य,
महाराजा अग्रसेन इंटर कालेज,
मोतीनगर, लखनऊ ।

2—श्री ए0 बी0 श्रीवास्तव,
प्रधानाचार्य,
क्वीन्स ऐंग्लो संस्कृत इंटर कालेज,
लखनऊ ।

3—श्री यमुना प्रसाद तिवारी,
प्रधानाचार्य,
हरिश्चन्द्र इंटर कालेज, वाराणसी ।

4—श्री के० के० जैन,
अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग,
राजकीय रजा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज,
रामपुर ।

5—श्री वीरेन्द्र कुमार माहेश्वरी,
प्रवक्ता,
मदन लाल इंटर कालेज, बिसौली,
बदायूं ।

6—डा० के० के० सक्सेना,
प्रोफेसर,
गिरजा भवन, शिवपुरी,
जी० बी० मार्ग, लखनऊ ।

7—श्री विभूति भूषण पाण्डेय,
प्रधानाचार्य,
रामपाल त्रिवेदी इंटर कालेज,
गोसाईंगंज, लखनऊ ।

18—अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम समिति

1—श्री ए० डी० शर्मा, (संयोजक)
प्रोफसर अर्थशास्त्र,
प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।

2—श्री शरविन्दु,
संयुक्त सचिव, शिक्षा (7)
अनुभाग, उ० प्र० शासन,
लखनऊ ।

3—(श्रीमती) ज्योत्सना श्रीवास्तव,
प्रधानाचार्या,
87, शिवाजी नगर, महमूदगंज,
वाराणसी ।

4—श्री रामहेत सिंह,
अ० प्रा० प्रधानाचार्य,
क्षत्रिय बोर्डिंग हाउस, फैजाबाद ।

5—श्री सूर्य प्रकाश गुप्त,
प्राधानाचार्य,
विष्णु इण्टर कालेज, बरेली ।

6—श्री ए० के० शेरवानी,
अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य,
गुल मर्ग कालोनी, लाल डिग्गी रोड,
अलीगढ़ —202002 ।

7—डा० आर० एस० शुक्ल,
प्राचार्य, एम० पी० जी कालेज,
मंसूरी, देहरादून

19--संस्कृत पाठ्यक्रम समिति

1--डा0 देवपति मिश्र, (संयोजक)
संयुक्त शि0 नि0 (प्रशिक्षण),
शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0,
इलाहाबाद। (वर्ष 1989 से)

2--डा0 गणेशदत्त शर्मा,
प्राचार्य, लाजपतराय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, साहिबाबाद,
गाजियाबाद। (वर्ष 1989 से)

3--श्री हरिभजन मणि त्रिपाठी,
प्रधानाचार्य (अ0 प्रा0),
श्री गौरीशंकर स्मारक संस्कृत महाविद्यालय,
श्रृंगवेरपुर, इलाहाबाद।

4--डा0 राजेन्द्र मिश्र,
रीडर, संस्कृत विभाग,
प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

5--डा0 उमा शंकर शुक्ल,
प्रवक्ता,
वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

6--डा0 रामलखन शर्मा
(अ0 प्रा0), स0, नि0 संस्कृत
पाठशालायें, चितवापुर,
लखनऊ। (वर्ष 1989 से)

7--श्री ओंकारनाथ द्विवेदी,
अवकाशप्राप्त प्रवक्ता,
117, नजीराबाद रोड, पनार मुद्रक,
लखनऊ।

20--सैन्य विज्ञान पाठ्यक्रम समिति

1--श्री के0 डी0 सिंह, (संयोजक)
प्राचार्य, राज्य क्रीड़ा संस्थान,
फैजाबाद।

2--श्री कौशल किशोर त्रिपाठी,
प्रवक्ता, कर्नलगंज इ0 का0,
इलाहाबाद। (वर्ष 1989 से)

3--श्री निर्मल नाथ सिंह,
बैसवारा डिग्री कालेज, लालगंज,
रायबरेली।

4--श्री बृज गोपाल गौतम,
ईश्वर शरण डिग्री कालेज, इलाहाबाद।

5—श्री के0 के0 द्विवेदी,
के0 एन0 पी0 एस0 इ0टर कालेज,
मौरावां, उन्नाव ।

6—श्री अमर नाथ कक्कड़,
रीडर, सैन्य विज्ञान विभाग,
प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।

7—श्री तारीफ हुसन,
प्रवक्ता, सैन्य विज्ञान विभाग,
शिवजी नेशनल डिग्री कालेज,
आजमगढ़ ।

11—भूगर्भ शास्त्र पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 महेश चन्द्र, (संयोजक)
मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग
कालेज, इलाहाबाद ।

2—डा0 एम0 एन0 मेहरोत्रा,
अध्यक्ष, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी ।

3—डा0 एम0 पी0 सिंह,
29–ए बादशाहबाग, लखनऊ ।

4—श्री कल्याण दास,
डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज,
वाराणसी ।

5—श्री राम सिंह नेगी,
प्रवक्ता, डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज,
कर्णपुर, 12/4 सीमेन्ट रोड,
देहरादून ।

6—श्री हौसला प्रसाद तिवारी,
एस0 एस0 बी0 एस0 इण्टर कालेज,
देवरिया ।

7—डा0 रणधीर सिंह,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

12—प्राविधिक विषय पाठ्यक्रम समिति

1—निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0 प्र0, (संयोजक)
कानपुर । पदेन

2—श्री गोपी कृष्ण चतुर्वेदी,
प्रवक्ता, आई0 ई0 आर0 टी0,
इलाहाबाद ।

3—श्री अरुण कुमार त्रिपाठी,
प्रवक्ता, सिविल, आई0 ई0 आर0 टी0,
इलाहाबाद ।

4—श्री गजेन्द्र नाथ गौड़,
प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज,
झांसी ।

5—श्री महेश सिंह,
प्रवक्ता, इन्जीनियरिंग,
राजकीय इण्टर कालेज, देवरिया ।

6—श्री सुरेश नारायण राय,
प्रवक्ता, मैकेनिकल इन्जीनियरिंग,
राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर ।

7—श्री आर0 के0 वैश्य,
राजकीय इण्टर कालेज, फैजाबाद ।

8—श्री यू0 सी0 दुबे,
प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान, इटावा ।

9—डा0 के0 डी0 दीक्षित,
प्रोफेसर, जे0 के0 इन्स्टीटयूट ऑफ
एप्लाइड फिजिक्स, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद ।

10—श्री कृष्ण दत्त मिश्र,
प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज,
फैजाबाद ।

11—'रिक्त'

23—समाज शास्त्र पाठ्यक्रम समिति

1—श्री नृसिंह तिवारी, भू0 पू0 एम0 एल0 सी0, (संयोजक)
बी 142, शाहपुर कालोनी,
गोरखपुर ।

2—श्री शिव शरण गुप्ता,
प्रवक्ता, जवाहर लाल नेहरू डिग्री
कालेज, बांदा ।

3—श्री हर प्रसाद चतुर्वेदी,
सम्मानीय उपशिक्षा निदेशक,
गोरखपुर ।

4—श्री हजारी सिंह, —
प्रवक्ता, बैसवार डिग्री कालेज,
लालगंज, रायबरेली ।

5—श्री श्याम किशोर त्रिवेदी,
प्रवक्ता, महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज,
मोती नगर, लखनऊ ।

6—डा0 गोपाल कृष्ण अग्रवाल,
अध्यक्ष, समाज शास्त्र विभाग,
कुमायूं विश्वविद्यालय, न्यू विला,
वेलवेडियर कम्पाउन्ड, मल्लीताल,
नैनीताल ।

7—श्री धीरेन्द्र कुमार पारिख,
प्रधानाचार्य,
गुजरात विद्या मंदिर इण्टर कालेज,
वाराणसी ।

14—रचनात्मक विषय पाठ्यक्रम समिति

1—श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त, (संयोजक)
राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण
महाविद्यालय, 288/242 आर्यनगर,
लखनऊ ।

2—श्री स्वामी दयाल गौड़,
राजकीय काष्ठ शिल्प संस्थान,
इलाहाबाद ।

3—श्री तारकेश्वर प्रसाद,
प्रधानाचार्य, नार्दन रीजनल इन्स्टीट्यूट
आफ प्रिंटिंग टेक्नालाजी, तेलियरगंज,
इलाहाबाद ।

4—श्री हरद्वार राय,
राजकीय पालीटेक्निक, आजमगढ़ ।

5—श्री बाबूराम त्रिपाठी,
जनता इण्टर कालेज, अजीतमल,
इटावा ।

6—श्री तेज नारायण मिश्र,
राजकीय एल0 टी0 बेसिक ट्रेनिंग कालेज,
वाराणसी ।

7—श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज,
उरई (जालौन) ।

8—श्री चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव,
(1) राजकीय लेदर संस्थान, आगरा ।

9—श्री जे0 पी0 चौधरी,
प्रधानाचार्य, राजकीय चर्म संस्थान,
कानपुर ।

10—श्री प्रम सिंह चौहान,
प्रवक्ता, राजकीय टेक्निकल विद्यालय,
इलाहाबाद ।

11—श्री सीता राम अग्रवाल,
प्रवक्ता, डा0 घोष माडर्न इण्टर कालेज,
इलाहाबाद ।

25—बंगला, उड़िया और असामी पाठ्यक्रम समिति

1—(श्रीमती) रमोला कर, (संयोजक)
राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय,
177/सी टैगोर टाउन, इलाहाबाद।

2—(कु0) सुलेखा मुंशी,
6/105 केदार घाट, वाराणसी।

3—श्री अहिभूषन भट्टाचार्य,
127 गणेशी मोहाल, वाराणसी।

4—श्री अमर नाथ गांगुली,
बी/5/120 अवधगर्बी, वाराणसी।

5—डा0 सुखदेव सिन्हा,
आर–32 हैदराबाद कालोनी,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

6—श्री दिवाकर भट्टाचार्य,
बंगला विभाग, शशि भूषण बालिका डिग्री कालेज,
लालकुआं, गुरु गोविन्द मार्ग, लखनऊ।

7—(कुमारी) शिवानी सेन शर्मा,
दुर्गाचरण महिला इन्टर कालेज, वाराणसी।

26—शिक्षा, तर्क तथा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 गुरमौज प्रकाश, (वर्ष 1989 तक) (संयोजक)
अवकाश प्राप्त शिक्षा निदेशक,
ए–441 इन्दिरानगर, लखनऊ।

["रिक्त"]

2—श्री श्याम नारायण राय,
निदेशक, मनोविज्ञान शाला,
उ0 प्र0, इलाहाबाद।

3—डा0 हरद्वारी लाल शर्मा, (वर्ष 1989 तक)
अवकाश प्राप्त संयुक्त शिक्षा निदेशक,
37 जेल रोड, मेरठ।
श्री श्याम नारायण तिवारी,
प्रवक्ता, माता प्रसाद माताभीख
इ0 का0 मिर्जापुर (1989 से)

4—श्री आर0 के0 जोशी, शिक्षाशास्त्र विभाग,
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
(वर्ष 1989 तक)
श्री गौरीशंकर मिश्र,
प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान,
उ0 प्र0, इलाहाबाद।
(वर्ष 1989 से)

5—श्री गौरी शंकर मिश्र, प्रवक्ता,
बसवारा इन्टर कालेज, लालगंज,
रायबरेली ।

6—डा0 आर0 पी0 ध्यानी,
सम्भागीय उपशिक्षा निदेशक,
मेरठ । (वर्ष 1989 से)

7—(कु0) पुष्पा मीतल,
नवयुग कन्या इन्टर कालेज,
लखनऊ ।

|—संगीत तथा नृत्य पाठ्यक्रम समिति

1—(कुमारी) सुमन महादाणे, (संयोजक)
कमला बालिका इन्टर कालेज, खागा,
फतेहपुर ।

2—श्री गोपाल चन्द्र नन्दी,
एसोसिएट प्रोफेसर,
राजकीय भातखण्डे संगीत महाविद्यालय,
लखनऊ ।

3—(श्रीमती) मुदित व्यास,
12/8 न्यायमार्ग,
(सर्किट हाउस के सामने)
इलाहाबाद ।

4—श्री एस0 आर0 आलेकर,
रजिस्ट्रार, भातखण्डे संगीत विद्यापीठ,
लखनऊ ।

5—(श्रीमती) कृष्णा नेहा,
श्री भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय,
गोरखपुर ।

6—श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव,
प्रवक्ता, संगीत विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।

7—श्री एच0 के0 पाठक,
सहायक निदेशक, प्रयाग संगीत समिति,
जार्जटाउन शाखा, 27 महाजनी टोला,
इलाहाबाद ।

8—नेपाली और पाली पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 कोमल चन्द्र जैन (संयोजक)
फ्लेट नं0 133-134-ए रवीन्द्रपुरी,
वाराणसी ।

2—डा0 महेन्द्र सागर प्रचंडिया,
श्री वार्ष्णेय कालेज, 394 सर्वोदय नगर,
आगरा रोड, अलीगढ़ ।

4—श्री गजेन्द्र नाथ गौड़,
प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज,
झांसी ।

5—श्री महेश सिंह,
प्रवक्ता, इन्जीनियरिंग,
राजकीय इण्टर कालेज, देवरिया ।

6—श्री सुरेश नारायण राय,
प्रवक्ता, मैकेनिकल इन्जीनियरिंग,
राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर ।

7—श्री आर0 के0 वैश्य,
राजकीय इण्टर कालेज, फैजाबाद ।

8—श्री यू0 सी0 दुबे,
प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान, इटावा ।

9—डा0 के0 डी0 दीक्षित,
प्रोफेसर, जे0 के0 इन्स्टीटयूट आफ
एप्लाइड फिजिक्स, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद ।

10—श्री कृष्ण दत्त मिश्र,
प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज,
फैजाबाद ।

11—'रिक्त'

2.3—समाज शास्त्र पाठ्यक्रम समिति

1—श्री नृसिंह तिवारी, भू0 पू0 एम0 एल0 सी0, (संयोजक)
बी 142, शाहपुर कालोनी,
गोरखपुर ।

2—श्री शिव शरण गुप्ता,
प्रवक्ता, जवाहर लाल नेहरू डिग्री
कालेज, बांदा ।

3—श्री हर प्रसाद चतुर्वेदी,
सम्मानीय उपशिक्षा निदेशक,
गोरखपुर ।

4—श्री हजारी सिंह,
प्रवक्ता, बैसवार डिग्री कालेज,
लालगंज, रायबरेली ।

5—श्री श्याम किशोर त्रिवेदी,
प्रवक्ता, महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज,
मोती नगर, लखनऊ ।

6—डा0 गोपाल कृष्ण अग्रवाल,
अध्यक्ष, समाज शास्त्र विभाग,
कुमायूं विश्वविद्यालय, न्यू विला,
बेलवेडियर कम्पाउन्ड, मल्लीताल,
नैनीताल ।

7—श्री धीरेन्द्र कुमार पारिख,
प्रधानाचार्य,
गुजरात विद्या मंदिर इण्टर कालेज,
वाराणसी ।

4—रचनात्मक विषय पाठ्यक्रम समिति

1—श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त, (संयोजक)
राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण
महाविद्यालय, 288/242 आर्यनगर,
लखनऊ ।

2—श्री स्वामी दयाल गौड़,
राजकीय काष्ठ शिल्प संस्थान,
इलाहाबाद ।

3—श्री तारकेश्वर प्रसाद,
प्रधानाचार्य, नार्दन रीजनल इन्स्टीट्यूट
आफ प्रिंटिंग टेक्नालाजी, तेलियरगंज,
इलाहाबाद ।

4—श्री हरद्वार राय,
राजकीय पालीटेक्निक, आजमगढ़ ।

5—श्री बाबूराम त्रिपाठी,
जनता इण्टर कालेज, अजीतमल,
इटावा ।

6—श्री तेज नारायण मिश्र,
राजकीय एल0 टी0 बेसिक ट्रेनिंग कालेज,
वाराणसी ।

7—श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज,
उरई (जालौन) ।

8—श्री चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव,
(1) राजकीय लेदर संस्थान, आगरा ।

9—श्री जे0 पी0 चौधरी,
प्रधानाचार्य, राजकीय चर्म संस्थान,
कानपुर ।

10—श्री प्रेम सिंह चौहान,
प्रवक्ता, राजकीय टेक्निकल विद्यालय,
इलाहाबाद ।

11—श्री सीता राम अग्रवाल,
प्रवक्ता, डा0 घोष मार्डन इण्टर कालेज,
इलाहाबाद ।

25—बंगला, उड़िया और असामी पाठ्यक्रम समिति

1—(श्रीमती) रमोला कर, (संयोजक)
राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय,
177/सी टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।

2—(कु0) सुलेखा मुंशी,
6/105 केदार घाट, वाराणसी ।

3—श्री अहिभूषन भट्टाचार्य,
127 गणेशी मोहाल, वाराणसी ।

4—श्री अमर नाथ गांगुली,
बी/5/120 अवधगर्बी, वाराणसी ।

5—डा0 सुखदेव सिन्हा,
आर-32 हैदराबाद कालोनी,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

6—श्री दिवाकर भट्टाचार्य,
बंगला विभाग, शशि भूषण बालिका डिग्री कालेज,
लालकुआं, गुरु गोविन्द मार्ग, लखनऊ ।

7—(कुमारी) शिवानी सेन शर्मा,
दुर्गाचरण महिला इन्टर कालेज, वाराणसी ।

26—शिक्षा, तर्क तथा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 गुरमौज प्रकाश, (वर्ष 1989 तक) (संयोजक)
अवकाश प्राप्त शिक्षा निदेशक,
ए-441 इन्दिरानगर, लखनऊ ।

["रिक्त"]

2—श्री श्याम नारायण राय,
निदेशक, मनोविज्ञान शाला,
उ0 प्र0, इलाहाबाद ।

3—डा0 हरद्वारी लाल शर्मा, (वर्ष 1989 तक)
अवकाश प्राप्त संयुक्त शिक्षा निदेशक,
37 जेल रोड, मेरठ ।
श्री श्याम नारायण तिवारी,
प्रवक्ता, माता प्रसाद मातामीख
इ0 का0 मिर्जापुर (1989 से)

4—श्री आर0 के0 जोशी, शिक्षाशास्त्र विभाग,
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ।
(वर्ष 1989 तक)
श्री गौरीशंकर मिश्र,
प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान,
उ0 प्र0, इलाहाबाद ।
(वर्ष 1989 से)

5—श्री गौरी शंकर मिश्र, प्रवक्ता,
बसवारा इन्टर कालेज, लालगंज,
रायबरेली।

6—डा0 आर0 पी0 ध्यानी,
सम्भागीय उपशिक्षा निदेशक,
मेरठ। (वर्ष 1989 से)

7—(कु0) पुष्पा मीतल,
नवयुग कन्या इन्टर कालेज,
लखनऊ।

—संगीत तथा नृत्य पाठ्यक्रम समिति

1—(कुमारी) सुमन महावाणे, (संयोजक)
कमला बालिका इन्टर कालेज, खागा,
फतेहपुर।

2—श्री गोपाल चन्द्र नन्दी,
एसोसिएट प्रोफेसर,
राजकीय भातखण्डे संगीत महाविद्यालय,
लखनऊ।

3—(श्रीमती) सुचित व्यास,
12/8 न्यायमार्ग,
(सर्किट हाउस के सामने)
इलाहाबाद।

4—श्री एस0 आर0 आलेकर,
रजिस्ट्रार, भातखण्डे संगीत विद्यापीठ,
लखनऊ।

5—(श्रीमती) कृष्णा गेहा,
श्री भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय,
गोरखपुर।

6—श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव,
प्रवक्ता, संगीत विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

7—श्री एच0 के0 पाठक,
सहायक निदेशक, प्रयाग संगीत समिति,
जार्जटाउन शाखा, 27 महाजनी टोला,
इलाहाबाद।

—नेपाली और पाली पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 कोमल चन्द्र जैन (संयोजक)
फ्लेट नं0 133–134–ए रवीन्द्रपुरी,
वाराणसी।

2—डा0 महेन्द्र सागर प्रचंडिया,
श्री वार्ष्णेय कालेज, 394 सर्वोदय नगर,
आगरा रोड, अलीगढ़।

3—श्री ईश्वर चन्द्र,
प्रवक्ता, महाबोधि इन्टर कालेज, सारनाथ,
वाराणसी ।

4—श्री मनीराम मिश्र,
प्राचार्य, गो0 वि0 सं0 डिग्री कालेज, कच्छला,
बदायूं ।

5—श्री महेन्द्र कुमार विद्यार्थी,
डी0 ए0 वी0 डिग्री कालेज, कानपुर ।

6—श्री हरी शंकर त्रिवेदी,
ओबरा इन्टर कालेज, मिर्जापुर ।

7—श्री गुरुदेव प्रसाद वर्मा,
जे0 1264 शान्ति कुटी, धूपचण्डी, वाराणसी।

29—कश्मीरी, पंजाबी और सिन्धी पाठ्यक्रम समिति

1—श्री सुजान सिंह ज्ञानी, (संयोजक)
प्राचार्य, गुरु नानक पब्लिक इन्टर कालेज,
26, लिटन रोड, देहरादून ।

2—श्री कुलदीप पाराशर,
पब्लिक इन्टर कालेज,
सम्पूर्णनगर, लखीमपुर-खीरी ।

3—(श्रीमती) पुष्पा बक्शी,
श्री गुरुनानक गर्ल्स इन्टर कालेज,
गौतमबुद्ध मार्ग, लखनऊ ।

4—श्री सरदार प्रेम सिंह,
द्वारा डा0 सुन्दर सिंह, 52 राजा गार्डेन,
नई दिल्ली ।

5—श्री टी0 टी0 बाधवानी,
4 भोपाल हाउस, सेकेण्ड फ्लोर,
लालबाग, लखनऊ ।

6—(श्रीमती) जे0 के0 कालरा,
7-बी, भगतसिंह कालोनी, सहारनपुर ।

7—(कु0) खुशबीर कौर गम्भीर,
गुरुनानक महिला इन्टर कालेज,
काकड़खेड़ा, 10, बक्की मोहल्ला,
सदरबाजार, मेरठ ।

30—कन्नड़ और तेलगू पाठ्यक्रम समिति

1—(श्रीमती) संध्या शर्मा, (संयोजक)
बालभवन ममफोर्डगंज, इलाहाबाद ।

2—डा0 गोपराजू रामा,
प्रवक्ता तेलुगु, गंगानाथ झा शोध संस्थान,
अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद ।

3—डा0 नीलकन्ठ शर्मा 'हीरेमठ',
प्रधानाचार्य, आदर्श संस्कृत ब्रह्मविद्या
महाविद्यालय, बंगालीटोला, डी–43/65, सदानन्द
बाजार, वाराणसी ।

4—श्री राम कृष्ण नावडा अवकाश–
प्राप्त उप निदेशक, एफ—189,
कमलानगर, आगरा ।

5—"रिक्त"

6—"रिक्त"

11—मलयालम और तमिल पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 वी0 आर0 बालासुब्रामणियम (संयोजक)
आचार्य, दक्षिण भारतीय भाषा विद्यालय,
मोती लाल मेमो0 सोसाइटी, जी–3/4
पेपरमिल कालोनी, लखनऊ ।

2—डा0 के0 ए0 कोशी,
मलयालम प्रवक्ता, अलीगढ़ विश्वविद्यालय,
अलीगढ़ ।

3—श्री एम0 ओ0 नैनन,
डी0 18/1, पेपरमिल कालोनी, लखनऊ ।

4—श्री डी0 श्रीनिवास बर्धन,
398 लेखराज नगर, अलीगढ़ ।

5—(श्रीमती) सरस्वती रानी सिंघल,
51 आवास विकास कालोनी, सिविल–
लाइन्स, बरेली ।

6—(श्रीमती) विमल कुमारी गुप्त,
188–बी कानून–गोयान, मूड, बरेली ।

7—श्री केशव प्रसाद चतुर्वेदी,
दक्षिण भारतीय भाषा विद्यालय,
मोतीमहल, लखनऊ ।

12—जर्मन और रूसी पाठ्यक्रम समिति

1—रिक्त (संयोजक)

2—(श्रीमती) सरोजनी लेले,
द्वारा श्री0 एस0 सी0 लेले,
38 लाटूश रोड, लखनऊ ।

3—श्री सुरेश चन्द्र मिश्र,
प्राधानाचार्य, स्वतन्त्र हायर सेकेण्डरी
स्कूल, स्नेह नगर, लखनऊ ।

4—श्री राजेन्द्र कुमार,
निदेशक, रूसी भाषा एवं संस्कृत संस्थान,
डी0 ए0 वी0 कालेज, 61-ए अग्रवाल मार्केट,
महावीर चौक, मुजफ्फरनगर।

5—डा0 (कु0) शाबरा हबीब, (वर्ष 1989 तक)
प्रवक्ता रूसी, लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

श्रीमती आर0 शर्मा,
प्रवक्ता, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़ ।
(वर्ष 1989 से)

6—डा0 सुरेन्द्र बहादुर,
28 सराय माली खांन, लखनऊ ।

7—डा0 गंगा शरण सिंह,
डी0 ए0 वी0 डिग्री कालेज, लखनऊ ।

33—चीनी और तिब्बती पाठ्यक्रम समिति

1—श्री लामा शेरब राल्डी, (संयोजक)
अध्यापक, तिब्ती भाषा, संस्कृत विभाग,
4 न्यू टीचर्स फ्लैट, लखनऊ ।

2—श्री राजेन्द्र मिश्र,
प्रधानाचार्य, श्री लखन जी इन्टर कालेज,
अहरौली बघेल वाया भाटपार रानी,
देवरिया ।

3—श्री लामा उग्यन तेन जेन,
अध्यापक, केन्द्रीय तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान,
सारनाथ, वाराणसी ।

4—"रिक्त"

5—श्री आर0 के0 जेटली, अवकाश प्राप्त प्रवक्ता,
चीनी, पंचगंगा घाट, के-23/79 मंगला
गौरी मंदिर के पास, दूधविनायक,
वाराणसी ।

34—बेसिक विषय पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, (संयोजक)
पशु पालन विभाग, काशी हिन्दु विश्व-

2—श्री कृष्ण कान्त कोठारी,
जैन इन्टर कालेज, सासनी, अलीगढ़ी ।

3—श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
33, कृषि संस्थान, नैनी, इलाहाबाद ।

4—श्री ओंकार नाथ त्रिवेदी,
प्रवक्ता, उद्यान विज्ञान,
जनता महाविद्यालय, वकेवर, इटावा ।

5—श्री गंगा महेश मिश्र, प्रधानाचार्य,
राजकीय इन्टर कालेज, फतेहगढ़,
फर्रुखाबाद ।

6—डा0 हरि ओम शुक्ल,
आदर्श बजरंग इन्टर कालेज, बांदा ।

7—डा0 हरिश चन्द्र तिवारी,
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
पेरासाइटालाजी विभाग, वेटरीनरी कालेज,
पन्तनगर, नैनीताल ।

[-]—शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम समिति

1—(श्रीमती) सुषमा चटर्जी, (संयोजक)
123 टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।

2—श्री आनन्द शंकर राय,
नीना थापा इण्टर कालेज, गोरखपुर ।

3—श्री हरि कृपाल शर्मा,
द्वारा रवि कृपाल शर्मा,
राम लक्ष्मन सुगर मिल्स, मोहीउद्दीनपुर,
मेरठ । (वर्ष 1989 तक)

श्री उदय नारायण मिश्र,
उप शिक्षा निदेशक (शिविर)
18, पार्क रोड, लखनऊ ।
(वर्ष 1989 से)

4—श्री आर0 एल0 विल्सन,
अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य,
279, डा0 काटजू रोड, इलाहाबाद ।

5—श्री आर0 के0 श्रीवास्तव,
प्रधानाचार्य,
फिजिकल कालेज, रामपुर ।

6—(कु0) रीता जौहरी,
राजकीय महिला फिजिकल कालेज,
इलाहाबाद ।

36—सांख्यिकी पाठ्यक्रम समिति

1—श्री पांचू राम विश्वकर्मा, (संयोजक)
श्री गणेश राय डिग्री कालेज, डोभी,
जौनपुर।

2—श्री जी0 एस0 पाण्डेय,
प्रवक्ता, सांख्यिकी गणित एवं सांख्यिकी
विभाग, इलाहाबाद, विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद।

3—श्री आर0 सी0 यादव,
रीडर, सांख्यिकी विभाग,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

4—श्री उमाशंकर द्विवेदी,
विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग,
डी0 ए0 वी0 कालेज, लखनऊ।

5—श्री महेन्द्र प्रताप कुलश्रेष्ठ,
अध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग,
जनता वैदिक कालेज, बड़ौत, मेरठ।

6—डा0 पद्माकर सिंह,
प्रवक्ता, सांख्यिकी, उदय प्रताप कालेज,
वाराणसी।

7—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव,
सांख्यिकी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

37—सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम समिति

1—श्री प्रभाकर सिंह, (संयोजक)
अवकाश प्राप्त प्रोफेसर,
एन0 सी0 ई0 आई0 टी0,

574-ममफोर्डगंज, इलाहाबाद।

2—श्री राम जन्म द्विवेदी,
अवकाश प्राप्त प्रोफेसर,
117-सी/4, बुद्धनगर मीरापुर, इलाहाबाद।

3—श्री शिवकुमार मिश्र,
प्रवक्ता, ग्राम व पो0 परसीपुर वाया
कुण्डा, प्रतापगढ़।

4—श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी, (वर्ष 1989 तक)
अध्यापक, अग्रसेन इण्टर कालेज, इलाहाबाद।
सुश्री उर्मिला शुक्ला, प्रधानाचार्य, राजकीय
कन्या इं0 का0, रायबरेली (वर्ष 1989 से)

5—श्री सूर्य भान सिंह,
उप सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय,
वाराणसी ।

6—श्री राम चन्द्र कपूर,
राजाशंकर सहाय इं0 का0, उन्नाव ।

7—श्री जगदीश प्रसाद राठी,
प्रवक्ता, श्री गोपीनाथ इण्टर कालेज,
फिरोजाबाद, आगरा ।

-औद्योगिक रसायन पाठ्यक्रम समिति

1—श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी, (वर्ष 1989 तक) (संयोजक)
रीडर, गोरखपुर विश्वविद्यालय,
30 पुरदिलपुर, गोरखपुर ।

श्रीमती मुक्ती राय,
प्रधानाचार्य, डी0 पी0 गर्ल्स इं0 का0
इलाहाबाद । (वर्ष 1989 से)

2—श्री शरण शंकर लाल श्रीवास्तव,
182-ए-2, राजरूपपुर, इलाहाबाद ।

3—श्री गौरी दत्त शर्मा,
प्रधानाचार्य,
2, टीचर्स कालोनी,
जयपुर हाऊस के सामने, आगरा ।

4—श्री विजय शंकर गुप्ता,
एम0 पी0 इं0 का0, रामनगर, नैनीताल ।

5—श्री हरिश्चन्द्र शर्मा,
सहायक उप शिक्षा निदेशक (बेसिक),
मेरठ ।

6—श्री ए0 के0 अग्रवाल,
13/209-1-डी, ब्रिज इनक्लेव
सुन्दरपुर, वाराणसी ।

कुलाल विज्ञान पाठ्यक्रम समिति

1—डा0 विपिन चन्द्र जोशी, (संयोजक)
प्रोफेसर, कुलाल अभियंत्रण, आई0 टी0,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
आर-2, हैदराबाद कालोनी, वाराणसी ।

2—श्री रामनरेश सिंह,
18, गोमती सदन,
रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ ।

3—श्री नृपेन्द्र नाथ गंगोली,
सहायक अध्यापक, राजकीय इं0 का0,
64-ए, नया बैहराना, इलाहाबाद ।

4—डा0 ओ0 एन0 अग्रवाल,
कुलाल विज्ञान विभाग आई0 टी0,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
20, टीचर्स, फ्लैट, वाराणसी ।

5—श्री राम कृष्ण अग्निहोत्री,
प्रधानाचार्य,
राजकीय इण्टर कालेज, बसुरा, सीतापुर ।

6—श्री राम प्रकाश सक्सेना,
उप प्रधानाचार्य,
राजकीय इ0 का0, खिड़की अलीबेग,
फैजाबाद ।

गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन हेतु नामित सदस्य

1—रिक्त—

2—रिक्त—

गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) हेतु नामित सदस्य

1—रिक्त—

2—रिक्त—

गुरुकुल विश्वविद्यालय, ज्वालापुर, सहारनपुर हेतु नामित सदस्य

1—रिक्त—

2—रिक्त—

भाग—पांच

परिषद् के नियम

[एक]—बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षकों, परिनिरीक्षक और परिसीमन आदि की पात्रता तथा उनकी नियुक्ति और हटाये जाने के नियम

(क) परीक्षक

1—योग्यता

केवल हाई स्कूल परीक्षा के लिए

1—याग्यता प्राप्त वे अध्यापक—(क) जिनका मान्यता-प्राप्त विद्याल सम्बन्धित विषय को हाई स्कूल या इण्टर अथवा दोनों मिलाकर पढ़ाने का कम से पांच वर्ष का अनुभव हो, (ख) जिनका विभाग द्वारा मान्य दीक्षा विद्यालयों मान्यता-प्राप्त विद्यालयों हाई स्कूल या इण्टर कक्षाओं को पढ़ाने का कम से कम अनुभव हो, (ग) अभीष्ट अनुभव प्राप्त विज्ञान व कृषि के अप्रशिक्षित गात्मक परीक्षकत्व के लिए अर्ह होंगे ।

2—पाँच वर्ष की सेवा अवधि वाले प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक तथा उच्चतर ... मिक विद्यालयों के वे अध्यापक जो सम्बन्धित विषय की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त ... था प्रकार अध्यापक जो अपेक्षित अनुभव रखते हों और जो सम्बन्धित विषय में ... तकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं ।

3—विद्यालयों के निरीक्षक, उप-निरीक्षक तथा शिक्षा विभाग के इनके तुल्य ... वा उच्च अधिकारी जो सम्बन्धित विषय में योग्यता प्राप्त हों और जिनकी सेवा ... धि 5 वर्ष हो गई हो ।

4—हाई स्कूल प्रयोगात्मक विषयों के परीक्षकों के रिक्तियों की पूर्ति सर्वप्रथम ... अर्ह प्रेक्टिकल डिमान्सट्रेटर्स से की जाय जो कभी परीक्षक नहीं बने हैं । तत्पश्चात् ... खित विषयों में कार्यरत परीक्षकों को स्थानान्तरित करके किया जाय । ऐसा करने ... पहले चौथे वर्ष में चलने वाले तत्पश्चात् तीसरे वर्ष तथा दूसरे वर्ष के अनुभव ... के व्यक्तियों से रिक्तियां पूर्ण की जाय । यदि फिर भी रिक्त शेष रह जाय तो ... की पूर्ति उसी आधार पर की जाय जिस आधर पर लिखित के परीक्षकों की नियुक्तियां ... न का प्रस्ताव हैं । इण्टरमीडिएट में भी लिखित परीक्षकों का प्रयोगात्मक में ... नान्तरण इसी प्रक्रिया से करके सूचियाँ पूर्ण की जायें ।

5—संगीत में उन नेत्रहीन व्यक्तियों को परिषद् की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में ... क्षक नियुक्त किया जाय जो परीक्षक हेतु वांछित अर्हता पूरी करता हो ।

हाई स्कूल तथा इण्टर की परीक्षाओं के लिए

1—पांच वर्ष की सेवा अवधि वाले—(1) प्रशिक्षण महाविद्यालय, (2) तकनीकी ... यों की शिक्षण संस्था, (3) महाविद्यालय अथवा (4) विश्वविद्यालय के योग्यता ... त अध्यापक ।

टिप्पणी—विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के अध्यापकों को हाई स्कूल परीक्षा में ... क्षक / उप प्रधान परीक्षक का कार्य नहीं दिया जायेगा ।

2—इंटरमीडिएट कालेजों के योग्यता प्राप्त वे अध्यापक जिन्हें सम्बन्धित विषय ... 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं को पढ़ाने का पांच वर्ष का अनुभव हो ।

3—मान्यता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक जिनकी सेवा पांच वर्ष हो और जो सम्बन्धित विषय में योग्यता प्राप्त हों ।

4—विद्यालय के निरीक्षक, उप-निरीक्षक तथा शिक्षा विभाग के इनके तुल्य ... वा उच्च अधिकारी, जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष हो चुकी हो और जो सम्बन्धित ... य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हों ।

परीक्षकों और परिनिरीक्षकों आदि की नियुक्ति के विचारार्थ विद्यालयों के ... तथा शिक्षा विभाग के अन्यान्य अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सब ... से पूर्ण सूचियों को प्रेषित करेंगे ।

परीक्षक की नियुक्ति के लिए सामान्यतः मुख्य कसौटी सेवाकाल होगा अर्थात् ... बातें समान होने पर अधिक सेवाकाल वाले व्यक्ति को कम सेवाकाल वाले व्यक्ति ... वरीयता दी जायेगी । किन्तु यह तरीका नीचे दी गई श्रेणियों के सम्बन्ध में लागू होगा—

(अ) प्रशासनिक और विद्यालयों का निरीक्षण करने वाले कर्मचारी ।

(आ) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के कार्यकर्ता ।

(इ) अवकाशप्राप्त शिक्षा विभाग के कर्मचारी।

(ई) प्रख्यात शिक्षाविद्।

विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षा विभाग के कार्यालयों के अधिकारियों के स में वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए परिषद् सचिव द्वारा विद्यालयों के प्रधानों कार्यालयों के अध्यक्षों को कोरे प्रपत्र भेजे जायेंगे।

तकनीकी तथा किसी विषय विशेष के प्रसंग में जिनमें योग्यता प्राप्त a पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते, उक्त नियम शिथिल किये जा सकते हैं।

परीक्षकों की नियुक्ति

(1) मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इन्टर कालेजों के अध्यापकों परीक्षकों के रूप में नियुक्ति हेतु इन संस्थाओं से प्राप्त अध्यापक सूचियों को आ मानकर विषयवार अध्यापन अनुभव के अनुसार ज्येष्ठता सूची बनाई जायेगी। अध्यापकों के विवरण अध्यापक सूची में उपलब्ध न हों अथवा विवरण अस्पष्ट हो, स के प्रधानों से स्पष्टीकरण मांगा जाय।

(2) हाई स्कूल तथा इ०टरमीडिएट में विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को निम्न के अनुसार पारिश्रमिक कार्य दिया जायेगा :—

1—हाई स्कूल—

(क) 95 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के कार्य अवकाश प्राप्त अध्यापक तथा प्रधानाचार्य एवं प्रसार अध्यापक, सी० वेतनक्रम के स्नातकोत्तर उपाधिधारी अध्यापक तथा व्यायाम शिक्षक व शारी शिक्षा अनुदेशक (स्नातकोत्तर उपाधिधारी);

(ख) 5 प्रतिशत शिक्षा विभाग के अधिकारी, एस० डी० आई० (स्नातको उपाधिधारी) श्रेणी के तथा अन्य श्रेणी के व्यक्ति।

टीप—प्रसार अध्यापक, सी० टी० वेतनक्रम तथा व्यायाम शिक्षक आदि की ज्येष्ठ हेतु अनुभव की गणना उस वर्ष से की जायेगी जिस वर्ष उन्होंने स्नातकोत्तर उप प्राप्त की है।

2—इण्टरमीडिएट—

(क) 80 प्रतिशत केवल माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत अध्यापक/अवक प्राप्त अध्यापक तथा प्रधानाचार्य आदि।

(ख) 20 प्रतिशत शिक्षा विभाग के अधिकारी, विश्वविद्यालय/डि कालेज के अध्यापक तथा अन्य श्रेणी के व्यक्ति।

(3) एम० एस-सी० (कृषि) उपाधिधारी व्यक्ति जिसने बी० एस-सी० (कृ में कृषि अभियंत्रण अनिवार्य विषय के रूप में लिया हो, आवश्यक अध्यापन अनुभव साथ कृषि अभियंत्रण (इण्टर) में परीक्षक के लिये अर्ह होंगे।

(4) विज्ञान प्रदर्शक, जिन्होंने बी० एस-सी० रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान त वनस्पति विज्ञान लेकर उत्तीर्ण किया है, प्रशिक्षण आदि की निर्धारित अन्य अर्हता रख पर हाई स्कूल विज्ञान-2 द्वितीय प्रश्न-पत्र में परीक्षक हेतु अर्ह माने जायेंगे।

(5) प्रयोगात्मक (हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट) विषयों में लिखित परीक्षकों प्रयोगात्मक परीक्षा में स्थानान्तरण किया जा सकता है। प्रयास यह रहेगा कि इन यों में निम्नलिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षक का कार्य प्रत्येक परीक्षक को दिया सकेगा।

(6) हायर सेकेण्डरी स्कूलों/माध्यमिक विद्यालयों के सी0 टी0 ग्रेड के उन ापकों को जो स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं परन्तु हाई स्कूल कक्षाओं को 5 वर्ष से समय तक पढ़ाते रहे हैं उन्हें उन्हीं अध्यापकों की तरह परीक्षक हेतु अर्ह माना जाय स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष तक जूनियर कक्षाओं को पढ़ाते हैं।

(7) किसी ग्रेड का कोई अध्यापक जो दो विषयों में एम0 ए0 है और इनमें से एक ही विषय पढ़ा रहा है तो ऐसे अध्यापकों को दूसरे विषय में भी हाई स्कूल में क्षकत्व कार्य हेतु अर्ह मान्य होगा।

(8) जो अध्यापक परिषद् का पारिश्रमिक कार्य एक या दो वर्ष कर चुके हैं तु उन्होंने अपना चार वर्ष कार्य पूरा नहीं किया है परन्तु अंक त्रुटि अथवा सामूहिक क या अन्य परिस्थितियों में पारिश्रमिक कार्य से वंचित कर दिये गये हैं अथवा पारि- क कार्य नहीं कर सके हैं, उन्हे उनके वंचित काल की समाप्ति के पश्चात् टर्म पूरा में जितने वर्ष बचे हों उन्हें उतने ही वर्षों तक पारिश्रमिक कार्य दिया जायेगा ताकि का पारिश्रमिक कार्य करने का एक टर्म (वंचित अवधि से पहले तथा बाद का मिलाकर) हो जाय।

(9) ऐसे प्रसार तथा व्यायाम अध्यापकों एवं एन0 डी0 एम0 आई0 जी0 स्नात- र उपाधि प्राप्त नहीं हैं परन्तु प्रशिक्षित स्नातक हैं तथा हाईस्कूल कक्षाओं को पढ़ाने वांछित अनुभव एवं योग्यता रखते हैं उन्हें अनुभव के आधार पर सामान्य श्रेणी में क्षकत्व प्रदान किया जायेगा।

(10) उ0 मा0 विद्यालयों के ऐसे अध्यापक जो केवल बी0 ए0, बी0 टी0 सी0 ा जे0 टी0 सी0 हैं, उन्हें बी0 ए0 उत्तीर्ण वर्ष के बाद के 5 वर्ष के अध्यापन भव को जोड़कर सी0 टी0 ग्रेड को श्रेणी में रखा जायगा परन्तु अनट्रेण्ड अध्यापकों को ी दशा में परीक्षक कार्य हेतु अर्ह नहीं माना जायगा। अध्यापकों को उप प्रधान क पद पर नियुक्ति हेतु 12 वर्ष की सेवाकाल की गणना में उनके जूनियर कक्षाओं पढ़ाने अथवा जूनियर संस्थाओं के सेवाकाल को सम्मिलित नहीं किया जाय।

(11) एल0 टी0 ग्रेड में नियुक्त अध्यापकों का अनुभव उनके एल0 टी0 ग्रेड में क्ति को तिथि से यदि आक्षेप प्रमाणित हो कि उन्हें कक्षा 9, 10 पढ़ाने को नहीं जा रहा है, जिन विषयों में वह अर्ह हो, माना जायगा चाहे उन्हें कक्षा 9, 10 को दिया गया हो या न दिया गया हो।

(12) हाई स्कूल गृह विज्ञान तथा गृहकला विषय में जीव विज्ञान अध्यापक को क नहीं बनाया जाय।

(13) विज्ञान-1 को प्रयोगात्मक परीक्षा के लिये परीक्षकों की अर्हता केवल एस-सी0 अर्थात् भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित अथवा जन्तु विज्ञान, वनस्पति न तथा रसायन विज्ञान रखा जाय। परन्तु ऐसे विद्यालय में जहां पहले विज्ञान वर्ग ान्यता नहीं थी वहाँ पर ऐसे बी0 एस-सी0/एम-एस0 सी0 योग्यता धारक वाह्य क नियुक्त किये जायेंगे जो जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के बी0 एस-सी0/एम0 एस-सी0 हों।

(14) हाई स्कूल विज्ञान-1 विषय में परीक्षकों की नियुक्ति हेतु निम्न योग्यता होगी :--

(1) प्रथम प्रश्न-पत्र--बी0 एस-सी0-जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान।

(2) द्वितीय प्रश्न-पत्र--बी0 एस-सी0--भौतिक, रसायन एवं गणित।

नोट--हाई स्कूल विज्ञान-2 विषय में परीक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यता व रहेगी जो परिषद् पंचांग में विज्ञान विषय हेतु निर्धारित है।

(15) हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान विषय में परीक्षकों की नियुक्ति हेतु निम्न योग्यता होगी :--

(1) प्रथम प्रश्न-पत्र--इतिहास अथवा नागरिकशास्त्र (किसी एक विषय में स्नातक)

(2) द्वितीय प्रश्न-पत्र--भूगोल अथवा अर्थशास्त्र (किसी एक विषय में स्नातक)

(सं0 प0 स0 दिनांक 10 फरवरी, 1983 के प्रस्ताव संख्या चौदह द्वारा निर्धारि

(16) मूल्यांकन केन्द्रों पर उपनियंत्रकों द्वारा जिन्हें सहायक परीक्षक से प्रोन्न करके उप प्रधान नियुक्त कर दिया गया हो उन्हें अगले वर्ष पुनः सहायक परीक्षक रूप में प्रत्यावर्तित किया जायेगा यदि उनके पारिश्रमिक कार्य का अवधि शेष है।

2--परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें

1--प्रत्येक परीक्षक को परीक्षा कार्य स्वीकार्य करने के साथ यह निश्चित रूप लिखना होगा कि वह उत्तर-पुस्तकों के मूल्यांकन के लिये निर्धारित समय के भीतर स स्रोतों से मिलाकर 1,000 उत्तर-पुस्तकों से अधिक नहीं जांचेगा, बाद में परीक्षा समाप्ति पर प्रत्येक परीक्षक यह प्रमाण-पत्र भी देगा कि उसने उत्तर-पुस्तकों के मूल्यां के लिये निर्धारित समय के भीतर सब स्रोतों से मिलाकर कुल 1,000 से अधिक उत्त पुस्तकें नहीं जांची।

2--पारिश्रमिक कार्यों हेतु विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिये निर्धारित प्रति का आरक्षण विषयवार किया जायेगा। सहायक परीक्षकों की भांति उपप्रधान परीक्षकों नियुक्ति में भी यथासम्भव आरक्षण की नीति अपनायी जाय।

3--परीक्षक का हटाया जाना

तीन या उससे अधिक गलतियां करने पर परीक्षक का नाम परीक्षक सूची से क दिया जायगा और हटाये जाने की तिथि से 3 वर्ष तक वह पुनर्नियुक्त का अधिकारी न होगा। यदि किसी परीक्षक की कोई गलती उन उत्तर-पुस्तकों की जांच में पाई जाती जिन्हें वह आदर्श उत्तर-पुस्तकों के रूप में अथवा जिन अंकचिटों को वह प्रधान, संयु प्रधान अथवा उप-प्रधान परीक्षकों को भेजता है तो वह गलती प्रधान, संयुक्त प्रधान, अ उप-प्रधान परीक्षक की भी गलती मानी जायगी और यह गलतियां सम्बन्धित परीक्ष के खाते में चढ़ा दी जायेगी।

यदि कोई प्रयोगात्मक परीक्षक-छः या उससे अधिक गलतियां करता है तो परी सूची से उसका नाम काट दिया जायगा और हटाये जाने की तिथि से तीन वर्ष तक पुनर्नियुक्ति का अधिकारी न होगा। प्रधान या संयुक्त प्रधान परीक्षक अपने काम में

या उससे अधिक त्रुटियां होने पर तथा अन्य सहायक परीक्षकों के जांच कार्य को मिलाकर 10 से अधिक त्रुटियां होने पर तीन वर्ष तक पुनर्नियुक्ति के अधिकारी न होंगे।

4—समितियों द्वारा संस्तुति

1—हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार उच्चतर माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों से प्राप्त अध्यापक सूचियों से परीक्षकों की नियुक्ति विषयवार वरिष्ठता क्रम से चक्रानुक्रम से की जायेगी। परीक्षक होने का मुख्य आधार सेवा कार्य होगा। ऐसे अध्यापक जो कभी भी परिषद् का पारिश्रमिक कार्य नहीं पाये हैं उन्हें नियुक्ति में वरीयता प्रदान की जाय।

2—हाई स्कूल में 5 प्रतिशत तथा इण्टरमीडिएट में 20 प्रतिशत सहायक परीक्षकों की नियुक्ति हेतु विषय समितियों द्वारा योग्यता प्राप्त अध्यापकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नामों की संस्तुतियां की जायेंगी। प्रधान, उप-प्रधान, संयुक्त प्रधान तथा परिमार्जकों के नामों की संस्तुतियां विषय समितियों द्वारा की जायेंगी।

3—कोई भी व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाहर चला गया है, परीक्षक नहीं हो सकता और यदि नियुक्त हो गया है तो उसकी नियुक्ति चलती नहीं रह सकती।

टिप्पणी—(1) विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों आदि के नियमित विद्यार्थी परीक्षक नियुक्त नहीं हो सकते।

(2) सेवाकालीन प्रशिक्षण पाने वाले अध्यापकों का परीक्षकत्व चालू रह सकता है।

(3) उन अध्यापकों को परिषद् का कोई भी पारिश्रमिक कार्य उस वर्ष नहीं दिया जायगा, जिस वर्ष वे स्वयं परिषद् की किसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों।

(4) अध्यापन का अनुभव परीक्षा के विषय में वांछित होगा।

(5) परीक्षकों की नियुक्ति हेतु उनके अनुभव की गणना में जुलाई मास की किसी तिथि में मई की किसी तिथि तक काम करने का एक वर्ष का अनुभव माना जायगा। इस अनुभव की गणना परीक्षा से पहले वर्ष के 30 जून, तक की जायगी।

(6) किसी व्यक्ति को एक साथ परिषद् के दो पारिश्रमिक कार्य नहीं दिये जायेंगे, परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी लघु विषय में परीक्षक है अथवा उसे लघु पारिश्रमिक कार्य दिया गया है तो वह किसी दूसरे विषय में परीक्षक हो सकता है अथवा उसे कोई दूसरा पारिश्रमिक कार्य दिया जा सकता है।

दृष्टव्य—(क) जिस विषय/कार्य का कुल पारिश्रमिक डाक व्यय को छोड़कर* 400 रु0 से अधिक न हो, उसे लघु विषय/कार्य माना जायगा।

(*परिषद की बैठक की कार्यवाही दिनांक 17 नवम्बर, 1989 के निर्णय संख्या अट्ठारह (16) के अनुसार।)

(ख) मार्जक उपर्युक्त नियम के बन्धन से मुक्त होंगे।

(7) एन0 सी0 सी0 की इकाइयों में नियुक्त पूर्णकालिक अधिकारियों को परिषद् का कोई पारिश्रमिक कार्य नहीं दिया जायगा।

(8) 6 वर्ष से अधिक कार्यरत अप्रशिक्षित बी0 एस-सी0 विज्ञान अथवा जीव विज्ञान अथवा कृषि अध्यापक अपने विषय में अर्ह माने जायेंगे।

5—संयुक्त अथवा उप-प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति

संयुक्त अथवा उप-प्रधान परीक्षक बोर्ड की किसी परीक्षा में नियमतः उन लोगों में से नियुक्त करने चाहिये, जिनकी सेवा अवधि बारह वर्ष हो चुकी हो, जिनको उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या और ऊंचे स्तर का या दीक्षा विद्यालयों या इन दोनों को मिलाकर आठ वर्ष का निरीक्षण या शिक्षण अनुभव हो और जिनको सम्बन्धित विषय में उस परीक्षा में या परिषद् की किसी और ऊंची परीक्षा के परीक्षण कार्य का चार वर्ष का अनुभव हो।

सम्बन्धित विषय का तात्पर्य हाई स्कूल विज्ञान-1 विषय में प्रथम प्रश्नपत्र में जीव विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान में सहायक परीक्षकत्व से तथा द्वितीय प्रश्न-पत्र में भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान में सहायक परीक्षकत्व से माना जाय।

इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान प्रथम प्रश्न-पत्र में सम्बन्धित विषय का तात्पर्य इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र में तथा द्वितीय प्रश्न-पत्र में भूगोल अथवा अर्थशास्त्र विषय में सहायक परीक्षकत्व से माना जाय।

6—प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति प्रधान परीक्षक अथवा प्रश्न-पत्र निर्माता नियुक्त नहीं हो सकता जब तक उसकी सेवा अवधि 15 वर्ष न हो गई हो और उसे उस विषय में उप-प्रधान परीक्षक का अनुभव उस परीक्षा या परिषद् की किसी अन्य ऊंची परीक्षा का न हो, किन्तु यह नियम विश्वविद्यालयों के प्रख्यात विद्वानों तथा अन्य लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाविदों के सम्बन्ध में शिथिल किया जा सकता है।

परिनिरीक्षक

(अ) तुलनात्मक परिनिरीक्षण:—

(1) किसी मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 10 वर्ष तक का शिक्षण अनुभव रखने वाले सी० टी० वेतन क्रम में नियुक्त शिक्षकों को परीक्षा समिति की संस्तुति पर परिनिरीक्षक बनाया जा सकता है।

(2) प्रधानाचार्यों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं परिषद् कार्यालयों के कर्मचारियों को यदि उनका सेवाकाल 10 वर्ष पूरा हो गया है। सेवाकाल की गणना उसी तिथि से की जायेगी जब कोई शिक्षक / किसी प्रकार का प्रशिक्षणप्राप्त अथवा प्रशिक्षण मुक्ति पाने के पश्चात् सेवा प्रारम्भ की हो। इसमें सी० पी० डी० और डी० पी० एड० सम्मिलित होंगे।

(3) परिनिरीक्षण कार्य परिषद् कार्यालय में होगा।

(4) ऐसे सारणीयक जिनका सारणीयन कार्य के अन्तिम वर्ष (टेक्निकल को छोड़कर) 1980 तक निरन्तर पिछले चार वर्षों तक पांच या पांच से कम त्रुटियां रही हों उन्हें पांचवे वर्ष अर्थात् 1981 में पारितोषिक के रूप में कोई अन्य पारिश्रमिक कार्य जिसके लिये वह अर्ह हो दिया जा सकेगा जो केवल व्यवधान वर्षों के दो वर्षों की अवधि तक ही चलेगा। दो वर्षों के बाद ऐसे व्यक्तियों को परिनिरीक्षण कार्य हेतु अथवा जिस अन्य कार्य के लिये अर्ह हो उसमें वरीयता से पुनः नियुक्ति की जा सकती है इस पुनर्नियुक्ति का कार्यकाल पूरे चार वर्ष होगा बावजूद इसके कि इसके पूर्व को दोनों वर्षों की व्यवधान अवधि में वही कार्य कर चुके हों।

(5) परिषद् के अथवा उसकी विभिन्न समितियों के सदस्य तथा शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से योग्य समझे जाने पर परिनिरीक्षक बनाये जा सकते हैं।

(6) उत्तर-पुस्तकों का अंकानुसंधान और तत्सम्बन्धी परिनिरीक्षण के लिए परिषद् नियम संग्रह 1972-78 के भाग-पांच में सारणीयक की पात्रता के प्रसंग में (ङ) के अन्तर्गत उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर वे सभी व्यक्ति जो उपर्युक्त कार्य के लिये योग्य हैं, इस कार्य के लिये भी नियुक्त किये जा सकते हैं यदि वे परिनिरीक्षण की जा रही उत्तर-पुस्तकों के विषय के जानकार हों, जो परीक्षक अदक्षता अथवा परिनिरीक्षण की त्रुटियों के कारण परीक्षा कार्य से हटाया जाता है, हटाये जाने की अवधि में परिनिरीक्षक नहीं नियुक्त किया जा सकता।

परिनिरीक्षक का हटाया जाना

जो परिनिरीक्षक एक या उससे अधिक त्रुटियां करेगा उसे इस कार्य से हटा दिया जायगा और पांच वर्ष तक उसे इस हेतु पुर्नियुक्त नहीं किया जा सकता।

ग—परिसीमनकर्ता

1—साधारणतः वही लोग परिसीमनकर्ता नियुक्त किये जा सकते हैं, जिनकी सेवा अवधि सम्बन्धित विषय के पढ़ाने के अनुभव सहित 15 वर्ष हो तथा जो परिषद् की उस विषय की उस या उससे ऊंची परीक्षा के उपप्रधान परीक्षक भी रह चुके हों।

यह नियम उन विषयों में शिथिल किया जा सकता है, जिनके लिए अपेक्षित योग्यता वाले व्यक्ति सुलभ नहीं होते।

2—विषय समितियां परिसीमनकर्त्ताओं की नियुक्ति के लिए आवश्यक से चार गुने अधिक व्यक्तियों की एक अनुपूरक सूची तैयार करेंगी।

(सं० प० स० दिनांक 10 फरवरी, 1983 के प्रस्ताव सं० नौ द्वारा संशोधित)

अवधि—(अ) परिषद् के प्रत्येक पारिश्रमिक कार्य की अवधि चार वर्ष होगी जब तक कि कोई व्यक्ति असंतोषजनक कार्य, कर्त्तव्य के परित्याग अथवा परिनिरीक्षण की त्रुटियों के आधार पर न हटाया जाय।

(आ) चार वर्ष की यह अवधि विभिन्न विषयों तथा परीक्षाओं में परीक्षक, परिनिरीक्षक आदि के रूप में किये जाने वाले सभी कार्यों को मिलाकर मानी जायगी। इस अवधि को समाप्ति के बाद दो वर्ष का व्यवधान अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही परीक्षक, परिनिरीक्षक आदि के रूप में नियुक्ति हो सकेगी।

(इ) इस नियम में किसी लघु प्रश्न-पत्र के परीक्षकत्व का लेखा नहीं किया जायगा। किसी लघु प्रश्न-पत्र का कार्य बड़े प्रश्न-पत्रों के साथ भी किया जा सकता है। लघु प्रश्न-पत्र वह माना जायगा, जिसका कुल पारिश्रमिक डाक व्यय को निकाल कर 400 रु० से अधिक न हो।

(मार्जक इस नियम के बन्धन से मुक्त होंगे)

(ई) ऐसे विषयों में, जिनमें अपेक्षित योग्यता के परीक्षक वांछित संख्या में सुलभ नहीं होते, लगे हुए परीक्षक 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी चलते रह सकते हैं। किन्तु प्रधान, संयुक्त प्रधान और उप प्रधान परीक्षक चार वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद किसी भी दशा में परीक्षक नहीं रह सकते।

(३) निलम्बित या सत्र के पूरे अथवा अधिकांश भाग में छुट्टी पर रहे अध्यापक को सामान्यतः परिषद् का कोई पारिश्रमिक कार्य नहीं दिया जायगा।

व्यवधान--पारिश्रमिक की दो अवधियों के बीच दो वर्ष का व्यवधान रहेगा और उस बीच में कोई पारिश्रमिक कार्य नहीं दिया जायेगा।

3--विशेष परिस्थिति में की गई तदर्थ नियुक्तियों में ध्यान रखा जायगा :

(1) कि किसी वर्ष में पहली बार हुई ऐसी नियुक्ति उसी वर्ष के बाद समाप्त कर दी जाय। किन्तु यदि सम्बन्धित परीक्षक पहले से किसी अन्य पारिश्रमिक कार्य को करता आ रहा था या विभिन्न समितियों की संस्तुति पर बाद में नियुक्त किया जाता है तो उस वर्ष की गणना चार वर्ष की निर्धारित अवधि में की जाय।

(2) अवधि के चार वर्ष पूरा होने पर भी यदि किसी परीक्षक को नियुक्ति उस वर्ष की विशेष परिस्थितियों के पांचवें वर्ष करनी पड़े तो वह वर्ष व्यवधान का वर्ष नहीं माना जाय।

(दो)--अनिवार्य हिन्दी से छूट सम्बन्धी नियम

परिषद् की परीक्षाओं में अनिवार्य हिन्दी से छूट के विनियम निम्नलिखित अध्यायों में दिये हुये हैं :--

(1) हाई स्कूल परीक्षा--अध्याय तेरह, विनियम 6।

(2) इन्टरमीडिएट परीक्षा--अध्याय चौदह, विनियम 8।

(3) इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा--अध्याय पन्द्रह (ख), विनियम 7।

उपर्युक्त विनियमों के अन्तर्गत परिषद् ने अनिवार्य हिन्दी से छूट सम्बन्धी निम्नांकित नियम बनाये हैं :--

(क) अनिवार्य हिन्दी से छूट सामान्यतः निम्नलिखित वर्ग के भारतीय राष्ट्रिकों को दी जायगी :

1--परीक्षार्थी, जिन्होंने एक आंग्ल-भारतीय अथवा पब्लिक स्कूल में कम से कम 3 वर्ष अध्ययन किया है तथा स्तर आठ अर्थात् कैम्ब्रिज सर्टीफिकेट परीक्षा अथवा इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा संचालित इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, जिस वर्ष में होती है, उससे चार वर्ष पूर्व का स्तर उत्तीर्ण कर लिया है।

2--परीक्षार्थी, जो एक ऐसे राज्य के स्थायी निवासी हैं, जहां हिन्दी प्रादेशिक भाषा नहीं है तथा जिनके अभिभावक हाई स्कूल परीक्षा के सम्बन्ध में परीक्षा वर्ष से पहले की वर्ष के 1 सितम्बर को कम से कम 5 वर्ष पूर्व और इंटरमोडिएट परीक्षा के सम्बन्ध में कम से कम 7 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश को प्रव्रजन कर चुके हैं।

3—परीक्षार्थी, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, परन्तु जिन्होंने अस्थायी रूप से अन्य राज्य को प्रव्रजन किया है और वहां निवास किया है, यदि वे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कम से कम 3 वर्ष तक अध्ययन करने तथा उस विद्यालय में उच्च हिन्दी न लेने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए किसी परीक्षार्थी को, जिसने हाई स्कूल अथवा कोई समकक्ष परीक्षा हिन्दी (उच्च, प्रारम्भिक नहीं) के साथ किसी राज्य में स्थित परीक्षा निकाय से उत्तीर्ण की है, जहां हिन्दी प्रादेशिक भाषा है, किसी भी दशा में अनिवार्य हिन्दी से छूट नहीं दी जायेगी।

(ख) अनिवार्य हिन्दी से छूट प्रदान करने के लिए अधिकृत अधिकारी—

1—संदर्भित विनियमों के पुनश्च (1) के अनुसरण में परिषद् के अध्यक्ष ने निम्नलिखित प्राधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखित राष्ट्रिकों को अनिवार्य हिन्दी से छूट देने का अधिकार दे दिया है :—

(क) जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ...	भारतीय राष्ट्रिक (व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों प्रकार के परीक्षार्थी)।
(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान	विदेशी राष्ट्रिक, जो उनकी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं।
(ग) उन संस्थाओं के प्रधान, जो परीक्षा केन्द्र हैं	विदेशी राष्ट्रिक, जो उस केन्द्र में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं।

2—संस्थागत परीक्षार्थियों को, जो अनिवार्य हिन्दी से छूट पाने के अधिकारी हैं, यथोचित प्राधिकारी से कक्षा में प्रवेश के समय आवेदन करना चाहिए।

3—व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में छूट के लिए प्रार्थना तथा आदेश की प्राप्ति परीक्षा में प्रविष्ट होने का आवेदन-पत्र भरने से पूर्व ही प्राप्त करनी चाहिए।

(ग) विभिन्न प्रकार की हिन्दी लेने के सम्बन्ध में निर्देश—

1—प्रारम्भिक हिन्दी (कक्षा 8 के स्तर की) लेकर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को इण्टरमीडिएट परीक्षा में हाई स्कूल की अनिवार्य हिन्दी (उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम) लेनी होगी।

2—उत्तर प्रदेश से हिन्दी के साथ कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी प्रदेश से बिना हिन्दी के अथवा कम अंकों वाली निम्नस्तर की हिन्दी के साथ हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी या मैट्रीकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को इण्टरमीडिएट परीक्षा में हाई स्कूल की अनिवार्य हिन्दी (उच्चस्तरीय पाठ्यक्रम) लेनी होगी। ऐसे परीक्षार्थियों को प्रारम्भिक हिन्दी नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्रारम्भिक हिन्दी का स्तर कक्षा 8 के बराबर है, जिसे वे एक बार उत्तीर्ण कर चुके हैं।

[इसका अर्थ यह हुआ कि पंजाब की मैट्रीकुलेशन परीक्षा की 150 अंकों की हिन्दी, सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली की आल इंडिया हायर सेकेन्डरी परीक्षा की 150 अंकों की हिन्दी (एच0 एल0) अथवा उस बोर्ड की हायर सेकेन्डरी

परीक्षा को अधिक अंकों वाली हिन्दी आदि लेकर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को इन्टरमीडिएट को सामान्य हिन्दी का पाठ्यक्रम लेना होगा।]

3—इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा हिन्दी 'ए' कोर्स के साथ उत्तीर्ण करने वाले छात्रों/छात्राओं को इन्टरमीडिएट परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी से छूट नहीं दी जाएगी।

(घ) अनिवार्य हिन्दी के स्थान पर अन्य वैकल्पिक विषय लेने के सम्बन्ध में निर्देश—

(1) हाई स्कूल परीक्षा में—

अन्य वैकल्पिक विषय का चुनाव उस वर्ग की वैकल्पिक विषयों की सूची में सम्मिलित विषयों तक ही सीमित रहेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ललित कला वर्ग में व्यावसायिक कला अथवा मूर्ति कला तथा विज्ञान वर्ग में कुलाल विज्ञान अथवा औद्योगिक रसायन लेने वाले परीक्षार्थियों को अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य आधुनिक विदेशी भाषा लेने की आज्ञा न होगी।

(2) इण्टरमीडिएट परीक्षा में—

1—अन्य वैकल्पिक विषय का चयन इस प्रकार होगा :

वर्ग (क) (साहित्यिक)—इस वर्ग के अन्तर्गत कोई एक वैकल्पिक विषय

वर्ग (ख) (वैज्ञानिक)—इस वर्ग के अन्तर्गत कोई एक वैकल्पिक विषय।

अथवा

इतिहास

अथवा

भूगोल

वर्ग (ग) (वाणिज्य)—निम्नलिखित में से एक विषय, ऐसे विषयों में पाठ्यक्रम तथा अंक साहित्यिक वर्ग में से रहेंगे :

1—अर्थशास्त्र

2—भूगोल

3—गणित

4—इतिहास

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार लिया हुआ विषय सामान्य रूप से वाणिज्य वर्ग में वैकल्पिक विषय के रूप में लिए गए विषय से भिन्न होगा।

वर्ग (घ) (रचनात्मक)—इस वर्ग के अन्तर्गत कोई एक वैकल्पिक विषय।

वर्ग (ङ) (ललित कला)—इस वर्ग के अन्तर्गत कोई एक वैकल्पिक विषय।

(3) इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा––

अन्य विषयों का चुनाव इण्टरमीडिएट परीक्षा में साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत निर्धारित वैकल्पिक विषयों की सूची में सम्मिलित विषयों तक ही सीमित रहेगा ।

तीन––विभिन्न विषयों के पूर्णांक तथा न्यूनतम अंक

हाई स्कूल परीक्षा

पूर्णांक––100 अंक प्रत्येक विषय में ।

न्यूनतम उत्तीर्णांक––33 प्रतिशत प्रत्येक विषय में तथा उसके अतिरिक्त जहां कोई अन्य उल्लेख हो ।

इण्टरमीडिएट परीक्षा

पूर्णांक––200 उन विषयों में जो दो विषयों के समकक्ष हैं तथा 100 प्रत्येक अन्य विषय में ।

न्यूनतम उत्तीर्णांक––33 प्रतिशत प्रत्येक विषय में उसके अतिरिक्त जिसमें इसके प्रतिकूल उल्लेख हो ।

पुनश्च––कृषि वर्ग तथा उत्तर बेसिक वर्ग की इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए तथा इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा के सम्बन्ध में परीक्षा की विस्तृत योजना, पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक पृथकतः दिये गये हैं ।

विशेष योग्यता के लिए वांछित न्यूनतम अंक	एक विषय के योगांक के 75 प्रतिशत ।
प्रथम श्रेणी के लिए वांछित न्यूनतम उत्तीर्णांक	योगांक के 60 प्रतिशत ।
द्वितीय श्रेणी के लिए वांछित न्यूनतम उत्तीर्णांक	योगांक के 45 प्रतिशत ।
तृतीय श्रेणी के लिए वांछित न्यूनतम उत्तीर्णांक	योगांक का 33 प्रतिशत जहां इसके प्रतिकूल उल्लेख न हो ।

भाग–छः

पारिश्रमिक, मानदेय तथा आने-जाने के किराये की दरें

पुनश्च--(1) जहां इसके प्रतिकूल प्राविधान न हो, समस्त दशाओं में दरों में पैकिंग और डाक व्यय आदि के आकस्मिक व्यय सम्मिलित रहेंगे।

(2) जो अधिकारी अपने सरकारी पद के रूप में डाक के सेवा टिकटों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं। उनसे अनुरोध है कि वे परिषद् के अपने पारिश्रमिक कार्यों सम्बन्धी भेजे जाने वाले पत्रों या पैकेटों में इनका उपयोग न करें।

(3) [क]
[ख] } हटाया गया।

(4) यदि प्रश्न-पत्र बनाने वाले का प्रश्न-पत्र परिशोधकों की परिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो प्रश्न-पत्र बनाने वाला कोई पारिश्रमिक पाने का अधिकारी न होगा।

क्रम-संख्या	कार्य का विषय	दर	स्वीकृति देने वाली राजाज्ञा
1	2	3	4
		1--इण्टरमीडिएट परीक्षा	
		रु0	
1	प्रश्न-पत्र बनाना	30.00 प्रति मुद्रित पृष्ठ न्यूनतम 60.00 रु0 अधिकतम 120 रु0	राजाज्ञा संख्या मा0 /1143/ पन्द्रह--(7)-1 (24)-73, दिनांक 21 जून, 1973।
	प्रश्न-पत्रों का अनुसोमन	100.00 रु0 प्रति प्रश्न-पत्र उसको द्वितीय व अन्य प्रति सहित	

2	उत्तर-पुस्तकों को जांचना	1.25 प्रति उत्तर-पुस्तका	राजाज्ञा संख्या 1686/15-7-2(19)/85, दिनांक 26 फरवरी, 1986 (1986 से प्रभावी)।
3	क्रियात्मक एवं मौखिक परीक्षा (केवल वाह्य परीक्षक)	2.00 प्रति परीक्षार्थी, न्यूनतम प्रति संस्था 30 रु0 (विज्ञान, जीवविज्ञान तथा भूगोल सहित)	राजाज्ञा संख्या मा0/1143/पन्द्रह—(7)-1(24)-73, दिनांक 21 जून, 1973 के साथ पठित राजाज्ञा संख्या मा0/3123/पन्द्रह—(7)-1 (24)-73, दिनांक 27 जुलाई, 1973 एवं राजाज्ञा संख्या मा0/6514/15-7-1 (33)/79, दिनांक 19 मार्च, 1980
4	उपप्रधान परीक्षक (उत्तर-पुस्तकें जांचने के पारिश्रमिक के अतिरिक्त)	70.00 प्रति सहायक परीक्षक	राजाज्ञा संख्या 1686/15-7-2(19)/85, दिनांक 26 फरवरी, 1986 (1986 से प्रभावी)।
5	किसी प्रश्न-पत्र से अंग्रेजी के अवतरणों को किसी आधुनिक भारतीय भाषा में रूपान्तरित करना	30.00	राजाज्ञा संख्या ए-1578/पन्द्रह—433-45, दिनांक 2 जुलाई, 1947, जैसा कि राजाज्ञा संख्या ए-3757/पन्द्रह—433-45, दिनांक 23 अगस्त, 1948 द्वारा अशोधित।
6	प्रत्येक क्रियात्मक परीक्षा में प्रधान परीक्षकत्व	रु0 10.00 प्रति 100 परीक्षार्थी न्यूनतम 50 रु0	राजाज्ञा संख्या ए-1578/पन्द्रह—433-45, दिनांक 2 जुलाई, 1947।
		2—इन्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा	
7	इन्टरमीडिएट प्राविधिक क्रियात्मक परीक्षा	3.00 प्रति परीक्षार्थी न्यूनतम प्रति संस्था 30 रु0	राजाज्ञा संख्या ए-एक-854/पन्द्रह—1657—1956, दिनांक 20 दिसम्बर, 1957।
		3—हाई स्कूल परीक्षा	
8	प्रश्न-पत्र बनाना	25.00 प्रति मुद्रित पृष्ठ न्यूनतम रु0 50 और अधिकतम रु0 100	राजाज्ञा संख्या मा0/1143/पन्द्रह-(7)-1(24)-73, दिनांक 21 जून, 1973।

1	2	3	4
		रु0	
	प्रश्न-पत्रों का अनुमोदन	80.00 प्रति प्रश्न-पत्र उसकी द्वितीय व अन्य प्रति सहित	राजाज्ञा संख्या मा0/1143/पन्द्रह–(7)–1(24)–73, दिनांक 21 जून, 1973 ।
9	उत्तर पुस्तकों को जांचना	रु0 1.00 प्रति उत्तर पुस्तिका	राजाज्ञा संख्या 1686/पन्द्रह (7)–2(19)/85, दिनांक 26 फरवरी, 1986 (1986 से प्रभावी)।
10	(क) क्रियात्मक एवं मौखिक परीक्षा (केवल वाह्य परीक्षक)	2.00 प्रति परीक्षार्थी न्यूनतम प्रति संस्था 20 रु0	राजाज्ञा संख्या ए–1578/पन्द्रह—433–45, दिनांक 2 जुलाई, 1947 ।
	(ख) विज्ञान एवं जीवविज्ञान प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा के वाह्य परीक्षक	1.20 रु0 प्रति विद्यार्थी न्यूनतम 30 00 प्रति विद्यालय	राजाज्ञा संख्या मा0/1143/पन्द्रह (7) 1–(24)–73, दिनांक 21 जून, 1973 ।
11	उपप्रधान परीक्षक (उत्तर पुस्तकें जांचने के पारिश्रमिक के अतिरिक्त)	60.00 प्रति सहायक परीक्षक	राजाज्ञा संख्या 1686/15—7–2(19)–85, दिनांक 26 फरवरी, 1986 (1986 से प्रभावी) ।
12	किसी प्रश्न-पत्र से अंग्रेजी के अवतरणों को किसी आधुनिक भारतीय भाषा में रूपान्तरित करना	20.00	राजाज्ञा संख्या ए–1578/पन्द्रह—433–45, दिनांक 2 जुलाई, 1947 जैसा कि राजाज्ञा संख्या ए–3757/पन्द्रह—433–45, दिनांक 23 अगस्त, 1948 द्वारा अशोधित ।
13	प्रत्येक क्रियात्मक परीक्षा में प्रधान परीक्षकत्व (हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट दोनों के लिये)	10.00 प्रति 100 परीक्षार्थी न्यूनतम 75 रु0	राजाज्ञा संख्या मा0/1143/पन्द्रह—(7)–1(24)–73, दिनांक 21 जून, 1973 ।
		4—हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा	
14	हाई स्कूल प्राविधिक क्रियात्मक परीक्षा	4.00 प्रति परीक्षार्थी प्रति संस्था न्यूनतम 30 रु0	राजाज्ञा संख्या ए. एक–854/पन्द्रह—1657–1956, दिनांक 20 सितम्बर, 1957 ।

15	प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा एवं वितरण	500.00 नियमित परीक्षा के लिए 250.00 पूरक परीक्षा के लिए 100.00 पूरक परीक्षा के लिए	राजाज्ञा संख्या मा0/1143/पन्द्रह-(7)-1 (24)-73, दिनांक 21 जून, 1973।
16	प्रश्न-पत्र भरने वालों को	500.00 प्रति व्यक्ति	राजाज्ञा संख्या 889/15-7-1 (24)/73, दिनांक 19 मार्च, 1983 द्वारा 1981 की परीक्षा से प्रति वर्ष अधिकतम 9,000 रु0 व्यय की स्वीकृति है।
17	परीक्षाफलों का सारणीयन	40.00 प्रति 100 परीक्षार्थी	राजाज्ञा संख्या मा0/1143/पन्द्रह--(7)-1 (24)-73, दिनांक 21 जून, 1973।
18	सारणीयन पंजियों का परितुलन	6.00 प्रति 100 परीक्षार्थी दो मिलान करने वालों को	राजाज्ञा संख्या मा0/944/पन्द्रह—(7)-1607 (62)/1972, दिनांक 9 जून, 1972।
19	परीक्षाफल समिति द्वारा अपेक्षित सांख्यिकी तैयारी	2.00 प्रति 100 परीक्षार्थी	राजाज्ञा संख्या ए-9573/पन्द्रह—433-45, दिनांक 2 जुलाई, 1947।
20	तुलनात्मक संनिरीक्षा (मूल्यांकन केन्द्र पर)	300 रु0 बंच में प्रत्येक व्यक्तियों को न्यूनतम प्रत्येक त्रुटि पर 1.00 रु0 देय होगा जो दोनों परितुलन कर्ताओं में आधा-आधा बाँटा जायेगा	राजाज्ञा संख्या 271/15-7-2(6)/1988, दिनांक 15 जनवरी, 1988।
21	जांची हुई उत्तर-पुस्तकों की संनिरीक्षा	20.00 प्रति 100 उत्तर पुस्तकें	राजाज्ञा संख्या मा0/1143/पन्द्रह-(7)-1 (24)-73, दिनांक 21 जून, 1973।
22	माध्यमिक परिषद् के कार्यालय के लोगों को संनिरीक्षा समिति को संनिरीक्षा कार्य में प्रत्येक प्रकार की सहायता करने का पारिश्रमिक	5.00 प्रति 1,000 उत्तर-पुस्तकें	राजाज्ञा संख्या मा0/1494/15-7-1607/82/71, दिनांक 28 मार्च 1980।

1	2	3	4
		रु0	
23	सारणीयन पंजियों की पुनर्निरीक्षण	10.00 प्रति पंजी	राजाज्ञा संख्या ए-1-16300/पन्द्रह---1786-59, दिनांक 17 जून, 1959 ।
24	उत्तीर्ण छात्रों का प्रमाण-पत्र लेखन	12.00 प्रति 100 परीक्षार्थी	राजाज्ञा संख्या 6642/पन्द्रह---7-1 (153)/83, दिनांक 13 फरवरी, 1984 ।
25	प्रमाण-पत्रों को मिलाना	4.00 तदेव	तदेव
26	क्रियात्मक परीक्षकों की आख्या का टंकन	0.25 प्रति पृष्ठ 100 परीक्षार्थी	राजाज्ञा संख्या ए-1578/पन्द्रह---433-45, दिनांक 2 जुलाई, 1974 ।
27	क्रियात्मक परीक्षकों की टंकित आख्यायों की जांच	0.12 प्रति पृष्ठ प्रति 100 परिक्षार्थी	तदेव
28	इण्टरमीडिएट कालेजों के गैर सरकारी निरीक्षकों को पारिश्रमिक	20.00 प्रतिदिन अधिकतम 60 रु0	राजाज्ञा संख्या मा0/1143/पन्द्रह--(7)-1 (24)-73, दिनांक 21 जून, 1973 ।
29	हाई स्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न-पत्रों का अनुवाद अथवा दोहराना	15.00 प्रति प्रश्न-पत्र	राजाज्ञा संख्या 943/15 (7)---1607 (62)/1972, दिनांक 9 जून, 1972 ।
30	पुस्तकों की समीक्षा— हाई स्कूल के लिए	30.00 प्रति पुस्तक यदि पुस्तकों में 100 पृष्ठ हों 45.00 प्रति पुस्तक यदि पुस्तक 101 से 200 पृष्ठ तक हों 60.00 प्रति पुस्तक यदि पुस्तक में 200 से ऊपर पृष्ठ हों	राजाज्ञा संख्या ए-एक-3465/पन्द्रह---1588-61, दिनांक 17 जनवरी, 1964 ।

इण्टरमीडिएट के लिए	40.00 प्रति पुस्तक यदि पुस्तक में 100 पृष्ठ तक हों		
	55.00 प्रति पुस्तक यदि पुस्तक में 101 से 200 पृष्ठ हों		
	75.00 प्रति पुस्तक यदि पुस्तक में 200 से ऊपर पृष्ठ हों		

6—परीक्षा केन्द्र

31 (अ) केन्द्र का व्यवस्थापक—

(क) 250 परीक्षार्थी तक के केन्द्र	225.00		राजाज्ञा संख्या 6230/15-7-1 (22)-84, दिनांक 10 अक्तूबर, 1984 ।
(ख) 251 से 500 परीक्षार्थी तक के केन्द्र	300.00		
(ग) 501 से 1,000 परीक्षार्थी तक के केन्द्र	360.00		
(घ) 1,000 परीक्षार्थियों से अधिक के केन्द्र	420.00		
(ङ) अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक	175.00	पूरी अवधि के लिए और जहां अतिरिक्त अधीक्षक नियुक्त होता है प्रथम अधीक्षक का पारिश्रमिक 30 रु० कम कर दिया जायगा यदि परीक्षार्थियों की संख्या 251 से 600 तक होगी	

1	2	3	4
		रु0	
	(ब) वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक—		राजाज्ञा संख्या मा0/944/पन्द्रह—7–1607 (62)–72, दिनांक 9 जून, 1972 ।
	(1) जिनमें 250 तक परीक्षार्थी हों	200.00	
	(2) जिसमें 251 से 500 तक परीक्षार्थी हों	250.00	
	(3) जिसमें 501 से 1000 परीक्षार्थी हों	300.00	
	(4) जिसमें 1000 से ऊपर परीक्षार्थी हों	350.00	
32	(अ) कक्ष निरीक्षक (ब) वाह्य कक्ष निरीक्षक (सरकारी कर्मचारी अथवा मान्यताप्राप्त विद्यालयों से सम्बन्धित व्यक्ति जब अपने विद्यालय से 5 मील से अधिक दूर भेजे जायं ।) (स) वाह्य कक्ष निरीक्षक (ऐसे व्यक्ति जो न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न मान्यताप्राप्त विद्यालय से सम्बन्धित है ।)	6.00 प्रति सत्र अर्थात् एक परीक्षा दिवस के दोनों सत्रों को मिलाकर 12.00 प्रतिदिन	राजाज्ञा संख्या मा0/4136/15–7–81–1 (15)/75, दिनांक 31 जुलाई, 1981 ।

	के लिए एकमुश्त पारिश्रमिक—		
	(अ) जिसमें 500 परीक्षार्थी तक हों	125.00	राजाज्ञा संख्या मा0/1377/पन्द्रह (7)-1 (15)/75, दिनांक 21 मार्च, 1980
	(ब) जिसमें 500 से 1000 परीक्षार्थी तक हों	190.00	तदेव
	(स) जिसमें 1000 से ऊपर परीक्षार्थी हों	250.00	तदेव
34	परीक्षा केन्द्र पर अवर वर्ग—		
	(अ) जिसमें 500 परीक्षार्थी तक हों	125.00	तदेव
	(ब) जिसमें 501 से 1000 परीक्षार्थी हों	250.00	तदेव
	(स) जिसमें 1000 से ऊपर परीक्षार्थी हों	310.00	तदेव

ब—पूरक परीक्षा

35	केन्द्र व्यवस्थापक—		
	(अ) जिसमें केवल एक परीक्षा हो	7.00 प्रति बैठक	राजाज्ञा सं0 मा0 (944) पन्द्रह—(7)—1607 (62)/1972, दिनांक 9 जून, 1972
	(ब) जिसमें एक से अधिक परीक्षा हो	10.00 ,,	,,
36	अन्तरीक्षक	मुख्य परीक्षा के लिए स्वीकृत दर से	,,
37	लिपिक वर्ग	मुख्य परीक्षा के लिए स्वीकृत दर से आधी दर से	,,
38	अवर वर्ग	,,	,,
39	अन्य मदों के लिए	,,	,,

1	2	3	4
		7—आने जाने के किराये का भत्ता	
40	किसी वाह्य संस्था से प्रति-नियुक्त महिला अन्तरीक्षक तथा अशासकीय अध्यापक के अलावा महिला अन्तरीक्षक	2.00 प्रति अन्तरीक्षक प्रति बैठक	राजाज्ञा सं0 ए-3579 (पन्द्रह)-512-46, दिनांक 19 मई, 1947 ई0 राजाज्ञा सं0 डी-ई (एफ-2-2058—1-7-(34)-58-59, दिनांक 2 नवम्बर, 1958)
41	स्थानीय व्यक्ति जिन्हें परिषद के कार्य से परिषद् कार्यालय में बुलाया जाता है	5.00 प्रति यात्रा एक ओर के	राजाज्ञा सं0 7554/15-7-1(108)/80, दिनांक 21 नवम्बर, 1988 ई0 ।
		8—डाक व्यय, डेमरेज तथा रेल किराए की प्रतिपूर्ति	
42	सारणीयक	प्रधान, संयुक्त प्रधान तथा उप-प्रधान परीक्षकों की रजिस्टर्ड पत्रों अथवा तार द्वारा समय से अंक प्राप्त करने हेतु स्मरण-पत्र भेजने में हुआ व्यय डाक की रसीद प्रस्तुत करने पर	राजाज्ञा सं0 ए-1042 (पन्द्रह)—1607-59, दिनांक 13 अप्रैल, 1960 ।
43	प्रधान, संयुक्त प्रधान तथा उप-प्रधान परीक्षक	प्रत्येक परीक्षक आदि को परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में परिषद् कार्यालय एवं टैबुलेटरों आदि से किए गए पत्र व्यवहार पर होने वाले सम्पूर्ण वास्तविक डाक (टिकट तथा रजिस्ट्रेशन फीस) की प्रतिपूर्ति डाकखाने की रसीद के आधार पर	राजाज्ञा सं0 क-एक—6621 (पन्द्रह)—1564-69, दिनांक 30 दिसम्बर, 1969 ।

44	एकाकी मुख्य परीक्षक तथा मुख्य क्रियात्मक परीक्षक जिसे पर्यवेक्षण का व्यय नहीं मिलता है	उपर्युक्त	उपर्युक्त
45	समस्त परीक्षक	परिषद् के कार्यालय को जंची हुई उत्तर-पुस्तकों के बंडल भेजने में तथा डमरेज चुकाने में हुआ वास्तविक व्यय, वाउचर तथा रसीद प्रस्तुत करने पर	राजाज्ञा संख्या ए-एक—1046 (पन्द्रह)-2049-59 दिनांक 13 अप्रैल, 1960।
46	पर्वतीय क्षेत्रों में जहां रेलें नहीं हैं, रहने वाले परीक्षक	डाक द्वारा परिषद् के कार्यालय को जंची हुई उत्तर-पुस्तकें भेजने में हुआ वास्तविक व्यय, डाक की रसीदें प्रस्तुत करने पर	राजाज्ञा सं० ए-एक—950 (पन्द्रह)-2049-59, दिनांक 29 जून, 1961।
47	हाई स्कूल परीक्षा के विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों के प्रयोगात्मक परीक्षकों के परीक्षकों को पारिश्रमिक	1.20 रु० प्रति परीक्षार्थी अथवा कम से कम 30 रु० प्रति संस्था	राजाज्ञा सं० मा0-1143/पन्द्रह (7)-1/(24)/73, दिनांक 21 जून, 1973।
48	उत्तर-पुस्तिकाओं की स्क्रीनिंग हाई स्कूल परीक्षा	20 पैसे प्रति उत्तर-पुस्तिका	राजाज्ञा सं0 मा0-1143/पन्द्रह (7)/ 1/(24)-73, दिनांक 21 जून, 1973।

राजाज्ञा सं0 577/15-7-2 (15)/82, दिनांक 28 मार्च, 1985 द्वारा परिषद् परीक्षाओं से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के सम्पादक हेतु माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को एक वर्ष के दौरान स्वीकार किए जाने वाले पारिश्रमिक की अधीकतम सीमा 2000 रु0 होगी तथा विभिन्न स्रोतों से मिलाकर 3300 रु0 होगी।

1	2	3	4
		रु0	
49	अनुचित साधन प्रयोग की उत्तर पुस्तिकाएं जो जांच हेतु प्रधान / उप प्रधान परीक्षक को भेजी जाय--		राजाज्ञा संख्या मा0-1143/पन्द्रह (7)-1 (24)-73, दिनांक 21 जून, 1973।
	(अ) इण्टरमीडिएट परीक्षा	रु0 2.00 प्रति उत्तर पुस्तिका	
	(ब) हाई स्कूल परीक्षा	रु0 1.50 ,,	

केन्द्रीय मूल्यांकन हेतु राजाज्ञा संख्या मा0/544-15 (7)-1 (2)-73, दिनांक 29 मार्च, 1974 द्वारा स्वीकृत तथा राजाज्ञा संख्या 2592/15-7-2 (20)/85, दिनांक 1 अप्रैल 1986 द्वारा आंशिक संशोधन।

50	मुख्य नियंत्रक	रु0 1.00 प्रति परीक्षक	अधिकतम रु0 400	
51	उप-नियंत्रक	रु0 1.00 प्रति परीक्षक	अधिकतम रु0 350	
52	सह-उप नियंत्रक	रु0 1.00 प्रति परीक्षक	अधिकतम रु0 300	(वर्ष 1986 की परीक्षा से प्रभावी)
53	सहायक कक्ष नियंत्रक	रु0 10.00 प्रति दिन	अधिकतम रु0 250	,,
54	तृतीय श्रेणी के कर्मचारी	रु0 2.00 प्रति दिन	अधिकतम रु0 100 प्रति लिपिक	,,
55	चतुर्थ श्रेणी	रु0 1.00 प्रति दिन	अधिकतम रु0 50 प्रति व्यक्ति	,,

संकलन केन्द्र हेतु राजाज्ञा सं0 मा0/3433/15-7-1 (134)81,
दिनांक 7 दिसम्बर, 1982

56	मुख्य नियंत्रक	15 रु0 प्रतिदिन	अधिकतम 350 रु0	राजाज्ञा संख्या 1786/15-7-2 (21)/85, दि0 28 फरवरी, 1986 (वर्ष 1986 की परीक्षा से प्रभावी)
57	उप नियंत्रक	12 रु0 प्रतिदिन	अधिकतम 300 रु0	
58	सह-उप नियंत्रक	10 रु0 प्रतिदिन	अधिकतम 250 रु0	
59	कोठारी भंडार नियंत्रक (10 परीक्षा केन्द्रों पर 1 कोठारी न्यूनतम 4 अधिकतम 10 कोठारी होंगे)	7.50 रु0 प्रतिदिन	अधिकतम 200 रु0	
60	लिपिक (तृतीय वर्गीय कर्मचारी दो पद एक विद्यालय का लिपिक और दूसरा (जि0 वि0 नि0 कार्यालय का लिपिक)	5 रु0 प्रतिदिन	अधिकतम 150 रु0	
61	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी (कोठारी के समान हों)	2.50 रु0 प्रतिदिन	अधिकतम 75 रु0	
62	संकलन केन्द्र को दी जाने वाली कन्टीजेन्सी (1983-84 से)	600 रु0 प्रति संकलन केन्द्र	राजाज्ञा संख्या 6550/15-7-1 (134)/81, दिनांक 14-3-84 (वर्ष 1983-84 की परीक्षाओं से वृद्धि)	

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में आमंत्रित या अन्यत्र जाकर परिषद् का कार्य करने पर यात्रा-भत्ता बिल बनाने हेतु आवश्यक निर्देश (14 अगस्त, 1988 से प्रभावी)

1—सभी व्यक्तियों को निर्दिष्ट कार्य समाप्त करने के उपरान्त यात्रा-भता बिल दो प्रतियों में निर्धारित ट्रेजरी फार्म पर बनाकर सीधे सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास भुगतान हेतु प्रेषित करना चाहिए। यात्रा-भत्ता बिल तथा उससे सम्बन्धित पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा प्रधान परीक्षक के पास कदापि न भेजें अन्यथा उनके खो जाने अथवा भुगतान विलम्ब से होने का भय है।

2—राज्य कर्मचारी अपना यात्रा-भत्ता बिल ट्रेजरी फार्म नम्बर 266 पर ही बनावें तथा उसे अपने विभागीय कार्यालय अध्यक्ष (हेड आफ आफिस) के माध्यम से ही भेजें। कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर बिल के दोनों स्थानों पर होना आवश्यक है।

3—सेवा निवृत्त एवं गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी ट्रेजरी फार्म नम्बर 265 पर ही अपना यात्रा-भत्ता बिल बनावें।

4—राजाज्ञा संख्या 3/1 (6)-65—VVLI, दिनांक 14 जून, 1966 के अनुसार ऐसे सभी भुगतान-पत्र जो इस कार्यालय में यात्रा समाप्त करने की तिथि से एक वर्ष बाद प्राप्त होंगे, रद्द कर दिये जायेंगे। अतः यात्रा समाप्ति के तीन सप्ताह के भीतर ही अनिवार्य रूप से यात्रा-भत्ता बिल प्रेषित करना सुविधाजनक और हितकर होगा।

5—राजाज्ञा संख्या ए-1-4024/पन्द्रह—1649-1964, दिनांक 28 जुलाई, 1965 के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन ने यह आदेश निष्क्रान्त किया है कि गैर सरकारी व्यक्तियों को यात्रा-भत्ता सुविधा उसी प्रकार उपलब्ध होगी, जो उनके समान वेतन-भोगी राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित होगी। सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को उनकी वर्तमान मासिक आय पर ही यात्रा-भत्ता दिया जायगा।

6—उत्तर प्रदेश शासन ने अपने समस्त राजकीय कर्मचारियों को राजाज्ञा संख्या सा-4-1307/दस-88-600-88, दिनांक 23 सितम्बर, 1988 द्वारा क्रमशः रेल व बस यात्रा उपलब्ध होने से सम्बन्धित विभाजन वेतन-क्रम के आधार पर भिन्न-भिन्न कोटियों में किया है। यही वर्गीकरण गैर सरकारी संस्थाओं के समस्त व्यक्तियों एवं सेवा से निवृत्त व्यक्तियों के लिए लागू होगा। उपरोक्त राजाज्ञा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किस श्रेणी में रेल तथा बस यात्रा करने का अधिकारी है

तथा उसे किस दर से आनुषांगिक (इन्सीडेन्टल) व्यय उपलब्ध होगा, उसकी तालिका निम्नवत् है--

राजकीय कर्मचारियों का वर्गीकरण वेतन के आधार पर

क्रम-सं०	सरकारी सेवा/वेतन सीमा	यात्रा की अधिकृत श्रेणी	आनुषांगिक व्यय
1	शासन के सचिव, विशेष सचिव तथा 5,000 रु० प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले	वायुयान अथवा रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम-श्रेणी)	7 पैसे प्रति किलो-मीटर
2	2,700 रु० से 4,999 रु० प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी)	7 पैसे प्रति किलो-मीटर
3	1,400 रु० से 2,699 रु० प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	रेल की प्रथम श्रेणी	5 पैसे प्रति किलो-मीटर
4	1,399 रु० तक वेतन पाने वाले	रेल की द्वितीय श्रेणी स्लीपर	3 पैसे प्रति किलो-मीटर

टिप्पणी--

(1) जो स्थान रेलवे स्टेशन के निकट नहीं है, वहां पर बस से यात्रा की जा सकती है।

(2) ऐसे विद्यालय के कर्मचारी, जो पूर्णरूपेण केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार के अधीन हैं, वह अपने यात्रा-बिल राजकीय कर्मचारियों के अनुसार ही बनावें।।

7--(अ) उत्तर प्रदेश के प्रायः समस्त जिलों में जो स्थान रेल मार्ग से जुड़े हैं, उनमें से अधिकांश स्थानों पर राजकीय अथवा प्राइवेट बस सेवायें उपलब्ध हैं।। ऐसे स्थानों पर बस का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इन स्थानों का कार का सड़क भत्ता कदापि स्वीकार नहीं होगा।

(ब) रेलवे स्टेशन से कचहरी तक की दूरी प्रदेश के कतिपय नगरों की द्वारा निर्धारित है, जिसका विवरण इसके साथ संलग्न है। इन स्थानों की यात्रा की निर्धारित दूरी ही स्वीकार होगी।

सड़क किलोमीटर भत्ता की वर्तमान दरें

उत्तर प्रदेश सरकार वित्त (सामान्य) अनुभाग संख्या सा–4–1307/दस–88–600–88, दिनांक 23 सितम्बर, 1988 :—

कर्मचारी की कोटि	वाहन का साधन	दर प्रति किमी0
1—3,000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक	(क) मोटर कार, मोटर ट्रक, मोटर कैरियर या जीप–कार से की गयी सड़क यात्राओं के लिये ।	1—प्रथम 500 किमी0 तक तय की गयी दूरी के लिये रु0 1.75 प्रति किमी0 । 2—1,200 कि0 मी0 से अधिक तय की गयी दूरी के लिये शून्य ।
	(ख) 'क' में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चालित तथा मोटर सायकिल, स्कूटर इत्यादि से की गयी सड़क यात्राओं के लिये	रु0 1.00 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु0 200 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी ।
	(ग) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिये	रु0 0.50 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में रु0 100.00 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी ।
2—रु0 2,999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक	(क) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गयी सड़क यात्राओं के लिये	रु0 1.00 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु0 20.00 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी ।
	(ख) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिये ।	रु0 0.50 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु0 100 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी ।

टिप्पणी–

(1) प्रदेश के पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले शासकीय सेवक उपर्युक्त उल्लिखित सड़क किलोमीटर भत्ता की दरों में 83–1/3 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार होंगे ।

(2) यात्रा पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थान से वापसी में निवास–स्थान से बस/रेल स्टेशन के बीच की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिये समस्त कोटि के शासकीय सेवकों को रु0 1.75 प्रति किमी0 की दर से सड़क किलोमीटर भत्ता ग्राह्य होगा।

दैनिक भत्ते की दरें नगरों की श्रेणी के आधार पर

(3) दैनिक भत्ता :—

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 23 (सी) (1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर अब निम्नलिखित पुनरीक्षित दरें लागू होंगी :—

सरकारी सेवक का वर्ग	साधारण दर (स्तम्भ 3-4 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिये)	"ख" वर्ग के नगरों के लिये दर जिससे नगर पालिकायें तथा कैन्टोमेंट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहां कहीं विद्यमान हो, सम्मिलित होंगी—मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, हरिद्वार, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद	"क" वर्ग के नगरों के लिये दरें जिसमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोमेंट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहां कहीं विद्यमान हों सम्मिलित होंगी, कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नैनीताल, मंसूरी, देहरादून और गाजियाबाद
1	2	3	4
	रु0	रु0	रु0
1—रु0 5,000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले	35.00	40.00	50.00
2—रु0 2,700 से रु0 4,999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	30.00	35.00	45.00
3—रु0 2,000 से रु0 2,999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	25.00	30.00	35.00
4—रु0 1,400 से रु0 1,999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	20.00	25.00	30.00
5—रु0 1,399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	15.00	18.00	20.00

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थानों पर सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा, जैसा कि उन स्थानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल या अन्य संस्थान में ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था मौडल्ड टैरिफ पर उपलब्ध है रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के

कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष दर पर दैनिक भत्ता अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, देय होगा। वास्तविक व्यय का तात्पर्य ठहरने के दिये गये किराये से है, भोजन पर व्यय इसमें सम्मिलित नहीं होगा, वास्तविक व्यय की पुष्टि में वाउचर प्रस्तुत करना होगा। उदाहरण स्वरूप दिल्ली केन्द्र में सरकार के कर्मचारियों को निम्नलिखित दर से दैनिक भत्ता देय है।—.

वेतन सीमा (रुपये)	दैनिक भत्ता	
	निजी व्यवस्था अथवा होटल के अतिरिक्त अन्य स्थान पर ठहरने पर	होटल अथवा अन्य स्थान जहाँ ठहरने और/अथवा भोजन की व्यवस्था मोडेल्ड टैरिफ पर हो
1—1100 से कम	35.00	40.00
2—1100 से 1399 तक	50.00	65.00
3—1400 से 1899 तक	55.00	80.00
4—1900 से 2799 तक	65.00	125.00
5—2800 से 5099 तक	75.00	150.00
6—5100 अथवा उससे अधिक	85.00	175.00

(ग) पुनरीक्षित वेतनमानों में रु0 2,700 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले शासकीय सेवक, यदि उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–4 में उल्लिखित "क" वर्ग के नगरों में सरकारी कार्यवश जाते हैं और उन्हें वहां किसी अन्य संस्थान अथवा होटल पड़ता है तो, उन्हें अवस्थान की अवधि में निम्न प्रकार विशेष दर से दैनिक भत्ता इस शर्त के अधीन देय होगा कि सरकारी सेवकों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय, जिसकी पुष्टि में वाउचर प्रस्तुत करना होगा अथवा विशेष दर से दैनिक भत्ता, जो भी कम हो, ग्राह्य होगा।

(घ) प्रदेश के बाहर स्थानीय यात्राओं पर वास्तविक व्यय तथा निःशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते पर वर्तमान में जो प्रतिबन्ध हैं, वह यथावत् रहेंगे।

राजाज्ञा संख्या ए–1–4309/पन्द्रह—1534–1963, दिनांक 15 अप्रैल, 1967 के अनुसार जिन परिषदीय कार्यों के लिए पारिश्रमिक देय है, उन कार्यों के सम्पादनार्थ राजकीय, गैर सरकारी एवं सेवा से निवृत्त सभी व्यक्तियों को दैनिक भत्ता प्रदान करने का प्राविधान नहीं है।

9—राजाज्ञा संख्या म0–1653/15(7)—1607(76)–71, दिनांक 5 जून, 1974 के अनुसार परिषद् की परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्यों पर नियुक्त किये जाने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों श्रेणी के व्यक्तियों को उनके द्वारा इन कार्यों के सम्पादनार्थ की गई यात्राओं के सम्बन्ध में रेल/बस किराया, प्रासंगिक व्यय तथा रोड माइलेज शासन द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के अन्तर्गत समय–समय पर निर्धारित दर से देय होगा।

10—प्रयोगात्मक परीक्षक, सारणीयन पंजिकाओं की तुलना उत्तर-पुस्तकों का अनुसंधान (तुलनात्मक तथा परिनिरीक्षण) परीक्षा केन्द्र-व्यवस्थापक, कक्ष-निरीक्षक इत्यादि कार्यों के सम्पादनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित दर पर पारिश्रमिक दिया जाता है। अतः इन प्रयोजनों पर, जिन्हें यात्रा करनी पड़ती है, उन्हें यात्रा-भत्ता का भुगतान क्रम 8 तथा 9 पर दिये गये राजाज्ञाओं के अनुसार ही देय है।

11—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना एक ही दिशा में दुबारा यात्रा प्रयोगात्मक परीक्षक अथवा केन्द्र निरीक्षक कदापि न करें अन्यथा उनके बिल में से अनधिकृत यात्रा का व्यय काट दिया जावेगा/प्रयोगात्मक परीक्षक परीक्षा सम्पादित करने की तिथियों को प्रत्येक केन्द्र के प्रधानाचार्य से हस्ताक्षरित व सत्यापित संलग्न प्रपत्र पर अवश्य करा लें, तथा उसे मूल रूप में यात्रा-भत्ता बिल के साथ संलग्न करें।

यात्रा-भत्ता बिल भुगतान हेतु सचिव के पास प्रेषित करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति, अपने बिल की प्रविष्टियों को विशेष कर निम्नलिखित की भली-भांति जांच कर लें :—

(क) बिल के निर्धारित स्थानों पर नाम, पद, मासिक वेतन (महंगाई-भत्ता छोड़कर) व पता अंकित है अथवा नहीं,

(ख) बिल में यात्रा की तिथि व समय ठीक से लिखा गया है अथवा नहीं,

(ग) बिल के दोनों प्रतियों में निम्नलिखित प्रमाणकों में से, जो लागू होते हैं, उन्हें अंकित कर उनके नीचे हस्ताक्षर किए हैं अथवा नहीं।

मैं प्रमाणित करता हूं कि—

(1) मैंने रेल/बस यात्रा उसी श्रेणी में की है, जिसका किराया बिल में सम्मिलित है।

(2) सड़क यात्रा किराये के वाहन पर की गई।

(3) दैनिक भत्ता केवल उन्हीं दिनों का मांगा है, जिन दिनों राजकीय कार्य किया गया है।

(4) इन यात्राओं का भुगतान इसके पूर्व प्राप्त नहीं किया है और न भविष्य में मांगा जायेगा।

(5) किसी स्थान के लिए (जिसकी यात्रा इसमें की गई है) रियायती वापसी टिकट उपलब्ध न था।

(6) सड़क भत्ता केवल उन्हीं स्थानों का मांगा है, जो स्थान रेल अथवा बस से जुड़े नहीं हैं।

(7) मैंने सड़क यात्रा अपनी निजी मोटर/किराये की मोटर द्वारा सम्पादित किया है तथा एफ0 एच0 बी0 भाग 3 के नियम 27 (बी) (1) के अनुसार पेट्रोल आदि का व्यय वहन, भुगतान किया है।

(8) यात्रा जन-हित में की गई है।

12—संलग्नकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित का भी विशेष ध्यान रखें :—

(1) प्रत्येक व्यक्ति मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का विवरण अपने प्रधानाचार्य से सत्यापित करा कर बिल के साथ संलग्न करें।*

---

*संशोधित वेतनमान के अनुसार नये मूल वेतन का निर्धारण वर्तमान मूल वेतन, 36 जनवरी तक देय महंगाई भत्ता 84% या 70% तथा शासन द्वारा दी गई तीनों अंतरिम सहायता की किस्तों को जोड़कर निकाला जायगा।

(2) ऐसे व्यक्ति जो द्वितीय श्रेणी में बर्थ/सीट का आरक्षण करा कर यात्रा करते हैं और उसका क्लेम अपने टी0 ए0 बिल में करते हैं तो उन्हें उसकी रसीद बिल के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(3) प्रथम श्रेणी का किराया चार्ज करने वाले व्यक्तियों को अपने बिल में टिकट नम्बर व तिथि अंकित करना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में प्रथम श्रेणी का किराया देय नहीं होगा।

रेलवे स्टेशन से कचहरी तक की दूरी

क्रम-संख्या	जिले का नाम	रेलवे स्टेशन का नाम	कचहरी से दूरी	बस स्टेशन का नाम	कचहरी से दूरी
1	2	3	4	5	6
			कि0 मी0		कि0 मी0
1	आगरा	आगरा किला	2.0	आगरा	1.2
		आगरा सिटी	3.0		
		आगरा कैन्ट	4.0		
		आगरा ईदगाह	2.0		
		राजा की मण्डी	3.0		
2	अलीगढ़	अलीगढ़	1.5	अलीगढ़	3.2
3	इलाहाबाद	इलाहाबाद जंकशन	4.6	जीरो रोड	4.0
		इलाहाबाद सिटी रेलवे स्टेशन	4.7	सिविल लाइन्स	2.6
		प्रयाग रेलवे स्टेशन	2.0		

4	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	0.0	अल्मोड़ा	0.0
5	आजमगढ़	आजमगढ़	3.4	आजमगढ़	0.8
6	बहराइच	बहराइच	3.0	बहराइच	1.2
7	बलिया	बलिया	1.5	बलिया	0.5
8	बांदा	बांदा	0.8	बांदा	0.3
9	बाराबंकी	बाराबंकी	0.9	बी० डी० रोड	0.8
				नाका सतरिख	2.0
10	बरेली	बरेली (जंकशन)	1.1	बरेली	2.0
		बरेली सिटी	2.4		
11	बस्ती	बस्ती	6.0	बस्ती	3.4
12	बिजनौर	बिजनौर	2.0	बिजनौर	0.2
13	बदायूं	बदायूं	1.2	बदायूं	0.9
14	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	1.7	बुलन्दशहर	1.8
15	चमोली	चमोली	0.0	चमोली	0.5
16	देहरादून	देहरादून	0.8	देहरादून	0.6
17	देवरिया	देवरिया	2.2	देवरिया	0.1
18	इटावा	इटावा	1.3	इटावा	2.0
19	एटा	एटा	2.7	एटा	1.2
20	फतेहपुर	फतेहपुर	0.7	फतेहपुर	3.1

1	2	3	4	5	6
			किमी0		किमी0
21	फर्रुखाबाद	फतेहगढ़	2.0	फतेहगढ़	0.4
		फर्रुखाबाद	8.0		
22	फैजाबाद	फैजाबाद	1.2	फैजाबाद	0.6
23	गढ़वाल	गढ़वाल	0.0	पौड़ी	0.5
24	गाजीपुर	गाजीपुर शहर	1.3	गाजीपुर	1.2
		ताड़ीघाट	3.0		
25	गोंडा	गोंडा	5.8	गोंडा	2.2
		गोंडा कचेहरी	2.2		
26	गोरखपुर	गोरखपुर	1.5	रेलवे बस स्टेशन	1.2
				कचेहरी	0.3
7	गाजियाबाद	गाजियाबाद	2.0	कचेहरी	2.0
28	हमीरपुर	हमीरपुर रोड स्टेशन (सेन्ट्रल रेलवे)	10.4	हमीरपुर	0.0
29	हरदोई	हरदोई	1.4	हरदोई	0.6
30	जालौन (उरई)	उरई	2.4	उरई से झांसी मार्ग का बस स्टेशन,	1.6
				उरई से कालपी, कोच, जालौन एवं कोटरा मार्गों के बस स्टेशन	0.8
				उरई से राठ मार्ग का बस स्टेशन	3.2

		[illegible]	3.5	जौनपुर	1.0
		जौनपुर सिटी	3.5		
		जौनपुर कचहरी	2.0		
32	झांसी	झांसी	3.2		
33	कानपुर	कानपुर सेन्ट्रल	3.2	चुन्नीगंज	2.8
		अनवरगंज	4.2	कलेक्टरगंज	2.8
		रावतगंज	6.8		
34	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर-खीरी	1.5	लखीमपुर	1.3
35	लखनऊ	लखनऊ जंक्शन (एन0 रेलवे)	3.0	चारबाग	3.0
		ऐशबाग (एन0 ई0 रेलवे)	3.0		
		बादशाहनगर (एन0 ई0 रेलवे)	3.0		
		डालीगंज (एन0 ई0 रेलवे)	2.0		
		लखनऊ शहर या आगामीर की ड्योढ़ी (एन0 ई0 रेलवे)	2.0		
36	ललितपुर	ललितपुर	2.0	कचेहरी	2.6
37	मैनपुरी	मैनपुरी	3.2	मैनपुरी	2.4
		मैनपुरी कचहरी स्टेशन	3.0		
38	मेरठ	मेरठ शहर	5.3	मेरठ	2.1
		मेरठ कैन्ट	4.7		
39	मिर्जापुर	मिर्जापुर	3.0	मिर्जापुर	3.0
40	मुरादाबाद	मुरादाबाद	2.0	मुरादाबाद	3.0
41	मथुरा	मथुरा कैन्ट रेलवे स्टेशन	1.9	मथुरा	2.0
		मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन	3.4		

1	2	3	4	5	6
			किमी0		किमी0
42	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	1.1	मुजफ्फरनगर	0.6
43	नैनीताल	नैनीताल	0.0	तल्लीताल	1.0
44	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	0.0	पिथौरागढ़	2.0
45	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	3.0	प्रतापगढ़	1.0
46	पीलीभीत	पीलीभीत	5.0		
47	रायबरेली	रायबरेली	2.6	रायबरेली	1.8
48	रामपुर	रामपुर	1.6	रामपुर	1.2
49	सहारनपुर	सहारनपुर	1.8	सहारनपुर	1.8
50	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	1.8	शाहजहांपुर	1.0
51	सीतापुर	सीतापुर कचेहरी	1.0	सीतापुर	1.1
		सीतापुर शहर स्टेशन	2.2		
		सीतापुर कैन्ट	2.4		
52	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	1.0	सुल्तानपुर	0.4
53	टेहरी-गढ़वाल	„	0.0	नरेन्द्रनगर	0.2
54	उन्नाव	उन्नाव	0.6	उन्नाव	0.8
55	उत्तरकाशी		0.0	उत्तरकाशी	0.5
56	वाराणसी	वाराणसी कैन्ट	2.5	वाराणसी कैन्ट	2.6
		वाराणसी सिटी	4.8	विशेशरगंज	5.5
		काशी	6.9	(गोल गड्डा)	

भाग—सात

विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिषद् की परीक्षाओं की मान्यता

परीक्षाओं के नाम	परीक्षाओं को मान्यता देने वाले विश्वविद्यालय का नाम	प्राधिकार
1	2	3
इंटरमीडिएट तथा इंटरमीडिएट वाणिज्य और कृषि परीक्षायें	आगरा विश्वविद्यालय	आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926 की धारा 30 ।
इंटरमीडिएट तथा इंटरमीडिएट वाणिज्य परीक्षायें	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1931 की धारा 37 (1) ।
तदेव	लखनऊ विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० 4105/18/15, दिनांक 25 सितम्बर, 1924 ।
हाई स्कूल परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा तथा वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा	कलकत्ता विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० प्रकीर्ण-3069/बीस-ब, दिनांक 29 सितम्बर, 1924 ।
तदेव	पंजाब विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० 5977, दिनांक 10 दिसम्बर, 1924 ।
तदेव	नागपुर विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं० 1857, दिनांक 9 सितम्बर, 1924 तथा अध्यादेश 4 (अ), नोट 5 (अ) नागपुर विश्वविद्यालय के 1924-25 के लिए कलेन्डर का अध्याय 7 तथा पत्र संख्या 6779, दिनांक 18 सितम्बर, 1941 ।

1	2	3
हाई स्कूल परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा तथा वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा	रंगून विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 1945/43-जी, दिनांक 15 सितम्बर, 1942 ।
हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षायें	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 25/6/पांच-डी--11, दिनांक 22 सितम्बर, 1924 ।
तदेव	आन्ध्र विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 139-सी--34, दिनांक 14 अप्रैल, 1934 ।
हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षायें तथा वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा	बम्बई विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 3936, दिनांक 6 जुलाई, 1925, सं0 8685, दिनांक 15 दिसम्बर, 1925 तथा सं0 6, दिनांक 3 जनवरी, 1933 ।
हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षायें	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र संख्या 19$710, दिनांक 31 मार्च, 1926 ।
इंटरमीडिएट परीक्षा	दिल्ली विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 4631, दिनांक 30 जनवरी, 1925 ।
तदेव	ढाका विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 19572, दिनांक 23 अप्रैल, 1925 ।
तदेव	कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 एच-17928, दिनांक 13 जुलाई, 1926 ।
तदेव	स्काटिश यूनिवर्सिटी ऐंट्रेंस बोर्ड	सचिव का पत्र, दिनांक 23 जनवरी, 1928 ।
तदेव	नेशनल आफिस फ्रेंच स्कूल्स एन्ड यूनिवर्सिटीज, पेरिस	भारत के हाई कमिश्नर, शिक्षा विभाग का भारत सरकार के सचिव, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भूमि विभाग का पत्र संख्या ई/एस-72/1, दिनांक 5 जुलाई, 1932 ।

2447 सा0 शि0 प0—25

हाई स्कूल परीक्षा	बेलफास्ट की क्वींस यूनिवर्सिटीज	सचिव, शिक्षा विभाग, भारत के हाई कमिश्नर कार्यालय, लन्दन का पत्र संख्या ई–एस—74/12, दिनांक 31 जनवरी, 1935 ।
कृषि में इंटरमीडिएट परीक्षा	पंजाब विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 657, दिनांक 21 जनवरी, 1938 ।
इंटरमीडिएट परीक्षा तथा वाणिज्य में इंटरमीडिएट परीक्षा	पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय	सहायक रजिस्ट्रार का पत्र सं0 2320/जी एम0, दिनांक 23 मार्च, 1949 ।
हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा	कश्मीर विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 के0 यू0/11705/50 दिनांक 15 नवम्बर, 1950 ।
हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा	उत्कल विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 ए ए–सी—8136/31, दिनांक 28 नवम्बर, 1951 ।
तदेव	गौहाटी विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 जी0/ई0/ई0 सी0/252/6096, दिनांक 4 अगस्त, 1952 ।
इंटरमीडिएट कला, विज्ञान तथा वाणिज्य परीक्षायें	गुजरात विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 जैन–7740/1952 का दिनांक 23/24 मार्च, 1953 ।
इंटरमीडिएट कला तथा विज्ञान	पूना विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 यू0 नी0/10/10202, दिनांक 7/9 जुलाई, 1953 ।
हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट	पंजाब विश्वविद्यालय	सचिव की विज्ञप्ति सं0 आई जो, दिनांक 26 अप्रैल, 1955 ।
हाई स्कूल प्राविधिक तथा इंटर-मीडिएट प्राविधिक परीक्षायें	दिल्ली विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 सी0 9/यू0 पी0–25/736, दिनांक 21/22 दिसम्बर, 1965 ।

1	2	3
इंटरमीडिएट विज्ञान (कृषि)	कलकत्ता विश्वविद्यालय	सहायक रजिस्ट्रार का पत्र सं0 एम0 आर0—4545/ई—क्यू0, दिनांक 13 मई, 1958 ।
इंटरमीडिएट कला, विज्ञान तथा वाणिज्य	महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा	सहायक रजिस्ट्रार का पत्र सं0 ए0 सी0/552, दिनांक 23 जून, 1958 ।
हाई स्कूल परीक्षा	पूर्व पाकिस्तान सेकण्डरी एजूकेशन बोर्ड, ढाका	अनुसचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली—1 द्वारा इस कार्यालय को अपने पत्र सं0 डी0—3950/यू0—5, दिनांक 13 जनवरी, 1959 के साथ प्रेषित सचिव का पत्र सं0 6-जे0/पद0—1403 (100), दिनांक 4 मार्च, 1958 ।
हाई स्कूल (प्राविधिक) परीक्षा	एम0 एस0 विश्वविद्यालय, बड़ौदा	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 ए0 सी0 6232, दिनांक 17 सितम्बर, 1960 ।
हाई स्कूल (प्राविधिक) परीक्षा (नया रूप)	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 एम0 आर0/2971 ई—क्यू0, दिनांक 18 नवम्बर, 1960 ।
हाई स्कूल (प्राविधिक) और इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा (नया रूप)	मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 32002, दिनांक 14 मार्च, 1961 ।
हाई स्कूल (प्राविधिक) परीक्षा (नया रूप)	रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 ए0 सी0 डी0/987/आर0—115, दिनांक 11 अप्रैल, 1961 ।
इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा (नया रूप)	जबलपुर विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 5794, दिनांक 12 जुलाई, 1961 ।
हाई स्कूल (प्राविधिक) तथा इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा (नया रूप)	दिल्ली विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 सी0/9/यू0 बी0 (2) 209—35, दिनांक 2 फरवरी, 1962 ।

(नया रूप)	पूना विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 जे0--यू0 पी0/बोड/1131, दिनांक 14 मार्च, 1962 ।
इंटरमीडिएट परीक्षा	मैसूर विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 आर0-5/792/57-58, दिनांक 17 सितम्बर, 1962 ।
इंटरमीडिएट परीक्षा (भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान सहित)	मैसूर विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 आर0--5-598/6869, दिनांक 11 अगस्त, 1970 ।
इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा	रुड़की विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 ए0 सी0 डी0/488--आर0/115, दिनांक 24 अप्रैल, 1963 ।
इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा हाई स्कूल (प्राविधिक) परीक्षा	एस0 एस0 सी0 इक्जामिनेशन बोर्ड, पूना	सहायक सचिव का पत्र सं0 बी0 आर0 एल0 ई0-क्यू0, दिनांक 17 जुलाई, 1963 ।
इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा	बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन यू0 पी0, लखनऊ	सचिव का पत्र सं0 बी0-तीन (27)-64-65/1331, दिनांक 23 जून, 1964 (दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिये) ।
इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा	विक्रम विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 एड0 एन0 एन0 रिक्ग0-65/1382, दिनांक [illegible] फरवरी, 196[illegible] ।
इंटरमीडिएट विज्ञान इंटरमीडिएट (प्राविधिक) परीक्षा	इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, कानपुर	उप निदेशक एवं अध्यक्ष, एडमिशन कमेटी का पत्र सं0 ए/जे0-टी0-6/64/11-टी0 के0-1208, दिनांक 30 जुलाई, 1964 ।
हाई स्कूल परीक्षा	बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, हिमांचल प्रदेश, शिमला	सचिव का पत्रांक एच0 बी0 (2)-117/जनरल/एक्यू0/78-5489, दिनांक 14 दिसम्बर, 1978 ।

1	2	3
हाई स्कूल प्राविधिक परीक्षा	महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा	रजिस्ट्रार का पत्र सं0 ए0 सी0/416, दिनांक 23 जुलाई 1954 ।
तदेव	बोर्ड आफ सेकेन्डर एजूकेशन, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता	उप सचिव का पत्र सं0 यू0 एन0/8/4, दिनांक 20 मई, 1955 ।
इंटरमीडिएट विज्ञान, जीव विज्ञान सहित (चिकित्सा वर्ग)	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	उप रजिस्ट्रार (प्रशासन) पत्र सं0 प्रकीर्ण/12378, दिनांक 23 अगस्त, 1958 ।
हाई स्कूल परीक्षा	पंजाब विश्वविद्यालय	उप रजिस्ट्रार (प्रशासन) पत्र सं0 प्रकीर्ण/25/80--529, दिनांक 1 सितम्बर, 1959 ।